एकादश माला, खंड 16, अंक 14

सोमवार, 11 अगस्त, 1997
20 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

58
15.12.98

पांचवां सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 16 में अंक 11 से 17 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणि, जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

सोमवार, 11 अगस्त, 1997/20 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
10	नीचे से 6	डा॰ रामकृष्ण कुसमारिया	डा॰ रामकृष्ण कुसमरिया
96	15	2923	2935
118	नीचे से 8	श्री सुरेश आर॰ जाघव	श्री सुरेश आर॰ जाधव
129	नीचे से 17	हेलीकॉटर	हेलीकॉप्टर
225	10	3008	3108
313	18	श्री इलियास आगमी	श्री इलियास आज़मी
330	4	समन्युत	समन्वित
383	नीचे से 20	श्री प्रभुदयाल कठेलिया	श्री प्रभुदयाल कठेरिया

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1997/1919 (शक)]

अंक 14, सोमवार, 11 अगस्त, 1997/20 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261-265.	1-32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 266-280	33-56
अतारांकित प्रश्न संख्या 2880 से 3109	56-229
सभा पटल पर रखे गये पत्र	229-233
स्वापक औषधि और मन-प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	233
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) महाराष्ट्र में दहानू और नासिक के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामन वानगा	272
(दो) ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र में स्थित उद्योगों को गैस और विद्युत की अबाधित पूर्ति किये जाने की आवश्यकता	
प्रो० ओमपाल सिंह 'निडर'	273-273
(तीन) देश में विशेषकर गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के कार्यकरण की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता	
श्री एन०जे० राठवा	273
(चार) दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन की स्थापना करने संबंधी आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी	273-274
(पांच) उत्तरी बिहार में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
प्रो० अजित कुमार मेहता	274
(छह) उत्तरी छोटा नागपुर, बिहार में मूल्यवान पत्थरों के खनन संबंधी एक व्यापक नीति बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा	274
(सात) कर्नाटक में पवन चक्की फार्मो (विंड फार्मो) के लिए वन भूमि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता	
श्री के०सी० कोंडय्या	274
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ठोस विस्तार परियोजना में 8.8.1997 को हुई दुर्घटना	
श्री [illegible] अरूणाचलम.	284-286

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1997-98

श्री अनंत गंगाराम गीते . . . 276-282
श्री इलियास आजमी . . . 282-284
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा . . . 286-288
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन . . . 288-292
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह . . . 292-294
श्री मेजर सिंह उबोक . . . 294-297
श्री रनेन बर्मन . . . 297-298
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव . . . 298-302
श्री सुरेश आर० जाधव . . . 302-303
श्री अमर राय प्रधान . . . 303-305
श्री पी०एस० गढ़वी . . . 305-308
श्री मंगत राम शर्मा . . . 308-311
श्री बसुदेव आचार्य . . . 311-317
श्री ब्रह्मानन्द मंडल . . . 343-345
श्री जी०एम० बनातवाला . . . 345-347
श्री रामबहादुर सिंह . . . 347-349
श्री अनिल कुमार यादव . . . 349
वैद्य दाऊ दयाल जोशी . . . 349-352
श्री कोडीकुनील सुरेश . . . 352-355
डा० अरूण कुमार शर्मा . . . 355-357
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल . . . 357-359
श्री सुनील खान . . . 359-360
श्री बृज भूषण तिवारी . . . 360-362
श्री चन्द्रभूषण सिंह . . . 362-364
श्री के०पी० सिंह देव . . . 364-367
श्री सुरेन्द्र यादव . . . 367-368
श्री महेन्द्र सिंह भाटी . . . 368-372
श्री आर० साम्बासिवा राव . . . 372-374
श्री ए०जी०एस० रामबाबू . . . 374-375
श्री पी० कोदण्ड रमैया . . . 375-377
श्री सत्य पाल जैन . . . 377-380
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह . . . 380
श्री पी० उपेन्द्र . . . 380-383
श्री प्रभु दयाल कठेरिया . . . 383-385
श्री पी०सी० थामस . . . 386-388
श्री छत्रपाल सिंह . . . 388-389

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका 389-391

डा० अमृत लाल भारती 391-393

श्री भेरूलाल मीणा 393-394

श्री सुकदेव पासवान 394-397

श्री मनोज कुमार सिन्हा 397-399

डा० सत्यनारायण जटिया 399-402

श्री पुन्नू लाल मोहले 402-403

प्रो० ओमपाल सिंह 'निडर' 403-406

श्री मोहन रावले 406-408

नियम 193 के अधीन चर्चा

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

श्री रामबहादुर सिंह 318-321

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी 321-324

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 324-327

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन 327-330

आधे घंटे की चर्चा

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन

श्री शिवराज सिंह 330-332

श्री सन्तोष कुमार गंगवार 333

डा० सत्यनारायण जटिया 333-334

श्री किन्जारप्पू येरननायडू 335-342

लोक सभा

सोमवार, 11 अगस्त, 1997/20 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

तुर्की के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे, अपनी तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से तुर्की ग्रांड राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष महामहिम श्री मुस्तफा कालेमली और संसद सदस्य श्री सईन निहान इगुन जो हमारे सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, का स्वागत करते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है।

यह शिष्टमंडल आज सुबह दिल्ली पहुंचा। अब वे विशेष बाक्स में बैठे हुए हैं। हम अपने देश में उनके सुखी और लाभप्रद प्रवास की कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति, संसद और वहां के स्नेही देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्रश्नों के मोखिक उत्तर

[हिन्दी]

घटिया और मिलावटी डीजल की बिक्री

\+
***261. श्री भगवान शंकर रावत :**
श्री मणिभाई रामजी भाई चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में पेट्रोल पम्पों पर घटिया और मिलावटी डीजल की बिक्री संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान और आज तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पेट्रोल पम्पों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन पेट्रोल पम्पों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त होती रहती है भले ही उनकी संख्या बहुत कम होती है। इन शिकायतों में दिल्ली और देश के अन्य भागों के पेट्रोल पम्पों पर घटिया और मिलावटी डीजल की बिक्री संबंधी शिकायतें भी शामिल हैं। ऐसे कदाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए तेल उद्योग ने सरकार के अनुमोदन से "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश" (एम० डी० जी०) बनाए हैं। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत तेल कंपनियों के क्षेत्र अधिकारियों, संयुक्त उद्योग दलों और सचल प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। एम०एस०/एच०एस०डी० नियंत्रण आदेश के अंतर्गत पेट्रोल और डीजल में मिलावट को रोकने के लिए घनत्व जांच और मिट्टी तेल की फर्फरल डोपिंग की जाती है। अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत जारी एम०एस०/एच०एस० डी नियंत्रण आदेश, 1990 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकारों की प्रवर्तन एजेंसियों के पदाधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं। तेल कंपनियों ने दिसम्बर, 1996 और जनवरी, 1997 के माह के दौरान एक अखिल भारतीय औचक निरीक्षण अभियान का आयोजन किया था। देश भर में मिट्टी तेल, एल० पी०जी०, पेट्रोल, डीजल और एल०डी०ओ० के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों और कदाचार पर रोक लगाने के लिए इस समय भी एक अन्य निरीक्षण अभियान जारी है जो 21.07.97 को आरम्भ हुआ और 20.08.97 को समाप्त होगा।

यदि सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसे जांच और त्वरित कार्रवाई के लिए तेल कंपनियों को, अग्रेषित कर दिया जाता है। मिलावट, कालाबाजारी और अन्य अनियमितताओं के सिद्ध मामलों में चेतावनी देने, बिक्रियां और आपूर्तियां निलंबित करने, जुरमाना लगाने और डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को समाप्त करने जैसी कार्रवाई विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की जाती है।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, संसद में एक संकल्प पारित किया गया था कि देश की सड़कों की दशा बहुत जीर्ण-शीर्ण है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी खराब है। इसलिए पांच पैसा डीजल पर प्रति लीटर और दस पैसा पेट्रोल पर सेस लगाकर सड़कों की स्थिति ठीक की जाये तथा नई सड़क का निर्माण कराया जाये। लेकिन वह तो हमने नहीं की। दूसरा हमने ऑयल सेस लगाया और एक ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया। लेकिन वह भी डीजल और पेट्रोल की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रहा है। उसका परिणाम यह हो रहा है कि उपभोक्ता लूट रहा है। प्रति वर्ष तीन हजार करोड़ रुपये के व्हीकल्स डेमेज हो रहे हैं जिसमें ट्रक, ट्रेक्टर, मोटर कारें और डीजल से चलित वह मोटर भी शामिल है जो सिंचाई के काम आती है। मिलावट डीजल के कारण बहुत नुकसान हो रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार डीजल में और पेट्रोलियम पदार्थो में मिलावट रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है? इसमें जो उपाय बताये गये हैं, वे उपाय औरनामेंटल और सेरेमोनियल है। इस पर कुछ प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि जो इसमें लिखा है, इसके अलावा भी कुछ डेटरेट पनीशमेंट देना और इफैक्टिव स्टेप उठाने की कोई योजना शासन ने की है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी डीजल में मिट्टी का तेल पाया जाता है तो पहली घटना के परिणामस्वरूप उस पर जुर्माना किया जाता है। दूसरी बार मिलावट करने पर वह जुर्माना दुगुना कर दिया जाता है और अगर उसके बाद भी मिलावट करने वाला नहीं मानता, तो उस डीलरशिप को सस्पैंड कर दिया जाता है। जहां से भी शिकायत आती है और वैसे भी विभाग यदि अपने आप जांच करता है तो जहां कहीं भी कमी पाई गयी या मिलावट पायी गयी तो उस पर कार्यवाही होती है।

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, यह औरनामेंटल रिप्लाई फिर से मंत्री जी ने पढ़ दिया है। मंत्री जी पहले ऐसे नहीं थे। जब वे मंत्री नहीं थे तब वे बड़े क्रांतिकारी थे और चीजों की बड़ी मीमांसा किया करते थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर कितने केस रजिस्टर्ड किये गये और कितने केसेस पर कार्यवाही की गयी? जो निरीह उपभोक्ता लूट गया, उनको कंपनसेट करने के लिए कोई ऐफर्ट्स ऐटेम्पट किया गया? इसके साथ ही आखिरी बिन्दु यह जोड़ना चाहूंगा कि जिस पाइपलाइन से डीजल आता है, उसके अंदर भी मिलावट की शिकायतें पायी गयी हैं। क्या उन

शिकायतों की तरफ भी मंत्री जी का ध्यान है या नहीं? यदि है तो क्या कार्यवाही की गयी? जिस पाइपलाइन के माध्यम से डीजल जाता है, उसके अंदर मिलावट न हो, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पाइपलाइन में तो मिलावट हुआ नहीं करती। मैं यह माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं। इस साल 82 हजार बार जांच की गयी और 680 केसेस में गड़बड़ी पायी गयी जिसमें से 146 केस मिलावट के आये थे। 373 डीलरशिप की सप्लाई को हमने एक-दो महीने के लिए बंद कर दिया गया है और 247 से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उनको चेतावनी दी गयी है।

श्री भगवान शंकर रावत : यह बड़ा राष्ट्रीय अपराध है इसलिए इससे अधिक की आवश्यकता है। मिट्टी के तेल में डामर मिलाया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अच्छा हुआ कि मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया है कि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक मार्किटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन्स मानी जाती है या नहीं, इसकी कुछ जांच लगातार चल रही है। क्या मंत्री जी को इस चीज की जानकारी नहीं है कि केवल गुजरात, मुम्बई और महाराष्ट्र में जो तेल की पूरी मिलावट होती है, जिसमें मिट्टी का तेल, पैट्रोल और डीजल, ये तीनों शामिल हैं, वह एक ऐसे माफिया गिरोह के हाथों में है जिसमें जितनी कम्पनियां हैं, उसके सारे बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और उनकी पकड़ यहां तक है कि दो साल पहले गुजरात के जो सिविल सप्लाइज के मंत्री थे, उनकी जान लेने के लिए ठेका दिया गया था क्योंकि उन्होंने मिलावट करने वाले लोगों को रोकने में पहल की थी? मैं केवल इन दो राज्यों की ही बात कह रहा हूं। मैंने मुम्बई का नाम इसलिए लिया कि मुम्बई में बहुत बड़ा केन्द्र है जहां पर सारे माफिया गिरोह के लोग रहते हैं और जो कोई भी शिकायत करता है, उसकी जान हमेशा खतरे में आ जाती है। क्या मंत्री जी इसपर विशेष प्रयास करेंगे कि अपनी कम्पनियों के बड़े अधिकारियों से लेकर माफिया गिरोह के नीचे के लोगों तक कार्यवाही करें क्योंकि सवाल आपके पम्प का नहीं है सवाल सारे माफिया गिरोह के लोगों का है? क्या इसपर आप कोई कार्यवाही कर पाएंगे?

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने केवल पम्प को नहीं बल्कि सारे तंत्र को इसमें घसीट दिया है। लेकिन इसमें बड़े से बड़े अधिकारी और यहां तक कि खुद मैं जनेश्वर मिश्र भी यदि दोषी पाया गया तो जरूर कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री सुधीर गिरि : अध्यक्ष महोदय, डीजल और पेट्रोल बेचने में कदाचार का एक कारण देश में विद्यमान डीलरों और वितरकों की कम संख्या है। इसलिए उचित प्रतिस्पृद्धा नहीं है। यही कारण है कि खरीददार इन डीलरों से यह सामग्री खरीदने को मजबूर हो जाते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय वितरण कार्य अधिक से अधिक लोगों को देने को तैयार है ताकि उचित प्रतिस्पृद्धा हो सके?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने निर्णय लिया है कि डीलरशीप की तादाद बढ़ाई जाएगी। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि डीजल में मिट्टी का तेल या मिट्टी के तेल में डीजल इसलिए मिलाया जाता है कि डीलरशिप की कमी है और लोगों को समय पर तेल नहीं मिलता बल्कि मिलावट इसलिए हो रही है क्योंकि डीजल और मिट्टी के तेल में बहुत फर्क है। मिट्टी का तेल सस्ता इसलिए रखा गया है क्योंकि वह गरीब व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए है और कोई भी कल्याणकारी सरकार इस तरह का निर्णय लेती है। डीजल का दाम ज्यादा है। दिल्ली में ही 8.00 रुपये और ढाई रुपये का फर्क है जिस तरह का समाज निर्माण इस समय हो रहा है, उसमें इस प्रक्रिया को रोकना मुश्किल तो लग रहा है लेकिन सरकार सख्ती से निपटने की कोशिश करेगी।

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 27 मई, 1997 को मैं स्वयं मुम्बई से सूरत जा रहा था। मैंने एक पैट्रोल पम्प से डीजल लिया। उस डीजल में मिट्टी के तेल की बहुत मिलावट थी। मैंने वहां अपनी शिकायत दर्ज कराई। इतना ही नहीं, पुलिस को भी बुलाया। वहां पर पंचनामा करवाया और ऑयल का टैस्ट भी किया गया। बहुत सारे पैट्रोल पम्पों में इस किस्म की मिलावट होती है। आपका जो कैम्प चल रहा है, आपने यहां लिखा है कि 21 जुलाई से 20 अगस्त तक यह चलने वाला है। यदि आप पहले से ही उनको जानकारी दे देंगे तो वे मिलावट नहीं करेंगे। आप मेरे साथ आइए, मुम्बई के कई पैट्रोल पम्प और पूरे रास्ते में, यहां से गुजरात तक और वहां पुना तक* जो पैट्रोल पम्प हैं, वैसे कई पैट्रोल पम्पों में हम जाएंगे। आप चैकिंग करो, यदि हम लोग उनको पकड़ पाते हैं तो क्या आपका यंत्र उनको पकड़ नहीं पाता? इसका मतलब यह है, उनमें आपस में सांठ-गांठ है और उसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है।

तो मैं उसके लिए पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आपके पास कौन सी इफैक्टिव मशीनरी है, जिसका इस्तेमाल करके, यह जो कालाबाजारी चल रही है, इसको आप रोकने की कोशिश करेंगे? मुझे याद है कि एक बार यहां इस हाउस में पं० जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को पब्लिकली हैंग कर दो तो आपने किसी के ऊपर आज तक ऐसी कार्रवाई की है क्या?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं भी जब मंत्री नहीं था तो मेरी गाड़ी में भी, पैट्रोल की गाड़ी थी, मिट्टी का तेल मिलाया गया है और कई बार मिलाया गया है तो ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार : यह हकीकत है, आप बताइये न।

श्री जनेश्वर मिश्र : आजकल मैं मंत्री हूं तो मैं नहीं जानता, क्योंकि सरकारी गाड़ी है, कि मिट्टी का तेल मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन पहले की जानकारी मेरी भी है, तब की जब मैं विरोधी पार्टी में था। उस समय झुंझलाहट भी होती थी। किसी-किसी पैट्रोल पम्प वाले को मैंने हाथ से मार भी दिया है। लेकिन मिनिस्टर होने के बाद अब मेरे हाथ थोड़े कमजोर हो गये हैं। अब मैं हाथ चला नहीं सकता।

श्री मधुकर सरपोतदार : आपकी ताकत बढ़ गई है, कमजोर नहीं हो गई है।

श्री जनेश्वर मिश्र : लेकिन जैसा कि पहले साथी ने कहा और आप भी कह रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जहां कहीं भी मिलावट हो, अब तक जो मार्केटिंग गाइडलाइंस, डिसिप्लिन गाइडलांइस हैं, उनमें तरमीम करके और सख्त सजा का प्रावधान किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय मुझे एक उदाहरण की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपके व्यक्तिगत उदाहरण सहित काफी उदाहरण दिये हैं।

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना

***262. श्री सनत मेहता :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नर्मदा बचाओ आन्दोलन" की संयोजक श्रीमती मेधा पाटेकर ने मुम्बई में प्रधान मंत्री के साथ अपनी हाल की बैठक में सरदार सरोवर परियोजना के बारे में प्रधान मंत्री को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने भी इस मुद्दे को प्रधान मंत्री के साथ अहमदाबाद के उनके पिछले दौरे के समय उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

माननीय प्रधान मंत्री के मुम्बई दौरे के दौरान नर्मदा बचाओ आन्दोलन की सुश्री मेधा पाटेकर ने उनसे 31.5.1997 को भेंट की और बाद में जब वे माननीय प्रधान मंत्री जी से दिल्ली में मिली तो उन्होंने उन्हें एक ज्ञापन दिया। उपरिलिखित ज्ञापन में उन्होंने यह मांग की कि परियोजना से प्रभावित परिवारों की पुनर्स्थापना और पुनर्वास, पर्यावरणीय विषयों, परियोजना की आर्थिक और वित्तीय अनुपलब्धता और कच्छ तथा सौराष्ट्र क्षेत्र को पेयजल की आपूर्ति सहित परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों का गलत प्रक्षेपण करने से संबंधित समस्याओं के कारण सरदार सरोवर परियोजना की पूर्ण समीक्षा की जाए।

माननीय प्रधान मंत्री के 3 मई, 1997 के अहमदाबाद और गांधीनगर के पिछले दौरे के दौरान, गुजरात के मुख्य मंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना के मुद्दे का उल्लेख किया था और बाद में 6 मई, 1997 को माननीय प्रधान मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए पत्र लिखा कि वे चारों सहभागी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करें ताकि सरदार सरोवर बांध का निर्माण कार्य पुन: शुरू किया जा सके।

सुश्री मेधा पाटेकर द्वारा माननीय प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में उल्लिखित सभी मुद्दे सरदार सरोवर परियोजना संबंधी नर्मदा बचाओ आन्दोलन द्वारा 30 अप्रैल, 1997 को उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका (सिविल) सं०-319/94 में भी उठाये गये हैं।

इसलिए यह मामला न्यायाधीन है। भारत सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष इस मामले पर पहले ही बचाव कर रही है और उसने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार पूरी की जानी चाहिए। इस मामले पर पिछली सुनवाई 30 जुलाई, 1997 को हुई थी और अगली सुनवाई 27 अगस्त, 1997 निश्चित की गई है।

सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में 15 और 16 जुलाई, 1996 को माननीय प्रधान मंत्री के साथ पक्षकार राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक के दौरान निम्नलिखित पर सहमति हुई थी।

> "सरदार सरोवर बांध का निर्माण योजना के अनुसार किया जाए, पहली बार में इसे 132.68 मीटर (436 फीट) तक के पूर्ण जलाशय स्तर तक सीमित रखा जाए। उसके बाद बांध में जल के वास्तविक प्रवाह से संबंधित आंकड़ों पर पांच वर्ष की अवधि तक निगरानी रखी जाएगी। यदि इन पांच वर्षों के दौरान किन्हीं तीन वर्षों में छोड़े गए जल का प्रवाह पंचाट में किए गए निर्धारण के अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 138.68 मीटर (455 फीट) तक बढ़ाने के निर्णय पर विचार किया जा सकता है। बांध के निर्माण कार्य की प्रगति पंचाट की शर्तों के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास के और इस सबंध में राज्यों द्वारा निर्धारित राहत और पुनर्वास नीतियों के समरूप होती रहेगी। राज्य राहत और पुनर्वास उपायों का त्वरित और समुचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करेंगे।"

इसके अलावा, जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ 13 नवम्बर, 1996 को हुई नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 1996-97 के दौरान "स्पिलवे" भाग में सरदार सरोवर बांध का ऊंचाई स्तर 110 मीटर तक उठाया जाये। तथापि, कार्य दिसम्बर, 1996 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इस बीच 81.5 मीटर तक ऊंचाई स्तर से मध्य प्रदेश के प्रभावित शेष लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना के उपाय गुजरात द्वारा एक पखवाड़े के अंदर किए जायेंगे। मध्य प्रदेश इस संबंध में हर प्रकार की सहायता एवं सहयोग देने के लिए राजी हो गया है। 81.5 मीटर ऊंचाई स्तर तक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वियन की समीक्षा के बाद, बांध की प्रत्येक 5 मीटर ऊंचाई के लिए संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उप दल एवं पर्यावरण उपदल, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, द्वारा इसी प्रकार की समीक्षाएं की जायेंगी ताकि निर्माण कार्य पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपायों के कार्यान्वियन के समरूप इस ढंग से किया जाए कि 31 मई, 1997 तक परियोजना से प्रभावित लोगों को वास्तव में बसाया जा सके।

इस प्रकार केन्द्र सरकार ने सरदार सरोवर बांध का निर्माण शीघ्र करने के लिए बहुत से कदम उठाये हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित मुख्य मंत्रियों की बैठक आयोजित करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानपूर्वक उत्तर पढ़ा है। दिनांक 5 मार्च, 1997 को शून्य काल के दौरान सभा में वाद-विवाद में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चन्द्रशेखर, श्री शरद पवार, श्री शरद यादव, श्री सोमनाथ चटर्जी आदि सभी ने इस परियोजना और संविधान के अनुच्छेद 262 की अनिश्चितता तथा उससे अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद बढ़ने, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के जल का उपयोग नहीं होता, के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी। लोक सभा पटल पर इन भावनाओं के व्यक्त किये जाने के पश्चात इस अवधि के दौरान सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछले जुलाई के महीने में प्रधान मंत्री जी ने सरदार सरोवर के सवाल पर चारों राज्य के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। देवेगौड़ा जी तब प्रधान मंत्री थे, एक लम्बी बहस के बाद एक कन्सेंसस ओपिनियन प्रधान मंत्री जी ने घोषित की थी। पिछले नवम्बर के महीने में, चारों राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सरदार सरोवर की एक बैठक रिव्यू कमेटी होती है, उनकी बैठक जल संसाधन मिनिस्टर की अध्यक्षता में हुई थी और उसमें भी निर्णय लिये गये थे। जैसे ही माननीय सदस्य ने कहा कि गुजरात का सवाल है तो आवाज आने लगी कि चार राज्यों का सवाल है। यह अपने आपमें संकेत करता है कि सवाल कितना पेचीदा है।

पीड़ा होती है कि आजादी की 50वी वर्षगांठ मनाने की बात हम करते हैं, सन् 1946 में सरदार पटेल ने इस योजना की, परियोजना की परिकल्पना की थी। सन् 1961 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका शिलान्यास किया था और अभी तक एक भी बूंद पानी इस परियोजना से किसी को नहीं

मयस्सर नहीं हुआ है गुजरात का सवाल हो, मध्य प्रदेश का सवाल हो या चार राज्यों का सवाल हो, इस सदन को गम्भीरता से सोचना होगा कि हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ तो मना लेंगे, लेकिन आम आदमी के लिए पानी का क्या इन्तजाम कर रहे हैं और माननीय सदस्यों ने अगर इसपर चिन्ता जताई है तो मेरी सहमति उन लोगों के साथ है।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता : प्रभावित लोगों के पुर्नस्थापन और पुनर्वास के बारे में कठिन समस्या है। माननीय प्रधान मंत्री के साथ बैठकें आयोजित करने के पश्चात तत्कालीन प्रधान मंत्री और माननीय जल संसाधन मंत्री ने यह सुझाव किया कि सरदार सरोवर परियोजना के रुके हुए पानी के प्रभाव को रोकने के लिए एफलेक्स बान्ध बनाये जाने की आवश्यकता है क्योंकि उस पानी से अत्यधिक लोग प्रभावित हैं। यह एफलेक्स बान्ध प्रणाली समस्त विश्व में प्रचलित है। इसकी कुल लागत केवल 100 करोड़ रु० है। क्या भारत सरकार 100 करोड़ रु० की लागत पर एफलेक्स बान्ध बनाने के इस सुझाव पर विचार करेगी जिसकी लागत 16000 अथवा 20000 परिवारों को पुनर्वास करने की लागत से काफी कम होगी। क्या यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है कि यह हल निकाला जाये? क्या इस सुझाव पर किसी को कोई आपत्ति है? क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सरकार के सामने एफलेक्स बांध के बारे में भी सुझाव आए हैं और वह उस पर विचार करेगी। पंचायत के ट्रिब्यूनल के अवार्ड में इसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गई है। अगर चारों सम्बन्धित राज्य इसके लिए तैयार हो जाएं, तो सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री दिलीप संघानी : पिछले सत्र में भी इस सदन में नर्मदा बांध के बारे में प्रश्न आया था और उस समय सदन में सभी दलों के नेताओं ने इस पर चर्चा की थी और चिंता व्यक्त की थी। अभी मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दर्शाई है और चिंता व्यक्त की है। सिर्फ चिंता से यह प्रश्न हल नहीं होगा। यह बात सही है कि अवार्ड में 45 साल तक रिव्यू करने की छूट नहीं थी। जब अवार्ड में रिव्यू करने की छूट नहीं है, तब यह प्रश्न छेड़कर बांध की ऊंचाई का जो काम चल रहा है, उसे वहीं का वहीं रोकने की कार्यवाही की जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि यह सिर्फ चार राज्यों का ही प्रश्न नहीं है, यह पूरे राष्ट्र की चिंता है, बिजली का सवाल है, पीने के पानी का सवाल है। कच्छ बोर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं, उनको पीने का पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। वहां तक पानी पहुंचाने के लिए क्या कोई राष्ट्रीय योजना बनाकर उसके बारे में शीघ्र कुछ करने के लिए केन्द्र सरकार सोच रही है?

[अनुवाद]

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं अधिक प्रभावित हुआ हूं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से अवार्ड में लिखी हुई बातों को मानने की इच्छा है, लेकिन बार-बार अदालत की तरफ से कोई न कोई स्टे आर्डर आ जाता है। इस समय भी यह मामला अदालत में विचाराधीन है। मेरे ख्याल से उसके लिए 27 तारीख निश्चित की है। इसलिए मैं अपनी तरफ से बहुत बातों को कहकर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करूंगा।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री का ध्यान सरदार सरोवर परियोजना की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस परियोजना से बाड़मेर जिले को भी पानी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाती है। बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लोगों के लिए पानी का कोई और स्रोत नहीं है। इन जिलों के लोग 10 कि०मी० से 15 कि०मी० की दूरी से पानी लाते हैं। जब इस परियोजना की संकल्पना की गई थी, तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान 4 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की राशि का भुगतान किया था। इस मुकदमेबाजी और विवाद के कारण बाड़मेर जिले के लोगों को बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा है, सैनिकों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं लगभग 25 लाख लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके लिए यह परियोजना जल आपूर्ति का एकमात्र स्रोत है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस मामले में उन्होंने राजस्थान के बाड़मेर जिले के बारे में उल्लेख क्यों नहीं किया।

क्या माननीय मंत्री कृपया इस संबंध में कुछ आश्वासन देंगे? हां एक बात के बारे में, उन्होंने पहले ही कहा है कि उन्हें इसे निष्प्रभावी कराने के लिए इस मामले को गम्भीरता से उच्चतम न्यायालय में उठाना चाहिए। उस वक्त, उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि उच्चाई को उसी सीमा तक बढ़ाया गया है जितनी आवश्यकता है ताकि हमें भी पानी मिल सके क्योंकि कुछ उच्चाई के बाद हमें पानी नहीं मिलेगा। क्या वह हमें इस संबंध में कुछ आश्वासन देगें ताकि हमें वहां पानी मिल सके? ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश चारों राज्य लाभान्वित होंगे लेकिन परियोजना बढ़ ही नहीं पा रही है। बात-बात में कोई न कोई राज्य सरकार एतराज करती जाती है और कभी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से स्थगन आदेश दे दिया जाता है हमको भी उतनी ही चिंता है और अफसोस भी है कि यह परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात पर आ रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री पी०एस० गढ़वी : महोदय यहां पर प्रश्न या तो परिस्थितिकी को बचाने का है या फिर लोगों का जीवन सुनिश्चित करने का है। नर्मदा के पानी के बिना अब कच्छ के लोग और जीवित नहीं रह सकते। इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। जैसाकि जवाब में बताया गया है, केन्द्रीय सरकार का मत यह है कि सरदार सरोवर परियोजना को नर्मदा जल-विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। यह केन्द्रीय सरकार का दृष्टिकोण हैं ऐसा होते हुए, फिर केन्द्रीय सरकार को क्या जरूरत थी कि "नर्मदा बचाओ आदोलन" का नेतृत्व कर रही मेधा पाटकर और उनके साथियों के साथ दो बार 31 मई 1997 और 9 जून 1997 को बातचीत की गई जिसकी वजह से ऐसा संकेत मिलता है कि केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को रोकने में रुचि रखती है? इसलिए, मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट शब्दों में यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार उच्चतम न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र में यह बतायेगी कि अभी तक इस परियोजना पर 5500 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च किया जा चुका है और वह हर दिन 2 करोड़ रुपये ब्याज के तौर पर और 5 करोड़ रुपये अतिरिक्त उत्पादन हानि के तौर पर घाटा उठा रही है। इसलिए, इस घाटे को रोकने के लिए, "नर्मदा बचाओ आंदोलन" चलाने वालों से स्पष्ट शब्दों में यह पूछा जाना चाहिए कि क्या वह इस परियोजना को रोकने में रूचि रखते हैं अथवा निकाले गये व्यक्तियों के पुनर्वास में। प्रतिदिन के भारी घाटे की राशि से, इन निकाले गए व्यक्तियों को बड़े शहरों तथा संभ्रात क्षेत्रों में भली-भांति बसाया जा सकता है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार

की क्या प्रतिक्रिया है? मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस संबंध में अपना दृष्किोण स्पष्ट रूप से बताए।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, ''नर्मदा बचाओ आंदोलन'' तो सरकार से बाहर का आंदोलन है। यह राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था कभी कोई आंदोलन चलाए तो लोकतंत्रीय सरकारों को उससे बात करने में परहेज नहीं करना चाहिए लेकिन सरकार की तरफ से यह दृढ़ इच्छा बता रहा हूं कि जस्टिस रामास्वामी अवार्ड को पूरा कराने के लिए सरकार का दृढ़ संकल्प है और उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। राज्य सरकारों का महत्व अलग होगा क्योंकि उनकी महिमा वैधानिक होती है। राज्य सरकारें या सर्वोच्च न्यायालय रास्ते में आता है तो उस समय केन्द्रीय सरकार थोड़ी दुविधा में पढ़ती है और अपने संकल्प को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ता है, जैसे स्थगन आदेश मिल गया तो इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं? आंदोलन की वजह से या आपस में बैठकर रिव्यू या एक राय करने से कोई बात बनती बिगड़ती नहीं है लेकिन अदालत रास्ते में आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक सवाल पूछना चाहता हूं। मध्य प्रदेश मे सबसे ज्यादा पीड़ित हमारा खरगोन जिला है जहां से मैं चुनकर आता हूं डूबने वाले का दर्द सबसे अधिक होता है और इस दर्द को भी महसूस किया जाना चाहिए। यह फैसला 1978 में हुआ था। उस समय 75 प्रतिशत नर्मदा के पानी की निर्भरता के ऊपर उस समय नर्मदा में 27 एम०एफ० पानी था। आज सर्वे पूरा करने के बाद अब नर्मदा में पानी कम हो गया। आज 27 एम०एफ० से घटकर 22 एम०एफ० पर पानी आ गया। अभी जबलपुर में भूकंप आया। नमंदा के किनारे भी भूकंप आ रहा है। यह मुद्दा अपनी जगह अलग है। लेकिन मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि पिछले दिनों देवेगौड़ा साहब के समय में, उनके प्रधान मंत्री रहते हुए 436 फीट बांध की हाइट बढ़ाने का तय हो चुका था और सब मुख्यमंत्रियों ने तय कर लिया था तथा उस पर अपनी सहमति दे दी थी। प्रधान मंत्री जी ने भी तय कर लिया था। मध्य प्रदेश सरकार हमको गाइडलाइंस पेश करती है। मानसून क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो गाइडलाइंस दी हैं, उसमें लिखा है कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई प्रथमत: 436 फीट रखने का माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जो निर्णय लिया जा चुका है, बांध पूरा होने के पांच वर्ष बाद बांध की ऊंचाई पर पुनर्विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर पाटीदार : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा साहब के समय में निर्णय लिया गया था, उसमें आज की सरकार के प्रधान मंत्री का उस पर क्या विचार है? क्या प्रधान मंत्री जी उस ऊंचाई के ऊपर सभी संबंधित मुख्य मंत्रियों के साथ फिर से बात करके चर्चा करेंगे और दूसरे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह एक प्रश्न को लम्बा खींचने की अनुमति नहीं दे सकता। मैंने आपको एक अवसर दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष जी, 1978 में मुआवजे की जो राशि यानि रुपए का जो मूल्य था, वह आज नहीं रहा तो क्या इस पर पुर्नविचार किया जाएगा? वह रुपए मांगेंगे, और हम देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछले प्रधान मंत्री श्री देवेगौड़ा साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी और सवाल के जवाब में जो सहमति हुई थी, मैं उसको सुना देना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य उसको कंफ्यूज न करें।

> ''सरदार सरोवर बांध का निर्माण योजना के अनुसार पहली बार में इसको 436 फीट तक पूर्ण जलाशय स्तर तक सीमित रखा गया। उसके बाद जल के वास्तविक प्रभाव से संबंधित आंकड़ों पर पांच वर्ष की अवधि तक निगरानी रखी जाएगी। यदि इन पांच वर्षों के दौरान किन्हीं तीन वर्ष में छोड़े गए जल का प्रभाव पंचायत में किए गए निर्धारण के अनुसार पर्याप्त है तो जलाशय स्तर को 455 फीट तक बढ़ाने के निर्णय पर विचार किया जाएगा।'' ...*(व्यवधान)*

श्री रामेश्वर पाटीदार : गुजरात वाले इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जनेश्वर मिश्र : इस पर सहमति हुई थी। मेरे ख्याल से उस समय गुजरात के मुख्य मंत्री भी थे या राज्यपाल थे और दूसरे लोग थे। सबने इस पर सहमति जताई थी। सहमति मुख्य रूप से गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में होती है और चलती है। इसको हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह लोक सभा गुजरात के सदस्यों की भी है और मध्य प्रदेश के सदस्यों की भी है। जब मैं वॉटर रिसोर्सेज में था तब तो मध्य प्रदेश बहुत परेशान करता था। आजकल पैट्रोलियम में हूं। नर्मदा मध्य प्रदेश से होकर जाती है तो मध्य प्रदेश रूकावट डालता है। इस बार गैस की पाइपलाइन गुजरात होकर आ रही है, वह भी वीना की तरफ नहीं आने दे रहा है। यह सिलसिला कब तक चलेगा? मेरा जैसा आदमी कब तक यह झेलेगा? यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष महोदय, 15-16 जुलाई 1996 में सभी मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई थी। उस मीटिंग में यह भी चर्चा हुई कि वहां जो प्रभावित व्यक्ति हैं, वे सौ प्रतिशत आदिवासी लोग हैं। उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास के बारे में भी चर्चा हुई लेकिन वहां जो पुनर्वास का काम चल रहा है, उसमें लोगों को अभी पुनर्वास की पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और सरदार सरोवर परियोजना की आड़ में आव्हाड पुनर्वास के लिए जो खर्चा वहां चल रहा है, वह महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। महाराष्ट्र सरकार के तैंतीस गांव प्रभावित हुए हैं। वहां सभी आदिवासी हैं और उनका पुनर्वास ठीक से नहीं हो रहा है। पुनर्वास का जो काम कर रहे हैं, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो निधि मिलती है, उसमें खर्चा कर रहे हैं, यह मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इंदिरा आवास योजना में उन लोगों के पुनर्वास का खर्चा कर रही है।

श्री जनेश्वर मिश्र : महोदय, जहां तक 85 दशमलव एक या दो मीटर बांध का संबंध है, वहां तक विस्थापित परिवारों की संख्या 5200 है और 691 परिवार विस्थापित शेष हैं। इनमें से 348 परिवार महाराष्ट्र के हैं और 307 परिवार मध्य प्रदेश के हैं जहां तक विस्थापितों को किस मद में रुपया दिया जा रहा है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन विस्थापितों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

[अनुवाद]

स्वैच्छिक एजेंसियों को आवंटन

***263. डा० रामकृष्ण कुसमारिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साक्षरता परियोजनाएं चलाने के लिए वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) इन एजेंसियों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) ये एसेंसियां निरक्षरता दूर करने में कहां तक सफल रहीं;

(घ) क्या इन एजेंसियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार ऐसी कोई समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रत्येक वर्ष में 10 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई।

(ख) स्वैच्छिक एजेंसियों के नाम और पते अनुबन्ध-I में संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) निरक्षरता दूर करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका मुख्य सहयोगी की रही है जिन छोटे क्षेत्रों में जिला साक्षरता समितियां साक्षरता कार्यक्रम नहीं चला रही है वहां समयबद्ध क्षेत्र विशिष्ट, परिणामोन्मुख और स्वैच्छा पर आधारित साक्षरता परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना, नवीन और प्रयोगात्मक परियोजनाएं, वातावरण सृजित करने से संबंधित कार्यकलाप करना, सेमिनारों और सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन करना और प्रशिक्षण प्रदान करना बुनियादी स्तर पर साक्षरता कार्यक्रमों को सहयोग देने के लिए सामग्री तैयार करना और अनुसंधान करना इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में सम्मिलित है। जहां पर जिला साक्षरता समिति साक्षरता कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है वह स्वैच्छिक एजेंसियां जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध है।

(घ) जी, हां।

(ङ) ब्यौरा अनुबन्ध-II में संलग्न है।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अनुबंध-I

आन्ध्र प्रदेश

1. राज्य संसाधन केन्द्र
लिटरेसी हाउस
आन्ध्र महिला सभा
एम०एस० कालेज परिसर,
विश्वविद्यालय रोड हैदराबाद।

2. आन्ध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी
राज्य शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद परिसर,
लाल बहादुर स्टेडियम के पास
हैदराबाद।

3. सेवा मन्दिर
हिन्दूपुर. जिला अनन्तपुर
आन्ध्र प्रदेश।

असम

1. ग्राम समांज परिषद्
ग्राम और डाक रंगिया,
जिला कामरूप, असम

2. राज्य संसाधन केन्द्र
ज्ञान विज्ञान समिति असम
एफ सी रोड उजम बाजार
गुवाहाटी, असम-781001

3. सदाउ असम ग्रामिया
पुठीभारल संस्था
हैबरगांव, डाक-नौगांव
असम।

बिहार

1. अल्पसंख्यक कल्याण संस्थान
ग्राम-कटरा, डाक-हाजीपुर
जिला-वैशाली, पिन-844101

2. आलटरनेटिव फार इंडिया डेवलपमेंट
प्लॉट नं० 1, वी०जी०एन० नगर
इय्यापन्थांगल, कुट्टुपक्कम
डाक, मद्रास-600056, तमिलनाडु
(बिहार में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।)

3. ए०एन० सिन्हा समाज विज्ञान संस्थान
पटना, बिहार।

4. आर्य समाज बभंगम
डाक-रजनी बभंगम
जिला-माधेपुर।

5. एशियन विकास अनुसंधान संस्थान
बी०एस०आई०डी०सी० कालोनी
आफ बोरिंग रोड पाटलीपुत्र रोड
पटना बिहार-800013

6. बाल एवं महिला
ग्रामीण विकास संस्थान,
फतेह मुबारक, महुआ ब्लाक
जिला-वैशाली, बिहार।

7. वनवासी सेवा केन्द्र
डाक-अधौरा, जिला-रोहतास
बिहार-821116

8. भारतीय जन उत्थान परिषद
कमरूद्दीगंज, बिहार शरीफ
नालंदा (बिहार)-803001

9. दरोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र
सुतीहार, नवादा, छपरा
सरन जिला, बिहार-841222

10. राज्य संसाधन केन्द्र
दीपायतन बुद्धा कालोनी
पटना-800001

11. पूर्व और पश्चिम शिक्षा सोसाइटी
(दृष्टि) 2/3/15 जनता फलेट्स,
राजेन्द्र नगर, पटना

12. ग्राम स्वराज्य अभियान संस्थान
ग्राम कोरीहोन, डाक-विष्णुपुर,
बेझा, थाने महुआ, वैशाली
जिला-बिहार।

13. जन जागरण संस्थान,
कागाजी मोहल्ला, डाक-मोगल कुआं
ब्लाक बिहार शरीफ
नालंदा जिला, बिहार-803101

14. जन कल्याण विकास परिषद
क्वार्टर नं० 819/डी० लंका कालोनी
डाक-खगोल, जिला-पटना, बिहार।

15. जयप्रकाश युवा अनुसंधान केन्द्र।
फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, 4 कस्टम कालोनी
बसंत नगर, मद्रास-600090
(बिहार में यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।)

16. जय प्रकाश सेवा संस्थान,
मसौधी, पटना।

17. हरि शक्ति दाताव्या स्वैच्छिक संस्थान,
ग्राम और डाक-सराय, बरास्ता नेयूरा
जिला-पटना।

18. महिला शिशु कल्याण संस्थान एवं हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण केन्द्र
ग्राम-मनिच्छप्पर, डाक-हथुआ
गोपालगंज जिला, बिहार-841436

19. निर्माण भारती
चक बिजगानी डाक बलवा कोरी
जिला वैशाली बिहार-844101

20. पंडित श्रीराम शर्मा
सेवा संस्थान
ग्राम रसूलपुर
जिला/गोपालगंज बिहार।

21. पुस्तकालय सेवा संस्थान
श्री नंदन पाठ सरन (छपरा)
बिहार-841301

22. राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ,
ग्राम भारद्वाज आश्रम, पिपरा
डाक शाहजीतपुर, सरन (छपरा) बिहार

23. समस्तीपुर विकास मंडल, नवीन पर्वत विधास्थली
पूसा रोड, डाक-वानी जिला-समस्तीपुर, बिहार।

24. समता ग्राम सेवा संस्थान,
ग्राम-बरदीका, डाक-बारादीहा, तुर्की ब्लाक,
जिला-वैशाली, बिहार।

25. संजय प्रसाद सिंह ग्रामीण निगरानी समिति,
बाबू तोला कोहरा
बरास्ता परसा, जिला-सरन बिहार।

26. सेवाश्रम,
डाक सेहन जिला-वैशाली
बिहार।

27. शिल्प औद्योगिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान,
दहियावान (साधनापुरी)
जिला-सरन (छपरा) बिहार

28. शिशु नारी प्रशिक्षण संस्थान
जलालपुर पोस्ट आफिस
मोहिउद्दीन नगर,
जिला-समस्तीपुर, बिहार।

29. वैशाली समाज कल्याण संस्थान
डा० विदुपुर बाजार,
जिला-वैशाली, बिहार-844503

30. वैशाली शांति समाज कल्याण संस्थान
एस०डी०ओ० रोड, हाजीपुर जिला,
वैशाली बिहार।

31. विवेक बिहार सेवा संस्थान
मसौधी, पटना, बिहार।

32. जेवियर इंस्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस,
पुरूलिया रोड, पोस्ट आफिस बाक्स नं० 7,
जिला-रांची-834001 बिहार।

गुजरात

1. गुजरात स्टेट क्राइम प्रिवेशंन ट्रस्ट,
आर्शीवाद, 9/बी, केशव नगर सोसायटी,
समीप सुभाष पुल, अहमदाबाद-380027

2. नवभारत महिला ट्रस्ट सेवा केन्द्र
4/5022, सैफी गली, हातिम मंजिल
सूरत-3 (गुजरात)

3. पीपल्स वेल्फेयर सोसयटी
दुबयानी, समीप सुरेश पैट्रौल पम्प
उपलेता तालुक, राजकोट-जिला,
गुजरात।

4. श्रीमती बी०के० बालजोशी एजुकेशन ट्रस्ट,
दूसरी मंजिल, रिलीफ काम्पलेक्स,
वेपारी जीन कालोल (एन०जी०)
जिला-महसाना (382721)

5. राज्य संसाधन केन्द्र (प्रौढ़ शिक्षा के लिए)
गुजरात विद्यापीठ,
आश्रम रोड़, अहमदाबाद-380014

हरियाणा

1. राज्य संसाधन केन्द्र
भारत ज्ञान विज्ञान समिति
किशनपुरा, सोनीपत रोड़,
रोहतक हरियाणा-124001

हिमाचल प्रदेश

1. राज्य संसाधन केन्द्र
राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द्र
सेवा शक्ति भवन,
सेजौली, शिमला-171006

जम्मू और कश्मीर

1. सोशल वेलफेयर आफ इंडिया,
मुख्यालय शाहदरा शरीफ
राजौरी जिला उधमपुर
जम्मू और कश्मीर।

2. राज्य संसाधन केन्द्र
कश्मीर विश्वविद्यालय,
1/17 नसीम बाग परिसर,
हजरतबल, श्रीनगर।

3. जम्मू और कश्मीर इंस्टीट्यूट
एण्ड हेन्डीकेप्पट वेलफेयर एसोसिएशन
रामनगर, जिला-उधमपुर।

कर्नाटक

1. अमृत एजूकेशनल कलचरल सोसायटी
पवन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
पेतचामाना, हाली, टकसाल रोड,
कोलार जिला।

2. मैसूर डिस्ट्रिक्ट फ्रीडम फाइटर्स
वेलफेयर एसोसिएशन
461 पोस्टल कालोनी
विश्वेसबारांगारा,
मैसूर-570008

3. राज्य संसाधन केन्द्र (प्रौढ़ शिक्षा)
कर्नाटक स्टेट अडल्ट चित्रभानु रोड
ए-ब्री ब्लाक क्रुवेम्पुनगर
मैसूर-570023

4. इंडियन डबलपमेंट सर्विस (इंटरनेशनल)
98/2, केलगारी
धारवाड़।

केरल

1. हरिजन सेवक संघ शान्तिनिकेतन, कत्ताकडा,
डाकखाना, त्रिवेन्द्रम जिला, केरल-695572

2. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
केरल अनौपचारिक शिक्षा संघ
साक्षरता भवन, त्रिवेन्द्रम-695014

मध्य प्रदेश

1. अक्षर यात्रा अभियान समिति
बिलासपुर साक्षरता सदन
मनपत्ती नाका, बिलासपुर

2. अखिल भारतीय शैक्षिक संघ
ई-4/419, ऐरिया कालोनी,
भोपाल मध्य प्रदेश-462016

3. ज्ञान उदय शिक्षा सोसायटी
बुध वाड़ा भोपाल जिला भोपाल
मध्य प्रदेश-462002

4. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल समिति
माध्यमिक शिक्षा मंडल
शिवाजी नगर, भोपाल

5. मध्य प्रदेश उर्दू अकादेमी
बाणगंगा रोड, भोपाल-462003

6. माखन लाल चर्तुवेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता
विश्वविद्यालय, ई-8, शाहपुरा
पी०बी०आर०एस०ए०न०/6
भोपाल 462016, मध्य प्रदेश

7. श्रीमालवा महिला विकास समिति
गबईपुरा, रायसेन जिला शाखा सिरोज
मध्य प्रदेश

8. राज्य संसाधन केन्द्र
अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवम् सांस्कृतिक समिति
22/ई-7, ऐरिया कालोनी भोपाल-462016

9. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
भारतीय ग्रामीण महिला संघ योजना सं० 71
चंदन नगर के पीछे पुलिस स्टेशन, इंदौर

10. विद्या सागर कल्याण समिति,
एम०आई०जी०-82, कोटारा सुल्तानाबाद
भोपाल, मध्य प्रदेश

11. विवेचना,
571, मदन महल, जबलपुर
मध्य प्रदेश-482001

महाराष्ट्र

1. सामूहिक कार्यसाधक साक्षरता
के लिए संसाधन संगठनों की समिति
द्वारा डा० माधव चवण,
रसायन प्रौद्योगिकी विभाग
बम्बई विश्वविद्यालय, माटूंगा,
बम्बई-400019

2. गौतम शिक्षण संस्था अमरावती,
कृपा निवास, श्याम नगर
अमरावती (महाराष्ट्र)

3. ग्राम सुधार योजना थूगोवदेव,
तहसील नारखेद जिला नागपुर
महाराष्ट्र-441301

4. भारतीय शिक्षा संस्था
128/2, जे०पी० नायक रोड,
कोथरूद, पुणे-411029

5. भारतीय ग्रामीण कार्यकर्ता संस्था,
खडेश्वर, डाकखाना बाक्स 124,
औरंगाबाद-431001, महाराष्ट्र

6. राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
हिंदी नगर, वर्धा महाराष्ट्र-442003

7. साक्षरता हक समिति (साहस)
ग्रेटर मुम्बई, महाराष्ट्र

8. सार्वजनिक मैत्रेय वाचनालय
तेलहरा (ग्राम और डाकखाना),
जिला अकोला, महाराष्ट्र

9. राज्य संसाधन केन्द्र महाराष्ट्र राज्य
प्रौढ़ शिक्षा संस्थान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र

10. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान,
सिवन-ट्राम्बे रोड देवनार, मुम्बई

मणिपुर

1. मणिपुर अनुसूचित जाति कल्याण संघ
बाब्रूपुरा जिला इम्फाल
मणिपुर-795001

मेघालय

1. राज्य संसाधन केन्द्र
उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय
लालतुमखरन, शिलांग, मेघालय

उड़ीसा

1. जनविकास केन्द्र
स्थित/डाकखाना रासगोविन्दपुर जिला
मयूर भंज उड़ीसा।

2. जयंती पाठागार स्थित साहापदा,
डाकखाना ब्रहमबरदा
ब्लाक : धरकरला, जिला कटक
(उड़ीसा) पिन-755005

3. कस्तूरीवाई महिला समिति
स्थित-सूरत, डाकखाना
बब्रन्धा, जिला धेनकनाल, तालुक हिन्दोल
उड़ीसा

4. प्रदीप साक्षरता समिति
प्रदीप पोर्ट कटक उड़ीसा-754142

5. रामजी युवक संघ
स्थित/डाकखाना सदैपली, वाया
चंदनभाटी, जिला बोलनगीर
उड़ीसा-767065

6. श्रीराम युवक संघ, ग्राम-बदनगोमुंडा
डाकखाना समरा, ब्लाक-गुडेला,
तालुक-तुसरा, जिला बोलनगीर
उड़ीसा-767030

7. उड़ीसा राज्य भारत
स्काउट्स और गाइड्स राज्य मुख्यालय,
यूनिट-3, भुवनेश्वर-751007, उड़ीसा

8. जातिय चेतना विकास, मधुबन, बार्ड संख्या 7,
बरीपदा, जिला मयूर भंज, उड़ीसा-751001

9. जय भारती साथी समाज
डाकखाना सबालोंग कानीपारा
वाया चंदौल जिला कटक
उड़ीसा-754008

10. निराड, ग्राम चेल्लीपड़ा
डाकघर : कालाकला, वाया : वायरी,
जिला : कटक, उड़ीसा।

11. ग्राम मंगल पाठापार सलेपल्ली
जरासिंघ, जिला बोलनगीर, उड़ीसा

12. युवा ग्राम पुर्ननिर्माण संघ
स्थित/डाकखाना बोइन्दा अथामल्लिक
जिला धेनकनाल (अंगुल) उड़ीसा

पंजाब

1. पंजाब पिछड़ा वर्ग विकास बोर्ड,
1070, 15-बी, चंडीगढ़ पंजाब

2. पंजाब विश्वविद्यालय
दर्शनशास्त्र विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़

3. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र,
पंजाब सरकार, चंडीगढ़

राजस्थान

1. भीलवाड़ा जिला-प्रौढ़ शिक्षा संघ,
8/199, सिंधु नगर, भीलवाड़ा-311001, राजस्थान

2. ग्रामीण बाल विकास संस्था
पीपड शहर, जोधपुर, राजस्थान पिन-346601

3. नवयुवक मंडल
एफ-138, मोहननगर,
हिण्डौन शहर, जिला सवाई माधोपुर
राजस्थान,

4. सेवामंदिर,
उदयपुर-313001, राजस्थान

5. राज्य प्रौढ़ शिक्षा संसाधन केन्द्र
प्रौढ़ शिक्षा संघ, 7-ए, झलाना डूंगरी
संस्थान एरिया, जयपुर

तमिलनाडु

1. अरनाद वेलालार संगम
1-2, सन्नाथी स्ट्रीय
तिरूवनाइकोयल, तिरूचीरापल्ली-620005
तमिलनाडु

2. कांग्रेगेशन आव दी सिस्टर्स आव दी क्रास
आव चावनोड, पोस्ट बाक्स नं० 395,
ओल्ड गुड्स शेड रोड, तेप्पाकुलम
तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु-620002

3. एजूकेशन एंड अपलिफ्ट सोसायटी फार रूरल डाउनदोडन,
6, आर०सी० स्कूल स्ट्रीट, गांधी नगर,
मदुरन्तकम चेगंलपटटु डाकखाना,
तमिलनाडु-603306

4. कण्डास्वामी केन्द्र न्यास बोर्ड वेलुर,
जिला सालेम तमिलनाडु-638182

5. खाजामलाई महिला संघ
स्थित/डाकखाना खाजामलाई
तिरूचिरापल्ली जिला तमिलनाडु-620023

6. कुन्द्राकुडी तिरूवन्नामलाई अधीनम न्यास,
कुन्द्राकुडी, मतरूवन्नामलम अधीनम, पोसम्पन
मयुरामलिगंम, जिला 623206

7. मधरनला तोन्दु नीरूवनम तिरूवेन्दर्ड पुरम
मेन रोड, पर्धारीकुप्पम, डाकखाना, कुडडालोर
दक्षिण आर्कोट जिला तमिलनाडु 607401

8. पंजाब संध, लाजपतराय धवन,
पोस्ट बाक्स नं० 416, 170, 171, 172
पीटर्स रोड, रोयापेटटा,
मद्रास-600014

9. ग्राम विकास सेवा केन्द्र महात्मागंधी ग्रामम,
रान्दाल वाया मलैपुर वन्दावासी तालुक
तमिलनाडु,-604502

10. सोसायटी फार एजुकेशन, विलेज
एक्शन एंड इम्प्रूवमेंट नं० 6, 111 स्ट्रीट,
अन्ना नगर पेटटातलट, तिरूचिरापल्ली जिला
तमिलनाडु-639112

11. तमिलनाडु सांइस फोरम,
6, ए०आर० के कॉलोनी, प्रथम तल,
एडम्स रोड, अलवारपेट,
मद्रास-600018.

12. तिरूप्पुत्तुर रूरल अपलिफ्ट प्रोजेक्ट एसोसियेशन
(त्रुप्पा) सिरकुडलपट्टी,
तिरूप्पुत्तुर तालुक पासुमपन,
मुथुरमलिंगम डिस्ट्रिक्ट,
तमिलनाडु-623215

13. वूमेन्स वॉलियन्टरी सर्विस ऑफ तमिलनाडु,
19, ईस्ट स्पुर टैंक रोड,
चेटपेट, मद्रास-600031, तमिलनाडु।

14. वूमेन्स इण्डियन एसोसियशेन,
43, ग्रीनवेज रोड,
मद्रास-600028, तमिलनाडु।

15. यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसियेशन,
पूनामल्ली हाई रोड,
मद्रास-600084, तमिलनाडु।

16. एसोसियेशन ऑफ नेशनल सर्विस,
एन०जी०ओ० कॉलोनी,
चेंगलपट्टू, तमिलनाडु

17. स्टेट रिसोर्स सेण्टर फॉर नॉन फॉरमल एजुकेशन
(तमिलनाडु बोर्ड ऑफ कन्टीन्यूटिंग एजुकेशन)
प्लॉट नं० 10, डोर नं० 4, 11 स्ट्रीट,
वेंकटेश्वर नगर, अड्यार, मद्रास

18. वाई डब्ल्यू सी०ए०,
पूनामल्ली हाई रोड, मद्रास

त्रिपुरा

1. भारत ज्ञान-विज्ञान समिति,
त्रिपुरा ब्रांच, माहम सदन,
76 एच०जी० बासक रोड, अगरतला।

उत्तर प्रदेश

1. अभियान,
लोधू थोक अर्तरा-210201
जिला-बांदा, उत्तर प्रदेश।

2. आदर्श सेवा समिति,
326/1, साकेत कॉलोनी, लेन नं० 6
मुज्जफरनगर-251001.

3. अखिल भारतीय महिला सेवा संस्थान,
23/47/55, किदवई नगर डाकखाना,
अल्लाहपुर, इलाहबाद,
उत्तर प्रदेश-211006.

4. अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान,
सेगापुरी, भीकमपुर रोड, देओरिया, उत्तर प्रदेश।

5. अखिल भारतीय निर्बल विकास संस्थान,
तिरवागंज, ब्लॉक उमरदा,
जिला-फरूखाबाद-209732, उ०प्र०

6. अमेठी महिला स्वैच्छिक सेवा समिति,
अमेठी, जिला सुल्तानपुर-227405 उ०प्र०

7. आशा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय,
समेरा चौरहा, जिला हरदोई, उ०प्र०

8. अशोक संस्थान, कुंदेंसर,
गाज़ीपुर, उ०प्र०।

9. आजाद सेवा समिति,
वी०वी० इण्टर कॉलेज रोड,
शामली-247776, उत्तर प्रदेश

10. बैरागी शिक्षा संस्थान,
1/121-1, नारायणपुर (बैरागीलाग),
डाकखाना-शिवपुर, वाराणसी।

11. बाल कल्याण केन्द्र, पिंडेरा, देविरिया,
उ०प्र०

12. बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर
(द्वारा तुर्रा) जिला-मिरजापुर (सोनभद्र)
उत्तर प्रदेश-231221.

13. बनवासी विकास आश्रम,
ग्राम व डाकघर मेजा इलाहबाद,
उत्तर प्रदेश।

14. भारतीय शिक्षण सेवा संस्थान,
दिलीपचंदपुर, बारोट, जिला इलाहबाद,
उ०प्र०-221502.

15. चन्द्रगुप्त मौर्य विद्या निकेतन,
केसरीपुर, रोहनिया, वाराणसी,
उत्तर प्रदेश।

16. दलित मानव उत्थान संस्थान,
185/4, तलब नावलराय,
नया बैराहना, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश।

17. दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान,
109, टैगोर टाउन, इलाहबाद,
उत्तर प्रदेश-263001.

18. देवी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान,
ग्राम काहल कबीरा, डाकघर-भावली,
जिला-नैनीताल, उत्तर प्रदेश-263001.

19. डा० अम्बेडकर समाज सेवा मंडल,
ग्राम वेस्की, डाकघर-सईदाबाद,
जिला-इलाहाबाद, उ०प्र०

20. ग्रामीण सेवा मण्डल,
सराईमंसूर (ढोकरी) डाकघर-सईदाबाद,
जिला-इलाहबाद, उत्तर प्रदेश-221508.

21. ग्रामीण समाज कल्याण समिति,
ग्राम खेड़ा अफगान, ब्लॉक-नकुल,
जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।

22. ग्रामीण समाज कल्याण संस्थान,
ग्राम-खेरी तागान, डाकघर-नावला,
मुज्जफरनगर, उत्तर प्रदेश।

23. ग्रामीण विकास एवं शिक्षण संस्थान,
खिजरीपुर, सरायममरेज, तहसील-हंडिया,
जिला-इलाहबाद-212403

24. ग्रामीण विकास समिति,
तिवरन, खापरिहन, सईदाबाद,
इलाहबाद, उत्तर प्रदेश।

25. जी०बी० पन्त सोशल साइंस इंस्टीट्यूट,
इलाहबाद, उत्तर प्रदेश।

26. इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हैल्थ वैल्फेयर रुरल
डिवलपमेंट एण्ड एजुकेशनल सोसायटी,
रसूलपुर (दियरा), दोस्तपुर,
फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।

27. जन शिक्षण अकादमी,
501, पार्क रोड, इलाहबाद,
उ०प्र० 211002.

28. कनकपुर, ग्राम विकास सेवा संस्थान,
कनकपुर, डाकघर - दमदमा,
जिला-इलाहबाद, उत्तर प्रदेश।

29. खादी ग्रामोद्योग निकेतन,
महुवादबरा, डाकघर-जसपुर
जिला-नैनीताल (उ०प्र०)-244712.

30. किसान आर्दश शिक्षा समिति,
बाभनुली, डाकघर-रामकोला
जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश।

31. लोकहित ट्रस्ट, 29, कॉन्टूनमेंट,
शक्ति मार्ग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

32. स्टेट रिसोर्स सेण्टर फॉर ए०ई०,
लिटरेसी हाउस, आलमबाग, लखनऊ

33. माध्यमिक विद्यालय पूरब गांव सारेसर संस्थान,
डाकघर-सारेसर, जिला-सुल्तानपुर,
उत्तर प्रदेश-227809.

34. महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र,
350 ए/1, सालिक गंज रोड,
मुट्ठीगंज, इलाहबाद

35. मदर टैरेसा माडर्न चिल्ड्रन स्कूल,
हाल सारँग, डाकघर-नकहीघाट, वाराणसी।

36. माएना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान,
मुरारी नगर, जी०टी० रोड,
खुर्जा, बुंलन्दशहर, उत्तर प्रदेश।

37. नव चेतना विकास समिति,
ग्राम व डाकघर-मैनासी सरायन,
जिला-सीतापुर, उत्तर प्रदेश

38. न्यू पब्लिक स्कूल समिति,
504/63, टैगोर मार्ग, वांदी माता मंदिर के पास,
डालीगंज, लखनऊ।

39. निशात शिक्षा समिति,
अस्ताना नई बस्ती, हल्द्वानी,
जिला-नैनीताल, उत्तर प्रदेश-263139.

40. नेशनल हरिजन स्कूल,
बाहरियाबाद, तहसील-सैयदपुर,
जिला-गाजीपुर, उ०प्र०

41. प्रियदर्शिनी खादी ग्रामोद्योग जन सेवा संस्थान,
10ए, शिव कुटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

42. रुरल लिटिगेशन एण्ड एनलाइटमेंट केन्द्र,
21, ई०सी० रोड, देहरादून,
उत्तर प्रदेश

43. सघन क्षेत्र विकास समिति,
सेवापुरी, वाराणसी, उ०प्र० 221403

44. समाज उत्थान एवं अनुसंधान संस्थान,
61-गरवां टोला, इलाहबाद-211003, उ०प्र०

45. सर्वदलीय मानव विकास केन्द्र,
भाजोई, जिला-मुरादाबाद, उ०प्र०

46. सार्वजनिक शिक्षण्णोयन संस्थान,
अलीपुर डाकघर, जिला हरदोई, उ०प०-241001.

47. सरदार पटेल लोक कल्याण समिति,
ग्राम भादेहदु, डाकघर-दाबेरू,
जिला-बांदा (उ०प्र०)

48. श्री हरि ग्रामोद्योग सेवा संस्थान,
श्री हरि निकुंज, को-ऑपरेटिव बैंक के पास,
नौरंगाबाद, एटावा, उ०प्र० 206001.

49. श्री महिला उद्योग समाज उत्थान समिति,
किशोरपुरा, जिला-वृन्दावन,
मथुरा, उत्तर प्रदेश-81121

50. श्री रामशरण स्माक सेवा संस्थान,
बिसोली, बदायूं-202520, उत्तर प्रदेश।

51. श्री संस्कृति शिक्षा प्रसार समिति,
पटेल नगर, ओरई, जिला-जलौऊं,
उत्तर प्रदेश-285123.

52. सृजन उत्तर प्रदेश,
नेकपुर सिविल लाइन्स,
जलनीगाम कार्यालय के पास,
बदायूं-243601.

53. सुमन टैक्नीकल इंस्टीट्यूट,
चांदी, गंजडिंडवारा,
ऐटा, उत्तर प्रदेश।

54. यू०पी० राणा बेनीमाधव जन कल्याण समिति,
गुलाब रोड, राय बरेली, उत्तर प्रदेश

55. विवेकानन्द संस्थान,
अकबरपुर, फैंजाबाद,
उत्तर प्रदेश-224122.

56. क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र, शिक्षा प्रसार विभाग,
41 महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान जिला साक्षरता समिति
जिला बर्दवान

2. दक्षिण छब्बीस परगना, जिला साक्षरता समिति
दक्षिण 24 परगना, अलीपुर कलकत्ता-700027

3. रामकृष्ण मिशन लोक शिक्षा परिषद्
रामकृष्ण मिशन आश्रम, डाकघर नरेन्द्रपुर 24 परगना (दक्षिण)

4. टैगौर ग्रामीण विकास समिति
बरासात, पश्चिम बंगाल

5. उत्तरी 24 परगना जिला साक्षरता समिति
मार्फत बंगाल सामाजिक सेवा लीग, 1/6 राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट,
कलकत्ता।

6. राज्य संसाधन केन्द्र (प्रो०शि०) द्वारा
बंगाल सोसल सर्विस लीग 1/6,
राजा दीनेद्र स्ट्रीट, कलकत्ता।

7. भारतीय प्रबंध संस्थान
कलकत्ता जोका, डी०एच०रोड, कलकत्ता।

दिल्ली

1. अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ,
ए-2/1 कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051

2. डा० ए०वी० बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट, लिंक हाउस,
बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

3. इंडिया विजन फाउंडेशन, नवज्योति,
तृतीय तल, पुलिस स्टेशन-सराय रूहिल्ला,
दिल्ली-110007

4. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
17-बी, आई०पी०इस्टेट, नई दिल्ली-110002

5. जिज्ञासा
मार्फत 70-बी, सी०पी०डब्ल्यू० डी० परिसर
बसंत बिहार, नई दिल्ली-57

6. पटेल शिक्षा समिति,
स्प्रिगडेल्स स्कूल, पूसा रोड,
नई दिल्ली-110008

7. प्रेरणा एसोसिएट सेंटर फार डेवलपमेंट
एंड पापुलेशन एक्विटीज
पॉकेट बी, 215 एस०एफ०एम० फ्लैटस
सरिता बिहार, नई दिल्ली-110044

8. राजीव गांधी प्रतिष्ठान, जवाहर भवन,
डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

9. सेवाग्राम विकास संस्थान
1, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

10. राज्य संसाधन केन्द्र, जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

11. भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ,
पो०बा०नं० 571, एफ 101,
एम०एस०अपार्टमेंटस, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली

12. कथा बिल्डिंग सेंटर सराय काले खां, निजामुद्दीन पूर्व
नई दिल्ली

13. राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा विकास अध्ययन संस्थान
नई दिल्ली

सारांश

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल स्वैच्छिक एजेंसियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	3
असम	3
बिहार	32
गुजरात	5
हरियाणा	1
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	3
कर्नाटक	4
केरल	2
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	10
मणिपुर	1
मेघालय	1
उड़ीसा	12
पंजाब	3
राजस्थान	5
तमिलनाडु	18
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	56
पश्चिम बंगाल	7
दिल्ली	13
कुल : 21	192

अनुबंध-II

स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत किए गए साक्षरता कार्यक्रमों की समीक्षा

साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक सगठनों के कार्यों की समीक्षा करने के लिए इस योजना के अंतर्गत निगरानी तथा मूल्याकंन करने की व्यवस्था की गई है। साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रेषित करें। इस मंत्रालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए एक विशेष प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, प्रबंध सूचना प्रणाली के आधार पर एक विशेप प्रोफार्मा निर्धारित बनाया गया है। परियोजना पूरी होने पर, स्वैच्छिक संगठनों को प्रत्येक परियोजना का लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रेषित करना होगा।

परियोजना पूरी होने के पश्चात स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रेषित स्वीकृत परियोजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखा विवरण और अंतिम प्रगति रिपोर्ट की इस मंत्रालय में विधिवत समीक्षा की जाती है। यदि प्रबंध सूचना प्रणाली प्रोफार्मा/लेखा परीक्षित विवरण के अनुसार इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित स्वैच्छिक एजेंसी को उसमें संशोधन करने की सूचना दे दी जाती है।

राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं की जांच करते हुए यह सिफारिश की गई है कि साक्षरता कार्यक्रमों के प्रगति की निगरानी का दायित्व राज्य स्तरीय प्राधिकरणों को भी सौंप दिया जाए। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों तथा जिला स्तरीय प्रौढ़ शिक्षा प्राधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे साक्षरता परियोजनाओं का नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करें। राज्य स्तरीय प्राधिकारियों की टिप्पणियां उनके क्षेत्रीय निरीक्षणों पर आधारित होती है और परियोजना की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उन पर विचार भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, परियोजना पूरी होने पर, वाह्य स्वैच्छिक मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों के कार्यों का भी मूल्याकंन किया जाता है। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों ने अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए आवेदन किया है, उनका वाह्य मूल्याकंन करने के लिए चयन किया जाता है।

अनुवर्ती परियोजनाओं में सुधारात्मक उपाय करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को मूल्याकंन के परिणामों की सूचना दे दी जाती है। पिछले एक वर्ष के दौरान, विभिन्न स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की गई 59 साक्षरता परियोजनाओं का वाह्य रूप से मूल्यांकन किया गया है। जिन स्वैच्छिक एजेंसियों का मूल्याकंन परिणाम संतोषजनक नहीं होता है तो इस प्रकार के उन स्वैच्छिक एजेंसियों को और परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं।

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है। मैंने प्रश्न किया है -- साक्षरता परियोजनायें चलाने के लिए वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान स्वैच्छिक एजेंसियों की कितनी धनराशि आवंटित की गई और कार्यकलापों के बारे में पूछा है। ऐसा लगता है कि मंत्री जी ने साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा में कोई अन्तर नहीं समझा उन्होंने जो जानकारी दी है, वह प्रौढ़ शिक्षा की है, जबकि मैंने साक्षरता के विषय में पूछा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, राष्ट्र के भीतर ऐसी कौन-कौन सी स्वेच्छिक एजेंसियां हैं, जो राष्ट्र के भीतर काम कर रही हैं और उन स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कितनी धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा इसको रोकने के लिए आपने कोई मोनिटरिंग की है?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : अध्यक्ष महोदय, प्रौढ़ शिक्षा में 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी यही आयुवर्ग शामिल है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के बारे में एक गलत धारणा है। हम प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत 35 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को शामिल नहीं कर रहे हैं। विवरण में, मैंने पहले ही ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की राज्यवार सूची दे दी है।

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 35 वर्ष से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं, 35 वर्ष की आयु से नीचे जो निरक्षर हैं, उनको साक्षर करने के लिए कोई योजना है?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : मेरे विचार से, माननीय मंत्री मेरी बात नहीं समझ पाये हैं। मैंने कहा है कि 15 से 35 वर्ष की आयुवर्ग के लोग इसमें शामिल किये जाते हैं। 35 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और प्रौढ़ शिक्षा के अनुसार बाहर रखा गया है। अत:, इसका तात्पर्य भी वही है।

[हिन्दी]

डा० रामकृष्ण कुसमरिया : महोदय, मध्य प्रदेश में स्वैच्छिक एजेंसिया साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चला रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं,

इन एजेंसियों को वर्ष 1994, 1995, 1996, 1997 में कितनी राशि आवंटित की गई है - कृपया बताने की कृपा करें?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : महोदय, मैंने यह आंकडा अपने विवरण में दिया है इस वर्ष हम 10 करोड़ रुपये जारी कर रहे हैं और मैं 103 संगठनों की सूची पहले ही दे चुका हूं।

किसी स्वैच्छिक संगठन को कितनी धनराशि दी गई है, उसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : महोदय, माननीय मंत्री जी उत्तर स्पष्ट नहीं है। प्रश्न पूछा गया है कि ये एजेंसिया निरक्षरता दूर करने में कहां तक सफल हुई हैं? इन एजेंसियों को कार्यक्रम चलाने के लिए पैसे दिए गए हैं। क्या उनकी वेल्यूएशन करने की कोई व्यवस्था है? दूसरी बात यह है कि विश्व बैंक द्वारा भी कोई योजना निरक्षरता के संबंध में चलाई जाती है और उसके लिए भी जिला समन्वय समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : जी हां, महोदय। एक पुनरीक्षा समिति है। प्रथमत:, हमें विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से तिमाही रिपोर्टें मिलती हैं और हमें उनकी लेखापरीक्षित रिपोर्टें भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य और जिला स्तर पर, राज्य सरकारें इन योजनाओं की निगरानी करती हैं। इनके अतिरिक्त स्वैच्छिक एजेंसियां और स्वतंत्र एजेंसियां भी हैं, जो इन सभी योजनाओं की निगरानी करती हैं और हमें रिपोर्ट भेजती हैं। जब हमें खामियों का पता चलता है, तो हम उन्हें ठीक करने के लिए उन्हें उनके पास वापिस भेजते हैं. हमारे पास आई०आई०एम० और अन्य एजेंसियां हैं, जो स्वतंत्र रूप से इन योजनाओं की निगरानी करती हैं। अत:, नियमित निगरानी का काम चलता रहता है।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर ठीक तरीके से नहीं आया।··*(व्यवधान)*

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा और निवेदन भी कर रहा हूं, यह अभियान इसलिए चलाया गया कि देश में जो साक्षर नहीं हैं उनको साक्षर किया जाए। मान्यवर, यह सत्य है और मेरी पूर्ण धारणा है कि इसका इतना बड़ा दुरूपयोग हो रहा है कि यह केवल कागजों में लिखित है लेकिन इसको शिक्षा माफिया और अधिकारी मिल कर खा जाते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, आप उत्तर पूर्वी जिले में जांच करा लें तो शायद कागज के अलावा जमीन पर एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां लोगों को शिक्षित किया गया हो। आपसे मैं मांग कर रहा हूं कि इसको या तो बंद किया जाए और नहीं तो दूसरा कोई प्रोग्राम बना कर लोगों को साक्षर किया जाए। यह रुपया केवल आफिसरों और शिक्षा माफिया की पाकेटों में जा रहा है। इससे जनकल्याण नहीं हो रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शासन इस पर सोचे कि कौन सा ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे लोगों को साक्षर किया जाए?

अध्यक्ष महोदय : मिश्र जी, यह सुझाव है, कोई प्रश्न नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : हमारा कहना है कि आज तक आपने इसका पता लगाया है कि क्या इस रुपए का सही उपयोग हुआ है?··*(व्यवधान)* आपको आफिसरों ने कोई रिपोर्ट दी है कि कितनी पाठशालाएं चलती हैं, कितने लोगों को साक्षर किया गया है?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : यह योजना वर्ष 1988 में शुरू की गई थी। कुछ राज्यों और जिलों में यह अच्छे ढंग से चलाई गई है। मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ राज्यों और जिलों में यह असफल हुई है। मुझे इससे इंकार नहीं है। लेकिन समवेत रूप में, हमने इसे 430 जिलों में कार्यान्वित किया है। इन योजनाओं के अंतर्गत साक्षर बने लोगों की संख्या 63.54 मिलियन है। परन्तु कुछ राज्यों में यह इतनी सफल नहीं रही है। मैं यहां स्वीकार करता हूं कि दक्षिण में इसे बड़े अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया गया है, जहां स्वैच्छिक संगठन और ग्राम पंचायतें सजग और सक्रिय हैं। उत्तर में अन्य ग्राम पंचायतें, स्थानीय प्रशासन तथा स्वैच्छिक संगठन आगे नहीं आ रहे हैं, वहां यह असफल है।··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : महोदय, इस धनराशि को बचाइए।·· *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब आप दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका दीजिए।

श्री मंगत राम शर्मा : जनाब स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया कि 198 आर्गनाइजेशंस में से 59 आर्गनाइजेशंस की वेल्यूएशन की गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन 59 आर्गनाइजेशंस की एक्सटर्नल वेल्यूएशन की गई उनमें से कितने ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने धन का दुरुपयोग किया और उस जिले में उनके खिलाफ हुकूमत क्या कार्यवाही कर चुकी है?

[अनुवाद]

श्री एस०आर० बोम्मई : हमने दोषी स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध कार्यवाही की है। उनकी संख्या लगभग 15 से 20 है।

[अनुवाद]

तेल पूल का घाटा

***264. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को बहुत अधिक अतिदेयों के अलावा इसके द्वारा लिये गये कई हजार करोड़ रुपए के ऋणों के कारण विदेशों से तेल की सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 17,500 करोड़ रुपए के तेल पूल घाटे को कम करने के लिए उनके मंत्रालय का विचार वित्त मंत्रालय से उस 4300 करोड़ रुपए के ऋण को अदा करने का अनुरोध करने का है जो उसने तेल पूल घाटे से लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तेल पूल के घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) तेल समन्वय समिति से इंडियन आयल कारपोरेशन

की बकाया राशि जो 31 मार्च 1996 को 3471 करोड़ रुपए थी वह 31 मार्च, 1997 को बढ़कर 9034 करोड़ रुपए हो गई है। तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन वर्तमान में कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के आयातों की व्यवस्था में समर्थ है क्योंकि तेल आयातों को वित्तपोषित करने के लिए इसकी अल्पावधिक विदेशी मुद्रा उधारियों की अधिकतम सीमा जो फरवरी, 1996 तक 1.53 बिलियन अमरीकी डालर थी उसे प्रगामी रूप से 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की वर्तमान स्वीकृत सीमा तक बढ़ा दिया गया है इसके अलावा तेल आयात के लिए कारपोरेशन ने 7 वर्ष के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण भी प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) वर्ष 1997 में सरकार ने निर्णय लिया था कि तेल समन्वय समिति के पूल लेखे की अधिशेष निधियां लोक लेखे में जमा की जाएंगी और तब से इसका अनुसरण किया जा रहा है। 31 मार्च, 1993 को लोक लेखे में पड़ी तेल समन्वय समिति जमाओं की 4429.03 करोड़ रुपए की शेष धनराशि भारत सरकार की "अन्य देयताओं" का अंश बनी और ऐसा जारी है।

(ङ) 31 मार्च, 1997 को पूल लेखे से तेल कंपनियों के संचयी बकाये 15,500 करोड़ रुपए होने का अनुमान है तथा तेल मितव्ययता बजट में अपनाए गए मूल्यों के अनुसार 31 मार्च, 1998 तक इसके 24,500 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। सरकार तेल पूल लेखा घाटे को काबू में करने के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश करती आ रही है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : अध्यक्ष जी, यह तेल पूल घाटे का प्रश्न जो है यह बहुत ही रहस्यमय बन गया है और यह लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि यह घाटा है, घपला है या घोटाला है। उत्तर में कोई बात स्पष्ट नहीं होती है। इस तेल पूल में 1989 में 9267 करोड़ रुपये का सरप्लस था अब मंत्री जी आंकडा दे रहे हैं कि यह घाटा 24500 करोड़ रुपये तक अगले वर्ष पहुंच जाएगा। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि यह जो सरप्लस से घाटे की ओर हम जा रहे हैं इसको रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाया है। यह जो घाटा बढ़ता गया, यह सरकार की विफलता है या ऐसे कौन से अन्य कारण हैं जिनके कारण यह बढ़ता जा रहा है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तेल पूल में यह घाटा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। माननीय सदस्य 1989 की बात कर रहे हैं कि उसके पहले इस तरह का घाटा नहीं लगता था। तेल पूल का मतलब ही होता है कि उसके घाटे में जितनी रकम आए, अगर उससे ज्यादा खर्च हो जाए तो घाटा हो जाएगा। पहले एक तो पेट्रोलियम पदार्थों की मांग कम थी। दूसरा, जब बाहर दाम बढ़ता था, और संकट आता था उस हिसाब से पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ा दिये जाते थे, इसलिए घाटा नहीं होता था। बाहर से बाजार से जो हम आयात करते थे, वहां भी बहुत भाव नहीं बढ़ता था। लेकिन दो-तीन सालों में परिस्थिति ऐसी आई है जबकि पिछली बार पेट्रोलियम उत्पाद के दाम विश्व के बाजार में बढ़ रहे थे और हम चुप रह गये, हमने कोई दाम नहीं बढ़ाया और घाटा बढ़ने लगा। तब से अब तक यह घाटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पूल घाटे में पेट्रोलियम उत्पाद की आमदनी कम और खर्चा ज्यादा बढ़ रहे हैं।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या इस पूल का खर्चा कहीं और भी खर्च हो रहा है? क्या आपने कहीं और खर्च किया है?

श्री जनेश्वर मिश्र : यह पैसा कहीं और खर्च नहीं किया गया है?

श्री कृष्ण लाल शर्मा : यह तो इसमें साफ दिया हुआ है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लि० एक मोनोपोली संस्था है जो बाहर से भी मंगाते हैं। भाव भी हमने बीच-बीच में बढ़ाए हैं, फिर घाटा क्यों बढ़ रहा है। आपने भाग(3) में यह उत्तर दिया है कि हम दूसरी सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं जिससे इस घाटे पर नियंत्रण किया जा सके। देश में, संसद में यह आवाज उठ रही है कि कीमत बढ़ाने का कोई भी न्यायोचित कारण नहीं है। मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि वह सदन में आश्वासन दें कि इसके घाटे को पूरा करने के लिए पक्के कदम उठाए जाएंगे। और आम जनता पर बोझ डालने के लिए कीमतें नहीं बढ़ाई जायेगीं, मैं इसका स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का कोई आश्वासन देना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है। जब तक सरकार निर्णय नहीं ले लेगी, हम इसके बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इस पर निर्णय लेने के बाद हम फिर आपके बीच में आएंगे। सरकार इस पर जो निर्णय लेगी चाहे इसके दाम बढ़ाए या नहीं बढ़ाए तो भी इसकी वकालत के लिए हम आपके बीच आएंगे। हम इसका पहले आश्वासन दे दें हम समझते हैं कि यह हमारे कंडक्ट के खिलाफ ब्रीच कहलाएगा।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : ब्रीच तब होता है जब आप हाउस के बाहर इसके दाम बढ़ा देते हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : बढ़ाने और नहीं बढ़ाने का जो कुछ फैसला होगा, वह आपकी मार्फत राष्ट्र को बताना ही पड़ेगा।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्म से सरकार से जानना चाहता हूं कि तेल पूल के घाटे के सम्बन्ध में क्या विश्व बाजार का कोई दबाव है? आम जनता पर बोझ नहीं बढ़े, क्या इसके लिए विश्व बाजार के प्रभाव को कम करने की कोई योजना पेट्रोलियम मंत्रालय ने बनायी है?

श्री जनेश्वर मिश्र : तेल पूल के घाटे पर विश्व बाजार का कोई दबाव नहीं है।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश के अंदर उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य विदेशों से खरीदे गये पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य से कम हैं? क्या सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाने की बजाय अन्य स्रोतों से धन एकत्रित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ताकि तेल पुल को हुये घाटे को पूरा किया जा सके? यदि हां, तो कौन-कौन से सुझाव दिये गये हैं और सरकार ने उन सुझावों के बारे में क्या कदम उठाये हैं?

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इंडियन ऑयल कारपोरेशन पैट्रोल बाहर से आयात करने के लिए गैस के बैंकरों से उधार लेकर पेट्रोलियम की मांग को पूरा करने का प्रयास कर रही है। यह सही है कि हिन्दुस्तान में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं, वे विदेश के मुकाबले हमें सस्ते पड़ते हैं लेकिन दुनिया के बाजार में जिस भाव पर पेट्रोलियम उत्पाद बिकता है, उस भाव पर उसे खरीदना हमारे लिए अनिवार्य है क्योंकि हम अपने उत्पाद से अपने देश की पेट्रोलियम आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में पर्याप्त प्राकृतिक गैस है। सरकार ने एक बार यह निर्णय लिया था कि गैस के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये कम कीमत पर गैस की आपूर्ति की जाये और कुछ परियोजनाएं भी शुरू की गयी थी। लेकिन मुझे हैरानी है और यह

देखकर दु:ख है कि माननीय प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज में इन में से किसी भी परियोजना का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या आपने कीमतों में संशोधन किया है अथवा क्या आप स्थल और अन्य चीजों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों में उत्पादित गैस का मूल्य बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष को भी इसके बारे में जानकारी है जब वे उद्योग मंत्रालय में थे तो उनकी भी भूमिका थी वास्तव में उनके समय के दौरान कुछ परियोजनाएं शुरू की गयी थी। उसके पश्चात् कुछ नहीं हुआ। इसका क्या कारण है? इस बारे में आपका क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय मंत्री को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी।

श्री संतोष मोहन देव : जहां तक पाइप लाइन का संबंध है, त्रिपुरा राज्य इसे बंगलादेश को और बंगलादेश इसे कलकत्ता को देना चाहता है। पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ नहीं हुआ है। सभी सहानुभूति केवल कागजों पर हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नॉर्थ ईस्ट में गैस ही नहीं दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी उपलब्धता है। वहां ओ०एन०जी०सी० और ऑयल इंडिया के जो अधिकारी काम करते हैं, उनका ऐसा समूह यहां तैयार हो गया है जिन को मैं खराब आदमी नहीं मानता। राज्य सरकार को तो रोयल्टी देनी पड़ती है। वह अपने इलाके के लिए अलग से रोयल्टी मांगते हैं और वह अधिकारी डरकर भाग आते हैं। उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं हैं यह संकट ऐसा है कि उधर काम बढ़ नहीं पा रहा है। हमने अपने अधिकारियों से भी पूछा कि इसका कोई इंतजाम हो सकता है तो कहा कि राज्य सरकार की मदद चाहिए। राज्य सरकारें जहां से ये गैस या पेट्रोल निकलता है, उसके विकास के लिए सड़क, स्कूल, अस्पताल और दूसरी चीजों पर कम खर्च करती हैं इसलिए वह अलग से अपनी रोयल्टी मांगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह पड़ रही है जिसकी वजह से नयी परियोजना शुरू होने में परेशानी है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की कीमतें

\+
*265. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री भक्त चरण दास :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस की कीमतें चढ़ाकर प्रतिवर्ष 250 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्राकृतिक गैस की कीमतें किस सीमा तक बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक गैस की उत्पादन लागत का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्तमान बिक्री मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होता है; और

(च) भविष्य में कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) और (च) सरकार ने प्राकृतिक गैस के मूल्यों में संशोधन के मुद्दे की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यह सरकार के विचाराधीन है।

(ङ) प्राकृतिक गैस का उत्पादक मूल्य 1500 रुपये प्रति हजार घन मीटर जनवरी, 1992 में नियत किया गया था। यह मूल्य उस समय विद्यमान उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए तथा उत्पादक की इक्विटी पर 15 प्रतिशत करोपरान्त प्रतिलाभ देते हुए नियत किया गया था। तब से गैस के उत्पादक मूल्य में संशोधन नहीं किया गया है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी सवाल का साफ उत्तर नहीं देती है। समाचार-पत्रों में सारी खबरें छपती हैं सरकारी सूत्रों के हवाले से, लेकिन जब संसद में कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार गोलमटोल जवाब देती है। अखबारों में यह खबर छपी है कि 250 करोड़ ज्यादा आदमनी हो, इस को ध्यान में रखकर सरकार प्राइस को रिवाइज करने वाली है। लेकिन यहां एक कमेटी का जिक्र इन्होंने किया है और बताया है कि कमेटी ने अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं। कमेटी ने कब आपको अनुशंसा दी और कब तक आप इस पर निर्णय लेंगे?

दूसरी बात यह है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछा जा रहा है तो आप यहां प्रोड्यूसर्स कॉस्ट क्या बता देते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताइए कि कितनी सब्सिडी आपको देनी पड़ रही है, कितना सरकार को राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है, यह बात साफ-साफ जनता को बताई जानी चाहिए। यह बात साफ तौर पर बताइए कि क्या आपकी उत्पाद लागत है और कितनी सब्सिडी उसमें आप दे रहे हैं। सरकार कितना घाटा सह रही है यह बात जानने का हमारा उद्देश्य था और उस घाटे की भरपाई के लिए आप क्या करना चाहते हैं? यह हमारा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि विचाराधीन है।

श्री जनेश्वर मिश्र : हमने शुरू में बताया कि 1992 में मूल्य निर्धारण हुआ था और तब से वही चल रहा है। इस बीच में सरकार ने शंकर कमेटी बैठाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी 15-20 दिन पहले हमारे दफ्तर में आई है और उसे कैबिनेट में भेजना है। उसके पहले इस विषय पर कोई भी बहस हम करें तो उससे यही संकेत जाएगा कि या तो दाम घटेगा, बढ़ेगा या रुकेगा। इसलिए हमारे अधिकारियों ने लिखकर दिया है कि यह रिपोर्ट दिसंबर 1996 में प्रस्तुत की गई। तब से यह विचाराधीन है। उस पर विचार किया जा रहा है कि क्या किया जाए। यह मामला इतने उतावलेपन का नहीं होता। दाम अगर बढ़ जाता है तो देश की आम जनता पर उसका असर होता है। इसका अध्ययन इतमीनान से करने दीजिए। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : जो सवाल हम पूछना चाहते हैं उसका जवाब तो बताएं कि आज की तारीख में क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? अभी भी आपने कुछ कैलकुलेट तो किया होगा। दिसंबर, 1996 से रिपोर्ट पेण्डिग है और सात महीने हो गए हैं। हमें जानकारी तो दें। दाम बढ़ाएं या नहीं लेकिन जानकारी तो दें ताकि लोगों को जानकारी तो हो।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, अभी इस बात पर विचार चल रहा है कि देश में प्राकृतिक गैस का लागत खर्चा आज की तारीख में कितना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्य को इसकी सूचना दे दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

नागर विमानन नीति

*266. श्री टी० गोपाल कृष्ण :
श्री सुरेश प्रभु :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन परियोजनाओं में भविष्य में सभी निजी क्षेत्र के निवेशों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने सहित कोई नई व्यापक नागर विमानन नीति सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) विद्यमान नागर विमानन नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(घ) नई नीति कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों के विशेषज्ञों से भी परामर्श किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या अनेक विरोधी पार्टियों ने नागर विमानन नीति में प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध किया है;

(ज) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(झ) नई नीति से किस सीमा तक देश को लाभ होने की संभावना है;

(ञ) क्या कुछ विमानपत्तन परियोजनाओं में शतप्रतिशत निजी भागीदारी की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ट) जी, हां। नागर विमानन के संबंध में सभी पहलुओं का समावेश करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का प्रस्ताव है। उक्त नीति, सरकारी और निजी दोनों एयरलाइनों के प्रतिनिधियों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय उद्योग परिसंघ और विमानन क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके तैयार की जा रही है। इससे सभी पहलुओं से राष्ट्रीय हितों की रक्षा होगी। सरकार द्वारा पहले से ही अनुमोदित अंतर्देशीय हवाई परिवहन नीति में विदेशी इक्विटी भागीदारी में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नीति को तीन महीने के अन्दर अन्तिम रूप दे दिये जाने की संभावना है। नीति के ब्यौरे केवल उसी चरण पर ही दिये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

मुख्य पत्तनों का विस्तार

*267. श्री डी०पी० यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तूतीकोरिन, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई पोर्ट ट्रस्टों के विस्तार के लिए योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है; और

(ग) इन पोर्ट ट्रस्टों के विस्तार के बाद सरकारी राजस्व में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। इन महापत्तनों के विस्तार की स्कीमों पर 1997-98 के दौरान किए जाने वाले संभावित व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

(करोड़ रु०)

पत्तन का नाम	अनुमोदित परिव्यय (1997-98)
कलकत्ता/हल्दिया	45.22
मुंबई	156.24
चेन्नई	228.38
तूतीकोरिन	34.18
जोड़	464.02

(ग) इन पत्तनों का विस्तार करने की सभी स्कीमें संस्वीकृत होने और कार्यान्वयन शुरू कर दिए जाने के पश्चात् ही अतिरिक्त राजस्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

[अनुवाद]

एल०पी०जी० बाटलिंग संयंत्र

*268. श्री केशव महन्त : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में रसोई गैस भरने के 51 अतिरिक्त संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किस-किस स्थान पर स्थापित किये जाएंगे तथा प्रत्येक संयंत्र की गैस भरने की क्षमता सहित तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या देश में निजी क्षेत्र में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र स्थापित किए जाने पर प्रतिबंध है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) रसोई गैस की मांग की पूर्ति के लिए देश में कितने नये रसोई गैस बाटलिंग संयंत्रों की आवश्यकता है;

(च) क्या इंडियन आयल कारपोरेशन की अगले दो वर्षों में 25 नए रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र शुरू करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो राज्यवार इन संयंत्रों के स्थान सहित इनकी प्रस्तावित समयसीमा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा 1126 टीएमटीपीए की अतिरिक्त भरण क्षमता स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। स्थान और क्षमता विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) देश में एलपीजी की भविष्य की मांग पूरी करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नौंवी योजना अवधि के दौरान 3093 टीएमटीपीए की अतिरिक्त भरण क्षमता की स्थापना करने की योजना बनाई है।

(च) और (छ) आठवीं योजना के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा चालू किए जाने वाले उन नए भरण संयंत्रों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है जिन्हें नौंवी योजना अवधि तक ले जाया गया है। इनके अतिरिक्त करनाल, जमशेदपुर और भोपाल प्रत्येक में 44 टीएमटीपीए की मौजूदा भरण क्षमता में आठवीं योजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के दौरान और 44 टीएमटीपीए की वृद्धि करके प्रत्येक की भरण क्षमता 88 टीएमटीपीए कर दी जाएगी।

विवरण-I

8वीं योजना के प्रस्तावों के अनुसार नए एलपीजी भरण संयंत्रों की स्थापना करने के लिए नियोजित स्थान

स्थान	राज्य	तेल कंपनी	क्षमता (टीएमटीपीए)	अद्यतन स्थिति/ अनुमानित संपूर्ति
गुवाहाटी	असम	आई.ओ.सी.	22	चालू हो गया है
सिक्किम	सिक्किम	आई.ओ.सी.	5	चालू हो गया है
त्रिपुरा	त्रिपुरा	आई.ओ.सी.	5	चालू हो गया है
मद्रास	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	22	चालू हो गया है
त्रिची	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	22	चालू हो गया है
अहमदाबाद	गुजरात	बी.पी.सी.	34	चालू हो गया है
अहमदाबाद•	गुजरात	आई.ओ.सी.	32	चालू हो गया है
दिल्ली	सं०रा०क्षे० दिल्ली	आई.ओ.सी.	88	चालू हो गया है
बीकानेर•	राजस्थान	आई.ओ.सी.	22	चालू हो गया है
फरूकाबाद	उत्तर प्रदेश	आई.ओ.सी.	22	चालू हो गया है
मिजोरम	मिजोरम	आई.ओ.सी.	5	भूमि की पहचान कर ली गई है
मणिपुर	मणिपुर	आई.ओ.सी.	10	भूमि की पहचान कर ली गई है
कलकत्ता (बज बज)	प० बंगाल	आई.ओ.सी.	44	अक्तूबर, 1997
कलकत्ता	प० बंगाल	बी.पी.सी.	22	सितम्बर, 1997
रायगंज	प० बंगाल	बी.पी.सी.	10	मार्च, 1999
बर्दवान	प० बंगाल	बी.पी.सी.	10	मार्च, 1999
कुड्डपा	आंध्र प्रदेश	आई.ओ.सी.	44	अगस्त, 1997
मद्रास (एन्नूर)	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	66	जुलाई, 1999
मद्रास	तमिलनाडु	एच.पी.सी.	22	फरवरी, 1999
मदुरै	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	22	अक्तूबर, 1998
थंजावुर	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	10	मार्च, 1999
वेल्लूर	तमिलनाडु	बी.पी.सी.	10	मार्च, 2002
क्वीलोन	केरल	आई.ओ.सी.	22	यांत्रिक रूप से पूरा हो गया है
अकोला	महाराष्ट्र	आई.ओ.सी.	44	सितम्बर, 1998
भावनगर	गुजरात	आई.ओ.सी.	44	सितम्बर, 1997
पटियाला	पंजाब	आई.ओ.सी.	34	मई, 2000
मेरठ	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	22	भूमि की पहचान कर ली गई है
सलीमपुर	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	10	मार्च, 1999
झांसी	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	10	मार्च, 1999
	कुल		735	

•1.4.97 के बाद चालू हुआ।

पुन:स्थलीकरण/पुनरूदार प्रस्तावों और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दिए गए विशिष्ट अनुमोदनों के अंतर्गत आठवीं योजना के दौरान नियोजित एलपीजी भरण संयंत्र

स्थान	राज्य	तेल कंपनी	क्षमता (टीएमटीपीए)	अनुमानित संपूर्ति
उदयपुर	राजस्थान	बी.पी.सी.	10	चालू हो गया है
करनूल	आन्ध्र प्रदेश	बी.पी.सी.	10	चालू हो गया है
बेलगांव	कर्नाटक	आई.ओ.सी.	12	चालू हो गया है
सिकन्दराबाद	आन्ध्र प्रदेश	आई.ओ.सी.	26	जनवरी, 99
भंमाड/ढुलिया	महाराष्ट्र	आई.ओ.सी.	34	जून, 98
सुल्तानपुर	उत्तर प्रदेश	बी.पी.सी.	6	चालू होने को तैयार
मयिलाडुथुरै	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	6	जुलाई, 98
पोर्ट-ब्लेयर	अंडमान एंड निकोबार	आई.ओ.सी.	5	मई, 99
लेह	जम्मू और कश्मीर	आई.ओ.सी.	3	अक्तूबर, 2001
बोंगाईगांव	असम	बी.आर.पी.एल.	22	दिसम्बर, 98
दीमापुर	नागालैंड	आई.ओ.सी.	5	भूमि अर्जित
मेघालय	मेघालय	आई.ओ.सी.	5	भूमि की पहचान हो गई है
अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश	आई.ओ.सी.	5	भूमि अर्जित
जम्मू	जम्मू एंड कश्मीर	आई.ओ.सी.	22	भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है
बुलदाना	महाराष्ट्र	बी.पी.सी.	6	भूमि की पहचान की जा रही है
मंगलौर	कर्नाटक	एच.पी.सी.	22	सितम्बर, 98
देवास	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	22	मार्च, 99
बीना	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	10	मार्च, 2002
ग्वालियर	मध्य प्रदेश	बी.पी.सी.	10	मार्च, 99
गोवा	गोवा	बी.पी.सी.	12	भूमि की पहचान की जा रही है
गोवा	गोवा	आई.ओ.सी.	10	भूमि की पहचान की जा रही है
पूर्णिया	बिहार	एच.पी.सी.	10	मार्च, 98
बेगुसराय	बिहार	बी.पी.सी.	22	भूमि की पहचान की जा रही है
मन्नारगुडी	तमिलनाडु	आई.ओ.सी.	6	
गुवाहाटी	असम	आई.ओ.सी.	22	अक्तूबर, 98
गांधार	गुजरात	आई.ओ.सी.	68	जून, 98
	कुल		391	

विवरण-II

आठवीं योजना अवधि के वे नए भरण संयंत्र जिन्हें नौवीं योजना अवधि में ले जाया गया।

योजनागत स्कीमें

क्र०सं०	स्थान	क्षमता (टीटीपीए)	अनुमानित संपूर्ति
1	2	3	4
1.	कुड्डपा	44	अगस्त, 1997
2.	भावनगर	44	सितम्बर, 1997
3.	बज-बज	44	अक्तूबर, 1997
4.	मनमाड	34	जून, 1998
5.	अकोला	44	सितम्बर, 1998
6.	मदुरै	22	अक्तूबर, 1998
7.	गुवाहाटी (1)	22	अक्तूबर, 1998
8.	एन्नूर	66	जुलाई, 1999
9.	पटियाला	34	मई, 2000

गैर योजना स्कीमें

1.	गांधार (2)	68	जून, 1998

1	2	3	4
2.	मायीलाडुचुरै	6•	जुलाई, 1998
3.	चेरलापल्ली (हैदराबाद)	26•	जन०, 1999
4.	पोर्ट ब्लेयर	5•	मई, 1999
5.	बंगलौर रीसाईटमैंट	34	जुलाई, 2000
6.	लेह	3•	अक्तूबर, 2001
7.	जम्मू	22•	=
8.	इलाहाबाद रीसाईटमैंट	34	=
9.	गोआ	6•	+

(1) गुवाहाटी में 22 टी टी पी ए की भरण क्षमता गुवाहाटी रिफाइनरी संयंत्र की 5 टी टी पी ए की क्षमता के पुनःस्थलीकरण और 17 टी टी पी ए की नई भरण क्षमता की वृद्धि के फलस्वरूप है।

(2) गांधार में 68 टी टी पी ए की भरण क्षमता कोयाली रिफाइनरी संयंत्र में मौजूदा भरण क्षमता का पुनःस्थलीकरण है।

• सिंगल शिफ्ट = भूमि के अधिग्रहण से 36 माह

+ भूमि के अधिग्रहण से 18 माह

आई ओ सी (एओडी) आठवीं योजना के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों पर नई भरण क्षमता की स्थापना कर रही है :

क्र० सं०	स्थान	क्षमता (टी टी पी ए)	स्थिति
1.	नागालैण्ड	5	भूमि अर्जित
2.	अरूणाचल प्रदेश	5	भूमि अर्जित
3.	मणिपुर	10	भूमि की पहचान कर ली गई
4.	मेघालय	5	भूमि की पहचान कर ली गई
5.	मिजोरम	5	भूमि की पहचान कर ली गई

उपर्युक्त संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों को सुविधाएं

***269. श्री सत्य पाल जैन : क्या संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर संसद सदस्यों तथा विधायकों को कार, स्टेनो, विकास निधि आदि जैसी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, रियायतों आदि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विभिन्न राज्यों के परामर्श से सभी राज्यों के लिए एक समान नीति बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ङ) इस समय सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आर्थिक और अन्य बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए, ऐसे मामलों में विभिन्न राज्य निर्णय लेते हैं और एक जैसी नीति बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

[अनुवाद]

आवश्यकता से अधिक अध्यापक

***270. श्री सोमजी भाई डामोर :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यप्रणाली और अध्यापन अवधि की गणना के आधार में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, विभिन्न श्रेणियों के अनेक अध्यापक अधिशेष हो गये हैं और केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा पूर्ववर्ती तथा वर्तमान सत्र में उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार और विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काफी संख्या में अधिशेष अध्यापकों को सामान्यतः देश भर के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों और विशेषकर उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जिन केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं उन विद्यालयों में उन अधिशेष अध्यापकों को किस ढंग से खपा लिये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को निर्धारित करने के लिए छात्र नामांकन, कक्षा XI तथा XII में प्रदान किए गए विषयों तथा प्रति कक्षा प्रति विषय के लिए अपेक्षित पीरियडों की संख्या के आधार पर मानदण्ड निर्धारित किए हैं। इन मानदण्डों में, जो 1990 में निर्धारित किए गए थे, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कक्षाओं/सेक्शनों में कमी, स्तरोन्नयन तथा शिफ्टों के विलयन आदि के कारण संस्वीकृत संख्या में परिवर्तन की वजह से कतिपय शिक्षकों को आवश्यकता से अधिक करार कर दिया जाता है। उपलब्ध रिक्तियों के स्थान पर आवश्यकता से अधिक हुए शिक्षकों की तैनाती की जाती है जो एक सतत् प्रक्रिया है और केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुल संख्या में आवश्यकता से अधिक कोई शिक्षक नहीं है।

1996-97 तथा 1997-98 के दौरान आवश्यकता से अधिक स्टाफ का श्रेणीवार तथा क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I तथा II में दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के नाम क्रमशः संलग्न विवरण-III तथा IV में दिए गए हैं। जहां 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान संस्वीकृत संख्या से आवश्यकता से अधिक स्टाफ हो गया था।

विवरण-I

आवश्यकता से अधिक स्टाफ का ब्यौरा 1996-97

क्र० सं०	क्षेत्र	पीजीटी	टीजीटी	पीआरटी	विविध श्रेणी के शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	05	10	07	—

1	2	3	4	5	6
2.	बंगलौर	08	08	—	—
3.	भोपाल	08	24	—	03
4.	भुवनेश्वर	01	08	12	01
5.	बम्बई	10	16	04	04
6.	कलकत्ता	03	17	03	09
7.	चण्डीगढ़	01	10	05	07
8.	देहरादून	05	23	05	09
9.	दिल्ली	18	20	56	41
10.	गोहाटी	—	12	01	—
11.	ग्वालियर	09	07	09	11
12.	हैदराबाद	13	—	—	—
13.	जबलपुर	03	04	—	—
14.	जयपुर	03	07	03	15
15.	जम्मू	—	02	—	01
16.	लखनऊ	13	07	—	—
17.	मद्रास	07	24	03	—
18.	पटना	02	02	—	—
19.	सिलचर	—	08	—	02
	कुल	109	209	108	93

विवरण-II

आवश्यकता से अधिक स्टाफ का ब्यौरा-1997-98

क्र० सं०	क्षेत्र	पीजीटी	टीजीटी	पीआरटी	विविध श्रेणी के शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	03	08	11	02
2.	बंगलौर	—	12	05	—
3.	भोपाल	05	15	09	02
4.	भुवनेश्वर	01	13	18	01
5.	बम्बई	11	24	17	02
6.	कलकत्ता	04	10	05	01
7.	चण्डीगढ़	04	26	16	05
8.	देहरादून	01	16	—	—
9.	दिल्ली	07	29	28	05
10.	गोहाटी	08	10	08	03
11.	ग्वालियर	03	05	05	—
12.	हैदराबाद	04	24	25	02
13.	जबलपुर	02	23	21	02
14.	जयपुर	03	15	17	03
15.	जम्मू	04	16	13	08
16.	लखनऊ	05	16	—	—
17.	मद्रास	03	15	01	—
18.	पटना	08	23	16	03
19.	सिलचर	—	06	10	01
	कुल	76	316	225	40

विवरण-III

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक जो अधिसंख्य हैं 1996-97

क्र० सं०	विद्यालय का नाम	पीजीटी	टीजीटी	पीआरटी	विविध श्रेणी के शिक्षक
1	2	3	4	5	6
1.	ओएफडी देहरादून	04	01	—	—
2.	डीएल मेरठ	02	—	—	—
3.	एमटीएल देहरादून	—	01	—	—
4.	अल्मोड़ा	—	03	—	—
5.	आईआईपी देहरादून	—	01	—	—
6.	उत्तरकाशी	—	02	—	—
7.	एएफएस बरेली	—	01	—	—
8.	आईवीआरआई बरेली	—	02	—	—
9.	रायवाला	—	01	—	—
10.	जेआरसी बरेली	—	01	—	02
11.	नं० 1 भेल हरिद्वार	—	04	03	01
12.	हल्द्वानी	—	01	—	—
13.	मथुरा रिफाइनरी	01	03	—	01
14.	नं० 2 आगरा	02	—	—	02
15.	नोएडा	01	02	07	01
16.	एएफएस दादरी	—	02	—	—
17.	आजमगढ़	02	—	—	—
18.	बुलन्दशहर	01	—	—	—
19.	नं० 2 चाकेरी कानुपर	01	—	—	—
20.	नं० 1 रायबरेली	02	—	—	—
21.	नं० 1 अरमापुर कानपुर	01	—	—	—
22.	ओसीएफ शाहजहांपुर	01	02	—	—
23.	बामरोली इलाहबाद	01	—	—	—
24.	नं० 1 चाकेरी कानपुर	03	—	—	—
25.	सीतापुर	01	—	—	—
26.	शाहजहांपुर कैंट	—	01	—	—

1	2	3	4	5	6
27.	लखनऊ कैंट	—	01	—	—
28.	अलीगंज लखनऊ	—	01	—	—
29.	न्यू कैंट इलाहबाद	—	02	—	—
30.	39 जीटीसी वाराणसी	01	—	—	—
31.	रूड़की	—	—	—	01
32.	एएससी बरेली	—	—	—	03
33.	अपर कैम्प देहरादून	—	—	—	01
34.	नं०-3 आगरा	—	—	08	01
35.	नं०-1 आगरा	—	—	—	03
36.	वीकेवी गाजियाबाद	—	—	—	01
37.	नं० 2 भेल हरिद्वार	—	—	02	01
	कुल	24	32	20	18

विवरण-IV

उत्तर प्रदेश के केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षक जो अधिसंख्य हैं 1997-98

क्र० सं०	विद्यालय	स्नातकोत्तर पीजीटी	प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी	प्राथमिक शिक्षक पीआरटी	विविध
1	2	3	4	5	6
1.	नं०1 बी.एच.ई.एल. हरिद्वार	—	02	01	—
2.	नं०2 बी.एच.ई.एल. हरिद्वार	01	—	05	—
3.	श्रीनगर	—	02	—	—
4.	मसूरी	—	01	—	—
5.	एस.एल. मेरठ	—	01	—	—
6.	इज्जतनगर	—	01	—	—
7.	जे.आर.सी. बरेली	—	01	—	—
8.	सी टी देहरादूर ·	—	01	—	—
9.	नं० 1 एच.बी.के. देहरादून	—	—	—	02
10.	नं० 2 एच.बी.के. देहरादून	—	01	—	—
11.	बीरपुर देहरादून	—	01	—	—
12.	रायवाला देहरादून	—	01	—	—
13.	ओ.एल.एफ. देहरादून	—	01	—	—
14.	ओ.एन.सी.सी. देहरादून	—	—	—	01
15.	रानीखेत	—	01	—	—
16.	पिथौरागढ़	—	01	—	—
17.	अल्मोड़ा	—	01	—	—
18.	इफको अनोला	—	—	01	—
19.	नं० 1 हिंडन	—	01	—	—
20.	नं० 2 हिंडन	03	—	—	—
21.	नोएडा	01	02	02	—
22.	मुरादनगर	—	01	01	—
23.	एम.आर.पी. मथुरा	01	01	—	—
24.	तालबिहात	—	01	—	—
25.	नं० 2 झांसी	—	—	01	—
26.	नं० 2 आगरा	—	—	01	—
27.	बाद मथुरा	—	—	01	—
28.	गोरखपुर	01	—	—	01
29.	आर.डी.एस.ओ. लखनऊ	01	02	—	—
30.	ए.एम.सी., लखनऊ	01	—	—	—
31.	लखनऊ कैन्ट	—	01	—	—
32.	बीमरोली इलाहाबाद	—	01	—	—
33.	सीतापुर	01	01	—	—
34.	नं०2 आई.टी.आई. रायबेरली	—	03	—	—
35.	मऊ	—	01	—	—
36.	नं० 2 अक्षरमापुर कानपुर	—	02	—	—
37.	नं० 2 चाकरी	—	01	—	—
38.	नं० 3 चाकरी	—	01	—	—
39.	इलाहाबाद चौकी	—	01	—	—
40.	फतेहगढ़	—	01	—	—
41.	कानपुर कैन्ट	—	01	—	—
42.	बुलन्दशहर	—	—	—	01
43.	बी.एच.यू. वाराणसी	01	01	—	02
44.	बलिया	—	03	—	—
45.	मथुरा कैन्ट	—	—	01	—
	कुल	11	42	14	07

खेलों में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***271. श्री मोहन रावले :** क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्थापित करने के लिए निगमित क्षेत्र को आमंत्रित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई राष्ट्रीय खेल नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल विकास निधि स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यह निधि सरकार एवं गैर-सरकारी संगठनों जिसमें निजी क्षेत्र, औद्योगिक घराने इत्यादि भी शामिल हैं, से

संसाधन जुटाने हेतु स्थापित की जाएगी। अंशदान को आकर्षक बनाने की दृष्टि से, निधि में दिए जाने वाले सभी प्रकार के अंशदानों पर 100 प्रतिशत की आयकर छूट उपलब्ध कराने का प्रस्ताव विचाराधीन है। भारत सरकार, खेल विकास निधि में प्रारंभिक अंशदान करेगी। इस निधि के संसाधनों का उपयोग खेलों के संवर्धन से संबद्ध विभिन्न गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए किया जाएगा जिसमें खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने पर विशेष बल दिया जाएगा।

(ग) नई राष्ट्रीय खेल नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है तथा सभी राज्य सरकारों, राष्ट्रीय खेल परिसंघों, सांसदों तथा खेलों से संबंधित अन्य एजेंसियों को भेज दिया गया है जिसमें उनसे अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त हुई टिप्पणियों/सुझावों पर विचार किया जा रहा है। सभी टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात, मसौदा नीति को यथासंभव शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

महिला साक्षरता दर

*272. **श्री एन० डेनिस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां महिला साक्षरता दर बहुत कम है महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए क्या नीतियां अपनायी गई हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) वर्ष 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के तुरंत पश्चात् शुरू किए गए साक्षरता अभियानों में महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) साक्षरता अभियानों के अंतर्गत कुल शिक्षुओं में 61 प्रतिशत शिक्षु महिलाएं हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। अभी तक साक्षर बनाए गए लगभग 63.64 मिलियन व्यक्तियों में से लगभग 38.82 मिलियन संख्या महिलाओं की है।

द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को पेंशन का लाभ देना

*273. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले उन सैनिकों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है जो अभी जीवित हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या भूतपूर्व सैनिक संघों ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों की समस्याओं के बारे में केन्द्र सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) से (ङ) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 से लेकर 6 वर्ष तक की अल्प अवधियों के लिए, युद्ध की अवधि तक, ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़ी संख्या में व्यक्तियों को भर्ती किया गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी छंटनी कर दी गई थी। उनके द्वारा की गई सेवा के लिए पूरे मुआवजे के तौर पर उन्हें स्वीकार्य युद्ध/सेवा-ग्रेच्युटी अदा की गई थी। चूंकि उन्होंने पेंशन के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की थी इसलिए वे सेवा पेंशन पाने के पात्र नहीं थे। यह अनुमान है कि दूसरे विश्व युद्ध के ऐसे पुराने सेनानियों (गैर पेंशन-भोगी) की संख्या, जो अभी जीवित हैं, 1,40,000 है।

भूतपूर्व सैनिकों की विभिन्न एसोसिएशनें यह अभ्यावेदन करती रही हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के उपर्युक्त पुराने सेनानियों को पेंशन या वित्तीय सहायता दी जाए। इस मांग पर सरकार ने विचार किया है और इस स्वीकार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार

*274. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये भण्डार किन-किन स्थानों पर मिले हैं;

(ग) क्या इन भण्डारों के दोहन की कोई योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान जो एन जी सी और ओ आई एल ने पश्चिमी अपतट और असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में लगभग 47 स्थानों पर तेल और गैस की खोज की गई है। इन स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इनमें से अधिकतर खोजें रूपरेखा और विकास के विभिन्न चरणों में है। तथापि, असम में अधिकतर खोजों से शीघ्र उत्पादन प्रणाली या परीक्षण उत्पादन के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है।

विवरण

ओ एन जी सी द्वारा 1994-97 के दौरान की गई हाइड्रोकार्बन खोजें

क्र० सं०	क्षेत्र का नाम	राज्य	प्रकार
1	2	3	4
1.	बी-15	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल+गैस
2.	जी एस-23	(पूर्वी तट) अपतटीय	तेल+गैस
3.	बी-193	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल+गैस
4.	सी-37	(पश्चिमी तट) अपतटीय	गैस
5.	बी-153	(पश्चिमी तट) अपतटीय	गैस
6.	डब्ल्यू ओ-16	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल+गैस
7.	डब्ल्यू ओ-15	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल-गैस
8.	पठारिया	असम	गैस
9.	पेरूनगुलाम	तमिलनाडु	गैस

1	2	3	4
10.	बी-15ए	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल+गैस
11.	सी-43	(पश्चिमी तट) अपतटीय	गैस
12.	सी-39	(पश्चिमी तट) अपतटीय	गैस
13.	लंकापलेम	आन्ध्र प्रदेश	गैस
14.	मुल्लिकीपल्ले	आन्ध्र प्रदेश	गैस
15.	अदिवीपलेम	आन्ध्र प्रदेश	गैस
16.	भुवंडर	असम	गैस
17.	खंबोई	गुजरात	तेल
18.	महादेवपट्टराम	आंध्र प्रदेश	गैस
19.	पुंडी	तमिलनाडु	तेल
20.	किझवलूर	तमिलनाडु	तेल
21.	बी-28	(पश्चिमी तट) अपतटीय	तेल+गैस
22.	वडस्वा	गुजरात	तेल
23.	एनुगुपल्ली	आंध्र प्रदेश	गैस
24.	केसानापल्ली-पश्चिमी	आंध्र प्रदेश	तेल
25.	रंगपुरम	आंध्र प्रदेश	गैस
26.	खेरवा	गुजरात	तेल
27.	कुथालम	तमिलनाडु	गैस
28.	असमाली	गुजरात	तेल
29.	मेकरंग	असम	तेल
30.	हीरापुर	गुजरात	तेल
31.	सदेवला	राजस्थान	गैस
32.	तुलसापलनम	तमिलनाडु	तेल
33.	पेरियापट्टिणम	तमिलनाडु	गैस
34.	मागाटपल्ली	आंध्र प्रदेश	गैस
	पिछले तीन वर्षों के दौरान ओ आई एफ द्वारा खोजे गए स्थान		
35.	बग्गी टिब्बा	राजस्थान	गैस
36.	बोर्डिबु	असम	तेल
37.	भेकुलाजान	असम	तेल
38.	रजाली	असम	तेल
39.	रंगोलीटिंग	असम	तेल
40.	बोरहेपजान	असम	तेल
41.	तमुलीखान	असम	तेल
42.	मोडरखात	असम	तेल
43.	जुतलीबारी	असम	तेल
44.	बचमटिया	असम	तेल
45.	चबुआ	असम	गैस
46.	सीलकाटी	असम	गैस
47.	देवहल	असम	तेल

[हिन्दी]

निजी एयरलाइंस को लम्बे मार्गों पर परिचालन की अनुमति

***275. श्री सुकदेव पासवान :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन निजी एयरलाइनों को लम्बे मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी गई है;

(ख) इन एयरलाइनों को छोटे मार्ग न देने के क्या कारण हैं;

(ग) भिन्न-भिन्न मार्गों पर परिचालन की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) देश में वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न निजी एयरलाइनों से विमानपत्तन-वार कितनी आय प्राप्त हुई ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) इस समय सात निजी विमान कम्पनियां हैं :-

1. मैसर्स अर्चना एयरवेज
2. मैसर्स जेट एयरवेज
3. मैसर्स सहारा इंडिया एयरलाइन्स
4. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स
5. मैसर्स मोदी लुफ्त
6. मैसर्स एनईपीसी एयरलाइन्स
7. मैसर्स स्कायलाइन एनईपीसी

फिलहाल केवल पहली तीन विमान कंपनियों ही अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कर रही हैं। अन्य चार फिलहाल प्रचालन नहीं कर रही हैं।

सभी अन्तर्देशीय अनुसूचित विमान कंपनियों को मार्ग वितरण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन की शर्त के अधीन, उनके द्वारा यथा प्रस्तावित विभिन्न मार्गों पर प्रचालन करने की अनुमति दी जाती है। इस मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार श्रेणी-1 के मार्गों (महानगरों को जोड़ने वाले ट्रंक मार्ग) पर लगाई गई क्षमता की कम से कम 10% क्षमता श्रेणी-2 के मार्गों (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को जोड़ने वाले मार्ग) पर लगाई जानी होती है, इसमें से 1% क्षमता सर्वथा श्रेणी-2 के स्टेशनों के बीच लगाई जानी होती है। श्रेणी-1 के मार्गों पर लगाई गई क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता श्रेणी-3 के मार्गों पर (श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के मार्गों से भिन्न) लगाई जानी है।

(घ) अपेक्षित सूचना विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

निजी एयरलाइनों से विमानपत्तन-वार यातायात राजस्व

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	विमानपत्तन का नाम	1995-96	1996-97
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	241.77	253.08
2.	औरंगाबाद	20.34	21.29

1	2	3	4
3.	आगरा	0.49	0.37
4.	अमृतसर	10.66	8.02
5.	अगाती	1.13	1.33
6.	अगरतला	1.06	1.22
7.	भुवनेश्वर	13.55	16.36
8.	बडोदरा	25.46	26.65
9.	बेलगांव	1.25	1.31
10.	भावनगर	3.59	3.76
11.	भोपाल	9.85	10.31
12.	भुज	0.62	0.65
13.	बागडोगरा	23.35	26.95
14.	बंगलौर	104.85	123.60
15.	कलकत्ता	561.87	697.76
16.	चंडीगढ़	3.04	2.29
17.	कालीकट	44.37	52.30
18.	कोचीन	37.94	44.72
19.	कोयम्बटूर	109.14	128.65
20.	चेन्नई	502.58	633.04
21.	दीव	0.67	0.70
22.	देहरादून	0.09	0.07
23.	दिल्ली	1684.20	1488.68
24.	दिल्ली (एसएपी)	0.64	0.48
25.	डिब्रूगढ़	23.25	26.84
26.	दिमापुर	3.11	3.59
27.	गोआ	56.52	59.16
28.	गग्गल	0.04	0.03
29.	गोरखपुर	0.12	0.09
30.	ग्वालियर	0.18	0.14
31.	गुवाहाटी	138.78	160.20
32.	हुबली	2.20	2.59
33.	हैदराबाद	172.11	202.88
34.	इन्दौर	41.98	43.94
35.	इम्फाल	5.25	6.06
36.	जबलपुर	0.65	0.68
37.	जाम नगर	2.48	2.60
38.	जुहू	74.00	77.46
39.	जयपुर	137.16	103.17
40.	जम्मू	15.18	11.42
41.	जोधपुर	17.12	12.88
42.	जोरहाट	0.75	0.87
43.	काण्डला	2.35	2.46
44.	केशोड	1.04	1.09
45.	कोल्हापुर	0.50	0.52
46.	कानपुर	1.21	0.91
47.	खजुराहो	10.28	7.73
48.	कोटा	0.04	0.03
49.	कुल्लू	11.99	9.02
50.	लेह	0.20	0.15
51.	लखनऊ	165.37	124.39
52.	लुधियाना	0.28	0.21
53.	मुम्बई	2676.34	2864.79
54.	मदुरै	54.72	64.50
55.	मंगलूर	81.27	95.80
56.	नागपुर	29.52	30.90
57.	नानदेड	0.18	0.19
58.	उत्तरी लखीमपुर	2.65	3.06
59.	पटना	26.36	31.83
60.	पोर्ट ब्लेयर	1.64	1.98
61.	पोरबन्दर	6.63	6.94
62.	पुणे	24.16	25.29
63.	पंतनगर	0.04	0.03
64.	पान्डिचेरी	0.36	0.42
65.	रांची	3.41	4.12
66.	रायपुर	4.08	4.27
67.	राजकोट	8.84	9.25
68.	राजामुन्दरी	4.13	4.87
69.	सूरत	3.77	3.95
70.	शिमला	0.22	0.17
71.	श्रीनगर	5.00	3.76
72.	सलेम	0.05	0.06
73.	सिल्चर	1.41	1.63
74.	तिरूपति	3.48	4.10
75.	त्रिवेन्द्रम	30.22	58.60
76.	त्रिचिरापल्ली	8.88	10.47
77.	उदयपुर	59.82	45.00
78.	वाराणसी	74.26	55.86
79.	विशाखापट्टनम	11.02	12.99
80.	विजयवाड़ा	0.81	0.95
	योग	7409.92	7780.48

संस्कृति का संवर्द्धन

***276. श्रीमती कमल रानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सांस्कृतिक विविधता के उत्थान और प्रचार के कोई प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यान्वयनाधीन विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस क्षेत्र में लगे हुए संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लुप्त हो रही प्रतिमा और संस्कृति का संरक्षण किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसा किस प्रकार किया जा रहा है;

(च) संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में क्या कार्यक्रम हैं और इस संबंध में स्वैच्छिक संगठनों द्वारा क्या सहयोग किया जा रहा है; और

(छ) 1996-97 के दौरान सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण/उत्थान/प्रचार पर राज्य-वार और संगठन-वार कितनी राशि खर्च की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग के मूल उद्देश्यों का संबंध देश के सांस्कृतिक पुनरूत्थान को जागृत और सुदृढ़ करने के हमारे प्रयासों से है। कुछ स्कीमों और कार्यक्रमों का जोर संस्कृति के प्रसार पर है जिसमें मानवीय सर्जना के विविध बिम्बों की अभिव्यक्ति शामिल है। संस्कृति विभाग का लक्ष्य भारतीय संस्कृति की, समृद्ध विविधता में, असंख्य विशेषताओं को संवर्धित और परिरक्षित करना है। विभाग अपने उद्देश्यों को संस्थाओं के एक नेटवर्क द्वारा प्राप्त करता है जो विभाग द्वारा सृजित और वित्त पोषित सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों या स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन के लिए 14 विभिन्न स्कीमों का संचालन करता है। इन स्कीमों का ब्यौरा "समर्थन" शीर्षक से विभाग की पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ग) देश में बहुतेरे स्वैच्छिक संगठन हैं, जो संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं। संस्कृति विभाग प्रत्येक संगठन के कार्यकलापों का स्पष्ट रूप से अनुवीक्षण नहीं कर सकता, जो देश भर में फैलै हुए हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। संस्कृति विभाग प्रसिद्ध संस्थाओं एवं कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित कर इसे प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(च) जैसा कि ऊपर कहा गया है, विभाग देश में संस्कृति के परिरक्षण और संवर्धन के लिए 14 विभिन्न स्कीमों का संचालन करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश शामिल है। स्वैच्छिक संगठन जो स्वायत्त हैं सामान्यतः अपने प्रयासों के लिए संस्कृति विभाग पर निर्भर नहीं करते हैं। तथापि, कुछ स्वैच्छिक संगठन उन विशिष्ट कार्यकलापों के लिए संस्कृति विभाग से सहायता प्राप्त करते हैं, जो अनुमोदित स्कीमों के क्षेत्राधिकार में हैं।

(छ) वर्ष 1996-97 के दौरान संस्कृति विभाग के लिए बजट प्रावधान 203.23 करोड़ रुपये था। विभाग ने वर्ष 1996-97 के लिए देश में संस्कृति के संवर्द्धन और प्रसार के लिए योजनागत के अधीन 1801.00 लाख रुपये और योजनेतर के अधीन 689.57 लाख रुपये की राशि प्रदान की थी। इसके अतिरिक्त, निम्नांकित क्षेत्रों के लिए निम्नांकित राशियां भी प्रदान की गयीं, जिन्हें 1996-97 के दौरान योजनागत और योजनेतर के अधीन निम्न.तालिका में दर्शाया गया है :-

(लाख रुपये में)

	क्षेत्र	बजट अनुमान 1996-97	
		योजनागत	योजनेतर
1.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण	1510.00	3725.00
2.	संग्रहालय	3268.00	1735.70
3.	भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण	398.00	421.00
4.	अभिलेख एवं प्रलेख	310.00	342.96
5.	तिब्बती और बौद्ध अध्ययन में संलग्न संस्थाएं/संगठन	237.00	177.00
6.	पुस्तकालय	665.00	725.70
7.	अकादेमियां और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय	935.00	469.00
8.	स्मारक	210.00	127.50
9.	शताब्दियां और जयंतियां	—	135.00
10.	अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध	—	56.50
11.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र	2000.00	2.00

रसोई गैस कनेक्शनों का आवंटन

***277. श्री ब्रज मोहन राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस कनेक्शनों का आंवटन करने हेतु निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश के उन पर्वतीय क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्हें उक्त सुविधा से जोड़ने के लिए चुना गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के छोटा नागपुर, सन्थाल परगना के पर्वतीय क्षेत्रों में उनको उप पर्वतीय क्षेत्र मानते हुए रसोई गैस कनेक्शन आवंटित करने का है,

(घ) यदि हां, तो उक्त आवंटन कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां।

सरकार पिछले कुछ वर्षों से वनों के संरक्षण के हित में पर्वतीय क्षेत्रों में एल पी जी कनेक्शन जारी करने के संबंध में प्राथमिकता देने की नीति का पालन कर रही है। सरकार ने जनवरी, 1996 में 4500 फुट से अधिक की ऊंचाई में रहने वाले आवेदकों को 1 जनवरी, 1996 से और 2000 फुट से 4500 फुट के बीच की ऊंचाई में पड़ने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 1996 से प्रतीक्षा सूची समाप्त करने के बाद मांग पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए तेल कंपनियों को निदेश दिया। वर्ष 1996-97 के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में 5.43 लाख एल पी जी कनेक्शन जारी किए गए, जो देश में जारी किए गए कुल 23.4 लाख कनेक्शनों के 23.2 प्रतिशत के बराबर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बिहार के छोटा नागपुर संथाल परगना के उप पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्रों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई भण्डार

*278. **श्री के०एस० रायडू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम मुम्बई हाई भण्डार का रख-रखाव करने में तकनीकी रूप से सक्षम है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त भण्डार के रख-रखाव में सुधार हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं;

(ग) क्या भण्डार के लापरवाहीपूर्ण प्रबंध के कारण इसे अपूरणीय क्षति हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी तकनीकी समिति ने इस मामले की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) अप्रत्याशित रिजर्वायर आचरण के कारण बम्बई हाई तेल क्षेत्रों में समस्याएं रही है। बम्बई हाई के पुनरुद्वार के लिए ओ एन जी सी द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित है :

(1) एक्स्टेंडेड रीच ड्रिलिंग, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन, इनफिल वेधन और साईड ट्रैक जैसी विशिष्ट प्रौद्योगिकियां अपनाना।

(2) पारंपरिक विधियों द्वारा अत्यधिक गैस और जल उत्पादन पर नियंत्रण के लिए कूपों की मरम्मत।

(3) उन्नत समरूपता के लिए जल अन्त:क्षेपण का पुनर्वितरण।

(4) संरचना में स्केल को हटाना और उसका अवरोधन।

(5) रिजर्वायर दबाव बनाए रखने के लिए जल अन्त:क्षेपण को सुदृढ़ बनाना।

(ग) और (घ) सरकार ने तेल और गैस के बढ़ते अनुपात और कच्चे तेल के उत्पादन में घटते रूझान के मद्देनजर बम्बई हाई के प्रबंधन की जांच करने के लिए श्री ए०बी० दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक बम्बई हाई पुनरीक्षण समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने अपने निष्कर्षों में मत व्यक्त किया था कि ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिनसे संकेत मिलता हो कि दोहन योग्य भण्डारों के उत्पादन में घाटे ओ एन जी सी द्वारा सुविधाओं की स्थापना करने और दबाव अनुरक्षण योजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब के कारण हुए हैं। 1996-97 के दौरान उत्पादन में कमी के कारणों को जांच करने के लिए सरकार द्वारा नवम्बर, 1996 में एक अन्य समिति की स्थापना की गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) बम्बई हाई पुनरीक्षण समिति की, उच्च जी ओ आर कूपों को बंद करने और उनकी मरम्मत करने, वाटर शट आफ के लिए अधिक वर्क ओवर कार्यों जिनसे वाइडैज में सुधार हो, प्रतिपूर्ति जैसी सिफारिशें ओ एन जी सी द्वारा लागू की गई जिनके कार्यान्वियन में ओ एन जी सी को भिन्न- भिन्न मात्रा में सफलता मिली।

कृष्णा घाटी परियोजनाएं

*279. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और यह कार्य 90 वृहत् और मध्यम परियोजनाओं की गति को देखते हुए बहुत ही धीमा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने परिवार विस्थापित हुए;

(ग) विस्थापितों के पुर्नवास कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) नर्मदा बांध के कारण विस्थापितों के पुनर्वास की तुलना में इनके पुनर्वास कार्य की गति कैसी है और नर्मदा बांध विस्थापितों को कितनी विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) कृष्णा घाटी के तीन बेसिन राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश ने 141 वृहद और मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कर लिया है/कर रहे हैं। मांगी गई सूचना इतनी अधिक है कि यह केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

कच्चे तेल की खोज

*280. **श्री नन्द कुमार साय :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने 1997 में देश में कच्चे तेल की खोज का कार्य प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर खोज कार्य शुरू किया गया है;

(ग) तेल की खोज पर कितना संभावित व्यय होने का अनुमान है;

(घ) इस तेल की खोज का परिणाम कब तक मिलने की संभावना है; और

(ङ) तेल के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर बन जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1997 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने निम्नांकित नए क्षेत्रों/संरचनाओं/संभावित क्षेत्रों में अन्वेषण (सर्वेक्षण एवं अन्वेषी वेधन) किया है :

सर्वेक्षण

क्षेत्र	**बेसिन**
नारायण चारा (असम)	कछार
शाहबाजपुर (असम)	कछार
नजोट-रामनगर (जम्मू और कश्मीर)	हिमालय की तराई
राजौरी-कालाकोट (जम्मू और कश्मीर)	विन्ध्य
कुमहारी-कटनी-पन्ना (मध्य प्रदेश)	विन्ध्य
गोवाडी-कनकारी-तमिया (मध्य प्रदेश)	सतपुड़ा
ईस्ट आफ मियाजलर	राजस्थान
धनदुका-वीरमगांम (गुजरात)	कैम्बे
ईस्ट आफ बोरसाड-अंकलव (गुजरात)	कैम्बे
ईस्ट आफ नाडियाड (गुजरात)	कैम्बे

अन्वेषी वेधन

संरचना/संभावित क्षेत्र	**बेसिन**
मंगिनापुडी	कृष्णा गोदावरी
कांडीकुप्पा	कृष्णा गोदावरी
पेरियापट्टिनम	कावेरी
नेवेली	कावेरी
नागनगुड्डी	कावेरी
तेलावी	कैम्बे
बालासार	कैम्बे
एम डी एस	मुम्बई अपतट
बी-23ए	मुम्बई अपतट
ईडी-5ए	मुम्बई अपतट
ई डी सी	मुम्बई अपतट
डी-5	मुम्बई अपतट
बी एस ई	मुम्बई अपतट

वर्ष 1997 के शेष भाग के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन की निम्नांकित नए क्षेत्र/संरचनाओं/संभावित क्षेत्र के वेधन (सर्वेक्षण तथा अन्वेषी वेधन) करने की योजना है :

सर्वेक्षण

क्षेत्र	**बेसिन**
चंदेरपुर-बैकन्टापुर (असम)	कच्छार
राजोरी-कालाकोट (जम्मू और कश्मीर)	हिमालय की तराई
कुमहारी-कटनी-पन्ना (मध्य प्रदेश)	विन्ध्य
साउथ आफ पाडरा	कैम्बे

अन्वेषी वेधन

संरचना/संभावित क्षेत्र	**बेसिन**
अम्बाजोपेटा	कृष्णा गोदावरी भूस्थित
गोकर्णापुरम	कृष्णा गोदावरी भूस्थित
वीरावसरम	कृष्णा गोदावरी भूस्थित
डोनापड्डु	कृष्णा गोदावरी भूस्थित
पेडूरू	कृष्णा गोदावरी भूस्थित
मेडापुरम	कावेरी भूस्थित
कोक्कूर	कावेरी भूस्थित
उथीरांगुडी	कावेरी भूस्थित
कोडिया कराई	कावेरी जमीनी
सिरूवतूर	कावेरी जमीनी
रामनावलसाई	कावेरी जमीनी
कोलूवुर	कावेरी जमीनी
ई डी ए	मुम्बई अपतट
बी-201	मुम्बई अपतट
के के डी डब्ल्यू - 17	केरला-कोंकण-अपतट
के के डी डब्ल्यू ए	केरला-कोंकण-अपतट
के के - बी	केरला-कोंकण-अपतट
दमोह	विन्ध्य
राजनगर	असम-अराकन-वलन पट्टी

(ग) वर्ष 1996-97 में आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा सर्वेक्षणों एवं अन्वेषी वेधन पर किया गया व्यय लगभग 1460 करोड़ रुपए था। वर्ष 1997-98 के लिए अनुमानित व्यय (बजट अनुमान) बढ़कर 1625 करोड़ रुपए हो जाने की संभावना है।

(घ) अन्वेषी कार्य से प्राप्त जानकारी का लगातार विश्लेषण किया जाता है तथा जहां कहीं आवश्यक होगा, जब कभी की गई तेल/गैस खोजों की संभाव्यता निर्धारित करने के लिए आगे और भी आंकड़े एकत्र किये जाएंगे। वर्ष 1997 के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा कावेरी बेसिन के अंतर्गत तुलसापटनम संरचना में तेल का पता लगाया गया है तथा कावेरी बेसिन में पेरियापट्टीनम में, कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंतर्गत मगतापल्ली संरचना में तथा राजस्थान बेसिन में सादेवाला में गैस का पता लगाया गया है।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की तेजी से बढ़ रही मांग को देखते हुए इस संबंध में आत्मनिर्भरता की सीमा भविष्य में बड़ी तेल खोजों की संभावना पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

मुम्बई पत्तन न्यास में कानूनी सलाहकार

2880. श्री विजय गोयल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993 में मुम्बई पत्तन न्यास में कितने कानूनी सलाहकार/परामर्शी कार्यरत थे और वर्ष 1993 में सुश्री किरन चौधरी को कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त करते समय नियुक्ति संबंधी सामान्य प्रक्रिया का पालन किया गया था;

(ख) उसकी नियुक्ति की शर्तें क्या थीं और उसे क्या पारिश्रमिक और सुविधाएं दी गई थी और न्यास ने उसी पद पर तैनात अन्य व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं से उसे दी गई सुविधाओं में क्या अन्तर था;

(ग) सुश्री चौधरी का कुल कितने वर्षों का कानून संबंधी अनुभव था और क्या उसके पास मुम्बई पत्तन न्यास में कानूनी सलाहकार और

सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए पर्याप्त आधार और पत्तन न्यास के मामलों से निपटने में विशेषज्ञता थी; और

(घ) क्या सरकार ने उसकी नियुक्ति में हुई तथाकथित अनियमितताओं और बरते गए भाई-भतीजा वाद की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और कौन दोषी पाए गए तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) सन् 1993 में 18 कानूनी सलाहकार/अधिवक्ता/सोलिसिटर मुम्बई पत्तन के लिए कार्य कर रहे थे। मुम्बई पत्तन न्यास ने नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय तथा दिल्ली के न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कानूनी मामलों से निपटने के लिए सन् 1991 में सुश्री किरन चौधरी को पैनल में शामिल किया था।

(ख) सुश्री किरन चौधरी को 3000/-रु० प्रतिमाह प्रतिधारकता शुल्क और मुम्बई पत्तन न्यास के कानूनी मामलों में पेशी/प्रतिनिधित्व के लिए अनुमोदित मान के अनुसार अन्य प्रभारों का भुगतान किया जाता था। अन्य अधिवक्ताओं की तुलना में सुश्री चौधरी को देय प्रभारों का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

(ग) चूंकि भारतीय नौवहन निगम द्वारा सुश्री किरन चौधरी की नियुक्ति कानूनी सलाहकार व अधिवक्ता के रूप में की गई थी, मुम्बई पत्तन न्यास के मुख्य विधि अधिकारी एवं अधिवक्ता ने उन्हें मुम्बई पत्तन न्यास के अधिवक्ता के तौर पर पैनल में शामिल करने का प्रस्ताव किया था।

(घ) एक महत्वपूर्ण मामले में उक्त फर्म द्वारा दी गई अनुपयुक्त सलाह के संदर्भ में सरकार ने मामले की जांच की थी और इस मंत्रालय के अधीन सभी संगठनों को उक्त फर्म को अपने कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त न करने के निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुपालन में मुम्बई पत्तन न्यास ने दिनांक 30.4.1996 से मुम्बई पत्तन न्यास के लिए अधिवक्ता/सोलिसिटर के तौर पर फर्म का नामांकन समाप्त कर दिया।

विवरण

I. उच्च न्यायालय में मामले

	मोतीवाला एंड कम्पनी रु०	किरन चौधरी रु०
	1	2
1. दावे/याचिकाएं/अपीलें		
(क) बहस होने पर	7,500	8,000
(ख) बहस न होने पर	6,000	6,500
2. ड्राफ्टिंग प्रभार	1,500	1,500
3. डिगरियों का कार्यान्वयन	2,000	2,500
4. प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना	750	750
5. घोषणात्मक दावे		
(क) बहस होने पर	7,500	7,500
(ख) बहस न होने पर	6,000	6,000
6. दावों में अन्तर्वर्त्ती कार्यवाही		
(क) ड्राफ्टिंग	900	1,500
	1	2
(ख) वृत्तिक प्रभार	1,200	1,500
7. प्रति घंटा प्रभार	350	400

II. सम्पदा अधिकारी के सम्मुख मामले

श्री टी०एल०एस० निर्मल रु०	श्री आर०ए०एफ० कामा रु०	श्री जे०जे० जडेजा रु०	किरन चौधरी रु०
42,00	5,200	3,200	5,000

एम०पी०एस० एसोसिएटेड एवियेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मजदूर विरोधी गतिविधियां

2881. श्री ए० सम्पत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम०पी०एस० एसोसिएटेड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (भूतपूर्व मैसर्स सी-हाक) की कथित मजदूर विरोधी गतिविधियों के बारे में एक माननीय संसद सदस्य द्वारा 23.3.1996 को प्रेषित, जिसके संबंध मे 25.9.1996 को अनुस्मारक दिया गया था, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स, दिल्ली का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा भुगतान

2882. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय भारत पर्यटन विकास निगम के कतिपय अधिकारियों ने 30 अक्तूबर, 1995 को मैसर्स डिजाइनर्स कम्बाइन नामक एक आर्किटेक्ट कंपनी को दण्ड धनराशि के रूप में (लगभग 40 लाख रुपये का कथित रूप से भुगतान किया है जो कि संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त किए बिना और निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय (डिगरी) की शर्तों के अनुसार, दिनांक 30.10.95 को मैसर्स डिजाइनर्स काम्बाइन को 40,99,798/ रुपये की राशि का भुगतान किया है।

(ग) और (घ) किसी जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि

भुगतान दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय (डिगरी) की शर्तों के अनुसार किया गया है।

गैस डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप

2883. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगमों ने अपने उच्चधिकारियों के संबंधियों को डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये आवंटिती अन्य पात्रता तथा मानदंड पूरा करते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या ऐसे आवंटन रद्द कर दिए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (ङ) सामान्य चयन प्रक्रिया के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें समाचारपत्रों में विज्ञापन की प्रक्रिया के माध्यम से तेल कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीयता, आयु, शिक्षा, आय, आवास, बहुसंख्य डीलरशिप मानक आदि से संबंधित मानदण्डों को पूरा करने वाले आवेदकों के साक्षात्कारों के आधार पर विधिवत रूप से गठित चयन बोर्ड द्वारा चयन किया जाता है।

मार्च, 1996 तक सरकार ने अनुकंपा आधार पर, विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत कुछ डीलरशिपें/डिस्ट्रीब्यूटरशिपें भी आवंटित की थीं। किसी आवेदक का अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का सरकारी/तेल कंपनियों के अधिकारियों आदि का संबंधी होना डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए कोई मानदंड नहीं है और सरकार ऐसी सूचना का रख रखाव नहीं करती।

1992 के बाद से सरकार के विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन से संबंधित सभी फाइले वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के पास है, जिनके समक्ष सेन्टर फार पब्लिक लिटिगेशन द्वारा दर्ज की गई रिट याचिका संख्या 4003/95 के माध्यम से ऐसे आवंटनों की चुनौती दी गई है। सरकार द्वारा अप्रैल, 1996 के बाद से कोई विवेकाधीन आवंटन नहीं किया गया है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तेल कंपनियों के अधिकारियों के संबंधियों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन से संबंधित सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही, चूंकि यह मामला न्यायाधीन है, इसलिए आवश्यकता होने पर डीलरशिपों आदि की रद्द करने से संबंधित कार्रवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा न्यायालय के निदेश के अनुसार की जाएगी।

भोपाल स्थित ई०एम०ई० को स्थानान्तरित

2884. श्री सुशील चन्द्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भोपाल स्थित ई०एम०ई० केन्द्र को अन्यत्र स्थानांतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ई०एम०ई० केन्द्र, भोपाल में कार्यरत कुछ कर्मचारियों के परिवार भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित हुए थे, और उनके मुआवजे से संबंधित मामले भोपाल की अदालतों में लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ई०एम०ई० केन्द्र को भोपाल से स्थानांतरित करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है।

(ग) जी, हां। गैस त्रासदी से कर्मचारियों के 493 परिवार प्रभावित हुए थे और इनसे सम्बन्धित कुछ मामले अभी तक न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने पुलों पर पथकर

2885. श्री समीक लहिड़ी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य वार और वर्ष-वार पुलों पर पथकर से कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रु०)

क्र०सं०	राज्य का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1.	आंध्र प्रदेश	698.56	726.76	587.36
2.	असम	23.91	51.03	39.80
3.	बिहार	133.65	26.93	—
4.	गोवा	102.73	165.91	71.56
5.	गुजरात	513.13	593.40	647.42
6.	हरियाणा	192.65	304.61	—
7.	कर्नाटक	326.34	171.03	136.78
8.	केरल	235.07	251.94	282.48
9.	मध्य प्रदेश	471.89	563.90	657.06
10.	महाराष्ट्र	441.20	868.50	812.43
11.	मणिपुर	1.29	2.65	2.19
12.	मेघालय	98.92	77.08	59.50
13.	उड़ीसा	153.75	187.62	225.20
14.	पंजाब	31.64	92.95	178.88
15.	राजस्थान	292.94	455.96	495.83
16.	तमिलनाडु	162.53	124.94	67.92
17.	उत्तर प्रदेश	603.66	539.65	597.27
	जोड़	4483.86	5204.36	4861.68

[हिन्दी]

तेल शोधक परियोजनाएं

2886. श्री एन०जे० राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेल कम्पनियों ने विदेशी तेल कम्पनियों के साथ देश में विशेषकर गुजरात राज्य में तेल शोधन परियोजनाएं शुरू करने हेतु सहयोग करार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के अंतर्गत विदेशी तेल कम्पनियों और सरकार तथा अन्य एजेंसियों का शेयर इक्विटी कितनी है; और

(च) उपर्युक्त परियोजनाएं कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) तेल कम्पनियों ने विदेशी तेल कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम करार किया है। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों द्वारा समांशता प्रतिभागिता संयुक्त उद्यम के लिए 26 प्रतिशत है जबकि सह उद्यमी के लिए भी यह 26 प्रतिशत है तथा सार्वजनिक/अनिवासी भारतीयों के लिए यह 48 प्रतिशत है। ये संयुक्त उद्यम रिफाइनरियां निम्न हैं :–

(1) ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीना में मध्य भारत रिफाइनरी। 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की यह संयुक्त उद्यम रिफाइनरी 11 दिसम्बर, 1995 को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है तथा इस सरकारी अनुमोदन से 42 माह के अंतर्गत इसके चालू हो जाने का कार्यक्रम है।

(2) ओमान आयल कंपनी के साथ हिन्दुस्तान आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में देवगढ़ में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की पश्चिमी भारत रिफाइनरी परियोजना। तथापि, ओमान आयल कंपनी ने अपनी विभिन्न अन्य दूसरी वचनबद्धताओं के कारण इस उद्यम के अंतर्गत अपनी हितबद्धता की पुनरीक्षा करने के संबंध में निर्णय लिया है।

(3) पूर्व तट रिफाइनरी को कुवैत पेट्रोलियम कारपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उड़ीसा में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की इस परियोजना के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति पहले ही दे दी गई है तथा इंडियन आयल कारपोरेशन ने इस 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो निवेश अनुमोदनार्थ प्रक्रियाधीन है।

(4) मैसर्स शैल इंटरनेशनल के साथ भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्यम रिफाइनरी - सरकार ने उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की संयुक्त उद्यम रिफाइनरी के लिए आशय पत्र जारी कर दिया है। 21 अप्रैल, 1997 को प्रथम चरण की स्वीकृति दे दी गई है।

(5) सऊदी अरामको के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पंजाब संयुक्त उद्यम रिफाइनरी सरकार ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन को पंजाब में 6.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने से संबंधित उनके प्रस्ताव के लिए आशय पत्र जारी किया है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार किए जाने के लिए 31 दिसम्बर, 1996 को प्रथम चरण का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

वर्तमान में, तेल कंपनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ गुजरात में संयुक्त उद्यम के रूप में रिफाइनरी स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

वित्तीय सहायता

2887. श्री अशोक प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार महिलाओं के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहागता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को राज्य-वार आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य वार कितनी महिलाओं को लाभांवित किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी हां

(ख) और (ग) महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों, महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण, महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक एकक स्थापित करने (नोराड) एवं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों को सहायता (स्टेप) स्कीमों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि और लाभार्थियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। नौराड तथा स्टेप स्कीमों के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता।

विवरण

	आवंटित धनराशि			लाभार्थियों की संख्या		
	1994-95	1995-96 (करोड़ रु० में)	1996-97	1994-95	1995-96	1996-97
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार सहायता कार्यक्रम (स्टेप)	15.00	16.00	16.00	65,740	36,390	76,875
महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक एकक स्थापित करना (नोराड)	4.00	6.20	18.00	9,635	13,500	29,629

महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण

क्र०सं०	राज्य	आवंटन (रु० लाखों में)			लाभार्थी		
		94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	18.53	18.53	20.04	850	800	825
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.48	1.48	1.13	100	75	50
3.	असम	13.34	13.34	2.48	350	275	100
4.	बिहार	40.03	40.03	—	1750	525	—
5.	गोवा	0.74	0.74	0.40	75	25	25
6.	गुजरात	13.34	13.34	11.32	1025	1050	600
7.	हरियाणा	7.41	7.41	3.36	500	475	100
8.	हिमाचल प्रदेश	5.19	5.19	4.63	450	400	200
9.	जम्मू और कश्मीर	7.41	7.41	5.50	500	500	225
10.	कर्नाटक	16.30	16.30	15.07	975	725	500
11.	केरल	9.63	9.63	4.98	300	550	225
12.	मध्य प्रदेश	43.00	43.00	13.25	1825	2100	500
13.	महाराष्ट्र	21.50	21.50	23.80	1300	1300	1000
14.	मणिपुर	8.89	8.89	—	625	375	—
15.	मेघालय	4.45	4.45	—	—	150	—
16.	मिजोरम	4.45	4.45	2.96	300	300	125
17.	नागालैण्ड	4.45	4.45	3.57	300	325	150
18.	उड़ीसा	11.12	11.12	8.88	325	425	250
19.	पंजाब	9.64	9.64	5.72	725	700	175
20.	राजस्थान	18.53	18.53	0.63	75	250	25
21.	सिक्किम	0.74	0.74	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	19.27	19.27	23.34	1325	1050	800
23.	त्रिपुरा	3.70	3.70	2.17	125	225	100
24.	उत्तर प्रदेश	50.41	50.41	29.18	2425	1725	1100
25.	पश्चिम बंगाल	14.83	14.83	7.50	575	400	300
26.	अंडमान व निकोबार द्विपसमूह	1.48	1.48	—	100	75	—
27.	चण्डीगढ़	2.22	2.22	5.19	175	150	150
28.	दिल्ली	44.48	44.48	6.54	225	250	250
29.	लक्षद्वीप	0.74	0.74	0.58	25	25	25
30.	पाण्डिचेरी	2.22	2.22	4.13	100	125	125
	कुल	399.52	399.52	206.35	17425	16350	7925

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम

क्र०सं०	राज्य	आवंटन (रु० लाखों में)			लाभार्थी		
		94-95	95-96	96-97	94-95	95-96	96-97
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	30.00	40.00	40.00	299	315	—
2.	असम	19.00	24.00	24.00	347	96	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	22.00	38.00	38.00	227	275	—
4.	गुजरात	30.00	45.00	45.00	125	280	50
5.	हरियाणा	16.00	7.00	7.00	30	25	—
6.	हिमाचल प्रदेश	20.00	15.00	15.00	72	95	—
7.	जम्मू और काश्मीर	8.00	20.00	20.00	190	140	—
8.	कर्नाटक	25.00	38.00	38.00	176	174	—
9.	केरल	20.00	26.00	26.00	160	183	—
10.	मध्य प्रदेश	25.00	40.00	40.00	320	461	—
11.	महाराष्ट्र	29 00	40.00	40.00	401	398	35
12.	मणिपुर	19.00	20.00	20.00	509	365	—
13.	मेघालय	15.00	15.00	15.00	190	96	—
14.	नागालैण्ड	10.00	16.00	16.00	221	227	—
15.	उड़ीसा	17.00	10.00	10.00	161	—	—
16.	पंजाब	29.00	35.00	35.00	105	190	—
17.	राजस्थान	19.00	35.00	35.00	40	110	15
18.	सिक्किम	5.00	5.00	5.00	30	15	—
19.	तमिलनाडु	28.00	45.00	45.00	347	385	—
20.	त्रिपुरा	4.00	10.00	10.00	177	408	—
21.	उत्तर प्रदेश	36.00	48.00	48.00	135	216	53
22.	प० बंगाल	16.00	20.00	20.00	83	45	—
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	45.00	5.00	5.00	78	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	5.00	5.00	28	21	—
25.	चण्डीगढ़	2.00	5.00	5.00	—	12	—
26.	दिल्ली	5.00	5.00	5.00	10	—	—
27.	गौवा दमन और द्वीप	8.00	10.00	10.00	40	55	—
28.	लक्षद्वीप	4.00	5.00	5.00	—	5	—
29.	मिजोरम	16.00	20.00	20.00	146	213	—
30.	पाण्डिचेरी	5.00	10.00	10.00	35	80	—
		532.00	657	661	4632	4885	153

समुद्री कटाव

2888. श्री टी. गोविन्दन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा देश में तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा बन रहे समुद्री कटाव को रोकने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार वर्ष 1991-92 के बाद से समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता रोक दी गई। योजना आयोग द्वारा राज्यों को उपलब्ध कराई गई योजना निधियों में से राज्य सरकारों द्वारा समुद्री कटावरोधी कार्य किए जा रहे हैं। विशिष्ट समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए गत दो वर्षों के दौरान राज्यों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का विवरण निम्नवत है :

1995-96	केरल	3 करोड़ रुपए
1996-97		शून्य

(ख) नवीं योजना में 150 करोड़ रुपए के परिव्यय वाले नाजुक (क्रिटिकल) समुद्री कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का प्रस्ताव योजना आयोग में विचाराधीन है। वार्षिक योजना 1997-98 परिव्ययों के लिए राज्य-वार क्षेत्र संबंधी ब्यौरे को योजना आयोग में अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है।

हुगली गोदी का पुनरुद्धार

2889. **श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली गोदी और पत्तन इंजीनियर्स के अल्पकालिक और दीर्घकालिक व समग्र पुनरूद्धार के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में अल्पकालिक पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को क्रियान्वित करने और इसका प्रभावी रूप से प्रबंधन करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) जी हां। सरकार ने अभी हाल में एक अल्पकालीन पुनरूद्धार योजना अनुमोदित की है। यह अल्पकालीन पुनरुद्धार योजना आंशिक रूप से निर्मित दो जलयानों अर्थात् अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के 400-पैक्स-सह-100 टन कार्गो जलयान तथा दीपघर और दीपपोत विभाग के दीपघर टैंडर जलयान का निर्माण पूरा करने के लिए है। जलयानों के प्रभावी निष्पादन के लिए निगरानी समिति गठित की जा रही हैं सरकार ने दीर्घकालीन पुनरूद्धार योजना के संबंध में हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि० का दीर्घकालीन पुनरूद्धार अध्ययन करने के लिए मै० एस०सी० आई०सी०आई०लि० (अब मै० आई०सी०आई०सी०आई० लि०) को नियुक्त किया है। मै० आई०सी०आई०सी०आई० लि० द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पेश कर दिए जाने की संभावना है।

असम में सिंचाई सुविधाएं

2890. **श्री द्वारकानाथ दास : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम में सिंचाई की सुविधाएं न होने के कारण असम के किसान एक वर्ष में मात्र दो ही फसल की खेती कर पाते हैं;

(ख) क्या असम में कुल कृषि योग्य भूमि की 40 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाओं की आवश्यकता है परन्तु केवल 5 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) किसानों द्वारा वर्ष में चार फसल पैदा करने के लिए असम में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) असम के किसान एक वर्ष में औसतन दो फसलें उगाते हैं।

(ख) कृषि मंत्रालय द्वारा वर्ष 1993-94 (नवीनतम) के लिए प्रकाशित भूमि प्रयोग आंकड़ों के अनुसार असम में निवल सिंचित क्षेत्र कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 17.7 प्रतिशत है।

(ग) असम में और अधिक सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 4 वृहद् एवं 9 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वियन के अधीन हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 6 मध्यम परियोजनाएं और 7 विस्तार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण (ई०आर०एम०) स्कीमें भी शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित की गई हैं। इसके अलावा, असम राज्य में निर्माणाधीन 6 सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए असम को, योजना आवंटनों के अतिरिक्त, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०) के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 5.23 करोड़ रु० की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है।

पेट्रोल पम्प

2891. **श्री राम नाईक : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 3 जुलाई, 1997 को महाराष्ट्र में पेट्रोल पम्प बंद रहे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या पेट्रोल पम्पों की कीमत में वृद्धि होने के पश्चात पम्प मालिकों को संशोधित दरों पर कमीशन नहीं दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है तथा बकाया राशि का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) डीलरों की प्रमुख मांग, जुलाई, 1996 के दौरान पेट्रोल और डीजल के मूल्य में संशोधन के फलस्वरूप, डीलरों के कमीशन में वृद्धि करवाना है।

(ग) और (घ) कीमतों में संशोधन के फलस्वरूप विषयांतर्गत लागू फार्मूले के आधार पर संशोधित कमीशन का भुगतान डीलरों को कर दिया गया था। परन्तु डीलर उक्त फार्मूले में संशोधन के लिए अभ्यावेदन कर रहे हैं। सरकार ने डीलरों के कमीशन में संशोधन का अध्ययन करने और उसकी सिफारिश करने के लिए तेल विपणनकर्ता कंपनियों के निदेशक (विपणन) को शामिल करके एक समिति का गठन किया है। आगे की कार्रवाई इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जानी है।

तिरुअनन्तपुरम हवाई अड्डा

2892. **श्री के०वी० सुरेन्द्रनाथ : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि गत दो माह के दौरान अनेक बार खाड़ी के देशों से एयर इंडिया के अनेक विमान तिरुअनन्तपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बिना सामान के उतरते रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार इस मामले की जांच करेगी और इस समस्या के आवश्यक समाधान ढूंढेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कुछ दिनों जब खाड़ी क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण पे-लोड सीमित करना पड़ता है, सामान को उतार दिया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 की भारवहन क्षमता

2893. **श्री ताराचन्द्र भगोरा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के दिल्ली-जयपुर-अजमेर-अहमदाबाद मार्ग की भार वहन क्षमता से अधिक वाहन चलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वाहनों की संख्या और उनका अनुपात क्या है; और

(ग) इस विसंगति को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के प्रश्नगत खंड पर दो लेन वाली सड़क के लिए प्रतिदिन 15,000 यात्री कार यूनिट (पी०सी०यू०) के क्षमता मानदण्ड की तुलना में लगभग 10,000 से 35,000 पी०सी०यू० यातायात है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण/विकास एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के दिल्ली-अहमदाबाद खंड की 922 कि०मी० की लम्बाई में से 141 कि०मी० में चार लेन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है तथा 126 कि०मी० चार लेन बनाने का कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में है। तथापि, बी०ओ०टी० (निर्माण, प्रचालन और हस्तान्तरण) आधार पर शेष लम्बाई में चार लेन बनाने के लिए इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने साध्यता अध्ययन शुरू किया है।

[अनुवाद]

विदेशी फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम लगाया जाना

2894. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने विदेशी कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्योग लगाने संबंधी प्रस्तावों की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) क्या नार्वे की कंपनी के साथ किए जाने वाले समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार के स्वामित्वाधीन हिन्दुस्तान शिपयार्ड का घाटा अब बढ़कर 994 करोड़ रु० हो गया है; और

(ङ) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के पुनरूद्धार के लिए विदेशी फर्मों की पेशकशों पर कब तक विचार किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1995-96 के लिए उपलब्ध संपरीक्षित आंकड़ों के अनुसार संचित हानि 845.58 करोड़ रु० है सरकार ने 470.93 करोड़ रु० के सरकारी ऋणों और उन पर ब्याज को बट्टे खाते डालकर और 120.20 करोड़ रु० इक्विटी में परिवर्तित करके कंपनी के पूंजीगत आधार की हाल ही में पुनर्संरचना की है।

(ङ) संयुक्त उद्यम के लिए नार्वे की कंपनी की पेशकश की जांच करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

रावा तेल क्षेत्र

2895. श्री येल्लैया नन्दी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृष्णा-गोदावरी के बेसिन में रावा तेल क्षेत्र के उत्पादित गैस को उपभोक्ताओं तक पाईपों के जरिए पहुंचाया जाएगा;

(ख) क्या इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण, रावा संयुक्त उद्यम और विडियोकोन पेट्रोलियम के बीच केन्द्र सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे राज्य में उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार के नामिती और वीडियोकान पेट्रोलियम लिमिटेड, कमाण्ड पेट्रोलियम इंडिया और राव्वा आयल (सिंगापुर) के राव्वा संयुक्त उद्यम के बीच एक गैस बिक्री ठेके पर 27 जून, 1997 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस ठेके के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में विद्युत और उर्वरक संयंत्रों सहित डाउन स्ट्रीम उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करने के लिए लगभग 0.7 एम०एम०एस०सी०एम०डी० गैस की आपूर्ति की जाएगी।

लुप्त प्रायः प्रजातियों का संरक्षण

2896. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहयोग से हैदराबाद में लुप्त प्रायः प्रजातियों के संरक्षण के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ऐसा केन्द्र स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश होगा;

(ग) इस केन्द्र की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) यह केन्द्र प्रजातियों का कहां तक संरक्षण कर पाने में सक्षम होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकतर विकसित देशों में ऐसी सुविधाएं हैं।

(ग) परियोजना की कुल लागत 550.00 लाख रुपये है।

(घ) वन्य जीवों का परिरक्षण मुख्यतः वन्य जीवन के प्राकृतिक वासों के हास और शिकार पर रोक लगाने में सरकार की सफलता पर निर्भर करेगा। इस परियोजना से लुप्त प्रायः हो रहे वन्य जंतुओं की जनसंख्या में वृद्धि करने की बाबत एक्स०सी०टू० जनसंख्या विकसित करने में मात्र मदद मिल सकती है।

हैंगर में खड़े किये गये वायुयान

2897. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंजन के पुर्जों में कमी के कारण पिछले महीने के दौरान नई दिल्ली में इण्डियन एअरलाइन्स (आई०ए०) के कम से कम 2 एअर

बस-ए320 विमान को जमीन पर खड़े रहना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो ये विमान कितने दिन जमीन पर पड़े रहे;

(ग) नई दिल्ली स्थित इण्डियन एअरलाइन्स के मुख्यालय में ईंजन के पुर्जे को जमा न करने के क्या कारण हैं;

(घ) इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान सेवाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) इस समय ईंजन के कुल पुर्जे खरीदने तथा इण्डियन एअरलाइन्स के मुख्य स्टेशनों पर कम से कम उनका एक स्टाक रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) नई दिल्ली में ए-320 विमान के वी2500 इंजन से संबंधित अतिरिक्त कल-पुर्जों का भंडारण किया जाता है। अन्य प्रमुख स्टेशनों पर आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे भी रखे जाते हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का कार्यालय खोलना

2898. **श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजामुंदरी में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) में ओ०एन०जी०सी० लि० का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राजामुंदरी में ओ०एन०जी०सी० लि० की कृष्णा गोदावरी परियोजना का उन्नयन किया गया है तथा परियोजना प्रमुख का स्तर महा प्रबंधक से और अधिक शक्ति प्रत्यायोजन द्वारा ग्रुप महा प्रबंधक तक बढ़ा दिया गया है। परियोजना प्रमुख को और स्वायत्तता और शक्ति प्रत्यायोजन करने पर ओ०एन०जी०सी० लि० विचार कर रही है।

टाइगर हिल तथा गंगटोक के लिए विमान सेवा

2899. **श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दार्जलिंग की टाइगर हिल तथा सिक्किम के गंगटोक को विमान सेवा से जोड़ने के लिए कोई सर्वेक्षण कार्य कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिक्किम में गंगटोक और दार्जिलिंग की टाइगर हिल पर कोई विमान क्षेत्र नहीं है और न ही किसी अनुसूचित एयरलाइन प्रचालक अथवा सिक्किम सरकार से इस बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।

त्रिपुरा में पर्यटन परियोजनाएं

2900. **श्री बाजू बन रियान : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने राज्य में पर्यटन के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें से कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकार के परामर्श से, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु, परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। वर्ष 1997-98 के लिए, पर्यटन विभाग ने केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु 217 लाख रुपयों की अनुमानित लागत की नौ पर्यटन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। आठवीं योजना के दौरान, पर्यटन विभाग ने पर्यटन परियोजनाओं के लिए त्रिपुरा के लिए 278.56 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें

2901. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता से अन्य दूसरे देशों के लिये सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों हेतु कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) मुक्त आकाश नीति के अधीन वाहक कार्गो उड़ानों के प्रचालन हेतु स्वतंत्र हैं। प्रमुख वाहक जैसे लुफथासा, रायल जोर्डेनियन तथा कुवैत एयरवेज नियमित रूप से कलकत्ता से तथा वहां के लिए मालवाहकों का प्रचालन कर रहें हैं।

[हिन्दी]

धनराशि का उपयोग

2902. **श्री छीतुभाई गामीत :**
श्री केशव महन्त :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा कम्प्यूटर, टेलीविजन, पर्यावरण, विज्ञान शिक्षा आदि के लिए असम सरकार और अन्य राज्यों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(ख) इसमें से मद-वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका; और

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि का किस तरह से और कब तक उपयोग किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूलों में संगणक साक्षरता और अध्ययन (क्लास), शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्कूली शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन तथा विज्ञान शिक्षा में सुधार की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत असम राज्य सरकार तथा अन्य राज्यों को प्रदान की गई कुल राशियों और उनके द्वारा उपयोग की गई राशियों को दर्शाने वाले ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण (I), (II), (III) और (IV) में दिए गए हैं।

उपयुक्त चार योजनाओं के कार्यान्वयन कार्यक्रम पृथक-पृथक राज्यों में पृथक-पृथक हैं। कतिपय मामलों में राज्य सरकारों ने खर्च नहीं की गई राशियों के लिए अवधि बढ़ाने की मांग की है। ऐसे राज्य सरकारों को योजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित किया गया है।

विवरण-I

(क्लास योजना के संबंध में विवरण) (लाख रु० में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	कुल प्रदान की गई निधियां	उपयोग स्थिति
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	373.80	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
अरुणाचल प्रदेश	42.17	6.32
असम	234.50	148.80
बिहार	297.20	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
गोवा	100.35	77.20
गुजरात	372.70	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
हरियाणा	237.15	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
हिमाचल प्रदेश	298.61	79.20
जम्मू और कश्मीर	118.79	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
कर्नाटक	766.90	230.44
केरल	416.76	122.00
मध्य प्रदेश	807.77	292.80
महाराष्ट्र	890.66	245.40
मणिपुर	50.54	34.00
मेघालय	58.44	26.40
मिजोरम	41.24	8.00
नागालैंड	43.40	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
उड़ीसा	376.40	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
पंजाब	360.24	144.00
राजस्थान	418.47	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
सिक्किम	48.57	26.40
तमिलनाडु	545.42	27.00
त्रिपुरा	103.70	26.80
पश्चिम बंगाल	748.50	232.53
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	32.30	सं०रा०क्षे० प्रशा० द्वारा सूचना नहीं दी गई
चंडीगढ़	16.80	6.40
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	331.52	73.19
दादरा और नागर हवेली	19.10	सं०रा०क्षे० प्रशा० द्वारा सूचना नहीं दी गई
दमन और दीव	5.50	0.80

1	2	3
लक्षद्वीप	21.60	सं०रा०क्षे० प्रशा० द्वारा सूचना नहीं दी गई
पांडिचेरी	19.20	सं०रा०क्षे० प्रशा० द्वारा सूचना नहीं दी गई
उत्तर प्रदेश	829.51	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई

विवरण-II

(शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के संबंध में विवरण) (लाख रु० में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	कुल प्रदान की गई निधियां	उपयोग स्थिति
आंध्र प्रदेश	986.71	40.00
अरुणाचल प्रदेश	12.01	12.01
असम	131.37	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
बिहार	शून्य	शून्य
गोवा	शून्य	शून्य
गुजरात	1144.84	113.27
हरियाणा	56.36	36.86
हिमाचल प्रदेश	98.18	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
जम्मू और कश्मीर	65.59	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
कर्नाटक	210.78	159.10
केरल	शून्य	शून्य
मध्य प्रदेश	16.27	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
महाराष्ट्र	1017.98	479.37
मणिपुर	11.49	11.49
मेघालय	36.50	36.50
मिजोरम	1.01	1.01
नागालैंड	10.15	10.15
उड़ीसा	888.87	335.01
पंजाब	167.48	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
राजस्थान	457.03	12.02
सिक्किम	1.98	1.98
तमिलनाडु	शून्य	शून्य
त्रिपुरा	0.41	0.41
उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य
पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.76	0.76
चंडीगढ़ प्रशासन	शून्य	शून्य
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	132.51	35.00
दादरा और नागर हवेली	0.59	0.59
दमन और दीव	शून्य	शून्य
लक्षद्वीप	शून्य	शून्य
पांडिचेरी	शून्य	शून्य

विवरण-III

(स्कूली शिक्षा में पर्यावरण प्रबोधन के संबंध में विवरण)

(लाख रु० में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कुल प्रदान की गई निधियां	उपयोग स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	15.13	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
अरुणाचल प्रदेश	1.80	– वही –
असम	16.63	– वही –
बिहार	1.80	– वही –
गोवा	2.15	– वही –
गुजरात	1.80	– वही –
हरियाणा	30.24	– वही –
हिमाचल प्रदेश	0.80	– वही –
जम्मू और कश्मीर	1.30	– वही –
केरल	2.80	– वही –
कर्नाटक	0.80	– वही –
मध्य प्रदेश	12.47	– वही –
महाराष्ट्र	4.80	– वही –
मणिपुर	12.20	– वही –
मेघालय	0.80	राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गई
मिजोरम	3.65	– वही –
नागालैंड	0.80	– वही –
उड़ीसा	7.80	– वही –
पंजाब	14.79	– वही –
राजस्थान	37.56	– वही –
सिक्कीम	0.80	– वही –
तमिलनाडु	4.00	– वही –
त्रिपुरा	3.88	– वही –
उत्तर प्रदेश	0.80	– वही –
पश्चिम बंगाल	0.80	– वही –
अंडमान और निकोबार	9.80	– वही –
चंडीगढ़	0.80	– वही –
दादर और नगर हवेली	0.80	– वही –
दिल्ली	4.11	– वही –
दमन और दीव	0.80	– वही –
लक्षद्वीप	1.60	– वही –
पांडिचेरी	3.64	– वही –
कुल	201.95	

विवरण-IV

(स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार के संबंध में विवरण)

(लाख रु० में)

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	कुल प्रदान की गई निधियां	उपयोग स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	593.12	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	—वही—
असम	904.30	—वही—
बिहार	शून्य	—वही—
गोवा	6.69	—वही—
गुजरात	शून्य	—वही—
हरियाणां	595.00	—वही—
हिमाचल प्रदेश	355.44	1995-96 तक 100 %
जम्मू और कश्मीर	233.55	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई
कर्नाटक	2224.06	—वही—
केरल	426.17	—वही—

1	2	3
मध्य प्रदेश	577.56	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई
महाराष्ट्र	1390.67	—वही—
मणिपुर	शून्य	—वही—
मेघालय	171.20	—वही—
मिजोरम	69.99	1995-96 तक 100%
नागालैंड	240.67	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई
उड़ीसा	654.62	—वही—
पंजाब	895.28	1995-96 तक 100%
राजस्थान	412.17	राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई
सिक्किम	0.53	—वही—
तमिलनाडु	0.71	—वही—
त्रिपुरा	407.10	—वही—
उत्तर प्रदेश	188.48	—वही—
पश्चिम बंगाल	शून्य	—वही—
अंडमान और निकोबार	4.25	—वही—
चंडीगढ़	1.13	—वही—
दादर और नगर हवेली	शून्य	—वही—
दिल्ली	196.38	—वही—
दमन और दीव	10.08	—वही—
लक्षद्वीप	7.62	—वही—
पांडिचेरी	1.00	—वही—
कुल	10567.77	

तेल उत्पादन

2903. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जून, 1997 के "दैनिक जागरण" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आगामी पांच वर्षों के दौरान देश के पेट्रोलियम क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के स्तर में गंभीर कमी आने की संभावना है;

(ख) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में आत्मनिर्भरता का स्तर 33 प्रतिशत तक गिरने की संभावना है;

(ग) आठवीं योजना अवधि के दौरान तेल उत्पादन के स्तर पर कितनी राशि व्यय की गई; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना के दौरान देश में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं दोहन पर लगभग 32066 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

(घ) नीचे दी गई तालिका आठवीं योजना के दौरान देश में कच्चे तेल के लक्ष्यों एवं उत्पादन को निर्दिष्ट करती है।

(आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1992-93	28.46	26.95
1993-94	27.17	27.026
1994-95	32.29	32.239
1995-96	36.296	35.147
1996-97	36.312	32.881•

•अनन्तिम

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम के मुकदमे पर व्यय

2904. **श्री वी०वी० राघवन : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के मुकदमों पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या गत वर्षों की तुलना में व्यय में कमी आई है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम मुकदमे के मामले में अधिवक्ताओं के लिए स्वीकार्य फीस के संबंध में कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का अनुसरण करता है;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के विधिक प्रकोष्ठ का पुनर्गठन करने से संबंधित कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारत पर्यटन विकास निगम के विधिक प्रकोष्ठ की छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख) मुकदमों पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:—

वर्ष	व्यय (रु० करोड़ों में)
1994-95	10.53
1995-96	16.30
1996-97	17.25 (अनन्तिम)

गत वर्ष की तुलना में, वर्ष 1996-97 के दौरान आंशिक रूप से व्यय में वृद्धि हुई है।

(ग) जी, हां। कम्पनी (अदालत) नियम, 1959 भारत पर्यटन विकास निगम पर लागू हैं। तथापि, इन नियमों में कम्पनी की मामला अदायगी को छोड़कर वकीलों की फीस की अदायगी के लिए विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं है।

(घ) और (ङ) फिलहाल, कानूनी कक्ष (लीगल सैल) का नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इसके रूप में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 पर बाइपास

2905. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 22 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1361 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 पर मलाकाय से पुनिबआरी बाइपास मार्ग तथा तोर्षा नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में 31 मार्च, 1997 तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या लक्षित तिथि अर्थात् मार्च, 1998 तक कार्य पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) 31 मार्च, 97 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजामार्ग सं० 31 पर फलकटा-पुंडिबारी बाइपास और तोर्षा नदी पर पुल के निर्माण से संबंधित प्रगति इस प्रकार है :—

बाइपास	तोर्षा पुल
50%	45%

(ख) और (ग) कार्य की नवीनतम प्रगति के अनुसार यह कार्य मार्च, 1998 की पूर्व निर्धारित तिथि के बजाए लगभग दिसम्बर, 1998 तक पूरा किया जाना है। यह विलम्ब कुछ संविदात्मक समस्याओं के कारण है।

भारतीय तेल निगम को पारादीप पत्तन पर शिकमी पट्टे पर भूमि देना

2906. श्री रनजीब बिसवाल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उड़ीसा में पारादीप पत्तन पर मंत्रालय को आवंटित भूमि को शिकमी पट्टे पर देने के बारे में अनुरोध किया है;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम से तेल सप्लाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए अनुरोध किया गया था;

(ग) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम के अनुरोध पर विचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पारादीप पत्तन प्राधिकरण द्वारा इस मामले में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) भारतीय तेल निगम को अपने तेल टर्मिनल के संस्थापन के लिए और पत्तन प्रचालन क्षेत्र से रेलवे साइडिंग को दूर हटाने के लिए पारादीप पत्तन पर 85 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान नीति के अनुसार भूमि को उप-पट्टे पर देने की अनुमति नहीं हैं।

[अनुवाद]

इनसैट उपग्रह

2907. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन०पी०एल०, नयी दिल्ली द्वारा इनसैट उपग्रह के माध्यम से भारतीय मानक समय (आई०एस०टी०) की शुरूआत को ध्यान में रखते हुए विमान पत्तन पर प्रयोग में लाई जाने वाली दीवार घड़ियां पुरानी हो गई हैं; और

(ख) भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा समय बताने वाली यह प्रणाली शुरू न करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, आकाशवाणी/राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रसारित समय के संदर्भ में दैनिक आधार पर, समय का नियतन करता है। हवाई अड्डों पर प्रयुक्त की जा रही दीवार घड़ियों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 और 6 का विस्तार

2908. श्री सुनील खान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 और 6 का विस्तार करने का प्रस्ताव है जो आराग्राम के एकदम बाद बाहारामुरी से गुजरते हुए और उसके बाद में मेजिया से होते हुए बांकुरा, रानीगंज की ओर मुड़ जाती है और फिर जी०टी० रोड से मिलती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक पूरा कर लिए जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सिंगापुर को यात्री पोत सेवा

2909. श्री ए०जी०एस० रामबाबू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंगापुर के लिये यात्री पोत सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) क्या किसी निजी कंपनी ने इसमें अरूचि दिखलाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक निजी नौवहन कंपनी मैसर्स आई०जी०जी० आई० रिजार्ट इंटरनेशनल, मद्रास को भारत, मलेशिया और सिंगापुर के बीच प्रचालन के लिए दो पुराने यात्री जलयान अधिग्रहण करने के लिए अगस्त, 1995 में अनुमति दी गई थी। तथापि, कंपनी ने सरकार की स्वीकृति को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह स्वीकृति व्यपगत भी हो चुकी है।

जी०टी० रोड, पानीपत

2910. श्री आई०डी० स्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पानीपत से गुजरने वाली जी०टी० रोड पर भीड़भाड़ बहुत अधिक हो गई है और राजमार्ग पर यातायात के धीमी गति से चलने के अलावा वहां पर कई धातक दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पानीपत पर राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति का सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यातायात की भीड़ को कम करने, घातक दुर्घटनाओं को रोकने और उस मार्ग पर यातायात को तेजी से चलने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) पानीपत कस्बे से गुजराने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग खंड पर यातायात के सुचारू रूप से चलने के लिए छह लेन की चौड़ाई वाला कैरिजवे और दोनों ओर सर्विस रोड हैं। तथापि, स्थानीय यातायात, वाहन खड़े कर दिए जाने और सर्विस रोड्स पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों के कारण कुछ भीड़-भाड़ रहती है। यातायात के उचित अनुशासन का प्रवर्तन और अन्य उपाय किए जा रहे हैं जिनके लिए राज्य के लो०नि०वि० को सर्वेक्षण और जांच पड़ताल संबंधी प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

राजघाट और बाणसागर परियोजना

2911. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट और बाणसागर परियोजनाओं को आपस में जोड़े जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों परियोजनाओं को आपस में जोड़ दिए जाने के कारण राजघाट बांध को आंशिक रूप से भरा नहीं जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इन दोनों परियोजनाओं को अलग रखने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। राजघाट और बाण सागर परियोजनाओं को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजघाट बांध परियोजना और बाण सागर बांध परियोजना बेतवा और सोन नदियों पर दो अलग परियोजनाएं हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में विदेशी पर्यटक

2912. श्री जयसिंह चौहान : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत आये;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पर्यटन विभाग द्वारा अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने पर्यटक गुजरात के दर्शनीय स्थलों को देखने गये;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में पर्यटन के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या स्वीकृत की गयी परियोजनाएं पूरी कर ली गयी हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान, भारत आए विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 2190334 थी। इसी वर्ष के दौरान, पर्यटन से, देश को 9185.88 करोड़ रु० की अनुमानित विदेशी मुद्रा आय हुई।

(ग) यह अनुमान है कि वर्ष 1995-96 के दौरान, गुजरात में पर्यटक

रूचि के स्थलों पर लगभग 3519 विदेशी पर्यटक आए।

(घ) से (छ) आठवीं योजना के दौरान, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गुजरात में 25 परियोजनाओं के लिए 190.58 लाख रु० स्वीकृत किए हैं। इनमें से 14 परियोजनाएं, पहले ही राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष कार्यान्वित की जानी है। कार्यान्वयन के अंतर्गत आठ परियोजनाएं केवल वर्ष 1996-97 के दौरान स्वीकृत की गई थीं।

मान्यता प्राप्त निजी संस्थान

2913. श्री लिंगाराज वल्याल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त कितने निजी तकनीकी संस्थान हैं;

(ख) क्या इन संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को रोजगार की सुरक्षा प्राप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शिक्षकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 268 प्राइवेट संस्थाओं को महाराष्ट्र में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम चलाने के लिए अनुमोदित किया है। इन संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदन की शर्तों में से एक शर्त यह है कि शिक्षक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की कर्मचारी संरचना, अर्हताएं, अनुभव और वेतनमान, आदि के अनुसार नियुक्त किए जाएं। अन्य सेवा शर्तें प्रत्येक संस्थान के नियमों के अनुसार होंगी।

[अनुवाद]

मिजोरम में रसोई गैस एजेंसी

2914. डा० सी० सिल्वेरा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम राज्य में समूचे लुग्लेई जिले में केवल एक ही रसोई गैस एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो इस एजेंसी द्वारा कुल कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार जनता की मांग और आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई गैस एजेंसियां खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ये एजेंसियां कब तक खोले जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) जी, हां।

(ख) 01 जुलाई, 1997 को एजेंसी की ग्राहक संख्या 2772 है।

(ग) और (घ) एल०पी०जी० विपणन योजना 1996-98 के माध्यम से मिजोरम के लुग्लेई जिले में दो एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने का प्रस्ताव है। चयन की निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप को आरम्भ करने के लिए आशय पत्र जारी होने के पश्चात सामान्यतया 6 से 12 माह तक का समय लगता है।

आन्ध्र प्रदेश में यात्री निवास

2915. श्री धर्मभिक्षम : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर गत तीन वर्षों से यात्री निवासों का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) उनके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) प्रत्येक मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान, भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को, निम्नलिखित स्थानों पर यात्री निवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है :—

क्र०सं०	स्थान	स्वीकृत राशि (रु० लाखों में)
1.	विशाखापत्तनम	45.75
2.	इराकू	29.91
3.	तिरूपति	39.86
4.	बसरा	16.63
5.	यादगिरि गुट्टा	39.34

(ग) और (घ) राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये परियोजनाएं निर्माण/पूर्णता की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक पूरी कर ली जाएंगी।

सरकारी आवासों का अस्थायी आवंटन

2916. श्री चमन लाल गुप्त : क्या रक्षा मंत्री 28 जुलाई, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 773 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत अस्थायी आवंटन की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या उक्त उत्तर के अनुबंध में निर्दिष्ट आवंटी (क्रमांक 1 से 5) अस्थायी आवंटियों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो अस्थायी आवंटन के आधार पर आवंटियों को किस आधार पर बेदखल किया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) "अस्थाई आवंटन" की कोई परिभाषा नहीं है। अधिनियम में केवल "अस्थाई अधिभोग" की परिभाषा है।

(ख) और (ग) संबंधित व्यक्तियों के विशेष अनुरोध पर उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए आवास का अस्थाई तौर पर आवंटन किया गया था तथा इस अवधि के समाप्त होने के बाद उन्हें अपना उक्त आवास खाली कर देना था। सक्षम प्राधिकारी ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 तथा 7 के तहत मकानों को खाली करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।

राज्यों के मध्य विवाद

2917. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के मध्य जल संबंधी विवादों का निपटारा नहीं हो पाया है;

(ख) क्या नेराडी के निकट वंशाधार नदी पर बराज के संबंध में 1961 से ही चला आ रहा विवाद उड़ीसा सरकार द्वारा निष्पादन लिया गया है तथा आन्ध्र प्रदेश द्वारा निष्पादन की स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधार हेतु किए गए समझौते की विषय वस्तु क्या है; और

(घ) वंशाधार नदी में बाढ़ नियंत्रण हेतु उड़ीसा द्वारा क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है तथा प्रस्तावित नेराडी बराज का कार्य आरम्भ किए जाने पर कितना क्षेत्र जल मग्न हो जाएगा?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) उड़ीसा और आन्ध्रप्रदेश के बीच जल-विवादों का निपटारा नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित वम्सधारा चरण-II के घटक नेराडी बराज से उड़ीसा में 1326 एकड़ भूमि के जलमग्न हो जाने की सम्भावना है जबकि उड़ीसा सरकार ने 106 एकड़ भूमि की संभावित जलमग्नता पर सहमति व्यक्त की है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नेराडी बराज को अनावश्यक बताते हुए फरवरी, 1996 में संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इस प्रकार उड़ीसा क्षेत्र में जलमग्नता दूर हो जायेगी। तथापि संशोधित प्रस्ताव पर उड़ीसा सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हुई है।

नेफ्था संघटक

2918. **श्री उद्धव बर्मन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैस क्रेकर में डालने के लिए नेफ्था का कौन सा घटक सर्वाधिक उपयुक्त होता है;

(ख) क्या असम में प्राय: कच्चे तेल से निकाला गया नेफ्था-गैस क्रेकर के लिए कम उपयुक्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

शैलजा समिति

2919. **श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री शान्ति लाल पुरूषोतम दास पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के संबंध में शैलजा समिति द्वारा की गई उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या स्वीकार की गई सभी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) अन्य सिफारिशों का क्या हुआ;

(ङ) कब तक उन्हें लागू कर दिया जाएगा; और

(च) दिल्ली में पदस्थापित उन शिक्षकों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है जिन्हें 1991-97 तथा 1997-98 के दौरान उक्त सिफारिशें लागू किये जाने से नाम पहुंचा है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) सैलजा समिति ने 49 सिफारिशें कीं। इस प्रतिवेदन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी है। कुछ सिफारिशों में संशोधन सहित सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। इन सिफारिशों में से 39 सिफारिशें कार्यान्वित कर दी गई हैं। शेष 10 सिफारिशों, अर्थात् संख्या 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 34, 45 तथा 48 पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(च) ये सिफारिशें विभिन्न शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय मामलों और कार्य विधि संबंधी मामलों से संबंधित हैं। उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण शिक्षकों तक पहुंचने वाले लाभों का परिमाणन नहीं किया जा सकता।

गैस एजेंसियों का आवंटन

2920. **श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आवंटित हुए गैस एजेंसियों में से कितनी प्रतिशत एजेंसियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को गैस एजेंसियां आवंटित करने के लिए कोटा पुन: जारी कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) से (घ) विद्यमान नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आवंटन के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (अ०जा०/अ०ज०जा०) के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। 01 अप्रैल, 1997 को मध्य प्रदेश में 308 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रचालन में थी। जिनमें 46 डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ०जा०/अ० ज०जा० श्रेणी की थी। यह 15 प्रतिशत होता है। कोटे में यह कमी मुख्यतया इस तथ्य के कारण है कि मध्य प्रदेश में कई डिस्ट्रीब्यूटरशिपें आरक्षण नीति आरम्भ होने के पहले ही खोली जा चुकी थीं।

देश के भिन्न-भिन्न भागों में जिनमें मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है, एल० पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने एक सतत प्रक्रिया है तथा मध्य प्रदेश में ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की 25 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूटरशिपें अ०जा०/अ० ज०जा० श्रेणी के लिए आरक्षित रहेंगी।

[अनुवाद]

प्रतिभा पलायन

2921. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** 28 जुलाई, 1997 के तारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 मई, 1997 के दि टाइम्स ऑफ इंडिया में "ब्रेन ड्रेन ए कॉज़ फॉर कंसर्न इन दि डी०आर० डी० ओ०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भारतीय उत्प्रवासियों के आंकड़े लेने के लिए अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, उच्च तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों तथा औद्योगिक घरानों के साथ समन्वित प्रयास करने का है, जिन्होंने मार्च, 1996 के अंत तक या तो नौकरी के लिए अथवा उच्च शिक्षा हेतु सदा के लिए भारत छोड़ दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिकों/इंजीनियरों की कुल संख्या के लगभग तीन प्रतिशत ने डी०आर०डी०ओ० से त्याग पत्र दिया है। जबकि वैज्ञानिकों/इंजीनियरों के लिए डी०आर०डी०ओ० में चुनौतीपूर्ण कार्य हैं फिर भी उनको एक कतिपय प्रतिशत बेहतर प्रतिपूर्ति (आकर्षक वेतन और परिलब्धियां) के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों में चला गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित कार्य योजना, 1992 के दृष्टिकोण से तथा कथित प्रतिभा पलायन एक अपरिहार्य विश्व घटना है और यह कोई खतरे का कारण नहीं है।

[हिन्दी]

नर्मदा परियोजना

2922. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा परियोजना के 1998 तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को नर्मदा बांध की ऊंचाई बदलने के लिए कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना को 2000 ईसवीं तक पूरा करने की योजना है।

(ग) से (ङ) जी, हां। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करने के प्रतिवेदन आए हैं। तथापि, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट द्वारा निर्धारित की गई है और पंचाट की वैधता अवधि 2024 ईसवीं तक है (वर्ष 1979 में राजपत्र-अधिसूचना के जारी होने के बाद 45 वर्ष)।

[अनुवाद]

माजुली द्वीप

2923. **डा० अरुण कुमार शर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 1996-97 के दौरान गाद हटाने के उपायों सहित असम में नदी प्रणाली में प्रशिक्षण देने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमि कटाव और बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या माजुली द्वीप की सुरक्षा के लिए चालू योजना अवधि के दौरान कोई विशेष योजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष में और चालू पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए आवंटित धनराशि सहित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के हाइड्रोलिक मॉडल स्टडी करने के लिए किसी एजेंसी से कहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 1996-97 के दौरान असम में जिया, भराली, चम्पामती, डिकरांग नदियों के लिए 4 संशोधित मास्टर योजनाएं तैयार की हैं। मास्टर प्लान में गाद हटाने के लिए उपयुक्त सुझाव दिए गए हैं।

संघ सरकार द्वारा नौवीं योजना दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (च) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने माजुली द्वीप समूह के संरक्षण के लिए मास्टर योजना तैयार करने के वास्ते सर्वेक्षण एवं अन्वेषण संबंधी कार्य आरंभ कर दिया है। बोर्ड माजुली द्वीप समूह के संरक्षण के लिए व्यावहारिक हल निकालने तथा एक विशिष्ट योजना तैयार करने के लिए माजुली द्वीप समूह पर ब्रह्मपुत्र खंड का माडल अध्ययन भी करेगा।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा माजुली पर ब्रह्मपुत्र नदी की नदी माडलिंग करने माजुली द्वीप समूह के खंड तथा द्वीप के लिए विस्तृत मास्टर योजना तैयार करने के लिए क्रमशः कुल 6065 लाख और 24.10 लाख रु० उपलब्ध कराए गए हैं।

जल संग्रहण के लिए पारम्परिक तरीके

2924. **श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल संग्रहण के लिए पारम्परिक तरीकों को पुनः अपनाने हेतु कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) राष्ट्रीय जल नीति (1987) में यह निर्धारित है कि जल

संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत एवं बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार, देश की वर्तमान जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन नीति मिश्रित विकल्पों पर आधारित है जिसमें जल संग्रहण की अन्य पारंपरिक प्रणालियों के अलावा गहरे/उथले नलकूपों और खुले कुंओं एवं सूक्ष्म वाटरशेड विकास स्कीमों के जरिए बड़े, मध्यम एवं छोटे सतही जल भंडारण व्यपवर्तन एवं लिफ्ट स्कीमें तथा भू-जल का विकास शामिल हैं उपर्युक्त उल्लिखित विकल्पों में प्रत्येक विकल्प का अपना-अलग महत्व है। अत: देश में जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं प्रबंधन के लिए इन सभी विकल्पों के विवेकपूर्ण प्रयोग की आवश्यकता है।

रसोई गैस एजेंसी

2925. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के नागपुर जिले में अनेक तेल निगमों की इस समय कार्यरत रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र की रसोई गैस की मांग को पूरा करने के लिए इस जिले में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या वर्तमान रसोई गेस एजेंसियां और अधिक रसोई गैस कनेक्शन जारी नहीं कर रही है जिससे वहां के लोगों को बहुत कठिनाइयां हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; सरकार वहां और अधिक रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए क्या कदम उठा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग

2926. **श्री बादल चौधरी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्रिपुरा के किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार द्वारा अगरतला-सबरूम मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 के अगरतला-चुराइबारी भाग को दो लेन वाला बनाने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अगरतला-सुबरूम सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर तक अन्य उन्नयन करने का कार्य अक्तूबर, 1996 के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा घोषित नए कार्यों में शामिल कर लिया गया है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने इस सड़क को उन्नयन के लिए सीमा सड़क संगठन को सौंपा है और कार्य प्रगति पर है।

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के अगरतला-चुराइबाड़ी खंड को चौड़ा करने का कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, के दौरान परस्पर प्राथमिकता और यातायात की मात्रा को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जाएगा।

नामांकन की पुन: शुरूआत

2927. **श्री मुरलीधर जेना :**
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री शान्तिलाल पुरूषोतम दास पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1991-92 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके संचालक मण्डल में तीन वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों की छह मान्यता प्राप्त एसोसियेशनों के प्रमुखों को नामांकित करने की प्रथा शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को दिसम्बर, 1994 में बंद कर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसे पुन: आरम्भ करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को नियुक्त करने हेतु सरकार को प्राधिकृत करने वाले उन नियमों के अनुसार जो इस समय केन्द्रीय विद्यालय संगठन में लागू थे, सरकार ने 1991 में तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन और इसके शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित किया था। परन्तु केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमों में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा इसके शासी बोर्ड के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघों के प्रमुखों को नामित करने का प्रावधान नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्कूल फीस

2928. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पब्लिक स्कूलों, केन्द्र सरकारी स्कूलों और दिल्ली सरकार के स्कूलों की संख्या कितनी है और उनमें स्कूलवार कितनी मासिक फीस ली जाती है और किन स्कूलों में चंदा लिया जाता है;

(ख) क्या पब्लिक स्कूल व्यापार का अच्छा स्रोत बन गये हैं और इनमें विद्यार्थियों से मनमाने ढंग से फीस एकत्र की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शिक्षा के उक्त व्यापारीकरण को रोकने और उसे नियंत्रित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार/दिल्ली

नगर निगम/नई दिल्ली नगर परिषद/रेल मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली में विद्यालय की संख्या निम्नलिखित है :–

	सरकारी	मान्यता प्राप्त प्राइवेट
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	970	689
दिल्ली नगर निगम	1756	418
नई दिल्ली नगर परिषद	99	3
रेलवे	2	–

(ख) से (घ) दिल्ली में मान्यता प्राप्त विद्यालय दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के अधीन संचालित किए जाते हैं। दिल्ली विद्यालय शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 के उपबन्ध का उल्लंघन करने के मामले में ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कर्रावाई की जाती है।

शुल्क संरचना की समीक्षा करने और मान्यता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों को नियंत्रित करने के वास्ते विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई सुझाने के लिए दिल्ली सरकार ने श्री जे० वीरा राघवन के अधीन एक समिति गठित की है।

गैस एजेंसी

2929. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयल, कानपुर, उत्तर प्रदेश की रसोई गैस एजेंसी के 1200 कर्मचारियों को प्रति माह गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया जाता है और इनमें से 900 सिलिंडर उपभोक्ता कोटे से लिए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सप्लाई अधिकारी ने उक्त दोषी गैस एजेंसी का पता लगाया है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अप्रयुक्त पेय जल

2930. **श्री हंस राज अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जल के निरंतर कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप देश के कई गांवों में अब तक पेय जल उपलब्ध नहीं है और भूमि का बहुत बड़ा भाग अप्रयुक्त पड़ा है और जिसके कारण बड़ी मात्रा में यह उपयोगी जल समुद्र में बेकार जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस कुप्रबंधन को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) सिंचाई एवं अन्य उद्देश्यों के लिए उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग के वास्ते पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से अनेक सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप देश की सिंचाई क्षमता जो कि पूर्व योजना अवधि में लगभग 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी वह वर्ष 1995-96 की समाप्ति तक बढ़कर 89.0 मिलियन हेक्टेयर (अस्थाई) हो गई।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना पर अध्ययन कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नदियों को परस्पर जोड़कर जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का स्थानान्तरण करने एवं नदी जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए संभावित स्थलों पर जलाशयों के निर्माण की परिकल्पना है। तथापि, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय बाधाओं आदि जैसे विभिन्न कारणों से उपलब्ध जल संसाधनों का पूर्ण उपयोग संभव नहीं हैं एकीकृत जल संसाधन विकास योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया है।

[अनुवाद]

हरियाणा को प्रबंधन का अंतरण

2931. **चौधरी रामचन्द्र बेंदा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा नहर के हरियाणा वाले हिस्से के प्रबंधन का उत्तर प्रदेश से हरियाणा सरकार को अंतरित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने 20 अक्तूबर, 1987 को हरियाणा को यह कहा था कि वह राज्य आगरा नहर के उन मुख्य चैनलों का पता लगाये जिनका नियंत्रण हरियाणा को अंतरित किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और केन्द्र शासित राज्य दिल्ली के मध्य 20 अक्तूबर, 1987 को दिल्ली में हुई सचिव स्तर की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हरियाणा सरकार प्रणाली का ब्यौरा दर्शाने वाला नवीनतम प्रस्ताव तैयार करेगी जिसमें उनके क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली आगरा नहर प्रणाली पर नियंत्रण संरचना जिसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हरियाणा में स्थानान्तरित करना चाहता है, भी शामिल है और वह इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए इसे उत्तर प्रदेश सरकार को भेजेगी ताकि वह हरियाणा सरकार को किसी टिप्पणी/प्रतिक्रिया से अवगत करा सके।

इस मुद्दे पर 26 मई, 1989 को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मध्य द्विपक्षीय आधार पर और तदनन्तर दोनों राज्यों के मध्य सरकारी स्तर पर अनेक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया था लेकिन उत्तर प्रदेश आगरा नहर के उपरोक्त हिस्से को हरियाणा को स्थानांतरित करने के हरियाणा के प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुआ।

उर्दू विरोधी अभियान

2932. **श्री जी०एम० बनातवाला : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के परीक्षा पत्र ने विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को यह पत्र लिखने के लिए

बाध्य कर दिया कि उर्दू में अध्यापन और शिक्षण निरर्थक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विश्वविद्यालय के साथ इस उर्दू विरोधी मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो विश्वविद्यालय की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और क्या विश्वविद्यालय का विचार इस मामले में कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय ने आदेश जारी किए हैं कि सभी संचालकों और पेपर सेंटर को आवश्यक निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी प्रश्नपत्र में ऐसा कोई प्रश्न/पैरा नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी सम्प्रदाय, जाति, पंथ, संस्कृति, भाषा, धर्म या समाज के किसी विशेष वर्ग के लोगों की भावनाओं को अनजाने में ठेस पहुंचे।

[हिन्दी]

पब्लिक स्कूलों के विरुद्ध ज्ञापन

2933. कुंवर सर्वराज सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पब्लिक स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ दिल्ली अभिभावक संघ ने कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है अथवा लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें मान्यताप्राप्त प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा शुल्क में असंगत वृद्धि, धन का दुरुपयोग, इत्यादि के सम्बंध में दिल्ली अभिभावक परिसंघ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है सरकार के शिक्षा निदेशालय ने तथ्यों का पता लगाने के लिए विशेष निरीक्षण किए हैं ताकि शिकायतों को दूर करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जा सकें।

[अनुवाद]

मेघालय में गुफा पर्यटन को बढ़ावा

2934. श्री अजमीरा चंदूलाल : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में एशिया की सबसे लम्बी गुफा का पता चला है;

(ख) क्या मेघालय में विभिन्न लम्बाई की अनेक अन्य गुफा और भी हैं;

(ग) इन गुफाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का राज्य सरकारों के सहयोग से मेघालय में गुफा पर्यटन को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जयन्तियां हिल्स जिले के लुम्श्नोंग में स्थित गुफाओं में से एक गुफा भारत की सर्वेक्षण की गई सबसे लम्बी गुफा बताई जाती है। विभिन्न लम्बाइयों की अन्य गुफाएं भी राज्य भर में बिखरी हुई हैं।

(घ) और (ङ) मेघालय में गुफा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1997-98 के दौरान वित्तीय सहायता हेतु दो गुफा परियोजनाएं अभिनिर्धारित की हैं। ये हैं : (1) गुफा साहसिक पर्यटन हेतु उपकरणों की खरीद; (2) चेरापूंजी में मांडल गुफा का प्रदीप्तिकरण करना। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने "डिस्कवर दि केव्स ऑफ मेघालय" नाम का एक ब्रोशर निकाला है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जल संकट

2923. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सागर शहर में भूमिगत जल स्तर के नीचे होने के कारण भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार जल की कमी से निपटन के लिए अन्य उपायों के साथ राजघाट परियोजना को कब तक पूरा करने का है;

(ग) क्या गढ़ पर्रा के निकट मोतीलाल में बांध का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं। केन्द्रय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए दीर्घकालीन प्रेक्षण के अनुसार सागर नगर में भूजल के स्तर में 4.91 मीटर की गिरावट देखने में आई हैं सागर ब्लॉक में भूजल के विकास का वर्तमान स्तर केवल 30.52 प्रतिशत है और यह क्षेत्र "खेत" ब्लॉक की श्रेणी में आता है।

(ख) बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना यूनिट-I (बांध) के पूरे होने की निर्धारित तिथि जून, 1998 है इस परियोजना (नहर) की यूनिट-II को नौंवीं योजना में पूरी किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार बेवास नदी पर एक पयेजल आपूर्ति परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार के पास निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

2936. श्री कचरु भाऊ राउत :
श्री एन०जे० राठवा :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय के अधीन विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद किस तिथि से रिक्त हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन पदों को भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पट पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मोटर वाहन अधिनियम, 1993 को कार्यान्वित करना

2937. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1993 और उक्त अधिनियम की धारा 97 का कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) मोटर वाहन अधिनियम 1993 तथा उसकी धारा 97 में किन-किन मुख्य नियमों का उल्लेख किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) मोटर वाहन अधिनियम, 1993 जैसा कोई अधिनियम नहीं है इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के कोई मुख्य नियम नहीं है क्योंकि ऐसा कोई अधिनियम ही नहीं है।

सरकारी निधियों पर संसद का नियंत्रण

2938. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री शान्तिलाल पुरषोत्तमदास पटेल :
श्री बी०के० गढ़वी :

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 मई, 1997 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पार्लियामेंट हैज नो कंट्रोल ओवर 80% आफ द गवर्नमेंन्ट फंड्स" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में मुख्यतया भारी सरकारी व्यय, जिसे भारत की समेकित निधि पर "भारित" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और मार्च में व्यय की बड़ी मांग के भार का उल्लेख किया गया है। भारित व्यय के लिए विधिसम्मत बजट प्रावधान किए जाते हैं और तब भी ये संसद की स्वीकृति के अधीन नहीं होते, भारित व्यय को विनियोग विधेयक में शामिल किया जाता है जिसे संसद अनुमोदित करती है।

मार्च में व्यय के भार के संबंध में मंत्रालयों/विभागों को यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही अनुदेश हैं कि पूरे वर्ष के लिए बजटीय व्यय का समान रूप से विस्तार करें ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय व्यय के भार से बचा जा सके। तथापि, व्यय की ऐसी मदें अप्राधिकृत नहीं होती हैं क्योंकि विनियोग अधिनियम के अनुसार बजट में स्वीकृत प्रावधान से ही इनका व्यय किया जाता है।

[हिन्दी]

भारतीय वायुसेवा के बिहटा हवाई अड्डे पर जासूसी की घटना

2939. श्री ललित उरांव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वायुसेवा के बिहटा हवाई अड्डे पर कोई जासूसी की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) क्या पूछताछ के दौरान कोई महत्वपूर्ण सुराग मिला है; और

(घ) यदि नहीं, तो जासूसी को ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, 20 अगस्त, 1996 को कॉलेज के एक छात्र ने वायुसैनिक के छद्मवेश में वायुसेना स्टेशन, बिहटा में घुसने का प्रयास किया जिसे पकड़कर सिविल पुलिस के हवाले कर दिया गया था।

[अनुवाद]

मिट्टी का तेल

2940. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मिट्टी के तेल पर राज सहायता के रूप में बहुत अधिक धनराशि व्यय कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ राज्यों के बड़े शहरों में तो मिट्टी का तेल वितरित किया जा रहा है लेकिन गरीब ग्रामवासियों को इसकी उपयुक्त रूप से पूर्ति नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के तेल में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या मिट्टी का तेल डीजल तेल में मिलाया जा रहा है और उन धनी लोगों को भी मिट्टी का तेल दिया जा रहा है जिनके पास गैस के कनेक्शन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) मिट्टी तेल पर दी जाने वाली राजसहायता तेल पूल लेखे की व्यवस्था के माध्यम से पूरी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान मिट्टी तेल पर दी गई अनुमानित राजसहायता नीचे दी गई है :

	करोड़ रुपए	रुपए/लीटर
1994-95	3740	3.39
1995-96	4190	3.69
1996-97	6350	5.18

(ख) से (ङ) मिट्टी तेल कमी वाला उत्पाद है और यह कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का केवल थोक आवंटन करती है। राज्य के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसका खुदरा वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिट्टी तेल प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों के वितरण और हकदारी के स्तर का निर्धारण भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

डीजल में मिट्टी तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए फिल्टर पेपर परीक्षण, मिट्टी तेल की फरफुरल डोपिंग, घनत्व परीक्षण, मिट्टी के तेल को नीला रंगने और तेल कंपनियों और संयुक्त उद्योग दलों के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा अचानक निरीक्षण जैसे उपाय किए जाते हैं। राज्य सरकार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी निरीक्षण किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विज्ञान शिक्षा अनुसंधान हेतु निधि

2941. डा० रमेश चंद तोमर :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए पार्याप्त धनराशि और सहायता प्रदान नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त कार्यों के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्षवार विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) देश में विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों पर वास्तविक रूप से कितनी राशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस कार्य के लिए वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान क्रमश: 17.50 करोड़ रु० की राशि प्रदान की थी। जिसे 1997-98 में बढ़ाकर 28.00 करोड़ रु० कर दिया गया है। तथापि, संसाधनों की कमी की वजह से इस संबंध में विश्विद्यालयों की सभी मांगों को सर्वदा पूर्ण रूप से पूरा करना संभव नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

2942. श्री बच्ची सिंह रावत "बचदा" : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही पेंशन और सुविधाओं में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सुविधा उनके आश्रितों को भी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) भारत की स्वाधीनता के 50वें वर्ष के दौरान सरकार को इस आशय के अनेक मांग पत्र प्राप्त हुए हैं कि वर्ष 1980 के स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाओं के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को प्रदान की जा रही पेंशन को बढ़ाया जाय। केन्द्रीय सरकार ने 10 जुलाई, 1997 को स्वतंत्रता सेनानियों की विभिन्न समस्याओं की जांच करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की थी। संयुक्त समिति की बैठक 28 जुलाई, 1997 को हुई और इसने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को प्रदान की जा रही स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में वृद्धि करने सहित अनेक सिफारिशें की। सरकार इन सिफारिशों पर सक्रियता से विचार कर रही है।

गंगा नदी द्वारा भूक्षरण

2943. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने गंगा नदी द्वारा भूक्षरण को रोकने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने उपुर्यक्त भूक्षरण रोकने के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, पश्चिम बंगाल के माल्दा एवं मुर्शिदाबाद जिलों में गंगा/पद्मा नदी से होने वाली भू-क्षरण समस्या का अध्ययन करने एवं आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए योजना आयोग द्वारा सितम्बर, 1996 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा संघ सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ) गंगा नदी के भू-क्षरण समस्या का सामना करने के लिए गंगा बेसिन राज्यों की सरकारें समस्या की गंभीरता तथा निधि की उपलब्धता के आधार पर अपने भू-भाग में योजना बनाते हैं तथा सुरक्षात्मक उपायों को कार्यान्वित करते हैं।

विश्व बैंक ऋण

2944. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु भारत ने विश्व बैंक से कोई ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी नियम तथा विनियम क्या हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान प्रयुक्त उक्त ऋण राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां। विश्व बैंक असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल राज्य में 23 जिलों को शामिल करने वाले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-I को 7 वर्षों की अवधि के लिए 260.3 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता राशि प्रदान कर रहा है और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चरण-II के अन्तर्गत 11 राज्यों अर्थात असम

हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 70 जिलों को 450.8 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि (425 मिलियन अमरीकी डालर की आई०डी०ए० क्रेडिट (उधार) राशि तथा नीदरलैंड सरकार से सह वित्त पोषण प्रबंध के रूप में 25.8 मिलियन अमरीकी डालर की अनुदान राशि) प्रदान कर रहा है। विश्व बैंक राज्य क्षेत्र में 7 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को भी 165 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता प्रदान कर रहा है।

(ख) यह सहायता विश्व बैंक द्वारा मानक शर्तों के आधार पर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से उदार ऋण के रूप में प्रदान कराई गई है।

(ग) दिनांक 31 मार्च, 1997 तक विश्व बैंक से किए गए व्यय/प्रतिपूर्ति के दावे का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-I

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	31.3.97 तक संचयी व्यय	विश्व बैंक से प्राप्त प्रतिपूर्ति
1.	असम	27.07	24.20
2.	हरियाणा	27.45	24.60
3.	कर्नाटक	34.216	30.53
4.	केरल	22.40	20.35
5.	महाराष्ट्र	47.05	41.92
6.	तमिलनाडु	24.70	22.23
7.	राष्ट्रीय घटक	11.80	11.80
	कुल जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	194.73	175.63
8.	उत्तर प्रदेश	352.20	305.00
	कुल डी०पी०ई०पी० तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना	546.93	480.96

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-II

(रु० करोड़ में)

क्र० सं०	राज्य	31.3.97 तक संचयी व्यय	विश्व बैंक से दावा की गई प्रतिपूर्ति
1.	हिमाचल प्रदेश	1.59	1.34
2.	उड़ीसा	0.69	0.59
3.	गुजरात	1.92	1.58
4.	हरियाणा	0.25	0.24
5.	कर्नाटक	0.11	0.10
	कुल	4.56	3.85

[अनुवाद]

तेल टैंकरों की खरीद

2945. श्री शरत पटनायक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया का विचार विदेशों से तेल टैंकर खरीदने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय नौवहन निगम (एस०सी०आई०) का प्रस्ताव है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 410 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश से 6 क्रूड आयल टैंकरों और 6 प्रोडक्ट टैंकरों का अधिग्रहण किया जाए।

पोतों के अधिग्रहण के लिए, भा०नौ०नि० द्वारा विश्व-स्तरीय निविदाएं जारी की जाती हैं और सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सर्वाधिक प्रतियोगी पेशकश वाले शिपयार्ड को आर्डर दे दिया जाता है।

[हिन्दी]

आरक्षण नीति को क्रियान्वित नहीं किया जाना

2946. श्री इलियास आजमी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड, असम में कोई भी अधिकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य अल्पसंख्यक वर्ग से नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयल इंडिया लिमिटेड में आरक्षण नीति लागू नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इस नीति को यहां कब तक लागू कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) आयल इंडिया लिमिटेड, असम के अधिकारियों में अ०जा०/अ०ज०जा०, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य अल्प संख्यक समुदायों के अधिकारी है। 30 जून, 1997 को उनकी संख्या निम्नवत् है :—

अ०जा०	76
अ०ज०जा०	58
अन्य पिछड़े वर्ग	19
अल्प संख्यक	91

(ख) से (घ) आयल इंडिया लिमिटेड में अ०जा०/अ०ज०जा० तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति सरकारी निर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जा रही है।

इंडियन एयर लाइन्स के विमानों में प्रकाशन का वितरण

2947. श्री सुख लाल कुशवाहा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस के विमानों में "स्वागत" और नमस्कार"

पत्रिकाओं के प्रकाशन और वितरण संबंधी व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पत्रिकाओं का प्रकाशन और वितरण सरकारी विभाग द्वारा सम्भव हो पाने पर भी निजी कंपनी को सौंपे जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) जनहित में इन पत्रिकाओं के प्रकाशन और वितरण का कार्य निजी पार्टी से सरकारी विभाग को अंतरित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने अप्रैल, 1994 में, मैसर्स मीडिया ट्रांसेशिया के साथ हर महीने "स्वागत" की 60,000 प्रतियों के मुद्रण और इनकी निःशुल्क आपूर्ति का ठेका किया। इसके अतिरिक्त प्रकाशक इंडियन एयरलाइन्स को हर महीने 8.75 लाख रुपए संविदा-शुल्क के रूप में अदा कर रहे हैं। मैसर्स मीडिया ट्रांसेशिया के साथ वह ठेका जून, 1994 से मई, 1999 तक 5 वर्ष के लिए है।

(ख) ठेका देने से पूर्व, इंडियन एयरलाइन्स ने अग्रणी प्रकाशकों से क्वोटेशन मांगे थे। इसकी प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर मैसर्स मीडिया ट्रांसेशिया को ठेका दिया गया था।

(ग) चूंकि ठेका मई, 1999 तक वैध है तथा इंडियन एयरलाइन्स प्रकाशक की व्यवस्था से संतुष्ट है इसलिए यह काम किसी अन्य अभिकरण को देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है। "नमस्कार" एयर इंडिया की पत्रिका है, इंडियन एयरलाइन्स की नहीं।

पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

2948. **श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्वदेशी उत्पादन द्वारा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी प्रतिशत मांग की पूर्ति होती है;

(ख) स्वदेशी स्रोतों से आगामी तीन वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत मांग की पूर्ति की जाएगी; और

(ग) निरन्तर बढ़ते हुए आयात को ध्यान में रखते हुए तथा देश की आवश्यकता को पूरा किए जाने हेतु पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी उत्पादन से पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की पूरी की गई वर्षवार मांग का प्रतिशत निम्नानुसार है :

		प्रतिशतता
वर्ष	पेट्रोल	पेट्रोलियम उत्पाद
1994-95	पूरा	82.1
1995-96	95.3	77.7
1996-97	94.5	78.4

(ख) योजना के अनुसार शोधन क्षमता के कार्यान्वित हो जाने के आधार पर स्वदेशी स्रोतों से अगले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की पूरी की जाने वाली अनुमानित मांग का प्रतिशत निम्नानुसार है:—

		प्रतिशत
वर्ष	पेट्रोल	पेट्रोलियम उत्पाद
1998-99	86.2	68.4
1999-00	87.4	69.3
2000-01	पूर्ण	84.9

(ग) सरकार ने व्यर्थ उपयोग को रोकने और उपयोग की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए विभिन्न संरक्षण उपाय अपनाने को बढ़ावा देने के द्वारा पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण करने के लिए विभिन्न उपाय किए है। विभिन्न संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में यह क्रियाकलाप शामिल है- बहु माध्यम जन जागृति अभियान, व्यर्थ क्रियाकलापों को रोकने के लिए उपायों को बढ़ावा देना और उपस्कर यंत्रों तथा वाहनों की तेल उपयोग प्रभावकारिता में सुधार करना, ऊर्जा जांच और ईंधन तेल उपयोग अध्ययन आयोजित करना, ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, माडल डिपो परियोजनाएं, प्रदर्शन क्लीनिक/कार्यशालाएं/प्रदर्शनियां/उपभोक्ता बैठकें आयोजित करना, विभिन्न अंत्य उपयोगों में तेल के उपयोग की प्रभावकारिता में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप आयोजित करना। तेल के आयात व्यय को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार और संयुक्त क्षेत्र व निजी क्षेत्र में रिफाइनरियों की स्थापना करके रिफाइनरी की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे है। निजी क्षेत्र में मिट्टी तेल, एल०पी०जी० और एल०एच०एच०एस० के आयात और समानांतर विपणन की भी अनुमति दे दी गई है, ताकि इन उत्पादों की उपलब्धता में सुधार किया जा सके। उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, नए क्षेत्रों के विकास, वर्तमान क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास और अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी पूंजी आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस एजेंसी

2949. **कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान में रसोई गैस एजेंसियां खोलने की कोई मांग प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन एजेंसियों के किन-किन स्थानों पर खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं और इन रसोई गैस एजेंसियों को कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) जी हां।

(ख) माननीय सदस्य से राजस्थान में जैसलमेर नगर, बाड़मेर नगर, पोखरण और पचपादरा में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए एक अनुरोध हाल ही में प्राप्त हुआ है।

(ग) पोखरण और पचपादरा स्थानों को विपणन योजना में शीघ्र शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। अन्य दो स्थानों में व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन विज्ञापन किए जाने के बाद डीलर चयन बोर्ड द्वारा किया जाना है। डिस्ट्रीब्यूटर के चयन के बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करने में लगभग एक

वर्ष का समय लग जाता है।

[हिन्दी]

लंबित प्रस्ताव

2950. **डा० राम विलास वेदान्ती : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेडियम और खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित किए जाने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रस्तावित अनुदान सहित ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

युद्ध विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र

2951. **श्रीमती शीला गौतम :**
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध विधवाओं के लिए देश में कितने पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए तथा राज्यवार ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए गए हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान जुलाई, 1997 के अंत तक इन केन्द्रों को आवंटित की गई धनराशि का क्या ब्यौरा है तथा इन केन्द्रों की क्या गतिविधियां हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के अनुचित कार्यपालन के संबंध में कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (घ) देश में रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास/प्रशिक्षण सहित उत्पादन केंद्रों तथा उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन केंद्रों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने सैनिक कल्याण विभागों के माध्यम से खोला जाता है तथा ये उनके अधीन ही कार्य करते हैं। इन केन्द्रों को उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारें/राज्य सैनिक बोर्ड धनराशियां देती हैं।

विगत दो वर्षों के दौरान लैंसडोन में स्थित केवल एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र ने निधियों के आवंटन के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड से अनुरोध किया है। इस केंद्र को केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा निम्नलिखित धनराशियां प्रदान की गई हैं :-

1995-96	31,198 रुपये
1996-97	28,374 रुपये
अप्रैल से जुलाई, 1997	10,923 रुपये

केंद्र सरकार को इन केंद्रों के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण

रक्षा कार्मिकों तथा भूतपूर्व सैनिको की विधवाओं के लिए पुनर्वास/प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र

क्र०सं०	राज्य	प्रशिक्षण केंद्र का नाम तथा स्थान	संचालित पाठ्यक्रम
1.	मिजोरम	प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, आइजोल, लुंगलेई	टंकण व आशुलिपि बाँस तथा बेंत का कार्य
2.	उत्तर प्रदेश	प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र, लैंसडोन रानीखेत	स्टिचिंग, बुनाई व टंकण शाल व वैंडेज की बुनाई
3.	बिहार	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पटना, आरा, रांची तथा चाईबासा	वस्त्र सिलाई व टंकण
4.	राजस्थान	भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खींजा, खास तेना, इन्द्रोक, सिंघसन व झुन्झूनूं	सिलाई, बुनाई पापड़ व बीड़ी बनाना
5.	उत्तर प्रदेश	सैनिक महिला प्रशिक्षण एवम् उत्पादन केन्द्र, पौड़ी गढ़वाल	स्टिचिंग, सिलाई व बुनाई
6.	हरियाणा	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, पंचकुला, रिवाड़ी, छछरोली दादरी, झज्जर, हिसार तथा रोहतक।	कंप्यूटर प्रोग्रैम्रिंग, आशुलिपि, ग्लास कटिंग, हाथकरघा तथा कालीन बुनाई, हौजरी, सिलाई तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग
7.	महाराष्ट्र	व्यावसायिक उत्पादन केंद्र, सतारा	वूडेन फर्नीचर, चारपाई स्टील रैक्स वर्क्स तथा वेड शीट व तौलिया का काम
8.	सिक्किम	राजकीय कुटरी उद्योग संस्थान गंगटोक	कालीन बुनाई, हाथकरघा, कारपटी, वूडेन फर्नीचर कार्विंग, आर्ट, बुनाई, सिलाई, कटिंग, बुनाई तथा बेंत का काम।

अध्यापन का स्तर

2952. **श्री शिवराज सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों में अध्यापन के स्तर में सतत् गिरावट आने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसमें सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) क्या इन शैक्षिक संस्थानों के अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) नवोदय विद्यालय समिति ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में नवोदय विद्यालयों में शिक्षण के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुम्बई हाई प्राकृतिक गैस संयंत्र

2953. **श्री चिन्तामन वानगा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दहाऊन स्थित बी०एस०ई०एस० ताप संयंत्र को मुम्बई हाई से प्राकृतिक गैस प्रदान करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस

2954. **प्रो० प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1997 तक कुल कितने प्रतिशत प्राकृतिक गैस का उपयोग किया गया;

(ग) शेष गैस के कितने प्रतिशत का उपयोग किये जाने का आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस अनुमानित अप्रयुक्त गैस का उपयोग करने हेतु कोई समयबद्ध योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) मार्च, 1997 तक देश में उपयोग की गई प्राकृतिक गैस का प्रतिशत लगभग 93.5 प्रतिशत है।

(ग) से (ङ) शेष गैस निम्नलिखित कारणों की वजह से जलाई गई है :

(1) क्षेत्र के कार्यों की तकनीकी अपेक्षाएं।

(2) अलग-थलग संरचनाओं की वह गैस जिसे मुख्य गैस ग्रिड के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ऐसा करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(3) उपभोक्ताओं द्वारा कम खरीद; और

(4) संपीड़न और परिवहन सुविधाओं की कमी।

ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० ने अतिरिक्त गैस संग्रहण और संपीडन सुविधाओं के सृजन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनके परिणामस्वरूप दहन, जो 7वीं योजना में 30 प्रतिशत था, वह वर्तमान में लगभग 6.5 प्रतिशत तक कम हो गया है। जलाई जा रही गैस की मात्रा में और अधिक कमी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

लाभ का हिस्सा

2955. **श्री उत्तम सिंह पवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1994 में निजी क्षेत्र को सौंपे गए तेल क्षेत्रों और एक्सप्लोरेशन ब्लाक्स से प्राप्त हुए अपने लाभांश को तेल कंपनियों को देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक तेल कंपनी को कितनी धनराशि दिए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश में भूकम्प

2956. **श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में आये भूकम्प से मंत्रालय के विभागीय आवास, कुछ मुख्यालयों, कार्यालयों तथा यूनिटें क्षति ग्रस्त हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेना द्वारा भूकम्प प्रभावित कस्बों और गांवों में कोई राहत और सहायता कार्य किया गया था, यदि हां, तो किए गए राहत कार्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अनेक रक्षा यूनिटों में उत्पादन कार्य रुक गया है और यदि हां, तो उन यूनिटों में उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या उन्होंने और तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से किसी एक ने उन स्थानों और कस्बों का दौरा किया था और जांच की थी; और

(च) यदि हां, तो जांच करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस-किस तारीख को किस-किस स्थान की जांच की थी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1. जबलपुर में चार आयुध निर्माणियां है। इनमें से दो निर्माणियों और उनकी एस्टेट अर्थात् आयुध निर्माणी, खमरिया व तोपगाड़ी निर्माणी जबलपुर को लगभग 94 करोड़ रुपए की हानि हुई। आयुध निर्माणी, खमरिया के लगभग एक सौ (100) व्यक्ति इस भूकंप में घालय हुए जिनमें से सात (7) गंभीर रूप से घायल हुए थे। जबलपुर स्थित दो अन्य आयुध निर्माणियों अर्थात् वाहन निर्माणी और ग्रे आयरन फाउंडरी में भूकम्प का मामूली प्रभाव हुआ था। गुणता आश्वासन महानिदेशालय के जबलपुर और खमरिया स्थित कई कार्यालयों में भूकम्प के कारण क्षति हुई थी। उनकी मरम्मत पर लगभग 79.80 लाख रुपए के व्यय का अनुमान है। खमरिया जबलपुर स्थित हवाई आयुध निरीक्षण विंग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय भवन और घरेलू परिसर भी भूकम्प से प्रभावित हुए थे।

2. जबलपुर में आए भूकम्प को देखते हुए सिविल प्राधिकारियों को सेना की निम्नलिखित सहायता उपलब्ध कराई गई थी :—

(क) घटनास्थल पर सहायता के लिए एक सैन्य टुकड़ी भेजी गई थी;

(ख) सिविल प्रशासन के अनुरोध पर 30 अन्य रैंकों ने मेडिकल कालेज, जबलपुर में रक्त दान दिया;

(ग) शल्य चिकित्सकों का एक दल सहायता के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा गया था;

(घ) ट्रकों, ट्रॉलियों और पानी के ट्रकों से मेडिकल कालेज को पानी उपलब्ध कराया गया।

(ङ) चिकित्सा सहायता के लिए दो चिकित्सा दल उपलब्ध कराए गए, 10 सैन्य टुकड़ियां भेजी गई जिन्हें चिकित्सा सहायता, राहत और बचाव कार्य, भोजन व जल उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था।

वैट लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट

2957. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया द्वारा विमानों को वैट लीजिंग पर लेने के क्या कारण हैं;

(ख) केरिब जेट का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई आर्थिक मूल्याकंन किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एयर इंडिया द्वारा केरिब जेट को परिचालित करने से कुल कितना घाटा उठाया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती नटराजन) : (क) एयर इंडिया ने अपने स्वयं के विमान प्राप्त करने में सक्षम होने तक, मार्केट अवस्थिति में वृद्धि और विस्तार के लिए विमान पट्टे पर लिये थे।

(ख) विमान मालिकों/प्रचालकों से 1994 में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, एयर इंडिया ने केरिब जेट का चयन किया जिसने एयरलाइन की उस समय की आवश्यकता पूरी की।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अनुमानित हानि लगभग 201.57 करोड़ रुपए हैं अपने विमान के प्रचालन में नागर विमानन अपेक्षाओं का उल्लंघन किये जाने पर, एयर इंडिया ने 4.9.1996 से केरिबजेट से पट्टा करार को समाप्त कर दिया था।

शुक्ला समिति

2958. लेफ्ट० जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा गठित शुक्ला समिति ने तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों के लिए उच्च वेतन और बेहतर कार्यदशाओं की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने भारत सरकार से शुक्ला समिति की रिपोर्ट के मामले में अभी तक कोई सम्पर्क नहीं किया है।

[हिन्दी]

खेल परिसंघ/खिलाड़ियों को सुविधाएं

2959. श्री राजकेशर सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेल परिसंघों तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु नए निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस तिथि से नए निदेशों का अनुपालन किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय खेल परिसंघों की सहायता के लिए हाल ही में मार्ग-निर्देशों को संशोधित किया गया है। संशोधित योजना का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ये मार्ग-निर्देश 10 जुलाई, 1997 से प्रभावी हो गए हैं।

विवरण

1. नये मार्ग-निर्देशों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(1) खेलों के संवर्धन में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका तथा जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है;

(2) सरकारी सहायता के लिए खेल विधाओं को प्राथमिकता दी गई है;

(3) वित्तीय सहायता के लिए मामलों पर कार्रवाई करते समय खेल विधा संबंधी विशिष्ट परियोजना दृष्टिकोण अपनाया जाएगा;

(4) दीर्घावधिक विकास योजनाओं (एल०टी०डी०पी०) की तैयारी तथा विकास योजनाओं की वार्षिक मंजूरी के मार्ग-निर्देश सरल बना दिए गए हैं तथा परिसंघों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक लचीलेपन की सुविधा प्रदान की गयी है;

(5) राष्ट्रीय खेल परिसंघों, विभाग तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच त्रिपक्षीय समझौतों को कार्यान्वित किया जाना है ताकि बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके;

(6) परिसंघों के प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रबंध के व्यावसायीकरण तथा उन्नयन पर जोर दिया जाएगा;

(7) खिलाड़ियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर बल दिया गया है;

(8) उचित तथा सुस्पष्ट लेखों का रख-रखाव सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत सनदी लेखाकारों की नियुक्ति पर बल दिया जाएगा;

(9) खेल प्रवर्तकों की भूमिका, विशेष रूप से प्रतियोगिता के प्रबंधन को मान्यता दी जाएगी; और

(10) परिसंघों को धनराशि का प्रवाह विभाग की विभिन्न सतत योजनाओं तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों को अनुदान की योजना से किया जाएगा।

2. राष्ट्रीय चैंपियनशिपों तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों के आयोजन हेतु सहायता का स्तर भी बढ़ा दिया गया है। संशोधित मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत, राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के आयोजन हेतु परिसंघों को सरकारी सहायता की अधिकतम सीमा, सिनियरों हेतु 1.00 लाख रुपये (पुरुषों एवं महिलाओं), जूनियरों हेतु 2.00 लाख रुपये (लड़के एवं लड़कियां) और सब-जूनियरों हेतु 3.00 लाख रुपये (लड़के एवं लड़कियां) होगी। यदि पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पृथक-पृथक चैंपियनशिप आयोजित की जाती है तो कुल अनुदान का केवल 50 प्रतिशत ही स्वीकार्य है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामैंटों जैसे विश्वकप/ विश्व, राष्ट्र मंडल, एशियाई चैंपियनशिपों के लिए 5.00 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी और अन्य टूर्नामेंटों के लिए 3.00 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

3. अलग-अलग खेल विधाओं को तीन श्रेणियों अर्थात् ''क'', ''ख'' और ''ग'' में बांटा गया है। श्रेणी ''क'' में 7 खेल विधाएं शामिल हैं जो ओलंपिक्स, राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों में शामिल हैं और जहां हमारी टीमों तथा अलग-अलग खिलाड़ियों के पास आगामी प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के काफी अच्छे अवसर हैं। श्रेणी ''ख'' में 13 खेल विधाएं रखी गयी हैं जो कि ओलंपिक्स, राष्ट्रमंडल तथा एशियाई खेलों में शामिल हैं और जिनमें हमारे खिलाड़ियों के पास प्रमाणित क्षमता है परंतु अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्तरों के बराबर नहीं है। अन्य खेलों को जोकि उपरोक्त ''क'' और ''ख'' में शामिल नहीं है, श्रेणी ''ग'' में रखा गया है। खेल विधाओं की श्रेणी-वार सूची सलग्न अनुबंध में दी गई है।

4. प्रशिक्षण शिविरों/अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी आदि में शामिल करने हेतु खिलाड़ियों का चयन करने के लिए चयन समिति के गठन में संशोधन किया गया है। समिति का प्रधान संबंधित खेल परिसंघ का अध्यक्ष होगा, जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ का प्रतिनिधि, राष्ट्रीय प्रशिक्षक तथा प्रसिद्ध भूतपूर्व खिलाड़ी सदस्यों के रूप में सम्मिलित होंगे। तथापि, चयनसमिति की बैठकों के दौरान एक सरकारी प्रेक्षक भी उपस्थित रहेगा।

5. संशोधित मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत, श्रेणी ''क'' और ''ख'' में आने वाले परिसंघ, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए पैनल में से एक राष्ट्रीय प्रशिक्षक नियुक्त कर सकेंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षक के वेतन आदि के वेतन पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 15,000/- रुपये तक की सहायता परिसंघ को प्रतिमाह अदा की जाएगी।

6. नये मार्ग-निर्देशों में खेल परिसंघों को मान्यता देने एवं साथ ही साथ विशिष्ट परिस्थितियों में मान्यता के स्थगन/वापस लेने और शर्तें भंग होने की सूरत में विस्तृत प्रक्रिया की व्यवस्था की गयी है।

7. अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के अलावा, सरकार श्रेणी ''क'' और ''ख'' में सूचीबद्ध खेल विधाओं के लिए ओलंपिक्स, विश्व, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेल चैंपियनशिपों जिसमें उपरोक्त चैंपियनशिपों के लिए प्री-क्वालीफाइंग टूर्नामेंट भी शामिल हैं, भोजन एवं आवास पर होने वाले खर्च को वहन करेगी।

अनुबंध

खेल विधाओं की श्रेणी-वार सूची

श्रेणी – क

1. एथलेटिक्स
2. मुक्केबाजी
3. हाकी (पुरुष)
4. निशानेबाजी
5. भारोत्तोलन
6. तीरंदाजी
7. वालीबाल

श्रेणी – ख

1. बैडमिंटन
2. फुटबाल
3. गोल्फ
4. हाकी (महिला)
5. जूडो
6. तैराकी
7. स्क्वैश
8. टेबल टेनिस
9. शतरंज
10. कबड्डी
11. टेनिस

12. कुश्ती

13. यार्टिंग

श्रेणी – ग

1. बाल बैडमिंटन
2. बेसबाल
3. शरीर सौष्ठव
4. कैरम
5. साईकिल पोलो
6. कराटे
7. खो-खो
8. पावर लिफ्टिंग
9. साफ्ट बाल
10. रोलर स्केटिंग
11. बधिरों के लिए खेल
12. बास्केटबाल
13. बिलियर्ड एवं स्नूकर
14. कैनोईंग एवं कायकिंग
15. साईक्लिंग
16. घुड़सवारी
17. जिमनास्टिक्स
18. हैंडबाल
19. रोइंग
20. ताइक्वोंडो
21. वूशु
22. महिला क्रिकेट
23. टैनिकोईट
24. ट्राइथलोन
25. थ्रोबाल
26. कुश्ती (भारतीय पद्धति)
27. भारतीय स्कूल खेल परिसंघ

[अनुवाद]

विपणन योजना का कार्यान्वयन

2960. श्री अनंत गुढे :
श्री संदीपान थोरात :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में एल०पी०जी० की अनुमानित मांग कितनी रही और इसकी कितनी वास्तविक आपूर्ति की गई;

(ख) नौंवी योजना के दौरान राज्य में एल०पी०जी० की अनुमानित मांग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेषकर पश्चिमी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण हेतु क्षेत्रीय चयन बोर्ड द्वारा एजेंटों/वितरकों के चयन तथा नियुक्ति हेतु 1996-97 के लिए विपणन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 1997-98 में किए जाने वाले शेष रह गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय चयन, बोर्ड के कार्यकरण को अधिक स्पष्ट तथा कुशल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(च) महाराष्ट्र के लिए 1997-98 हेतु पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में एल०पी० जी० की अनुमानित मांग और वास्तविक बिक्रियां निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	अनुमानित मांग (आंकड़े टी०एम०टी० में)	वास्तविक बिक्रियां (आंकड़े टी०एम०टी० में)
1994-95	592.30	605.80
1995-96	647.82	669.84
1996-97	713.74	721.50

(ख) नौवी योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में एल०पी०जी० की मांग के अनुमानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

वर्ष	मांग (आंकड़े टी०एम०टी० में)
1997-98	1247.92
1998-99	1376.90
1999-00	1540.83
2000-01	1672.52
2001-02	1770.58

(ग), (घ) और (च) एक वर्षीय योजना 1996-97 के स्थान पर एक द्विवर्षीय विपणन योजना 1996-98 रखने का निर्णय लिया गया है। पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए विपणन योजना 1996-98 को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें देश के विभिन्न भागों के लिए 433 खुदरा बिक्री केंद्रों के प्रस्ताव हैं जिनमें से 34 खुदरा बिक्री केन्द्रों के प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य के लिए हैं। एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस०के०ओ०/एल०डी०ओ० डीलरशिपों की विपणन योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन करने में डीलर चयन बोर्डों का निष्पक्ष और पारदर्शी कार्यकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संशोधित डीलर चयन दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड के गठन का निर्णय निम्नानुसार लिया गया है:–

(1) उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश – अध्यक्ष

(2) संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारी जो उप महा प्रबंधक के रैंक से कम न हो। – सदस्य

(3) किसी अन्य तेल कंपनी का एक अधिकारी जो उप महा प्रबंधक के रैंक से कम न हो। — सदस्य

बोर्ड के लिए, साक्षात्कार पूरा होने के 24 घण्टों के भीतर योग्यता पैनल को अंतिम रूप देना अनिवार्य होगा।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया में पायलट

2961. श्री महेश कुमार एम० कनोडिया : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया में नियोजित पायलटों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पायलटों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पायलटों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) ब्यौरे निम्न प्रकार हैः—

	विमान चालकों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
एअर इंडिया	413	15	3
इंडियन एयरलाइन्स	434	22	6

(ख) और (ग) एयर अंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स दोनों ही खुले बाजार से प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों के रूप में वाणिज्यिक विमान चालक लाइसेंस धारकों की नियुक्ति करती हैं। दोनों विमानकंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के दिशानिर्देश का अनुसरण किया जाता है। अनुसूचितजाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों सहित सभी प्रशिक्षणार्थी विमान चालकों को दोनों विमानकंपनियों के विमान बेड़े में शामिल विमानों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

बिना जोड़ वाले इस्पात पाइपों की आपूर्ति

2962. श्री प्रमोद महाजन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने माल भाड़े की गलत गणना कर बिना जोड़ वाली इस्पात पाइपों की आपूर्ति संबंधी परियोजना का ठेका जापान कमरूबेनी कार्पोरेशन को दे दिया जबकि इटली की डालमाइन कंपनी की निविदाओं का मूल्य सबसे कम था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या था;

(ग) क्या इस कार्यवाही से तेल और प्राकृतिक गैस निगम के इस कार्य से राष्ट्रीय राजकोष पर लगभग 1.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने उक्त ठेका देने में पारदर्शिता की प्रथा का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० ने उक्त ठेका मैसर्स मारूबेनी कार्पोरेशन, जापान को अवार्ड किया था जिनका प्रस्ताव मूल्य, बोली खोले जाने से पहले ट्रांसचार्ट से प्राप्त भाड़ा दरों पर आधारित बोली मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निम्नतम था।

(ग) से (ङ) इस ठेके का मूल्याकंन, ऐसे बोली मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार किया गया था जो पहले से ही सभी बोलीदाताओं को ज्ञात थे तथा इसलिए किसी अतिरिक्त भार अथवा पारदर्शिता की कमी का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीजल/पेट्रोल पम्प

2963. श्री राजाभाऊ ठाकरे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुल कितने डीजल/पेट्रोल पम्प चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार राज्य में नए पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो नए पेट्रोल/डीजल पम्प कब तक स्थापित करने की संभावना है; और

(घ) पेट्रोल/डीजल पम्पों के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) 1.4.1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में 1638 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालनरत थे।

(ख) और (ग) पिछली विपणन योजनाओं से लम्बित स्थानों के अतिरिक्त महाराष्ट्र के लिए 34 नई खुदरा बिक्री डिलरशिप, खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के मसौदे में शामिल की गई है। आशयपत्र के जारी होने के बाद डीलरशिप को चालू करने में सामान्यतया लगभग 6-12 महीने का समय लगता है।

(घ) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के आवंटन के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षिक योग्यता, आय, निवास स्थान और बहु-डीलरशिप मानदण्डों संबंधी पात्रता मानदण्डों को पूरा करना होता है।

[अनुवाद]

घरेलू होटल उद्योग के लिए प्रशुल्क

2964. श्री हरिन पाठक : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजी यात्रा प्रचालक और ट्रेवेल एजेन्टों ने सरकार के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की है जिसमें घरेलू होटल उद्योग के लिए प्रशासन प्रशुल्क लगाना आरम्भ करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकर्ता संगठनों

ने कुछ होटलों द्वारा लगाए जा रहे दोहरे प्रशुल्क को खत्म करने के लिए अभिवेदन प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने समस्या को समझा है तथा इसे संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया है।

निजी क्षेत्र में एफ०डी०आई०

2965. **श्री संदीपान थोरात : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 जुलाई, 1997 के "द फाइनैंशियल एक्सप्रेस" में पेनल सेट अप टू वू एफ०डी०आई० इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के विचारार्थ विषय और इसका गठन तथा इसे सौंपे गए कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावित अवधि क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) मंत्रालय ने ऐसी किसी समिति का गठन नहीं किया है।

नवोदय विद्यालयों का कार्य निष्पादन

2966. **श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवोदय विद्यालयों के चलाए जाने के बाद इनके कार्यकरण की योजना का कोई औपचारिक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की कार्य योजना, 1992 में यह प्रस्ताव किया गया है कि देश के सभी जिलों मे नवोदय विद्यालयों की स्थापना और समेकन के बाद नवोदय विद्यालय योजना की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता होगी। विद्यालयों की स्थापना और समेकन की प्रक्रिया जारी है।

[हिन्दी]

एतिहासिक इमारतों का अनुरक्षण

2967. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश के मंडला जिले में ऐतिहासिक इमारतों के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा अनुरक्षण किए जाने संबंधी कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके लिए निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के लिए मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की नियमित देखभाल, रखरखाव एवं संरक्षण करने हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रावधान निम्न प्रकार है :—

1.	(क) बेगम महल	60,000/- रुपए
	(ख) दल-बदल महल, चौगान रायतवारी	
2.	शिव मन्दिर, खार द्योरी	5,000/- रुपए
3.	राम मुक्तेश्वर मन्दिर, कुकरमठ	5,000/- रुपए
4.	शाहबुर्ज, मंडला	5,000/- रुपए

[अनुवाद]

उथले नलकूप परियोजना

2968. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा भेजी गई उथले नलकूप परियोजना केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा यह कब से लंबित है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) (i) बिहार सरकार से बिहार के ताल क्षेत्रों में सिंचाई के लिए उथले नलकपूों संबंधी एक परियोजना रिपोर्ट मार्च, 1997 के अंतिम सप्ताह में कृषि मंत्रालय में प्राप्त हुई थी। परियोजना में 22.23 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से 25850 उथले नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। लघु सिंचाई विभाग, बिहार सरकार को 1 मई, 1997 को यह सूचित किया गया है कि पूर्वी भारत में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए खेत पर जल प्रबंधन की योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय कृषि मंत्रालय में विचाराधीन है। इस यौजना में सामुदायिक सिंचाई कुंओं के रूप में लघु सिंचाई सुविधाएं भी मुहैया कराने के लिए बिहार के ताल क्षेत्र भी सम्मिलित हो जाते हैं। इस योजना का अनुमोदन अभी किया जाना है।

(ii) इसके अलावा, बिहार सरकार से 7048.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से उथले नलकूपों/कुंओं की संस्थापना के लिए दूसरी परियोजना रिपोर्ट सितम्बर 1992 में प्राप्त हुई थी। परियोजना रिपोर्ट की जांच की गई और जल संसाधन मंत्रालय की टिप्पणियां अनुपालन के लिए बिहार सरकार को भेज दी गई थीं।

गैर मान्यता प्राप्त संस्थान

2969. **श्री सुरेश आर० जाधव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मासूम छात्रों को खुली लूट-खसोट से बचाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों को जो अनेक गैर-मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम चला रहे हैं, को अपने विज्ञापनों/प्रोसपैक्ट्स में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करने के निर्देश देने का विचार है कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) श्रम मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस आशय के अनुदेश जारी किए हैं कि राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद से संबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों (आई०टी०सी०) की एक डाइरेक्टरी प्रकाशित की जाए जिसमें ट्रेडों और यूनिटों का पूरा पूरा ब्यौरा हो तथा इस डायरेक्टरी को हर वर्ष अधतन किया जाना चाहिए। दाखिला के समय छात्रों को सजग करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों में इस आशय का विज्ञापन दिया जाए कि असंबद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्र अपने जोखिम पर दाखिला लेंगे और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर एन०सी०बी०टी० परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित किया गया है, ने मुख्य तकनीकी संस्था के अनुमोदन, नए पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों की शुरूआत तथा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में छात्रों की दाखिला क्षमता के अनुमोदम के लिए विनियम जारी किए हैं।

परिषद ने अपने द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थाओं की डायरेक्टरी प्रकाशित की है।

अभिभावकों तथा छात्रों के सूचनार्थ परिषद अपने द्वारा अनुमोदित डिग्री और डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं और कार्यक्रमों के बारे में समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन भी देती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खेल विकास निधि

2970. **श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में खेलों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए खेल विकास निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसके लिए आरंभ में कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, खेल विकास निधि का सृजन करने संबंधी प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस निधि को, सरकार तथा निजी क्षेत्रों और उद्योगों सहित विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से संसाधन जुटाने हेतु स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस निधि से खेलों में उत्कृष्टता का संवर्धन करने संबंधी विभिन्न गतिविधियों को सहायता मिलेगी।

ब्यौरे का आकलन किया जा रहा है।

चांदला समिति

2971. **श्री जी० वेंकट स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में पब्लिक स्कूलों को दिये जाने वाले चन्दे से संबंधित चांदला समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है,

(ख) यदि हा, ती तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि चांदला समिति रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

भारत में विदेशी एअरलाइन्स द्वारा अपनी सेवाएं शुरू करना

2972. **डा० कृपासिंधु भोई :**
प्रो० पी०जे० कुरियन :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन सी विदेशी एअरलाइन्स कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या उन एअरलाइनों में से कुछेक एअरलाइनों का विचार देश में अपने क्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ग) यदि हां, तो उन एयरलाइन्स का ब्यौरा क्या है तथा नये हवाई मार्ग कौन से हैं जिन्हें उनके द्वारा हवाई मार्ग से जोड़े जाने का विचार है;

(घ) क्या सिंगापुर एअरलाइन्स देश में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई द्विपक्षीय वार्ता की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) फिलहाल भारत को/से/ से होकर 51 विदेशी विमानकंपनियां अनुसूचित सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

(ख) और (ग) सेवाओं का विस्तार कम्पनी विशेष अपने वाणिज्यिक विवेक से करती है। तथापि, भारत सरकार ने पिछले एक वर्ष में अन्योन्य आधार पर 23 देशों की नामित विमानकम्पनियों को अतिरिक्त यातायात अधिकार मंजूर किए हैं।

(घ) से (च) जुलाई, 1997 में हुई अन्तर सरकारी स्तर पर हुई बातचीत में भारत और सिंगापुर ग्रीष्म-1998 से प्रति वर्ष 2 इकाईयां बढ़ा कर ग्रीष्म-2000 तक 6 बी-747 इकाइयों की क्षमता हकदारी बढ़ाने पर राजी हो चुके हैं। एअर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच अतिरिक्त क्षमता एक कोड शेयर व्यवस्था से जुड़ी हुई है। जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में स्थित स्थलों को जाने वाली सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ानों पर सहमत मूल्य पर, सीटों के एक ब्लॉक पर एअर इंडिया की हकदारी होगी। यह करार अनुमोदन के लिए सरकार को प्रस्तुत किया जा रहा है।

परीक्षाएं आयोजित करना

2973. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानियाँ और काकतिया विश्वविद्यालय गत 22 वर्षों

से कमश: स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां एक बार ही परीक्षा देकर प्राप्त करने संबंधी पद्धति अपना रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश पर यह पद्धति बंद कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इन परीक्षाओं को आयोजित करने के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद अभी तक परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं जिससे लगभग एक लाख विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है, और

(च) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और इन परीक्षाओं के कब आयोजित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार उस्मानिया और काकतिया विश्वविद्यालय अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर "एक ही बार डिग्री पाठ्यक्रम" चला रहे हैं। प्रथम डिग्री देने के लिए निदेशों के न्यूनतम स्तरों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों (1985) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि "कोई भी छात्र तब तक प्रथम डिग्री लेने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि यह तीन वर्षीय पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं कर लेता"। आयोग ने मार्च तथा सितम्बर, 1996 और जून, 1997 में आयोजित अपनी बैठकों में इस मामले पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि उपर्युक्त विनियमों को देखते हुए किसी भी विश्वविद्यालय को वर्ष 1996-97 से आगे एक ही बार बी०ए० डिग्री पाठ्यक्रम के लिए छात्रों को नामांकित करने की अनुमति नहीं दी जाए।

जहां तक स्नातकोत्तर डिग्री का संबंध है, उपर्युक्त विनियमों के उपबंध को देखते हुए ऐसा कोई भी छात्र स्नातकोत्तर डिग्री में प्रवेश का पात्र नहीं होगा जिसने तीन वर्षों की अवधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया है।

मित्तल रिपोर्ट

2974. श्री कड़िया मुण्डा :
श्री अंचल दास :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मित्तल रिपोर्ट को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ख) संसदीय आश्वासन को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है और रिपोर्ट में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या समूह "क" से समूह "क" में और उन पदों तक जिनमें वर्ष 1991-93 के दौरान 40 पाईन्ट रोस्टर लागू था पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान है; और

(घ) यदि समूह "क" से समूह "क" के लिए रोस्टर पद्धति लागू नहीं है तो अ०जा/अज०जा० के व्यक्तियों को आरक्षण के आधार पर पदोन्नत कैसे दिखाया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) आर एण्ड पी नियमावली संशोधन को रद्द करने के संबंध में मित्तल समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित कर दिया गया है। अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है जिसमें कुछ और समय लगने की संभावना है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दे जटिल प्रकृति के हैं। इस मामले पर राष्ट्रीय अनु० जाति/अनु० जन जाति आयोग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। तथापि शीघ्र कार्रवाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) यह आरक्षण, ग्रुप "क" पदों के निम्नतम स्तर तक पदोन्नति के लिए लागू है तथा बाद में वि०प०स० की समीक्षा सहित 1991 से 1993 के बीच हुई पदोन्नति के लिए तद्नुसार 40 प्वाइंट रोस्टर, लागू किया गया था। ग्रुप "क" में पदोन्नति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(घ) उक्त (ग) में स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी गई है।

[हिन्दी]

हरियाणा में पर्यटन परियोजना

2975. डा० अरविन्द शर्मा : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने कुछ पर्यटन परियोजनाएं केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिये भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने वर्ष 1997-98 के दौरान, हरियाणा में, राज्य सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित परियोजनाओं को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता दी है :—

क्रम सं०	परियोजना
1.	बिर्डी पर्यटक परिसर, फरिदाबाद में सुविधाओं का विस्तार।
2.	रई में आवास का विस्तार।
3.	बड़खल में हैल्थ रिज़ार्ट।
4.	तिलयार झील का उन्नयन करना।
5.	दमदमा में पर्यटक परिसर।
6.	सूरज कुण्ड क्राफ्ट मेला।
7.	कालेसर में पर्यटक सुविधाएं।
8.	कार्तिक उत्सव
9.	कुरूक्षेत्र उत्सव
10.	बल्लभगढ़ में राजा नाहरसिंह किले का बाहरी विकास।

[अनुवाद]

लेह के लिए हवाई टिकटें

2976. श्री मंगल राम शर्मा :
श्री गुलाम मोहम्मद गीर भगानी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान से लेह जाने वाले यात्रियों को विमान की टिकटें विभिन्न बुकिंग काउंटरों और अंतरिक्ष नियंत्रण केन्द्र में तैनात इंडियन एयरलाइन्स के स्टाफ की दलालों से मिली भगत के कारण

500 रु० से 1000 रु० तक के कमीशन पर बेचो जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन एयरलाइंस में भ्रष्टाचार के कारण लेह जाने वाले विमान आधे खाली जाते हैं जबकि यात्रियों को इंडियन एयरलाइन्स के विभिन्न काउंटरों से टिकटें नहीं मिल पाती हैं;

(ग) क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 1997 (अब तक) माह के दौरान पिछली लेह मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक विमान में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची सभापटल पर रखी जा सकती है; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइन्स अधिकारियों द्वारा देश में इंडियन एयरलाइन्स के मार्ग पर टिकटों की बिक्री में होने वाली कालाबाजारी को रोकने के लिए उठाए गये कदमों का ब्यौरा भी सभा पटल पर रखा जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली-लेह-सेक्टर पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

महीना	उड़ानों की संख्या	यात्रियों की संख्या
मार्च, 1997	15	1189
अप्रैल, 1997	16	1217
मई, 1997	17	1369
जून, 1997	28	2163
जुलाई, 1997	33	2758

(घ) इंडियन एयरलाइन्स ने निवारक कदम उठाये हैं जैसे हवाई अड्डा प्रबन्धक, दिल्ली द्वारा उड़ान-पूर्व जांच तथा उड़ान पश्चात जांच, के लिए कर्मठ अधिकारियों को कार्य सौंपना, रद्द किये जाने की प्रक्रिया की संवीक्षा और लेह मार्ग के लिए उड़ानों की जांच का पर्यवेक्षण करने के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर एक अधिकारी की तैनाती करना शामिल है।

तेल कंपनियां

2977. श्री सिद्दैया कोटा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियां की विपणन व्यवस्था का निजीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियों ग्रामीण लोगों की विपणन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार का विचार तेल कंपनियों के ग्रामीण विपणन कार्यकरण के पहलु की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (च) ग्रमीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों सहित पूरे देश में उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति खुदरा बिक्री केन्द्रों के वृहत नेटवर्क के माध्यम से की जाती है। तेल विपणन कंपनियां खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य स्थानों का पता लगाने हेतु सावधिक सर्वेक्षण करती है। प्रस्ताव विपणन योजनाओं में शामिल किए जाते हैं और खुदरा नेटवर्क तेल कंपनियों द्वारा तदनुसार विकसित किया जाता है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने इस संबंध में हाल ही में निर्णय लिया है — (1) 15 किलोमीटर के घेरे में आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी स्थानों को सम्मिलित करना (2) 15 किलोमीटर के घेरे में आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी व्यवहार्य शहरी स्थानों को शामिल करना (3) 15 किलोमीटर के घेरे में आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 10,000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले संभाव्य गांवों को सम्मिलित करना (4) एक लाख और इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों से जुड़े व्यवहार्य ग्रामीण स्थानों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना। ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जगह खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जा रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी जगहों की मांग पूरी की जा सके।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में बाढ़

2978. श्री हरिवंश सहाय :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर भारत में ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई है तथा कितने बेघर हुये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तरी बिहार में तथा नेपाल सीमा पर बाढ़ के कारण हुए नुकसान को रोकने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मारे गये लोगों के सगे संबंधियों, बेघर हुए लोगों तथा अन्यथा प्रभावित हुए लोगों को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) वर्ष 1997 के दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान उत्तरी भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भाग प्रभावित हुए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश में हाल में आई बाढ़ों से 41 लोगों की मृत्यु हुई थी, 959 घरों को क्षति पहुंची थी तथा इससे बेघर हुए लोगों को मिलाकर 2.47 लाख लोग प्रभावित हुए थे।

(ग) और (घ) बाढ़ प्रबंध राज्य का विषय है अतः बाढ़, प्रबंध स्कीमों का अन्वेषण, आयोजना एवं निष्पादन करने का दायित्व मुख्यरूप से संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार के गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने उत्तर बिहार की सभी नदियों के लिए बाढ़ प्रबंध के वास्ते विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार की हैं और इस संबंध में विस्तृत स्कीमें तैयार करने एवं इसके कार्यान्वियन के लिए इसे बिहार सरकार को भेजा है।

संघ सरकार आठवीं योजना के दौरान केन्द्र क्षेत्र जिसे नवीं योजना में जारी रखे जाने का प्रस्ताव किया है, के अंतर्गत बिहार सरकार को बाढ़ निरोधक स्कीमों, नाजुक (क्रिटिकल) कटावरोधी स्कीमों तथा कोसी परियोजना के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

केन्द्र सरकार साझी नदियों पर ऐसा भन्डोरण जलाशयों एवं तट-बंधों के निर्माण जिससे बिहार एवं नेपाल सीमा को बाढ़ नियंत्रण पर सहायता मिलेगी, के संबंध में महामहिम नेपाल सरकार से वार्ता भी कर रही है नेपाल भू-भाग में आने वाले लालबकिया, कमला, बागमती और खाण्डों नदियों पर तटबंधों के विस्तार संबंधी कार्य पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। दोनों देशों ने नेपाल में सप्त कोसी उच्च बांध के लिए जांच का कार्य शुरू करने का निर्णय किया है।

(ङ) बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल बचाव एवं राहत कार्य करने के लिए राज्य सरकार को सम्पर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य के वास्ते राज्य आपदा राहत निधि (सी०आर०एफ०) बनाई गई है जिसमें 75% अंशदान केन्द्र सरकार का होगा। सभी राज्य सरकारों को आपदा राहत कोष के केन्द्र के हिस्से की दो किश्तें जारी कर दी गयी हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश को 49.51 करोड़ रुपये तथा बिहार को 20.56 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

कैरिबजेट से वेट लीजिंग सिस्टम

2979. श्री नवल किशोर राय :
श्री गिरधारी यादव :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक (कैप्टन डी०ए० माथुर) और तत्कालीन वाणिज्यिक निदेशक श्री माईकेल मेसफ्रेंनहस ने तकनीकी कार्मिकों द्वारा उठाए गए तमाम तकनीकी प्रश्नों और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उठाए गई व्यवहार्यता संबंधी प्रश्न की अवहेलना करते हुए जनता के धन को हड़पने के इरादे से कौरिबजेट कम्पनी से विमान संबंधी वेट लीजिंग सिस्टम की शुरूआत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विमान प्रचालन में कुल 160 करोड़ रुपये की हानि होगी;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) एअर इंडिया द्वारा विमानों की वेट लीजिंग से संबंधित पूरे मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

[हिन्दी]

हेलीकॉप्टर दुर्घटना

2980. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1995-96, 1996-97 के दौरान और 15 जुलाई, 1997 तक अलग-अलग सेना के कितने हेलीकॉटर दुर्घटनाग्रस्त हुए और कितने विदेशी प्रक्षेपास्त्रों द्वारा क्षतिग्रस्त हुए;

(ख) इनमें कितने सैनिक घायल हुए और कितने सैनिक मारे गए, और

(ग) इन दुर्घटनाओं में मरे और घायल हुए सैनिकों को अब तक कितनी सहायता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और किस प्रकार की सहायता दी गई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 (15 जुलाई, 1997 तक) के दौरान सेना के क्रमशः 1, 1 तथा 2 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए जिनमें 3 सैनिक मारे गए थे। इनमें कोई घायल नहीं हुआ था। कोई भी हेलिकॉप्टर विदेशी प्रक्षेपास्त्रों से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ग्रुप बीमा योजना से प्रतिपूर्ति किए जाने के अतिरिक्त सेना कार्मिकों को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है।

[अनुवाद]

बिहार में उत्तर कोयल नहर परियोजना

2981. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोयल नहर परियोजना बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है;

(ख) क्या पलामू, औरंगाबाद, चतरा, गया, नवादा और मुंगेर जिलों में सिंचाई व्यवस्था इस परियोजना पर निर्भर है;

(ग) क्या इस परियोजना का कार्य लंबित है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) उत्तर कोयल नहर परियोजना बिहार की चल रही बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक परियोजना है। इसके पूरा होने पर इससे पलामू, औरंगाबाद और गया जिलों को सिंचाई का लाभ होगा। मार्च, 1997 तक प्रत्याशित व्यय 419.23 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ) इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि यह परियोजना तकनीकी सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालना न होने के कारण राज्य सरकार को जून, 1996 में वापस भेज दी गई थी।

अपर तुंग भद्र परियोजना

2982. डा० एम० जगन्नाथ :
श्री जी०ए० चरण रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
श्री आर० साम्बासिवा राव :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्री के०एच० मुनियप्पा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद कर्नाटक सरकार अपर तुंग भद्र परियोजना का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण को बंद करवाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भी अपर तुंग भद्र परियोजना का निर्माण करने संबंधी कर्नाटक के कदम का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) संघ सरकार द्वारा कर्नाटक के कृष्णा बेसिन में ऊपरी तुंगा परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी गई है आन्ध्र प्रदेश राज्य ने संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत कृष्णा जल विवाद अधिकरण के निर्णय के उल्लंघन के मामले में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्यों और भारत संघ के विरुद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया है।

ए०ए०आई० का आई०ए०ए०आई० में विलय

2983. **श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने ए०ए०आई० का आई०ए०ए०आई० के साथ विलय करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ए०ए०आई० तथा आई०ए०ए०आई० कर्मचारियों के बीच वरीयता की गणना किस आधार पर की जायेगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार ने किसी समिति की नियुक्ति नहीं की थी। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने न्यायधीश जे०डी० जैन (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो मुख्य रूप से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के राष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग तथा अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्रभाग के कर्मचारियों के मध्य परस्पर वरिष्ठता, सेवाशर्तों, वेतनमान, संवर्गों के एकीकरण संबंधी सिद्धांतों से संबन्धित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्य बल

2984. **श्री संतोष मोहन देव :**
डी० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटकों पर लगे प्रतिबन्धों को हटाने के लिए पर्यटन का विकास करने हेतु कार्य बलों की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो पर्यटन विभाग द्वारा इस कार्य बल का गठन पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुधार लाने की सिफारिश करने के लिए किया गया था;

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या ये राज्य दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) से (च) पर्यटन विभाग द्वारा गठित कृतिक बल ने पर्यटकों पर लगे प्रवेश प्रतिबंध को हटाने पर विचार करने के लिए सिफारिश की है। अन्य सिफारिशों में आधारिक संरचना तथा मानव संसाधन विकास पर बल देना और क्षेत्र के पर्यटक आकर्षणों का व्यापक प्रचार शामिल है। क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए कृतिक बल ने बड़ी संख्या में परियोजनाएं अभिनिर्धारित की हैं जिनमें-पर्यटक परिसरों, मार्गस्थ सुख-सुविधाओं आदि का निर्माण करना शामिल है और उनमें से कई परियोजनाओं को वर्ष 1997-98 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए प्राथमिकता प्रदान की गई है।

भारतीय कलाकृतियों का बदलना

2985. **श्री एल० रमना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1997 के "द एशियन ऐज्" में ब्रिटिश म्यूजियम टोल्ड टू रिप्लेस इंडियन आर्टिफेक्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटिश संग्रहालय के "इण्ड्योरिंग इमेज" शीर्षक की प्रदर्शनी में विभिन्न प्राचीन विश्व सभ्यताओं से संबंधित अनेक कला वस्तुएं होंगी जिन्हें 13 अक्तूबर, 1997 से लगभग दो महीनों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। जिन प्रदर्शों को प्रदर्शित किये जाने का प्रस्ताव है उसकी सूची की समीक्षा करते समय, यह अनुभव किया गया कि भारतीय खंड का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है जो इसकी महान सभ्यता से सच्चे रूप से मेल नहीं खाता। तद्नुसार ब्रिटिश संग्रहालय को सुझाव दिया गया कि वह कुछ प्रदर्शों को बदलकर और हमारी सभ्यता का अधिक प्रतिनिधित्व करने वाले नये प्रदर्शों को जोड़कर भारतीय खंड में वृद्धि करें। सुझाव को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लिया गया है, कुछ परिवर्तन पहले ही किये जा चुके हैं; और प्रदर्शों की अंतिम सूची पर सहमति होने से पूर्व कुछ अन्य परिवर्तन किये जाने की संभावना है।

मेट्रो शहरों के लिए दैनिक विमान सेवा

2986. **श्री राजेन्द्र सिंह राणा : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने शहर दैनिक विमान सेवा से महानगरों से जुड़े हुए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उन शहरों से महानगरों तक दैनिक विमान सेवा चलाने का है जहां वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) 24 नगरों को महानगरों

को आने वाली अथवा वहां से जाने वाली दैनिक उड़ानों से जोड़ा गया है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइन्स की संसाधन संबंधी कठिनाई को देखते हुए, निजी प्रचालकों को व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेटवर्कों में और अधिक स्टेशनों को जोड़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कलकत्ता-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार

2987. श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन :
श्री एन०एन० कृष्णादास :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या जल-भूतल परिहवन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग को केरल में थिरुवनन्तपुरम तक बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल को राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के इरादे से कोरीडोर रूप में शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिहवन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) तिरूअनन्तपुरम चेन्नई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 45, 7 और 47 के जरिए पहले ही जुड़ा हुआ है।

(ग) और (घ) यद्यपि नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में दिल्ली-कलकत्ता, चेन्नई और मुम्बई को जोड़ने वाले चार अधिक सघनता वाले मार्गों पर विशेष बल दिया जाएगा तथापि, केरल से गुजराने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों सहित अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का भी यातायात की सघनता, कार्यो की समग्र प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नौवीं योजना के दौरान विकास किया जाएगा।

असम में उग्रवादियों द्वारा हेलीकॉटर को मार गिराना

2988. श्री एन० रामकृष्ण रेड्डी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कोहिमा के पास मेजर जनरल केशव सिंह द्वारा चालित हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाले उग्रवादी ग्रुप का नाम क्या है;

(ख) क्या हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए किसी राकेट का इस्तेमाल किया गया था; और

(ग) असम में उग्रवादियों को राकेट और अन्य हथियार कहां से प्राप्त हुए?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) सेना मुख्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यह हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, न कि किसी उग्रवादी दल द्वारा मार गिराए जाने के कारण।

(ग) असम के उग्रवादियों के बारे में यह सूचना है कि वे विभिन्न स्रोतों के हथियार प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें इस क्षेत्र में सक्रिय अन्य उग्रवादी दल भी शामिल है।

आस्ट्रेलिया से पर्यटक

2989. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को एक निदेशक की अध्यक्षता में सिडनी में अपना एक कार्यालय स्थापित किया है;

(ख) सिडनी स्थित उक्त कार्यालय को चलाने के लिये मंत्रालय द्वारा कुल मासिक व्यय कितना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया से कुल कितने पर्यटक, भारत आये?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) आस्ट्रेलिया क्षेत्र के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय सिडनी में स्थित है इसका प्रमुख क्षेत्रीय निदेशक होता है।

(ख) वर्ष 1996-97 के लिए सिडनी में स्थित कार्यालय को चलाए जाने पर किया गया मासिक व्यय इस प्रकार है :

महीना	(रु० लाखों में)
अप्रैल 96	6.94
मई 96	7.43
जून 96	5.06
जुलाई 96	7.48
अगस्त 96	7.96
सितम्बर 96	7.30
अक्तूबर 96	7.00
नवम्बर 96	7.33
दिसम्बर 96	7.23
जनवरी 97	5.86
फरवरी 97	6.14
मार्च 97	8.56

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया से पर्यटक आगमन नीचे दिए अनुसार हैं :-

वर्ष	आस्ट्रेलिया से पर्यटक आगमन
1994	33,142
1995	36,150
1996	48,755

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु धनराशि

2990. श्री एस० अजय कुमार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1997-98 के लिए केन्द्रीय सड़क निधि द्वारा राज्यों को कोई आवंटन किया गया है; और

(ख). यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी०एच०यू० पर रिपोर्ट

2991. श्री एस०पी० जायसवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छात्र संघ, बी०एच०यू० से ''कुलपति के कारनामे'' नामक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) उपरोक्त रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है और उसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

वायुदूत-सेवा

2992. श्री के०पी० सिंह देव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में वायुदूत-सेवा चलायी जा रही है;

(ख) उन राज्यों में किन-किन प्रमुख नगरों तथा शहरों को वायुदूत सेवा द्वारा जोड़ा गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में वायुदूत सेवा आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अनुगुल, तालचेर तथा ढेंकानाल को वायुदूत सेवा के अन्तर्गत लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) वायुदूत किसी भी राज्य में सेवा प्रचालित नहीं कर रहा है, क्योंकि 1993 में ''शार्ट हाल ओपरेशन्स डिपार्टमेंट (एस०एच०ओ०डी०) के नाम से एक पृथक प्रभाग के रूप में इसका इंडियन एयरलाइन्स में विलय कर दिया गया था। एस० एच०ओ०डी० पं० बंगाल में कलकत्ता, मिजोरम में ऐजवल, असम में गुवाहाटी तथा लीलाबाड़ी, केरल में कोचीन/त्रिवेन्द्रम तथा लक्षद्वीप में अगाती के लिए उड़ाने प्रचालित करता है।

एस०एच०ओ०डी० की, इस समय, अपनी सेवाएं बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। तथापि निजी प्रचालकों को, व्यवहार्यता के अध्यधीन अपने नेटवर्कों में और अधिक स्टेशनों को जोड़ने के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है।

[हिन्दी]

शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग

2993. श्री आर०एल०पी० वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एतिहासिक शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग जीर्णशीर्ण स्थिति में है;

(ख) यदि नहीं, तो उस पर विशेष रूप से बिहार-बंगाल खण्ड पर 1992-97 के दौरान कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) क्या प्रत्येक वर्ष रख-रखाव शीर्ष के अन्तर्गत एक निर्धारित राशि दिखाई गई है और क्या सरकार किए गए व्यय के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 को उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। राज्यों के लिए निधियों का आवंटन एकमुश्त रूप में किया जाता है और उसका कार्यवार वितरण राज्य पर छोड़ दिया जाता है जो कार्य की प्राथमिकता, प्रगति और कार्यक्षेत्र की स्थितियों के अनुसार नाजुक खंडों की अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। वर्ष 1992-97 के दौरान किए गए व्यय के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए 1992-97 के दौरान किया गया व्यय

वर्ष	बिहार		पश्चिम बंगाल	
	विकास कार्य	अनुरक्षण कार्य (लाख रु०)	विकास कार्य	अनुरक्षण कार्य (लाख रु०)
1992-93	1385	1072.66	2230	1071.51
1993-94	1920	1276.45	3500	1760.45
1994-95	2221	1472.53	3987	1744.02
1995-96	1980*	1763.95	3310	1731.33
1996-97	1583.35*	2193.95	3608	2081.68

* इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एशियाई विकास बैंक की वित्तीय सहायता से बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर बरवा अड्डा और बराकर के बीच 43 कि०मी० लम्बाई में चार लेन बना रहा है।

[अनुवाद]

जासूसी मामले की जांच

2994. श्री बी०एल० शंकर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1997 के ''इंडियन एक्सप्रेस'' (एक्सप्रेस न्यूजलाइन) में ''साइंटिस्ट एलेज्स रिसर्च एस्पियानेज'' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 12 जुलाई, 1997 के इंडियन एक्सप्रेस (एक्सप्रेस न्यूज लाइन) में यह सूचित किया गया था कि जल संसाधन मंत्रालय के संबंद्ध कार्यालय केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान शाखा के एक सहायक अनुसंधान अधिकारी ने अपने पेपर अर्थात् ''टू सी०वी० का आकलन करने के लिए एस कर्ब तथा आइसोलेशन आफ सेकेन्डरी कान्सोलीईशन'' की चोरी के लिए नई दिल्ली के हौज खास पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी। वे ए०एस०टी०एम० जरनल (परीक्षण सामग्री की अमरीकन सोसायटी) में प्रकाशन के लिए भेजे गए थे।

ए०एस०टी०एम० द्वारा पुनरीक्षण टिप्पणियां करके उपर्युक्त अधिकारी को उसके कार्यालय से उक्त पेपर केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के पते पर एयर मेल से वापस भेज दिए थे। तथापि, अधिकारी ने सूचित किया कि उन्हें ये प्राप्त नहीं हुए।

(ग) और (घ) जी नहीं, अन्वेषण करना आवश्यक नहीं समझा गया, क्योंकि चोरी होने का कोई सबूत नहीं है और मूल पेपर केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला के कम्प्यूटर में उपलब्ध होने के कारण ए०एस० टी०एम० से अनुरोध किया गया था कि पुनरीक्षा टिप्पणियों की एक और प्रति भेजी जाए।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं कि लैटर बाक्स में ताला लगाया जाय और सारी डाक लैटर बाक्स में रखी जाए। केवल प्राप्ति और प्रेषण अनुभाग के कर्मचारियों को ही लैटर बाक्स खोलने के लिए अधिकृत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाक संबंधित अधिकारी/स्टाफ को पहुंचा दी गई है।

[हिन्दी]

एल०पी०जी० का उत्पादन

2995. श्री पंकज चौधरी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने देश में एल०पी०जी० की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिये नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एल०पी०जी० का उत्पादन दुगुना करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल कंपनियों और उनकी संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए परिशोधन और मांग अनुमानों पर नौंवी योजना के सब ग्रुपों की रिपोर्टों के अनुमानों के अनुसार एल०पी०जी० के उत्पादन में वृद्धि करके 1997-98 से 3.021 मिलियन मीट्रिक टन से 2001-02 में 5.048 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन किए जाने की योजना बनाई गई है।

विश्वविद्यालय संविधि का उल्लंघन

2996. डा० बलि राम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उप कुलपति ने अपनी अध्यक्षता में हुई शिक्षा परिषद की बैठक में शल्यचिकित्सा में अवैतनिक प्रोफेसर की डिग्री स्वयं ही ली है;

(ख) क्या यह विश्वविद्यालय अधिनियम और विश्वविद्यालय संविधि का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो उप कुलपति के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कावेरी जल विवाद

2997. श्री चित्त बसु :
श्री वी०वी० राघवन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल विवाद को निपटाने हेतु दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बंगलौर विमानपत्तन पर न्यू एपरोन

2998. श्री के०सी० कोंडय्या : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर विमानपत्तन पर नए एपरोन ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रात में भी काम करने के लिए प्रकाश की व्यवस्था की है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं।

यह कार्य हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि० (एच०ए०एल०) द्वारा किया जा रहा है। प्रकाश व्यवस्था संबंधी कार्य हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया है। इसके पूरा होने की नियत तारीख दिसम्बर, 1997 है।

[हिन्दी]

हिन्दी की उपेक्षा

2999. डा० ए०के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कॉनवेंट स्कूलों में हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई अनिवार्य करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बराबर इस बात की सिफारिश करती रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रतिपादित तथा राष्ट्रीय नीति 1986 में समर्थित त्रिभाषा सूत्र के प्रावधानों का कानवेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल समेत सभी स्कूलों में कारगर कार्यान्वियन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर इस सूत्र में हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा अधिमानत: दक्षिण की भाषाओं में से किसी एक भाषा के तथा अहिन्दी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा तथा अंग्रेजी के साथ हिंदी के शिक्षण का प्रावधान है। केन्द्र सरकार की सामान्य नीति यह है कि प्राथमिक स्तर पर मातृ भाषा शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए। भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र पहले से ही लागू है।

तथापि स्कूली शिक्षा की देख रेख मुख्यत: राज्य सरकारों द्वारा की जाती है तथा त्रिभाषा सूत्र के कार्यान्वियन के मामले में केन्द्र सरकार की भूमिका मात्र सिफारिश करने तक सीमित है।

खेलकूद संस्थान

3000. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में स्थापित किए गए खेलकूद संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को अनियमितताओं, प्रशिक्षकों और निधियों की कमी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ पुरुष खेलकूद संस्थान स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) भारत सरकार ने महाराष्ट्र में कोई भी खेल संस्थान स्थापित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

साक्षरता अभियान

3001. **श्री महेन्द्र सिंह भाटी :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्यों में साक्षरता को बढ़ाने के लिए 1997-98 के दौरान अधिक धनराशि जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) साक्षरता की प्रौन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं/साक्षरता अभियानों के लिए अनुमोदित राशि के अनुसार विभिन्न संगठनों, जिला साक्षरता समितियों और राज्यों को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान प्रदान की गई राशि के राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए 127 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए कोई भी राज्यवार निधियां आवंटित नहीं की गई है।

विवरण

प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रदान की गई राशि

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1370.68	884.21	1081.06
2.	अरुणाचल प्रदेश	71.56	25.63	20.72
3.	असम	1159.04	361.09	194.29
4.	बिहार	1628.87	1977.84	1062.52
5.	गौवा	11.95	5.59	3.32
6.	गुजरात	884.50	262.98	458.78
7.	हरियाणा	243.01	175.31	57.12
8.	हिमाचल प्रदेश	109.15	26.43	49.18
9.	जम्मू और कश्मीर	190.40	132.70	50.47
10.	कर्नाटक	1041.84	319.58	350.16
11.	केरल	57.32	7.00	537.97
12.	मध्य प्रदेश	2821.52	977.67	548.58
13.	महाराष्ट्र	1024.55	1153.63	432.83
14.	मणिपुर	72.67	17.62	20.63
15.	मेघालय	29.08	127.74	112.45
16.	मिजोरम	16.42	2.29	0.57
17.	नागालैंड	39.73	47.81	56.90
18.	उड़ीसा	606.36	801.36	310.13
19.	पंजाब	277.61	370.34	135.00
20.	राजस्थान	1745.00	1681.76	1304.62
21.	सिक्किम	11.22	—	11.22
22.	तमिलनाडु	1594.58	1212.48	261.21

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	6.77	0.10	4.73
24.	उत्तर प्रदेश	2805.58	1888.01	943.27
25.	पश्चिम बंगाल	1583.69	308.40	728.11
26.	चंडीगढ़	25.62	20.12	41.37
27.	दिल्ली	120.77	322.58	158.57
28.	पांडिचेरी	—	—	—
29.	दमन और दीव	0.56	0.56	—
30.	अं० और नि०	12.15	8.12	12.56
31.	दादरा और नगर हवेली	0.83	—	—
32.	लक्षद्वीप	7.41	1.62	4.32
	कुल	19570.08	13120.87	8952.66

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लाभार्जन

3002. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 **के दौरान हाल ही में** भारत पर्यटन विकास निगम का कारोबार 300 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और इस प्रकार से इस निगम ने 50 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया;

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित किन-किन होटलों ने लाभ अर्जित किया और अलग-अलग कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कर्मचारियों को कोई लाभांश दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या अनुपात निर्धारित किया गया है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनायी गई है?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए अनन्तिम परिणामों के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम ने 314.54 करोड़ रुपये का कारोबार रिकार्ड किया तथा 74.34 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ कमाया।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) व्यापार संघों के साथ किए गए समझौते के अनुसार प्रत्येक एकक द्वारा किए गए कुल कारोबार का 1% कल्याण निधि में दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बोनस अधिनियम की अदायगी के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी, बोनस के भी पात्र हैं।

विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	एकक का नाम	1996-97 (अनन्तिम) निवल लाभ
1	2	3
1.	अशोक हौटल, नई दिल्ली	1879.05
2.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	253.18
3.	कुतुब होटल, नई दिल्ली	402.67
4.	होटल कनिष्का, नई दिल्ली	643.50
5.	होटल जनपथ, नई दिल्ली	104.38
6.	लोधी होटल, नई दिल्ली	201.15
7.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	37.08
8.	होटल अशोक, बंगलौर	333.89
9.	कोवलम अशोक बीच रिजार्ट	334.80
10.	होटल एअरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	85.88
11.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	10.43
12.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	130.31
13.	ललीता महल पैलेस होटल, मैसूर	245.48
14.	टेम्पल वे अशोक बीच रिजार्ट, मामल्लापुरम	30.62
15.	होटल हसन अशोक, हसन	38.50
16.	होटल बोधगया अशोक, बोधगया	20.05
17.	होटल मदुराई अशोक, मदुराई	0.25
	जोड़	4751.22

[अनुवाद]

वायुसेना के अधिकारी का लापता होना

3003. श्री पी० नामग्याल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना के एक अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नं० 20083 एल०एस०जी० ठाणे रेलवे स्टेशन से 10 मई, 1997 को लापता होने की खबर है जिसे उसी एयर बेस के एक स्क्वाड्रन लीडर तथा एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट द्वारा देवेलाली वायु सेना स्टेशन से मुम्बई नौसेना अस्पताल ले जाया जा रहा था;

(ख) क्या लापता अधिकारी को उक्त स्टेशन के कतिपय वरिष्ठ अधिकारियों के कुछ बड़े घोटालों में शामिल होने की जानकारी थी तथा उसने लापता अधिकारी को खबर करने के लिए एक मनगंढत कहानी बनाई थी; और

(ग) यदि उक्त (क) और (ख) के उत्तर हां में हैं तो क्या सी०बी०आई० द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी तथा लापता अधिकारी का पता लगाया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अनुपस्थित रहने वाले या उसे छोड़कर भाग जाने वाले सेना कार्मिकों के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, जो इस मामले में भी दर्ज करवाई गई थी। इस अफसर का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा, एक विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

तकनीकी संस्थान खोलना

3004. श्री छत्तर सिंह दरबार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और पॉलिटेक्निक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पोलिटेक्निकों की स्थापना राज्य सरकारें करती हैं।

गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान

3005. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय ऐसे कितने तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थान हैं जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किए बिना ही चल रहे हैं।

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संस्थान कब से चल रहे हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद उन तकनीकी संस्थानों के रिकार्ड का रख-रखाव नहीं रख रही है जिन्होंने स्वीकृति के लिए उनसे सम्पर्क नहीं किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करके कार्य कर रहे 20 नकली विश्वविद्यालयों का पता लगाया है। भारतीय विश्वविद्यालय और एम.आर.टी.पी.सी. के सहयोग के साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नकली विश्वविद्यालयों की मौजूदगी पर निगरानी रख रहा है। ऐसे संस्थानों के बारे में लोगों को चेतावनी देने और उन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में एक विशेष सेल स्थापित किया गया है।

योग शिक्षा

3006. कुमारी उमा भारती :
श्री जयसिंह चौहान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए योग शिक्षा को शुरू करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय दिल्ली में कितने स्कूलों में योग शिक्षा दी जा रही है और कितने विद्यालयों में भविष्य में योग शिक्षा शुरू करने की संभावना है;

(घ) क्या इस कार्य के लिए अलग से कोई उप-निदेशक नामित किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो उप-निदेशक को नामित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली के सभी स्कूलों में योग शिक्षा प्रदान करने के लिए एक योजना पहले से ही विद्यमान है। इस प्रयोजन के लिए योग शिक्षकों के 740 पद हैं जिनमें शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत योग प्रशिक्षकों और एक परियोजना अधिकारी के पद भी सम्मिलित है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। योग शिक्षा की उप-निदेशक (शारीरिक शिक्षा) द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।

अर्चना एयरलाइंस जांच रिपोर्ट

3007. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 11 जुलाई, 1996 को अर्चना एयरलाइंस 1-14 विमान आदि की दुर्घटना की जांच कराने के लिए नियुक्त की गई जांच अदालत की रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) क्या जांच समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ग) इनमें से कितनी सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया गया है और समिति की सभी सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जांच न्यायालय द्वारा की गई 21 सिफारिशों में से, 4 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है तथा शेष सिफारिशें कार्यान्वयन प्रक्रिया में है।

भारतीय वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाएं

3008. श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री जयसिंह चौहान :
श्री के० परसुरामन :
श्री सनत मेहता :
श्री माधवराव सिंधिया :
श्री छत्तर सिंह दरबार :
डा० मुरली मनोहर जोशी :
श्री सत्यजीतसिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और चालू वर्ष में विमान दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हुए, मार गिराए गए और उड़ान के अयोग्य भारतीय वायु सेना के विमानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं कम करने, बेड़े में विमानों की संख्या बढ़ाने और ए०जे०टी० खरीदने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें कितनी लागत अंतर्ग्रस्त हैं;

(ग) क्या विमान दुर्घटनाओं के कम करने हेतु उपाय सुझाने के लिए गत वर्ष किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जानी थी और इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) इन दुर्घटनाओं में कितने विमान चालक मारे गए और इनके कारण कितनी क्षति होने का अनुमान है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ङ) वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98 के दौरान और आज तक क्षतिग्रस्त हुए वायुयानों की संख्या क्रमश: 25,28,20 और 5 है। इन दुर्घटनाओं में 30 विमानचालकों की जानें गई। इन दुर्घटनाओं के कारण भारतीय वायुसेना को लगभग 654.38 करोड़ रुपए की हानि (हाल ही में दो दुर्घटनाओं में हुई वायुयानों की क्षति को छोड़कर) हुई है। इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण मानव चूक, तकनीकी खराबियां तथा पक्षी टकराना है। तथापि किसी भी वायुयान को मार गिराने या भूमि पर उतारे जाने की कोई घटना नहीं हुई है।

तत्कालिक आधार पर वायु दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वायु सहायता तथा प्रहार पैर्टनों की समीक्षा की गई है। कृषि मंत्रालय और शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पक्षियों के आवागमन को कम करने के लिए हवाई क्षेत्रों के आस-पास के क्षेत्रों को साफ करने के वास्ते पशुवध गृहों/पशु अवशेष उपयोगिता केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं।

इन दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने और इनकी रोकथाम के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के वास्ते रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉ० अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में गठित की गई लड़ाकू वायुयान दुर्घटना संबंधी समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

सेना में शामिल किए गए वायुयानों की संख्या और उनपर आई लागत के संबंध में बताना हमारे सुरक्षा हितों में नहीं होगा। जहां तक उन्नत जेट प्रशिक्षक वायुयान को सेना में शामिल करने का संबंध है, इसके लिए चुने हुए विक्रेताओं के साथ वाणिज्यिक वार्ताएं जारी हैं।

दिल्ली में नेहरू युवक केन्द्र

3009. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में चल रहे नेहरू युवक केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है और ये केन्द्र कितने क्षेत्रफल में फैले हुए हैं;

(ख) इन केन्द्रों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क)

दिल्ली में स्थानवार कार्यरत नेहरू युवा केन्द्र	*अन्तर्निहित क्षेत्र*
1. नेहरू युवा केन्द्र, अलीपुर, दिल्ली	अलीपुर खण्ड
2. नेहरू युवा केन्द्र, महरौली, नई दिल्ली	महरौली एवं नजफगढ़ खण्ड
3. नेहरू युवा केन्द्र, नांगलोई, नई दिल्ली	नांगलोई खण्ड

(ख) *पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों पर खर्च की गई धनराशि*

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
1.	अलीपुर	4,23,784.70	5,06,379.00	5,55,132.50	14,85,296.20
2.	महरौली	1,75,829.02	1,25,448.18	2,02,314.00	05,03,591.20
3.	नांगलाई	3,22,515.00	3,28,981.00	3,58,866.00	10,10,362.00
	जोड़	9,22,128.72	9,60,808.18	11,16,312.50	29,99,249.40

(ग) *चालू वित्तीय वर्ष (1997-98) के दौरान मंजूर की गई धनराशि*

क्र.सं.	केन्द्र	धनराशि
1.	अलीपुर	3,95,921
2.	महरौली	3,66,881
3.	नांगलोई	3,02,177
	जोड़	10,64,979

उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

3010. श्री अमर पाल सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ: माह के दौरान उत्तर प्रदेश को कितनी मात्रा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल की आपूर्ति की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में इन वस्तुओं की कमी को पूरा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) जनवरी, 1997 से जून, 1997 तक उत्तर प्रदेश राज्य को 219188 मीट्रिक टन पेट्रोल, 2436539 मीट्रिक टन डीजल तथा 576927 मीट्रिक टन मिट्टी तेल की आपूर्ति की गई थी।

(ख) से (घ) पेट्रोल और डीजल की संपूर्ण मांग पूरी की जा रही है। तथा उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी तेल की कमी के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

3011. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई खेल 1982 के दौरान बनाए गए खेल परिसर का उपयोग करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो एक महीने में ऐसे कितने कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान माहवार ऐसे खेलों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क)

जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है जो पूरे वर्ष जारी रहते हैं।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एक महीने में आयोजित कार्यक्रमों का ब्यौरा

I. (क) नियमित कोचिंग व प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्टेडियम	कार्यक्रमों की संख्या	खेल विधाएँ
1	2	3
1. इंदिरा गांधी स्टेडियम	10	बैडमिंटन, क्रिकेट, मुक्केबाजी, वालीबाल, टेबल-टेनिस, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती, जूडो, साईक्लिंग तथा भारोत्तोलन।
2. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	12	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बास्केटबाल, क्रिकेट, फुटबाल जिम्नास्टिकस, हाकी, जूडो, लॉन-टेनिस, टेबल-टेनिस, वालीबाल तथा भारोत्तलन।
3. नेशनल स्टेडियम	12	एथलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, जूडो, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, हाकी, वालीबाल, लॉन टैनिस, खो-खो, कबड्डी तथा तैराकी
4. तालकटोरा तरणताल	01	तैराकी
5. डा० कर्णी सिंह, शूटिंग रेंज	01	निशानेबाजी
(ख) पे एण्ड प्ले कार्यक्रम		
1. इंदिरा गांधी स्टेडियम	02	बैडमिंटन तथा मल्टी-जिम
2. जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम	05	बिलियर्ड, एथलेटिक्स, भारोत्तोलन, टेबल-टेनिस तथा मल्टी-जिम
3. नेशनल स्टेडियम	03	तैराकी, लॉन टेनिस तथा मल्टी-जिम।
4. तालकटोरा तरणताल	03	तैराकी, टेबल-टेनिस तथा मल्टी-जिम।

2. पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का महावार ब्यौरा

(क) डा० कर्णी सिंह, शूटिंग रेज 1992-93

1	2	3
1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (राइफल तथा पिस्टल)		18-30 अप्रैल, 92
2. बार्सिलोना ओलम्पिक्स के लिए अभ्यास		7 जुलाई, 1992 से आगे
3. ट्रैप तथा स्कीट में प्रशिक्षण शिविर		01-30 जनवरी, 1993.
1993-94		
1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (राइफल तथा पिस्टल)		15-29 मई, 1993.
2. मूल्यांकन निशानेबाजी शिविर		24 जून से 8 जुलाई, 1993.
3. राष्ट्रीय निशानेबाजी शिविर (राइफल/पिस्टल)		12 मार्च — 01 अप्रैल, 1994.
4. ट्रैप तथा स्कीट शिविर		4 मार्च — 4 अप्रैल, 1994.
1994-95		
1. राइफल/पिस्टल तथा ट्रैप/स्टीक में प्रशिक्षण शिविर		12-28 मई, 1994.
2. राइफल/पिस्टल के लिए प्रशिक्षण शिविर		12-20 जुलाई, 1994.
3. राइफल/पिस्टल के लिए प्रशिक्षण शिविर		12-26 सितम्बर, 1994.
4. डी०एस०आर०ए० द्वारा निशानेबाजी शिविर		24 दिसम्बर, 94—01 जनवरी, 1995.
5. निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर (एयर राइफल/पिस्टल)		1 फरवरी — 18 फरवरी, 1995.
6. पंजाब राइफल एसोसिएशन द्वारा निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर		9-12 फरवरी, 1995.
7. राइफल/पिस्टल प्रशिक्षण शिविर		10 मार्च, - 8 अप्रैल, 1995.
1995-96		
1. ट्रैप प्रशिक्षण शिविर		8 अगस्त—10 अक्तूबर, 1995.
2. राइफल तथा पिस्टल प्रशिक्षण शिविर		4 नवम्बर—18 नवम्बर, 1995.
3. ट्रैप तथा स्कीट प्रशिक्षण शिविर		18 अक्तूबर-18 नवम्बर, 1995
4. युवा निशानेबाजों को प्रशिक्षण		24-25 फरवरी, 1996.
1996-97		
1. राष्ट्रीय ट्रैप टीम को प्रशिक्षण		23 फरवरी—6 अप्रैल, 1996.
2. राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (राइफल/पिस्टल)		27 मई—18 जून, 1996.
3. जूनियर राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर		21 मई—29 मई, 1996.
4. राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर (ट्रैप)		18 मई—30 मई, 1996.

1	2	3
5.	राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर (पिस्तौल)	21-29 मई, 1996.
6.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (ट्रैप)	19-31 जुलाई, 1996.
7.	कर्नाटक राज्य द्वारा निशानेबाजी प्रशिक्षण शिविर	31 जुलाई—4 अगस्त, 1996.
8.	राष्ट्रीय स्क्वाड निशानेबाजों के लिए मूल्यांकन प्रशिक्षण शिविर	6-8 सितम्बर, 1996
9.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (ट्रैप)	27 अक्तूबर—22 नवम्बर, 1996
10.	राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर (ट्रैप एवं स्कीट)	18 दिसम्बर, 1996—1 मार्च, 1997.
11.	राइफल/पिस्तौल में प्रशिक्षण शिविर	28 फरवरी—8 मार्च, 1997.
(ख)	**तालकटोरा तरणताल**	
	1992-93	शून्य
	1993-94	शून्य
	1994-95	
1.	राष्ट्रीय तैराकी प्रशिक्षण शिविर	9 मई—15 जून, 1994.
2.	दिल्ली राज्य के लिए प्रशिक्षण शिविर	31 मई—25 जून, 1994.
3.	के०बी०एस० प्रशिक्षण शिविर	16 सितम्बर—13 अक्तूबर, 1994.
	1995-96	
1.	राष्ट्रीय तैराकी प्रशिक्षण शिविर	10 मार्च—10 अप्रैल, 1996.
	1996-97	
1.	के०बी०एस० प्रशिक्षण प्रशिक्षण शिविर	20 मई—8 जून, 1996. 9 सितम्बर—12 सितम्बर, 1996. 6-25 मई, 1997.

बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या

3012. श्री विजय हाण्डिक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विश्वविद्यालय के विज्ञान शिक्षा और संचार केन्द्र द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई०आर०सी०सी० में प्रोन्नति

3013. श्री चित्रसेन सिंकु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 9 सितम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई०आर०सी०सी० में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का भविष्य समाप्त हो गया है; और

(घ) एक ही मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद उक्त (ग) में उल्लिखित आई०आर०सी०सी० का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में विलय न किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति/चयन के आधार पर पद भरे जाते हैं जिनके लिए भारतीय सड़क निर्माण निगम के कर्मचारियों पर भी विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

जवानों को सुविधाएं

3014. श्री सोहन बीर सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए भर्ती होने और सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें दी जा रही सुविधाएं और भत्ते पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) सैनिकों को उनकी भर्ती के पश्चात् दी जा रही सुविधाएं और भत्ते पर्याप्त समझे जाते हैं। सैनिकों को उनके सामान्य वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त इमदादी दरों पर निःशुल्क राशन, कैंटीन सुविधाएं तथा आवास, बिजली व पानी जैसी कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। वे कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में फील्ड या संशोधित फील्ड क्षेत्र भत्ता, प्रति-विद्रोही भत्ता और उच्च तुंगता भत्ता पाने के भी हकदार हैं। सैनिकों को सिविलियन कर्मचारियों की तुलना में उदारीकृत छुट्टी भी दी जाती है।

सेवानिवृत्ति के पश्चात सैनिक पेंशन संबंधी लाभों के भी हकदार होते हैं। उन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए आरक्षण/रियायतें, स्व-रोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, सैन्य अस्पतालों में चिकित्सा उपचार, कैंटीन सुविधाएं, व्यावसायिक संस्थाओं में उनके बच्चों को प्रवेश के लिए

प्राथमिकता कोटा और सैनिक आरामगृहों/अवकाश गृहों में आवास सुविधाएं भी दी जा रही है।

तथापि, वर्ष 1986 में मौजूदा भत्ते और सुविधाएं दिए जाने से कुछ मामलों में स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पांचवें वेतन आयोग ने इन पहलुओं का अध्ययन किया है और इस संबंध में अपनी सिफारिशें की हैं। सरकार ने पांचवें वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार करने का निर्णय भी किया है तथा कुछ मामलों में आयोग की सिफारिशों में सुधार भी किया है।

तेल भंडार

3015. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन राज्यों में तेल भंडार पाए गए हैं और इनमें तेल का कितना भंडार है; और

(ख) प्रति माह औसतन कितनी मात्रा में तेल निकाला जाता है और गत तीन वर्षों के दौरान अब तक कुल कितनी मात्रा में तेल निकाला गया ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) सिद्ध तेल भंडार निम्नलिखित राज्यों में नीचे उल्लिखित मात्रा में पाए जाते हैं :-

(आंकड़े एम०एम०टी० में)

राज्य का नाम	भंडार
गुजरात	102.82
असम+अरुणाचल प्रदेश	130.86
नागालैंड	1.11
आंध्र प्रदेश	0.38
तमिल नाडु	2.94
राजस्थान (भारी तेल)	2.19
पश्चिमी तट अपतट	312.30
पूर्वी तट अपतट	21.93

(ख) ओ आई एल और ओ एन जी सी में तेल के उत्पादन की वर्तमान मासिक दर क्रमशः 0.253 एम एम टी और 2.403 एम एम टी है और निजी/संयुक्त उद्यम द्वारा प्रचालित क्षेत्रों में यह दर 0.147 एम एम टी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन निम्नानुसार था :

	तेल का उत्पादन
1994-95	32.24 एम एम टी
1995-96	35.147 एम एम टी
1996-97	32.88 एम एम टी

[अनुवाद]

शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम

3016. **श्री मंगल राम प्रेमी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूलों और कालेजों में खेलकूद को बढ़ावा देने और समेकित शारीरिक शिक्षा के समेकन के लिए तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में दिल्ली में राज्यों के खेल मंत्रियों की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और बैठक में चर्चित मुद्दों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों के खेल मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 12.2.1997 को दिल्ली में हुई थी जिसमें खेल तथा युवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी। अन्य के अलावा, शैक्षिक पाठ्यक्रम में खेल तथा शारीरिक शिक्षा के एकीकरण का मुद्दा भी चर्चा के लिए उठाया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) ने खेलों व शारीरिक शिक्षा को स्कूलों एवं कालेजों में एक अनिवार्य विषय के रूप में रखने की सिफारिश की है। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब) की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को परामर्श दिया है।

[हिन्दी]

बिहार में सिंचाई परियोजनाएं

3017. **श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में छोटा नागपुर में कितनी अधूरी सिंचाई परियोजनाएं हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना व्यय हुआ है;

(ग) कब तक इन परियोजनाओं को पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा इसे प्रदान की गई प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्र० सं०	परियोजना का नाम	मार्च, 1996 तक व्यय
1	2	3
I.	चल रही वृहद्परियोजनाएं	
1.	उत्तर कोयल जलाशय*	399.44
2.	सुब्रर्ण रेखा*	653.83
3.	तिलैया व्यथवर्तन*	19.31
4.	औरंगा जलाशय	19.59
5.	पुनासी जलाशय*	40.32
6.	गंडक फेस-2	69.81

1	2	3
II.	**चल रही मझौली परियोजनाएं**	
1.	बताने	29.75
2.	भैरिरा	13.89
3.	बसुकी*	0.16
4.	धनसिंह टोली*	13.48
5.	गुनानी	26.85
6.	झरिहरा	1.96
7.	कतरी*	21.78
8.	कसजोरे	21.20
9.	कन्स	12.67
10.	केसो	5.96
11.	लतराता	87.84
12.	नटकी	13.20
13.	पंच खेरा	5.10
14.	राम रेखा*	4.51
15.	संकरी गली	8.81
16.	सुरंगी	11.85
17.	सोनुआ	22.78
18.	सुरू	5.53
19.	सलिया*	0.11
20.	सतपोतका*	0.15
21.	तोरई	19.69
22.	ऊपरी शांक	11.94

*योजना आयोग द्वारा अननुमोदित परियोजनाएं

[अनुवाद]

बहु-उद्देशीय नदी बांध परियोजना

3018. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर सुबानसिरी तथा सियांग में बहु-उद्देश्यीय नदी बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव जो संबंधित राज्यों को स्वीकार्य हो केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है; और

(ङ) बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत उत्पादन के संदर्भ में प्रत्याशित लाभ क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा सुबनसिरी और सियांग (देहंग) परियोजनाओं के लिए क्रमशः 4800 मेगावाट और 20,000 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई थी। सुबनसिरी और पिंगकिओंग के संबंध में महत्वपूर्ण नगरों जैसे डोपोरिजो, डम्पोरिजो और तागेंग सतओंग परियोजना के संबंध में पंगिंग सहित बड़े पैमाने पर जलमग्नता के कारण अरूणाचल प्रदेश सरकार की कड़ी आपत्ति की वजह से हल्के उच्च बांधों के निर्माण के वास्ते सुबनसिरी और देहंग परियोजनाओं के लिए तीन वैकल्पिक स्थलों का अन्वेषण ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किया गया है।

(घ) और देहंग परियोजनाओं के लिए इन नए स्थलों का सर्वेक्षण और अन्वेषण तीन वर्षों की अवधि में पूरे किए जाने हैं।

(ङ) वैकल्पिक स्थलों पर इन परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले संभावित लाभ नीचे दिए गए हैं।

	शक्ति
सियांग परियोजना के लिए	
(i) पगिंग	11,000 मेगावाट
(ii) मेगापर	700 मेगावाट
(iii) रोतंग	1,700 मेगावाट
सुवानसिरी परियोजना के लिए	
(i) मेन्गापर	2500 मेगावाट
(ii) तामेन पर	2000 मेगावाट
(iii) गेरुमुख पर	2800 मेगावाट

मूल आयोजना के अधीन यह परिकल्पना की गयी थी, कि देहंग और सुवानसिरी बांध परियोजनाओं के निर्माण के बाद, पांडु (गुवाहाटी) पर बाढ़ का स्तर लगभग एक मीटर कम हो जाएगा।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

3019. श्री मुनिलाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनेक तेल निगमों के वितरकों के लिए रसोई गैस कनेक्शन जारी करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) वितरकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने कनेक्शन मंजूर किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 1991 से पहले के स्थापित रसोई गैस वितरक जिनके पास 5000 से अधिक कनेक्शन है उन्हें नए रसोई गैस वितरकों की नियुक्ति के बजाय उपभोक्ताओं को रसोई गैस के और अधिक कनेक्शन जारी करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या तेल निगमों द्वारा आरक्षित श्रेणी के अधिकांश रसोई गैस वितरकों के साथ रसोई गैस कनेक्शन जारी करने में भी भेदभाव किया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने 1991 के बाद स्थापित रसोई गैस वितरकों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) उत्पाद की कमी के कारण एल पी जी कनेक्शन वार्षिक पंजीकरण योजना और डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध स्लैक और प्रतीक्षा सूची को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। फिलहाल कनेक्शन जारी करने में निम्नलिखित वरीयता/प्राथमिकता मानदण्डों का अनुपालन किया जा रहा है :-

1. पर्वतीय क्षेत्र
2. ताज ट्रेपेजियम
3. तत्काल योजना
4. 1.1.1991 से पहले पंजीकृत ग्राहक
5. संसद सदस्य प्राथमिकता कनेक्शन
6. व्यवहार्यता से निम्न स्तर पर प्रचालनाधीन डिस्ट्रीब्यूटर
7. नई चालू की गई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू किए जाने के प्रथम वर्ष में दो किस्तों में 1000 कनेक्शनों का दिया जाना।
8. शेष एल पी जी कनेक्शन व्यवहार्यता सीमा से ऊपर प्रचालना-धीन डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से प्रत्येक तेल कंपनी द्वारा इस सिद्धांत के आधार पर विकसित मानदण्डों के अनुसार जारी किए जाते हैं कि कम रिफिल बिक्री वाले और भारी प्रतीक्षा सूची वाले पुराने डिस्ट्रीब्यूटरों को अपेक्षाकृत अधिक कनेक्शन मिलें।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के वितरकों को जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	जारी किए गए कनेक्शनों की संख्या (लाखों में)
1994-95	22.9
1995-96	20.5
1996-97	23.4

(ग) 1.1.1991 से पहले की प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए सरकार के निर्देश के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटर 1.1.1991 से पहले पंजीकृत आवेदकों को मांग करने पर एल पी जी कनेक्शन जारी कर रहे हैं। 1.1.1991 से पहले चालू की गई डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के डिस्ट्रीब्यूटरों की 1.1.1991 से पहले बनी प्रतीक्षा सूची में अपेक्षाकृत अधिक लोग होंगे। स्थलों आदि के कारण इन कनेक्शनों को नए डिस्ट्रीब्यूटरों को अन्तरित करना संभव नहीं होगा। इसलिए यह संभव है कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर उन डिस्ट्रीब्यूटरों की अपेक्षा अधिक संख्या में कनेक्शन जारी कर रहे हैं जिन्हें हाल ही में चालू किया गया है।

(घ) और (ङ) नए एल पी जी कनेक्शनों के आबंटन में अन्य श्रेणियों की तुलना में आरक्षित श्रेणी के डिस्ट्रीब्यूटरों के विरूद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तेल कंपनियां यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देती हैं कि अधिकतम सीमा से नीचे प्रचालनाधीन डिस्ट्रीब्यूटरों विशेषकर उन डिस्ट्रीब्यूटरों को, जो व्यवहार्य सीमा से नीचे प्रचालनाधीन हैं, और जिनमें आरक्षित श्रेणी के डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल हैं, व्यवहार्य सीमा से ऊपर प्रचालनाधीन डिस्ट्रीब्यूटरों की तुलना में अधिकतम संख्या में नए कनेक्शन प्राप्त हों।

जन जातीय नायक

3020. **श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जनजातीय नायकों का पता लगाने के लिए "अम्बेडकर फाउंडेशन" के पैटर्न पर ही किसी फाउंडेशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जंयती के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जनजातीय नायकों का पता लगाने के लिए अंबेडकर फाउंडेशन के पैटर्न पर किसी फाउंडेशन को स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधीकरण पंचाट

3021. **श्री के०एस० रायडु :**
श्री एल० रमना :
श्री टी० गोपाल कृष्ण :
श्री आर० साम्बासिवा राव :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधीकरण पंचाट का उल्लंघन कर तुंगा तथा अन्य परियोजनाओं को दी गयी मंजूरी की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) सूखा प्रवण रायल सीमा क्षेत्र में जल का पूर्ण प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश ने संघ सरकार से कर्नाटक में कृष्णा बेसिन की ऊपरी तुंगा एवं अन्य परियोजनाओं को दी गई मंजूरियों/स्वीकृतियों की समीक्षा करने और कर्नाटक को उनका निर्माण कार्य करने से रोकने के लिए अनुरोध किया है। तथापि, संघ सरकार ने ऐसी किसी भी परियोजना को निवेश स्वीकृति नहीं दी है।

[हिन्दी]

भारतीय खेल प्राधिकरण को अनुदान

3022. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण को अनुदान अथवा अन्य किसी रूप में कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) इस दी गयी धनराशि की किस प्रकार जांच की जायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खेल प्राधिकरण (एस०ए०आई०) को

निम्नलिखित धनराशि अनुदान अथवा किसी अन्य रूप में दी गई है :-

क्र०सं०	वर्ष	धनराशि
1.	1994-95	42,62,98,000/- रुपये
2.	1995-96	41,26,00,000/- रुपये
3.	1996-97	47,81,23,000/- रुपये

(ख) भारतीय खेल प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है तथा इसकी वार्षिक रिर्पोट और लेखा परीक्षित लेखे संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे जाते हैं। इस प्रकार, भारतीय खेल प्राधिकरण को दी गई धनराशि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से निगरानी रखी जाती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर बाईपास का निर्माण करना

3023. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर बर्ना में वर्तमान बाईपास के कार्य की स्थिति क्या है;

(ख) किस कम्पनी को उक्त कार्य का ठेका दिया गया है तथा इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) गोवा में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर वेरना बाइपास के कार्य के लिए 313.34 लाख रु० स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और मैसर्स पीटर बी० कोलाको एंड संस से न्यूनतम निविदा प्राप्त हुई है।

(ग) दिनांक 31.7.1999 तक कार्य पूरा किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

गांवों में साक्षरता अभियान

3024. श्री पवन दीवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में शिक्षा तथा साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु क्या कार्य किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त कार्य संतोषप्रद ढंग से किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की मुख्य नीति है, का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण देश में समस्त लक्षित गैर-शिक्षित जनसंख्या की निरक्षरता का उन्मूलन करना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण साक्षरता दर 44.45 प्रतिशत है, उत्तर-पूर्वी राज्यों, सिक्किम और जम्मू एवं कश्मीर में ग्रामीण कार्यात्मिक साक्षरता परियोजना की एक विशिष्ट योजना कार्यान्वित की जा रही है, जहां तर्कसंगत कारणों की वजह से अभियान विधि दृष्टिकोण अपनाया नहीं जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत 65 परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) शिक्षा विभाग ने सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों का स्तर एवं प्रभाव मूल्यांकन किया जिससे इस कार्यक्रम की दृढ़ता और कमजोरियाँ प्रकाश में आई। समिति की सिफारिशों के आधार पर, साक्षरता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने और उनको सुधारने के लिए उपाय किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ साक्षरता अभियानों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थानों को और सशक्त रूप में सम्मिलित करने तथा निगरानी तन्त्र को अधिक सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि देश में निरक्षरता उन्मूलन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करना सुनिश्चित हो।

इतिहासकारों के वेतनमानों में कटौती

3025. श्री मनोज कुमार सिन्हा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् का विचार कुछ इतिहासकारों के वेतन में कटौती करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कुल कितने इतिहासकारों के वेतन में कटौती की जायेगी और क्या इनमें सेवानिवृत्त इतिहासकार भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो सेवानिवृत्त हो गये ऐसे इतिहासकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् को जब मालूम हुआ कि इसके कुछ कर्मचारियों को 1992 में दिए गए वेतनमान, सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतनमानों के बराबर नहीं है तो उसने वे वेतनमान वापिस ले लिए तथा उनके स्थान पर उपयुक्त नए वेतनमान दे दिए।

(ग) और (घ) अनुमोदित वेतनमानों को वापिस लेने के निर्णय में केवल 11 व्यक्ति शामिल है; जिसमें से 3 व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुके। प्रदान की गई राशि की वसूली नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान की जेलों में बंद रक्षा कार्मिक

3026. श्री बी०के० गढ़वी :
श्री विजय गोयल :

क्या **रक्षा मंत्री** 17 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3384 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे रक्षा कार्मिकों को रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : सरकार ने यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है। यह मामला भारत-पाक विदेश मंत्रियों की अप्रैल, 1997 में हुई बैठक में भी उठाया गया था।

रसोई गैस/पेट्रोल/डीजल डीलर

3027. **श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा रसोई गैस/पैट्रोल/डीजल के डीलरों की नियुक्ति हेतु कितने विज्ञापन जारी किए गए; और

(ख) राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री : (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1994-95 से 1996-97 के दौरान देश के विभिन्न भागों में 1448 पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री डीलरशिपों और 1141 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में विज्ञापन दिए गए थे। इनमें से 342 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों और 156 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के संबंध में चयन किया गया है। बाकी प्रस्ताव चयन के लिए लंबित हैं और चयन प्रक्रिया को दोबारा आंरभ करने के तुरंत बाद इन पर कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

भारतीय एयरलाइन की उड़ानों में भोजन की गुणवत्ता

3028. **श्री आर० देवदास : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान यात्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव के अनुसार भारतीय एयरलाइनों की उड़ानों के दौरान नाश्ता, मध्याह्न के भोजन और रात्रि के भोजन की गुणवत्ता दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों के मानदण्डों के अनुसार भोजन की गुणवत्ता में कब तक सुधार किया जाएगा ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

घोटाला

3029. **श्री राम टहल चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं और बच्चों के कल्याण के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण के विरुद्ध सरकार को कुछ मामलों में विभिन्न स्रोतों से समय-समय पर कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं। ऐसे मामलों में, संबंधित राज्य सरकारों तथा सरकार की अपनी एजेन्सियों द्वारा जांच की जाती है। उन मामलों में जहां जांच के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा निधियों के दुरुपयोग का पता चलता है, अनुदान बन्द कर दिया जाता है। तथा अनुदान वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। संबंधित गैर-सरकारी संगठनों का नाम भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाला गया है तथा जिन्हें अनुदान देना बन्द कर दिया गया और दिया हुआ अनुदान वापस लेने के लिए जिनके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की गई है, उनके नाम दर्शाने वाली सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष	क्रम सं०	संस्था का नाम
1	2	3
1994-95	1.	अमर सेवा समिति, रामनगर, राजस्थान
	2.	दयानन्द शिक्षा समिति, रोहतक
	3.	महिला जागृति मण्डल, पंचकुला
	4.	महिला एवं उत्थान समिति, पुराना पंचकुला
	5.	महिला मण्डल, ग्राम रोहाना, जिला सोनीपत
	6.	गंगासेवा समिति, कैथल, हरियाणा
	7.	महिला शिक्षण समिति, रोहतक
	8.	विकास सेवा समिति, रेवाड़ी
	9.	पार्टीसिपेट्स फॉर डिवैल्पमेंट, करनाल
	10.	जनसेवा समिति, इसराना, सोनीपत
	11.	नारी महिला कल्याण सभा, करनाल
	12.	हरिजन सभा, कैथल
	13.	आदर्श सेवा समिति, करनाल
	14.	जीवन ज्योति समिति, सिरसा
	15.	जन कल्याण समिति, सोलन, हिमाचल प्रदेश
	16.	जगदेश्वरी समाज कल्याण मण्डल, मण्डी, हि० प्रदेश
	17.	नारी कल्याण सहकारी समिति, मण्डी, हि० प्रदेश
	18.	एरम एज्यूकेशन सोसायटी, नागपुर, महाराष्ट्र
	19.	राजेन्द्र शिक्षा एवं समाज कल्याण संस्थान, सीतामढ़ी, बिहार
	20.	कांगड़ा कल्याण कल्याण सभा, धर्मशाला
	21.	संत कबीर शिक्षा समिति, ग्वालियर
	22.	परिवार एवं शिशु कल्याण एसोसियेशन, मण्डी, हि० प्रदेश
	23.	संयोगिता विद्या प्रसारक शिक्षण संस्थान, यवतमाल, महाराष्ट्र
	24.	ताज वैलफेयर सोसायटी, गोदचिरोली, महाराष्ट्र
	25.	सविताभाई फूले शिक्षण संस्थान, ठाणे
	26.	सेवादल सोशिओ-इकॉनॉमिक वैलफेयर सोसायटी, तिरूवनन्तपुरम
	27.	चिल्ड्रन वैलफेयर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम

1	2	3
1994-95	28.	सरोजिनी महिला मण्डल, गुण्टूर
	29.	कर्नाटक रूरल वैलफेयर सोसायटी, अर्सीकोरे
	30.	शशि शांतदुर्ग विद्यावर्द्धक संघ, उत्तरी कनारा
	31.	कल्पतरू रूरल वैलफेयर सोसायटी, अरशकोरे, नीलगंगा सेवा केन्द्र जिला गुलबर्गा
	32.	दर्पण एज्यूकेशन सोसायटी, अहीर मोहल्ला, जहांगीराबाद, भोपाल
	33.	संदीपनी महिला एवं बाल कल्याण समिति, 89-गांधी कॉलोनी, मुरैना
	34.	श्री शांति शिशु मंदिर समिति, 89, गांधी कॉलोनी, मुरैना
	35.	जन कल्याण समिति, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)
	36.	जगदेश्वरी समाज कल्याण मण्डल, मण्डी (हिमाचल प्रदेश)
1995-96	1.	बहुद्देशीय प्रशिक्षण केन्द्र, सर्वोदय ग्राम कन्होली, जिला मुजफ्फरपुर
	2.	महिला विकास सेवा संस्थान, ग्राम/मोहल्ला मरनी पुरूसराय जिला नालन्दा
	3.	रमाशंकर शाही आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान संस्थान मुजफ्फरपुर
	4.	महाऊन शिक्षा प्रसार समिति, मुरैना टाकीज, शंकर बाजार, मुरैना
	5.	त्रिशाला महिला कल्याण समिति, महिला त्यागी वत्रि आश्रम, सोनागिरि, दतिया
	6.	प्रगति महिला कला समिति, बड़ी खेरमई, गेट नं० 2 जबलपुर (म०प्र०)
	7.	आश्रय ट्रस्ट, माण्ड्या (कर्नाटक)
	8.	रिवर वैली आर्गेनाइजेशन, एस०आर० पटना, माण्ड्या
	9.	द ब्रह्मपुर गुरूअरिबम किकई, वूमैन वैलफेयर एसोसियेशन, डाक बह्मपुर गुरूअरिबम किकई, इम्फाल
	10.	गीता शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, रणजीतनगर, डी-ब्लॉक के सामने भरतपुर
	11.	कृष्ण बाल विकास शिक्षण समिति, गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर
	12.	जीवन प्रगति संस्थान, हाउसिंग बोर्ड, म०नं० 94, सैक्टर-9, जिला हनुमानगढ़
	13.	हैल्प केयर सोसायटी, एस०एफ०एस० फ्लैट्स, हौज खास, नयी दिल्ली
	14.	जीवन प्रगति संस्थान, श्री गंगानगर, राजस्थान
	15.	हैल्थ केयर सोसायटी, एस०क्यू०-116, एस०एफ०एस० फ्लैट्स, हौज खास, नयी दिल्ली

1	2	3
1996-97	1.	नवोदय समाज कल्याण विकास समिति, अलवर, राजस्थान
	2.	शहीद अब्दुल हमीद एज्यूकेशन सोसायटी, वार्ड नं 12, दरवाह, यवतमाल, महाराष्ट्र
	3.	पीपल्स काउंसिल ऑफ इण्डिया, छठू भवन, दक्षिण मन्दीरी, पटना (बिहार)
	4.	प्रगति मुंगेर, ग्राम-माधोपुर, डाक-बसुदेवपुर, थाना व जिला - मुंगेर, बिहार,
	5.	लक्ष्मी नारायण महिला विकास संस्थान, ग्राम व डाक-अलीनगर, थाना-बहेड़ा, बिहार
	6.	ए०एस०एच०आई०, चन्द्र निलयम भवन, नाला रोड, कदम कुंआ, पटना (बिहार)
	7.	ललित कोशी सेवा आश्रम, मोहल्ला-जयप्रकाश नगर, डाक व जिला-खगड़िया (बिहार)
	8.	महावोधि ज्ञानोदय संस्थान, सर्वहारा, डाक-सर्वहारा जिला गया (बिहार)
	9.	बी०जी०एम०एस० कर्नाटक स्टेट ब्रांच, विभितीपुरा, बंगलौर (कर्नाटक)
	10.	सक्सैस शिवन कला मंदिर, मकान सं० 1367/बी, रामलिंग खिंड, गल्ली बेलगाम (कर्नाटक)
	11.	देवदासी एण्ड फिजीकली हैण्डीकैप्ड वैलफेयर एसोसियेशन, कोरवार, ताल्लुका-सिंगगी, जिला-बीजापुर (कर्नाटक)
	12.	सांस्कृतिक सेवा संघ, बगाईकोट, जिला बिजापुर (कर्नाटक)
	13.	रिवर वैली ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट, बी-12/46, रूप श्री, श्रीरंगपट्टणम, माण्ड्या जिला (कर्नाटक)
	14.	श्री महावीर चिल्ड्रन्स स्कूल समिति, रदखाना कॉलोनी, बीकानेर (राजस्थान)
	15.	सार्वजनिक विकास सेवा संस्थान, नये अस्पताल के पीछे हिण्डन सिटी, माधोपुर, (राजस्थान)
	16.	श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर विद्यालय समिति, 10-रावतसर, जिला गंगानगर (राजस्थान)
	17.	महाराष्ट्र आधुनिक किसान शिक्षण संस्थान, चन्द्रपुर
	18.	डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मण्डल, जिला यवतमाल
	19.	सांधी निकेतन शिक्षण संस्थान, नान्देड़ जिला
	20.	एम०पी० न्यू फादर एंजिल स्कूल, इन्दौर
	21.	एम०पी० नूतन एज्यूकेशन सोसायटी, भोपाल
	22.	नूतन एजूकेशनल सोसायटी, भोपाल
	23.	गिरिजा शंकर (जी०एस०) शिक्षण समिति, भोपाल (म०प्र०)

1	2	3
	24.	आदिवासी विकास एवं शिक्षण प्रतिष्ठान, जिला सरगुजा (म०प्र०)
	25.	ऑल इण्डिया वीमैन्स कॉन्फ्रैंन्स, अलेपी, केरल शाखा
	26.	इण्टीग्रेटेड रूरल कम्यूनिटी डिवैल्पमैण्ट सोसायटी, रवीन्द्रनगर, कुड्डप्पु जिला, आन्ध्र प्रदेश
	27.	युवक विकास ट्रस्ट, अहमदाबाद
	28.	राष्ट्रीय प्रेरणा समाज कल्याण मंडल, जिला-नागपुर

जाली विमान टिकटों के मामले

3030. श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाली विमान टिकटों के मामले सामने आए हैं;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान ऐसे जाली टिकटों के सम्बन्ध में ट्रेवेल एजेंटों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा उनसे कितने जाली टिकट बराबद किए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

विद्यालय में और कमरों का निर्माण

3031. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में दानापुर छावनी स्थित केन्द्रीय विद्यालय की मुख्य इमारत में ही प्राथमिक पाठशाला को भी स्थानान्तरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों प्राथमिक पाठशालाओं तथा सेकेन्ड्री विद्यालयों को एक ही इमारत में स्थानान्तरित कर देने से शिक्षण कार्य दो पारियों में चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण के घन्टों की अवधि में कटौती करनी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस विद्यालय में और अधिक कमरों के निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) जी, हां। प्राथमिक कक्षाएं मुख्य भवन में स्थानान्तरित कर दी गई हैं और विद्यालय दो पारी में कार्य कर रहा है। प्रत्येक पारी की अवधि को इस प्रकार से समायोजित किया गया है कि छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 101.62 लाख रु० पहले ही संस्वीकृत कर दिये हैं और अभी तक 90.00 लाख रु० की राशि प्रदान की जा चुकी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पोलिटेक्निक संस्थान

3032. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में झारसुगुड़ा में महानदी पोलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अनुरोध कब प्राप्त हुआ था और इस संस्थान की स्थापना के लिए निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) वर्ष 1997-98 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृत के लिए महानदी पोलीटेक्निक संस्थान, झारसुगुड़ा, उड़ीसा की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा संस्थान को एक व्यवहार्यता पत्र जारी किया गया है कि वे परिषद को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

प्रख्यात व्यक्तियों को एयर टिकट जारी करना

3033. श्री पी०एस० गढ़वी :
श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स ने गत एक वर्ष के दौरान कुछ प्रख्यात व्यक्तियों को मानार्थ एयर टिकट जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो टिकटों के मूल्य और स्थानों के नाम के ब्यौरे सहित गत एक वर्ष के दौरान एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के टिकट दिए जाने वाले व्यक्तियों के नाम और पदनाम क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने यात्रा विवरण संबंधी पत्रिकाओं को एयर टिकट दिए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने नेटवर्कों पर विभिन्न सैक्टरों के लिए जारी टिकटों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

एयर इंडिया अप्रैल 1996 से 15.7.1997	:	267
इंडियन एयरलाइन्स-जुलाई 96 से जून, 1997	:	1101

इन टिकटों के मूल्यों का रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) क्षमता की उपलब्धता के आधार पर, एयर इंडिया की उड़ानों पर पर्यटन मंत्रालय की प्रचार सामग्री निःशुल्क ले जायी जाती है।

आई०एन०ए० का मार्शल सौंग

3034. श्री आर०बी० राई : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैप्टन राम सिंह ठाकुरी द्वारा रचित आई०एन०ए० का युद्ध गीत "कदम-कदम बढ़ाएं जा" भारतीय सेना के "मार्चिंग" गीत के रूप में वर्गीकृत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) युद्ध संबंधी देश भक्ति गीत "कदम-कदम बढ़ाए जा" को सेना गीत के रूप में स्वीकार किया गया है और इसका पहला प्रदर्शन सुब्रतो आडिटोरियम के सैन्य बैंड संगीत समारोह में 23 से 26 नवंबर, 1996 तक किया गया था। इसे 15 जनवरी, 1997 को सेना दिवस परेड और 26 जनवरी, 1997 को गणतंत्र दिवस परेड की मार्च धुन के रूप में भी प्रमुखता दी गई थी।

बाड़ापानी, शिलांग में हुई नौका दुर्घटना

3035. श्री थामस हंसदा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जुलाई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नेग्लीजेंस कॉस्ट्स आर्मी 8 लाख" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सेना के नियंत्रणाधीन सभी झीलों, बोट क्लबों में आवश्यक सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार भयंकर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने और इन दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) इस दुर्घटना की जांच करने के लिए मुख्यालय पूर्वी वायु कमान द्वारा एक जांच अदालत बिठाई गई थी। जांच अदालत ने यह निर्णय दिया है कि "इस दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति अथवा संगठन को दोषी न ठहराया जाए।" तथापि, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिए गए प्रतिकूल निर्णय को देखते हुए प्रशिक्षण के लिए प्रयुक्त नौकाओं के सुरक्षित संचालन के वास्ते, मौजूदा सुरक्षा उपायों तथा दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त, सेना प्राधिकारियों ने सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा कड़ाई से पालन करने के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

[हिन्दी]

खेल परिसर

3036. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों की राजधानियों में खेल परिसरों का निमार्ण करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे परिसर बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं और प्रत्येक राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी-कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार भोपाल में बन रहे खेल परिसर को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) देश में खेलों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं;

(ङ) राज्यों को अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता और बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष कितने राज्यों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने का विचार है; और

(च) अब तक मध्य प्रदेश के कितने खेल परिसरों के लिए कुल कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है और इससे कितने स्टेडियमों का निर्माण किया गया है और कितने निर्माणाधीन हैं तथा इनको पूरा करने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी, हां। विभाग की खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, राज्यों की राजधानियों में राज्य खेल प्रशिक्षण परिसरों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ख) उन राज्यों की सूची जहां राज्य खेल प्रशिक्षण परिसरों (एस०एस०टी०सी०) का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है, के साथ-साथ उन्हें अभी तक उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। एक राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर के लिए अधिकतम 2.00 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। भोपाल परिसर के लिए स्वीकृत 2.00 करोड़ रुपये में से 1.75 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी गई है तथा शेष अनुदान की रकम पिछले अनुदान से संबंधित उपयोग प्रमाण-पत्र/प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जारी की जाएगी।

(घ) देश में खेलों के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजनाएं हैं :-

1. खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु अनुदानों की योजना, तथा
2. ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना।

(ङ) खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, राज्यों को खेल मैदान, इंडोर/आऊटडोर स्टेडियम, तरणताल, स्केटिंग रिंक, साइकिल वेलोड्रम और खेल छात्रावास जैसी आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए समतुल्य अंशदान आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत, खेल मैदान के विकास और गैर-उपभोज्य खेल उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक के अनुदान दिए जाते हैं। वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दिए गए केन्द्रीय अनुदानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है।

राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासनों को वितरण के लिए चालू वर्ष के दौरान, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत कुल 9.00 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है (अर्थात् खेल अवस्थापना की मुख्य योजना के लिए 8.60 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण स्कूलों को अनुदान की योजना के लिए 0.4 करोड़ रुपये) कोई भी राज्य-वार आवंटन निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(च) जैसा कि उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में केवल एक राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर की सहायता की जाती है। भोपाल में राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर के लिए जारी की गई केन्द्रीय अनुदान की राशि भाग (ग) के उत्तर में दर्शायी गई है। मध्य प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता प्राप्त खेल

परियोजना विकास क्षेत्र (एस०पी०डी०ए०) केन्द्रों जिन्हें खेल परिसर भी कहा जाता है, तथा उनमें से प्रत्येक को जारी की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं। इसके अलावा 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान तथा आज तक प्रत्येक को स्वीकृत एवं जारी की गई केन्द्रीय सहायता की रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

उन राज्यों को जिनमें राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर निर्मित कर दिए गए हैं अथवा जो निर्माणाधीन हैं और प्रत्येक के लिए स्वीकृत, जारी की गई और जारी की जाने वाली केन्द्रीय सहायता की रकम को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य खेल प्रशिक्षण परिसर का स्थान	अनुमोदित रकम (लाख रुपये में)	जारी की गई रकम (लाख रुपये में)	अभी जारी की जाने वाली रकम (लाख रुपये में)
1.	मद्रास, तमिलनाडु	200.00	100.00	100.00
2.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	200.00	195.00	5.00
3.	भुवनेश्वर, उड़ीसा	180.00	180.00	—
4.	कोहिमा, नागालैण्ड	200.00	130.00	70.00
5.	खुमान लम्पाक, इम्फाल मणिपुर	131.00	131.00	—
6.	जयपुर, राजस्थान	190.00	190.00	—
7.	बाघरघाट, अगरतला, त्रिपुरा	129.00	129.00	—
8.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	181.00	171.00	10.00
9.	फरीदाबाद, हरियाणा	200.00	175.00	25.00
10.	भोपाल, मध्य प्रदेश	200.00	175.00	25.00
11.	पुणे, महाराष्ट्र	200.00	200.00	—
	कुल जोड़	2011.00	1776.00	235.00

विवरण-II

खेल अवस्थापनाओं के सृजन हेतु दिए गए अनुदान का विवरण

(सभी धनराशि रुपयों में है)

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	12,50,000	21,50,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	10,86,000	20,65,000	शून्य
3.	असम	शून्य	46,20,000	8,00,000
4.	बिहार	शून्य	25,92,400	शून्य
5.	गोवा	19,00,000	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	5,17,242	43,200
7.	हरियाणा	97,50,000	38,88,000	98,33,400
8.	हिमाचल प्रदेश	45,50,000	1,86,000	89,10,400
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	15,74,250	64,34,300	8,36,37,058
11.	केरल	16,59,800	6,00,100	19,13,400
12.	मध्य प्रदेश	85,00,000	70,00,000	शून्य

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	10,00,000	1,17,90,500	18,00,000
14.	मणिपुर	87,50,000	शून्य	43,50,000
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	1,07,74,500	1,86,19,600
17.	नागालैंड	75,00,000	25,00,000	शून्य
18.	उड़ीसा	45,000	4,95,000	90,00,000
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	2,50,000
20.	राजस्थान	शून्य	8,25,000	12,30,000
21.	सिक्किम	13,15,918	शून्य	2,48,454
22.	तमिलनाडु	54,770	3,32,925	35,15,575
23.	त्रिपुरा	64,50,000	शून्य	14,50,000
24.	उत्तर प्रदेश	1,31,45,512	54,39,488	8,00,000
25.	पश्चिम बंगाल	4,95,000	5,86,490	35,00,000
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	शून्य	1,75,500	1,75,500
3.	दादरा व नागर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य
4.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य	शून्य	12,50,000
6.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
7.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य

विवरण-III

ग्रामीण स्कूलों को अनुदानों की योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई केन्द्रीय अनुदान राशि दर्शाने वाला विवरण।

(सभी धनराशि रुपयों में है)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	11,87,041	3,51,499	3,81,173
2.	अरूणाचल प्रदेश	1,00,000	21,600	-
3.	असम	-	9,41,596	-
4.	बिहार	6,77,323	7,85,967	-
5.	गोवा	-	99,100	-
6.	गुजरात	-	2,00,000	99,346
7.	हरियाणा	99,965	63,420	1,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	5,79,527	11,44,634	1,00,000
9.	जम्मू व कश्मीर	1,63,245	-	1,53,455
10.	कर्नाटक	5,22,008	2,95,755	1,00,000
11.	केरल	84,925	-	-
12.	मध्य प्रदेश	1,00,000	95,934	-
13.	महाराष्ट्र	2,96,910	1,00,000	-
14.	मणिपुर	10,98,853	6,16,673	34,949
15.	मेघालय	-	-	-
16.	मिजोरम	-	-	-
17.	नागालैंड	9,00,000	1,00,000	-
18.	उड़ीसा	12,67,110	1,98,226	7,57,409
19.	पंजाब	-	1,00,000	1,00,000
20.	राजस्थान	-	1,49,595	-
21.	सिक्किम	-	-	-
22.	तमिलनाडु	2,52,311	1,30,700	-

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	94,095	7,54,289	73,175
24.	उत्तर प्रदेश	1,99,515	1,73,570	2,93,709
25.	पश्चिम बंगाल	2,35,271	1,29,080	-
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	2,58,198
2.	चण्डीगढ़	-	-	-
3.	दादरा व नागर हवेली	-	-	-
4.	दमन व दीव	-	-	-
5.	दिल्ली	-	-	-
6.	पांडिचेरी	-	-	96,086
7.	लक्षद्वीप	-	-	-
	कुल जोड़	78,58,099	64,61,638	25,47,800

विवरण-IV

खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वास्ते मंजूर किए गए खेल परियोजना विकास क्षेत्र (एस०पी०डी०ए०) केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना का स्थान	अनुमोदित धनराशि (लाख रुपये में)	जारी की गई धनराशि (लाख रु० में)	टिप्पणी
1.	धार में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र	10.00	10.00	
2.	जबलपुर में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र	29.50	29.50	
3.	रायपुर में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र	23.00	13.00	
4.	सिहोर में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र	32.00	32.00	
5.	ग्वालियर में खेल परियोजना विकास क्षेत्र केन्द्र	15.00	15.00	

विवरण-V

मध्य प्रदेश के लिए मंजूर किए गए स्टेडियमों तथा खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान प्रत्येक स्टेडियम के लिए मंजूर की गई सहायता राशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम एवं स्थान	अनुमोदित धनराशि (लाखों में)	जारी की गई धनराशि (लाखों में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	बालोद, जिला दुर्ग में मिनी स्टेडियम	18.00	—	प्रगति रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।
2.	बुरहानपुर, जिला पूर्वी निमाड़ में बहुउद्देशीय इंडोर खेलकूद हाल	19,975	—	प्रगति रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।
3.	मुरैना में स्टेडियम	12.00	2.50	उपयोग प्रमाण पत्र/ प्रगति रिपोर्ट के प्राप्त होने पर 9.50 लाख रुपये की धनराशि जारी की जाएगी।
4.	पिछोर, जिला शिवपुरी में खेल स्टेडियम (छत्रसाल खेल स्टेडियम)	6.00	—	प्रगति रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

खेल परिसर

3037. **श्री विजय पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में गुजरात में कितने खेल परिसर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और खेल परिसरों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य में खेलों के विकास हेतु कितनी वित्तीय सहायता निर्धारित की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, गांधीनगर में एक खेल परिसर है जो भारतीय खेल प्राधिकरण पश्चिम क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने भावनगर, नादियाड, लिम्बढ़ी, देवगढ़, बारिया तथा पाटन में जिला खेल परिसरों का निमार्ण किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में पर्यटन परियोजनाएं

3038. **श्री नारायण आठवले : क्या पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को कोंकण और गोआ क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यन्न मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में पर्यटन परियोजनाओं की वर्तमान

अवस्था, जो राज्य सरकार द्वारा, केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कार्यान्वयनाधीन हैं, नीचे दिए अनुसार हैं :-

क्र०सं०	परियोजना	अवस्था
1.	गणपतिपुले में पर्यटक परिसर	अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
2.	महाबलेश्वर में पर्यटक परिसर	-वही-
3.	हरिहरेश्वर में समुद्र-तट कुटीरें	अनुमति प्राप्त की जा रही है।
4.	भंदरदारा में लेक व्यू रिजार्ट	-वही-
5.	फरदापुर में पर्यटक परिसर	-वही-
6.	कंकेश्वर एवं दाजीपुर में पर्यटक परिसर	-वही-
7.	गंगनबावड़ा में पर्यटक परिसर	भूमि अभिनिर्धारित कर ली गई है।
8.	कुदाल में मार्गस्थ सुविधाएं	अभी भूमि अभिनिर्धारित की जानी है।
9.	विजयदुर्ग में पर्यटक परिसर	भूमि अभिनिर्धारित कर ली गई है।
10.	वाशिम में पर्यटक परिसर	निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।
11.	शनिवारवाड़ा, पुणे में ध्वनि-व प्रकाश प्रदर्शन	कार्य प्रगति पर है।
12.	कारवाओं की खरीद	कार्रवाई चल रही है।
13.	हरिहरेश्वर तथा गणपतिपुले में कोंकण गृह	कार्य अभी आरंभ होना है।
14.	पिंगुली ग्राम में पर्यटक परिसर व शिल्प केन्द्र	-वही-

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के परामर्श से वर्ष 1997-98 के दौरान केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिए कोंकण गोआ क्षेत्र पर कुछ परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। इसमें गणपतितुले में पर्यटक रिजार्ट का विस्तार रायगढ़ एवं सिंधुदुर्ग में शौचालय सुविधाओं का तथा सिंधुदुर्ग विशेष पर्यटन क्षेत्र के लिए एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

नागर विमानन क्षेत्र में निवेश

3039. श्री अन्नासाहिब एम०के० पाटिल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विदेशी कम्पनियों तथा स्वदेशी निजी क्षेत्र की कम्पनियों दोनों से नागर विमानन क्षेत्र में नये निवेश का अनुमान क्या है;

(ख) हाल ही में मंजूर किये गये अथवा सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार किये जा रहे प्रमुख निजी क्षेत्र वाले निवेश प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में मांग अवधारणा/विकास की आवश्यकता पूरी करने के लिये मुम्बई के निकट नये अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा मंजूर किए गए विदेशी/निजी भागीदारिता वाले प्रस्ताव विवरण-I, II तथा III पर संलग्न हैं। हवाई अड्डे की बाबत, देवनहाली, बंगलौर में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोई नया हवाई अड्डा विकसित किया जाना अपेक्षित है तो उसके संबंध में मुम्बई में और उसके आस-पास सभी उपर्युक्त स्थलों के पूर्व-साध्यता अध्ययन करवाये जाने की आवश्यकता है। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

विवरण-I

विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए निजी विमान कंपनियों को दिया गया अनुमोदन

(28.7.1997 को यथा स्थिति)

निजी अनुसूचित प्रचालकों के नाम	अगस्त, 1994 को यथा स्थिति बेड़ा (क्षमता)	मार्च 94 में गैर-एकाधिकरण के बाद अनुमत अतिरिक्त विमान	विमान अर्जन समिति की बैठक की तारीख
1	2	3	4
1. अर्चना एयरवेज	3 एल-410 (19)	2 डैश-8-200 (48) 2 डैश-8-300 (48)	15.11.94
		4 डोर्नियर-328 (4 डैश -8 के स्थान पर)	28.12.95
		3 एल-410-यूवीपी-ई9 (एक एल-410 जोड़ा गया 4 डोओ-328 के स्थान पर)	
2. ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	7 बी-737-200 (126) 3 एफ-27 (44)	4 बी-737-400 (1 बदलाव, 3 अनुरक्षण)	17.05.95
3. जेट एयरवेज	4 बी-737-200 (114)	2 बी-737-300/400 (जोड़ा गया)	06.04.95
	2 बी-737-400 (164)	2 बी-737-300/400 (जोड़ा गया)	16.06.95

1	2	3	4
		2 बी-737-300/400 (जोड़ा गया)	12.06.96
		3 बी-737-300/400	29.08.96
4. मोदीलुफ्थ	4 बी-737-200 (107)	2 बी-737-400 (जोड़ा गया)	01.04.95
		2 बी-737-400	16.06.95
5. एनईपीसी	4-एफ-27-500 (50)	1 किंग एयर (सी-90) (जोड़ा गया)	01.04.95
		2 एफ-27-500 (जोड़ा गया)	06.04.95
		2 एफ-27-500 (जोड़ा गया)	16.08.95
6. सहारा इंडिया	1 बी-737-200 (126)	2 बी-737-400 (जोड़ा गया)	23.09.94
		1 बी-737-300	
		5 एटीआर 42-500	28.12.95
		1 बी-737-200 (5वीं एसी के रूप में)	29.08.96
		3 एक्रुअल एएस 355 एन (जोड़ा गया)	
		1 डाफिन एएस 365	
7. स्काईलाइन एनईपीसी (पूर्ववर्ती दमानिया एयरवेज)	4 बी-737-200 (126)	1 बी-737-200 (जोड़ा गया)	15.11.94
		1 बी-737-200	12.06.96
		3 एयरबस ए-310	29.08.96

विवरण-II

विमानों को बेड़े में शामिल करने के लिए गैर-अनुसूचित निजी विमान प्रचालकों को दिया गया अनुमोदन
(01-05-1997 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संo निजी अनुसूचित प्रचालकों के नाम	अगस्त, 1994 को यथा स्थिति बेड़ा (सीट क्षमता)	सितम्बर, 1994 से विमान अर्जन समिति द्वारा अनुमत अतिरिक्त विमान	विमान अर्जन समिति की बैठक की तारीख
1	2	3	4
1. एसीई एयरवेज प्राoलिo (पूर्ववर्ती दिल्ली गल्फ एयरवेज)	1 एक्रुअल 1 एलाउटी-3	2 एसए 315 लामा हेलीo	10.11.95
2. एरियल सर्विसेज प्राoलिo	2 बीच 400	—	—
3. ब्ल्यूo डार्ट एविएशन लिo	—	—	—
4. ईस्टर्न एयरवेज लिमिटेड	—	1 एचएस-125 (आयातित)	01.04.95
5. ईस्ट इंडिया होटल्स लिo	—	1 एचएस-125 (आयातित)	01.04.95
6. एलoबीo एयरलाइन्स	—	4 एफ-27/500 (आयातित)	10.04.95
7. गुजरात एयरवेज	—	2 बीच 1900 डी (आयातित)	07.02.95
		1 बीच 1900 डी	12.06.96
		3 एल-410	10.11.95
8. इंडिया इन्टरनेशनल एयरवेज	1 एचएस-125 2 बैल-206	3 शार्ट्स-360	31.10.94
		3 बैल जेट	14.02.95
		2 बैल 206 बी	14.02.95
		2 बैल 206 बी	29.08.96
9. जैगसन एयरलाइन्स	3 डीओ-128	2 डीओ-228	19.10.94
		1 डीओ-328	15.11.94
10. केoसीoवीo एयरवेज लिo	—	2 डीओ-228	30.12.94
11. मेगापोड एयरलाइन्स	1 एचoएसo-125	—	—

1	2	3	4
12. मैसको एयरलाइन्स	—	1 एमआई-172) 1 डॉफिन)	23.09.94
		1 एमआई-172) 3 एक्रुअल)	30.12.94
		1 सेसना टी 525	17.05.95
		5 एमआई-172	16.06.95
		3 एमआई-172	29.08.96
13. रैमण्ड्स लिमिटेड	—	1 एचएस-125	01.04.95 24.10.96 (को पुनः वैधतीकरण किया गया) 29.01.96
		1 (यूरोकाप्टर 355) 1 (यूरोकाप्टर 358)	16.06.95
		1 सेसना सिटेशन 2	26.06.96
		2 बैल 206 एस-3 (1 यूरोकाप्टर 358 के बदलाव के लिए)	29.08.96
14. सराफा एबिएशन	1 बीच बैरन	1 बीच बैरन बी-58	23.09.94
15. स्पैन एयर प्रा०लि०	—	1 बैल 206	20.07.95
		1 बैल 407	24.10.96
16. स्पैन एविएशन (आई०) लिमिटेड	—	4 बीचक्राफ्ट (सुपर किंग 200 ए)	
		1 बीचक्राफ्ट (सुपर किंग 200 ए) -एक्जीक्यूटिव	13.12.96
		1 बीचक्राफ्ट सी-90 किंग एयर - एक्जीक्यूटिव	18.02.97
17. टाटा टी लिमिटेड	—	—	—
18. ट्रांस भारत एविएशन	2 बीच 99	1 बीचक्राफ्ट 3200	16.08.95
19. यू०बी० एयर	1 बैल 47 जी	—	—
20. उड़ान अकादमी	2 सेसना 172 1 सेसना 152	4 शार्ट्स 360	13.12.96
21. यू०पी० एयर	—	3 डैश-8	31.10.94
22. वीआईएफ एयरवेज	—	2 डीओ-328 4 बीचक्राफ्ट 1900 डी	20.07.97

विवरण-III

जिन कम्पनियों में अनिवासी भारतीय इक्विटी को मंजूरी दी गई है उनके नाम

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी/एनआरआई इक्विटी का प्रतिशत
1.	जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड*	गल्फ एयर द्वारा 20 प्रतिशत विदेशी इक्विटी कुवैत एयर द्वारा 20 प्रतिशत विदेशी इक्विटी 60 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी।
2.	लुफ्थांसा कार्गो इंडिया प्रा०लि०**	95 प्रतिशत एन आर आई/ओसीबी इक्विटी (हिन्दुजा समूह द्वारा 57 प्रतिशत एन आर आई) (लुफ्थांसा एजी, जर्मनी द्वारा 38 प्रतिशत)
3.	टी०सी०जी० एविएशन प्रा०लि०	टी सी जी एविएशन, मारीशस द्वारा 100 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी।
4.	पलबी एयरलाइंस	सीएसएलबी एविएशन होल्डिंग (मारीशस) लिमिटेड द्वारा 55.84 प्रतिशत एन आर आई/ओ सी बी इक्विटी।

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी/एनआरआई ईक्विटी का प्रतिशत
5.	मैसर्स ट्रांस इंडिया एयरलाइंस प्रा०लि०	50 प्रतिशत एन आर आई/ओसीबी इक्विटी
6.	मैसर्स एश्योर्ड एयरवेज लिमिटेड	मैसर्स अजीत राघव एण्ड ऐसोशिएट्स द्वारा 50 प्रतिशत एन आई आई निवेश।
7.	मैसर्स डेक्कन एयरलाइंस	51 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी निवेश
8.	मैसर्स महर्षि इंटरनेशनल विजिनेस डिवेलपमेंट लिमिटेड	100 प्रतिशत एन आर आई इक्विटी।

*अंतर्देशीय विमानकंपनियों में विदेशी विमानकम्पनियों के इक्विटी निवेश को निषिद्ध करने वाले मंत्रिमंडलीय निर्णय के बाद 6 माह के अंदर विदेशी विमानकंपनियों से इक्विटी का विनिवेश किया जाना है।

**यह कम्पनी अंतर्देशीय सेक्टर पर प्रचालन नहीं करती।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सर्वेक्षण

3040. श्री रमेश चेन्नितला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केरल तट पर कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या यह प्रयास बाद में छोड़ दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) जी हां। वर्ष 1994-97 के दौरान केरल-कोंकण अपतट क्षेत्र में कुल 23541 एल के एम द्विआयामी और 9956 एल के एम त्रिआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए। मुख्यतया गहरे समुद्री क्षेत्रों में ये भूकंपीय सर्वेक्षण निर्वचन के विभिन्न चरणों में है। पहले अर्जित आंकड़ों के साथ-साथ 1994-97 के दौरान अर्जित भूकंपीय आंकड़ों के निर्वचन के फलस्वरूप अनेक संभाव्यतापूर्ण पूर्वेक्षण स्थलों की पहचान संभव हुई है। 1997-98 के दौरान वेधन के लिए चार अन्वेषणात्मक स्थान चुने गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं। नौंवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 9000 एल के एम द्विआयामी सर्वेक्षण की पहचान की गई है।

विद्युत उत्पादन परियोजना

3041. श्री एन०एन० कृष्णादास :
श्री पी०सी० थामस :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन तेलशोधक कारखाने द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना में कोई अड़चने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना को विदेशी कंपनियों अथवा एजेंसियों से समर्थन अथवा मदद मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (ग) सरकार ने 500 मेगावाट की क्षमता वाली विद्युत उत्पादन परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड को पहले चरण का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट 9 महीने की अवधि के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

(घ) और (ङ) परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही परियोजना के वित्तपोषण आदि से संबंधित ब्यौरा ज्ञात हो सकेगा।

भ्रष्टाचार के मामले

3042. डॉ० मुरली मनोहर जोशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार बेइमानी और ज्ञात आय से अधिक सम्पति रखने संबंधी कितने मामलों की जांच की गई है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में संलिप्त अधिकारियों की ग्रेडवार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान भ्रष्टाचार और बेइमानी संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और इन पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सतर्कता विभाग ने उन कर्मचारियों के विरूद्ध स्वयं ही कोई कार्यवाही की है जिन पर बेइमान और भ्रष्ट होने का संदेह है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने अधीन कार्यरत सतर्कता विभाग की शक्तियों के प्रयोग की पुनरीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान मंत्रालय के सतर्कता विभाग द्वारा जांच किए गए रक्षा/सिविल कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार, बेइमानी और ज्ञात आय से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित मामलों की संख्या 100 है।

(ख) उपर्युक्त मामलों में शामिल अधिकारियों की संख्या इस प्रकार है :-

सिविलियन	सेना अधिकारी
समूह "क" - 45	अफसर - 38
समूह "ख" - 42	जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर - 4
समूह "ग" - 27	अन्य रैंक/नाविक/वायुसैनिक - 9
समूघ "घ" - शून्य	

(ग) वर्ष 1995-1996 के दौरान भ्रष्टाचार और बेईमानी से संबंधित प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या 268 है। इन शिकायतों की जाचं संबंधित संगठनों के सतर्कता एककों के माध्यम से की गई और जिंन मामलों में आरोप साबित हुए हैं उनपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है।

(घ) जी, हां। सतर्कता अनुभाग/एकक उन कर्मचारियों के विरुद्ध स्व प्रेरणा से कार्रवाई करता है जिनपर बेइमान तथा भ्रष्ट होने का संदेह होता है।

(ङ) और (च) सतर्कता अनुभाग/एककों की कार्य प्रणाली की तिमाही रिपोर्टों/विवरणियों और सतर्कता एककों के प्रमुखों के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारियों की बैठकों के आधार पर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। सतर्कता व्यवस्था संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और विद्यमान अनुदेश आवश्यकतानुसार हैं।

[हिन्दी]

कम पेट्रोल देना

3043. श्रीमती सुभावती देवी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के दरभंगा जिले के बेणीपुर पेट्रोल पम्प के विरुद्ध कम मात्रा में पेट्रोल देना और वास्तविक मूल्य से अधिक पैसे लेने के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका लाइसेंस रद्द न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) दरभंगा के अंतर्गत बेनीपुर में, मै० सुंदर सर्विस स्टेशन के विरुद्ध अधिक पैसा लेने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच से यह पता लगा कि डीलर ने अनुमोदित दर की तुलना में एक पैसा अधिक लिया था। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार बिक्री और आपूर्ति 15 दिनों के लिए रोक दी गई और डीलर पर 2000/-रुपए का जुर्माना किया गया तथा साथ ही उसे चेतावनी पत्र भी जारी किया गया। चूंकि डीलर द्वारा अधिक पैसा वसूलने की यह पहली घटना थी, इसलिए लाइसेंस रद्द नहीं किया गया। तीसरी बार अपराध करने पर विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अंतर्गत डीलरशिपें समाप्त कर दी जाती हैं।

[अनुवाद]

एन सी सी कैडेटों के स्तर में वृद्धि

3044. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बलों की आवश्यकता के अनुकूल राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेटों के स्तर में वृद्धि करने के संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालिका-कैडेटों की संख्या में वृद्धि की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एन सी सी की गतिविधियों की समीक्षा करने तथा एन सी सी प्रशिक्षण में आवश्यकता परिवर्तन करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर अनिवार्यत: एक स्वैच्छिक अभियान है जिसका उद्देश्य युवाओं में वांछनीय शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बढ़ाना है ताकि वे सुयोग्य नागरिक बनकर सशस्त्र सेनाओं सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकें। राष्ट्रीय कैडेट कोर का आशय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए एक पोषक संगठन के रूप में कार्य करना नहीं है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कैडेट कोर की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करने और उसके कार्यकरण में सुधार लाने व उसका विस्तार करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई है। यह समिति अन्य बातों के साथ-साथ बालिका कैडेटों की संख्या में वृद्धि करने की व्यवहार्यता पर भी विचार करेगी।

राष्ट्रीय राजमार्गों की दुर्दशा

3045. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मई, 1997 को "दैनिक जागरण" में "राजमार्गों की दुर्दशा में धन की कमी नहीं, लापरवाही का हाथ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) से (ग) सरकार को प्रश्न में उल्लिखित समाचार में उठाए गए मुद्दों की जानकारी है। इन समस्याओं के निवारण के लिए भूमि-अधिग्रहण के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति शीघ्र प्राप्त करने और परियोजना का उचित मूल्यांकन करने जैसे कई उपाय हाल ही में किए गए हैं। इन उपायों से परियोजनाओं का कार्यान्वियन सुचारू और तेज हो जाने की आशा है।

नदी जल का वितरण

3046. डा० असीम बाला : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क मौसम के दौरान भारत और बंगलादेश के बीच जल वितरण के लिए कोई सूची बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नदी आयोग के विशेषज्ञ ने भारत और बंगलादेश के बीच जल वितरण के संबंध में कोई सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम

3047. श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना बनाने में विलम्ब और धनाभाव के कारण भारत का महत्वाकांक्षी रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम रुक गया है;

(ख) क्या दो पंचवर्षीय योजनाओं अर्थात् सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान महत्वाकांक्षी रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए धन उपलब्ध नहीं कराया गया;

(ग) यदि हां, तो क्या नौवीं योजना में भी रक्षा कार्यक्रम के आधुनिकीकरण का कोई उल्लेख नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नौवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है ताकि हमारी रक्षा सेनाओं को और मजबूत बनाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) भारत का रक्षा आधुनिकीकरण प्रयास उपलब्ध संसाधनों और रक्षा प्राथमिकताओं के मानदंडों के अंतर्गत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ख) से (ङ) प्राथमिकीकृत रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए निधियां इस प्रयोजन के लिए आबंटित बजट में से उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रत्याशित वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत 9वीं योजनावधि के लिए प्राथमिकीकृत आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। रक्षा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

समेकित प्रक्षेपास्त्ररोधी रक्षा कार्यक्रम

3048. श्री तरितवरण तोपदार :
श्री अनिल बसु :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई समेकित प्रक्षेपास्त्र रोधी रक्षा कार्यक्रम योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रक्षेपास्त्र संबंधी प्रगति को देखते हुए कार्यक्रम को पहले से ही तैयार न करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) इस प्रणाली को विकसित करने के बारे में सरकार को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय इस बारे में आगे और ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

मान्यता प्राप्त निजी संस्थान

3049. श्री पी०आर०एस० वेंकटेशन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या कुछ निजी संस्थान सरकारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी क्षमता से अधिक छात्रों को प्रवेश देते हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन निजी संस्थाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने वाली 942 निजी तकनीकी संस्थाओं को मान्यता दी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के विनियमों के अनुसार इन संस्थाओं में दाखिला दिया जाता है। इन संस्थाओं में किसी भी अनियमितता के बारे में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को जानकारी नहीं है।

इजराइल में जल का उपयोग

3050. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने देश में जल की प्रत्येक बूंद का इजराइल की तरह सदुपयोग करने के लिए योजना बनाने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान इजराइल का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) इजराइल जल उपयोग के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इजराइल के अनुभव के आधार पर देश के किन-किन क्षेत्रों में उक्त योजना को कार्यान्वित किया गया है; और

(च) भावी योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (च) गुजरात सरकार के छः अधिकारियों के एक दल ने जनवरी, 1995 के दौरान गुजरात राज्य के लिए "जल संसाधन आयोजना" के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के वास्ते इजराइल का दौरा किया जिसके लिए मैसर्स तहल कन्सलटिंग इन्जीनियर्स लिमि०, इजराइल द्वारा परामर्शी सेवाएं प्रदान की गई है। गुजरात सरकार और मैसर्स तहल कन्सलटिंग इन्जीनियर्स लिमि० इजराइल के बीच समझौते के तहत उपर्युक्त दल के दौरे का सम्पूर्ण व्यय इजराइल के परामर्शदाताओं द्वारा वहन किया गया। इजराइल की विशेज्ञता ड्रिप स्प्रिकंसर, सिंचाई, भू-जल का कृत्रिम पुनर्भरण, जल संरक्षण आदि के जरिए जल के किफायती उपयोग से संबंधित हैं।

[हिन्दी]

टाशो शेल्फा ग्लेशियर

3051. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जुलाई, 1997 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "टाशो शेल्फा ग्लेशियर के पिघलने से आतंक" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गलेशियर के पिघलने के कारण 8 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी के प्रवाह से बिहार के सहरसा, माधेपुरा और सुपौल जिलों में भारी तबाही हो सकती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां।

(ख) ग्लेशियर पिघलन के प्रभाव का अध्ययन बिहार सरकार एवं केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया गया है। ग्लेशियर पिघलने से आने वाली बाढ़ की लगभग 12 घंटों में कोसी बैराज (भारत नेपाल सीमा) तक पहुंचने की संभावना है और 2 से 4 घंटों की समयावधि में रेखीय दरारों के पूर्वानुमान सहित बाढ़ की चरम सीमा 3000 से 4000 घन मीटर प्रति सेकेन्ड आंकी गयी है।

(ग) और (घ) ग्लेशियर पिघलने से होने वाला 8 करोड़ घनमीटर जल का अतिरिक्त चरमसीमा बहाव 4000 क्यूसेक के दायरे में है। बिहार सरकार द्वारा बिहार के सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिलों में होने वाले विनाश का आकलन निवारात्मक करने के लिए किया जाना है।

[अनुवाद]

गैस सिलिंडरों का फटना

3052. **श्री श्यामलाल बंशीवाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1996 और 1997 के दौरान अब तक गैस सिलिंडर फटने की कितनी घटनाएं सूचित की गई हैं;

(ख) इन घटनाओं में हताहत हुए लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से एहतियाती उपाय किए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के अनुसार, 1996 और 1997 के दौरान (30.6.97 तक) दिल्ली में एल०पी० गैस सिलेंडरों के फटने की किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय

3053. **श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :**
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यालयों को कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हिमाचल प्रदेश में ट्यूब वैल लगाना

3054. **श्री के०डी० सुल्तानपुरी :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्यूब वैलों, सिंचाई तथा पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) वे कौन-कौन से स्थान हैं जहां राज्य सरकार ने ट्यूब वैल लगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1996-97 के दौरान ट्यूबवैल और पेय जल सहित बृहत, मध्यम व लघु सिंचाई के लिए निम्नलिखित निधियां निर्धारित की गई है :—

बृहद एवं मध्यम लघु सिंचाई	अनुमोदित परिव्यय (लाख रुपये)
बृहद एवं मध्यम	321.70 (संशोधित)
लघु सिंचाई (ट्यूबवैल सहित)	3676.07 (संशोधित)
पेय जल	10632.60

(ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रैक्टिकल को वैकल्पिक बनाना

3055. **प्रो० ओम पाल सिंह निडर :**
कुमारी उमा भारती :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में अध्ययन के प्रयोजनार्थ पशुओं की चीरफाड़ वाले विषयों को वैकल्पिक बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग) सी०डब्ल्यू० पी० सं० 1391/96 में दिनांक 19.5.97 के माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में सरकार केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन०सी०ई०आर०टी०) को वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए जानवरों की चीर फाड़ को वैकल्पिक बनाने के लिए 23.5.97 को ही निर्देश जारी कर चुकी है तथा यह भी हिदायत दी गई है कि वैकल्पिक कार्यकलापों और परीक्षणों को शामिल करने के लिए सी०बी०एस०ई० तथा एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा मौजूदा पाठ्यक्रम को संयुक्त रूप से संशोधित किया जाए।

[अनुवाद]

बिटुमन की आपूर्ति

3056. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री बी०के० गढ़वी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को बिटुमन आवंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्यों से बिटुमन की आपूर्ति संबंधी मांग प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी मात्रा की मांग की गई और इन राज्यों को कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोयली और मथुरा तेल शोधक कारखानों में कितने बिटुमन का उत्पादन किया गया; और

(ङ) बिटुमन की शेष मात्रा को अन्य देशों से आयात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) केन्द्र सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा अनुमानित मांग के आधार पर बिटुमेन के आवंटन का अनुमोदन करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई बिटुमेन की मात्रा और प्रदान की गई मात्रा का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान कोयाली और मथुरा रिफाइनरियों में बिटुमेन का उत्पादन निम्नानुसार है :

(आंकड़े टी०एम०टी० में)

वर्ष	उत्पादन	
	कोयाली	मथुरा
1995-96	313	394
1996-97	363	430

(ङ) बिटुमेन का आयात नहीं किया जाता क्योंकि राज्यों की पूर्ण मांग स्वदेशी उपलब्धता से पूरी की जाती है।

विवरण

(आंकड़े टी०एम०टी० में)

राज्य	आई०बी०सी० द्वारा राज्यों में प्राप्त बिटमेन की मांग 1996-97	1997-98	प्रदान की गई वास्तविक मात्रा 1996-97	1997-98 (अप्रैल-जून)
1	2	3	4	5
अंडमान एंड निकोबार	3.0	3.0	1.1	0.8
अरुणाचल प्रदेश	6.0	4.0	5.5	0.1
असम	29.0	48.8	21.5	6.1
बिहार	108.0	111.0	49.2	14.1
मणिपुर	7.0	0.5	2.6	0.0
मेघालय	8.0	10.0	5.7	1.9
मिजोरम	4.0	2.8	5.5	0.6
नागालैंड	2.0	1.9	0.0	0.1
उड़ीसा	49.0	52.0	57.0	7.6
सिक्किम	2.0	2.0	2.5	0.0
त्रिपुरा	5.0	8.0	4.2	1.4
पश्चिम बंगाल	76.0	100.0	80.5	35.2
मध्य क्षेत्र	32.0	60.0	35.9	7.5
आंध्र प्रदेश	110.0	120.0	125.5	42.6
कर्नाटक	150.0	165.0	105.0	20.7
केरल	80.0	136.0	77.5	30.7
पांडिचेरी	2.5	2.5	2.7	0.5
तमिल नाडु	185.0	173.0	138.4	43.7
मध्य क्षेत्र	8.0	4.0	10.5	2.4
दादरा और नगर हवेली	2.0	3.2	0.7	0.1
दमन एड द्वीव	1.5	1.5	0.8	0.1
गोवा	17.0	19.5	14.0	2.0
गुजरात	284.0	552.0	238.8	69.2
मध्य प्रदेश	110.0	82.0	114.6	15.7
महाराष्ट्र	475.0	566.0	409.7	125.6
मध्य क्षेत्र	9.0	6.0	6.0	0.3
चंडीगढ़	4.0	4.0	0.7	2.3
दिल्ली	35.0	35.0	27.6	3.1
हरियाणा	136.0	130.0	100.7	16.1
हिमाचल प्रदेश	17.0	35.0	19.4	2.9
जम्मू और कश्मीर	20.0	20.2	15.1	4.5
पंजाब	210.0	250.0	176.8	41.2
राजस्थान	300.0	288.3	176.5	42.7
उत्तर प्रदेश	203.0	250.0	213.3	76.3
मध्य क्षेत्र	29.0	60.0	31.0	10.9

हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरूपति के बीच वायु सेवा

3057. श्री पी० उपेन्द्र : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरूपति तथा मद्रास के बीच इंडियन एयरलाइंस की हॉपिंग विमान सेवा थी;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व इसे बन्द कर दिया गया था जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पचास सीटों के विमान खरीद कर इस क्षेत्र में एलाइंस एयर द्वारा सेवा पुन: शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने 15 अप्रैल, 1989 से हैदराबाद-विजयवाड़ा तिरूपति-मद्रास सेक्टर पर सेवाओं का प्रचालन बन्द कर दिया था।

(ग) और (घ) अभी तक न तो 50 सीटर विमानों की खरीद के संबंध में अथवा न ही इस विमानकंपनी द्वारा प्रचालित किए जाने वाले मार्गों के संबंध में कोई निश्चित निर्णय लिया गया है।

कावेरी नदी प्राधिकरण

3058. श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहे विवाद को निपटाने के लिए कावेरी दी प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना कर दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कर्नाटक द्वारा इस योजना को अस्वीकृत कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दोनों राज्यों के हितार्थ इस योजना को स्वीकार करने के लिए राज्य को राजी करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने अंतर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अधीन विवाद के निर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है अधिकरण ने 25.6.91 को अंतरिम आदेश दे दिया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, कावेरी जल विवाद अधिकरण के दिनांक 25.6.1991 के अंतरिम आदेश के कार्यान्वयन के लिए अंतर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 6 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा "कावेरी नदी अधिकरण" का योजना प्रारूप तैयार किया गया था और इसे पक्षकार राज्येां को उनकी टिप्पणियों के लिए दिनांक 30.5.1997 को भेजा गया।

तमिलनाडु सरकार और पांडिचेरी संघ राज्य ने कुछ परिवर्तनों के साथ योजना प्रारूप पर सहमति जताई और केरल सरकार ने अपनी टिप्पणियों के लिए कुछ समय और मांगा है। तथापि, कर्नाटक सरकार ने योजना प्रारूप का कड़ा विरोध किया है और उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ भारत सरकार से परस्पर विचार विमर्शों के जरिए विवाद को निपटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध किया है कि राज्यों के बीच जल आवंटन के लिए राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी दिशा निर्देशों को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया है।

सभी बेसिन राज्यों की टिप्पणियों की जांच करने के बाद योजना के गुणों के आधार पर सखती से अंतिम रूप दिया जायेगा। तत्पश्चात इन राज्यों के साथ यथासंभव मतभदों को कम करने के लिए बैठक की जा सकती है। अंतिम रूप से तैयार की गई योजना को मंत्रिमंडल के सम्मुख अनुमोदन के लिए रखा जायेगा। और मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, इसे अधिसूचित किया जायेगा और इसे 30 दिनों के लिए संसद के प्रत्येक पटल पर रखा जायेगा।

संसद को संशोधन करने का अधिकार होगा जिसमें ऐसी योजना को मूल रूप से निरश्त करने का निर्णय शामिल हो सकता है और तब यह स्कीम केवल संशोधित रूप में ही प्रभावित होगी।

संबद्धता/मान्यता के लिए मार्ग निर्देश

3059. कुमारी ममता बनर्जी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक संगठनों द्वारा स्थापित महाविद्यालयों की मान्यता और संबद्धता के बारे में राज्य सरकारों और विभिन्न विश्वविद्यालयों को कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने महाविद्यालयों को मान्यता और संबद्धता प्रदान की गई है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता/संबद्धता के लिए कितने आवेदन लंबित हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

फायरिंग रेंज में शान्ति पूर्वक प्रवास

3060. श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "फार्म हाउसेज आफर पीसफुल स्टे इन फायरिंग रेंज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) क्या फरीदाबाद स्थित भारतीय वायु सेना के तिलपत फायरिंग रेंज के कुछ हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस मामले की कोई जांच करायी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अतिक्रमण के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि तिलपत फायरिंग रेंज पर मैसर्स लीजर वैली फार्मर्स एंड ग्लोबल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (इंडिया) लिमिटेड ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और यह मामला सिविल/राजस्व प्राधिकारियों के साथ समुचित रूप से उठाया गया है।

(घ) और (ङ) इस मामले में कोई औपचारिक जांच नहीं की गई है यद्यपि निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(2) राजस्व प्राधिकारियों द्वारा किया गया सीमांकन अनधिकृत काविजों को दिखा दिया गया था।

(3) स्थानीय जनता को सचेत करने के लिए स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करवा दी थी।

(4) फरीदाबाद न्यायालय में केवियट पेश किया जा रहा है ताकि अनधिकृत काबिजों की बेदखली के स्थान संबंधी याचिका पर रोक लगाई जा सके।

(5) संबंधित प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे अनधिकृत काबिजों के विरुद्ध कार्रवाई करें और तिलपत फायरिंग रेंज में रक्षा भूमि में संबंधित किसी विक्रय विलेख का पंजीकरण न करें।

पटना विमानपत्तन का रनवे

3061. **श्री राजीव प्रताप रूडी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विमानपत्तन के रनवे की लम्बाई ए-320 विमान के उतरने के लिए कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रनवे की लम्बाई कम होने के कारण विमानों की पूरी सीटों का उपयोग नहीं हो पाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) ए-320 विमान पटना हवाई अड्डे पर उतर सकता है।

(ग) से (ङ) जी, हां। उड़ान भरने के लिए उपलब्ध अपर्याप्त धावनपथ लम्बाई के कारण, टेक-ऑफ भार बाधित हो जाता है रुकावटों और मूल पट्टियों की अनुपलब्धता के कारण, प्रयोग में लाई जा सकने वाली लम्बाई केवल 6409 फुट है। व्यवधान (क्लॉक टावर) की ऊंचाई को कम करने का मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था परन्तु लगता है कि ऐसा किये जाने की संभाव्यता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप प्रस्थान करने वाले विमानों के लिए अपेक्षाकृत कम लम्बाई वाला धावनपथ उपलब्ध हो पा रहा है।

[हिन्दी]

इंडियन काउन्सिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च

3062. **श्री काशीराम राणा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काउन्सिल आफ सोशल साइन्स रिसर्च के अध्यक्ष अपना अधिकांश समय बंगलौर में बिताते हैं जिससे काउन्सिल का कार्यकरण प्रभावित होता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किस तारीख को वर्तमान अध्यक्ष ने पदभार संभाला तथा कितनी बार उन्होंने दिल्ली से बंगलौर का दौरा किया तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) उनके ठहरने तथा अन्य खर्चों पर बंगलौर में कुल कितनी राशि व्यय की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने 6 सितम्बर, 1996 को कार्यभार संभाला। चूंकि यह एक अवैतनिक पद है अतः अध्यक्ष बंगलौर में रहते हैं। इस प्रबंध से परिषद् के कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा। परिषद् के संघ ज्ञापन के अनुसार अध्यक्ष को परिषद् व इसकी समितियों की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली आना होता है। दिल्ली की उनकी यात्रा के लिए कुल 2,05,765/- रु० व्यय किए गए थे। परिषद् ने सूचित किया है कि जबकि वह अध्यक्ष के बंगलौर में रहने तथा अन्य व्यय पर खर्च नहीं करती, परिषद् ने कुछ विविध खर्चों को पूरा करने के लिए 23,657/- रु० व्यय किए हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी संस्थान

3063. **श्री मृत्युन्जय नायक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरणीय आयोजन और प्रौद्योगिकी संस्थान ''आई० ई०पी०टी०'' इन्दौर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रों से भारी फीस वसूल करने के बावजूद संस्थान में सुविधाओं का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पर्यावरण योजना और प्रौद्योगिकी प्रबंधन ने पूर्ण कालिक प्राध्यापक नियुक्त नहीं किया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) छात्रों को पेय जल, ग्रंथालय, छात्रावास, आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रबंधन में कोई भी डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिप्लोमा संचालित करने के लिए पर्यावरण आयोजन और प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० ई०पी०टी०) इंदौर, मध्य प्रदेश को अनुमति नहीं दी गई हैं।

सिक्किम के लिये हवाई पट्टी

3064. **श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने सिक्किम के लिये हवाई पट्टी निर्माण करने की मंजूरी देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) जी, नहीं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, न्यायसंगत लागत पर हवाई अड्डे के निर्माण हेतु एक उपयुक्त स्थल का चयन अभी तक नहीं हो पाया है।

शिक्षा में सुधारों का प्रभाव

3065. डा० वाई०एस० राजशेखर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा प्रणाली पर नई आर्थिक नीति के प्रभाव के संबंध में सरकार द्वारा कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया है अथवा कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा शिक्षा नीति में निर्धारित उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गई जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारगर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्य योजना को क्रमश: मई 1992 तथा अगस्त 1992 में सभा पटल पर रखा गया। अब इसके समुचित कार्यान्वयन पर बल दिया जा रहा है।

गैस आधारित उद्योग

3066. श्री अनन्त कुमार हेगडे : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में गैस आधारित उद्योग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों में स्वीकृत करने के लिए सरकार द्वारा राज्यवार क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र और राजस्थान की राज्य सरकारों ने विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु गैस के आवंटन के लिए अनुरोध किया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों ने दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के लिए अनुरोध किया है। परन्तु गैस की वर्तमान और परिकल्पित उपलब्धता पहले से की गई वचनबद्धताओं से कम है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

3067. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना को पूरा करने हेतु 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने संबंधी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धनराशि कब तक उपलब्ध करा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या इस परियोजना को समय से पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई ठोस योजना तैयार की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ग) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना के लिए 95 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता अनुमोदित की गई थी। इसमें से 71.25 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई थी एवं राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का पूर्ण उपयोग किया गया था।

(घ) परियोजना को निर्धारित समय पर पूरा होने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट प्राक्कलनों में से अपने हिस्से की निधियों का अंशदान देना है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1997-98 में भी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जारी है।

[अनुवाद]

विल्स वर्ल्ड कप का प्रायोजन

3068. श्री ए० सम्पत : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया प्रबंधन ने एक एजेंट जो एअर इंडिया के वाणिज्यिक निदेशक के संबंधी/घनिष्ठ पारिवारिक मित्र हैं के माध्यम से विल्स वर्ल्ड कप प्रायोजित करने के लिए 35,000 डॉलर दिये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फैक्स द्वारा प्राप्त हुए उक्त प्रायोजन संबंधी शर्तों को बिना किसी बातचीत के पूर्णत: स्वीकार कर लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या एअर इंडिया की वित्तीय स्थिति इतने अधिक व्यय की अनुमति देती है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) एअर इंडिया प्रबंधन ने मै० पिलकॉम को प्रायोजन शुल्क के रूप में 35,000 अमेरिकी डालर की राशि का भुगतान किया। प्रायोजन संबंधी शर्तों को पिलकॉम के संयोजक-सचिव के साथ सीधे बातचीत करने के बाद ही अंतिम रूप दिया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) एअर इंडिया लि० निदेशक-मंडल ने प्रायोजन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। लगभग 2.24 करोड़ रु० की टिकटों का कारोबार प्राप्त होने के अलावा एअर इंडिया का इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर व्यापक प्रचार हुआ।

कालीकट विमानपत्तन के लिये धन एकत्र करने की अनुमति

3069. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में कालीकट विमानपत्तन का विकास करने के लिए अनिवासी भारतीयों से धन एकत्र करने के लिए किसी एजेन्सी/समिति को अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त एजेन्सी/समिति द्वारा विदेश से कितना धन एकत्र किया गया;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने समिति को केवल अनिवासी भारतीयों के उपयोग के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये निर्मित वैभवशाली प्रतीक्षालयों जैसे प्रतीक्षालयों का निर्माण करने की अनुमति प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसके लिए कितना स्थान आवंटित किया गया है और इस सेवा के लिए क्या शुल्क/प्रभार लगाया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) विशालकाय विमानों हेतु कालीकट हवाई अड्डे के धावनपथ के अनिवासी भारतीयों सहित, जनता की वित्तीय सहायता से, विस्तार के लिए केरल राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केरल राज्य सरकार द्वारा गठित मालावार अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास सोसायटी (एम०आई०ए०डी०एस०) ने संसाधन जुटाने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अग्रिम के रूप में निधियां उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली तथा उक्त अग्रिम की वापसी हवाई अड्डे के अर्जन में से की जानी होगी। केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव के संबंध में अपनी अनापत्ति दे दी है करार के अनुसार एम०आई०ए०डी०एस० द्वारा 60 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की जानी है जिसे 30-30 करोड़ रुपए की दो किस्तों में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंपा जाना है। एम०आई०ए०डी०एस० द्वारा विदेश से एकत्र की गई धनराशि का ब्यौरा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लगभग 300 वर्गफुट क्षेत्रफल का एक निर्मित क्षेत्र बिना किसी प्रभार के एम०आई०ए०डी०एस० को आवंटित कर दिया है जिसने उस क्षेत्र को सुसज्जित कर लिया है और उसके प्रयोग का प्रबन्धन भी करती है।

कच्चा तेल

3070. **श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 6800 रुपए प्रति मीट्रिक टन है जबकि देशी कच्चे तेल की प्रति मीट्रिक टन लागत केवल 2500 रुपए है;

(ख) यदि हां, तो देश में कच्चे तेल का औसत आयात कितना हुआ और मूल्य में अन्तर होने के कारण कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सरकार ने देश में ही कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) और (ख) 1996-97 के दौरान आयातित कच्चे तेल की भारित औसत एफ०ओ०बी० दर 5407 रुपये प्रति एम०टी० हैं स्वदेशी कच्चे तेल की कीमत 3608 रुपये प्रति एम०टी० है। पेट्रोलियम उत्पादों की कुल 77.219 एम०एम०टी० की अनुमानित मांग पूरी करने के लिए, स्वदेशी कच्चे तेल की उपलब्धता को ध्यान में रखने के बाद, 1996-97 में 33.9 एम०एम०टी० कच्चे और 19.5 एम०एम०टी० पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया था। ये आयात समग्र मांग और स्वदेशी स्रोतों से आपूर्ति में अन्तर को पूरा करने के लिए किए गए थे।

(ग) और (घ) उन्नत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल, नए क्षेत्रों के विकास, मौजूदा क्षेत्रों के अतिरिक्त विकास के माध्यम से और अपस्ट्रीम क्षेत्र में विदेशी और निजी निवेश आमंत्रित करके देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

कल्याण योजनाएं

3071. **श्री सुरेश प्रभु : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं, बच्चों और युवकों के लिए कितनी कल्याण योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) ये योजनाएं कब से चलाई जा रही हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक योजना पर क्षेत्रवार कितनी राशि खर्च की गई और प्रत्येक योजना में कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ग) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण से सम्बन्धित स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। युवाओं के कल्याण से सम्बन्धित स्कीमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण-I

महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1997-98 के लिए स्कीमवार वित्तीय आवंटन

(रु० करोड़ों में)

क्रम सं०	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	ब०प्रा० (योजना)
1	2	3
I.	**महिला एवं बाल विकास**	
(क)	बाल विकास केन्द्रीय स्कीमें	
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र (1975-76)	7.50

1	2	3
2.	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष (1992-93)	0.94
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम (1961-62)	0.45
4.	आई०सी०डी०एस० कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण (1975-76)	40.00
5.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (1975-76)	3.00
6.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा (1983)	0.50
7.	बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम (1970-71)	6.05
	कुल क (केन्द्रीय स्कीमें)	58.44
(ख)	**महिला विकास**	
	केन्द्रीय स्कीमें	
1.	कामकाजी महिला होस्टल (1972-73)	7.75
2.	महिलाओं के लिए रोजगार तथा आयोत्पादन प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों की स्थापना (1982-93	18.00
3.	प्रशिक्षण-सह रोजगार कार्यक्रमों को सहायता (1986-87)	16.00
4.	अल्पावास गृह (1969-70)	2.75
5.	महिलाओं के प्रति अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य (1985)	0.30
6.	ग्रामीण महिला विकास एवं शक्ति सम्पन्नता परियोजना (1997-98)	19.30
7.	महिला कार्यक्र हेतु, कार्यक्रम प्रबोधन तथा मूल्यांकन एकक (1986-87)	0.15
8.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र (1989-90)	2.00
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग (1990)	2.00
10.	राष्ट्रीय महिला कोष (1992-93)	0.89
11.	महिला ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण	0.05
12.	महिला अधिकारों के लिए आयुक्त	0.01
13.	महिला समृद्धि योजना (1993)	40.00
14.	शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठयक्रम (1958)	9.00
15.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम (1958)	15.99
16.	जागृति विकास परियोजनाएं (1986-87)	2.25
17.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान (1953)	7.01
	कुल - ख (केन्द्रीय स्कीमें)	143.45
(ग)	अन्य कार्यक्रम	
1.	प्रेम एवं नवाचार कार्य-सह-अन्वेषण परियोजनाएं (1985-86)	0.25
2.	स्वैच्छिक संगठनों को संगनात्मक सहायता के लिए रख-रखाव अनुदान	0.20
3.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (1986-87)	0.20
4.	सूचना एवं जन शिक्षा (1984-85)	1.20
	कुल - ग	1.90
	कुल (क+ख+ग)	203.79
(घ)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें	
1.	समेकित बाल विकास सेवाएं (1975)	479.40
2.	इन्दिरा महिला योजना (1995)	—
3.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई०सी०डी०एफ० परियोजनाएं (1991)	214.50
	कुल घ (के०प्रा० स्कीमें)	693.90
	कुल (क+ख+ग+घ)	897.69
II.	**खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड**	2.31
	कुल (महिला एवं बाल विकास) I+II)	900.00

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए वर्ष स्कीम शुरू करने के वर्षों को दर्शाते हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

1.	बाल उत्तरजीविता/सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम (1992-93)	300.00

श्रम मंत्रालय

1.	श्रमिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने तथा उनमें जागृति पैदा करने के लिए सहायता अनुदान स्कीम। (1982-83)	19.50 लाख

विवरण-II

महिला एवं बाल विकास विभाग 1994-97 अवधि के लिए स्कीम-वार वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

क्रम सं०	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	1994-95		1995-96		1996-97	
		ब०प्रा०	वा०	ब०प्रा०	वा०	ब०प्रा०	वा०
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	महिला एवं बाल विकास						
(क)	**बाल बिकास**						
	केन्द्रीय स्कीमें						
1.	कामकाजी/बीमार माताओं के बच्चों के लिए शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	7.50	6.50	7.50	6.38	7.50	4.02
2.	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—
3.	बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम	0.50	0.50	0.45	0.43	0.45	0.46
4.	आई०सी०डी०एस० कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण	12.60	11.88	11.66	9.91	11.66	9.94
5.	राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान	2.86	2.86	3.00	2.29	3.00	2.80
6.	प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50
7.	बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम	6.05	5.87	6.05	3.95	6.05	2.01
	कुल-क (केन्द्रीय स्कीमें)	30.02	28.12	29.17	23.46	29.17	19.78
(ख)	**महिला विकास**						
	केन्द्रीय स्कीमें						
1.	कामकाजी महिला होस्टल	7.75	7.75	7.75	8.50	7.75	7.38
2.	महिलाओं के रोजगार तथा आयोत्पादन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्र।	4.00	4.99	5.00	6.20	18.00	18.80
3.	प्रशिक्षण-सह-रोजगार कार्यक्रमों को सहायता	15.00	15.98	16.00	17.24	16.00	16.97
4.	अल्पावास गृह	2.74	2.14	2.75	2.74	2.75	2.61
5.	महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षा कार्य	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	0.35
6.	राजस्थान की डब्ल्यू०डी०पी० परियोजना को दोहराना	0.01	—	0.01	—	—	—
7.	महिला विकास हेतु समेकित परियोजना/ग्रामीण महिला विकास एवं शक्ति सम्पन्नता परियोजना।	0.01	—	0.01	—	0.01	0.94
8.	महिला कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम प्रबोधन, मूल्यांकन एकक	0.10	0.08	0.14	0.14	0.15	0.25
9.	राष्ट्रीय महिला संसाधन केन्द्र	0.01	—	1.00	0.01	1.00	—
10.	राष्ट्रीय महिला आयोग	2.00	1.03	2.00	2.00	2.00	0.50
11.	दक्षेस बालिका दशक	0.01	—	0.01	—	0.01	—
12.	राष्ट्रीय महिला कोष	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	महिला ब्यूरो का सुदृढ़ीकरण	0.01	—	0.15	—	0.15	—
14.	महिली अधिकारों के लिए आयुक्त	0.01	—	0.01	—	0.01	—
15.	महिला विकास निगम	—	—	—	—	10.00	—
16.	महिला समृद्धि योजना	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00	58.54
17.	चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन	0.10	0.26	1.00	0.50	1.00	0.07
18.	शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के संक्षिप्त पाठयक्रम	8.00	8.00	9.00	9.94	9.00	5.13
19.	सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम	5.50	5.50	6.00	6.49	6.00	5.83
20.	जागृति विकास परियोजनाएं	2.00	2.00	2.25	2.22	2.25	2.07
21.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को सहायता अनुदान	6.00	6.81	7.01	13.96	7.01	5.87
	कुल - ख (के०स०)	103.61	104.97	120.45	130.30	143.45	125.31
(ग)	अन्य कार्यक्रम						
1.	प्रेम एवं नवाचार कार्य-सह-अन्वेषण परियोजनाएं	0.25	0.18	0.25	0.26	0.25	0.35
2.	स्वैच्छिक संगठनों को रख-रखाव अनुदान/संगठनात्मक सहायता	0.20	0.28	0.20	0.25	0.20	0.22
3.	महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता	0.20	0.09	0.20	0.20	0.20	0.20
4.	सूचना एवं जन शिक्षा	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.15
	कुल - ग	1.90	1.80	1.90	1.96	1.90	1.92
	कुल छ (क+ख+ग)	135.53	134.89	151.52	155.72	174.52	147.01
(घ)	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें						
1.	समेकित बाल विकास सेवाएं	434.00	434.99	512.00	568.45	515.94	526.28
2.	इन्दरा महिला योजना			आई०सी०डी०एस० सहित			
3.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएं	90.00	90.00	64.00	90.00	154.30	154.30
	कुल - घ	524.00	524.99	576.00	658.45	670.24	680.58
	कुल - ज (छ + घ)	659.53	659.88	727.52	814.17	844.76	827.59
II.	**खाद्य एवं पोषाहार बोर्ड**	2.47	1.30	2.48	1.87	2.31	1.46
	कुल (म०बा०वि०)	662.00	661.18	730.00	816.04	847.07	829.05

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		**खर्च की गयी राशि**	
1. बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम	249.22	292.40	341.00
श्रम मंत्रालय			
1. महिला श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण देने तथा उनमें जागृति लाने के लिए सहायता अनुदान स्कीम	3.67 लाख	20.61 लाख	12.20 लाख

छोटे चार्टर विमान सेवा हेतु प्रस्ताव

3072. **श्री अशोक प्रधान : क्या नागर विमानन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में छोटे चार्टर विमानों की विमान सेवा का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा के अंतर्गत किन शहरों को शामिल किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

तकनीकी संस्थान

3073. **श्री विजय गोयल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार और शहरवार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और गुड़गांव (हरियाणा) में कार्य करने के लिए अनुमोदित तकनीकी संस्थानों की कुल संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा इन संस्थानों को अनुमोदित करते समय क्या शर्तें लगाई गई हैं;

(ग) इन संस्थानों की विषय/पाठ्यक्रमवार और संस्थानवार अनुमोदित प्रवेश क्षमता क्या है;

(घ) इन संस्थानों द्वारा किस सामान्य शुल्क प्रणाली को अपनाने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन संस्थानों द्वारा स्थानों की क्षमता, शुल्क प्रणाली, पाठ्यक्रम संबंधी विषयवस्तु और आधारभूत सुविधाओं के संबंध में परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुकरण किया जाए, क्या कार्यप्रणाली तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(ख) किसी भी तकनीकी संस्था को अनुमोदित करते समय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा कुछ सामान्य शर्तें लगाई जाती हैं। इसके अलावा आवश्यकता के आधार पर संस्थान-विशिष्ट शर्तें भी लगाई जाती है।

(घ) ए०आई०सी०टी०ई० विनियम सं० जी०एम०आर० 476 (एफ) दिनांक 20.5.94 के अनुरूप इन संस्थाओं के संबंध में शुल्क ढांचा राज्य स्तरीय समिति द्वारा तय किया जाता है।

(ङ) शर्तों के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की संबंधित क्षेत्रीय समिति की विशेषज्ञ समितियों द्वारा उन संस्थाओं का ममय-समय पर निरीक्षण किया जाता है।

विवरण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) तथा गुड़गांव (हरियाणा) में गत पांच वर्षों के दौरान अनुमोदित तकनीकी संस्थाएं तथा विषय/पाठ्यक्रम वार और संस्था वार उनकी अनुमोदित दाखिला क्षमता

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	गुड़गांव (हरियाणा)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
1	2	3
1993-94		
डा० के०एन० मोदी औषधीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, मोदीनगर फार्मेसी स्नातक-60	शून्य	प्रियदर्शनी संगणक विज्ञान कालेज संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरी-90 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-60 गुरू तेग बहादुर पालिटेकनिक संस्थान संगणक इंजीनियरी-30 इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी-30 यांत्रिक इंजीनियरी-30 राव तुलाराम पालिटेकनिक आर्कीटेक्चरल एसिस्टेंटशिप-30 आधुनिक कार्यालय व्यवहार-30 यंत्र कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र संगणक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-30 टूल एवं डाई मेकिंग-30
1994-95		
शून्य		भगवान परशुराम विद्यापीठ संगणक इंजीनियरी-40 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-40

1	2	3
		चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी-40 बी०एस०एफ० पालिटेकनिक इलेक्ट्रानिकी एवं वाणिज्यिक इंजीनियरी-40 फादर एंजिल पालिटेकनिक संगणक इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिकी एवं विद्युत संचार इंजीनियरी-60 आधुनिक कार्यालय व्यवहार-60 जी०एन०डी० सह शिक्षा पालिटेकनिक संगणक इंजीनियरी-30 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-30 यांत्रिक इंजीनियरी-30 बाबा हरिदास फार्मेसी कालेज फार्मेसी-60 भगवान परशुराम विद्यापीठ फार्मेसी-60
1995-96		
डा० के०एन० मोदी इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिक इंजीनियरी-60 केमिकल इंजीनियरी-40	शून्य	आदित्य प्रौद्योगिकी संस्थान संगणक इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-60 चिकित्सा प्रयोगशाला इंजीनियरी-60 राजकीय सह शिक्षा पालिटेकनिक संगणक इंजीनियरी-60 दुग्ध उत्पादन प्रौद्योगिकी-30 इलेक्ट्रानिकी एवं विद्युत संचार इंजीनियरी-60 पर्यावरण इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा-15 उपग्रह वाणिज्यीकरण-30 टूल एवं डाई डिजाइन-15 राजकीयमहिला पालिटेकनिक आर्कीटेक्चरल एसिर्स्टेंटशिप-30 इलेक्ट्रानिकी एवं विद्युत संचार इंजीनियरी-30 फैशन डिजाइन-30 चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी-30
1996-97		
शून्य	अनुपम इंजीनियरी कालेज संगणक इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-40 इंस्टुमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरी-40 अपीजय इंजीनियरी कालेज संगणक विज्ञान एवं इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-60 यांत्रिक इंजीनियरी-40 प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान संगणक इंजीनियरी-40 इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-60 यांत्रिक इंजीनियरी-60 राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध शिक्षा संस्थान संगणक विज्ञान इंजीनियरी-40 विद्युत इंजीनियरी-40 यांत्रिक इंजीनियरी-60	शून्य

1	2	3
1997-98		
महर्षि प्रौद्योगिकी संस्थान, नोएडा इलेक्ट्रानिकी एवं संचार इंजीनियरी-60 संगणक इंजीनियरी-60 इलेक्ट्रानिकी, इंस्ट्रमेंटेशन एवं कंट्रोल इंजीनियरी-60	शून्य	शून्य

मुंडेश्वरी नदी में अधिक जल प्रवाह

3074. **श्री पी०आर० दासमुंशी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हुगली **जिले** के मुंडेश्वरी नदी में जल के अधिक प्रवाह तथा हावड़ा जिले में गाद वाले निचले दामोदर बेसिन की खुदाई न किए जाने अथवा तलकर्षण न किए जाने के कारण लगभग प्रत्येक वर्ष हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि जल मग्न हो जाती है जिससे हजारों असहाय व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो हावड़ा जिले को बाढ़ के प्रकोप से बचाने हेतु केन्द्र सरकार नौंवी योजनावधि में राज्य सरकार के परामर्श से किस व्यापक प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आठवीं योजनावधि के दौरान कितनी धनराशि व्यय की गयी है?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, हां। बाढ़ के मौसम में दामोदर नदी की मुंडेश्वरी चैनल में अधिक प्रवाह हो जाने के कारण हुगली और हावड़ा जिलों में क्षति होती है। बाढ़ का मुख्य कारण न केवल दामोदर बेसिन की तलहटी में जमा गाद का उत्खनन या तलकर्षण न होना है बल्कि अन्य कारकों का संयोजन भी हैं दाएं तट के निचले हिस्सों में इसलिए बाढ़ आयी है क्योंकि इसकी पूरी लंबाई तक तटबंध बनाकर इस क्षेत्र को सुरक्षित नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त क्षेत्रों के नीचा होने के कारण बाढ़ के मौसम में एक बार इनके भर जाने पर जल निकास संकुलता लंबे समय तक बनी रहती है। हुगली नदी में आने वाले ज्वार भी दामोदर नदी के जल निकास पर प्रभाव डालते हैं तथा निचले बेसिन में जल निकाल संकुलता उत्पन्न करते हैं।

(ख) योजना आयोग ने इस क्षेत्र के लिए एक स्कीम अर्थात् "जून, 1989 में 1440 लाख रु० अनुमानित लागत वाली हुगली और हावड़ा जिलों में निचली दामोदर जल निकास स्कीम" को स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार से आवश्यक बजट प्रावधान करना, भूमि अधिग्रहीत करना और स्कीम पर कार्यवाही करना अपेक्षित है। इस स्कीम में पुसुली के निकट रूपनारायण नदी की 3.5 किमी० की लम्बाई कौ गहरा करने के अतिरिक्त तटबंधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के पूरे हो जाने पर इस क्षेत्र को बार-बार आने वाली बाढ़ों से राहत मिलेगी। गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने दामोदार नदी प्रणाली के लिए बाढ़ नियंत्रण के वास्ते एक व्यापक योजना तैयार की है और व्यापक योजना में की गई सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इसे राज्य सरकार को भेजा गया है।

(ग) वार्षिक योजना (1997-98) से संबंधित मसौदा के अनुसार आठवीं योजना अवधि में ऊपर उल्लिखित स्कीम पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 110.03 लाख रु० खर्च किए गए और वर्ष 1997-98 के लिए 136.00 लाख रु० का प्रावधान है।

व्यावसायिक शिक्षा

3075. **श्री द्वारका नाथ दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगारी में हुई असाधारण वृद्धि को देखते हुए प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों में शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) स्कूली प्रणाली में +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है जिसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि करना है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर हर वर्ष शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार किया जाता है।

रूग्ण निजी एयरलाइनें

3076. **श्री राम नाईक : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रूग्ण निजी एयरलाइनों के नाम क्या हैं जिनके लिये मंत्रालय धन उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या इन एयरलाइनों ने आयल कम्पनीज, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का भुगतान तथा सीमा शुल्क का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार और ऋण-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली के लिये संबद्ध मंत्रालयों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) सात निजी अनुसूचित विमानकम्पनियों में से फिलहाल निम्नलिखित 4 प्रचालन नहीं कर रही हैं।

1. मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस
2. मैसर्स मोदी लुफ्त
3. मैसर्स एन ई पी सी एयरलाइंस
4. मैसर्स स्काईलाइन — एन ई पी सी

निजी अंतर्देशीय विमानकम्पनी उद्योग में रूग्णता के कारणों की जांच करने और सिफारिशें करने हेतु 25 जून, 1997 को एक समिति गठित कर दी गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) निजी विमानकंपनियों से बकाया की वसूली करने के लिए तेल कंपनियां कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।

बकाया की वसूली के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सब प्रयास करता है। बकायादार विमानकंपनियों को बकाया का भुगतान करने हेतु नियमित रूप से स्मरण कराया जाता है, इस पर भी भुगतान न करने पर उनकी जमानत राशि को बकाया के लिए समायोजित कर लिया जाता है। इससे भी आगे, कुछ मामलों में क्रेडिट सुविधा भी वापस ले ली गई है।

अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर की वसूली के लिए इस कर की बकायादार विमानकंपनी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। और तो और, पहले अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर बकाया की वसूली के लिए विमान भी रोक लिए गए हैं।

विवरण

तेल कम्पनियों, अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की बकाया धनराशि (करोड़ रुपयों में)

क्र० सं०	विमानकंपनी का नाम	तेल कंपनियों का बकाया (30.6.97 के अनुसार)	अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर सीमा शुल्क (1.7.97 के अनुसार)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का बकाया (31.5.97 के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	मोदी लुफ्त	18.16	13.22	01.893
2.	जेट एयरवेज	13.94	-	03.617
3.	अर्चना एयरवेज	-	-	00.071
4.	स्काईलाइन-एनईपीसी	20.56	14.49	01.742
5.	सहारा इंडिया	04.97	-	01.350
6.	यू०पी० एयरवेज	-	01.72	00.287
7.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	02.62	06.11	13.686
8.	टावर एयर	-	-	00.005
9.	एनईपीसी एयरलाइन्स	-	04.60	00.879
10.	बीआईएफ एयरवेज	00.01	00.35	00.114
11.	परियल सर्विसेज	-	-	00.013
12.	ब्लू डार्ट एयरलाइन्स	-	-	00.178
13.	एलबी एयरलाइन्स	-	-	00.099
14.	गुजरात एयरवेज	-	-	00.030
15.	मेगापोड एयरलाइन्स	-	-	00.001
16.	स्पान एविएशन	-	-	00.088
17.	सिटीलिंक एयरलाइन्स	00.51	01.18	00.014
18.	राज एविएशन	00.38	00.91	00.022
19.	कन्टीनेंटल एविएशन	00.13	01.50	00.310
20.	इंडिया इंटरनेशनल एयरवेज	-	-	00.015
21.	ट्रांस भारत एविएशन	-	-	00.169
22.	जेगसन एयरलाइन्स	-	-	00.274
23.	साराया एविएशन	-	-	00.010
24.	केसीवी एयरलाइन्स	-	-	00.036
25.	ईस्टर्न एयरवेज	-	-	00.001
26.	मेस्को	-	-	00.024

1	2	3	4	5
27.	एसीई एयरवेज	–	–	00.058
28.	बंगाल एयरवेज	–	–	00.015
29.	ईस्ट इंडिया होटल्स	–	–	00.004
30.	एयर एसियाटीक लि०	–	01.46	–
31.	गोवा वेज	–	00.04	–
32.	वायुदूत	–	05.71	–
	योग	61.28	51.29	25.005

केरल में एम०सी० रोड

3077. श्री के०वी० सुरेन्द्रनाथ : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्यवार लम्बाई कितनी-कितनी है;

(ख) क्या केरल सरकार ने राज्य से गुजरने वाले एम०सी० रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्य को मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी हां।

(ग) संसाधनों की निरंतर कमी के कारण प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया जा सका।

विवरण

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की राज्यवार कुल लम्बाई

क्र०सं०	राज्य का नाम	कुल लम्बाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2888
2.	अरूणाचल प्रदेश	330
3.	असम	2296
4.	बिहार	2547
5.	चंडीगढ़	24
6.	दिल्ली	72
7.	गोवा	229
8.	गुजरात	1631
9.	हरियाणा	698
10.	हिमाचल प्रदेश	854
11.	जम्मू और कश्मीर	648
12.	कर्नाटक	1996
13.	केरल	940
14.	मध्य प्रदेश	2946
15.	महाराष्ट्र	2918
16.	मणिपुर	431
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	551
19.	नागालैण्ड	113
20.	उड़ीसा	1649
21.	पांडिचेरी	23
22.	पंजाब	892
23.	राजस्थान	2931
24.	सिक्किम	62
25.	तमिलनाडु	1896
26.	त्रिपुरा	200
27.	उत्तर प्रदेश	2733
28.	पश्चिम बंगाल	1638
	जोड़	34,608

[हिन्दी]

इन्दौर-उज्जैन मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना

3078. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर-उज्जैन-रतलाम-बांसबाड़ा-अहमदाबाद सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक आरम्भ होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नौवीं योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

नादरगुल में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा

3079. डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाकिम पेट में पूर्व प्रस्तावित भूमि के रक्षा प्राधिकारियों द्वारा देने से इंकार कर देने के कारण हैदराबाद शहर से 25 किलोमीटर दूर नादरगुल में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संबंधी प्रस्ताव वापस ले लिया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकार वैकल्पिक स्थल मुहैया कराने के लिए तैयार नहीं है;

(ग) क्या रक्षा प्राधिकारियों द्वारा भूमि देने से इंकार कर दिए जाने के पश्चात् अब राज्य सरकार ने वैकल्पिक स्थल खोजने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कब तक तैयार हो जाएगा ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की हैदराबाद के निकट नादिरगुल में हवाई अड्डा निर्माण की कोई योजना नहीं है। इस समय, हैदराबाद में सीमित अर्न्तराष्ट्रीय प्रचालन होते हैं और विद्यमान हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

इंडियन एयरलाइन्स एक लाभकारी संस्थान

3080. श्री टी० गोविन्दन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इंडियन एयरलाइन्स को एक लाभकारी संस्थान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की योजना बना रही है क्योंकि विगत में यह एयरलाइन्स भारी घाटा उठा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) और (ख) अपनी हानियों को कम करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स द्वारा उठाए गए प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :-

1. उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ करने के पश्चात विमानचालकों और इंजीनियरों की उत्पादकता में वृद्धि।
2. सीधे ही और एयर इंडिया के साथ गठजोड़ करके अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों में वृद्धि करना और नये गंतव्यों और नए सम्पर्क स्थापित करना।
3. मार्गों का युक्तियुक्तकरण करना।
4. स्वतंत्र लाभकारी केन्द्रों की स्थापना।
5. सेवा में गुणवत्ता में सुधार करना।
6. कम्पनी की मजबूती के बारे में सूचना का प्रसार।
7. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव, डा० केलंकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञों की समिति द्वारा सुझाई लम्बी पूर्व बहाली रणनीति का कार्यान्वयन।
8. पूंजीगत ढांचे का आधार व्यापक बनाना।
9. जहां कहीं संभव हो गैर-प्रचालनात्मक पूंजीगत व्यय को कम-से-कम करना।

फतेहपुर सीकरी स्थित ऐतिहासिक स्मारकों को हुई क्षति

3081. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आई०डी० स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1997 के दिल्ली से प्रकाशित ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''यूज ऑफ एक्सप्लोसिव्ज फॉर सैंड स्टोन क्वैरींग डेस्ट्रॉयल मॉन्युमेंट्स, ए०एस०आई० वाचेज साइलेंटली, डॉन्ट क्राई जस्ट फॉर ताज, फतेहपुर सीकरी इज डाइंग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारकों को हुई क्षति अपूर्णीय क्षति को रोकने में असफल रहने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) जी हां। बलुआ पत्थर के उत्खनन के लिए प्रयुक्त किए गए विस्फोटकों के परिणामस्वरूप केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में कोई विशेष क्षति परिलक्षित नहीं हुई है।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के आसपास उत्खनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु राज्यों के संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है। इस संबंध में संगत अधिसूचनाएं राज्य सरकारों के नॉटिस में लाई गई हैं।

अवैध गैस कनैक्शन

3082. श्री जी०ए० चरण रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सर्तकता विभाग ने सरकारी तैल कंपनियों के रसोई गैस डीलरों की मिलीभगत से अवैध गैस कनेक्शनों के धंधे में शामिल अंतर्राज्यीय घोटाले का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे घोटालों में कुल कितने लोग शामिल हैं;

(ग) सरकारी तेल कंपनियों के रसोई गैस वितरकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ऐसी सूचना मिली है कि अवैध गैस कनेक्शन जारी करने में बहुत बड़ी संख्या में तेल कंपनियों के कर्मचारी शामिल हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन गैस कनेक्शनों को नियमित कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : (क) से (च) जून, 1997 के प्रथम सप्ताह के दौरान सतर्कता

प्रकोष्ठ, नागरिक आपूर्ति विभाग, आंध्र प्रदेश ने इंडियन आयल कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के जाली/नकली टी वीज प्राप्त करने में कथित रूप से शामिल होने के लिए विजयवाड़ा में कुछ लोगों पर छापे मारे थे और उन्हें गिरफ्तार किया था। इंडियन आयल कार्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन के टी वीज के जाली/नकली मुद्रण ब्लाकों के साथ-साथ इंडियन आयल कार्पोरेशन/भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की एल पी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की रबड़ की मोहरें भी जब्त की गई थीं। आगे और जांच पड़ताल करने के पश्चात् सतर्कता विभाग ने आंध्र प्रदेश राज्य में 23 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर छापा मारा था तथा ऐसी 12 डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को निलंबित कर दिया था जो ऐसे जाली/नकली टी वीज को स्वीकार कर सकते थे। प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारियों ने एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नौ प्रबंधकों को गिरफ्तार किया था। आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश के राज्य स्तरीय समन्वयक को ऐसे समापन वाउचरों के विवरणों को सत्यापित करने की सलाह दी जो कथित रूप से नकली थे तथा जिनके वितरकों द्वारा स्वीकार किए जाने का अनुमान था। आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति अधिकारियों ने 15 अगस्त, 1997 तक का समय दिया है। कथित नकली समापन वाउचर के विवरणों के सत्यापन के आधार पर अगली कार्रवाई विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। अनधिकृत रूप से गैस कनेक्शन की आपूर्ति में इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन के अधिकारियों के लिप्त होने के संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पद

3083. श्री बाजू बन रियान : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित सभी श्रेणियों के पदों में भारी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो भर्ती वर्ष 1996 के अंत तक न भरे गए पदों की संख्या क्या है;

(ग) बकाया रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने विशेष भर्ती अभियान चलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख) भर्ती वर्ष 1996 के अन्त तक न भरे गए आरक्षित पदों का श्रेणीवार विवरण नीचे दिए अनुसार हैं :-

पदों का समूह	भर्ती वर्ष 1996 के अन्त तक कमी	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
(क)	38	25
(ख)	08	65
(ग)	—	07
जोड़	46	97

(ग) से (ङ) आरक्षित पदों के बैक लोग को भरने के उद्देश्य से, 24 पदों समूह "क" में (13 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति) और समूह "ग" तथा "घ" में 32 पदों (जिनमें 9 अनुसूचित जाति तथा 23 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं) के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर/रोजगार कार्यालय में अधिसूचना भिजवाकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य अभ्यर्थियों सहित समूह "क" में 5 पदों (जिनमें 2 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं) के लिए विज्ञापन दे दिया गया है। भर्ती कार्य के लिए कार्रवाई तेजी से की जा रही है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर पंचाट

3084. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर संबंधी पंचाट के समय से लेकर अब तक वर्षवार केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए सरदार सरोवर पंचाट के अंतर्गत दी गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार इन परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य निधि कोष से व्यय कर रही है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सरदार सरोवर पंचाट के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि का उपयोग करने के बारे में क्या मानदण्ड अपनाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भागीदार राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) और (ग) गुजरात नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को विस्थापित व्यक्तियों तथा परिवारों को उनके क्षेत्रों में पुनर्वास व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित समस्त खर्चों, प्रभारों एवं लागतों का भुगतान करेगा और सरदार सरोवर के संबंधित विस्थापितों के भूमि अधिग्रहण और विस्थापितों के पुनर्वास पर गुजरात द्वारा किए गए सारे खर्चे सरदार सरोवर परियोजना यूनिट-1 बांध और सम्बद्ध कार्यों में से किए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में यात्री भवन का निर्माण

3085. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जिला देवास (मध्य प्रदेश) में नीमवार में यात्री भवन के निर्माण के लिए चार-पांच वर्ष पहले राज्य सरकार को धनराशि दी थी;

(ख) कितनी धनराशि प्रदान की गई थी तथा किस एजेंसी द्वारा इस भवन का निर्माण किया जाना था तथा कितनी अवधि में इसका निर्माण पूरा किया जाना था;

(ग) इस निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या उक्त भवन के निर्माण में बरती गई लापरवाही के संबंध में कोई जांच की जाएगी ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने नीमवार में यात्री निवासों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 11.75 लाख रु० की वित्तीय सहायता स्वीकृत की थी। यात्री निवासों का निर्माण मध्य प्रदेश के राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया गया था।

(ग) से (ङ) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई है।

[अनुवाद]

आई०टी०डी०सी० द्वारा विदेशी दौरों पर व्यय

3086. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा अनेक प्रकार के बहाने बनाकर अपने कार्यकारी अधिकारियों को अनेक प्रकार के बहाने बनाकर विदेशी दौरों पर भेजे व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अपने कार्यकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों से आई०टी०डी०सी० को किस प्रकार का लाभ हुआ ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशी दौरों पर किए गए व्यय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	किया गया खर्च (रुपए लाखों में)
1994-95	54.33
1995-96	47.27
1996-97	47.93 (अनन्तिम)

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों द्वारा, बिक्री संवर्धन, व्यापारिक कार्यकलापों, जन संसाधन के प्रशिक्षण आदि के लिए विदेशी दौरे किए जाते हैं जिसके बदले में निगम का व्यापार बढ़ता है तथा कार्यपालकों की कार्यकुशलता/जानकारी बढ़ती है।

भारत पर्यटन विकास निगम के अनुसूचित जाति/ -अनुसूचित जनजाति के पद

3087. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में महाप्रबंधक तथा इससे उच्च स्तर के अधिशासी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किया जाता है और इन्हें भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार भरा जाता है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की तुलना में महाप्रबंधक और इससे उच्च स्तर के पदों की कुल संख्या क्या है;

(ग) सामान्य वर्गों के ऐसे अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जो महाप्रबंधक तथा इससे उच्च आरक्षित पदों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) सामान्य वर्गों के अधिकारियों को इन पदों से हटाकर इन आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण एवं रोजगार के लिए सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। बोर्ड स्तर से नीचे परंतु महाप्रबंधक स्तर से ऊंचे स्तर के अधिशासियों की वर्तमान कुल संख्या 37 है जिसमें से 4 अनुसूचित जाति वर्ग से हैं।

(ग) और (घ) प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य वर्ग के निम्नलिखित तीन अधिकारियों को हाल ही में महाप्रबंधकों के आरक्षित पदों पर कार्यभार सौंपा गया है :-

1. सुश्री कुसुम मलिक, महाप्रबंधक
2. श्री राजीव माकिन, महाप्रबंधक
3. श्री पी० रामचन्द्रन, अधिशासी शेफ ग्रेड-1

यह एककों में सुचारू प्रचालन को सुगम बनाने हेतु एक अस्थायी व्यवस्था है। आरक्षित पदों को नियमित आधार पर भरे जाने के लिए नियत समय पर आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाएगी।

कोणार्क का विकास

3088. **श्री रनजीव बिसवाल :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोणार्क को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कोणार्क में पर्यटकों के लिए क्या-क्या बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई मास्टर प्लान बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) और (ख) पर्यटन केन्द्रों का अभिनिर्धारण तथा विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है और मुख्यत: यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। भारत सरकार का पर्यटन विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को, उनसे प्राप्त विशिष्ट परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, उनके गुण-दोषों, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छावनी में भवन तथा फ्लैटों का निर्माण

3089. **श्री येल्लैया नंदी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की विभिन्न रक्षा छावनियों में छावनीवार भवन तथा फ्लैटों के निर्माण के संबंध में फ्लोर स्पेस इंडैक्स का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न छावनियों में गंभीर आवास समस्या को हल करने के लिए एफ०एस०आई० को उदारीकृत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) संपूर्ण भारत में 62 छावनियों में से मकानों के निर्माण के संबंध में फ्लोर स्पेस इंडेक्स 18 छावनियों की भवन उपविधियों में निर्धारित किया गया है इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शेष 44 छावनी बोर्डों की भवन उपविधियों में फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) मंत्रालय द्वारा फ्लोर स्पेस इंडेक्स में वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में सेना प्राधिकारियों, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और विभिन्न सामाजिक पर्यावरणीय मंचों से अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

विभिन्न छावनियों में भवनों तथा फ्लैटों के निर्माण के संबंध में यथा प्रचलित फ्लोर स्पेस इंडेक्स का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(क) दक्षिण कमान

औरंगाबाद	प्रमुख जनरल अफसर कमान ने वर्ष 1984 में इन सभी छावनियों	
अहमदाबाद	में निम्नलिखित फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर प्रतिबंध लगाए थे	
अहमदनगर		
अजमेर	छावनी अधिनियम की धारा 181 (क) के अधीन :	
बेलगाम		
कणनूर	(क) छावनी अधिनियम की धारा 434 के अधीन अधिसूचित	
देहू रोड	सिविल क्षेत्र और छावनी भूमि प्रशासन नियमावली, 1937 के	
देवलाली	नियम 2(ख) के अधीन अधिसूचित बाजार क्षेत्र में	-1
कामठी		
खड़की	(ख) उपर्युक्त (क) से भिन्न क्षेत्रों में	0.5
नसीराबाद		
पुणे		
सिकंदराबाद		
सैंट थॉमस माउंट		
वेलिंग्टन		

(ख) निम्नलिखित परिषदों के संबंध में फ्लोर स्पेस इंडेक्स उनके भवन उप विधियों में शामिल किए गए हैं।

मध्य कमान

पचमढ़ी	(क) छावनी अधिनियम की धारा 43(क) के अधीन अधिसूचित सिविल क्षेत्र	1
	(ख) बंगला क्षेत्रों में	0.5

पूर्वी कमान

जलापहाड़	(क) अधिसूचित सिविल क्षेत्र में	1
	(ख) अधिसूचित सिविल क्षेत्र से बाहर	0.5
शिलांग	संपूर्ण छावनी क्षेत्र के संबंध में	0.5

(ग) शेष 44 छावनी परिषदों की भवन उप विधियों में कोई फ्लोर स्पेस इंडेक्स प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं।

[हिन्दी]

एशियाई विकास बैंक से सहायता

3090. श्री भगवान शंकर रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ताज संरक्षित क्षेत्र" के संरक्षण और विकास तथा सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह अध्ययन कब तक किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (ङ) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एशियाई विकास बैंक ने आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद जिलों की मौजूदा पर्यावरण संबंधी स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करने तथा इन जिलों के दीर्घकालिक विकास के लिए परियोजना तैयार करने के लिए 6,00,000 अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता धनराशि प्रदान की है। इस परियोजना में पर्यावरण संबंधी सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव के विशेष संदर्भ शामिल होंगे। एशियाई विकास बैंक ने तकनीकी सहायता के अन्तर्गत परामर्शदाता नियुक्त किए हैं। एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता के संदर्भ में आगे की कार्रवाई, उपर्युक्त तकनीकी सहायता से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

चेन्नई-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग

3091. श्री ए०जी०एस० रामबाबू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चेन्नई से मदुरे तक चार लेनों वाली राष्ट्रीय राजमार्ग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर 0/0 से 67/0 कि०मी० (चेन्नई-पुक्कातुरै) तक चार लेन की सड़क है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का रा०रा० 45 को 67/0 से 122/0 कि०मी० (पुक्कातुरै-टिन्डीवनम) तक बीओ टी आधार पर चार लेन का बनाने का प्रस्ताव है तथा इसके लिए उपयुक्त फर्मों से पूर्व अर्हता संबंधी प्रस्ताव पहले ही आमंत्रित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग-45 को 122/0 से 325/0 कि०मी० (टिन्डीवनम-त्रिची बाइपास का सिरा) तक और राज्य एम डी आर रूट के जरिए त्रिची बाइ पास से मदुरै तक चार लेन बनाने का कार्य विश्व बैंक-111 ऋण सहायता के अंतर्गत क्रमशः दो पैकेजों में शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

करनाल में उपमार्ग

3092. श्री आई०डी० स्वामी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री करनाल में उपमार्ग के बारे में 24 फरवरी, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त उपमार्ग इसके दोनों तरफ हूडा कालोनियों के निर्माण के कारण सेक्टर सड़क बन गया है;

(ख) क्या उक्त उपमार्ग भीड़-भाड़ वाला और दुर्घटना प्रवण हो गया है;

(ग) यदि हां, तो यातायात जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, के सुचारू रूप से चलते रहने के लिये जी टी रोड अथवा उपमार्ग के ऊपर उपरिमार्ग बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) करनाल बाइपास विद्यमान है परन्तु यह हूडा के सैक्टरों की सड़कों का कोई हिस्सा नहीं है।

(ख) बाइपास पर चार लेन बनाने का कार्य जो चल रहा है, पूरा हो जाने के पश्चात् भीड़-भाड़ कम हो जाएगी।

(ग) और (घ) इस समय जी टी रोड अथवा बाइपास पर किसी ओवर ब्रिज के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि इस खंड में चार लेन बनाने का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात यातायात का आवागमन सुचारू रूप से होगा।

[हिन्दी]

धनराशि जारी करना

3093. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार ने समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि मांगी है;

(ख) क्या मांगी गई राशि जारी कर दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से राशि मांगने के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्यान्वयन हेतु 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को प्रथम किश्त के रूप में 21.59 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत और निर्मुक्त की है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

जल बंटवारे के संबंध में भारत-बंगलादेश समझौता

3094. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के लिए भारत और बंगलादेश के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बी०एड० पाठ्यक्रम

3095. श्री जयसिंह चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 12 मई, 1997 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 5763 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'रेफर्ड' विश्वविद्यालयों के कुछ महाविद्यालयों में बी०एड० पाठ्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) किस शिक्षा सत्र से पत्राचार बी०एड० पाठ्यक्रम को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या कुछ महाविद्यालयों में दो वर्षों का और कुछ में एक वर्ष का बी०एड० पाठ्यक्रम है;

(ङ) यदि हां, तो एक वर्षीय और दो वर्षीय बी०एड० पाठ्यक्रम चलाने वाले उन विश्वविद्यालयों का महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पाठ्यक्रम की अवधि में इस अन्तर का क्या कारण है तथा बी०एड० पाठ्यक्रम को समरूप बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ परामर्श करके, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने बी०एड० पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बी०एड० पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करने की स्थिति में होंगे।

(घ) बी०एड० पत्राचार पाठ्यक्रम पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों में केवल 2 वर्षों की पाठ्यक्रम अवधि की व्यवस्था है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में गेस्ट हाऊस

3096. श्री धर्मभिक्षम : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर गेस्ट हाऊसों/यात्री बंगलों का नियंत्रण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) क्या उनमें सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नए प्रस्तावित गेस्ट हाऊसों का निर्माण कहां किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न गैस्ट हाऊस/यात्री बंगले हैं जो पूरे राज्य में स्थित हैं। इन्हें राज्य सरकार के विभिन्न विभागों

द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

(ख) से (घ) यह मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैस्ट हाऊसों के सुधार अथवा नव-निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बड़नाला मझोली सिंचाई परियोजना

3097. श्री गिरिधर गमांग : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की बड़नाला मझौली सिंचाई परियोजना पूरी नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के शुरू होने के बाद से वर्षावार और घटकवार कितनी राशि प्रदान की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार द्वारा 1981-82 को बड़नाला मध्यम सिंचाई परियोजना प्रारंभ की गई है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 91.74 करोड़ रुपए है। परियोजना पर किया गया प्रत्याशित व्यय 82.93 करोड़ रुपए का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :-

करोड़ रुपए में

मार्च, 1992 तक किया गया व्यय	43.77
वर्ष 1992-93 के दौरान किया गया व्यय	7.85
वर्ष 1993-94 के दौरान किया गया व्यय	8.25
वर्ष 1994-95 के दौरान किया गया व्यय (प्रत्याशित)	8.00
वर्ष 1995-96 के दौरान किया गया व्यय (प्रत्याशित)	6.06
वर्ष 1996-97 के लिए परिव्यय	9.00
	82.93

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

3098. श्री उद्धव बर्मन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में वैज्ञानिक जल प्रबंधन के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो मास्टर प्लान की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) क्या मास्टर प्लान के कार्यान्वयन पर आने वाले खर्च का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए संशाधन जुटाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी हां।

(ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने, ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य शाखा के लिए मास्टर योजना भाग-I, बराक नदी और इसकी सहायक नदियों के लिए मास्टर योजना भाग-II और ब्रह्मपुत्र की 38 सहायक नदियों और त्रिपुरा की 8 नदियों को शामिल करते हुए मास्टर योजना भाग-III तैयार की है। मास्टर योजना भाग-I और भाग-II केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। अन्य मास्टर योजनाएं विभिन्न संबंधित पूर्वोत्तर राज्यों को उनके विचारों और टिप्पणियों के लिए परिचालित की गई थी और बोर्ड द्वारा उनकी टिप्पणियों के आधार पर मास्टर योजनाओं का संशोधन किया गया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। मास्टर योजनाओं की विभिन्न मदों के लिए प्राप्त हुई अनुमोदित राशियां संकेतात्मक हैं। इससे संबंधित वास्तविक व्यय कार्यान्वयन की अवस्था पर तैयार किया जायेगा।

[हिन्दी]

गुजरात में बाढ़ नियंत्रण

3099. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य गुजरात सरकार और अनेक अन्य संस्थाएं पिछले कई वर्षों से केन्द्र सरकार से सरोवा अमलीपारा, खासा इत्यादि गांवों जो अहमदाबाद और सावरमती नदी के दोनों ओर स्थित है, सावरमती नदी में बाढ़ के दौरान जलमग्न हो जाते हैं को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सुरक्षा दीवार का निर्माण कब तक कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस दीवार के निर्माण के लिए कराए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या हैं और इस पर अनुमानतः कितना व्यय किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ नियंत्रण कार्य

3100. डा० अरुण कुमार शर्मा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा 1996 में घोषित 500 करोड़ रुपए के पैकेज में से ब्रह्मपुत्र पर बाढ़ संबंधी अनेक नियंत्रण कार्यों के लिए निधियों के आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) पगलादिया बांध परियोजना से ब्रह्मपुत्र बाढ़ में कितने प्रतिशत कमी लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र बेसिन की सुरक्षा के लिए कुल कितना आबंटन किया गया है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) प्रधान मंत्री द्वारा अक्तूबर, 1996 में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए घोषित 500 करोड़ रु० की धनराशि में से प्रस्तावित निधियों का आबंटन निम्न है :-

(I) पगलादिया बांध परियोजना के आंशिक तथा हरांग जल निकास परियोजना के पूर्ण निष्पादन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड को 225 करोड़ रु० की राशि उपलब्ध करायी जा सकती है।

(II) बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए असम राज्य के अलावा अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों को 500 करोड़ रु० का 10.15% भाग

आबंटित किया जाना है। तथा शेष राशि असम राज्य को उनके भू-भाग में बाढ़ को कम करने के लिए अल्पकालीन उपायों के कार्यान्वियन के लिए दिया जाएगा।

(ख) पगलादिया बांध परियोजना के क्रियान्वयन के बाद लगभग 54,000 हेक्टे० की भूमि आनवांशित सिंचाई उपलब्ध कराने के अलावा प्रतिवर्ष लगभग 14 करोड़ रु० का बाढ़ नियंत्रण लाभ प्राप्त होने की संभावना है इसे उत्तर-पूर्वी तथा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या-31 जो एक मात्र रेल संपर्क मार्ग हो को बचाया जा सकता है जिससे उत्तर-पूर्वी राज्यों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं यात्री यातायात की सुविधा प्रदान की जाती है।

(ग) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा माजुली पर ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप खंड की नदी माडलिंग के लिए तथा द्वीप के लिए एक विशिष्ट मास्टर योजना तैयार करने के वास्ते क्रमश: 6065 लाख और 24.10 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई है।

उड़ीसा से पूर्वोत्तर राज्य के लिए मार्ग

3101. **श्री सुनील खान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर जिले के धारा ग्राम के समीप बहरामुरी से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 का विस्तार कर इसे बांकुरा अथवा दुर्गापुर के रास्ते रानीगंज तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मार्ग उड़ीसा से पूर्वोत्तर राज्यों तक संख्या की दृष्टि से सबसे कम दूरी वाला मार्ग होगा और इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडिवनाम जी० वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मान्यता प्राप्त शंकराचार्य

3102. **श्री नंद कुमार साय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने मान्यता प्राप्त शंकराचार्य हैं;

(ख) क्या इन सभी शंकराचार्यों को समान सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

किसानों को सिंचाई सुविधाएं

3103. **श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे छोटे और सीमान्त किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु नई योजना आरम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने वर्ष 1996-97 के दौरान एकीकृत ग्रम विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) की उप-स्कीम के रूप में, गंगा कल्याण योजना नामक एक नई केन्द्र प्रायोजित स्कीम शुरू की है। स्कीम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है।

(i) भूजल (बोरवेल्स और नलकूप) के समुपयोजन के जरिए गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों और लघु और सीमान्त किसानों के लाभग्राही समूहों को सिंचाई प्रदान करना;

(ii) सरकार द्वारा आर्थिक सहायता तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा आवधिक ऋणों के जरिए व्यक्तियों/समूहों की सहायता करना;

(iii) इस स्कीम के अंतर्गत 80 प्रतिशत निधियाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा और 20 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन की जानी है।

(iv) राज्यों के बीच निधियों का आबंटन गरीबी अनुपात के आधार पर किया जाता है और जिलों के बीच आबंटन राज्य सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।

(v) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 50 प्रतिशत निधियाँ निर्धारित की गई हैं।

(vi) इस स्कीम के अंतर्गत 75 प्रतिशत आर्थिक सहायता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से असमर्थ समूहों के लिए है और 50% दूसरों के लिए आर्थिक सहायता की (सब्सिडी) की प्रतिसमूह अधिकतम सीमा 40000 रु० है। किसी एक लाभग्राही व्यक्ति के मामले में इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता (सब्सिडी) 5000 रु० प्रति एकड़ भूमि है जो अधिकतम 12,500 रु० प्रति लाभग्राही है। परियोजना लागत और स्वीकार्य आर्थिक सहायता (सब्सिडी) के बीच अन्तर को वित्तीय संस्थानों अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बी सी वित्त और विकास निगमों द्वारा आवधिक ऋणों के जरिए कम करना है।

(vii) यह स्कीम जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरणों/जिला परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(viii) यह स्कीम दिनांक 1.4.97 से स्वतन्त्र स्कीम बन गई है।

(ix) इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के दौरान 90.82 करोड़ रुपये जारी किए गये हैं और वर्ष 1997-98 के लिए निधियों का आबंटन 200.00 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

भारत को रूसी सहायता

3104. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने रूसी सैन्य उपस्करों की खरीद हेतु 1992 में सहायतार्थ भारत के लिए 83.50 करोड़ डालर मूल्य का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने अब तक उपरोक्त ऋण राशि में से 35 करोड़ डालर का उपयोग नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने शेष ऋण राशि का उपयोग करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 17 सितम्बर, 1992 को रूस के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत रूस ने भारत को रक्षा आपूर्तियों के वास्ते 830 मिलियन (83 करोड़) अमरीकी डालर के बराबर सरकारी ऋण (स्टेट क्रेडिट) मुहैया कराना। इस ऋण के एक हिस्से का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(ग) से (च) कार्यान्वित की जाने वाली वित्तीय परियोजनाओं तथा भारत की सशस्त्र सेनाओं के वास्ते रूस से उपस्कर की खरीदारी के लिए ऋण का उपयोग करना एक सतत प्रक्रिया है जो भारत की रक्षा प्राथमिकताओं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की सावधानीपूर्वक जांच-पड़ताल तथा रूसी सरकार के साथ नियमित परामर्शों पर आधारित है ताकि उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से रूस से इन आवश्यकताओं को पूरा करने की सम्भावना का पता लगाया जा सके।

[अनुवाद]

अध्यापकों की नियुक्ति

3105. **श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने हाल ही में सहायक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो लिखित परीक्षा के लिए उक्त पद हेतु कितने उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त पद के अंतिम चयन में अनियमितताएं बरती जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी स्वातशासी एजेंसी से इस मामले की जांच कराने का है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (घ) नई दिल्ली नगर परिषद् ने सूचित किया है कि सहायक अध्यापकों के पद के लिए आवेदन अगस्त, 1996 में एक सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए आमंत्रित किए गए थे। कुल 18,049 पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था। नई दिल्ली नगर परिषद् को अनियमितताओं की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अगरतला-कलकत्ता-दिल्ली मार्ग पर उड़ानें

3106. **श्री बादल चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला-कलकत्ता-दिल्ली मार्ग पर सीधी नियमित उड़ान शुरू करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक यह उड़ान शुरू कर दी जायेगी;

(ग) यदि नहीं, तो अगरतला-दिल्ली के बीच सीधे वायु सम्पर्क के लिए क्या वैकल्पिक योजना है;

(घ) क्या त्रिपुरा के कमालपुर तथा कैलाशहर को पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यालय तथा कलकत्ता से जोड़ने के लिए छोटे यात्री विमानों की उड़ाने शुरू करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो ये उड़ाने कब तक शुरू कर दी जायेंगी ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) इस समय, इंडियन एयरलाइन्स/एलांयस एयर की नई सेवाएं शुरू करने की कोई योजना नहीं है। तथापि, अगरतला तथा दिल्ली के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्री, कलकत्ता होकर सप्ताह में छह दिन हो रहे सुविधाजनक प्रचालनों का लाभ उठा सकते हैं। निजी प्रचालकों को भी, व्यवहार्यता के अध्यधीन, अपने नेटवर्कों पर पूर्वोत्तर राज्यों सहित और अधिक स्टेशनों को शामिल करने के प्रति प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भीमा कुंड बहुउद्देशीय परियोजना

3107. **श्री मुरलीधर जैना : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा स्थित भीमा कुंड बहुउद्देशीय परियोजना की उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पहले चरण की परियोजना रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी रिपोर्ट और इसमें अंतग्रस्त लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को वापस भेज दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण थे;

(च) क्या दूसरे चरण की परियोजना रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) परियोजना को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार भीमा कुंड बहुउद्देशीय परियोजना को दो चरणों में शुरू करने का प्रस्ताव किया है। चरण I में नियोपाड़ा में वैतरणी नदी पर एक बांध के निर्माण और बांध स्थान पर 3×16 मेगावाट की संस्थापित क्षमता का एक बिजली घर तथा 3×115 मेगावाट की संस्थापित क्षमता के बायगुडी पर दूसरे बिजली घर के निर्माण की कल्पना की गई है। इस परियोजना से वैतरणी डेल्टा में 1400 वर्ग कि०मी० के क्षेत्र को बाढ़ से बचाव संबंधी लाभ भी होंगे।

188.59 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली भीमा कुंड बहुद्देशीय परियोजना चरण-I की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में अगस्त, 1974 में प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार को विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मामलों को हल करना था।

चूंकि राज्य सरकार ने इन तकनीकी आर्थिक मामलों को हल नहीं किया इसलिए यह परियोजना राज्य सरकार को दिनांक 5.10.1983 को वापिस

भेजी गई। राज्य सरकार को केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

अब तक राज्य सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना के चरण-2 की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) राज्य सरकार को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

एयर इंडिया की उड़ान समय सारणी

3008. श्री आर० साम्बासिवा राव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की उड़ान समय-सारिणी में अव्यवस्था के लिए तत्कालीन सचिव सहित मंत्रालय और इसके वरिष्ठ अधिकारियों को फटकारा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया द्वारा बार-बार उड़ान रद्द किए जाने और विमान का मार्ग बदले जाने की आलोचना की है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने हेतु कतिपय निर्देश जारी किए हैं कि उड़ान कार्यक्रम इस प्रकार बनाये जाएं जिससे अन्य उड़ानें प्रभावित न हो;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय इस संबंध में सभी शिकायतों पर गौर करने के लिए किस हद तक सहमत हुआ है; और

(ङ) उनके द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयन्ती नटराजन) : (क) से (ङ) जी, नहीं। प्रधान मंत्री का नागर विमानन मंत्रालय को फटकार लगाने का प्रश्न नहीं उठता। नागर विमानन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए कहा गया था कि जिससे एयरलाइंस की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एयरलाइंस का सेवाओं की विश्वसनीयता का रिकार्ड निर्मित होता रहे, एयर इंडिया की सामान्य सेवाएं बाधित नहीं हों।

एयर इंडिया को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जा चुका है कि जब तक कोई प्रचालनात्मक या तकनीकी कारणों से ऐसा करने की विवशता न हो, अनुसूचित उड़ानों को रद्द करने या मार्गों/सैक्टरों से क्षमता हटाने का सहारा नहीं लिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में भी, प्रबन्धन द्वारा आम जनता को समय रहते सूचित किया जाना चाहिए।

हज प्रचालनों के सम्बन्ध में, एयर इंडिया को समय रहते चार्टर विमान पट्टे पर लेने की योजना बनाने और यदि हो सके तो अगले 3 से 5 वर्षों के लिए संविदा करने की कोशिश करने को कहा गया है।

मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

3109. श्री कचरू भाऊ रावत :
श्री एन०जे० राठवा :

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उनके मंत्रालय के अधीन विभागों/उपक्रमों में की गई नियुक्तियों की पदवार संख्या क्या है;

(ख) की गई कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदवार संख्या क्या है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कुछ पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो पदवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(च) इन रिक्त पड़े आरक्षित पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है और इसमें हुए विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना) : (क) से (च) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण-I

(क) और (ख) पर्यटन विभाग में की गई पद-वार नियुक्तियां तथा उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले उम्मीदवार

क्रम सं०	पद का नाम	1994			1995			1996			1997		
		कुल	अनु.जा.	अनु.जन.	कुल	अनु.जा.	अनु.जन.	कुल	अनु.जा.	अनु.जन.	कुल	अनु.जा.	अनु.जन.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उप महानिदेशक	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
2.	निदेशक	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	सहायक निदेशक	—	—	—	2	1	—	1	1	—	3	—	1
4.	लेखा अधिकारी	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—
5.	सहायक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—
6.	गोपनीय सहायक	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	वरि० हिन्दी अनुवादक	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	कनि० हिन्दी अनुवादक	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–
9.	डाटा प्रोसेसिंग सहायक (ग्रेड-ए)	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
10.	सूचना सहायक	7	3	–	10	1	1	8	3	1	–	3	1
11.	कनि० आशुलिपिक	1	–	–	7	1	–	2	1	–	–	–	–
12.	अवर श्रेणी लिपिक	14	1	1	11	3		15	6	–	5	4	–
13.	डाटा इंट्री आपरेटर (ग्रेड-ए)	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	-
14.	स्टाफ कार ड्राइवर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	चपरासी	3	2	–	2	–	1	2	1	–	4		-
16.	चौकीदार	2	1	–	1	1	–	–	–	–	2		
17.	सफाई-कम-फराश	2	2	–	1	1	–	–	–	–	–	1	

विवरण-II

भारत पर्यटन विकास निगम

(क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम में गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के ब्यौरों सहित की गई नियुक्तियों के वर्गवार ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :-

पदों के समूह	गत तीन कैलेण्डर वर्षों के दौरान तथा अनुसूच्ति जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की नियुक्तियों की संख्या								
	कुल	अनु०जा०	अनु०जन०	कुल	अनु०जा०	अनु०जन०	कुल	अनु०जा०	अनु०जन०
क.	2	–	–	27	5	–	15	1	–
ख.	1	1	–	–	–	–	–	–	–
ग.	67	19	7	47	10	4	23	7	1
घ.	58	14	16	49	13	2	90	34	11

(ग) और (घ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1996 तक रिक्त पड़े हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों का वर्गवार ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है।

पदों के समूह	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की संख्या	
	अनु०जा०	अनु०जन०
क.	38	25
ख.	–	–
ग.	४	65
घ.	–	7

(ङ) और (च) बचे हुए रिक्त पदों को भरने की दृष्टि से समूह ''क'' में 24 पदों (13 अनुसूचित जाति एवं 11 अनुसूचित जनजाति) तथा समूह ''ग'' तथा ''घ'' में 32 पदों (09 अनुसूचित जाति तथा 23 अनुसूचित जनजाति) को भरने के लिए रोजगार कार्यालय को एक विज्ञापन/अधि-सूचना जारी करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से एक विशेष भर्ती अभियान चलाया है। इसके अतिरिक्त सामान्य उम्मीदवारों के साथ, समूह ''क'' में पांच पदों (02 अनुसूचित जाति तथा 03 अनुसूचित जनजाति) के लिए एक अन्य विज्ञापन दिया है। भर्ती की प्रक्रिया जारी है तथा दिसम्बर, 1997 के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रिक्त पड़े हुए आरक्षित पद

	कुल	अनु०जा०	अनु०जन०
1	2	3	4
1. निदेशक	1	1	–
2. सहायक निदेशक	1	–	1
3. सहायक	3	2	1
4. सूचना सहायक	29	5	3
5. कनि० आशुलिपिक	3	2	1
6. अवर श्रेणी लिपिक	2	1	1

(ङ) और (च) रिक्त पड़े हुए आरक्षित पदों को भरने के लिए उठाए गए कदम।

1.	निदेशक	1 पद	उम्मीदवार को जारी किया गया नियुक्ति प्रस्ताव
2.	सहायक निदेशक	1 पद	संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार लेकर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है।
3.	सहायक	3 पद	कर्मचारी चयन आयोग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में प्रत्येक पर एक अनुसूचित जाति एवं एक अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को नियुक्त कर दिया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने केंद्रीय (अतिरिक्त कर्मचारी) कक्ष में से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को नियुक्त किया जाना शेष है।
4.	सूचना सहायक	(5 अनु.जा. 3 अनु.जन.)	कर्मचारी चयन
5.	कनि० आशु-लिपिक	3 (2 अनु.जा. 1 अनु.जन.)	आयोग को रिक्त पद की सूचना दे दी गई है।
6.	अवर श्रेणी लिपिक	2 (1 अनु.जा. 1 अनु.जन.)	कर्मचारी चयन

सभी पदों पर नियमित आधार पर नियुक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग या रोजगार कार्यालय द्वारा चयन तथा नामांकन के आधार पर की जाती है।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अल्पसंख्यक आयोग का बारहवाँ वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्यवाही

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) अल्पसंख्यक आयोग का 1 अप्रैल, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक की अवधि के लिये बारहवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त प्रतिवेदन के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उक्त प्रतिवेदन के ऊपर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2319/97]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बाद आप बोल सकते हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैंने इस प्रश्न पर बोलने के लिए नोटिस दिया हैं मैं केवल दो वाक्य बोलना चाहूंगा। मंत्री महोदय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट सभा में रखने के लिए सहमत हो गये हैं। महोदय, यह रिपोर्ट वर्ष 1989-90 से सम्बन्धित है। ऐस महत्वपूर्ण संवेदनशील मामले में लगभग सात वर्ष का विलंब हुआ है। माननीय मंत्री को सभा को अवश्य आश्वस्त करना चाहिये कि इस प्रकार के विलंब नहीं होंगे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी और बनातवाला साहब तो बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या यह इसी विषय पर बोल रहे हैं?

श्री जी०एम० बनातवाला : दूसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग की एक भी रिपोर्ट इस सभा में कभी चर्चा के लिए नहीं आई। इस संबंध में भी कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अत्यन्त वरिष्ठ सदस्य हैं। इस प्रकार के मामले समिति को भेजे जाते हैं और आम तौर पर यहां नहीं उठाये जाते।

श्री जी०एम० बनातवाला : मैंने ऐसे गंभीर मामले की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला समिति को भेजा जायेगा।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग के बीच समझौता ज्ञापन।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिए रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, के बीच हुए समझौता ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2320/97]

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली को वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस०आर० बोम्मई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय महिला कोष, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2321/97]

[श्री एस०आर० बोम्मई]

(3) (एक) स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तधा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2322/97]

(5) (एक) स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के संबंध में विवरण (हिन्दी तधा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2323/97]

मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रकाशित केन्द्रीय मोटरयान (संशोधन) नियम

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टिंडीवनाम जी० वेंकटरामन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 1997, जो 16 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 395(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2324/97]

नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी, ईटानगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा इत्यादि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलाजी ईटानगर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नार्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2325/97]

(3) (एक) बोर्ड ऑफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन) कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड ऑफ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग (ईस्टर्न रीजन) कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2326/97]

(5) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2327/97]

(7) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2328/97]

(9) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के बीच आकस्मिक रिक्तियों को भरे जाने की रीति) विनियम, 1996 जो 5 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-28-2/96-एन०सी०टी०ई० में प्रकाशित हुआ था।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (नियमित सेवारत अध्यापकों के लिए पत्राचार माध्यम से बी०एड० हेतु दिशा निर्देश) संशोधन विनियम, 1997 जो 10 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-28-3/96-एन०सी०टी०ई० में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (बी०एड० उपाधि या इसके समकक्ष किसी पाठ्यक्रम के लिए

पत्राचार शिक्षा अथवा खुली दूर शिक्षा सहित दूर शिक्षा या आमने-सामने शिक्षण से भिन्न किसी अन्य रीति के माध्यम से पाठ्यक्रम चला रहे या चलाने हेतु प्रस्तावित संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए शर्तों के अवधारण और नये पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करने की अनुमति) विनियम, 1996 जो 5 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ-28-9/96-एन०सी०टी०ई० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2329/97]

(10) (एक) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विश्वभारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिये* सं० एल०टी० 2330/97]

अपराह्न 12.03 बजे

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज) : श्री पी० चिदम्बरम की ओर से, मैं स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत किया गया

श्री सतपाल महाराज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक पुराने प्रसंग का उल्लेख करते हुए अपनी बात कहना चाहती हूं। पिछले महीने सदन में जब मैं यहां उपस्थित थी, उस समय मैंने एक प्रसंग उठाया था। उसके जवाब में यहां पर अशोभनीय भाषा का प्रयोग हुआ था जो कि बाद में रिकार्ड से निकाल दी गई थी। मेरा आग्रह यह है कि अभी कुछ समय पहले से, कम से कम जब से मैं पार्लियामेंट में हूं, उससे पहले का मुझे पता नहीं, लेकिन सात-आठ साल से कुछ ऐसी भाषा बोलने वाले लोग संसद के अंदर बैठ गए हैं। सड़क पर भी जिस भाषा को बोलने में संकोच करना चाहिए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संसद में भी होने लगा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपका वश चलता है, आप उसको रिकार्ड में से निकाल देते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि अगर इस हाउस के अंदर रिकार्ड में आ रहा हो या न आ रहा हो, अगर किसी के प्रति अश्लीन और मर्यादाहीन भाषा का प्रयोग होता है, तो क्या उसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? मेरा मानना तो यह है कि रिकार्ड में से निकाल देना ही पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि इससे बोलने वाले की उद्दंडता बढ़ती है और जिसके प्रति बोला गया होता है वह स्वयं बहुत आक्रोष में होता है और ऐसा नहीं है कि वह निपटने में सक्षम नहीं होता। संसद में भी मैं निपटने में सक्षम हूं और संसद के बाहर भी मैं निपटने में सक्षम हूं लेकिन यहां पर तो आप हमारे संरक्षक हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि भविष्य में रिकार्ड में आ रहा हो या न आ रहा हो, लेकिन सदन की इस सीमा के अंदर अगर कोई मर्यादाहीन, शालीनताहीन भाषा का प्रयोग करता है, और उसकी शिकायत लेकर कोई आपके पास आता है, तो उसको दंड देने की उचित व्यवस्था आपके माध्यम से यहां होनी चाहिए। यहां तक कि अगर सदन का कोई सदस्य बाहर जाकर भी अश्लीन भाषा का प्रयोग किसी प्रकार से करता है, उसके बारे में भी दंड की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आक्रोष के कारण, मैं बहुत दिनों तक सदन में आ नहीं पाई। आपके और हमारी पार्टी के नेतृत्व के आग्रह के कारण और जब आपने मुझे अनुमति दी कि जब मैं इस मामले को उठाउंगी, तो आप इस विषय में दो शब्द कहेंगे, तभी मैं सदन में आई हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप सही बात कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष जी, मैं इस विचार को लेकर चलता हूं कि संमद में जो कुछ होता है और संसद में जो भी माननीय सदस्य आते हैं, वह एक मर्यादा के भीतर चलते हैं। कभी-कभी अगर ऐसी कोई घटना हो जाये जिसमें मर्यादा का उल्लंघन हो तो स्पीकर साहब की तरफ से उस पर अवश्य ध्यान दिया जाता है। महिलाओं के प्रश्न को लेकर, महिलाओं की मर्यादा, महिलाओं की बात की ओर ध्यान दिया जाये तो मैं सोचता हूं कि सदन के सभी पक्ष इस बात की ओर पूर्ण रूप से सजग हैं और किसी के मन में यह नहीं है कि जानबूझकर किसी भी महिला सांसद की भावना को किसी प्रकार की चोट पहुंचे। अगर चोट पहुंचती है तो उस पर स्पीकर साहब की ओर से सही कार्यवाही हो जाती है। मैं सोचता हूं कि अगर आपकी ओर से इस पर टिप्पणी हो जाये, तो इस दुखद प्रकरण को यहीं समाप्त कर दिया जाये।

[अनुवाद]

श्री मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश विधान सभा में दिनांक 12 अगस्त, 1991 को सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया गया जिसमें *उत्तराखंड* पृथक राज्य बनाने की सिफारिश की गई थी। विधान सभा ने पुनः 24 अगस्त, 1994 को तथा फिर 24 अप्रैल, 1997 को एक संकल्प पारित किया। इसके पश्चात्, पूर्व प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के बारे में लाल किले के परकोटे से घोषणा की थी।

इसके बाद हमारे गृह मंत्री, श्री इंद्रजीत गुप्त ने हाल ही में दिए गए साक्षात्कार में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत इस विषय पर केन्द्र सरकार प्रारूप विधेयक तैयार करेगी और तत्पश्चात् भारत के राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमोदनार्थ राज्य विधानसभा को भेजेंगे। मैं महसूस करता हूं कि हमारे मामले में यह व्याख्या सही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार पृथक राज्य की मांग करते हुए पहले ही संकल्प पारित कर चुकी है।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 11.8.1997 में प्रकाशित।

[श्री मानवेन्द्र शाह]

अब असम को लें, असम सरकार की आपत्तियों के बावजूद इसे छोटा किया गया। असम से हमारी तुलना नहीं की जा सकती। अतः, उस सीमा तक संविधान का अनुच्छेद 3 लागू नहीं होता हैं मैं सरकार से कार्यवाही करने के लिए नहीं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप समयबद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार को निदेश दें।
(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राम विलास पासवान, कृपया उनकी बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, कितनी बार उत्तरांचल का मामला उठाया जायेंगा? कितनी बार इस सरकार को निर्णय करने के लिए कहा जायेगा? यह सिलसिला कब तक चलेगा? हिमालय की चोटियों पर रहने वालों का धैर्य नहीं टूटता, यह समझने का कोई कारण नहीं है। हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार मानती है कि उत्तरांचल बनना चाहिए। लाल किले पर चढ़कर ऐलान कर दिया गया था। गृह मंत्री जी बार-बार जबं मामला उठता है, तो कहते हैं कि हम विधेयक बना रहे हैं। विधेयक उत्तर प्रदेश को भेजा जायेगा। फिर लौटकर आयेगा। यह प्रक्रिया कितने साल चलेगी? क्या यह सरकार स्वयं जाने से पहले उत्तरांचल का निर्माण करके जायेगी?

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर किसी को मतभेद नहीं है। लेकिन निर्णय नहीं हो रहे, कार्यवाहियां नहीं हो रही, मामले लटक रहे हैं। कल फिर प्रदर्शन हुआ था। परसो उत्तरांचल के लोग संसद का दरवाजा खटखटाने के लिए आये थे। बाहर वाले दरवाजा खट-खटा रहे हैं और हम अंदर बैठे हैं। अब एक ही रास्ता है कि हम बाहर चले जायें। आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। हम आपके हस्तक्षेप को निमंत्रण दे रहे हैं। आप इस प्रकार सरकार को कुछ कहिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र को सम्बोधित करते हैं और जो कुछ वे षोषणा करते हैं वह एक राष्ट्रीय मुद्दा होता है।

उस वचनबद्धता को पूरा करने में एक वर्ष नहीं लगना चाहिए। मैं यह भी महसूस करता हूं कि सरकार को इस मामले पर यथाशीघ्र कार्यवही करनी चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष जी, मैं चाहती थी कि मेरे मामले में आपकी तरफ से रूलिंग हो जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं। मैंने कहा था कि आपने सही बात कही है। मैं इस पर पहले ही टिप्पणी कर चुका हूं। जो मैं कह रहा था आपने नहीं सुना।

अपराह्न 12.11 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

श्री पी०सी० चाक्को (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। यह मामला कई अवसरों पर इस सभा में उठाया गया था। सरकार की ओर से मंत्रियों ने आश्वासन दिए थे। सरकार ने निर्णय भी लिए थे और बाद में अनेक अवसरों पर उन निर्णयों की जानकारी इस सभा तथा राज्यसभा की दी गई थी परंतु निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम स्वयं को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। मैं रेल सुरक्षा बल (आर०पी०एफ०) संघ को मान्यता देने के मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। रेल सुरक्षा बल का संगठन, जिसके सदस्यों की संख्या लगभग 75,000 है, वर्ष 1970 से 1975 तक एक मान्यता प्राप्त संगठन था। इन 14 वर्षों तक यह संगठन बिना किसी समस्या के कार्य करता रहा। इसकी मान्यता वर्ष 1985 में वापस ले ली गई।

महोदय, 1985 से सभी दलगत बातों से ऊपर उठकर सदस्य इस सभा में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। जब श्री जार्ज फर्नांडीज रेल मंत्री थे तो उन्होंने आदेश दिया था कि यह मान्यता वापस दे दी जाएगी परंतु ऐसा नहीं किया गया। इस सभा में कांग्रेस सदस्यों ने घरना दिया - मैं नहीं कहता कि यह यहां पर मुद्दा उठाने का सही तरीका था और श्री जनेश्वर मिश्र, जो अभी यहां बैठे है उस समय रेल मंत्री थे। दिनांक 27.2.1991 को केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया था कि संगठन की मान्यता वापस कर दी जाएगी और इसकी जानकारी तत्कालीन रेल मंत्री श्री मिश्रा ने लोक सभा को दे दी थी। परंतु आज तक ऐसा नहीं किया गया है।

महोदय, संगठन के सचिव तथा कुछ सदस्यों ने कहा कि मानसून सत्र के पश्चात् वे श्री पासवान तथा गृह मंत्री के निर्वाचन क्षेत्रों में आत्मदाह करेंगे। मैं दी गई धमकी के बारे में नही कह रहा हूं परंतु प्रश्न यह है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? जब श्री राम विलास पासवान सभा के इस ओर बैठते थे, तब उन्होंने इस मुद्दे का समर्थन किया था। सत्ता दल में चले जाने के बाद वे इनका एक भाग कैसे बन गए हैं?

महोदय, यह वहुत गंभीर मामला है और सरकार कह रही है कि रेल सुरक्षा बल भी संघ का एक सशस्त्र बल है और यह संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत आता है। परंतु ऐसा नहीं है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं। रेल सुरक्षा बल का कर्त्तव्य रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करना है। वे कानून और व्यवस्था का प्रभारी नहीं है। यह काम रेलवे पुलिस द्वारा किया जा रहा है न कि आर०पी०एफ० द्वारा 1 वर्ष 1985 में मान्यता वापस लिए जाने के बाद से मान्यता वापस देने के लिए अनेक आश्वासन दिए गए थे।

महोदय, आपको याद होगा कि श्री संतोष मोहन देव ने पिछले माह यह मुद्दा उठाया था और आपने सरकार को निदेश दिया था। अध्यक्षपीठ ने निदेश दिया था - कि यह मांग पूरी की जाए। मंत्रियों द्वारा छह आश्वासन देने के पश्चात्, इस वैध मांग, जो सभी दलों द्वारा स्वीकार की जा रही है, पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सरकार को निदेश दें कि वे इस मुद्दे पर शान्त न रहें और उन्हें निर्णय लेना चाहिए और यदि यह निर्णय भी क्रियान्वित नहीं किया जाता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमारी प्रणाली पर आक्षेप है। माननीय रेल मंत्री यहां बैठे हुए हैं। कृपया सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने दीजिए।

महोदय, ऐसा भी समय था जब गृह मंत्री इस बात पर सहमत नहीं थे। जब स्वर्गीय वाई०बी० चव्हाण गृह मंत्री थे, वे इस प्रस्ताव से सहमत थे और उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जा सकता है। अब, यदि गृह मंत्री सहमत हैं, रेल मंत्री सहमत हैं तो इसे क्रियान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब बात समाप्त करें।

श्री पी०सी० चाक्को : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरा ही विचार नहीं है, यह इस सभा के सभी सदस्यों का विचार है। कृपया सरकार को निदेश दें ताकि आर०पी०एफ० संगठन को मान्यता वापस दी जा सके और उन्हें कोई कार्यवाही न करनी पड़े।

श्री जसवंत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध का सार संगठन बनाना है न कि मजदूर संघ का गठन करना। आर०पी०एफ० के लिए कल्याणकारी संगठन बनाने की यह मांग मजदूर संघ की स्थापना से बहुत भिन्न हैं हम लोगों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति न देने के तर्क या असंगति की जांच कर सकते हैं। यह अलग बात है, परंतु यहां सरकारी कर्मचारियों के विशेष वर्ग के कल्याणकारी संगठन बनाने की सरल सी बात है। सरकार हमेशा इसके विरुद्ध क्यों रहती है जबकि सभा के लगभग सभी दलों ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है? यह वास्तव में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर सरकार की पूर्ण तंद्रा का एक और उदाहरण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह नया मुद्दा नहीं है। हम बहुत समय पहले से इसे उठाते रहे हैं। हमने इसे पहले भी उठाया था और सभी दलों ने इस मांग का समर्थन किया था। मैं श्री राम विलास पासवान के साथ बैठा हुआ था और वे भी इसे मुद्दे को दृढ़ता से उठा रहे थे और इस मांग का समर्थन कर रहे थे।

यह तर्क दिया गया कि क्योंकि यह एक सशस्त्र बल माना जाता है इसलिए ऐसे किसी भी संगठन अथवा मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। परंतु हम इस बात से सहमत नहीं हैं। वे सदस्यों की सेवा संगठन बना रहे हैं और इस पर कोई भी आपत्ति की सम्भावना नहीं हो सकती है। यह एक मुद्दा बन गया है और इसके लम्बे समय तक लम्बित रहने तथा उन्हें मौलिक अधिकार न दिए जाने के कारण अब वे आत्मदाह के निर्णय तक पहुंच गए हैं। यह एक राष्ट्रीय त्रासदी होगी।

अतः, मैं माननीय मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मामले की जांच करें। आर०पी०एफ० में इसके लिए सर्वसम्मत मांग है। यह मामला कई बार उठाया गया है। मैंने हाल ही में माननीय मंत्री को एक बार फिर याद दिलाते हुए पत्र भी लिखा है।

अतः, मैं श्री पी०सी० चाक्को के अनुरोध का समर्थन करता हूं और सरकार से कहता हूं कि वह शीघ्र अनुकूल निर्णय ले।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जब मैंने पिछली बार मामला उठाया था तो अध्यक्षपीठ ने निदेश दिया था। तदनन्तर मैंने श्री राम विलास पासवान के साथ चर्चा की थी और उन्होंने कानूनी स्थिति के बारे में कतिपय कठिनाईयां बताई थी। आज सुबह श्री जार्ज फर्नांडीज तथा दस अन्य सदस्य मुझसे मिले और उन्होंने मुझे बताया कि पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में राज्य सरकारों ने कल्याणकारी संगठनों को मान्यता दे दी हैं उनके मजदूर संघ नहीं थे परंतु उनके केवल कल्याणकारी संगठन थे। केरल ने भी इसे मान्यता दी है।

मैं रेलमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे यह जानकारी एकत्रित करके कि कैसे और किस तरह से इन राज्यों को मान्यता दी गई, गृह मंत्री की आपत्तियों को समाप्त करें और। उसके अनुसार वे भी मान्यता दे सकते हैं। जब हमारे देश में तीन प्रगतिशील राज्य ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी यही रास्ता अपना सकते हैं। प्रतिनिधियों ने मुझे आज सुबह बताया है कि कल्याणकारी संगठनों की तरह आंदोलन तथा अन्य बातों पर जो भी प्रतिबंध हो, उन्हें स्वीकार्य होगा। जब मैंने पिछले बृहस्पतिवार श्री राम विलास पासवान के साथ मामले पर चर्चा की थी तो उन्हें इस मामले पर सहानुभूति हुई और उन्हें उस मामले की जानकारी थी। चूंकि उन्होंने वही रास्ता अपनाया है जो श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया है, जोकि वांछनीय नहीं है, हम सभी एक साथ उनसे आंदोलन रोकने का अनुरोध कर सकते हैं तथा मामले का समाधान हो जाएगा। यह उनके लिए सही समाधान हो सकता है और मैं माननीय रेल मंत्री से आशा करता हूं कि वे इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट रुकें। यह मामला पहले भी इस सभा में उठाया गया था। सम्पूर्ण सभा को इसके बारे में चिंता है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मामले को शीघ्र निपटाएं।

(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : अध्यक्षपीठ पहले ही कह चुके थे "आप मामले को शीघ्रता से निपटाएं।" इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं?

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें आंदोलन रोकने हेतु कुछ शब्द कहने दें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सभी दलों के नेताओं ने जो बातें कही हैं, मैं तो कहता हूं कि जब मैं उस तरफ था तो मैं स्वयं मांग करता था और मैं अभी भी उसी राय का हूं। मेरी निश्चित मान्यता है कि वैलफेयर एसोसिएशन का उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। यदि आर्म्ड फोर्स के तहत नहीं होता है, क्योंकि यह मामला आया था, जनेश्वर मिश्र जी यहां बैठे हुए हैं, मैंने दो बार कोशिश की, मैंने उस दिन भी बताया था, होम मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट की थी। होम मिनिस्टर साहब ने दो बार बैठक बुलाई, दोनों बार बैठक में मिनिस्टर की हैसियत से मैं स्वयं मौजूद था। एक बार जनेश्वर मिश्र जी मौजूद थे, बसुदेव आचार्य जी मौजूद थे, मैंने स्वयं उसमें इस मामले को प्लीड किया था कि इनको देना चाहिए।

ऑब्जैक्शन यह था कि अब तक आर्म्ड फोर्स का दर्जा इनको नहीं दिया गया था, बहुत ही रूल-डिस्पिलन था, यह हो रहा था, वह हो रहा था, आर्म्ड फोर्स का दर्जा देने के बाद काफी डिस्प्लिन आया है और काफी एक आर्म्ड फोर्स के रूप में उन्हें एक मान्यता भी हर जगह मिली है, चाहे कहीं चुनाव का मामला हो, उनको लगाया जाता है। सारी चीजों में प्रगति हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को बार-बार कहा कि इसको वैलफेयर एसोसिएशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मालूम हुआ कि होम मिनिस्टर भी इसी राय के थे। नोडल मिनिस्टरी कौन है, रेल्वे है या होम है, यह मुझे मालूम नहीं। बाद में होम मिनिस्टर ने लीगल ओपीनियन के लिए विधि मंत्रालय से पूछा तो उन्होंने आपत्ति लगाई कि नहीं हो सकता। दो बार मीटिंग हो चुकी है। मैं फिर आपके माध्यम से गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे रेल मंत्री को बुला ले विधि मंत्रालय को बुला लें, जनेश्वर मिश्र जी को बुला लें, यहां पर जार्ज फर्नांडीज जी हैं, जो भूतपूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं उनको और अन्य नेताओं को बुला लें। मैं भी इसी राय का हूं। हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा काम करें जो कानूनी दृष्टिकोण से कल हमारे माथे पर पड़े कि हमने यह गैरकानूनी रूप से काम किया है। इसलिए हम इसके लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

माननीय गृह मंत्री बैठक बुलाएं और बैठक में ही निर्णय लें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसमें शामिल न हों।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : जब रेलवे का मामला आया, बीनस का सवाल आया तो हमने सबसे पहले जाकर इस बात को रखने का काम किया। जो रेल्वे के इम्प्लाइज हैं, आर०पी०एफ० के जवान हैं, उन पर हमें गर्व है। उनकी भलाई के लिए इस बार के सप्लीमेंटरी बजट में आप देखेंगे, हमारे अधिकार क्षेत्र में न होने पर भी 60 लाख रुपये हमने कल्याण निधि कोष के रूप में रखे हैं। रेल मंत्री की हैसियत से पहली बार मैंने उनके लिए यह किया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जिसके लिए मैं संसद

[श्री राम विलास पासवान]

में आया हूं और जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज थी, उसको करने का काम किया है। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, उसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आर०पी०एफ० के जवान हैं और दूसरे लोग हैं, वे इस तरह का काम न करें जो उनके लिए हार्मफुल हो और हमारे लिए भी चिंता का कारण बने।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : मैं इस माननीय सभा की जानकारी में एक ऐसा मामला लाना चाहता हूं जो विवाद का विषय रहा है और जो मेरे विचार में अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व का है। यह छत्तरी के नीचे गांधी जी की प्रतिमा लगाने के बारे में है।

श्री चन्द्र शेखर ने यह मामला दो बार उठाया था। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वे गांधी जी की विचाराधारा और उनकी जीवन शैली का बहुत आदर करते हैं। जिस बात पर आपत्ति की गई है वह यह है यह स्थल गांधी जी की विचाराधारा और दर्शन से मेल नहीं खाता।

बिना विवाद में गये मेरे पास एक वैकल्पिक प्रस्ताव हैं मैं इस सभा के समक्ष वैकल्पिक प्रस्ताव रखना चाहता हूं जिसे सभी सम्बंधित व्यक्ति स्वीकार कर लेंगे। इस प्रस्ताव के अनेक घटक हैं

पहला यह है कि हम इस राजपथ को सीधे यमुना तक बढ़ा देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम इसे राष्ट्रपति भवन से साफ-साफ देख सकते हैं।

अपराह्न 12.23 बजे

[**श्री पी०सी० चाक्को** *पीठासीन हुए*]

इससे राष्ट्रपति भवन से यमुना नदी तक एक बहुत बड़ा क्षेत्र हरा-भरा दिखाई देगा जो प्रतिमा और राष्ट्र का गौरव होगा।

यदि हम देखें तो केवल एक ही भवन जो इस मार्ग में पड़ेगा वह यमुना नदी के दाहिने कोण पर 50-60 वर्ष पुराना नेशनल स्टेडियम हैं नेशनल स्टेडियम को तोड़ा जा सकता है और इसके कुछ हिस्से का उपयोग किया जा सकता है। यदि सीधी रेखा खींची जाए तो, नेशनल स्टेडियम का छोटा सा भाग ही तोड़ना पड़ेगा। और इसके शेष भाग को नेहरू स्टेडियम के पास स्थापित किया जा सकता है जहां भूमि उपलब्ध है। इनमें अधिकांश शेड हैं जिन्हें उखाड़ा जा सकता है और पुन: जोड़ा जा सकता है।

चौथी बात यह है कि इस परिसर में सभी भूमिगत मार्ग (अंडरपास) होंगे। इसलिए एक छोर से दूसरे छोर तक पूर्णत: शान्त वातावरण होगा। गांधी जी की प्रतिमा उस स्थान पर लगायी जायेगी जो नेशनल स्टेडियम से थोड़ा पूर्व की ओर होगा। यह स्थल थोड़ा ऊँचा होगा और टीलों से घिरा होगा जो सच्चाई के निचले स्तर से सच्चाई के उच्चतर स्तर की ओर जाने संबंधी गांधी जी की विचाराधारा का द्योतक होगा।

उनका जीवन पर्यन्त यही प्रयास रहा था। यह उनका प्रयोगात्मक सच था। गांधी जी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन से ऊंची होगी। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत की एक और विशेषता को दर्शायेगी कि हमने सदैव लौकिक पहलू से आध्यात्मिक पहलू को अधिक ऊंचाई पर रखा हैं फिर यह परिदृश्य यमुना नदी तक फैला होगा जहां हरित क्षेत्र चरखे के रूप में होगा जो गांधी जी के दर्शन को निरूपित करेगा और इस सारे क्षेत्र के सादा रूप में विकसित किया जायेगा और इसे उत्तर की दिशा में नदी के साथ-साथ गांधी समाधि तक फैला होगा। इसी हरित क्षेत्र पर स्वामी विवेकानन्द अरविन्द घोस और उन अन्य सभी नेताओं की प्रतिमाएं होंगी जिन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार किये थे। यहां तक कि 'नंगली जालिब' नाम के गांव को भी लिया जा सकता है जहां गांधी जी के आर्थिक आदर्शों को निरूपित किया जा सकता है वस्तुत: इस 50वें वर्ष में जब हम कुछ करने जा रहे हैं, तो हमें कुछ बड़ा कार्य करना चाहिये, कुछ अधिक कल्पनाशील, कुछ दर्शनदृष्टा हो, जो हजारों वर्षों तक इस देश में रहेगा और इससे कुछ नष्ट नहीं होगा। यह हमारे रचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शायेगा और यह भी दर्शायेगा। कि हम अपने महान नेताओं का स्मरण करने में और अपने मूल्यों को मूर्तरूप प्रदान करने में सक्षम हैं।

मैं यह एक मुख्य विशेषता आपको बता रहा हूं। मैं कार्य करने को तैयार हूं क्योंकि मैं इस स्थान पर अनेकों बार गया हूं। मैं इस क्षेत्र का चित्रांकन बहुत अच्छा कर सकता हूं। यदि माननीय सभा सहमत हो, माननीय अध्यक्ष सहमत हो, तो एक समिति का गठन किया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं नगर नियोजकों और वास्तुशास्त्रियों को इकट्ठा करूंगा और मैंने जो रूपरेखा बताई है उसके आधार पर एक वैकल्पिक योजना तैयार करूंगा और तत्पश्चात् इस योजना पर सभी प्रमुख नेताओं की राष्ट्रीय समिति द्वारा विचार किया जा सकता है। जिसमें इस सभा के सभी वर्गों के विचार लिये जा सकते हैं। हम समझा सकते हैं, हम वांनछनीय परिवर्तन कर सकते हैं और तब हम कार्य कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह गांधी जी की सादगी, गरिमा, प्रशन्नता तथा उनकी जीवन शैली और धार्मिक प्रवृति का द्मोतक होगा।

यदि हम तोड़ने संबंधी जो सुझाव दिये जा रहे हैं उनका पालन करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम विश्व की दृष्टि में आलोचना के पात्र होंगे क्योंकि पूरा ढांचा और दिल्ली का सौन्दर्य नहीं रहेगा। यह ठीक है कि हम इस ढाचांगत विरासत को नहीं हटा सकते हैं। अत:, यदि हम तोडते हैं तो हम पूरी नई दिल्ली के ज्यामितीय ढांचे को नष्ट कर देंगे और हम गांधी जी की प्रतिमा को बहुत अनुचित स्थान पर लगायेंगे। वस्तुत: यह गांधी जी का सम्मान करना नहीं होगा बल्कि यह तो अनेक प्रति असम्मान दर्शाना होगा।

मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसे विस्तार से बताने को तैयार हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सभा के लगभग सभी वर्गों को स्वीकार्य होगा। यह मेरा निवेदन है और यह समय देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : सभापति महोदय, मुझे एक चिन्ता पैदा करने वाला समाचार प्राप्त हुआ है– कि दिल्ली जाने वाली गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रैस में आज प्रात: एक बम विस्फोट हुआ हैं मुझे यह नहीं पता है कि बम विस्फोट रेलवे लाइन पर हुआ है या डिब्बे में, परन्तु गाड़ी के छह डिब्बे पटरी से उतर गये हैं। मुझे यह समाचार मिला है। अत: मैं रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सभा को यह सूचना दें कि क्या इस दुर्घटना में किसी की जान भी गई है अथवा कोई अन्य हानि हुई है ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। गाड़ी में बम विस्फोट का यह मामला बहुत महत्वपूर्ण हैं हम रैलमंत्री की बात सुने।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, आज सवेरे हमको जानकारी दी गई है और हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट अभी मांगी है। कोकराझाड़ के इलाके में कोई बारपेटा स्टेशन हैं आजकल गाड़ी के आगे देखने के लिए सेफ्टी गाड़ी अलग से चलती है। यह गाड़ी पास कर गई, तो बम ब्लास्ट हुआ। मुझे सदन को बताते हुए संतोष है कि बम ब्लास्ट के धमाके से गाड़ी डिरेल तो हो गई, लेकिन न कोई पैसेन्जर आहत हुआ और न कोई इंजर्ड हुआ है। बम ब्लास्ट हुआ और यह भी अच्छा हुआ कि आगे सेफ्टी गाड़ी जा रही थी तथा इसके निकलने के बाद गाड़ी को भी क्षति नहीं हुई है ...
(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कोई जान नहीं गई है।

(व्यवधान)

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, इसी बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जी नहीं, उत्तर दे दिया गया है।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पश्चिम बंगाल) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूं। कृपया उस पर विचार कीजिये... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह पहला मौका है जब शून्य काल मे वह कोई मामला उठा रही है। आप कृपया बैठ जाइये। श्रीमती कमल रानी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य पहली बार सभा में मामला उठा रही हैं। कृपया उनकी बात सुनिये। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश ...*(व्यवधान)*

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद) : महोदय गैस की सुविधा राज्य सभा के सदस्यों को मिल रही है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने दूसरे माननीय सदस्य को बुलाया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप इस मामले को इन माननीय सदस्य के बाद उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने एक सदस्य को बोलने के लिए कहा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : क्या आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे मैं अनुरोध करता हूं कि आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं कि आप कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शफीकुर्रहमान बर्क : यह डिसपैरिटी है। लोक सभा के सदस्यों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर महोदय यहां बैठ हुए हैं, वे हमको इस फैसिलीटि को दिलवायें।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : शून्य काल में प्रक्रिया संबंधी कोई मामला न उठाया जाये। यह पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मैंने एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहा है। वह शून्य काल में पहली बार कोई मामला उठा रही हैं। आपको उनकी बात सुननी होगी। इसके बाद मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कमल रानी (घाटमपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में घाटमपुर क्षेत्र मेरा संसदीय क्षेत्र हैं इसकी पांचों विधान सभाओं में एक भी एल०पी०जी० गैस एजेंसी नहीं है। इस कारण से 40-70-80 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वहां के व्यक्ति कानपुर में आकर गलत तरीके से और दुगुने भाव में गैस खरीद कर लेकर जाते हैं। इस वर्ष हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुझे कष्ट इस बात का है कि हमारे देश में एक ऐसा भी क्षेत्र हैं, जो इस साधारण सी सुविधा से वंचित है।

मेरा आपसे अनुरोध है और मुझे आशा है कि आप पांच विधानसभाओं क्षेत्रों में गैस एजेंसी देने का कष्ट करेंगे। मै मंत्री जी से इस विषय में जानना चाहती हूं, ऐसा क्षेत्र जो साधारण सी सुविधा के लिए वंचित हैं, के बारे में क्या कहना चाहते हैं?... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सब को आज मौका मिलेगा परन्तु कृपया शान्त रहें।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : महोदय, हमें दुख है कि माननीय सदस्या के क्षेत्र में गैस एजेंसी की असुविधा है। हमने यह तय किया है कि एक हजार के ऊपर गैस एजेंसी पूरे देश में बढ़ाई जाएंगी। दस हजार की आबादी का कोई अगर कसबा होगा, तो उसको केन्द्र बिन्दू मानकर 15 किलोमीटर तक लोगों को गैस गांवों में भी दी जाएगी।... *(व्यवधान)* यह योजना 10-15 दिनों में पूरी कर देंगे, गैस एजेंसी देना मेरा काम नहीं है, वह कमेटी देती हे और वही देगी, मैं देने लगूंगा, तो हथकड़ी लगवा देंगे, लेकिन यह काम हम जल्दी करेंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : वास्तव में, सहकारिता को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती? क्या यह इसलिये है कि इसमें समानता नहीं है?

सभापति महोदय : कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सहकारिता को प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है?... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, मैं उस समय इस विभाग का प्रभारी नहीं था। उसके पहले ही अध्यक्ष महोदय ने यहां से घोषित किया था कि सदस्यों को कूपन नहीं दिए जायें। घोषणा थी या निर्णय था या निर्देश था, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे लिए इशारा ही निर्देश होता हैं मैं इस विभाग में आया तो माननीय सदस्यों द्वारा दवाब डाला गया, अध्यक्ष महोदय से संसदीय कार्य मंत्री बात करेंगे और इन लोगों की मंशा को वहां तक पहुंचायेंगे। यह सही है, यह बात इसलिए तूत पकड़ रही है कि राज्यसभा के सदस्यों को यह सुविधा मिल रही है और यहां के सदस्यों को नहीं मिल रही।... *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : महोदय, लोकसभा के सदस्यों को भी यह सुविधा मिलनी चाहिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : हम में से कुछ की राय है कि हमें यह सुविधा नहीं चाहिये। माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था ने संसद सदस्यों को बचा लिया है। हमे गैस कूपन नहीं चाहिये।... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमारी मजबूरी नहीं जानते। जब कभी भी कोई मिनिस्टर लोकसभा के अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर जाने लगे तो उस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी मंत्री को आप लोग मजबूर न करें। इसका रास्ता निकाला जाएगा लेकिन अध्यक्ष के निर्देश के ऊपर सदन में हम कुछ भी कर दें तो यह बहुत बुरी बात हो जाएगी। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है कृपया उनकी बात सुनिये

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पप्पू जी, कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिये। हमें यह सुनना चाहिये कि मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। हमें मंत्री महोदय की बात सुननी चाहिये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आज़मी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मंत्री महोदय को अपना उत्तर पूरा करने दीजिए। मंत्री महोदय इसी बात का उत्तर दे रहे हैं। कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए। यह वही विषय है जिसका वे उत्तर दे रहे हैं। श्री थामस, वे इसी बात का उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमरूल इस्लाम (गुलबर्गा) : यह जो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर है, यह कैसा डबल स्टैंडर्ड है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस तरह बहस क्यों कर रहे है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : इसमें हम अध्यक्ष महोदय और प्रधानमंत्री जी से बात करके कोशिश करेंगे कि यह डबल स्टैंडर्ड न रहे और कोई रास्ता निकाला जाए। लेकिन हमसे कोई सीधे-सीधे ऐलान कराना चाहे तो यह ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप क्या कर रहे हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यहां पर क्या हो रहा है? मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : शून्य काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री रूडी, मुझे भी कुछ कहने दीजिये। मैं जानता हूं कि आपका नाम वहां है। आपको भी बुलाया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : महोदय, ये सुविधाएं बंद होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापित महोदय : आप इस तरह व्यवहार कर रहे है। आप अपने आप ही अपनी बारी आने में देर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : आप करोड़पति हैं इसलिए आपको चिन्ता नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री पप्पू यादव, आप अत्याधिक शोर कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। आप दूसरे माननीय सदस्यों के साथ नि:संकोच बातें करते जा रहे हैं। मैं इसकी सराहना नहीं करता।

श्री रूडी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। सभा में उठाए जा रहे मामले के बारे मे मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य और दलों के नेता मामले पर माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा कर सकते हैं। माननीय मंत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह भेदभाव नहीं होने देने की कोशिश करेंगे। शायद, यही मामला माननीय सदस्यों को परेशान कर रहा है और आगे मै नहीं समझता हूं कि इसपर हम यहां चर्चा कर सकते है क्योंकि यह निर्णय अध्यक्ष पीठ द्वारा लिया गया था।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि दल नेता होने के कारण आप सभी इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, नहीं। यह मामला सदन में उठाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि यदि आप चाहे तो आप माननीय अध्यक्ष से मिल सकते हैं। यह निर्णय इस सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा लिया गया है। लेकिन मामला यहां पर उठाया गया और मंत्री ने कहा कि इस मामले में भेदभाव से बचा जा सकता है और वह ऐसा करने की कोशिश करेंगें। यह भेदभाव संसद सदस्यों के बीच परेशानी उत्पन्न कर रहा हैं इसलिए, कृपया इसके आगे हम अभी नहीं जायेगें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० शफीकुर्रहमान बर्क : महोदय, इसी सत्र में इसका फैसला सुना दिया जाए और इसको जारी कर दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) **:** महोदय, चूंकि आपने व्यवस्था दी है इसलिए मुझे व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन, इस मामले पर माननीय सभा के अध्यक्ष के साथ पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है। दूसरे, कुछ याचिकाएं दी गयी है जो सभी संसद सदस्यों द्वारा यथा हस्ताक्षरित हैं। तीसरे, माननीय अध्यक्ष ने इस संबंध में कहा है कि उन्होंने सभा में इसका उल्लेख किया था। इस पर आगे निर्णय लेने का दायित्व माननीय प्रधान मंत्री और सरकार पर छोड़ दिया गया है।

अध्यक्ष को भी बैठक में इसी प्रकार कहना पड़ा। इसलिए, इस स्थिति

को ध्यान में रखते हुए, हमारे संसद सदस्यों के साथ हर समय फुटबाल की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए – यहां से अध्यक्ष तक, अध्यक्ष से सभा तक और उसके बाद मंत्री तक। उनके साथ इस तरह नहीं होनो चाहिए। एक बार जब वह निर्णय ले लेते है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) **:** इसी हाउस में सेटल हो चुका है। मैम्बरों की मांग पर चेयरमैन ने घोषणा की थी।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : नहीं, महोदय ! यह सदस्यों की मांग नहीं थी। एक या दो सदस्यों को छोड़कर, किसी ने भी यह मांग नहीं उठायी *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैम्बर्स की यह मांग नहीं थी।

श्री नीतीश कुमार : इन्हें पता नहीं है मैम्बर्स की बदनामी कितनी होती है *(व्यवधान)* यह सदन का अपमान है।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, नीतीश कुमार जी, सही है। कूपन को जारी करने के बारे में पूरे लैफ्ट फ्रैन्ट ने एक साथ आपत्ति की थी। वास्तव में अध्यक्ष ने सभा के विचारों को व्यक्त किया था और हम सभी संतुष्ट है कि सदस्यों से गैस कूपन को वापस ले लिया गया हैं वही हमारी स्थिति थी और हम स्थिति से खुश हैं। यदि राज्य सभा स्वतंत्र रूप से ऐसा करती है, तो उन्हें करने दीजिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) **:** हर हालत में यह सुविधा बंद होनी चाहिए। एक करोड़ रुपया भी बंद होना चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमें इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, 300 से भी अधिक सदस्यों ने अभ्यावेदन पर हस्ताक्षर किये थे और उसे अध्यक्ष को दिया था। मत विभाजन किया जाए। वह कहते हैं कि सभा को विश्वास में ले लिया गया था। सभा को विश्वास में नहीं लिया गया था। कुछ नेता एक साथ बैठे थे और अध्यक्ष ने इसकी घोषणा की थी, किन्तु पूरी सभा को विश्वास में नहीं लिया गया था। यही सत्य है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इसे दुबारा उठाने की कोशिश न करें। हम इस चर्चा को जारी नहीं रख रहे हैं। मैंने अपनी बात कही है। उसके बाद माननीय श्री सरपोतदार ने कहा कि सदस्यों ने अध्यक्ष के साथ चर्चा की थी और अध्यक्ष ने इस मामले में केवल अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(व्यवधान)

श्री कमरूल इस्लाम : महोदय, तीन सौ से भी अधिक सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसे अध्यक्ष को लिखित में दिया है। यहां यह बताया जाए कि सभा को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बहुत हो गया। आप कैसे यह सोच सकते है कि इस तरह सभा की कार्यवाही चल पायेगी? इसको उचित ठहराने की कोशिश मत कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इस सभा की भावनाओं को अच्छी तरह जानते हैं मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह मुद्दा सभा के समक्ष दुबारा किसी और अवसर पर नहीं आना चाहिए। आप जानते है कि इस सभा में किस तरह एक अस्वस्थ चर्चा विकसित हो रही है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है क्योंकि इस मामले पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा कर सकते हैं और मामले को सुलझा सकते हैं ताकि इस मुद्दे पर सदस्यों को कोई शिकायत न हो। मैं नहीं चाहता कि यह मुद्दा सभा के समक्ष दुबारा किसी और अवसर पर आए क्योंकि इस प्रश्न पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और मंत्री समस्या को जानते हैं। वह जानते हैं कि इसे किस तरह दूसरी सभा में दिया गया था और किस तरह इसे इस सभा में नहीं दिया गया था। मंत्री महोदय इन सभी समस्याओं और सदस्यों को चुभने वाली बातों को अच्छी तरह जानते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह से हम सभा की कार्यवाही नहीं चला सकते हैं। मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद नहीं होगा। इस पर हम वाद-विवाद की अनुमति नहीं दे सकते कि यह किस तरह रोका गया और क्यों रोका गया।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, कृपया इसे जटिल न बनाएं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सर, आपके वक्तव्य से एक तरफा बात जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि यह सुविधा रेस्टोर हो। आप हम लोगों की बात भी सुन लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने ऐसा नहीं कहा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) **:** इसके पीछे कोई तर्क नहीं हैं यह सुविधाएं बंद होनी चाहिए। टेलीफोन और गैस कोई सुविधा नहीं है, यह बंद होनी चाहिए। अगर स्पीकर ने सदन में कहा है और उसके पीछे कोई तर्क है तो सदन में इस पर बहस होनी चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सरपोतदार जी, आपने बात कह ली है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। हम इस तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं। कृपया मेरी बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, कृपया सभा की सम्मति ले लें। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, आपने अपनी बात कह ली है। आप अपनी बात इस तरह क्यों जारी रख रहे हैं। मैंने इसे बहाल करने का निदेश नहीं दिया था। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इसे रोक दिया जाए। मैंने केवल यह कहा था कि माननीय मंत्री सभा की भावनाओं को समझते हुए माननीय अध्यक्ष के साथ मामले पर चर्चा कर उसे सुलझा लें। क्या आप इससे सहमत नही हैं?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय महोदय, माननीय अध्यक्ष ने सभा में ही यह घोषणा कर दी थी कि इसे समाप्त कर दिया जाए *(व्यवधान)*। यह सभा के विभिन्न सदस्यों से लगातार मांग के बाद ही *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति महोदय, इस विषय पर सदन में बहस होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया, इस प्रश्न पर कोई चर्चा नहीं। इसे बहाल करने अथवा इसे फिर से शुरू करने अथवा इसे बंद करने के लिए अध्यक्ष पीठ द्वारा कोई निदेश नहीं दिया गया हैं इस सभा में मामले पर पर्याप्त चर्चा की जा रही है और सभा की भावनाओं को समझते हुए इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : भावना क्या है? कुछ सदस्य इसके लिए कह रहे हैं। सदस्यों हेतु गैस कूपन सुविधा बहाल नहीं की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह क्या है?

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, सभा ने इसपर वाद-विवाद किया है। कूपन सुविधा बहाल नहीं की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप अध्यक्ष पीठ से क्या अपेक्षा करते हैं?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार, मैं जानना चाहता हूं अब आप अध्यक्ष पीठ से क्या अपेक्षा करते हैं? आप चीज की अपेक्षा करते हैं?

श्री नीतीश कुमार : मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता हूं।

सभापति महोदय : फिर आप इस प्रकार की बात क्यों करते हैं?

श्री नीतीश कुमार : मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं *(व्यवधान)* *कृपया मेरा सुझाव सुनिये* (व्यवधान)

सभापित महोदय : फिर, समस्या क्या है? आप अपना सुझाव दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं केवल सुझाव चाहता हूं। मैं कोई भाषण नहीं चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मेरा कहना यह था कि यहां सदन में पहले बात उठ गई है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप क्या कह रहे है?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह बात इसी सदन में जब उठी तो सदस्यों की मांग पर अध्यक्ष महोदय ने इसे बंद करने का निर्देश दिया। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप उसे स्पष्ट कर रहे हैं। मुझे आपका स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। यदि आपके पास सुझाव है, तो आप सुझाव दीजिये। अन्यथा, यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति महोदय, यह रैस्टोर नही होनी चाहिए *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको यह बताऊंगा कि

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : महोदय, आपने अभी तक नहीं *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपका स्पष्टीकरण नहीं सुनना चाहता हूं। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो उसे बताइये।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सदस्यों को पुनः गैस कूपन नहीं दिये जाने चाहिये। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं इसे नहीं सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इसे कितनी बार उठायेंगे?

श्री नीतीश कुमार : महोदय, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि इन्हें बहाल कर दिया जाना चाहिये। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं एक फिर मंत्री महोदय को निर्देश देता हूं कि वे माननीय अध्यक्ष से मिलकर इस मामले को सुलझा लें। इस सभा में व्यक्त की विवादित रायों के बारे में मंत्री महोदय को भलीभांति पता है। अत: अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस मामले को सुलझा लें ताकि यह मामला सभा में पुन: न उठाया जाये।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा का पालन किया जायेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री सुधीर गिरी बोलेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह एक या दो व्यक्तियों की राय नहीं है। सभा में सर्वसम्मति पर ध्यान दिया जाना चाहिये।···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सरपोतदार जी यह क्या है? हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं आप अध्यक्षपीठ से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि जो निर्णय हम नहीं ले सकते हैं, वह लिया जाये। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे : सभापति महोदय, यह एक व्यक्ति की राय नहीं है। यह कैसे कहा जा सकता है।···*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, यह सभा की सर्वसम्मति होनी चाहिये।···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप अपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट कर रहे हैं? इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरी जी भी कह रहे हैं, उसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री सुधीर गिरी, आप बोल सकते है।

श्री सुधीर गिरी (कोन्टाई) **:** सभापति महोदय, मुझे यह पता है कि जो मामला मैं उठाने जा रहा हूं वह संविधान की राज्य सूची का विषय है और लोक सभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार इस सभा में यह मामला नहीं उठाया जा सकता है। परन्तु मैं इस मामले को इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि यह समाज के कमजोर वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों से संबंधित है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जो मामला मैंने उठाया है वैसे ही मामले सभा में उठाये गये और उन पर चर्चा की गई।

तथापि, मैं कहूंगा कि गरीब किसान, भूमिहीन, किसान, सीमान्त किसान निश्चित ही देश के कमजोर वर्ग हैं जैसे दलित, महिलायें और अल्पसंख्यक हैं। इन गरीब लोगों पर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अवसरों पर हमला किया जाता है देश के जमीदारों द्वारा सेनायें रखी जाती है जो उन पर हमला करके घायल कर देती हैं और मार भी देती है।

हाल ही में महाराष्ट्र में सीमान्त किसानों पर अत्याचार के संबंध में इण्डियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी मैं समाचार पत्र से उद्धरित करता हूं।

> "इन्दपुर तालुका में अडोबाबस्ती गांव में शनिवार को दो जमींदारों ने सरेआम एक सीमांत किसान को पत्थर मार-मार कर मार दिया और चले गये। यह घटना दिन दहाड़े गांव के सभी 250 लोगों के सामने हुई। तन्नू गांव के शंकर परशुराम मोहिते की गांव के मुख्य चौराहे पर हत्या कर दी गई।"

अत:, मैं भारत सरकार से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वे यह पता लगायें कि क्या यह घटना सही है या गलत हैं यदि यह सही है तो देश के कमजोर वर्गों के लोगों के साथ किये जाने वाले अत्याचार की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये जाने चाहिये। अत:, मैं अध्यक्षपीठ से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में कदम उठाने के लिये गृह मंत्रालय से कहा जाये।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) **:** सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी 5-6 जून को माननीय प्रधान मंत्री जी ने नेपाल के साथ एक महाकाली संधि पर दस्तावेज जारी किये और संधि को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन उसी समय मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पिथौरागढ़ के धारचूला मे काला पानी नामक स्थान है जिसमें कैलाश-मानसरोवर की यात्रा के गुंजी से लेकर छोटा कैलाश, लीपू लेक, ऊटी और नाबी गांव इसके भीतर शामिल हैं, इन पर नेपाल की कम्यूनिस्ट पार्टी और नेपाल सरकार की ओर नेपाल की ओर से दावा किया गया है कि ये नेपाल का अंग है और भारत सरकार इनको खाली करे। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि 1962 के चीन युद्ध के समय यहां पर सैन्य चौकी स्थापित की गई थी और इस समय यहां पर पुलिस चौकी विद्यमान है। हमारे नेपाल के साथ अच्छे संबंध हैं और चीन के साथ भी हमारे संबंधों में सुधार हुआ है, लेकिन सामरिक दृष्टि से जहां तिब्बत, चीन और नेपाल की सीमा मिलती है और काला पानी क्षेत्र पर उनकी ओर से जो दावा किया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। अभी छ: महीने के भीतर इस महाकाली संधि पर हमारी जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पेश होने जा रही है और इस पर पंचेश्वर बाग, धौलीगंगा परियोजना तथा यहां की सारी जल विद्युत परियोजनाएं जैसे अत्यंत गंभीर विषय इसमें शामिल हैं। इस क्षेत्र के जितने निवासी हैं, उन सब में भी यही चिन्ता व्याप्त है कि नेपाल की ओर से और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि इस भूभाग को भारत नेपाल के हवाले करे। उनकी आशंका को देखते हुए तथा इसके सामरिक महत्व को देखते हुए भारत सरकार को इस बारे में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करके सामने रखना चाहिए क्योंकि अनेक घटनाएं वहां हुई हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी मांग की जाती रही हे कि अलग उत्तरांचल राज्य बनाना चाहिए। यहां से नौजवानों का पलायन हुआ है और सुरक्षा की दृष्टि से हमारी बड़ी संवेदनशील सीमाएं हैं जहां काला पानी क्षेत्र है, उसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले में टनकपुर, बनबसा जेसे हमारी सीमा के जो पिलर्स हैं, इन पर नेपाल के लोगों ने आकर सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर केन्द्र सरकार की ओर से स्पष्ट बयान आना चाहिए ताकि हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर यह संदेश जाए कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहेंगी ताकि इस क्षेत्र के नागरिक भयमुक्त होकर अपने क्षेत्र में रह सकें। ऐसा बयान सरकार की तरफ से आना चाहिए और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री टी० गोविन्दन (कासरगोड) **:** सभापति महोदय मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान केरल में अपर्याप्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के केन्द्रों की ओर दिलाना चाहता हूं। यद्यपि के०स०स्वा०यो० दिल्ली में 1954 में आरम्भ कर दी गई थी केरल में के०स०स्वा०यो० के केन्द्र 1996 में खुले हैं। केरल की पेंशनभोगी लोगों के एसोसियेसन ने इस मामले को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष उठाया था और के०प्र०न्या० ने अपने निर्णय दिया जिसमें उसने गम्भीरता से केन्द्रीय सरकार को केरल में क०स०स्वा०यो० की सुविधायें प्रदान न करने के लिये आलोचना की थी। तदुपरान्त, भारत सरकार ने केरल की राजधानी में तीन के०स०स्वा०यो० केन्द्र खोले थे। परन्तु मालाबार क्षेत्र के पेशन भोगी एसोसियेसन की वहां पर के०स०स्वा०यो० के केन्द्र खोलने की मांग की थी। केरल के मालाबार क्षेत्र में लगभग 18000 कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोग विद्यमान हैं। अत: मैं स्वास्थ्य मंत्री से केरल के कन्नानूर जिले में एक नया के०स०स्वा०यो० केन्द्र खोलने के लिये अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) **:** सभापति महोदय, मैं शून्य काल

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री राजी प्रताप रूडी]

में अपनी बात को इस बार बहुत धीरे-धीरे रखूंगा क्योंकि मेरी बात को सरकार समझती नहीं है। बिहार प्रान्त के सारण जिले में जहां मेरा संसदीय क्षेत्र अवस्थित है वर्ष 1995 में भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की स्वीकृति दी गई जिसे मढ़ौरा अनुमंडल में स्थापित करने की घोषणा की गई थी। इस इंडिस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर के लिए भारत सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की राशि भी विमुक्त की गई थी परन्तु इसकी स्थापना के लिए विमुक्त की गई धनराशि का आज तक कोई अतापता नहीं है और मढ़ौरा में अभी तक किसी प्रकार के औद्योगिक केन्द्र की स्थापना नहीं हो सकी है। ऐसी आशंका है कि भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई धनराशि का पूर्णत: गबन कर लिया गया है और राज्य सरकार के कोष में भी इस उद्देश्य के लिए दिए गए पैसे का अतापता नहीं है। अत: मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिसमें भारत सरकार द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए सारण जिले के मढ़ौरा अनुंडल में 50 लाख रुपए की राशि विमुक्त की गई थी और जिस धनराशि को भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के कोष में भेज दिया गया था, उसका कोई पता नहीं है। उसकी जांच करवाई जाए।

सभापित महोदय, मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस बारे में सरकार के द्योगिक शाखा को देखने वाले प्रभारियों से पूछा कि इस राशि का क्या हुआ, तो कुछ भी पता नहीं लगा। मुझे वहां जाकर, पूछने पर और बिहार सरकार के औद्योगिक सचिव से मुलाकात करने पर पता चला कि इस पैसे को कोष से निकाल कर कही और खर्च कर दिया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बिहार के सारण जिले के मेरे संसदीय क्षेत्र में अवस्थित मढ़ौरा में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिऐ जो यह राशि विमुक्त की गई थी, उसका पता लगाया जाए। उसके बारे में मेरी धारणा और विश्वास यह है कि राज्य सरकार द्वारा 900 करोड़ रुपए की धनराशि का जो घोटाला किया गया है, उसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र के लिए दिए गए उस 50 लाख रुपए का भी घोटला कर लिया गया है। अत: मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए भेजे गए 50 लाख रुपए का पता लगाया जाए और वहां औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई की जाए।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : जनाब, मैं ऐवान की तवज्जह एक अहम मामले की तरफ दिलाना चाहता हूं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में अमरीका के एक डायरैक्टर, जो हिन्दुस्तान की 50 साला आजादी का जश्न मनाने के लिए एक फंक्शन में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने अपनी तकरीर में अखबार के मुताबिक यह कहा कि जम्मू-कश्मीर की रियासत एक डिस्प्यूटेड टैरीटरी है। उन्होंने यह भी कहा कि हम उसको हिन्दुस्तान का अंग नहीं मानते हैं और यह भी कहा है कि यह विचारधारा अमरीका की शुरू से रही है और इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है।

जनाब, मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट आफ इंडिया से कहना चाहता हूं कि 1952 में जम्मू कश्मोर के सारे अवाम ने असैम्बली का चुनाव कर के, अपने आइन में इस बात को लिखा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत हिन्दुस्तान का अटूट अग है और आज तक नौ दफा असैंबली के इलैक्शन हो चुके हैं, पार्लियामेंट के इलैक्शन हो चुके हैं और 1996-97 में भी पार्लियामेंट के इलैक्शन हुए और आज वहां एक रिप्रजेंटेटिव सरकार बनी हुई है। पाकिस्तान ने जो टैररिज्म फैलाया था, वह फेल हो चुका है।

अपराह 1.00 बजे

और जम्मू-कश्मीर की अवाम हिन्दुस्तान के एक अंग के तौर पर आगे बढ़ रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि शुरू से यानी आजादी के साथ-साथ अमरीका का जम्मू-कश्मीर के बारे में जो रवैया रहा है, वह बहुत अफसोसनाक रहा है। कई दफा उन्होंने यू०एन०ओ० में हमारे रेवाल्यूशन को वीटो किया है, जो कि हिन्दुस्तान के हक में था। आज भी अमरीका वाले कहते हैं कि अगर इस इश्यू को इंटरनेशनलाइज किया जायेगा तो हम इसको वीटो नहीं करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये ऐवान हमारी गवर्नमेंट अमरीका को साफ शब्दों में बता दें कि जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का अटूट अंग है और अमरीका को कोई हक नहीं है कि वह यह राय कायम करे कि यह डिसप्यूटिड टेरीटरी है। अगर कोई डिसप्यूट है, तो पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा हिस्सा है, जिस पर जबरदस्ती उसने कब्जा किया है, उसको छुड़ाने का डिसप्यूट है या अमरीका को तोहफे के रूप में हमारा कुछ इलाका दे दिया है, वह छुड़ाने का डिसप्यूट है। अमरीका को ऐसे बयान देने से बाज आना चाहिए और गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को सख्ती से किसी लैवल पर बात करके अमरीका को वार्निंग देनी चाहिए कि वह ऐसे बयान देकर रियासत के अदर जो टेररिस्ट हैं या जो चंद लोग जुदा होने चाहते हैं उनको एनकरेज करता है और हमारी स्टेट में अमन पैदा नहीं होने देता। इसका नोटिस लेना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : मैं इसी इश्यू पर बोलना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, हमें भी चांस मिलना चाहिए। यह बहुत अहम इश्यू है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई - उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, जिसका अभी उल्लेख हुआ कि कुछ भारतीय नवयुवक अमरीका में आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे थे उस वक्त एक अमरीकी अधिकारी ने कश्मीर को अभी-भी विवास्पद मामला माना और केवल इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि केवल भारत और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि कश्मीरियों को भी पूछना चाहिए और बार-बार भारत की ओर से कहने के बाद भी अमरीका ने यह कहा है। मैंने जो सूचना दी, उसमें मैंने एक और बात का तीन दिन पूर्व उल्लेख किया था कि अमरीका की यह मनोवृत्ति केवल निचले स्तर के अधिकारियों पर ही नहीं है। तीन दिन पूर्व अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारतीय उपखंड के संबंध में व्हाइट हाउस की स्पेसीफिक प्रेस कांफ्रेस में जो कहा, वह विचित्र है, आपत्तिजनक है लेकिन दुर्भाग्य से भारत सरकार की ओर से इस बारे में एक शब्द भी प्रतिक्रिया के रूप में नहीं कहा। स्वयं अमरीका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी प्रैस कांफ्रेस में जो मैंने इलेक्ट्रोनिक मीडिया में सुनी और मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ी, उन्होंने यह कहा:

[अनुवाद]

"दक्षिण एशिया में अमेरिका की उपस्थिति भारी तौर पर महसूस की जानी चाहिये"

[हिन्दी]

अब इसका अर्थ समझ में नहीं आता कि बिल क्लिंटन कहना चाहते हैं?

[अनुवाद]

"दक्षिण एशिया में अमेरिका की उपस्थिति भारी तैर पर महसूस की जानी चाहिये थी"

[हिन्दी]

इस वाक्य से आखिर अमरीका दक्षिण एशिया में क्या चाहता है? किस प्रकार की उपस्थिति? जब अमरीका कह रहा है कि

[अनुवाद]

"उपस्थिति महसूस की जानी चाहिये थी। किस प्रकार की उपस्थिति।"

[हिन्दी]

वह क्या प्रत्यक्ष उपस्थिति चाहते हैं। शारीरिक चाहते हैं या सामरिक क्योंकि दियोगो, जो उनका अड्डा है, उनको वह शक्ति पहुंचाना चाहते हैं या किसी आर्थिक चीज की बात कर रहे हैं और जब वह कह रहे हैं कि

[अनुवाद]

''हमारी उपस्थिति महसूस की जानी चाहिये थी।''

[हिन्दी]

तो मुझे लगता है कि नई दुनिया में जिस प्रकार की दुनिया हम कल्पना करते हैं। अमरीका जैसी शक्ति को लगता है कि दक्षिण एशिया में हमारी उपस्थिति होनी चाहिए। यह किस प्रकार की उपस्थिति चाहते हैं और इतना ही नहीं तो शक्तिशाली उपस्थिति, इसका क्या अर्थ है। यह समझ में नहीं आता। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार ने इसके संबंध में कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं की है और मैं यह देख रहा हूं कि जब से शीत युद्ध समाप्त हुआ है, रूस का विघटन हुआ है, अमरीका अकेली महाशक्ति के रूप में निर्मित हुई है तब से एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की बात चल रही है और इसमें अमरीका के राष्ट्रपति का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आपत्तिजनक है।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पहले तो भारत सरकार इसमें अपनी भूमिका स्पष्ट करें। अमरीकी सरकार से इस बयान का अर्थ पूछे और वे क्या कहना चाहते हैं, उसके आधार पर प्रतिक्रिया दे। अन्यथा यदि हम ऐसे वाक्यों को भूलते जाएंगे और छोटे-छोटे कहकर छोड़ते जाएंतो जैसी कश्मीर संबंधी नीति बनी है, उसी प्रकार अमरीका की भारत के संबंध में आपत्तिजनक नीति को जन्म देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वक्त पर ही भारत सरकार को जागकर इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्ति करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय पर बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी बारी श्री नामग्याल के बाद आयेगी क्योंकि मैंने उनसे पहले ही कह दिया है, कि उनको श्री महाजन के बाद बुलाया जायेगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सबंधित विषय है। आपकी बारी आयेगी। यह आपका विषय नहीं है। यह भिन्न विषय है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय सभापति महोदय, बी०जे०पी० के श्री प्रमोद महाजन ने जो ईशू उठाया है, मैं उसके साथ अपना प्वाइंट शामिल करते हुए कहना चाहता हूं कि जब इंडिया इंडीपैन्डैंट एक्ट, 1946 ब्रिटिश सरकार ने पास किया था तब जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सारे देश में उनको यह हक दिया गया था कि किसी भी देश में, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिन्दुस्तान हो, उसमें अलहाक हो सकते हैं। आखिर में महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ ऐक्सैशल की तो यह देखते हुए कि पाकिस्तान में जितने भी ट्राइबल्स थे, पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी केट्रयूवल के वेष में कश्मीर पर धावा बुलवा दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडीपैन्डडैंट एक्ट जो 1946 में पास किया गया था, उसे बिल्कुल गलत बनाया जाए। यह सारे देश में लागू हुआ तो कश्मीर के बारे में क्यों नहीं हो सकता। यह प्रश्न बार-बार क्यों उठाया जा रहा है। अमरीका के क्या ख्यालात हैं। हम इसे स्ट्रांगली कन्डैम करना चाहते हैं। उनका डिजाइन आज से नहीं, जॉन डलस जो अमरीकन सैक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, तब के जमाने से पाकिस्तान के साथ मिलकर उनका बदस्तूर यह कैम्पेन चला आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान उनके ऐलीज थे। मैं इस अवाम् के सामने साफ कहना चाहता हूं, हम उनकी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करेंगे हमारी सरकार को चाहिए कि वह इसे स्ट्रांगली कनडैम करे। यह बताया जाए कि वे क्या इरादा रखते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके लिए हाउस में फुल-फ्लैज्ड डिस्कशन होनी चाहिए।

] **شری پی۔ نامگیال** : مانئیے سبھاپتی مہودیے، بی۔ جے۔ پی۔ کے شری پرمود مہاجن نے جو ایشو اُٹھایا ہے، میں اس کے ساتھ اپنا پوائنٹ شامل کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ جب انڈیا انڈیپینڈینٹ ایکٹ، ۱۹۴۶ء برٹش سرکار نے پاس کیا تھا تب جتنے بھی پرنسلی اسٹیٹس تھے سارے دیش میں ان کو یہ حق دیا گیا تھا کہ کسی بھی دیش میں چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو اس میں اَلحاق کرنے کا ان کو حق تھا۔ آخر میں مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ ایکسیشن کی تو یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹرائبلس تھے، پاکستان کی ریگولر آرمی نے ٹرائبل کے بھیس میں کشمیر پر دھاوہ بلوادیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈی پینڈینٹ ایکٹ جو ۱۹۴۶ء میں پاس کیا گیا تھا اسے بالکل غلط بنایا جائے۔ یہ سارے دیش میں لاگو ہوا تو کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال بار بار کیوں اٹھایا جارہا ہے؟ امریکہ کے کیا خیالات ہیں؟ ہم اسے اسٹرانگلی کنڈیم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا

ڈیزائن آج سے نہیں جان ڈلس جو امریکن سکریٹری آف اسٹیٹ تھے، تب کے زمانے سے پاکستان کے ساتھ مل کر ان کا بدستور یہ کمپین چلا آرہا ہے کیونکہ پاکستان ان کے ایلیز تھے۔ میں اس عوام کے سامنے صاف کہنا چاہتا ہوں ہم ان کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے۔ ہماری سرکار کو چاہیئے کہ وہ اسے اسٹرانگلی کنڈیم کرے۔ یہ بتایا جائے کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کے لئے ہاؤس میں فل فلیجڈ ڈسکشن ہونی چاہیئے۔]

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने हमारा ध्यान श्री क्लिंटन की शक्तिशाली उपस्थिति की ओर दिलाया है। वस्तुत: आज अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में प्रवृत्ति बहुत खतरनाक हो गई है। हमे कुछ दिन पहले पता चला है कि "नाटो" पूर्व की ओर अपला विस्तार कर रहा है। इस तथ्य के बावजूद कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है जो स्थिति उभर रही है वह ऐसी प्रतीत होती है कि अमेरिका में कुछ लोग और कुछ शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र को पूरे विश्व तक फैलाना चाहते हैं जिसमें यूरोप और दक्षिण एशिया भी सम्मिलित हैं। उन्होंने दक्षिण एशिया इसलिये कहा है क्योंकि वे भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहे है। उनकी दक्षिण पूर्व एशिया उनकी पैसिफिक में उपस्थिति और यह सब बातें विश्व के लिये खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं। वस्तुत: यह बताया गया है कि शीत युद्ध समाप्त हो गया है और शीत शान्ति आ गई है। यही स्थिति है जो विद्यमान है। कश्मीर पर उनका वक्तव्य केवल उनके विश्व व्यापी योजना का हिस्सा है। अत: यह तात्कालिक है कि हम इस सभा के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त करें। विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसके संबंध में वे एक वक्तव्य दें। *(व्यवधान)*

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : यह गम्भीर मामला है जो श्री महाजन ने उठाया है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिये। इस संबंध में हम सभी एकमत हैं। भारत सरकार की ओर से अमेरिका और उसके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के समक्ष जोरदार विरोध दर्ज कराया जाना चाहिये।

सभापति महोदय : क्या इस विषय पर आप भी बोल रहे हैं?

श्री चमनलाल गुप्त : जी हां।

सभापति महोदय : आपने भिन्न नोटिस दिया है।

श्री चमन लाल गुप्त : मैंने इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

सभापति महोदय : आपका शून्यकाल का नोटिस यहां नहीं है।

[हिन्दी]

आपने वह अलग सवजैक्ट पर दिया है।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : इस इश्यू पर मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है। इसलिए मैं सिर्फ उसके बारे में जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह मेरे समक्ष नहीं है। मेरे पास केवल शून्यकाल तक विचार व्यक्त करने वाले विषय हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : इन्होंने कहा था। निर्मल दा ने कहां नोटिस दिया हुआ था।

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई उत्तर पूर्व) : जैसा श्री निर्मल दा बोले हैं बिना नोटिस के, इन्हें भी बोलने का एक मौका देना चाहिये।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यहां आपका नोटिस है।

श्री चमन लाल गुप्त : मैं कह रहा हूं कि नोटिस तो मेरे दोनों हैं। मेरा कालिंग अटेंशन मोशन इस सबजैक्ट पर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अब श्री प्रेम चन्द्रन बोलेंगे।

(व्यवधान)

श्री एन०के० प्रेम चन्दन (क्विलोम) : मैं तात्कालिक महत्व का एक गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं।

सभापति महोदय : श्री प्रेम चन्दन, वे उसी विषय पर बोलना चाहते है। आप अपनी बारी पर बोलियेगा।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : सभापति जी, हमारे इस सदन में बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया हुआ है कि कश्मीर देश का इंटेग्रल पार्ट है, न सिर्फ इस सदन में, बल्कि राज्य सभा ने भी यह प्रस्ताव बाकायदा पास किया है, उसके बावजूद भी तो कुछ कश्मीर के अन्दर हो रहा है, वह सब जानते हैं। लेकिन बार-बार जो अमेरिका की तरफ से इण्टरफियरेंस है और खास कर के अमेरिकी जिस चाल को लेकर हमेशा से चल रहा है, वह एक इंडीपेंडेंट कश्मीर वहां पर बनाना चाहता है तो उसी पॉलिसी के तहत वह समय समय पर अपनी पॉलिसी बयान करते रहते हैं।

मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से एक कैटेगोरिकली एश्योरेंस इस हाउस को दी जाये कि जिस लाल किले के ऊपर बात कही गई थी या जो हाउस के अन्दर बाकायदा एक रैजोल्यूशन पास किया हुआ था, सारा देश उसपर स्टेंड करता है। हम किसी तरह का किसी दूसरे देश का इंटरफियरेंस

इस मामले में किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

आज तो इन्होंने बड़ी अजीब बात कह दी है। वे कहते हैं कि पाकिस्तान भी हिस्सेदार है, कश्मीर के लोगों को भी पूछना चाहिए और हिन्दुस्तान से भी मिलकर पूछना चाहिए। कभी वे कहते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट को मानते हैं। शिमला एग्रीमेंट को एक तरफ मानते हैं और दूसरे तरफ इस तरह के स्टेटमेंट्स से कन्फ्यूजन को दूर करे और कैटेगोरिकली इस बात को दोहराये कि किसी भी कीमत के ऊपर कश्मीर के ऊपर किसी दूसरे देश को हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा।··*(व्यवधान)* इस पर किसी का जवाब तो आये।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेम चन्दन : महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय का ध्यान भारत में समुद्री भोजन उद्योग में संकट के संबंध नें उठाना चाहता हूं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने प्रतिबन्ध लगाकर समुद्री खाद्य उद्योग को संकट में डाल दिया है। प्रतिबन्ध के कारण समुद्री खाद्य पदार्थ या तो अस्वीकृत कर दिये निर्यात किये गये हैं वे या तो वापस लौटा दिये जाते है। पहले भारत प्रसंस्करण से पहले खाद्य समुद्री पदार्थ भेजता था। हाल ही में भारत ने समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से भेजने लगा था। समद्री खाद्य पदार्थ के संबंध में यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का यह कारण हो सकता है।

मैं यहां पर इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि पिछले समुद्री खाद्य पदार्थ का 4121 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ जिसमें से 30 प्रतिशत यूरोप जाता है 22 प्रतिशत निर्यात राजस्व अर्थात् 936 करोड़ रु० केरल से आता है प्रतिबन्ध के कारण प्रॉन की कीमत भी गिर गई है। अन्य यूरोपीय भी कीमत कम करवाने का भी प्रयास कर रहे है। मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करें और इसे सुलझाये। ताकि समुद्री खाद्य पदार्थ के मूल्य न गिरें।

[हिन्दी]

श्री दिनेश चन्द्र यादव (सहरसा) : सभापति जी, बिहार में इतनी बेरोजगारी है और गरीबी है, जिसका फल है कि लाखो मजदूर बिहार के बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। आये दिन देखा जा रहा है कि जहां भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है, उसमें लोग मरते हैं या मारे जाते हैं। बिहार के लोगों की संख्या उसमें जरूर कुछ न कुछ होती है और उसी का फल है कि दिनांक 04.08.1997 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में देवू मोटर्स में बन रही पानी की टंकी ढहने से 12 मजूदरों की मृत्यु हो गई। जिसमें से हमारे संसदीय क्षेत्र के विनोद यादव, छोटेलाल यादव, रामजी दास, झकसा मिस्त्री, सुचिन मिस्त्री की मृत्यु हो गई, जो ग्राम बलहा, पो० गढ़िया, जिला सहरसा के रहने वाले थे। जो ग्राम बलिहा, पोस्ट गढ़िया जिला सहरसा के रहने वाले थे। मैं सरकार से माग करता हूं कि मृतक परिवारों के आश्रितों को एक-एक लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाए और पर्याप्त सहायता के रूप में उनके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाजिए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): यह बहुत गम्भीर-मामला है, गृह मंत्री इस पर बयान दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इस मामल को सरकार के ध्यान में लाया गया है। वही पर्याप्त है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री यादव आप कृपया बैठ जाईये।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर० जाधव (परभनी) : सी०बी०आई० ने 149 कैसेज की छानबीन पूरी कर ली है। परंतु उस पर कार्यवाही करने के लिए सी०बी०आई० ने केन्द्र से सहमति मांगी है भ्रष्टाचार मिटाने वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार से अनुरोध किया है। जिसका अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। हमारे प्रधान मंत्री इस सदन में कई बार कह चुके है कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे। लेकिन सी०बी०आई० के पास जो केस पेडिंग पड़े हैं उन पर आगे कार्यवाही करने के लिए संयुक्त मोर्चा की सरकार सहमति नहीं दे रही है। इन केसेज में दुकानों के आवंटन का मामला है, कैप्टन सतीश शर्मा द्वारा आवंटित पेट्रोल पम्पों का मामला है, दिल्ली के प्रमुख गृह सचिव रहे वेद मारवाह का मामला है और वे बहुत से मामले हैं पिछली शनिवार को इस आशय की खबर टाइम्स आफ इंडिया और राष्ट्रीय सहारा नामक अखबारों में छपी है। मैं आपके माध्यम से भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन 149 लम्बित पड़े मामलों पर, जिनमें सी०बी०आई० ने पूरी छानबीन कर ली है और सरकार के पास आगे की कार्यवाही के लिए भेजा है, जल्द से जल्द अनुमति दी जाए और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) महोदय, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैं एक बहुत गम्भीर मामला उठाना चाहता हूं। हमारी स्वतत्रता की 50वीं वर्षगांठ के केवल चार दिन शेष रह गये हैं··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनिल यादव : (खगरिया) : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित एक मामला यहां उठाना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठी हुई हैं। मैं आज साउथ एवेन्यू दवा लेने के लिए गया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपने शून्यकाल में अपना प्रश्न उठाने की सूचना नहीं दी हैं इसलिए कृपया अन्य उन सदस्यों को अपने प्रश्न उठाने दीजिए, जिन्होंने पहले ही सूचना दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अनिल यादव, कृपया बैठ जाइये। यही सही नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री अनिल, यादव आप सत्तारूढ़ दल से हैं। आपको अधिक जिम्मेदार होना पड़ेगा। प्रश्न उठाने का यह सही तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बार-बार बता रहा हूं कि आप सत्तारूढ़ दल से है। आपने सूचना नहीं दी है। आपकी तरफ से जिन्होंने सूचना दी हैं, मैंने उनके नाम पुकारे हैं। कृपया बैठ जाइये और श्री हन्नान मोल्लाह को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब इसे मत उठाईये। जो बात आप कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही है। कृपया अपना समय मत गंवाओ।

*(व्यवधाम)**

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया आप भी बैठ जाइये।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इसी तरह व्यवहार करते रहेंगे, तो मैं आपको सदन में बैठे रहने की अनुमति नहीं दे सकता। आप सत्तारूढ़ दल से हैं और बार-बार आप इस सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं आपको बार-बार बता रहा हूं कि यह सही तरीका नहीं है। इस तरह व्यवहार मत कीजिए। सूचना दिए बिना क्या आप यह समझते है कि आप इस प्रकार सभा की कार्यवाही में बाधा डाल सकते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ऐसे अन्य सदस्य भी हैं जिन्होंने 9.30 बजे अपनी सूचनाएं दी हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभा कब तक ऐसा व्यवहार सहन करेगी। श्री यादव मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। यहां मेरे पास 38 नाम हैं। आपका नाम सूची में नहीं है। कृपया इस बात को समझने का प्रयास करें।

श्री हन्नान मोल्लाह : अंत में, मैं सभा का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारी स्वतंत्रता की 50वी वर्षगांठ के केवल चार दिन शेष रह गए हैं। हमारे देश का समस्त राजनैतिक वातावरण भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रदूषित हो गया हैं। हमने उचित कदम उठाकर भ्रष्टाचार के उन्मूलन की प्रतिज्ञा की हैं संयुक्त मोर्चे के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी प्रतिज्ञा की गई है कि संसद द्वारा लोकपाल विधेयक पारित किया जायेगा। लेकिन इस सत्र के केवल चार दिन शेष रह गए हैं। कम से कम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ से पहले हमें इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए। दुर्भाग्यवश यह विधेयक लाया ही नहीं गया है इससे सम्पूर्ण देश को बहुत ही गलत संकेत मिल रहा है। हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं और हम भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं। यदि यह हमारी प्रतिज्ञा है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम को क्रियान्वित करे और 14 अगस्त से पहले इस सत्र में लोकपाल विधेयक पारित करे ताकि हम समस्त देश को यह संकेत दे सकें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह राजनीतिक सत्ता में हो, यदि वह भ्रष्ट पाया गया तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा।

मैं यह मांग करता हूं कि आने वाले 2-3 दिनों में इस सभा को यह विधेयक पारित कर देना चाहिए ताकि इस सरकार के महत्सपूर्ण वायदों में से एक को पूरा किया जा सके।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (प०बं०) **: महोदय, क्या आपने** मेरे नाम पर भी विचार किया है।

सभापति महोदय : इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। सूची को पहले ही तैयार कर दिया गया हें आपको इंतजार करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : माननीय सभापति जी, में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाने जा रही हूं। मेरे क्षेत्र में केंटोनमेंट एरिया है और इस केंटोनमेंट एरिया से लगा हुआ एक बाजार एरिया भी पहले से विकसित हुआ है। वहां पर अलग-अलग प्रकार के मार्केट भी हैं लेकिन आज की स्थिति में उनको एक नगर का स्वरूप प्राप्त हो गया है जो मोहन नगर कहलाता है। लेकिन आज इतने साल के बाद केंटोनमेंट के अधिकारियों के द्वारा वहां के पूरे मार्केट के छोटे-छोटे दुकानदारों को भी नोटिस दिए जा रहे हैं कि हम फिर से इसको अलॉट करेंगे और आप खाली करो। केवल यह मार्केट की स्थिति ही नहीं है। वहां जिन-जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, मकानों की भी न रजिस्ट्री होती है, न मकान को रिपेअर कराने की इजाजत दी जाती है। वहां सौ-सौ साल से जो लोग बंगलो एरिया में रहते हैं, उनके बंगले खाली कराने के नोटिस दिए जा रहे हैं। इस स्थिति में पूरे नगर में खलबली मची हुई है। मैं चाहूंगी कि यहां से एक प्रकार से उनकी रक्षा हो जाए ताकि इस प्रकार के जो नोटिस कभी भी उनके हाथ में थमा दिए जाते हैं, वे न थमाएं जाएं। न उनके मकानों का रजिस्ट्रेशन होता है, न नए मकान बनाने की परमिशन होती है और न ही उनको एन०ओ०सी० मिलता है। कोई यदि पुराने मकान को बेचना चाहे तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और अब तो यह बात कर दी गई है कि पूरी की पूरी दुकानें ही खाली कराने के लिए छोटे-छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाते हैं कि आप इसे छोड़ दीजिए। जो लोग चालीस-पचास साल से वहां पर अपनी दुकानें लगाते हैं, पूरा मार्केट एरिया खाली कराने के लिए नोटिस दिए गए हैं। मैं चाहूंगी कि माननीय रक्षा मंत्री जी तथा माननीय प्रधान मंत्री जी भी इस मामले की तरफ ध्यान दें तथा मेरे नगर के ऊपर जो आपदा आ रही है, उससे उसे बचाएं।

[अनुवाद]

श्री प्रमथेस मुखर्जी : इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले को उठाने हेतु आज मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मैं समस्त सभा का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण हांगकांग के मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आप भली भांति जानते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के 156 वर्षों के पश्चात हांगकांग। जुलाई 1997 को चीन को वापस किया गया था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा हांगकांश के लोगों के साथ एकता की भावना व्यक्त करें और हांगकांग को चीन के साथ मिलाए जाने की ऐतिहासिक घटना पर आजादी का हर्ष मनाए।

कई शताब्दियों से लगातार हांगकांग चीन का एक अविच्छेध भाग रहा था। उनकी समान सामाजिक बपोती, सांस्कृतिक अखंडता और मनौवैज्ञानिक बन्धन है। लेकिन ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा हांगकांग सहित चीन राज्य क्षेत्र पर लादे गए घृणित अधीन युद्ध के परिणामस्वरूप चीन ने हांगकांश ब्रिटेन को सौंप दिया था।

हांगकांग को रेशम, चाय आदि के ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा अपने हाथ में लिया गया। हांगकांग के लोगों ने मुक्त चक्र पूंजी वाद विकास के मध्यम मंत्रणा परेशानियों, सामाजिक षडयंत्र और लूटपाट का सामना किया था। लोकतांत्रिक गणराज्य चीन में हांगकांग के लोगों के स्वप्न को वास्तविकता में बदलने का साहस और शौर्य थी। हांगकांग के लोगों में मुख्य भूमि चीन में वापस आने का उसी तरह एक स्वप्न अथवा एक आकांक्षा थी जिस तरह एक बच्चा अपनी सुरक्षा आत्म सम्मान और सहज लालन-पालन के लिए अपनी माता के पास वापस आना चाहता है। यही एक ऐसा कारण था जिसके लिए वर्ष 1984 में ब्रिटेन और लोकतात्रिक गणराज्य चीन के बीच एक संधि हुई थी और उसे सन्धि के अनुसरण में हांगकांग चीन को वापस सौंपा गया था।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आप जानते हैं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह एक ऐसा विषय नहीं है कि जिसे शून्यकाल के दौरान उठाया जाए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : मेरा यह प्रस्ताव है कि यह सभा इस बात पर विचार करे कि यह घटना उपनिवेशवाद और साम्राज्यबाद पर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय संप्रभुता और देशभक्ति की विजय की द्योतक है। यह घटना अर्थात चीन को हांगकांग सौंपने की घटना मानो और तेपई के लोगों को आकर्षित करने के लिए चीनी आधिपत्य और एक देश, दो प्रणाली'' की अवधारणा और विचाराधारा के बीच स्व-शासन का नया युग शुरू होने की घोतक है।

मैं सम्पूर्ण सभा, सभापति, सरकार, विपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि हांगकांग के लोगों के साथ अपनी एकता और अखंडता दर्शाने हेतु एक सर्वसम्मत संकल्प का प्रारूप तैयार किया जाये। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस सभा का यह सन्देश और हांगकांग के लोगों के साथ अपनी अखण्डता व्यक्त करने को इस सभा की सर्वसम्मत स्थिति की जानकारी भेज दें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : सभापति महोदय, सारे हिन्दुस्तान में इस समय सिक्को की बहुत बड़ी कमी बनी हुई हैं संसद के स्टेट बैंक में जायें, तो भी सिक्के नहीं मिल रहे हैं। देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में नहीं मिल रहे हैं। तहसील तहसील में जो सरकार की ट्रेजरियां हैं, वहां भी सिक्के नहीं मिल रहे हैं।

ऐसे में ग्राहकों के लिए बड़ी परेशानी की स्थिति पैदा हो गई है। बस में टिकट खरीदनी है। रेलवे के काउन्टर पर जाकर टिकट खरीदनी है या होटल में जाकर पैसा देना है, सब जगहों पर सिक्कों की कमी के कारण संघर्ष हो रहे हैं। जो ग्राहक 50 पैसे नहीं दे सकते हैं, उनसे कहा जाता है कि एक रुपया दे दें। इस प्रकार उनको लूटा जा रहा है और गैरकानूनी तरीके से लाभ बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं, यह जो सिक्कों की कमी है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए है? यह जो तकलीफ है, कष्ट है, वह कितने दिनों तक, कितने महीने तक या कितने साल तक लोगों को सहना पड़ेगा? इस बारे में मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है।

जब नए सिक्कों को बनाने पर विचार करें, तो पांच रुपए, दो रुपए और एक रुपया के सिक्के एक जैसे लगते हैं, इसमें ऐसा अंतर किया जाए कि हाथ लगाने के बाद सिक्का पांच रुपए का है या दो रुपए का है, समझ में आ जाए। इस प्रकार से सिक्कों के डिजाइन्स में परिवर्तन किया जाए, जिससे ग्राहकों को सुविधा हो।

मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में वक्तव्य दे। आज वित्त मंत्री जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर संसदीय कार्य मंत्री जी बताएं तो भी अच्छा होगा। लेकिन देशवासियों को इस बात का पता चलना चाहिए कि सिक्कों की कमी करने के लिए वित्त मंत्री जी और भारत सरकार क्या कर रही है? इसके बारे में वक्तव्य दें, ऐसी मेरी मांग है।

[अनुवाद]

सभापित महोदय : इसी विषय पर श्री नन्द कुमार साय बोलेगें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं इसके बाद आपको बुलाऊंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय (रायगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राम नाईक जी ने जिस विषय को उठाया है इस पर मैंने भी नोटिस दिया हैं सिक्कों की कमी के कारण बड़ी समस्या हो रही है। इसके कारण पूरे हिन्दुस्तान भर में परेशानी है, दिल्ली में भी बहुत परेशानी है, लोगों का सारा व्यापार ठप हैं इसमें बड़ी-बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पहले तो कुछ दिनों तक जो नोट कई जगह से फटे हुए हैं उनको चिपका करके किसी तरह से चला रहे थे, लेकिन अब वे भी अंतिम सांस ले रहे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं और राम नाईक जी की मांग का समर्थन करता हूं कि इन सिक्कों के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है? इस तरह की जो परेशानियां पूरे देशवासियों को हैं उससे उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? वित्त मंत्री जी सदन को और पूरे देश को विश्वास में लें, यह मैं मांग करता हूं। धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : महोदय, हम लोगों को भी जो नोट मिलते हैं वे सड़े हुए मिलते हैं। सदन में कई बार यह गंभीर मामला उठाया गया हैं कम से कम चेयर से सरकार को यह निर्देश दें, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आम लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें। महोदय, सरकार को कम से कम निर्देश तो दिया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और कई बार यह मामला उठ चुका है। इस मामले को बार-बार माननीय सदस्य उठाते हैं और सरकार इस बात को ठुकरा देती है, अनसुनी कर देती है।...*(व्यवधान)* सरकार की क्या कठिनाइयों हैं कि इतने लोगों की परेशानियों को दूर करने में विफल हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा० चव्हाण (कराड़) : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। भारत सरकार का करेंसी छापने और सिक्के बनाने का सम्पूर्ण तंत्र समाप्त हो गया हैं हमें देश से बाहर छापे गये सिक्के मिल रहे हैं। हमारे इतिहास में पहली बार करेंसी नोट छापने के लिए आठ विदेशी कंपनियों को आदेश दिये गये हैं। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। 1,00,000 करोड़ रु० के करेंसी नोट देश से बाहर छपने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा करेंसी और सिक्के बनाने की व्यवस्था किये जाने तथा नोट छापे जाने के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें हमने इस क्षमता को सृजित करने के लिए इतने अधिक धन का निवेश किया है लेकिन अब हमें आठ देशों द्वारा छापे गये करेंसी नोट मिल रहे हैं। छोटे देश हमारे नोट छाप रहे हैं। हमारी सुरक्षा का क्या होगा? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राष्ट्र की सुरक्षा और कुछ जालसाजों द्वारा कमजोर किये जा रहे अपने देश के बारे में इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर आधे घन्टे की चर्चा करने की अनुमति दी जाये क्योंकि सुरक्षा सम्बन्धी दस्तावेज इन आठ देशों के पास पहुंच जायेंगे। कृपया इस मामले पर पूर्ण चर्चा करने की अनुमति प्रदान की जाये।

सभापति महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हम इस पर माननीय अध्यक्ष के साथ चर्चा करेगें और तत्पश्चात् निर्णय देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, हम अपनी बात कहने से पहले जो दर्द है उसे कहना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपका नोटिस एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम पर है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : हां, मेरा नोटिस एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम पर है लेकिन इसके पहले जो मेरा दर्द है वह आप सुन लीजिए। वह दर्द यह हे कि अनुशासन का नाम है ही मुर्ख। सवाल यह है कि आप चेयर पर कोई ध्यान नहीं दे पाते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, आपने किसी अन्य विषय पर सूचना दी है। हमारे पास अन्य बातों पर चर्चा करने का समय नहीं है। आपको प्रक्रियात्मक मुद्दों पर बोलने की आवश्यकता नहीं है?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : हम नोटिस पर बोल रहे हैं, लेकिन चेयर का काम क्या है, जो आदमी अनुशासन में रहे उसको मौका न मिले? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप उसी सूचना के बारे में बोलना चाहेगें जो आपने दी है? अन्य चीजों के बारे में बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की बायेगी।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : महोदय, हमारी बहुत महत्त्वपूर्ण योजना है, हमारे यहां बेकारी दूर करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री सुनिश्चित रोजगार योजना चालू की।

यह योजना तभी सफल हो सकती है जब उद्योग, वित्त और बैंकिंग एक मत से इसे सहयोग दें। एक अगर काम नहीं करेगा तो वह चल नहीं पाएगी। उद्योग विभाग किसी नौजवान को बेरोजगारी दूर करने के लिए ऋण देता है तो बैंक उसको साल दो साल तक टल-मटोल करके टालते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि वह कोई रोजगार नहीं कर पाते हैं और यह योजना असफल हो जाती है। साथ ही साथ 15 प्रतिशत वह भी मांगते हैं और 15 प्रतिशत दूसरे भी मांगते हैं। अगर कोई इन लोगो को प्रतिशत देकर पैसा ले भी लेता है तो वह घर में खर्च करता है, किसी रोजागर या धंधे में नहीं लगाता है। इस तरह से यह पैसा रोजगार में न जाकर पानी में चला जाता है और न नौजवान का न देश का कोई फायदा हो पाता है। इसके लिए एम०पी०, एम०एल०ए० की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए, तथा उन्हीं लोगों से यह काम करवाना चाहिए। आज हम स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे है, दूसरी तरफ देश भ्रष्टाचार में डूबा जा रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम मनाने क्या जा रहे हैं और इससे लाभ क्या होने जा रहा है? पूरा देश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि एक कमेटी बनवाकर आप इसे करवाइये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापित महोदय : कृपया हमारे साथ सहयोग करें दो और सदस्य हैं जिन्होंने अपनी बात कहनी हैं।

[हिन्दी]

श्री दादा बाबूराव परांजपे : जबलपुर जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश के शहरों में दूसरे नम्बर पर आता है। दिल्ली के लिए यहां से दो गाड़ियां जाती हैं। एक महाकौशल एक्सप्रेस और दूसरी महामाया एक्सप्रेस है। महामाया एक्सप्रेस कटनी-बीना होकर जाती है। महामाया एक्सप्रेस आधी गाड़ी जाती है और बीना में उसको एक बिलासपुर से आकर गुड़वाना एक्सप्रेस में मिलती है। आधी गाड़ी जाने के कारण भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जबलपुर में पांच आर्डिनेंस फैक्ट्रीज है और आर्मी का बहुत बड़ा केन्द्र है। मेरी मांग है कि महामाया एक्सप्रेस पूरी गाड़ी चलाई जाए और हजरत निजामुद्दीन के बजाए जम्मू तक ले जाई जाए।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, राष्ट्र स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। केरल में एक महत्वपूर्ण स्थान, वकोम ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। वकोम सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम में स्मरणीय घटनाओं में से एक था। हजारों लोगों ने वकोम सत्याग्रह में भाग लिया था जो कि छुआछूत के खिलाफ शुरू किया गया था। यह सत्याग्रह दलितों को मन्दिर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। इस प्रकार इस सत्याग्रह से हमारे राज्य केरल में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने इस स्थान का दौरा किया। इस सत्याग्रह को पीढ़ियों से याद किया जा रहा है। तमिलनाडु के समाज सुधारक पेरियार अपने अनुयायियों के साथ वकोम आए और इस सत्याग्रह में भाग लिया।

इस प्रकार यह आंदोलन हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। वर्ष 1978 में किसी अन्य ने नही बल्कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वकोम में एक सत्याग्रह स्मारक का निर्माण करने के लिए आधारशिला रखी थी। दुर्भाग्यवश यह कहते हुए दुख होता है क इस स्मारक का निर्माण नहीं किया गया। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा इस सत्याग्रह स्मारक के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए थी। इस आशय की योजना की तैयार हो गई थी। नगरपालिका ने एक एकड़ भूमि दे दी थी; लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है।

जब हम स्वतंत्रता का 50वां वर्ष मना रहे हैं तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम वकोम में सत्याग्रह के स्मारक के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करें अन्यथा हम उस आंदोलन का अनादर करेंगें जिसे हमारे देश के दक्षिण भारत में ऐतिहासिक माना गया है।

[हिन्दी]

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) **:** सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश में कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना हेतु अपनी बात रखना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में तथा देश के अन्य भागों में जहां कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, वहां के लोगों के पास उच्च स्तर की पढ़ाई के लिए किसी प्रकार के साधन उपलब्ध नहीं है। वहां के कोयले के उत्पादन को देखते हुए उच्च तकनीकी स्तर की पढ़ाई के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना हो। वहां के लोग उच्च तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। उनको बाहर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए जिला बिलासपुर में इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स की स्थापना की जाए। *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.41 बजे

[**श्री बसु देव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपूजा) **:** महोदय, क्या आपने उस आंदोलन के बारे में सुना है, जहां किसानों की खेती नष्ट करके उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचाया गया है। ऐसा आंदोलन अब देश के कुछ भागों विशेषकर केरल में हो रहा है। मेरे विचार से इस प्रकार का आंदोलन देश में कहीं और नहीं केवल केरल में ही देखने को मिला है। केरल में एक प्रमुख पार्टी के नेतृत्व में कुछ लोगों ......

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) **:** वह कौन सा दल है ?

श्री पी०सी० थॉमस : यह एक मुख्य सत्तारूढ़ दल है और मेरे विचार से अन्य दल इसके विरूद्ध हैं। केरल में सत्तारूढ़ प्रमुख दल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। जिसके अंतर्गत उन गरीब तथा सीमांत किसानों की खेती जिनकी खेती उनकी अपनी जगह में है, आंदोलनकारियों द्वारा यह कहते हुए बुरी तरह से बर्बाद की जा रही है कि बहुत समय पहले यह वह जगह थी जहां धान की खेती की जा रही थी और चूंकि जगह का उपयोग अन्य खेती, जैसे नारियल, केला आदि के लिए किया गया है इसलिए कुछ लोग कानून तथा व्यवस्था की स्थिति अपने हाथों में ले रहे हैं और आंदोलन को भड़का रहे हैं। वे किसानों की जगह में प्रवेश कर रहे हैं और जबरन उनकी सारी फसलें काट रहे हैं। अब मौलिक संवैधानिक अधिकार पर प्रश्नचिन्ह लगाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि अधिकारियों द्वारा किसानों को सुरक्षा नहीं प्रदान की जा रही है। पुलिस और यहां तक कि सरकार

भी केवल मूक दर्शक बनी खड़ी है। हमने केन्द्रीय सरकार के साथ भी मामले पर चर्चा की है। माननीय कृषि मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था, परंतु अभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। चूंकि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, एक किसान की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर कुठाराघात है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि लोकसभा को इस बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। इसे गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए और हम सरकार की ओर से भी इस पर प्रत्युत्तर चाहते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। केरल राज्य में समग्र किसान समुदाय काफी कठिनाई में हैं।

श्री जी०एम० बनातवाला : हमारी भी उनसे सम्बद्धता दर्ज की जाए।

श्री रमेश चेन्नितला : सी०पी०आई० (एम) के कार्यकर्त्ताओं ने कानून अपने हाथ में लिया है। पुलिस मूक दर्शक है और बहुत कठिनाई पैदा कर रही हैं। मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। सभा के नेता यहाँ उपस्थित हैं *(व्यवधान)*

श्री पी०सी० थॉमस : कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं। हम मंत्री से उनका प्रत्युत्तर जानना चाहेंगे। वरिष्ठ मंत्री हमारे मुख्यमंत्री को पहले ही एक पत्र लिख चुके हैं।

सभापति महोदय : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। आप इसे इस सभा में नहीं उठा सकते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री थॉमस, आपने अपनी बात कर ली है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री बनातवाला, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) **:** सभापति जी, मैंने संजय घोष का मामला सदन में उठाने के लिए नोटिस दिया था। परसों तक गृह मंत्रालय की भूमिका थी कि संजय घोष जीवित है या नही इस पर अभी आखिरी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन परसों गृह मंत्रालय ने यह भूमिका ली कि संजय घोष को मारा गया है और गृह मंत्री की ओर से यह कहा गया है कि उल्फा के मुखिया की गिरफ्तारी के लिए हमने राज्य सरकार को कहा है और इंटरपोल को भी हम सूचना देने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार किस दृष्टि से इन सारे मामलों के बारे में सोच रही है। समूचे पूर्वांचल में, जिसमें असम से लेकर जितने छोटे राज्य हैं, आप जानते हैं कि वहां आज किसी न किसी रूप में हर प्रदेश में बगावतें चल रही हैं। अकेले मणिपुर में इस समय आठ निजी सेनाएं हैं और इन आठ निजी सेनाओं के साथ भारत की सेनाओं की मुठभेड़ चलती रहती है। दोनों तरफ से लोग मारे जाते रहते हैं और उल्फा का जो मामला है, वह भी इससे कोई भिन्न नहीं है। उल्फा की लड़ाई आजादी की लड़ाई है और वह एक अलग देश बनाना चाहते हैं और पिछले एक अरसे से यह लड़ाई चल रही है। एक जमाना था जब सब लोगों की दृष्टि कश्मीर पर होती थी और कहा जाता था कि पाकिस्तान यहां पर हस्तक्षेप कर रहा है और इसलिए कश्मीर का मामला बिगड़ता जा रहा है। उस समय पूर्वांचल के कुछ लोग ऐसे थे सेना में, जो कहते थे कि जिस दिन पूर्वांचल भड़क उठेगा, तब कश्मीर बच्चों का खेल नजर आएगा। आज पूर्वांचल उसी तरह से भड़क उठा है और इन सारे प्रश्नों की ओर सरकार अपना ध्यान न देते हुए उल्फा के मुखिया की गिरफ्तारी के आदेश देती है अखबारों में यह चीज छपकर जरूर आ जाती है लेकिन उल्फा है कहां, उनको प्रशिक्षण कहां मिल रहा है, उनको देश के भीतर कितने प्रशिक्षण की व्यवस्था है और पड़ोसी राष्ट्रों में उनके प्रशिक्षण के लिए क्या हो रहा है ? उनकी जो सेना है उसके पास जो आधुनिकतम हथियार हैं, इन हथियारों के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं, कौन उनको वह हथियार कहां से खरीदकर कैसे असम तक पहुंचा रहा है ? चूंकि असम पहुंचने के लिए बर्मा के मार्ग से आना होगा या बंगलादेश के मार्ग से जाना होगा या हमारे देश से ही जाना होगा। कहां से ये सारी चीजें हो रही हैं ? इन सभी चीजों पर कोई भी बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं है।

संजय घोष रचनात्मक कार्य करने वाला एक बहुत ही शानदार व्यक्ति था। वह जवान लड़का था और पहले राजस्थान में उनका काफी काम रहा। उसके बाद वह असम में गया जहां पिछले एक अरसे से जो विकास का पिछड़ापन था, उस सवाल पर अपने ढंग से रचनात्मक कार्यों के जरिये जो भी वह कर सकता था वह करने के लिए मजोली नाम के गांव में जाकर उसने अपना काम शुरू किया थां जो जानकारी हमें मिली है, वह यह है कि मजोली में जो ठेकेदारी चलती थी और सरकारी भ्रष्टाचार होता था, इन्होंने अपने कार्य से ठेकेदारों से तथा भ्रष्ट अधिकारियों से टकराने का सिलसिला शुरू किया। फिर एक ऐसा दिन आ गया कि उनको धमकियां मिलने लगीं। उनको कहा गया कि आपको यहां से जाना चाहिए और जब उन्होंने जाने से इंकार किया तो उनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने पैसे का बहुत गलत व्यवहार यहां से चलाया है। बाहर से पैसा लाता है और एक अलग किस्म के समाज का निर्माण करने के लिए लगा हुआ है। जब उन्होंने वहां के गांव के तमाम लोगों की बैठक बुलाई और अपना पूरा हिसाब-किताब लोगों के सामने रखा तो उन पर आरोप लगाने वाली जो ताकतें थीं जिसमें ठेकेदार और भ्रष्ट सरकारी अधिकारी थे, उन लोगों का मुंह बंद हो गया।

सभापति जी, उसके बाद, एक दिन उनका अपहरण हुआ और "उल्फा" के लोगों ने यह कहा कि अपहरण नहीं किया है। अब गिरफ्तारी कैसे हो सकती थी। उपहरण के मार्ग से गिरफ्तारी हो गई। बाकी कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आगे जाकर न राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल हुई न केन्द सरकार की ओर से कोई पहल हुई जहां तक मेरी जानकारी है, हमारी सेना के कम से कम 50 हजार जवान आसाम में इस प्रयास में लगे हैं कि "उल्फा" से कैसे टकराया जाए। न यहां सेना काम आई, न प्रदेश सरकार काम आई, न केन्द सरकार का कोई भी खुफिया विभाग इस मामले में कुछ कर पाया। अब आज भारत सरकार ने चोट लगने के बाद, व्यक्ति की मौत होने के बाद, इंटरपोल को सूचना दी है और उसकी गिरफ्तारी का वारंट निकाला है। यह एक प्रकार से बचकानी बात लगती है। इसलिए हम चाहेंगे कि गृह मंत्री इस सदन में आएं और संजय घोष के समूचे कांड के बारे में न केवल सदन को बल्कि पूरे देश को बताएं जिससे स्वयंसेवी संगठन, एन०जी०ओज० जो सारे देश के अलग-अलग ऐसे भागों में, ऐसी जगहों में जाकर काम करते हैं, जहां पर जाना और काम करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन वे वहां जाकर काम करते हैं, वे सभी लोग जान सकें। आज देशभर के स्वयंसेवी संगठन और पूरा देश इस कांड से परेशान है। इसलिए हम चाहेंगे कि गृह मंत्री इस सदन में आकर विस्तार से अपनी भूमिका को रखें।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बरसाट) **:** महोदय, मैं लोकतंत्र के अत्याधिक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने हेतु आपकी अनुमति के लिए आपका अत्यन्त आभारी हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चित्त बसु]

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमने केवल अपनी शक्ति के बल पर स्वतंत्रता हासिल नहीं की वरन् अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता तथा बाह्य समर्थन से भी मिली है। भारत स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। जब हम अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाएंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, तो भूटान में भी लाखों लोग अपने लोकतंत्र को हासिल करने हेतु संर्घषरत हैं।

महोदय, मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। भूटान एक मित्र देश है। हम किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के हकदार नहीं हैं। और न ही हम ऐसा करना चाहते हैं। परंतु भूटान में लोकतांत्रिक आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। एक लाख से अधिक भूटानी लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा और अब वे पश्चिम बंगाल और नेपाल में रह रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल राज्य के लिए भी समस्या बन गई है। ये लोग राज्य के उत्तरी भाग में फैल गए हैं।

महोदय, इस लोकतांत्रिक आंदोलन का नेतृत्व श्री रांगथांग फूनले दोरजी द्वारा किया जा रहा था जो भूटान लोकतांत्रिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्हें कतिपय आरोपों पर भारत में गिरफ्तार गिया गया है।

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : वह एक राजनैतिक व्यक्ति हैं। वह भूटान में लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा समाचार है कि ··*(व्यवधान)* मैंने किसी को परेशान नहीं किया है।

महोदय, ऐसा समाचार है कि भूटान सरकार ने भारत से श्री दोरजी के प्रत्यर्पण की मांग की है। उन पर प्रत्यर्पण न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा हैं ऐसा होने पर भी भारत सरकार को अंतिम निर्णय लेने का पूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है ··*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, शून्य-काल में सांसदों की कांस्टीट्यूएसी की समस्याओं के बारे में चर्चाएं आनी चाहिए या इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री चित्त बसु : भारत सरकार संविधान से बंधी है और श्री दोरजी के प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं प्रदान कर सकती है। यदि श्री दोरजी को वापस भूटान लाया जाता है तो उनकी जिन्दगी खतरे में पड़ जाएगी। उनकी पत्नी हमसे कुछेक को पहले ही लिख चुकी है। हम भारतवासी किसी को केवल इसलिए फांसी नहीं लगने दे सकते कि वह एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता, एक राजनैतिक नेता के रूप में लड़ रहा है और भूटान में लोगों को दासता से मुक्त कराने की कोशिश कर रहा है।

अतः, देश के कानून अर्थात् भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम के अनुसार भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि श्री दोरजी जैसे देशभक्त, लोकतंत्रवादी की सुरक्षा की जाए। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं। चूंकि हमारे लोकतंत्रवादियों ने देश की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी इसलिए हमें पूरे विश्व में सभी लोकतंत्रवादियों तथा सभी देशभक्तों के साथ एकजुटता रखनी चाहिए। अतः, मेरे विचार से सभा इस मामले में मेरा समर्थन करेगी।

सभापति महोदय : मेरे विचार से पूरी सभा इस पर एकमत है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैंने इसका एक खुला पत्र प्रधान मंत्री जी को और कई सांसदों को भेजा है और यह कहा है कि अगर 14 तारीख की दोपहर तक उनकी रिहाई नहीं होती है ··*(व्यवधान)* इस सरकार ने उस व्यक्ति को बेगर्स होम में रख दिया है। बेगर्स होम से उसको बाहर निकालने के लिए उनके मित्रों को हाई कोर्ट में जाना पड़ा। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जी से लोग मिले हैं। गृह मंत्री जी से लोग मिले हैं लेकिन उस पर कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ··*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : सरकार को ब्यान देना चाहिए। ··*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सरकार को 14 अगस्त की रात को यहां पर ··*(व्यवधान)* मैं नहीं समझता कि 14 अगस्त ओर 15 अगस्त की बात जो हो रही है ··*(व्यवधान)*

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : संघर्ष के मैदान पर हैं। सरकार को बतलाना चाहिए कि क्या स्थिति है। ··*(व्यवधान)*

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, 50वीं वर्षगांठ की बात कर रहे हैं और यहां देश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, उनको फांसी पर लटकाने के लिए भूटान भेज दिया जायेगा ··*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : हमने गोवा में स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सारी दुनिया ने इस देश की आजादी को समर्थन किया था और आज एक व्यक्ति जो आजादी के लिए नहीं बल्कि अपनी बोली, अपनी देशव्यापी बोली चले, इसके लिए पांच दल मिलकर एक राजाशाही से लड़ना चाहते हैं। इसलिए मैं फिर सदन में कहना चाहता हूं कि अगर 14 तारीख को 12 बजे दिन में वह नहीं छोड़े गये तो रात को जितने लोग साथ चलेंगे, उन सबके साथ तिहाड़ जेल के बाहर हम बैठेंगे क्योंकि हमारे देश का नेता तिहाड़ जेल में बंद है। ··*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का मामला रेज करना चाहता हूं। हमारी दिक्कत यह है कि वहां विधान सभा नहीं है। आप जानते है कि यूनियन टेरेटरीज की यह प्राब्लम होती है क्योंकि हमें सारे मामले यहां उठाने पड़ते हैं। ··*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आपने नोट किया है ?

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : मंत्री को इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं कहा है, उन्होंने नोट कर लिया है। उन्होंने मामले को नोट कर लिया है। यह बहुत गंभीर मामला है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, सरकार सभा तथा सदस्यों की भावनाओं की कद्र करने हेतु वचनबद्ध है। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं ? मैंने इसे नोट कर लिया है।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन : सभापति जी, हमारे यहां एक केन्द्र शासित बहुत छोटा सा प्रदेश चंडीगढ़ है जिसके कारण वहां मकानों की बहुत प्राब्लम आ रही है। आपको स्वयं इस बात का ज्यादा अहसास है कि यूनियन टेरेटरीज के लोगों की समस्यायें कितनी होती हैं। उनको कितनी परेशानियां होती हैं क्योंकि विधान सभा न होने के कारण एक यही फोरम है जहां हम अपनी मांगों को उठा सकते हैं। वहां मकानों की दिक्कत होने के कारण कुछ लोगों ने मिलकर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज बनाई और चंडीगढ़ प्रशासन ने एक स्कीम निकाली कि जो हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज हैं उनसे हम पैसा लेकर उनको मकान देंगे, फ्लैट देंगे, प्लाट देंगे। बहुत सारी सोसायटीज को प्लाट दे दिये गये लेकिन काफी सोसायटीज ऐसी रह गयी हैं जिनको प्लाट नहीं मिले। जिनको मकान दिये गये उनमें आई०ए०एस०, आई०पी०एस०, आफिसर आदि बड़े-बड़े लोगों की हाउसिंग सोसायटीज थीं। जो बाकी लोग थे, कोई क्लर्क है, कोई चपरासी है, छोटे-छोटे दुकानदार हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उन सब ने मिलकर अपनी सोसायटीज बनाई। जब चंडीगढ़ प्रशासन ने उनको फ्लैट नहीं दिये तो उन लोगों ने हाई कोर्ट में केस डाला। प्रशासन ने यह कहा कि हम प्लाट नहीं दे सकते लेकिन हम उनको फ्लैट देंगे। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमें फ्लैट ही दे दीजिए। लोग पैसा जमा करवाने को तैयार हैं। 15 परसेंट, 25 परसेंट पैसा दे रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उनको आज मकान नहीं दिये जा रहे हैं। आप जानते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में किसी भी लोअर मिडल क्लास के आदमी की इनकम से प्राइवेट मकान खरीदना संभव नहीं है। 20-25 लाख रुपये से कम मकान नहीं मिलता है और सारे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो 1991 में और उससे पहले स्कीम बनी थी उसके अन्तर्गत उन सारी कोआपरेटिव सोसायटीज को, जिसने पैसा जमा करवाया है और जो पैसा जमा करवाने तो तैयार हैं, उनको भी जो 1991 तक जैसे रजिस्टर्ट हो चुके हैं, उन सारी सोसायटीज को मकान देने की योजना बनाई जानी चाहिए। वहां जमीन की कमी नहीं है। जमीन वहां उपलब्ध है और अगर जमीन कम है तो वहां जमीन एक्वायर की जा सकती है।

अपराह्न 2.00 बजे

क्योंकि आज मल्टी स्टोरी फ्लैट्स की पॉलिसी सब जगह आ रही है। वे लोग तैयार हैं। वे कह रहे है कि यदि आप प्लॉट नहीं दे सकते तो फ्लैट दे दीजिए। हम फ्लैट लेने को तैयार हैं।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उनकी मांग को स्वीकार करें और वहां के प्रशासन को निर्देश दें कि उनको तुंरत मकान ऐलॉट किए जाएं। जो बकाया राशि है, वे उसे देने को तैयार हैं उनसे राशि वसूल की जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदय, कुछ दिन पहले हमारे रेल मंत्री जी मुम्बई गए थे। रमाबाई नगर, घाटकोपर में 11 जुलाई को पुलिस फायरिंग में जो दलित लोग मारे गए थे। उनके बारे में उन्होंने कहा था कि मरने वालों के परिवार के एक-एक व्यक्ति को रेलवे में नौकरी दी जाएगी। हम राम विलास जी की भावनाओं के साथ सहमत हैं और उसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम विलास जी कुछ वर्ग के रेल मंत्री नहीं हैं बल्कि सारे देश के रेल मंत्री हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने जिस विषय पर नोटिस दिया है, उसी विषय पर बोलिए।

श्री मोहन रावले : मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। रेल मंत्री जी वहां गए थे, उसी बारे में मेरा नोटिस है।

भटिंडा में भी बम विस्फोट हुआ। मैं रेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके परिवार के एक-एक सदस्य को भी नौकरी देंगे ? मुम्बई में बम विस्फोट हुआ। सारे देश में बम विस्फोट होते हैं। रेल मंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सिर्फ रेल मंत्रालय ही नहीं बल्कि सारे मंत्रालयों को यह बात स्वीकार करने के लिए मैं विनती कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जब आप सप्लीमैंट्री डिमांड्स पर बोलेंगे, उस समय यह बात बोलिए।

श्री मोहन रावले : अभी मुझे मौका है, इसलिए बोल रहा हूं।

बम विस्फोट में जो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार के भी एक-एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए। रेल मंत्रालय ही नहीं बल्कि सारे मंत्रालयों को नौकरी देनी चाहिए। इसके बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : सभापति महोदय, आपको पूरा ज्ञान है कि कानपुर उत्तर भारत का एक औद्योगिक शहर माना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ श्रमिक संगठन लाल झंडा लेकर हमारे यहां आए और आज वह कब्रिस्तान की स्थिति में है। उसका पुनरुद्धार करने के बहुत प्रयास हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर लैदर एक्सपोर्ट्स के काम में लगभग साढ़े तीन सौ टैनरीज हैं और उनमें अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लाखों लोग काम करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसीलिटीज डैवलप करने के लिए विद्युत आपूर्ति, सड़क, पानी की निकासी आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कानपुर के दक्षिण जिले में गंगा नदी के किनारे पर है। यह योजना अगस्त 1996 में केन्द्र सरकार को भेजी थी। लेकिन केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वह अभी लंबित पड़ी है। केवल यही परियोजना नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई विभाग की, लोक निर्माण विभाग की अनेक योजनाएं केन्द्र सरकार में लंबित हैं। इसमें विद्युत आपूर्ति दो चरण में की जाने वाली थी। उसके लिए कुल 8 करोड़ 60 लाख रुपये की मांग केन्द्र सरकार से की गई थी जिसका आश्वासन भी मिला था। यह अगस्त 1996 से लंबित पड़ी है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से आग्रह करना चाहता हूं कि 8 करोड़ 60 लाख रुपये तत्काल रिलीज करें जिससे कानपुर की लैदर इंडस्ट्रीज का, जो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करती हैं, जिसमें लाखों अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के लोग कार्य पाते हैं, विस्तार हो सके और ये उद्योग सुदृढ़ हो सकें। इसलिए केन्द्र सरकार तत्काल इस परियोजना को स्वीकृत देकर 8 करोड़ 60 लाख रुपये भेजे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदय, भारत सरकार ने वन पर्यावरण अधिनियम 1980 पास कर दिया। इसके कारण राज्य सरकार के पास जितनी भी वन की भूमि थी या जहां पर वन नहीं थे, ...*(व्यवधान)* अब आप चुप हो जाओ। वहां वन नहीं था। राज्य सरकार ने वहां पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने की अनुमति देना बन्द कर दिया। वर्षों से जो खानें शहर के आसपास चल रही थी, वे सारी खानें उस अधिनियम के अंतर्गत बन्द कर दी गई। वहां पर राज्य सरकार न टेलीफोन की लाइन डाल सकती है, न बिजली की लाइन डाल सकती है, न पानी की लाइन डाल सकती है, न वहां पर सारे एरिया में एक भी मकान बन सकता है। लोगों में उस कारण से भयंकर असंतोष है।

राज्य सरकार ने मांग की है कि 50 हैक्टेयर से कम जहां पर भूमि हो, उस भूमि में यदि इस प्रकार के निर्माण कार्य करने हो तो राज्य सरकार

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

को बिना अनुमति के परमीशन दी जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, लोगों की रोजी-रोटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए भारत सरकार को 50 हैक्टेयर तक की भूमि में भारत सरकार को रिकमेण्ड न करे और राज्य सरकार जो चाहें सो निर्णय कर ले, यह मैं चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार इसपर निश्चित रूप से विचार करेगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, इसमें आपका समर्थन है। ठीक है।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : सभापति जी, मैं गुजरात की एक बहुत गम्भीर समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले सप्ताह यहां पर अकाल के बारे में, बाढ़ के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से चर्चा हुई और उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि गुजरात में जो बाढ़ आई है, उसके बारे में हम सहायता करने के लिए तुरन्त ही कदम उठाएंगे।

मैं अभी दो दिन का फ्लड इफैक्टिड एरियाज का दौरा करके आया हूं और मैंने देखा है कि अभी तक जो फ्लड इफैक्टिड एरियाज हैं, उनमें राज्य की ओर से कोई सहायता का काम अभी चल नहीं रहा है। आज भी किसान जो बाढ़ से बड़े पीड़ित हैं, वे उसके खेत में काम नहीं कर सकते, जिसकी स्टैंडिग क्राप का नुकसान हो चुका है। झोंपड़पट्टी में बसने वाले लोगों को भी कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसके अलावा भी जो रास्ते हैं, ब्रिजेज हैं, उनको ठीक करने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, मुझे लगता है कि केन्द्रीय सहायता पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वहां से राज्य सरकार 665 करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन कैलेमिटी रिलीफ फंड के अलावा कोई फंड अभी तक नहीं पहुंचा। एडवांस में इंस्टालमेंट देने का वायदा किया है और इसलिए गुजरात में भारी फ्लड या बाढ़, उससे अरबों रुपये का जो नुकसान हुआ है, इसलिए अभी कोई कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से भी नहीं हो रही है।

मैं आपके थ्रू सरकार से यह कहना चाहता हूं कि गुजरात की भारी बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हजारों किसान आज ऐसी अवस्था में अपना जीवन जी रहे हैं कि उनके खाने के लिए और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए भी खाने की कोई सुविधा आज नहीं है। इसके लिए मेरी मांग है कि केन्द्रीय सहायता जो गुजरात सरकार की ओर से 665 करोड़ रुपये की मांगी गई है, इसके बारे में तुरन्त प्रधान मंत्री जी और इसके साथ-साथ हमारा जो रूरल डवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिनके पास अरबों रुपया वैसी कई योजनाओं के पड़े हैं, इसमें से गुजरात को तुरन्त सहायता दी जाये, जिससे किसान और बाकी जो लोग हैं; बाढ़ग्रस्त लोग इनको अच्छी तरह से जीवन बसर करना सम्भव हो सके। साथ-साथ जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसके भी ठीक करने में यह काम में लग सकें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : बाढ़ के ऊपर इतनी चर्चा हो चुकी है, अब और नहीं। ठीक है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : बिहार में बाढ़ राहत का कोई काम नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं। ऐसी खतरनाक स्थिति है...*(व्यवधान)* लोग मलेरिया से मर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, राहत का कुछ काम नहीं हो रहा है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मेरा नाम भी रह गया। मैं पहले भी इसका सवाल उठाता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, आप जो रोज बोलते हैं, आप कल बोलिएगा। *[अनुवाद]* अब हम मद सं० 9, नियम 377 के अंतर्गत मामले उठाएंगे।

श्री चिन्तामन वानगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो कुछ भी चिन्तामन वानगा कह रहे हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : एक मिनट लगेगा।

सभापति महोदय : कल बोल लेना, हम भी आपको समर्थन देंगे।

अपराह्न 2.11 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र में दहानू और नासिक के बीच एक रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामन वानगा (दहानू) : महाराष्ट्र में दहानू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत ठाणे और नासिक जिलों के जनजातीय क्षेत्र आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भी इस जनजातीय क्षेत्र के लोग शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। इस जनजातीय क्षेत्र में पर्वतीय तथा वन क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग अभी भी आय का कोई स्रोत न होने के कारण दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश अशिक्षित तथा बेरोजगार हैं। वे कुपोषण का शिकार हैं। उन्हें जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। उचित यातायात के साधनों के अभाव में जनजातिय लोगों के उत्थान के लिए सरकार की अनेक योजनाएं विफल हुई हैं। सड़कों तथा रेल सड़क और रेल सम्पर्क के अभाव में कोई भी उद्योगपति इस क्षेत्र में आना नहीं चाहेगा। दहानु-नासिक रेल सम्पर्क कायम करके इसे विकसित किया जा सकता है। इस रेल मार्ग से पश्चिम से दक्षिण राज्यों के बीच आवागमन में लगने वाले समय और दूरी में कमी हा सकती है तथा माल ले जाने में और यात्रियों को लाभ मिलेगा। इससे प्रस्तावित बधावन मैरिन हार्बर को भी लाभ मिलेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दहानु लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के सबसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से दहानु और नासिक के बीच तुरन्त रेलवे लाइन बिछाई जाए।

(दो) ताज ट्रेपीजियम क्षेत्र स्थित उद्योगों को गैस और विद्युत की अबाधित पूर्ति किये जानक

[अनुवाद]

श्री ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जलेसर का अधिकांश भाग ताज ट्रपेजियम क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में कांच व चूड़ी उद्योग फाउंड्री उद्योग और घुंघरू उद्योग में लाखों लोग रोजगार

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पाते थे। लेकिन प्रदूषण की समस्या के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार आगरा, टूण्डला, फिरोजाबाद व जलेसर में अधिकांश उद्योग बंद पड़े हैं। 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ताज ट्रपेजियम क्षेत्र में व उस क्षेत्र के उद्योगों के लिए अविलम्ब चौबीसों घंटे अबाध गति से गैस व विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चत कर कांच-फाउंड्री व घुंघरू उद्योग की रक्षा करें।

(तीन) देश में विशेषकर गुजरात में जवाहर रोजगार योजना के कार्यकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री एन०जे० राठवा (छोटा उदयपुर) : जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों को कराए जाने के लिए जो धनराशि आबंटित की जाती है, वह सरपंचों और निम्न स्तर के सामान्य लिपिकों के माध्यम से की जाती है। यह धनराशि किसी राजपत्रित अधिकारी को आबंटित न किए जाने के कारण इसका भारी दुरुपयोग किया जा रहा है।

इस विषय में यह बात भी दृष्टव्य है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जिन कार्यों को कराए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है, वह ग्राम पंचायत सदस्यों के माध्यम से की जाती है, जो बहुत ही दोषपूर्ण है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सरपंचों और निम्न स्तर के सामान्य लिपिकों के माध्यम से जो धनराशि आबंटित की जाती है, वह किसी राजपत्रित अधिकारी अर्थात कम से कम बी०डी०ओ० (खंड विकास अधिकारी) को की जानी चाहिए तथा इस योजना के अंतर्गत कार्यों को स्वीकृति प्रदान किए जाने का अधिकार तालुका प्लानिंग कमेटी को दिया जाना चाहिए और साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विशेषकर गुजरात राज्य को इस योजना के अंतर्गत जो धनराशि आबंटित की गई है इसकी विस्तृत जांच किसी निगरानी समिति द्वारा राज्यवार की जानी चाहिए।

(चार) दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन की स्थापना करने संबंधी आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार के लंबित प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

डा० टी० सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि कनेडियन इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेंसी, ओटावा ने संचार मंत्रालय, भारत सरकार को आधुनिक रेडियो एक्सेस द्वारा आंध्र प्रदेश में ग्रामीण तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का एक प्रस्ताव भेजा है। 'सीडा' का आंध्र प्रदेश में यह परियोजना क्रियान्वित करने का विचार है जहां प्रतिष्ठित दूरसंचार कम्पनी, बेल, कनाडा की दो संयुक्त उद्यमों यथा टाटा कम्यूनिकेशन तथा टाटा टेली सर्विज, के साथ भागीदारी है जो आंध्र प्रदेश में सेलयुलर मोबाइल रेडियो तथा मूल टेलीफोन सेवा लाइसेंस क्रियान्वित कर रही हैं। आंध्र प्रदेश का चुनाव सिनर्जी आश्वस्त क्षमता और टेलीकॉम आंध्रप्रदेश तथा दो निजी टेलीफोन कम्पनियों के सहयोग से परियोजना को शीघ्र पूरा करने के आधार पर किया गया है।

आंध्रप्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी तक सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अत:, आंध्र प्रदेश ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि वे सी०आई०डी० परियोजना को स्वीकार करें और इसकी स्वीकृति शीघ्र राज्य सरकार को भेजें। अत:, मैं संचार मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह मामले की जांच करें।

(पांच) उत्तरी बिहार में भारी वर्षा से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने हेतु बिहार राज्य सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, उत्तर बिहार में अत्यधिक वर्षा के कारण स्थिति अत्यन्त खराब हो गई है। दो-तीन दिनों की बारिश में ही पिछले बीस वर्षों का कीर्तिमान टूट गया था पर वर्षा रुकी नहीं। चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कें टूट गई। कच्चे मकान और झोंपड़ियां अतिवृष्टि में गिर गई। जान माल की अपार क्षति हुई है। समस्तीपुर की हालत तो और खराब है। सरकार से अनुरोध है कि इसका आकलन शीघ्र करवा कर राहत कार्य पर शीघ्र अमल किया जाए तथा गरीबों की सुविधा के लिए इस क्षेत्र में अतिरिक्त इंदिरा आवास निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए।

(छ:) उत्तरी छोटा नागपुर, बिहार में मूल्यवान पत्थरों के खनन संबंधी एक व्यापक नीति बनाये जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा (हजारीबाग) : सभापति जी, बिहार के छोटानागपुर में काफी बहुमूल्य पत्थर पाये जाते हैं किंतु सरकार की अस्पष्ट नीति के कारण बहुमूल्य पत्थरों की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है जिससे सरकार व देश को काफी नुकसान हो रहा है। इस संबंध में सरकार से आग्रह है कि ठोस नीति बनाए जिससे सरकार को लाभ हो। अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल इस पर कठोर कदम उठाए।

(सात) कर्नाटक में पवन चक्की फार्मों (विंड फार्मों) के लिए वन भूमि का आवंटन किए जाने की आवश्यकता।

[अनुवाद]

श्री के०सी० कोंडय्या (बेल्लारी) : कर्नाटक में तीव्र गति पवनों की पहचान की गई है जो केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही पाये जाते हैं तथा ये पहाड़ियां अधिकतर वनभूमि में पाई जाती हैं। इस समय वनभूमि का आवंटन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। कर्नाटक में, 2 मेगावाट विण्ड फार्म के निर्माण के लिए लगभग 15 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। इसलिए, मैं केन्द्रीय गैर-पारम्परिक ऊर्जा मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले को पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के साथ उठायें तथा यह सुनिश्चित करें कि वन भूमि के आवंटन का अधिकार वन के मुख्य संरक्षक, कर्नाटक को दिया जाये ताकि विण्ड फार्मों के निर्माण के लिए छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों का अधिग्रहण किया जा सके।

अपराह्न 2.19 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांग (रेल)—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम वर्ष 1997-98 के अनुदानों की अनुपूरक मांगो (रेलवे) पर चर्चा और मतदान करेंगे। श्री अनंत गंगाराम गीते।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : सभापति जी, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। राम विलास जी, रेलवे से संबंधित है। आज प्रात:काल से मुम्बई में स्टेशन मास्टर ने *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अलग नोटिस दीजिये।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यह विशेष जानकारी मुझे नोटिस देने के बाद ही प्राप्त हुई थी। इसलिए, संभवत:, मैं एक अलग नोटिस नहीं दे पाया था। ... *(व्यवधान)* श्री राम नाईक ने भी दूसरे विषय पर नोटिस दिया था।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : ऐसा है कि यह बात बराबर है। इसकी सीरियसनेस से हमको लगा था कि हमने जो अपील की थी, वह मान जाएंगे लेकिन स्टेशन मास्टर ने अपील नहीं मानी। यह केवल दो मिनट लेंगे। ... *(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा इतना ही कहना था कि आज प्रात:काल से स्टेशन मास्टर्स ने एक धीमी गति काम का आंदोलन शुरू किया है जिसके कारण यह आंदोलन जब रेल सेवा में होता है तो मुम्बई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन 25 घंटे की जगह 26 घंटे में जाती है। लेकिन जब वह उपनगरीय सेवाओं पर शुरू होती है, तो हर स्टेशन पर दो-दो मिनट करते-करते यात्री सड़क पर आ जाते हैं और आ गए हैं। इस कारण मुम्बइ में आंदोलन शुरू हुआ है। पूर्ण उपनगरीय सेवा ठप्प हुई है, बंद पड़ी है। मध्य रेलवे में आज कोई उपनगरीय रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। प्रात:काल यह स्थिति गंभीर नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे लोग जाने शुरू हुए, तो स्थिति इतनी गंभीर हुई कि इस क्षण आज हमारी सूचना के अनुसार मध्य रेलवे पूर्णत: बन्द है। यह दुर्भाग्य है और हम सब जानते हैं, एक करोड़ यात्री देश के रेल में प्रतिदिन बैठते हैं और आधे यात्री मुम्बई में बैठते हैं। मुम्बई में बैठे यात्रियों के लिए गत कुछ दिनों जैसे 6 अगस्त को ठाणे में आन्दोलन हुआ, 7 अगस्त तो मूला में आन्दोलन हुआ और जो भी आन्दोलन हो रहे हैं, इसके कारण लोगों को कष्ट हो रहा है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वे एप्रोप्रिएशन बिल पर जवाब देना चाहेंगे, तो उनका यह आन्दोलन और होगा। जो भी स्टेशन मास्टर की दिक्कते हैं, उन पर वे सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। स्टेशन मास्टर्स अपील कर रहे हैं और क्योंकि ये समस्यायें पांचवें वेतन से निर्मित समस्यायें हैं। मोटर-मैन भी हड़ताल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विद-ड्रा किया। तो आज स्टेशन मास्टर्स है, कल गार्ड और फिर कल कोई और। मुझे लगता है कि मुम्बई यात्रियों के लिए एक बड़ी समस्या होगी, अगर रेल मंत्री इस पर उन्हें आह्वान करें, तो कम से कम अभी रेल शुरू हो सकती है। इस दृष्टि से मैं केस मंत्री जी से विशेष प्रार्थना कर रहा हूं।

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि क्या मांगे हैं और किन मांगो को लेकर वे काम को स्लो कर रहे हैं। जहां तक पांचवे वेतन का सवाल है, वह सरकार के विचाराधीन है। उसके लिए फास्ट-ट्रैक कमेटी बनाई गई है। लेकिन किसी भी अधिकारी को करोड़ों लोगों की जान से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुम्बई में दो-दो मिनट में सबरबन ट्रेन्स चलती है। अगर स्टेशन मास्टर्स को शिकायत है, उसके साथ ज्यादती हुई है या उनको ड्राइवर से कम वेतन मिल रहा है यह रनिंग वाला नही मिल रहा है। इस पर सरकार विचार कर रही है। सिर्फ स्टेशन मास्टर्स का ही सवाल नहीं है और भी फोर्थ ग्रेड या दूसरे कर्मचारी है। इन चीजों को लेकर कोई कर्मचारी या अधिकारी मनमाने ढंग से काम स्लो करके पब्लिक के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो उचित नहीं है। जहां तक अपील करने का सवाल है, मामला सरकार के विचाराधीन है। लोगों को धैर्य से काम लेना चाहिए। इस चीज को तो आप भी एप्रिशिएट नहीं करेंगे। रामनाईक जी ने हमसे कहा था और हमने कहा था कि जो भी ग्रिवेंसेस हों, उनकी रिकागनाइज्ड यूनियन नहीं है और मैं एक मंत्री की हैसियत से किसी से भी बात कर सकता हूं और अधिकारी से बात कर सकता हूं। किसी से भी बातचीत किए बगैर, मुम्बई में 55 लाख पैसेन्जर्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, कहीं कोई पथराव कर रहा है, कहीं कोई आग लगाने का काम कर रहा है, तो उसको में समझता हूं कि भाई महाजन और रामनाईक जी भी एप्रीशिएट नहीं करेंगे। इस तरह की चीज को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सरकार विचार कर रही है और सरकार विचार करेगी। हर मुद्दे पर करेगी, सिर्फ इसी मुद्दे पर नहीं। ... *(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : जो धन्धा आपने शुरू किया है, इसको बन्द करवाइए। बम्बई में जो चल रहा है, इसको बन्द कराइए। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : बम्बई में जो आन्दोलन शुरू किया है, उसको बन्द कराइए। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वे शुरू नहीं कराए। वहां ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन है, वे आन्दोलन कर रहे हैं।

(व्यवधान)

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आन्दोलन करके ही तो सब आए हैं। कैसे बन्द हो जाएगा। ... *(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : सभापति महोदय, रेल मंत्री महोदय सदन में 39 पूरक मांगों को लेकर मान्यता प्राप्त करने के लिए उपस्थिति हुए हैं। इन 39 मांगों में दो मांगे सिर्फ महाराष्ट्र के संबंध में है। एक मांग मांडुप ठाणे से संबंधित संख्या 37 पर है और उपनगरीय रेल सेवा से संबंधित दो लाइनें 5 और 6 को आगे बढ़ाने के बारे में हैं। संख्या 39 पर कोंकण रेलवे कार्पोरेशन की इक्विटी बढ़ाना, यही दो मांगे इस सदन के सामने महाराष्ट्र के विषय में यहां पर हैं।

महोदय, इस 11वीं लोकसभा के पिछले अधिवेशनों में रेल बजट पर दो बार हमें बोलने का मौका मिला और हर बार जब रेल बजट के ऊपर इस सदन में चर्चा हुई तो महाराष्ट्र के रेल के दोहरीकरण के, अमान परिवर्तन के, नयी रेल के कई सुझाव, कई प्रस्ताव इस सदन के अंदर महाराष्ट्र के सदस्यों ने रेल बजट पर बोलते हुए रखे। इन अनुदानों की पूरक मांगों पर यहां पर चर्चा में बोलते हुए मैं इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि जब रेल बजट के ऊपर हम यहां पर कुछ सुझाव दें तो इस सदन के सदस्य होने के नाते अपेक्षा करते हैं कि रेल मंत्री जी उस तरफ ध्यान दें। यहां पर जो सदस्य मांग करते हैं वह मांग सदस्य की नहीं बल्कि जिस विभाग से, क्षेत्र से हम चुन कर आते हैं उस क्षेत्र की जनता की मांग इस सदन के सामने रखते हैं। लेकिन पिछले दो रेल बजट के दरम्यान जितनी भी मांगे महाराष्ट्र के सांसदों ने इस सदन के अंदर की और मैंने भी अलग-अलग सुझाव दिए, जो मांगें की गईं उनका जवाब रेल मंत्री जी ने दिया है। लेकिन मुझे यहां पर इस सदन में यह कहते हुए दुख होता है कि हमारे महाराष्ट्र के जितने भी साथी है, जिन्होंने यहां पर सुझाव दिए या मांगे की उनमें से एक भी सुझाव रेल मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया। रेल मंत्री जी ने एक भी मांग मंजूर नहीं की। उन्होंने हर सुझाव का जवाब इतने मीठे शब्दों में दिया कि उन्होंने हर सुझाव को, हर मांग को इनकार किया ... *(व्यवधान)*

महोदय, मुझे लगता है कि रेल मंत्री जी महाराष्ट्र के साथ कुछ सौतैला व्यवहार करने जा रहे हैं या सोतैला व्यवहार कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महाराष्ट्र को तो मंत्री जी ने बहुत कुछ दे दिया है।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या दिया है, वहीं तो मैं बता रहा हूं। रेल से जो रोजाना एक करोड़ दस लाख यात्री सफर करते हैं उनमें से आधे 55 लाख यात्री तो सिर्फ मुंबई उपनगरीय रेल सेवा के सफर करते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, पहली बार रेल मंत्री ने हिन्दुस्तान में डा० लोहिया जी के सपनों को साकार किया।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप बैठिए। मंत्री जी यहां पर हैं वे जवाब देंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मुंबई से देश के हर कोने में, हर राज्य में रेल जाती है। जितनी भी रेल गाड़ियां मुंबई से निकलती हैं वे पूरी भरी हुई निकलती है। आपको खाली रेल गाड़ी किसी समय भी दिखाई नहीं देगी। आज मुंबई की यह हालत है। आप दो-तीन महीने पहले भी जाओ तो आपको किसी भी राज्य में जाने के लिए रिजर्वेशन या बुकिंग नहीं मिलती। मैं इसलिए इस बात को सदन के सामने रखना चाहता हूं कि जो रेल का राजस्व है उसमें आधे से ज्यादा मुंबई और महाराष्ट्र से मिलता है। जब रेल को आधे से ज्यादा राजस्व महाराष्ट्र और मुंबई से मिलता है तो रेल मुंबई को क्या देता है ? रेल मंत्रालय ने पिछले दो बजट में क्या दिया ?

महाराष्ट्र एक प्रगतिशील राज्य है, तथा मुम्बई एक प्रगतिशील शहर है। वहां पर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में आज नये-नये शहर बनते जा रहे हैं। बड़े-बड़े औद्योगिक शहर आज महाराष्ट्र में खड़े हो गये हैं। रेल की मांग महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है लेकिन रेल मंत्री जी महाराष्ट्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। सदन में हमारे सहयोगी सदस्य चाको जी ने एक बार एक मांग की थी। वह एक रेल वाया मुम्बई चलवाना चाहते थे। उन्हें तब एक माननीय सदस्य ने टोका था कि अगर आप मुम्बई के लिए मांग करोगे तो आपकी मांग पूरी नहीं होगी। इस तरह से आज महाराष्ट्र और मुम्बई की तरफ देखा जा रहा है। पिछली दो बजट स्पीचों में हमने कोंकण रेलवे के बारे में सुझाव दिये। कोंकण रेलवे कुर्ला से सावेतवाडी तक चल रही है। इस वर्षा के मौसम में यह रेल आठ-आठ, पन्द्रह-पन्द्रह दिन तक बंद रही।

अपराह्न 2.32 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

इस रेल को सही ढंग से चलाने के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वह नहीं दी गयीं। कोंकण रेल नयी है, अनुभव नया है, मैं इस बात को मानता हूं। पहाड़ी इलाका है, कही स्लाइडिंग हो गया, पानी भर गया और 8-8, 15-15 दिन तक यह रेल वर्षा के दिनों में बंद रही। उपाध्यक्ष जी, रेल न चलने से नुकसान कोंकण वासियों का हुआ, जहां से रेल गुजरती है। जब दुर्घटना होती है तो गाय, भैंस या बैल के मरने से नुकसान किसान को भी होता है। गाय या बैल की जितनी कीमत किसान को महसूस होती है उतनी किसी को नहीं होती, क्योंकि किसान का जीवन गाय, भैंस या बैल पर पूरी तरह से निर्भर होता है। रेल के लिए जो टनल बनाए गये हैं वे अच्छे हैं लेकिन आप देखें कि रेल लाइन पर दुर्घटनाओं में जितने बैल-गाय या भैंस मरी हैं वे वहां मरी हैं जहां पर टनल खत्म होती है क्योंकि ये पशु आती हुई गाड़ी को देख नहीं पाते हैं और दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। किसान का बैल मर जाए, गाय मर जाए, या भैंस मर जाए तो उसका जीवन उजड़ जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। कोंकण रेलवे कोरपोरेशन ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया हे कि टनल से बाहर जब गाड़ी आती है तो ये पशु गाड़ी को देख नहीं पाते हैं और चार-चार, और पांच-पांच पशु रेल के नीचे आ जाते हैं। ये पशु वहां पर चरने के लिए चले जाते हैं। मेरा आपसे अनुरोध हे कि जहां टनल खत्म होता है और गाड़ी बाहर निकलती है वहां पर कम से कम 100 मीटर लम्बी रेलिंग की जरूरत है, क्योंकि गाय, बैल और भैंस वगैरह पशु चारे के लिए वहां घूमते रहते हैं। उन्हें ये पता नहीं चलता कि ट्रेन कब टनल से बाहर आएगी ? ट्रेन उनके पास आ जाती है। टनल के दोनों तरफ 100 मीटर लम्बी लोहे की रेलिंग होनी जरूरी है। इससे जानवरों की हानि होने से बच सकती है।

कोंकण रेलवे पहाड़ी से गई है। कोंकण में सरप्लस लैंड कहीं दिखायी नहीं देती। वह पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ों को तोड़ कर किसान खेती कर रहे हैं। उनके खेत उसके पूर्व और पश्चिम में है। वहां कई ऐसी जगह हैं जहां प्राइमरी और दूसरे बड़े-बड़े स्कूल है। बच्चे पटरी क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। पिछले दिनों पेन रेलवे स्टेशन के नजदीक एक एक्सीडेंट हुआ जिस में दो लड़कियां मर गईं। वहां के जन प्रतिनिधियों और सरपंच ने कई बार मांग की कि जिन गांवों, बस्तियों और स्कूल्स के पास से जो ट्रेन गुजरती है, वहां पैडस्ट्रियन ब्रिज होना जरूरी है जिससे पटरी क्रॉस करके विद्यार्थी न जा सकें लेकिन हमारी यह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। इससे वहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओ आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि बड़े गांवों में जहां स्कूल, कालेज के पास से ट्रेन जाती है वहां पैडस्ट्रियन ब्रिज बनाया जाए। पनवेल से लेकर सावंतवाड़ी तक मुश्किल से 2-4 पैडस्ट्रियन ब्रिज दिखायी देते हैं। इनकी संख्या बढ़ाया जाना जरूरी है।

कोंकण को दादर से चलाने के बारे में हम हमेशा मांग करते आ रहे हैं। हम आज भी इसकी मांग करते हैं। यह मांग हम सांसदो की ही नहीं है, यह मांग कोंकण और मुम्बई की जनता की भी है। कोंकण रेल रिकॉर्ड समय से पूरी हो गई। शायद यह पहली ऐसी रेल है जो कम से कम समय में पूरी हो गई। यही कारण है कोंकण की जनता ने इसका स्वागत किया। कोंकण की जनता को यह सपना लगता था। उनका वह सपना सत्य हो गया। इसका स्वागत मुम्बई की जनता ने किया कोंकण के लोग रोजी रोटी के लिए मुम्बई आते हैं। 50 परसैंट से ज्यादा लोग खास तौर से युवा पीढ़ी मुम्बई, थाणे, पूणे आदि बड़े शहरों के कारखानों में काम करने के लिए आती है।...*(व्यवधान)* मुम्बई कोंकण का हिस्सा है। मुम्बई, थाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग इन पांच जिलों का कोंकण है। कोंकण की जनता की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। जिस कुर्ला टर्मिनस से यह गाड़ी निकलती है, वहां कुर्ला का उपनगरीय रेलवे स्टेशन है। जिस खेड तहसील में मैं रहता हूं, वहां के रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए कुर्ला से टिकट 37 रुपए है। जब हम लोकल ट्रेन से कुर्ला स्टेशन पर उतरते हैं, वहां से कुर्ला टर्मिनस रिक्शा में जाने पर 40 रुपए लगते हैं। यह ट्रेन गरीबों और किसानों के लिए है। यह ट्रेन वहां के विकास के लिए बनायी गई। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। कुर्ला टर्मिनस ऐसी जगह है जहां कोई दूसरी सुविधा नहीं है। इसे दादर से चलाने की क्यों मांग है ? दादर मुम्बई का केन्द्र है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : कुर्ला स्टेशन से यात्रियों को सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके लिए रेल विभाग को क्या करना होगा और स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है ? अगर आप इस पर बतला दें तो अच्छा होगा। चूंकि मुम्बई का इलाका डैवलप हो रहा है। हर इलाके को डैवलप होना चाहिए। कुरला के डैवलपमेंट में रेलवे क्या योगदान दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें क्या दायित्व है, इस पर जरा प्रकाश डालें तो हमारी जो गलती होगी उसकी हम छानबीन करेंगे और अगर स्टेट गवर्नमेंट का दायित्व होगा, तो

[श्री राम विलास पासवान]

उनको भी पूरा करना चाहिए। चूंकि कुरला तो मुम्बई में है और आज तक वह डैवलप नहीं हुआ है और लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, कुरला टर्मिनस नाम है लेकिन वह टर्मिनस कुरला में नहीं है। वह घाटकोपर में है जहां लोकमान्य तिलक नगर नाम की बहुत बड़ी हाउसिंग कालोनी है। कुरला स्टेशन से जब यात्री निकलेगा तो कुरला स्टेशन के पूर्व की तरफ बाहर आकर टैक्सी या आटोरिक्शा में उसे जाना चाहिए, वैसी कोई सुविधा नहीं है। रास्ता इतना छोटा है कि कलोनी में से जाता है। वहां पर जब वह टैक्सी या रिक्शा में जाएगा तो हमारे यहां ट्रेन दिन में एक बार चलती है। टैक्सी और ट्रेन के पैंसेजर हजारों हैं। एक ट्रेन निकलती है और दो ट्रेन रात के समय में निकलती हैं। 40 रुपया रिक्शा को दिये बिना कोई वहां से नहीं जा सकता। वहां कोई दूसरी सुविधा नहीं है। यह तो मैं कुरला से कुरला टर्मिनस जाने की बात कर रहा हूं लेकिन कुरला टर्मिनस से कहीं भी मुम्बई में जाना हो तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। या तो कुरला स्टेशन पर या मांडुप स्टेशन जाना पड़ता है। इस असुविधा के कारण मांग हो रही है और दूसरी बड़ी बात यह है कि दादर सेंटर मार्केट है। दादर में सब्जी का मार्केट है, फल का मार्केट है, अनाज का मार्केट है, और ज्यादातर कोंकणवासी लोग सिटी में रहते हैं। जो ओरिजिनल मुम्बई शहर में रहते हैं, उपनगर में रहते हैं, दादर एक ऐसी जगह है कि आप रात के किसी भी समय दादर में जाएंगे तो आप वहां से अपने घर आ सकते हैं लेकिन आप कुरला से नहीं जा सकते। तो यह मांग किसलिए है ? यह किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। न इसमें किसी को दिलचस्पी है कि दादर से रेलवे छूटेगी तो इसका श्रेय किसे मिलेगा। इसका श्रेय हमारे शिवसेना प्रमुख को मिलेगा या इसका श्रेय हमारे राम विलास पासवान जी को मिलेगा ? हम तो उनको भी श्रेय देने के लिए तैयार है। यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है। आपकी पार्टी जनता दल के लोगों ने भी मांग की है। यह मांग जनता की मांग है और मैं समझता हूं कि आज जब हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं तो हमारे रेल मंत्री नहीं चाहते होंगे कि हमारे देश की जनता सड़क पर उतरे। इस बात को सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जनता सड़क पर क्यों उतरती है। यदि यह मांग पूरी नहीं होगी तो कोंकण की जनता सड़क पर उतरेगी, यह हकीकत है। इसलिए दादर से रेल छूटने के बारे में आपको गंभीरता से सोचना होगा। आप मुम्बई के सांसदों की एक मीटिंग बुलाइए और उसमें रेल अधिकारियों को भी बुलाइए कि क्या रास्ता निकलता है। उसमें हम भी आपको सहयोग देंगे।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष जी, एक नये विषय पर आज मुम्बई में चर्चा हो रही है। दादर रेलवे स्टेशन का नामांतर करने की घोषणा हमारे रेल मंत्री जी करके आए। आज तक उस दादर का नाम चैत्य भूमि रखने की मांग सिर्फ दो लोगों ने की। और किसी ने भी आज तक मांग नहीं की। जिन दो लोगों ने मांग की है वह भी 1997 में मांग की है। एक हैं श्री उपेन्द्र शेन्दे, एम०एल०ए० और दूसरे हैं सुनील कोहली, अध्यक्ष, उत्तर मुम्बई जिला युवक कांग्रेस। इन दोनों को रेलवे ने जवाब दिया है। रेलवे के चीफ कॉमर्शियल मैनेजर ए०के० सिन्हा ने शेन्दे जी को जवाब दिया है कि यह हमारे बस की बात नहीं है। नाम देना या नामांतर करने के लिए आप सेंटर में होम अफेयर्स मिनिस्ट्री से संपर्क करें। इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट से विनती करनी चाहिए—आपके चीफ कौमर्शियल मैनेजर, श्री ए०के० सिन्हा जी द्वारा उपेन्द्र शिंदे जी को यह जवाब 13 फरवरी, 1997 को भेजा गया। महाराष्ट्र सरकार के डैस्क ऑफिसर ने भी श्री सुनील कोहली को जवाब दिया कि यदि किसी जगह का नामान्तरण करना हो, नाम बदलना हो तो उसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमेंट के होम डिपॉर्टमैंट ने कुछ गाइडलाइन्स निर्धारित की है, और उन गाइडलाइन्स के मुताबिक ही नामान्तरण किया जाता है, नाम बदला जाता है। उन गाइडलाइन्स में स्पष्ट लिखा है कि जिस स्टेशन का नाम बदलना है, उसके लिए यदि उचित कारण मौजूद हों या कोई घटना विशेष हो, उसी अवस्था में नाम बदला जा सकता है लेकिन किसी ऐतिहासिक जगह का नाम नहीं बदला जा सकता। इसके लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और उस राज्य की सरकार को विश्वास में लेना जरूरी है। ऐसी कई गाइडलाइन्स हैं, जिनके अनुसार किसी स्टेशन का नाम बदला जा सकता है।

उपाध्यक्ष जी, मेरी समझ में यह बात नही आती कि जब महाराष्ट्र में एक घटना हो गई, जिसका पूरे देश में रिएक्शन हुआ, उस घटना को लेकर इस सदन में 13 घंटे चर्चा हो गई जिसके कारण महाराष्ट्र में वातावरण बिगड़ा था, अब वह शांत हो गया है, अब हमारे रेल मंत्री जी को कैसे याद आ गया कि दादर का नाम बदलकर चैत्यभूमि कर दिया जाए। आज अखबारों में इससे भी बढ़कर आया है, उनका ब्यान कई अखबारों में इससे भी बढ़कर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नियम देखेंगे, प्रावधान देखेंगे और यदि हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा तो नाम बदल देंगे—आखिर रेल मंत्री जी इससे क्या चाहते हैं ? जब मुम्बई शहर के सभी लोगों ने इसका विरोध किया है, दलित नेताओं ने विरोध किया है, आज के मराठी अखबारों में मुम्बई के दलित नेता नामदेव ढसाल का लेख आया है जिसमें उन्होंने रेल मंत्री जी से विनती की है, प्रार्थना की है कि पहले आप बिहार के बौद्धगया का मसला हल कीजिए, उसके बाद चैत्यभूमि की चर्चा कीजिए। मैं यहां राजनीति में जाना नहीं चाहता लेकिन जो शहर पहले बिल्कुल अंगार के कटघरे पर खड़ा था, लेकिन आज शांत हो गया था, रेल मंत्री जी फिर से उसी विषय को उठाकर क्या चाहते हैं जबकि हर पार्टी उसका विरोध कर रही है।

जब भी दादर रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तन का मामला आता है हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह एक ऐतिहासिक जगह है, देश की आजादी में दादर का एक अहम महत्व है, आजादी की जंग हमारे आजादी के सेनानियों ने दादर से लड़ी थी, दादर का एक इतिहास है, दादर रेलवे स्टेशन मुम्बई की जनता का अभिमान है—फिर सवाल है कि उसका नाम बदलने की क्या जरूरत है ? इससे पहले रेल मंत्री जी को कभी याद नहीं आया कि दादर का नाम बदलकर चैत्यभूमि कर दिया जाए, फिर आज क्यों इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर का निर्वाण दादर में हुआ था, उसी दिन से वह चैत्यभूमि है लेकिन आज तक कभी मांग नहीं हुई फिर आज मांग क्यों की जा रही है।

उपाध्यक्ष जी, जहां शून्यकाल के दौरान हमारे साथी मोहन रावले जी ने एक प्रश्न उठाया था।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : यह बात सही है कि कांग्रेस के यूथ प्रेजीडेंट ने मांग की है, यह भी सही है कि दलित नेताओं ने मांग की है, यह बात भी सही है कि जनता दल के लोगों ने मांग की है लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि वहां की ट्रैज़री बैंच और यहां विपक्ष के नेताओं में भी मांग की है। यदि आप चाहें तो मेरे पास श्री प्रमोद महाजन जी की 3 मई, 1997 की एक चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने ऐसी मांग की है—फिर आप किस आधार पर बोलते हैं कि सभी ने इसका विरोध किया है।

अब क्या आप यह कहना चाहते हैं कि श्री प्रमोद महाजन बी०जे०पी० के नेता नहीं हैं या मुंबई से उनका कोई मतलब नहीं है ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष जी, प्रमोद महाजन जी ने 1997 में जो मांग की है, उसका जिक्र हमारे रेल मंत्री जी ने किया है। उन्होंने मई महीने में मांग की है।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : जब आप मेरे ऊपर चार्ज लगाते हैं कि रेल मंत्री राजनीति करते हैं, तो आप उनके बारे में भी कहिए कि वे भी राजनीति करते हैं मैम्बर आफ पार्लियामेंट हमें चिट्ठी लिखे या पार्टी का कोई नेता हमें चिट्ठी लिखे, तो क्या हम उस काम को नहीं करे ? अगर हम उस पर ध्यान दें, तो आप हम पर ऐसा चार्ज लगाएं कि हम राजनीति करते हैं। क्या आपके कहने का मतलब यह है कि बाकी सब पार्टी के नेता राजनीति करते हैं सिर्फ शिव सेना के नेता राजनीति नहीं करती हैं ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर जितने भी नेता हैं वे सब राजनीति करते हैं और राजनीति के कारण ही यहां हैं या पार्टी में हैं। राजनीति से हटकर कोई नेता नहीं है। राजनीति की वजह से ही हम यहां आए हैं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है।... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : समय 3 मई, 1997 है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि मुंबई को वापस अंगार के ऊपर लाने की कोशिश मत कीजिए। मुंबई शांत है, शांत ही रहने दीजिए। मुंबई का शांत रहना इस देश के हित में है और रेल के हित में भी है। देश के कुल राजस्व का एक-तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र राज्य से आता है। मुंबई को अशान्त करने से दिल्ली को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि मुंबई का शान्त रहना देश के हित में है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा बयान हमने अखबारों में पढ़ा है जिसमें लिखा है कि जो गोलीकांड हुआ उसमें जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को रेल में नौकरी दी जाएगी। उनको नौकरी मिले, उससे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब उसका लाभ राजनीति करने के लिए क्या जाता है।, तो उससे हमारा विरोध है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब से पासवान जी रेल मंत्री बने हैं, तब से इस देश में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें मारे गए कितने लोगों को मंत्री महोदय ने रेल में नौकरी दी है ? राम विलास जी को मंत्री बने हुए आज दो वर्ष होने वाले हैं, लेकिन वे एक भी ऐसा उदाहरण बताएं जहां इस प्रकार की बात कही गई हो, जैसी इस अखबार के माध्यम से कही गई है। मैं समझता हूं कि पिछले दो सालों में हुई दुर्घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए होंगे लेकिन उनमें से कितने परिवार वालों को आपने नौकरी दी है। फिर आज ही यह क्यों कहा जा रहा है कि उनको रेल में नौकरी दी जाएगी। यह राजनीति नहीं है, तो और क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह उनकी जिम्मेदारी है और मुझे ऐसा लगता है कि वे अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से निभा नहीं पा रहे हैं। इसलिए नेता बनकर दलितों की राजनीति कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाओं में जितने भी लोग मरे हैं, तो मंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनके परिवार को चलाने के लिए रोजगार मुहैया करवाएं, लेकिन आपने किसी को भी रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया है, तो आज सिर्फ उन्हीं को क्यों नौकरी दे रहे हैं ? क्या यह राजनीति नहीं है ? आप नेता हैं, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नेता बनकर ऐसी राजनीति तो मत करिए जिससे शांति भंग हो जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने जो सवाल है, वह धर्मनिरपेक्षता का सवाल है। धर्मनिरपेक्षता को इस तरफ से रोका जाता है। इसलिए मैं अपने प्रधान मंत्री महोदय से सीधे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप धर्म की राजनीति को खत्म करने जा रहे हैं और जाति की राजनीति शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रकार से आपकी सरकार का काम करने का जो तरीका है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस संघर्ष में नही जाना चाहते हैं कि कौन दलित हैं और कौन नहीं। हम तो यह कहना चाहते हैं कि जो दलित हैं चाहे वे हिन्दू दलित हैं या कोई और, वे सब इसी भूमि के पुत्र हैं। उनका जन्म इसी भूमि पर हुआ है। हम एक प्रकार के दलित और दूसरी प्रकार के दलित में कोई भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। हमारा खून और उनका खून एक ही है। हम यह नहीं मानते हैं कि उनमें और हम में कोई अन्तर है। लेकिन राजनीति के लिए दलितों को उकसाने का जो काम हो रहा है उसका हम विरोध करते हैं। महाराष्ट्र के साथ मत्री जी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उसका यह अनुभव यहां पर है। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप रेल मंत्री सारे देश के हैं, हिन्दुस्तान के हैं, किसी वर्ग विशेष के नहीं।

अपराह्न 14.55 बजे

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल की अनुपूरक मांगों पर बोलने से पहले मुझे यह कहना है कि ओपोजिशन में रहने का मतलब यह नहीं है कि अगर सरकार का कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ न की जाये। श्री पासवान जी ने बहुत मेहनत की है। हर पार्टी के संसद सदस्यों से वे आसानी से मिले उनकी बातों को सुना और उसे पूरा करने की कोशिश की। इसके लिए मैं उनकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता और मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उन्होंने हिम्मत करके दादर का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करने का मंसूबा किया। यह स्वागत योग्य है। दादर वह जगह है जहां बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में सामाजिक क्रांति लाने का अभियान चलाया। दादर की बहुत सारी यादें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से बाबस्ता हैं। जब एक या दो बार उत्तर प्रदेश गये तो उत्तर प्रदेश में उनके नाम का जिला बन गया। उनके नाम से यूनीवर्सिटी बन गयी। पुरानी यूनीवर्सिटी का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया गया तो अगर दादर का नाम बाबा साहेब के नाम पर नहीं जायेगा तो आखिर वह कौन सी जगह होगी जो उनके नाम से मनसूब की जायेगी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है लेकिन यदि एक परिवार के नाम से पूरे देश में नाम रखे जाते रहे, सड़कें, अस्पताल, कालेज, कालोनियों से लेकर एयरपोर्ट तक के नाम एक खानदान के नाम मनसूब किये जाते रहे तब किसी को कोई एतराज नहीं हुआ। लेकिन जिस आदमी ने मानवता के साथ सबसे बड़ा अहसान किया, जिस आदमी ने जिंदगी भर संघर्ष करके हजारों साल की सामाजिक व्यवस्था को चकनाचूर करने का काम किया, उसके नाम से कुछ रखा जाता है तो हर तरफ से एतराज किया जाता है।

मैं पासवान जी को मुबारकबाद देता हूं कि आपने हिम्मत से काम करके दादर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा साहेब की चेत भूमि से जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, रखने का ऐलान किया। श्री पासवान जी ने और भी बहुत से अच्छे काम किये। बड़े काम किये। कोंकण रेलवे में उन्होंने खुद बहुत दिलचस्पी रखी। जो असंभव काम समझा जाता था, वह संभव हुआ।... *(व्यवधान)* पहले से चल रहा था। मैं यह नहीं कह रहा हूं।... *(व्यवधान)* मैं जानता हूं कि एक साल दो साल... *(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। मुझे बाखूबी मालूम है कि एक साल, दो साल में दुनिया की कोई ताकत कोंकण रेलवे नहीं बना सकती थी। वह पहले से बन रही थी। मैं मानता हूं कि इनके आने के बाद जो टिपीकल काम बाकी रह गये थे, वह तेजी से निपटाये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ सप्लीमैंट्री डिमांड के बारे में कहिये।

श्री इलियास आजमी : मैं उसी पर आ रहा हूं। मुझे उनसे शिकायत है कि मेरा क्षेत्र जो रेलवे के लिहाज से बहुत पिछड़ा है, उस पर ध्यान तो दिया लेकिन उसकी स्पीड इतनी स्लो है जितनी की आपकी जितनी रेलें चलती हैं उनमें जो सबसे कम स्पीड की रेल होगी, शायद उससे भी ज्यादा स्लो उन्होंने कर रखी है। इसी सदन में आपके बजट भाषण में मैंने बहुत प्रयास किया था तो आपने ऐलान किया था कि गोला से मोहम्मदी होकर, शाहजहांपुर से होकर फरूखाबाद तक नई रेल लाइन बनायी जायेगी। बीच

[श्री इलियास आजमी]

में मैंने उनसे बात भी की। उनका खत भी आया कि नार्दर्न ईस्टर्न रेलवे उसका सर्वेक्षण कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और श्री पासवान जी यहां बैठे हुए हैं कि इस बात को एक साल हो गया और आज तक मौके पर कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ। कोई टीम नहीं गयी है। जमीन की कुछ नाप-जोड़ करने या नक्शा बनाने की कि रेलवे लाइन किधर से गुजरेगी, किन जमीनों से गुजरेगी, कहां-कहां रेलवे स्टेशन बनेंगे आदि इसलिए मैं कहूंगा कि आपको जो समय मिला है उसमें आप कुछ कर दीजिए, नहीं तो आगे पता नहीं क्या होता है ? कितने दिन आपकी सरकार रहती है। कुछ काम तो हो जाये। *(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के सिर्फ तीन मिनट हैं। जरा जल्दी कनक्लूड कीजिए।

श्री इलियास आजमी : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

वहां जमीन पर कोई सर्वे अब तक नहीं हुआ। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से कहूंगा कि वहां जमीन पर भी सर्वे का काम शुरू करवा दीजिए ताकि जनता का उत्साह बढ़े। जमीन लेने में जो समस्याएं खड़ी होती हैं, यदि मुझे पता लग जाए कि लाइन कहां से जाएगी तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जमीन का कोई विवाद उसमें न आने पाए। शाहजहांपुर, लखनऊ-दिल्ली मार्ग पर पड़ता है। सारी सुपरफास्ट ट्रेनें शाहजहांपुर रुकती है। हरदोई उससे पहले पड़ता है। हरदोई जिला शाहजहांपुर जिले से ड्योढ़ा बड़ा है, ड्योढ़े से ज्यादा आबादी है। हरदोई में कई ट्रेनें ऐसी नहीं रुकती जो शाहजहांपुर रुकती हैं। मैंने बहुत से पत्र लिखे। जवाब आया कि हरदोई होकर दिल्ली में बहुत सी ट्रेने आतीं हैं। मैं पासवान जी को बताना चाहता हूं कि बिहार से जो ट्रेने गुजरती हैं, उनकी छते भी भरी होती हैं। अंदर जाने की गुंजाइश नहीं होती। यदि वह हरदोई में रुकती भी है तो उसमें कोई आदमी सवार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि 375 और 376 डाउन पैंसेजर ट्रेन जो दिल्ली शाहजहांपुर के बीच में चलती है, उसे बालामऊ तक बढ़ा दें तो कम से कम लोगों को पैंसेजर का लाभ ही मिल जाए। कई लैटर आए कि उसमें यह परेशानी है, वह परेशानी है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सके।

हाल में मैंने रिक्वैस्ट की थी कि शाहबाद, जिसकी आबादी एक लाख से ज्यादा है, में कोई ट्रेन नहीं रुकती। मैंने कुछ ट्रेनों के लिए रिक्वैस्ट की थी। पासवान जी ने एक बार आदेश भी किया था जिसकी उनके अधिकारियों ने फाइल गायब कर दी थी। उसका कमप्लायंस नहीं हुआ। जब से मैं अर्ज कर रहा हूं तब से एक ट्रेन और थी जम्मू तवी-सियालदाह एक्सप्रैस, जो पहले शाहबाद में रुकती थी। उस बीच जब मैं और ट्रेन रुकवाने का प्रयास कर रहा था तो जो रुकती थी, वह भी कट हो गई। उसकी तरफ भी खास तौर से ध्यान दें।

शाहबाद जो पहले फल पैदा करता था, राज्य सरकार ने वहां के 90 गांवों समेत उसे फल पट्टी क्षेत्र घोषित कर दिया जिसकी वजह से उस क्षेत्र का विकास तेज रफ्तार से होने की उम्मीद हो गई है। इसलिए भी जरूरी है कि शाहबाद में उन ट्रेनों को स्टॉपेज दिया जाए। केन्द्र सरकार की स्कीम भी वहां जाएगी। फल पट्टी क्षेत्र घोषित होने से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी भी रहेंगे। इसलिए सबकी सुविधा के लिए यह जरूरी है कि वहां कुछ ट्रेने और रोकें। *(व्यवधान)*

मैंने कभी भी चेयर की मर्जी के खिलाफ धांधली करके ज्यादा समय नहीं लिया है। इसलिए मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं। आपने शाहगंज-मऊ का आमान परिवर्तन करके बड़ी लाइन से जोड़ दिया। यह बहुत अच्छा काम किया। दिल्ली को भी आपने उस क्षेत्र से कनैक्ट कर दिया। आजमगढ़ के लाखों लोग विदेशों में रहते हैं। लाखों लोग मुम्बई और दूसरी जगहों में आते हैं। अब तक उनकी परेशानी थी कि उनको बनारस उतरना पड़ता था। दिल्ली से जाने वालों को भी परेशानी थी। आपने अच्छा किया कि वह ट्रेन उस रूट में चला दी। मेरे पास आपका पत्र आया था कि अभी मुम्बई की सीधी सर्विस के लिए संसाधनों की कमी है। असल जरूरत तो मुम्बई की है। मैं मुम्बई कह रहा हूं। आपको ऐतराज था कि नाम क्यों बदला जा रहा है। बम्बई का भी एक इतिहास था और आपने उस इतिहास को नजरअंदाज करके बम्बई का नाम बदला था। दादर का भी इतिहास है। नाम बदल जाएगा तो कोई फर्क नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुम्बई की ट्रेन के लिए यदि आप चाहेंगे तो संसाधन जुट जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मऊ से शाहगंज-जौनपुर इलाहाबाद तक स्टॉपेज ज्यादा दीजिए। इलाहाबाद के बाद सुपरफास्ट करके 2-4 स्टॉपेज देकर एक ट्रेन जरूर इस रूट में दीजिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। किस प्रकार का वक्तव्य माननीय मंत्री सभा को प्रस्तुत करने जा रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह दुर्घटना से संबंधित वक्तव्य है।

श्री राम नाईक : यह शिष्टाचार है कि यदि कोई मुद्दा कार्य सूची में शामिल नहीं हो पाया, उस मुद्दे की जानकारी माननीय सदस्यों तक पहुंचा दी जाती है और उसे सी०सी०टी०वी० में भी दर्शाया जाता है ताकि जो माननीय सदस्य केन्द्रीय कक्ष अथवा ग्रंथालय में हैं, आ सके और मंत्री द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य को सुन सके। यह सामान्य शिष्टाचार इस सभा में भी दर्शाया जाना चाहिए। जब भी वक्तव्य को प्रस्तुत किया जाए, जानकारी पहले से ही दे दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय अध्यक्ष ने पहले ही अनुमति दे दी है। भविष्य में ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री राम नाईक : मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन, अतत: शिष्टाचार की यह मांग है कि माननीय सदस्यों को सूचना दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में ऐसा कर दिया जाएगा।

अपराह्न 3.06 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की ठोस विस्तार परियोजना में 8.8.1997 को हुई दुर्घटना

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं 8.8.97 को मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० की ठोस विस्तार परियोजना में दुर्घटना से संबंधित स्वत: वक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

चैन्नई के निकट मनाली में मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० की ठोस विस्तार तथा आधुनिकीकरण परियोजना के प्रारम्भण के अंतिम चरण के दौरान 8.8.97 की रात्रि में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। 9.13 रात्रि को सैकेण्डरी रिफॉमर आर जीबायलर सैक्शन में एक मेन होल बड़ी जोर की आवाज से फटा इस शोर ने उन ठेके के कुछ मजदूरों को चौंका दिया जो इन्सूलेशन तथा यांत्रिक कार्यों में व्यस्त थे। भय से घबरा कर भागते हुए 25 मजदूरों को अनेक प्रकार की चोटें आईं। 2 घायल मजदूरों की बाद में मृत्यु हो

गई और जो घायल अस्पताल में भर्ती किए उन्हें जल्दी ही छुट्टी मिलने की आशा है।

इस दुर्घटना के 2 मिनट के भीतर, इस संयंत्र को सुरक्षित रूप से बंद करने को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण कक्ष द्वारा उचित कार्रवाई की गई। नुकसान की मात्रा गम्भीर न होने की आशा की जाती है। तथापि, उपस्कर ठण्डा हो जाने पर 2-3 दिनों के बाद ही बिल्कुल ठीक मूल्यांकन सम्भव हो पाएगा।

डा० जी०बी० पुरोहित, सलाहकार, उर्वरक विभाग को घटना स्थल का जायजा लेने तथा आरम्भण कार्यकलाप फिर से शुरू करने में परियोजना प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए 9.8.97 को भेजा गया था।

10.8.97 को दुर्घटना के शिकार लोगों को देखने तथा उनकी देखभाल की पूछताछ के लिए मैं स्वयं चैन्नई गया श्री एन०वी०एन० सौमू, रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री, जो कि उस क्षेत्र के संसद सदस्य भी है, श्री सुन्दरम, राज्य मंत्री, तमिलनाडु सरकार और श्री अनिल कुमार, सचिव (उर्वरक) भी मेरे साथ गए। दुर्घटना में मारे गए हरेक परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता की घोषणा की गई है। गम्भीर रूप से घायल 16 मजदूरों में से हरेक को 10,000 रुपए तथा कम घायल 7 मजदूरों में से हरेक को 5,000 रुपए की अनुग्रह सहायता दी जानी है।

मैंने भी एम०एफ०एल० के प्रबन्ध तंत्र से वार्तालाप करने तथा इस परियोजना के निष्पादन को गति प्रदान करने के लिए परियोजना के प्राधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए इस संयंत्र का दौरा किया। आशा की जाती है कि आरम्भण कार्रवाई शीघ्र पुनः शुरू हो जाएगी।

एम०एफ०एल० के प्रबन्ध तंत्र ने दुर्घटना का कारण मालूम करने तथा उपस्कर की विफलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। इस समिति में एक बाह्य विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया है जिनसे 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आशा की जाती है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक ही दिन में दो एक्सीडेंट हुए। आठ तारीख को एक एक्सीडेंट का वर्णन आप कर रहे हैं। दूसरा एक्सीडेंट दक्षिण पूर्वी रेलवे के हावड़ा टिकियापाड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच में हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें रेलवे स्टेशन कहां से आ गया ?

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : यह ठीक है कि इसमें कोई मरा नहीं, यह लोकल गाड़ी थी। लोकल गाड़ी *(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : यह रेलवे एक्सीडेंट का स्टेटमेंट नहीं है। यह दूसरे डिपार्टमेंट का है, रेलवे का नहीं है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : मुझे पता है, यह दूसरे डिपार्टमेंट का है। मेरा निवेदन है कि माननीय रेल मंत्री ने आज प्रातःकाल एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट देते समय माननीय रेल मंत्री जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने सो मोटो स्टेटमेंट दिया है, क्या रेल मंत्री जी का कर्तव्य नहीं बनता कि सो मोटो उनकी तरफ से रेल एक्सीडेंट का स्टेटमेंट देते। एक मंत्री तो वक्तव्य दे रहे हैं, दूसरे मंत्री ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होता हो *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब रेलवे पर ही डिस्कशन हो रहा है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : इसी सप्ताह में दो दिन में यह तीसरा एक्सीडेंट हो रहा है। मेरा निवेदन है कि रेल मंत्री जी का भी कर्तव्य था कि सो मोटो स्टेटमेंट देते, जैसे माननीय मंत्री महोदय ने दिया है, वैसे ही ये भी देते।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : मंत्री जी ने मुआवजे की घोषणा की है। इसकी घोषणा की, परंतु उनके परिवारवालों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसके बारे में नहीं बताया।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात हो गई।

श्री रमेन्द्र कुमार : आप ऑनरेरियम के साथ-साथ जो लोग मरे हैं, उनके परिवार के एक आदमी को नौकरी दे। यह आम नियम और धारणा देश के उद्योगों में है।

श्री दिलीप संघानी (अमरेली) : इनकी बात सही है। मंत्री जी इस बारे में कोई आश्वासन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपकी बात भी हो गई।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय मंत्री की बात सुनिये।

(व्यवधान)

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, वह ठेका श्रमिक है। इसलिए, ठेकेदार ही कानूनी पहलुओं को देखेगा।

अपराह्न 3.11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1997-98—*जारी*

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : माननीय उपाध्यक्ष जी, रेलवे के अनुपूरक बजट पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में रेल लाइन है, लेकिन वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है। कानपुर से लेकर झांसी तक जो यात्री यात्रा करते हैं, कुल 200 किलोमीटर के अंतराल में उनको सात-सात, आठ-आठ घंटे लग जाते हैं। पिछले बजट के दौरान मैंने इस मांग को मंत्री जी के सम्मुख रखा था कि कानपुर से झांसी के बीच जो सिंगल लाइन है, जो झांसी से मुम्बई, दिल्ली और अन्य जगह जोड़ती है, उसके कारण यात्रियों को परेशानी के साथ-साथ समय भी बहुत लगता है। इसलिए मैंने मंत्री महोदय से मांग की थी इस लाइन का दोहरीकरण किया जाए। लेकिन मंत्री महोदय ने हमारी इस मांग पर कतई ध्यान नहीं दिया, दोहरीकरण के साथ-साथ मैंने विद्युतीकरण की भी मांग की थी। अगर विद्युतीकरण नहीं हो सकता था तो दोहरीकरण की मांग आप पूरी कर सकते थे। अगर 200 किलोमीटर पूरा नहीं कर सकते थे तो कम से कम 50 या 100 किलोमीटर लाइन ही दोहरीकरण के लिए मंजूर करके कार्य शुरू करवा सकते थे। इससे शायद मेरे क्षेत्र की जनता और मैं आपके इस कार्य की सराहना करते।

अपराह्न 3.12 बजे

[श्री चित्त बसु *पीठासीन हुए*]

हमारे कानपुर से उरई और झांसी के बीच जो गाड़ियां निकलती है, एक भी गाड़ी सीधी दिल्ली के लिए नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जो इनमें यात्रा करती है, वह अलग-अलग गाड़ियों से टुकड़ों में यात्रा करती है। रेल से चलने वाले यात्री पहले झांसी आएंगे, घंटों झांसी इंतजार करेंगे, उसके बाद दिल्ली के लिए जाएंगे। हमारी छपरा मेल चलती है। इसके लिए मैंने मंत्री महोदय से कहा था कि इसे ग्वालियर आगरा से दिल्ली तक बढ़ाया

[श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा]

जाए जिससे उरई क्षेत्र से आने वाले हजारों यात्री सीधे दिल्ली तक आ सके। कोच से ऐट एक शटल चलती थी, आज भी चल रही है। बीच में अधिकारियों ने हानि दिखाकर बंद कर दिया था। मैं बार-बार मांग करता रहा कि इस शटल को झांसी तक बढ़ाया जाए, कौंच से उरई तक जोड़ा जाए, जिससे मेरे क्षेत्र की जनता इस शटल से झांसी तक यात्रा करेगी। जो वहां के अधिकारी हानि दिखाकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं, भविष्य में यह हमारी शटल हमेशा-हमेशा के लिए चलती रहे, इसलिए इस शटल को कोच से ऐंट, ऐंट से उरई, कोच से ऐंट और ऐंट से झांसी तक इसे बढ़ाया जाए।

माननीय मंत्री जी, मैं आपके नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूं कि आपके दिल्ली जंक्शन पर सांसदों और विधायकों के साथ रेलवे विभाग के कर्मचारी अभद्र व्यवहार करते हैं। सांसद उसकी शिकायत करते हैं। बगैर उनके पूछे, बगैर विधायकों का साक्ष्य साथ लिए आपके अधिकारी यह कहकर टाल देते हैं कि जो आरोप लगाया गया था, वह गलत है। मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड द्वारा जो टी०सी०, स्टेशन मास्टर या अन्य लोगों को भर्ती की जाती है, उसमें बड़े जोरों से धांधली चल रही है। मेरी नॉलेज में यह आया है कि इनकी पोस्टिंग में एक लाख बीस हजार से लेकर एक लाख चालीस हजार रुपए तक लिए जाते हैं ... *(व्यवधान)* उन गरीबों का हक छीना जाता है। ... *(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पूरी जिम्मेदारी के साथ यह चार्ज लगा रहे हैं। यदि इस तरह की नॉलेज इनके पास है तो जिस किसी भी एजेंसी से कहेंगे, मैं जांच करवा दूंगा। ... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश आर० जाधव (परभनी) : यह आपके ऊपर चार्ज नहीं लगा रहे हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। ... *(व्यवधान)* आप माननीय सदस्य हैं, इसलिए इस तरह का चार्ज यदि आप लगाते हैं। आप लगाइए। ... *(व्यवधान)*

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : मुझे दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से आता हूं। ... *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : मैं वही बात कह रहा हूं। आप मुझे लिखकर दे दें जो भी आपकी जानकारी में हैं। मैं सभी सांसदों से कहता हूं, आपको ही नहीं कह रहा हूं, मैं सभी से कह रहा हूं। करप्शन इस देश का कैंसर है। करप्शन के मामले में कहीं किसी के साथ कोई नर्मी नहीं बरती जाएगी। आपको यदि किसी के ऊपर कोई चार्ज समझ में आता है तो आप तुरंत हमारे पास लिखकर दीजिए हम किसी निष्पक्ष एजेंसी से कहकर उसकी जांच कराएंगे और जो भी व्यक्ति होगा, दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ... *(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : आप देखिए। इस तरह का चार्ज है। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मिनिस्टर साहब ने खुलेआम यह बताया है कि अगर ऐसा कोई इल्जाम हो तो आप लिखित रूप से इनके पास भेजिए। इसके लिए जवाबदेही आपकी ही नहीं है, मंत्री जी इसकी जांच कराएंगे।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, नहीं, इसकी जांच कराने के लिए हम तैयार हैं। ... *(व्यवधान)*

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : सभापति जी, एक ही सांसद के बारे में जो बताया है ... *(व्यवधान)* मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। ... *(व्यवधान)* मैंने लिखा है, मंत्री जी ने कुछ नहीं किया है। ... *(व्यवधान)*

श्री सुरेश आर० जाधव : ऐसी चीजे बगैर साक्ष्य के होती हैं। ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको जो कहना है, लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : सभापति जी, जिन लोगों की नौकरी लगी है, उनमें से कुछ मेरे मित्र और सहयोगी भी हैं। यह बात मैं सदन के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जो हमारा दलित गरीब तबका है, एक लाख चालीस हजार रुपए, एक लाख बीस हजार रुपए क्या उनके पास एक रुपए बीस पैसे भी नहीं होंगे। उन विचारों का हक छीना जाता है। हमारी नॉलेज में तो यहां तक बात आई है कि रिटर्न टेस्ट के टाइम में कोरी कॉपी रख दी जाती है। सब टैस्ट में पास होते चले जाते हैं। अंत में उसे नौकरी दे दी जाती है। और गरीब वर्ग जब नौकरी में बैठता है, तो आ नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास एक लाख 20 हजार रुपए देने के लिए नहीं है। ... *(व्यवधान)* मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अगर इस प्रकार की कोई आपत्ति है, तो आप लिख कर दे दीजिए। मंत्री जी के पास भेज दीजिए। उसके ऊपर जांच होगी और उचित कार्रवाई होगी। दूसरी बात, आप यह कौन से कानून के आधार पर बोल रहे हैं, यह भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जिस विषय पर यह अनुदान है, उस पर आपको बोलना चाहिए। कम से कम जो आपको कहना है, उसको जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : जो हो रहा है, मैं उसकी जानकारी सदन को और मंत्री जी को देना चाहता था, इसलिए मैं इस बात को उनकी जानकारी में लाया हूं, माननीय मंत्री जी, मैं पुनः मांग करता हूं कि कानपुर से झांसी के बीच जो सिंगल लाइन है, उसको डबल किया जाए, जिससे वहां से गुजरने वाले यात्री जो बम्बई और दिल्ली या दूर-दूर स्थानों पर जाते हैं, जो समय उन्हें झांसी और दिल्ली के बीच लगता है, उससे कहीं ज्यादा समय कानपुर और झांसी के बीच लगता है। इसी प्रकार कौंच और ओरैया के लिए 1977 में, जब जनता पार्टी का शासन था, इस लाइन का सर्वे कराया गया था और उसी दौरान मिट्टी डलवाने का कार्य भी हुआ था। इतना कार्य होने पर काम को अधूरा छोड़ दिया गया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इससे संबंधित डमी दबी फाइल को निकलवाया जाए। कौंच, जालौन और ओरैया होते हुए, जो रेल लाइन आती है, उसे मिलाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्दन (कन्नानौर) : मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हैं कि आपने मुझे रेलवे की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी इस चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं क्योंकि ये मांगे बिना बारी के कुछ कार्यों को करने के लिए की गई हैं। चूंकि रेलवे हमारे देश में सबसे बड़ी जन उपयोगी सेवा है तथा सबसे बडा नियोजक है इसके सामाजिक उत्तरदायित्व उसकी वाणिज्यिक वचन बद्धताओं से अधिक हैं। इसलिए, रेलवे को वित्तीय कठिनाईयों के कारण अपनी सामाजिक वचन बद्धताओं को पूरा करने में हमेशा बहुत मुश्किल होती है। हम सभी जानते है कि नौवीं योजना का प्रंशसनीय लक्ष्य समाजिक न्याय के साथ विकास हैं। इस सामजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आसीन रेलवे को निर्णयक भुमिका अदा करनी है

दुर्भाग्यश यदि आप आम बजट में रेलवे से किये गए आवंटन से देखते है तो यह नोट करके दुख होता है कि यह वर्ष प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है और यदि आप नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते है तो हमें रेल मन्त्रालय को अधिक बजटीय आवंटन प्रदान करना होगा। हम रेल मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने हमेशा अधिक आवंटन की मांग की है और मुझे विश्वास है कि आने वाले बजट में तो भारत सरकार निसंदेह आम बजट से रेलवे को अधिक धनराशि आवंटित करेगी।

हम सभी जानते है कि पांचवी पंचवर्षीय येाजना के दौरान रेलवे का बजटीय आवंटन 75 प्रतिशत था। पिछले वर्ष यह बुरी तरह घटकर केवल 16 प्रतिशत रह गया है। चूंकि रेलवे के पास हमारे देश में सर्वोत्तम आधारभूत ढांचा हैं, सरकार का ध्यान इस क्षेत्र को अविलम्ब अधिक बजटीय समर्थन प्रदान करने भारतीय रेलवे की सम्पूर्ण प्रगति पर लगाया जाना चाहिए।

मैं इस सुस्पष्ट प्रयास के लिए अपने रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान को बधाई देता हूं कि वे रेलवे को पूर्वोतर क्षेत्र तथा कश्मीर के दुर्गम स्थानों तक ले गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं। लेकिन हमारे देश के कई भागों में अभी भी क्षेत्रीय असन्तुलन विद्यमान है। मुझे प्रसन्नता है कि इस बजट में हमारे माननीय मंत्री ने केरल राज्य के लिए एक और सकारात्मक कदम उठाया है कोट्टायाम में ऐरीमेली तक एक नई रेलवे लाइन बिछवाई है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं मैं उन परियोजनाओं की बात नहीं कर रहा हूं जो केरल राज्य को दी गयी हुई हैं यदि हम पिछले बजट के साथ-साथ इस अनुपूरक बजट में कई परियोजनाओं हेतु किये गए आवंटन को देखते है तो हमें पता चलता है कि मुख्य महत्व सामाजिक वचनबद्धता अपना वाणिज्यिक महत्व के बजाय राजनीति से दिया गया हैं इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि भविष्य में मंत्री महोदय जब कभी नयी रेल परियोजनाओं को आरंभ करें देश के सम्पूर्ण विकास, इस क्षेत्र के पिछड़े जिलों के साथ देश के क्षेत्रीय असन्तुलन को गम्भीरता से ध्यान में रखा जाना चाहिए।

मैं जानता हूं कि हम जब कभी उनके पास जाते है तो माननीय मंत्री अत्यन्त उत्सुकता से मिलते हैं जब कभी भी हम अपना मामला उनके सन्मुख प्रस्तुत करते है वह हमारी बात सुनकर प्रसन्न होते है रेल से सम्बन्धी सभी मामलों को पूरा करने के लिए उन्होंने सही परिप्रेक्ष्य में भरसक प्रयास किये हैं। भविष्य में भी हम मंत्री जी से इसी प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं।

मुझे अत्यन्त खुशी है कि हमें रेलवे बोर्ड के नए चैयरमैन मिले गए? जो माननीय संसद सदस्यों की उन मांगों के प्रति बहुत सकरात्मक दृष्टिकोण रखते है जो देश के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए उनके सम्मुख रखी जाती है।

क्षेत्रीय असन्तुलन और पिछड़ेपन पर आते हुए मैं बताना चाहता हूं कि केरल का मालाबार क्षेत्र पहले मद्रास राज्य का हिस्सा था। पूरे केरल का सबसे उपेक्षित और अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है।

पहली रेल 1853 में चलाई गई थी उस समय भी ब्रिटिश के लोग जानते थे कि मंगलौर से मद्रास की रेल लाईन अत्यन्त लाभप्रद होगी। यह आर्थिक रूप से अत्यन्त उपयुक्त तथा सामरिक महत्व की भी होगी। यह बात इस माननीय सभा की जानकारी के लिए है कि उस समय में ब्रिटिश लोगों द्वारा भारत में पहली डाक रेल मद्रास से मंगलौर तक चलाई गई थी। यह इस रेल लाइन की पृष्ठभूमि है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस लाइन पर कोई भी विकासात्मक कार्य नहीं किया गया है। लेकिन केरल के सदस्यों द्वारा राजनीतिक दलों से संबद्धता की परवाह किये बिना रेल प्रशासन पर अधिकतम दवाब डाला गया है तब जाकर रेल प्रशासन ने मंगलौर से सोरोनोर की लाइन को दोहरा करने की ओर ध्यान दिया है। लेकिन यह नोट करके आश्चर्य हो रहा है कि सोरोनोर से कुट्टीपुरम के बीच रेल लाइन के लिए अभी तक धनराशि का आवंटन बिल्कुल नहीं किया गया है।

मेरे अतारांकित प्रश्न का उत्तर देतें हुए माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस शताब्दी के अन्त तक मंगलौर के सोरोनोर की रेल लाइन को दोहरा कर दिया जायेगा। केरल के लोग इस विलम्ब से अत्यधिक उत्तेजित हैं हमारा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस रेल लाइन की ओर ध्यान दे और विलम्ब किये बिना इसे पूरा करें। यदि यह रेल लाइन पूरी नहीं की गई तो केरल के लोगों को कोंकण रेलवे का पूरा लाभ भी मिल सकेगा। मैं माननीय मंत्री जी से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस रेल लाइन की ओर ध्यान दे जो लम्बे समय से लम्बित है।

मालावार क्षेत्र के सर्वागीय विकास के लिए प्रस्तावित टेलीचेरी-मैसूर लाइन को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। टेलीचेरी मैसूर वाया कुर्ग रेल लाइन की मांग पिछले नौ दशकों से लम्बित हैं। बिट्रिश राज्य के अतंर्गत दक्षिण भारतीय रेल कम्पनी ने इस मार्ग पर पहला सर्वेक्षण किया था। प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो जाने के कारण यह सर्वेक्षण बीच में ही छोड़ देना पड़ा। बाद में बिट्रिश लोगों द्वारा तीन अन्य सर्वेक्षण कराए गए थे। इन सभी सर्वेक्षणों में बताया गया कि यह रेल मार्ग अर्थक्षम और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और यह रेल लाइन पूरे दक्षिण भारत की सबसे अधिक आर्थिक लाभदायी लाइन सिद्ध होगी।

महोदय, पहले के मैसूर राज्य और मद्रास प्रेजीडेन्सी ने इस मामले की जोरदार सिफारिश की थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस मार्ग के लिए कुछ आर्थिक सम्भाव्यता सम्बन्धी सर्वेक्षम कराए गए थे। हजारों ट्रकों के साथ-साथ सैकड़ों लाटियां और बसें प्रतिदिन टेलीचेरी में केरल के विभिन्न भागों में और कर्नाटक के विभिन्न भागों से भी जाती है हजारों पर्यटक भी केरल और कर्नाटक के इन स्थानों का दौरा करते है केरल और कर्नाटक के इन भागों में पर्यटन की दृष्टि से भारी संभावना मौजूद है।

महोदय, कुर्ग, वायानाड कन्नानौर तथा मैसूर नकद फसलों की दृष्टि से समृद्ध है और इन नकद फसलों से हमारे देश को करोड़ो रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। मुझे याद है कि भूतपूर्व रेल मन्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री और बाबू जगजीवन राम ने टेलीचेरी का दो बार दौरा किया था। दो विभिन्न मामलों पर उन्होंने भारी सार्वजनिक जन सभाओं को सम्बोधित किया था और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया था कि इस रेल लाइन को पूरा किया जाएगा। लेकिन लोगों की घोर व्याकुलता और निराशा के कारण रेल प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री के साथ सेवा अधिकारियों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस परियोजना को रेलवे द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आरम्भ किया जाना चाहिए।

अभी तक टेलीचेरी से मैसूर तक रेल द्वारा यात्रा करने वाले लोगों को चकर लगाकर जाना पड़ता है और उन्हें लगभग 600 किलोमीटर फालतू यात्रा करनी पड़ती है। यदि इस विशिष्ट रेल लाइन को बिछाया जाता है तो यह घटकर 200 किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए, केरल के लोगों की ओर से मेरा विन्रम निवेदन है कि यदि किसी रेल लाइन के सारे निमार्ण कार्य को आरम्भ किया जाता है तो टेलीचेरी-मैसूर लाइन के निमार्ण कार्य को माननीय रेलमंत्री और रेलवे बोर्ड के चैयरमैन द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि टेलीचेरी से मैसूर की रेल लाइन को बिछाया जाएगा तो मैसूर से केनाड़ तक की रेल लाइन भी आसानी से पूरी की जा सकेगी।

महोदय, केरल एकमात्र राज्य है जहां रेलव का कोई संस्थान नहीं हैं। जब श्रीमती इन्दिरा गाधी जीवित थी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि केरल राज्य में कोच फैक्टरी लगाई जाएगी। अन्ततः वह कोच फैक्टरी स्थानान्तरित कर दी गई और कपूरथला में लगाई गई। हमें इस तथ्य के बारे में बहुत खेद है।

महोदय, केरल में पी०टी० ऊषा, एम०डी० बाल्सम्मा तथा अन्य उनसे अग्रणी एथलीट और खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है। ओलम्पिक

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

में अपनी छाप छोड़ने वाले कई फुटबाल तथा हाकी खिलाडी कन्नानौर के है। कन्नानौर को भारतीय फुटबाल के मक्का के रूप में जाना जाता है। केरल के लोगों की ओर से मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्रालय द्वारा प्रबन्ध किये जाने चाहिए अथवा यह उचित होगा कि कन्नानौर में एक नए खेल परिसर की सथापना की जानी चाहिए।

हाल ही में, माननीय रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि वे देश के विभिन्न भागों में नए जोनों की स्थापना करने जा रहे है। केरल सरकार और राज्य के संसद सदस्यों ने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था और मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य में एक 'जोन' स्थापित किया जाये। चूंकि अभी तक कुछ नहीं किया गया है मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कोई 'जोन' स्थापित किया जाता है तो उसे केरल राज्य में स्थापित किया जाना चाहिए और इसका मुख्यालय कालीकट अथवा कन्नानौर में बनाया जाना चाहिए।

महोदय, चैन्नई-मंगलौर रेल लाइन पर ट्रैफिक बहुत अधिक है। इस लाइन पर आरक्षण प्राप्त करना लगभग असंभव है। दुर्भाग्य से चेन्नई से मंगलौर तक कोई सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि चेन्नई से मंगलौर तक एक सुपरफास्ट गाड़ी चलानी चाहिए। कोचीन से कन्नानौर तक एक अन्य सुपरफास्ट गाड़ी चलाने की भी अविलम्ब आवश्यकता है मालावार एक्सप्रेस की रवानगी के पश्चात् घंटों तक कन्नानौर में बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं है। यह विसंगति प्रशासन द्वारा निसन्देह दूर की जानी चाहिए।

यह देखा गया है कि रेलवे के नवीकरण तथा रखरखाव के प्रति रेल मंत्री का रवैया बहुत सुस्त है। पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य में अनेक रेल दुर्घटनाएं हुई है जिनका मुख्य कारण मालगाड़ियों का पट्टरियों से उतरना है। इसमें साधारण लोगों के दिमाग में चिन्ता और सन्त्रास है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मंगलौर से मोरानूर के बीच कई स्टेशन है और इसमें से अधिकतर स्टेशन दक्षिण भारतीय रेलचे कम्पनी द्वारा आरंभ किये गए थे। ये सभी स्टेशन दुर्दशाग्रस्त हैं। हमारी स्वतन्त्रता की पंचासवी वर्षगांठ के समारोह के भाग के रूप में, मैं अनुरोध करूंगा कि कुछ स्टेशनों के जीर्णाद्धार और नवीकरण कार्य को युद्धस्तर पर कराया जाना चाहिए। कन्नानौर और कालीकट स्टेशनों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यदि आप केरल राज्य से चलने वाली गड़ियों को देखे तो अधिकांश रेलगाडियों के डिब्बे बहुत पुराने तथा जीर्णक्षीय है केरल राज्य को अच्छी दशा वाले रेल डिब्बे भेजने की अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिए।

यदि आप कन्नानौर और कालीकट के बीच के रेल फाटको की संख्या को देखते है तो मालाबार क्षेत्र का पिछड़ापन अत्यन्त स्पष्ट है। कन्नानौर और कालीकट के बीच 90 किलोमीटर की छोटी सी दूरी के बीच आठ रेल फाटक पड़ते है जिनसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर यातायात में अनेक बाधांए उत्पन्न हो जाती है। कोंकण रेलवे लाइन को आरम्भ किये जाने के बाद इस रेलमार्ग पर गाड़ियों के आवागमन में वृद्धि हो जाएगी और सड़क यातायात सुचारू रूप से चलना लगभग असम्भव हो जाएगा। अत: मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कलानौर तथा कालीकट के बीच रेल फाटकों पर उपरिपुल बनाने के लिए प्रबन्ध युद्धस्तर पर किये जाने चाहिए।

मैं सम्मानीय सभा का अधिक समय भी नहीं लेना चाहता। केरल का मालावार क्षेत्र विस्फोट के कगार पर है। वहां के लोगों के दिमाग में अलगाव की भावना है हमारे धैर्य की सीमा है। मैं भी जानता कि हमें कितना और इन्तजार करना पड़ेगा। इसलिए माननीय रेल मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि केरल राज्य में किसी भी नई परियोजना को आरम्भ किया जाता है तो इस टेलीचेरी-मैसूर वाया कुर्ग रेल लाइन को माननीय रेलमंत्री की कार्यसूची में महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेलवे की अनुदायों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह (बलिया) (बिहार) : सभापति महोदय, मैं 1997-98 में रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगें संविधान के अनुच्छेद 115 की धारा (1) के द्वारा (क) के अनुसार संसद के समक्ष जो हम लोगों की स्वीकृति के लिए पेश किया गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

इस पुस्तिका के पृष्ठ 32 पर रेलवे बोर्ड और जोनल रेलों को जोड़ने वाला रेल नैट का संस्थापन और उसे चालू कराने की जो मांग की गई है, उसे नई तकनीकी के लिए हम माननीय रेल मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहते हैं। बोर्ड जोनल मुख्यालयों, उत्पादन इकाइयों आदि की सूचनाओं के लिए तीव्र और कुशल संचार के लिए जो व्यवस्था करने जा रहा है, मैं उसके लिए उन्हें बधाई देता हूं।

माननीय रेल मंत्री जी ने भाण्डुप से लेकर ठाणे तक विद्युतीकरण सहित पांचवीं और छठी लाइन के सम्बन्ध में जो मांगें प्रस्तुत की हैं, हम उसके लिए भी उन्हें बधाई देना चाहते हैं। पूरे देश में जहां भी विद्युतीकरण कार्य समाप्त हो गया है या इसका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, हम उसके लिए अपील करना चाहते हैं कि हस्नाबाद-बारासात सैक्शन का विद्युतीकरण पूर्व रेलवे के स्यालदाह डिविजन में जो सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब वहां जल्दी से जल्दी कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए।

इसी पुस्तिका में दो-तीन महत्वपूर्ण कार्य करने की बात कही है - जैसे कटिहार जोगबनी में आमान परिवर्तन। इसी तरह से राष्ट्रीय एकता के लिए आनंन्दपुर साहिब यात्री सुविधा में वृद्धि की बात कही गई है। आनन्दपुर देश का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इस स्टेशन के सौन्दर्यीकरण के लिए जो उपबन्ध किया गया है, हम इसके लिए उन्हें बधाई देना चाहतो हैं। हम लोगों के क्षेत्र में गंगा नदी पर पुल बनाने का उपबन्ध किया गया है। मुंगेर प्रमंडलीय मुख्यालय है। ऐतिहासिक नगरी है, उसके लिये जो दूसरा रेल पुल पटना में दिया, मोकामा में दिया लेकिन मुंगरे में देने से आपको बधाईयां मिलेगीं, मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र इसका शिलान्यास का कार्य प्रारम्भ किया जाये। हम आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि बड़वाडीह-विश्रामपुर खंड के रेल मार्ग का सर्वे आजादी के पूर्व हुआ था। आप इसकी जांच दुबारा कराईये। इस क्षेत्र से गरीबो, दलितों को फायदा होगा और यहां पर खनिज पदार्थ अधिक हैं, काफी मुनाफा होने का अनुमान है। कोई योजना बनाकर कार्य प्रारम्भ करायें तो आप देखेंगे कि इस इलाके में क्या होता है।

सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि लक्खीसराय-क्यूल रेलगाड़ी जाती है तो बहुत नजदीक लगता है। यहां पर पटरी से दूरी नाप लेते हैं। लोगों को बहुत परेशानी होती है। यदि लक्खी सराय पर गाड़ी रुकती हैं तो आम लोगों को फायदा होता है लेकिन क्यूल पर लखीसराय के लोगों को लगता है कि दूरी नजदीक है लेकिन घूमकर आने से लोगों को काफी परेशानी होती है। इसलिये रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि रेल पदाधिकारियों से कहें कि लक्खीसराय में गाड़ी रुकने से आम लोगों का हित होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि लक्खीसराय रेलवे स्टेशन को पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाये क्योंकि यह मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय है और पुराना स्टेशन है, इसलिये इसे पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जाये और इसे फ्लैग स्टेशन की तरह ही न छोड़ दिया जाये। हमारी मांग है कि स्टेशन पर विश्रामालय बनाया जाये और सफाई का ध्यान दिया जाये। अधिकारीगण इसका आधुनिकीकरण करने का कार्य भी करें।

सभापति महोदय, रेलमंत्री बधाई के पात्र हैं कि दरभंगा-बेगुसराय-पटना के बीच में कमला इंटरसिटी गाड़ी चलाई है। इस गाड़ी के लिये आरोप

लगाने की कोई बात नहीं है। मोकामा से पटना के लिये गाड़ी चलती है तो स्टेशन पर रोक देते हैं या बस के मालिक रोक देते हैं, इससे रेल विभाग को घाटा होता है। लोग इस रास्ते से कम समय और कम पैसे में आते हैं, ऐसा न होने से लोगों को परेशानी हो रही है जिसके लिये दानापुर के मंडल रेल प्रबंधक को दोषी माना जाता है। उनसे संपर्क नहीं हो पाता और उनकी तरफ से कोई परिचालन बेहतर ढंग से नहीं होता। इसलिये आग्रह है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाये। इसके अलावा डी०एम०यू० की भी दुर्दशा है। माननीय रेल मंत्री इस बात की भी जांच करें।

सभापति महोदय, हम एम०पीज लोग पटना राजधानी से आते हैं, इस गाड़ी की भी दुर्दशा हो रही है। हम लोगों को इलाहाबाद में अमृत प्रभात अखबार मिलता है और जब गाड़ी कानपुर आती है तो राष्ट्रीय स्तर का कोई अखबार हमें नहीं मिलता और जब इधर से जाते हैं तो गया में गया और पटना में पटना का अखबार नहीं मिलता है। हमारी मांग है कि अप ट्रेन में कानपुर और डाउन ट्रेन में पटना में अखबार दिया जाये नहीं तो आपका पैसा निरर्थक जा रहा है। मैं कोई आरोप तो नहीं लगाना चाहता परन्तु अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिये। आप इन गाड़ियों में खान-पान सुविधायें बेहतर कीजिये। अभी तक गुवाहाटी राजधानी, हावड़ा राजधानी में शिकायत होती थी, अब इसमें भी होने लगी है। मैंने इस संबंध में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को लिखा भी है लेकिन कोई सुधार नहीं किया जाता। मैं कई छोटी बातें नहीं कहना चाहता था परन्तु जनहित में कह रहा हूं कि हमारा एक लखमनिया स्टेशन है।

हम तो बधाई देना चाहते हैं कि रांची और बरौनी भी हम साथ जा रहे हैं तो वहां भी आप घोषणा करेंगे। इंटरनेट की जो व्यवस्था थी, हावड़ा से दिल्ली को आप क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं कंप्यूटर से ? हावड़ा से बरौनी को क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं कंप्यूटर से ? जब इतनी अच्छी व्यवस्था आप कर रहे हैं तो पूरे देश के बड़े स्टेशनों को आप कंप्यूटर से जोड़ दीजिए। हमें आशा है कि बरौनी और रांची में इसकी घोषणा आप करेंगे।

एक-दो सुझाव भी मैं देना चाहता हूं। रेलवे की जमीन लाखों नहीं करोड़ों रुपये की है। इस जमीन का अतिक्रमण असामाजिक तत्व कर रहे हैं। पूरे देश की रेलवे की जमीन की सुव्यवस्था के लिए आपको यदि कानून में परिवर्तन करना पड़े तो कीजिए। कोई बिल सदन में लाइए, लेकिन रेलवे की जो बेशकीमती जमीन है, चाहे वह जिस किसी भी रेलवे की हो, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए आप प्रबंध कीजिए। इससे करोड़ों रुपये की आमदनी रेलवे की बढ़ेगी।

दूसरा सुझाव यह है कि रेलवे से ठेकेदारी प्रथा का खात्मा कीजिए। रोज-रोज हत्याएं हो रही हैं। गोरखपुर में कई राजनेताओं की हत्या हो गई, कई अपराधी वर्चस्व की लड़ाई में मारे गए। हमारे क्षेत्र के कई अपराधी मारे गए हैं। हम उनको समूल नष्ट करने के लिए कह रहे हैं लेकिन आपको इसमें समय लगेगा, परन्तु रेलवे से ठेकेदारी का खात्मा करके आप विधि-व्यवस्था का नियंत्रण करें चूंकि कई अपराध-कर्मियों के नाम इसमें हैं और कई अपराध-कर्मियों की लड़ाई चल रही है। हमारे क्षेत्र में लोग एक दूसरे की जान पर घात लगाए हुए हैं। किसी भी दिन किसी भी सांसद या किसी भी विधायक या राजनेता की हत्या बरौनी या गोरखपुर में फिर हो सकती है। इसलिए इस गंभीर तथ्य से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि रेलवे से ठेकेदारी के खात्मे के लिए चाहे जो भी करना पड़े, कराइए।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि हजारीबाग प्रबंधक मुख्यालय है। आप क्यों नहीं हजारीबाग तक रेल चलाना चाहते हैं ? क्यों नहीं दुमका तक रेल चलाना चाहते हैं ? यह तो दलितों का इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, झारखंड के लोगों के इलाका है। इसलिए हजारीबाग और दुमका तक रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था कीजिए। हम लोग बेगूसराय से आते हैं। वहां दीदारगंज पर हमारी गाड़ी रुक जाती है। उधर फतुहा में ऊपरी पुल बना दिया है। दीदारगंज इतना महत्वपूर्ण है कि वहां सिटी से पहले फतुहा-बख्तियारपुर तक जाम रहता है। हम हवाई जहाज से उतरकर किसी तरह से रेलगाड़ी पकड़ते हैं, इसलिए दीदारगंज में आप ऊपरी पुल बनवाइए।

इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर रेल मंत्री जी को मुंगेर में पुल के लिए बधाई देते हैं। रांची में जो स्वर्ण जयन्ती एक्सप्रेस चलाना चाहते हैं, उसके लिए रेल मंत्री जी को बधाई देते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं।

श्री मेजर सिंह उबोक (तरनतारन) : चेयरमैन साहब, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने रेलवे बजट की सप्लीमेंटरी मांगों पर बोलने का समय मुझे दिया।

मैं इन मांगों के विरोध में खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि इन मांगों में सारे देश के विकास के लिए और खासकर दक्षिण में जहां पहले भी बहुत रेलवे का विकास हुआ, उसके साथ उत्तर-पश्चिम भारत जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है, उसमें भी रेलवे के विकास के लिए बहुत अच्छे योगदान किये गए हैं।

इन 39 मांगों में से ज्यादातर, लगभग 10 मांगे बोर्डर एरियाज से संबंधित हैं। पहली दफा ऐसी कोशिश की गई है कि राजस्थान में जैसलमेर को पंजाब और उससे आगे जम्मू-कश्मीर तक मिलाने के लिए रेलवे लाइन दी जाए। यह नई रेलवे लाइन अबोहर और फाजिल्का को भी जोड़ेगी और इससे फिरोजपुर सहित सारा जम्मू-कश्मीर राजस्थान के बोर्डर एरियाज के साथ, पंजाब के साथ जुड़ जाएगा—इसकी हमें बहुत खुशी है। अगर रेल मंत्री जी इस लाइन को थोड़ा और आगे मखूह से पट्टी तक बढ़ा दें, वहां से होते हुए यह लाइन फिरोजपुर तक आ जाएगी और फिरोजपुर से आगे यह लाइन सीधे जालंधर तक चली जाएगी। मखूह से पट्टी तक बहुत थोड़ा फासला है लेकिन इससे बोर्डर एरियाज के साथ आपके दूसरे इलाके, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू-कश्मीर और ऊधमपुर, जहां आप नई रेल लाइन बना रहे हैं, भी जुड़ जाएंगे। इससे सारा पश्चिमी भारत, जैसलमेर से लेकर ऊधमपुर जम्मू तक एक ही लाइन पर आ सकेगा जिससे संकट के समय हमें बहुत फायदा मिल सकता है। यदि मंत्री जी ऐसा करते हैं तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा।

इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में 39 प्रमुख मांगे आपने हाउस में पास करने के लिए प्रस्तुत की हैं, जो सभी ठीक हैं। इसमें कालका से परवाणु को मिलाने वाली लाइन भी शामिल है क्योंकि हिमाचल के लोगों की काफी देर से मांग थी कि कालका से आगे रेलवे लाइन जाए। इस लाइन को देकर आपने अच्छा प्रबंध किया है। इसके साथ-साथ व्यास और डेरा बाबा जैमल सिंह रेलवे लाइन आपने बोर्डर पर बनाई है, वह भी अच्छी स्कीम है। दूसरे जो लाइन जम्मू से पठानकोट होते हुए जालंधर जाती है, उसे डबल करना भी स्वागतयोग्य है क्योंकि इस लाइन पर हमें आम जाना पड़ता है और डबल लाइन हो जाने से यातायात से काफी सहूलियत हो जाएगी। वैसे यह लाइन काफी पहले बन जानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि जब इस लाइन पर काम शुरू होने वाला है, उसके लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

आपने चंडीगढ़ में फ्रेट हैडलिंग फैसिलिटीज देने का एक प्रोग्राम बनाया है। मुझे बहुत खुशी होती अगर आप चंडीगढ़ को राजपुरा या लुधियाना से मिलाने की व्यवस्था भी इस बजट में करते। चंडीगढ़ को शेष पंजाब से मिलाने के लिए आपने इन मांगों में कोई प्रावधान नहीं किया और मैं चेयर के माध्यम से इसकी मांग सदन में करना चाहता हूं। जहां चंडीगढ़ में आपने फ्रेट हैंडलिंग फैसिलिटीज बढ़ाई हैं, वहीं चंडीगढ़ को लालडू से जोड़ने की बहुत पहले से एक स्कीम थी, फिर लुधियाना को चंडीगढ़ से जोड़ने की स्कीम बनी लेकिन इन दोनों स्कीमों में से आपने एक स्कीम को भी इन सप्लीमेंटरी डिमांड्स में शामिल नहीं किया।

श्री राम विलास पासवान : लुधियाना-चंडीगढ़ लाइन के बारे में तो हमने कहा है।

श्री मेजर सिंह उबोक : इसमें कोई भी नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : शायद पिछली बार इसके बारे में हम कह चुके हैं।

श्री मेजर सिंह उबोक : इन डिमांड्स में कोई प्रावधान नहीं है। आप पढ़ लीजिए। डिमांड संख्या 9 पर लिखा है—

[अनुवाद]

चण्डीगढ़ में माल और लदान कार्य का विकास-उत्तर रेलवे।

[हिन्दी]

यह बात अगर किसी वजह से रह गई है, तो हमारा आपसे यह कहना है कि इसको इसमें जरूर शामिल करें क्योंकि पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वहां पर कहीं से कोई ट्रेन सीधी नहीं आती है। रेलवे के विकास के लिए जो अन्य काम रेल मंत्री महोदय ने शुरू किए हैं मैं उनकी सराहना करता हूं। जालंधर में जो ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू किया है और दस नंबर जगह पर जो अंडरब्रिज बना रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। मंत्री महोदय ने निर्णय लिया है कि आनंदपुर साहब रेलवे स्टेशन को मार्डर्न स्टेशन बनाया जाए। इसके लिए मैं उनको अपनी तरफ से तथा अपने लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। आज से 300 साल पहले आनंदपुर साहब से आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। इस वर्ष हम आनंदपुर साहब का 300 साल जन्म दिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे। इसलिए मंत्री महोदय आनंदपुर साहब रेलवे स्टेशन पर जितनी ज्यादा सहूलियतें दे सकें, उतनी ज्यादा से ज्यादा दें जिससे लोग उनको धन्यवाद देंगे। प्रधान मंत्री महोदय के कहने पर आपने जो लुधियाना-अमृतसर लाइन के इलैक्ट्रीफिकेशन करने का काम शुरू किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पंचायत की तरफ से आपको तथा प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का एक-दो घटनाओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे में जो इतने सार एक्सीडेंट हुए उनकी चर्चा यहां हाउस में हुई, लेकिन एक एक्सीडेंट जो मेरे हलके में हुआ, उसका कोई भी जिक्र कहीं नहीं हुआ। वह एक्सीडेंट 22 मार्च को इसी साल हुआ था। उस वक्त कांग्रेस के समर्थन वापस लेने की धमकी के कारण युनाइटेड फ्रंट की सरकार कुछ संकट में थी। इसलिए उस समय रेल मंत्री और अन्य लोग ध्यान नहीं दे सके। कुछ लोग ट्राली पर जा रहे थे। न ही फाटक बंद था और न ही रेलवे सिगनल डाउन था। ट्राली वालों को पता तक नहीं था और वह ट्राली भी एक तरह से बच गई क्योंकि उसका हुक टूट गया, लेकिन ट्रैक्टर पर जो छः आदमी थे, व मौके पर ही पिस गए और ट्रेक्टर भी साथ ही पिस गया। खुशकिस्मती से ट्रैक्टर के साथ जिस हुक से ट्राली बंधी थी, वह हुक टूट गया। इसलिए ट्राली में बैठे हुए 40-50 लोग बच गए। रेलवे की गलती से एक्सीडेंट में जो मर जाते हैं, उनको बहुत सहूलियतें रेल मंत्रालय की ओर से दी जाती हैं। उनको इंश्योरेंस स्कीम के तहत भी लाभ दिया जाता है। इन लोगों को लेकर मैं तीन-चार रोज पहले मंत्री महोदय के पास गया था। मंत्री महोदय ने मुझे रेलवे बोर्ड के दूसरे अफसरों के पास भेज दिया।

सभापति महोदय, मैंने इस घटना के संबंध में सदन में स्थगन प्रस्ताव भी लाने के लिए अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि आपको सप्लीमेंट्री रेल बजट के समय बोलने का अवसर मिलेगा, तब आप अपनी बात को कह सकते हैं। इसलिए सभापति महोदय मैंने उस घटना का जिक्र यहां पर किया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे लोग आपसे मिले, उन्होंने आपको अपनी तकलीफें बताईं। मैं उनके साथ। आपने हमें रेलवे बोर्ड के अन्य अफसरों के पास भेजा, लेकिन वे लोग यहां से मायूस होकर चले गए। अगर आपके दफ्तर वाले कोई अच्छा जवाब देते, तो शायद मुझे इसके बारे में यहां बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

अपराह्न 4.00 बजे

और आपके रेलवे के जो सारे आफिसर और कर्मचारी भी बैठे हैं उनको पता लग जाये क्योंकि आप तो लोगों से वोट लेकर आये हैं लेकिन जो आफिसर लोग हैं, वे कहते हैं कि हमने कौन से वोट लिये हैं। जिस तरीके से चाहें वे वैसा बोलते हैं। उनका लोगों के साथ रवैया और बर्ताव आप जैसा नहीं है और न ही चुने हुए नुमाइंदों जैसा रवैया हो सकता है। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप उनको कहें कि जो लोग मुश्किल के मारे हैं, जिनके बच्चे रेलवे एक्सीडेंट में मारे गये, उनसे कुछ तो हमदर्दी करनी चाहिए। उनको किसी हमदर्दी के साथ, प्यार से दिलासा देना चाहिए न कि रूखे और सूखे लफ्जों में कहना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि वहां जो लोग मारे गये हैं, उनके लिए आप कुछ करें। आप उस इंक्वायरी को पढ़ लें। उसमें लिखा है कि फाटक वाले का भी कसूर है, रेलवे स्टेशन वाले का भी कसूर है और जो स्टेशन मास्टर है, ठसका भी कसूर है। उसने रिकार्ड में दिखलाने के लिए यह कटिंग भी रखी हुई है कि मैंने तो फाटक पर फोन किया था लेकिन फाटक वाले ने फाटक बंद नहीं किया। वह आपकी इंक्वायरी की रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हमारे पास भी है। हमने आपको यह रिपोर्ट उस दिन दे दी थी।

मैं आपसे यह कहूंगा कि आप रिपोर्ट को पढ़े। रेलवे विभाग की गलती से जो लोग मारे जाते हैं उनको भी इस तरह कंपनसैशन और वही सहूलियतें देनी चाहिए जो कि रेलवे में मरने वालों को दिया जाता है। आपने फरीदाबाद और भटिंडा में या और किसी जगह भी ऐसी दुर्घटना हुई है, उनको सहूलियतें दी हैं लेकिन उनके लिए कोई सहूलियत नहीं दी हैं। इसके अलावा आपने पहले जो रकम उनके मरने के रस्मो रिवाज के लिए दी थी, उसके अलावा कोई रकम नहीं दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर जरूर कुछ बयान दें।

सभापति महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री मेजर सिंह उबोक : सभापति जी, मैं बार्डर इलाके से चुना हुआ एम०पी० हूं। यहाँ पाकिस्तान के साथ दो बार लड़ाईयां भी हुई जो कि मेरे गांव और इलाके में हुई। यह तरनतारन का इलाका, अमृतसर का इलाका सारा बार्डर का इलाका है। उन लोगों को बहुत तकलीफें हैं। वह सब दूसरे महकमों से है लेकिन आपके महकमे से जो तकलीफ है, उसे मैं थोड़ा यहां बताना चाहता हूं। वहां डी०एम०यू० जो नई रेल लाईन चलाई है, उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वहां अटारी जो हमारा आखिरी स्टेशन पाकिस्तान के साथ लगता है और जो लाइन पहले पेशावर और क्वेटा तक जाती थी, लाहौर से होकर वह अटारी पर खत्म हो जाती है। वहां पाकिस्तान के साथ अगर कोई रेल लाइन जानी है तो वह उस समय जाती है। आपकी जो डी०एम०यू० रेल लाइन है बाकी और कोई रेल लाइन नहीं है। मैं वहां परसों था। उन्होंने मुझे बताया कि हम रेलवे स्टेशन वालों से भी मिले हैं और जो अधिकारी हैं उनसे भी मिले हैं लेकिन वहां पर हमें कोई दूसरी गाड़ी नहीं दे रहे। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा दें *(व्यवधान)* मैं एक मिनट लूंगा। आप रेलवे स्टेशन अटारी और डेरा बाबा नानक अमृतसर और केरनकारन पर आपने चार लाइन पूरी कर दी हैं लेकिन जहां आपकी नई रेल लाइन चलती है, अगर वह डी०एम०यू० अमृतसर रेलवे स्टेशन के सुपुर्द कर दें तो बार्डर पर जितनी रेलों की आने-जाने की कमी है, उसको वह पूरी कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपको यह चंद सुझाव दिये और आपने

जो बजट रखा है, मैंने उसका विरोध नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। हमारा जो पश्चिमी इलाका जम्मू-कश्मीर का है, उसमें किसी वक्त भी पता नहीं क्या हो जाये तो वहां फौज या अन्य किसी को भी जाने की जरूरत पड़ सकती है। आपने उनकी तरक्की के लिए इस बजट में कुछ रखा है। मैं आपके इस बजट की हिमायत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आपने यह बहुत अच्छी चीजें की हैं और अमृतसर के इलेक्ट्रीफिकेशन का और लुधियाना का जो किया है। यदि आप चंडीगढ़ वाली लाइन भी बना दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान : चंडीगढ़-लुधियाना लाइन तो पिछले बजट में हो गई है।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : अभी काम शुरू नहीं हुआ है। जो मेन लाइन है, सवाल यह है कि चंडीगढ़ से वाया मोहाली-खरड-मोरिंडा होकर निकलेगी या वाया राजपुरा निकलेगी। हम जो डिमांड कर रहे हैं, सीधी कर रहे हैं। उसमें 15 किलोमीटर का फर्क है।

[अनुवाद]

श्री रनेन बर्मन* (बलूरघाट) : सभापति महोदय, वर्ष 1997-98 की रेलवे की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के पश्चात मैं अपनी पार्टी आर०एस०पी० की ओर से अपने क्षेत्र में महसूस की जा रही समस्याओं को उजागर करते हुये दो शब्द बोलना चाहता हूं। महोदय, जिस वर्ष में हम रंगारंग कार्यक्रम के साथ अपनी स्वतन्त्रता का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं, यह खेद और शर्म की बात है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र दीराजपुर दक्षिण स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद भी कोई रेल संपर्क नहीं है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी नहीं है।

एक लाखी बलूरघाट का सर्वेक्षण 1984 में हो गया था। परन्तु तब से अब 13 वर्षों में 90 किमी में से 15 कि०मी० की दूरी पर भी कार्य नहीं हुआ है। यदि इसी प्रकार कार्य चलता रहा तो संपूर्ण परियोजना को पूरा करने में अनेक वर्ष लग जायेंगे। वर्ष 1997-98 के बजट में 10 करोड़ के कार्य की स्वीकृति के पश्चात भी कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को तेजी से निपटाया जाये। इसके अलावा, एक लाखी बलूरघाट परियोजना के लिये अगले बजट में और वृद्धि की जानी चाहिये। मालदा, दक्षिण और उत्तर धीरजपुर और कलकत्ता को जोड़ने वाली एक मात्र रेलगाड़ी मालदा गोड़ एक्सप्रेस जो बर्द्धमान तक बिजली के इंजन से चलती है। और वहां से आगे सियालदाह तक डीजल से अपनी यात्रा पूरी करती है। मेरा अनुरोध है कि मालदा से सियालदाह तक संपूर्ण रेल लाइन का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये।

स्वतंत्रता के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में सियालदाह-केनिंग और सोनारपुर से केनिंग के बीच दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है। यह सुन्दरवन के गरीब लोगों की काफी लम्बे समय से चली आ रही मांग है। उचित मांग को पूरा न करने से सुन्दरवन जाने वाले पर्यटकों में असन्तोष व्याप्त है। मेरी मांग है कि सुन्दरवन जैसे कम विकसित परन्तु सक्षम क्षेत्र में दोहरी रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जाना चाहिये। इसके अलावा, रेलगाड़ियों को तेज गति से चलाने और कम समय लेने के लिये पुरानी गोला प्रणाली को समाप्त करके टोकन प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिये।

केनिंग सुंदरवन का प्रवेश द्वार है। अत: केनिंग रेलवे स्टेशन के पास यात्री निवास का निर्माण करना चाहिये इससे रेलवे को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी और पर्यटक इससे लाभान्वित होंगे। अत: मेरा अनुरोध है कि सुंदरवन आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये यहाँ यात्री निवास का निर्माण तत्काल किया जाना चाहिये। महोदय, रेलवे के लिये अनुपूरक मांगों में भाग लेने के लिये आपने मुझे यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और आज रेलवे की अनुदान की पूरक मांगों पर बहस चल रही है। आजादी के पहले इस देश के डा० लोहिया का जो सपना था, वैसे उनके सपनों की इस सदन में कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, इस देश के लिए उनके इतने सारे सपने थे। लेकिन उनके 2-3 सपने रेलों पर थे। आजादी के बाद किसी ने उनकी भावनाओं का आदर नहीं किया। इस सदन में बैठे माननीय नेता रामविलास पासवान साहब ने डा० लोहिया की भावनाओं को समझा। उनके प्रति इनके आदर से यह प्रतीत होता है कि कश्मीर और नोर्थ ईस्ट, जिस जगह पर सदियों से और आजादी के बाद इस सदन का, किसी भी व्यक्ति का आज तक ध्यान नही गया, आज हम स्वर्ण जयन्ती मनाने चले हैं, लेकिन आज तक वह इलाका उपेक्षित है, इस ओर सदन में बैठे रामविलास पासवान साहब की निगाहें वहां गई है तो मैं मानता हूं कि स्वर्ण जयंती के अवसर पर डा० लोहिया के रूप में कुछ न कुछ एक व्यक्ति के रूप में इन्होंने साकार किया है।

मैं बिहार से आता हूं। बिहार की ओर से मैं इनको क्या बधाई दूं, पूरा सदन इन्हें बधाई देता रहता है और ये बधाई के पात्र भी हैं। हिन्दुस्तान में एक ही व्यक्ति इन्हें बधाई नहीं दे पाये, बाल ठाकरे साहब, पता नहीं क्यों उनको आपत्ति हुई। इस पर कोई बहस नहीं है।

सभापति महोदय : इसको छोड़िये। रेल पर चलिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : लेकिन बिहार की ओर से मैं इतना बता देना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री देवेगौड़ा साहब थे और उस वक्त भी ये रेल मंत्री थे, ललित नारायण मिश्र जी के बाद बिहार का जो अधूरा सपना था, उसके पूरा होने की शुरूआत देवेगौड़ा साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में और हमारे रामविलास पासवान साहब के कार्यकाल में। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय से, जिस जगह से मैं आता हूं ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जोशी जी, उनको बोलने दीजिए। आप बोलते चलिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि दुनिया में बिहार का इतिहास एक अनोखा रहा है। आज भले ही बिहार को कोसा जाये, लेकिन आज से 35 वर्ष पहले बिहार इस देश में पहला स्थान रखता था। आज हम जिस जगह पर हैं, वहां रामविलास पासवान जी ने यदि बिहार के प्रति आदर दिखाया है तो कोई गलत नहीं किया है। इन्होंने बिहार को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। बिहार के लिए ही नहीं, इन्होंने उस जगह को, जिस कश्मीर को आजादी के बाद किसी ने नहीं छुआ, आजादी के बाद जिस नोर्थ ईस्ट को किसी ने नहीं छुआ, उस वक्त इन्हों छुआ है। ... *(व्यवधान)* पता नहीं, इनके दिल में क्यों घाव हो रहा है। मैं चाहूंगा कि रामविलास पासवान साहब व्यक्तिगत रूप से इन्हें बुलाकर पूछ लें कि इनकी क्या बात है।

मैं बिहार की ओर आना चाहता हूं। मैं जिस इलाके और जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस पूर्णिया के बारे में मैंने कई बार माननीय मंत्री जी से मिलकर भी मैं ने कहा है कि कटिहार उत्तरी बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन है, जहां से हम लास्ट गौहाटी की ओर भी हम वहां से ट्रेन बदलते हैं, जाते हैं। फिर हम हावड़ा की ओर भी कटिहार से जाते हैं। कटिहार उत्तरी बाहिर के बीच का स्थान है। हमने कई बार इनसे मांग की, हमने कहा कि जिस

*मूलत: बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव]

तरह आप आज रेल पर ध्यान दे रहे हैं और मुगलसराय तक विद्युतीकरण है और मुगलसराय के बाद आप पटना होते हुए आगे की ओर जाना चाहते हैं तो क्यों नहीं हम मुगलसराय और पटना होते हुए वाया हम कटिहार की ओर चले। हम विद्युतीकरण के लिए इनसे कई बार मांग कर चुके हैं।

कटिहार एक ऐसा बिजी रेलवे स्टेशन बन चुका है कि कटिहार में बड़ी रेलवे लाइन में दोहरीकरण की आवश्यकता निश्चित है। उसपर इनको चिन्तन करना चाहिए कि जो दोहरीकरण है, कटिहार और बरौनी के बीच का जो दोहरीकरण है, उसकी आवश्यकता है। मैंने इनसे कई बार आग्रह किया कि पटना से डी०एम०यू० ट्रेन मानसी तक चलती है। यदि इन डी०एम०यू० ट्रेन को मानसी से कटिहार की ओर चले जायें तो दो तीन घंटे और फाजिल लगेंगे तो मानसी और कटिहार के बीच में बहुत बड़ी सुविधा, जो नारायणपुर से लेकर नौगाछिया स्टेशन कुरसेला तक कई ऐसी जगह हैं, कुरसेला तक जो 100-125 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वहां के लाखों लोगों को सुविधा होगी। मैंने कई बार रांची से कटिहार के लिए सीधी ट्रेन की मांग की, क्योंकि साउथ को जोड़ने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था उत्तरी बिहार से गंगा के उस पार से नहीं है, लेकिन इन्होंने हाल-फिलहाल लिंक ट्रेन जमशेदपुर के लिए जोड़ी है। दो डिब्बे वहां से बनकर आएंगे और फिर बरौनी में लगेंगे। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नेपाल का इलाका है, बंगाल का इलाका है, वहां पर कटिहार, पूर्णिया आता है, उस इलाके व्यवसाई हों, चाहे नेपाल से आने वाले व्यवसाई हो या बंगाल से आने वाले व्यवसाई हों, जिनको चौबीस घंटे में पूर्णिया आकर बस पकड़कर आना पड़ता है, दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। फिर रांची के लिए या धनबाद के लिए बरौनी आकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है। इससे उत्तरी बिहार को ही नहीं, नेपाल और बंगाल को भी फायदा होगा और हम लोग भी आसानी से रांची, जमशेदपुर जा सकते हैं, अगर कोई सीधी ट्रेन कटिहार को आप दे दें।

उस इलाके के लिए मैंने पिछली बार भी सदन में मांग की थी ओर सर्वेक्षण भी हुआ था। जैसे सहरसा के बारे में भाई दिनेश चंद्र बता रहे थे। सहरसा-मानसी की रेल लाइन जोगबनी तक जाने की शुरूआत हुई। कटिहार से जोगबनी देकर उस इलाके के लाखों लोगों के दिलों में एक तूफान सा खड़ा कर दिया, लेकिन जिस पूर्णिया से मैं आता हूं, पूर्णिया और मधेपुरा और सहरसा के बीच, आपको याद होगा कि भूपेन्द्र बाबू हिंदुस्तान में पहली बार पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष बने थे, वे यहीं के थे, इसी तरह बिंदेश्वरी बाबू, जब संविधान सभा बनी तो उसके सदस्य थे, शिवनंदन मंडल जो भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने थे उस इलाके के थे, तो फिर क्यों आज तक उस मधेपुरा के इलाके को उपेक्षित रखा गया है, मैं नहीं जानता। पूर्णतया जंक्शन से लेकर सहरसा के बीच में मधेपुरा भी आता है। जहां से देश के बड़े से बड़े लोग आए। डा० लोहिया अगर किसी के आगे बोलते थे और उसकी बात सुनते थे तो वे भूपेन्द्र बाबू ही थे। ये वही बी०पी० मंडल थे, जिनके नाम से मंडल आयोग बना और मंडल आयोग के सवाल पर आरक्षण के नाम पर पूरे देश में तहलका मचा था, आज किस कारण से पूर्णिया जंक्शन से लेकर सहरसा के बीच मधेपुरा उपेक्षित है, मालूम नहीं। यह आजादी के पचास साल बाद की स्थिति है। हमने कई बार मांग की कि बंगाल के लिए, रायगंज जाने के लिए जो एन०एच० है, जो पूर्णिया होकर क्रास करता है।

श्री सत्य पाल जैन : क्या यह वही हथियार वाला पूर्णिया है जहां हथियार गिराये गये थे ?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह हथियार वाला पूर्णिया नहीं है। एन०एच० जो बंगाल को जोड़ता है और मात्र 25 किलोमीटर गुलाब बाग से बंगाल शुरू हो जाता है, वह गुलाब बाग मेरे ही क्षेत्र में आता है। बिहार में रांची के बाद गुलाब बाग दूसरी सबसे बड़ी मंडी है। जहां से ठीक उसकी बगल में पूर्णिया जंक्शन से एन०एच० क्रॉस करता है, मैंने कई बार मांग की, मैं धरने पर भी बैठा, प्रदर्शन भी किए और कई बार कहा, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार सरकार जब पूरे हिंदुस्तान की नहीं सुनती तो मेरी बात कही से सुनेगी। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि गुलाब बाग और पूर्णिया जंक्शन से एन०एच० पर ओवरब्रिज बना दिया जाए तो लोगों को काफी सुविधा होगी। क्योंकि आज स्थिति यह है कि वहां एक बार यदि ट्रेन के लिए फाटक बंद हो जाए तो 400-500 गाड़ियों की कतार लग जाती है। बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि अस्पताल नहीं पहुंच पाते। दूसरी कोई सड़के नहीं है। 25 व्यक्तिगत मांग भी है कि जिस पुल के लिए मैंने आपको सदन में और बाहर भी निवेदन किया उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आपने जोगबनी को जोड़ा है। आपने भारत के साथ दिल को जोड़ा है। विराट नगर जोगबनी का दिल कहलाता है। नेपाल का दिल कहलाता है और उस विराट नगर और जोगबनी के बॉर्डर को जोड़कर आपने भारत क साथ न्याय किया है। इंटरनेशनल मामला था और हमारे पूर्णिया जंक्शन को वह क्रॉस करता है। लेकिन हमारी आपसे दो मांगें थीं। मंत्री जी कुर्शीला गए थे और उद्घाटन किया था। मैंने कहा था कि भनमंती से बिहारीगंज तक अभी छोटी लाइन है, उसको ही आप बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दें। बक्तियारपुर या सहरसा को जोड़ दिया जाए। मैंने आपसे विनती की थी। ...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : सहरसा, पूर्णिया, मधेपुरा ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : सहरसा, पूर्णिया बाया मधेपुरा की तो बड़ी लाइन की मांग करता हूं लेकिन भनमंती से बाया बिहारीगंज और बक्तियारपुर जोड़ने के लिए छोटी लाइन की मांग करता हूं कि आप उसको आगे बढ़ा दें क्योंकि बिहारीगंज तक ही है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जो छोटी लाइन है, उसी को बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दीजिए। यह हमारी आपसे विनती थी।

श्री राम विलास पासवान : यह जो बीच में आप ओवर ब्रिज का मामला कह रहे हैं, मैंने कहा कि मैं तो तैयार हूं। यह ओवर ब्रिज के संबंध में बार-बार कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि रेलवे ...*(व्यवधान)* जोशी जी, सुनिए, रेलवे के ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज के बारे मैंने सदन में बताया कि इसका नियम है। ओवर ब्रिज हो या अंडर ब्रिज हो, यदि वह पी०डब्ल्यू०डी० की सड़क है, या स्टेट गवर्नमेंट की है तो स्टेट गवर्नमेंट को आधा पैसा बियर करना पड़ता है। यदि वह नेशनल हाई-वे है तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को आधा पैसा बियर करना पड़ता है। रेलवे का पैसा हम तब देते हैं जब वह मिनिस्ट्री तैयार हो जाती है। उस मिनिस्ट्री को आप तैयार कर लीजिए, हम अपना पैसा दे देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैंने पहले भी कहा कि बिहार के मामले में सदन वाकिफ है। हम बिहार से कहां से पैसा लेंगे ? कहां से पैसा देंगे ? हम नहीं जानते हैं। जब हम राम विलास पासवान जी को मुख्य मंत्री बना देंगे तो हम जानेंगे कि क्या किया है। तब हम समझेंगे कि क्या करना चाहिए लेकिन सवाल है कि जो बिहारीगंज और कोपरिया के बीच का था, माननीय मंत्री जी, मैं जिस जगह से आता हूं, पूर्निया कोट स्टेशन में मेरा घर है। पूर्निया कोट स्टेशन और बाराबंकी जंक्शन, मैंने कई बार आपसे कहा है कि वहां रख-रखाव के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कोई रूम नहीं है ओर वहां कोई प्रतीक्षालय नहीं है। लेकिन उस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैंने कई बार कहा कि भनमंती ऐसा जंक्शन है कि वहां से एक पार से दूसरे पार जाने के लिए कोई ब्रिज नहीं है। ट्रेन के आने से बच्चे कट जाते हैं। जानकी नगर एक ऐसा स्टेशन है जहां पर कोई शैड ही नहीं है। इतना बड़ा नगर है जहां से रेवेन्यू आता है लेकिन शैड नहीं है। एक बाजार है। मंत्री जी, आपको याद होगा कि मैंने कई बार मांग की कि कलभत 43 को विस्तृत किया जाए। सोनपुर

मंडस में कालागोला प्लेटफॉर्म की लम्बाई बढ़ाई जाएं। इसका कारण है कि प्लेटफॉर्म अभी छोटी लाइन के अनुसार पूरा नहीं है। लेकिन आज तक नहीं किया गया और न बड़ी लाइन बनाई गई। प्लेटफॉर्म की लम्बाई यदि बढ़ाई गई तो उसमें शैड और रोशनी की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। कटिहार सहरसा के बीच तीन पैंसेजर गाड़ियां चलती हैं। दिन में एक पैंसेजर गाड़ी चलाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ऐसी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं।

जहां तक निर्मली सपरा का नई रेलवे लाइन बिछाने की बात है, आपको याद होगा कि ललित नारायण मिश्रा जी के जमाने में यह प्रस्ताव लिया गया था। उसकी भी स्वीकृति मिली थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। मैं विनती करना चाहता हूं, रेल मंत्री महोदय से, कि निर्मली से सरायगढ़ तक आप इसको जोड़ते हैं, तो फारबिशगंज, जोशबनी, निर्मली से दरभंगा तक की दूरी तीस से. साठ मिनट में तय हो जाएगी, और 12 घन्टे का समय नहीं लगेगा। इसी तरह की और भी कई मांगे हैं। ... पिछली बार भी मैंने कहा था, हजारीबाग में कोई बड़ी लाइन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही है। साथ ही हजारीबाग के लिए के बुकिंग आफिस की व्यवस्था भी रहनी चाहिए। ... *(व्यवधान)* जैसे मैंने आपसे कहा था, शक्तिपुंज एक्सप्रैस में फर्स्ट क्लास स्लीपर के साथ-साथ इस गाड़ी को मुर्कण्डा पर भी रोकना चाहिए। जब पिछले दिनों मैं मुर्कण्डा एक सभा में गया था, तो इसकी मांग थी। इसी प्रकार दस दिन पहले जब मैं धनबाद गया था, तो पुरुषोत्तम एक्सप्रैस को धनबाद से होकर जाने की मांग की गई थी। मंत्री जी ने गंगा पर ओवर-ब्रिज देने का काम किया है। आजादी के बाद ही नहीं, बिहार में ही नहीं, बिहार का बड़े से बड़ा मुख्य मंत्री क्यों न बन जाता, आपने मुंघेर और खगरिया के बीच में रेलवे पुल देने का जो निर्णय लिया है, बिहार के लिए तो गर्व की बात छोड़ दीजिए, आपको उस इलाके के लोग साधुवाद ही नहीं देंगे, बल्कि नमन भी करेंगे। जो कभी सपना नहीं था, उसको आपने साकार किया है। कई बार ब्रह्मदेव मंडल और कई लोग भूख-हड़ताल पर बैठे थे, जो सदन में नहीं हैं। कई लोगों की मंशा थी, बूढ़े-बूढ़े लोगों की मंशा थी, जिसको आपने साकार किया है।

अंत में, माननीय रेल मंत्री जी बिहार के नक्शे से चिर-परिचित है। मैं बिहार के नक्शे की ओर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। बिहार को देश में और दुनिया में सम्मान मिले, इसलिए आपको बिहार के लिए और ताकत लगानी पड़ेगी। वहां पर बहुत से पर्यटक स्थल हैं। इन स्थानों के लिए रेल लाइनें और अच्छी-अच्छी गाड़ियां देकर यदि इन स्थानों के दिल्ली और बम्बई से जोड़ते हैं, तो वहां का विकास होगा। मैंने आपसे यह भी मांग की है कि बिहार से एक सीधी गाड़ी बम्बई के लिए दें, जिसमें ए०सी० की व्यवस्था हो। इसी प्रकार मैंने आपसे गुवाहाटी गाड़ी के बारे में कहा, जो हावड़ा होकर जाती है। ... *(व्यवधान)** यदि इसको एक दिन कटिहार होते हुए हावड़ा राजधानी ले जायें, तो उस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात होगी। यदि बिहार के पर्यटक स्थलों को आप नई ट्रेन्स से जोड़ने का काम करते हैं, तो आप साधुवाद और नमन के पात्र होंगे।

मैं अपने इलाके के बारे में आग्रह करूंगा। पुर्णिया जंक्शन से मधेपुरा, बिहारीगंज से पपड़िया और गोलाबा--कोई पैसा दे या न दे, मेरी आपसे व्यक्तिगत विनती है, यदि आप चाहते हैं कि हम दोबारा सदन में आ सकें और यदि आप उन लोगों के साथ मिल गए, तो मुझे कुछ कहना है। हमारी मंशा है, हम सदन में आयें या न आयें, इस देश में हम आपको मुख्य मंत्री की कुर्सी पर अगली बार बैठायेंगे। हम लोग चाहते हैं कि यदि मुख्य मंत्री न हो आगे के लिए हम लोग भी सोच सकें, तो गोलाबा के लिए भी आप सोचें। ... *(व्यवधान)** आपको देखा, तो एक बात याद आ गई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : इनको मुख्य मंत्री बनाइए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : चेयरमैन साहब, आपको देखा तो एक बात याद आ गई। धनबाद के इलाके में जो कोल-फील्ड हैं, वहां मजदूरों के लिए कोई सड़क नहीं है।*(व्यवधान)** झरिया से लेकर सभी कोल फील्ड रेल लाइन से जुड़ी हुई हैं। यदि कलकत्ता की तरह उस रेल लाइन पर लोकल ट्रेन डाल दें ...

सभापति महोदय : उनसे मिलिए, सलाह-मशविरा कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इसको भी जोड़ने का काम करेंगे, तो बहुत बड़ी बात होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद *(व्यवधान)** आपने समय दिया। राम विलास जी जो मुद्दे उठाए हैं, उनका ध्यान रखिएगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश आर० जाधव : सभापति महोदय, आज रेलवे के अनुदान की पूरक मांगों पर हम चर्चा कर रहे हैं। रेल मंत्रालय या रेल मंत्री, श्री रामविलास पासवान को यह तो कबूल करना होगा कि रेल का जो रेवेन्यू है, जो रेल की पूरी इंकम है उसमें 1/3 से अधिक इंकम हमारे महाराष्ट्र से आती है। मुंबई के जो महाराष्ट्र के इलाके हैं। रेल का 1/3 से अधिक रेवेन्यू महाराष्ट्र देता है। रेल बजट में हमने इस सदन में चर्चा की है, रेल के मुख्य बजट में और जो ये अनुदान की पूरक मांगें हैं उन पर भी महाराष्ट्र के ऊपर अन्याय हुआ है। मैं मंत्री जी से इतनी ही आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि जो महाराष्ट्र रेल का 1/3 से अधिक रेवेन्यू देता है उस महाराष्ट्र के ऊपर राजकीय दृष्टिकोण से अन्याय मत करो।

महोदय, मुझे मालूम है और पूरे सदन को भी यह मालूम है कि रेल मंत्रालय के पास पैसे की कमी है, साधनों की कमी है और वस्तुओं की कमी है, लेकिन फिर भी जो रेल के पास रकम है क्या वह रकम रेल मंत्रालय अनुचित काम के लिए खर्च कर रहा है, यह देखना पड़ेगा ? यह जो रकम है इसका आज रेल मंत्रालय की तरफ से सही सदुपयोग हो रहा है या राजनीति सामने रख कर रेल मंत्रालय का यह बजट सदन में लाए हैं, यह हमें देखना चाहिए। हमारे रेल मंत्री जी राजनीति करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन फिर भी हरेक राजनीति करने वाला तो राजनीति करता ही है। रेल मंत्री जी ने बहुत कुछ नयी घोषणाएं की हैं लेकिन जो पुराने प्रोजेक्ट हैं, जो वर्षों से पैंडिग पड़े हैं। उनकी तरफ कौन देखेगा। रेल मंत्री जी ने जनता को खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं कर दी लेकिन हमारा कहना है कि मंत्री जी को पहले पैंडिंग प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे मालूम है और पूरे सदन को जानकारी है कि रेल के लिए बजटरी सपोर्ट कम है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद रेल का जो बजटरी सपोर्ट है वह दिन-पर-दिन कम होता जा रहा है, यह हम सब को मालूम है। लेकिन फिर भी ये जो महत्व के मामले हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, कोई भी राजनीति सामने रख कर रेलवे का बजट इस सदन में नहीं लाना चाहिए।

मैं दु:ख के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र के साथ रेल मंत्री ने सौतेला व्यवहार किया है। मैं जिस क्षेत्र का, परबनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं वह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र हैं। मराठवाड़ा रिजन, विदर्भ रिजन बहुत पिछड़ा हुआ है। मैंने अपनी मांगों के बारे में बहुत बार रेल मंत्री को चिटठी लिखी हैं। मैं रेलवे कंस्लटेटिव कमेटी का सदस्य भी हूं। जब बंगलौर और मैसूर में मीटिंग हुई थी तो देवगिरी एक्सप्रेस के बारे में मेरी कुछ मांगें थीं। मैंने कंस्लटेटिव कमेटी में जो चिट्ठी दी, उसका जवाब भी मुझे आज तक नहीं मिला है। यह बहुत दु:ख की बात है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुरेश आर० यादव]

परबनी से मुखेर तक बड़ी लाइन का काम हो गया है लेकिन मुखेर से आगे आदिलाबाद तक काम करने की बहुत जरूरत है। मैं रेल मंत्री से मांग करूंगा कि इस काम को यथाशीघ्र करने के लिए हाथ में लिया जाए और इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जाए। परबनी क्षेत्र में पुरना जंक्शन बहुत पुराना है। परबनी, पुरना, गंगाखेड़, मानवल, सेलू, परतूर में रिजर्वेशन का जो कोटा है वह बहुत कम है। यह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरी मांग रिलेटिड होगी या नहीं होगी लेकिन मैं रेल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यहां का जो थोड़ा-सा रिजर्वेशन कोटा है वह बढ़ाने की मंत्री महोदय कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएं।

मेरी दूसरी मांग है कि मेरे क्षेत्र में अनमैन्ड गेट बहुत हैं। इनके बारे में रेल मंत्री महोदय ने बहुत बार मीटिंग्स में भी कहा है कि वे अनमैन्ड गेट्स की तरफ भी सोचेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं किया है। वे खाली बोलते रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से कुछ नहीं किया गया है। अनमैन्ड गेट्स होने के कारण इन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि उन गेटों की भी अनदेखी न की जाए।

रेल के पास पैसा कम है और काम ज्यादा है। परबनी में, मराठवाड़ा रिज़न में नया प्लेटफार्म बनाने का काम किया है। परबनी, सेलू, मानवत में निकृष्ट दर्जे का प्लेटफार्म बना है और उसमें करप्शन हुई है। मैं मानता हूं कि रेलवे के पास काम ज्यादा है और पैसा कम है लेकिन जब हम इस काम को देखते हैं तो यह काम सही ढंग से बना नहीं है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। रेल मंत्रालय के पास पैसे की कमी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि रेलवे में अच्छी क्वालिटी का काम हो, ऐस्टिमेट रेट में बने और काम में खराबी न आए। अगर कहीं बोगस काम हो और करप्शन हो तो उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। दोषी लोगों को सजा देना जरूरी है।

मराठवाड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। अगर वहां गेज कनवर्शन का काम है, लइान को फिर से बिछाने का काम है या नई लाइन देने का काम है तो रेल मंत्री जी उस तरफ खास तौर पर ध्यान दें। रेल मंत्री जी परभनी आने वाले थे। उनको मालूम है कि मराठवाड़ा पिछड़ा इलाका है। वह वहां के पैडिंग वर्कस की तरफ ध्यान दें।

आखिर में मैं यह कहूंगा कि महाराष्ट्र की तरफ देखा जाए मगर प्यार से देखा जाए क्योंकि महाराष्ट्र से उन्हें सबसे अधिक रेवेन्यू प्राप्त होता है। महाराष्ट्र के बारे में बाकी बातें मेरे दल के साथी गीते जी ने यहां कह दी हैं। मैं उनसे सहमत हूं। आपने मुझे सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, जिसे सामान्यतः उत्तरी बंगाल कहते हैं, में छः जिले हैं जो कि रेलवे के मानचित्र पर सर्वाधिक उपेक्षिक हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने पुरज़ोर आवाज़ में यह मामला उठाया है। आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में काफी अधिक बोले हैं। आप उस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं परन्तु आप उत्तर क्षेत्र का विकास किये बिना पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं क्या यह एक रास्ता है बहुत अनमने ढंग से मैं बजट का समर्थन करता हूं।

आपको पता होना चाहिये कि आप सिलीगुढ़ी को कूचबिहार से अलग नहीं हटा सकते हैं आप जलपाइगुड़ी से नहीं हटा सकते हैं। यदि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र से संपर्क चाहते हैं। इस बजट में मैंने राजधानी एक्सप्रैस का नये कूचबिहार पर ठहराव की मांग की थी। आपका उत्तर "नहीं" था। हमने सरायेधार एक्सप्रैस का ठहराव नही कूचबिहार पर करने को कहा था। आपका उत्तर था "नहीं" था। हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये, अधिक सुविधाओं के लिये दोहरी लाइन की मांग की थी और नई जलपायीगुड़ी और नई कूचबिहार के लिये भी दोहरी लाइन की मांग की थी आपने "नही" कहा। फिर भी हम अनमने मन से बजट का समर्थन कर रहे हैं।

मंत्री महोदय, आपको याद होगा कि आपने अपने पिछले बजट भाषण में कहा था कि कलकत्ता से उत्तर बंगाल के लिये एक शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ी चलायी जायेगी। उस समय मैंने स्वयं कहा था कि यह गाड़ी सियालदाह से कूचबिहार तक चलायी जाये। मुझे यह नहीं पता कि इसका क्या हुआ। 15 अगस्त कुछ ही दिन दूर है। मैंने देखा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और कुछ भी नहीं किया गया है। आज आपको इस सभा को बताना होगा कि क्या आपने अपने पिछले बजट भाषण में सियालदाह से उत्तर बंगाल के बीच शताब्दी एक्सप्रैस चलाने का आश्वासन दिया था।

सिलीगुड़ी से अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच आमान परिवर्तन के संबंध में भी बजट भाषण में बताय गया था। परन्तकु उस क्षेत्र में अब तक एक भी इंच कार्य नहीं हुआ है। बजटीय आश्वासन केवल कागजों पर ही रह गया और कुछ नहीं हुआ। मैनागुड़ी से गोगीगोपा बरास्ता चग-बंधा, मथाभंगा न्यू कूचबिहार तूफान गंज, बक्षीरहाट और गोलाबगंज की रेल लाइन के सर्वेक्षण के बारे में आपने आश्वासन दिया था कि आप सर्वेक्षण को पूरा करवायेंगे। अभी कुछ दिन पहले सलाहकार समिति और स्थायी समिति की अनौपचारिक बैठक हुई थी।

चूंकि मैं रेल मंत्रालय से संबद्ध सलाहकार समिति का सदस्य हूं, मैं बैठक में उपस्थित था। उस समय यह बताय गया कि रक्षा मंत्रालय ने उस पर आपत्ति की थी, अतः इस कारण कार्य करना संभव नहीं हुआ।

मेरा प्रश्न यह है कि मैं स्पष्टतः यह जानना चाहता हूं कि सिलीगुड़ी-माल-हाशी-मारा-राजा भगवा अलीपुरद्वार आमान परिवर्तन का कार्य क्यों नहीं हो सका। 1949 की भारत-भूटान संधि के अनुसार समस्त रेल लाइन ब भूटानी सीमा में आती हे। यह भरत की भूमि पर नहीं है। हमने इसे पट्टे पर लिया है, 1949 की संधि के अनुसार। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि संधि दस्तावेज का अध्ययन करें। जो भारत से जुड़े हैं, वे हैं दार्जिलिंग, जलपाइगुड़ी, जिला ग्वालपाड़ा और बोंगाइगाँव है। इन क्षेत्रों के पश्चात यह पट्टे पर है। हम इस पट्टे के लिये भूटान सरकार को किराय देते हैं।

इस संधि पर हस्ताक्षर करते समय यह निर्णय लिया गया था कि किसी भी समय इसे खाली कर सकते हैं। तो हमारी क्या स्थिति होगी? यह कैसे हुआ कि उन्होंने यह बताया कि इस रेल लाइन को मीटर गेज से बड़ी लाइन में बदला जायेगा? और उसके बाद रक्षा मंत्रालय बीच में क्यों आ रही है। मैं उनकी आपत्ति को न्यायोचित नहीं मानता हूं। संपूर्ण उत्तर बंगाल, सीमा पर है और यह रास्ता है। बागडोगरा विमान पत्तन से 20 कि०मी० की दूरी पर एक ओर बंगला देश और दूसरी ओर नेपाल है। यहाँ पर रास्ते मिलते हैं। सम्पूर्ण उत्तर बंगाल भूमि की एक छोटी सी पट्टी है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता है। वर्ना हमें आसमान में रेल लाइन बनानी होगी और प्रथ्वी पर नहीं बन सकती है। यह स्थिति है।

यदि रेल मंत्री महोदय को इस स्थिति की जानकारी है तो उन्होंने यह कैसे कह दिया कि यह हो जायेगा ? वे मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं और रक्षा मंत्री महोदय भी मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। रक्षा मंत्रालय ने यह कह कर आपत्ति उठायी है कि भूमि भूटासन से पट्टे पर ली गई है। प्रस्तावित सम्पूर्ण मीटर गेज लाइन जिसका आमान परिवर्तन किया जान है वहीं पर आ जाती है। यह आपत्ति अन्तिम क्षणों में क्यों उठाई गई जबकि मंत्री महोदय ने यह कह कर आश्वासन दिया कि वे आमान परिवर्तन के लिये तैयार हैं।

अब मैं न्यू मैनागुड़ी से जोगीगोया बरास्ता चन्द्रखन्धा, माठाभागा, न्यू कूचबिहार, तूफानगंज, बशीरद्वार और गोलकगंज के लिये रेल लाइन के सर्वेक्षण पर आता हूँ। यहाँ यह बताया गया कि रक्षा संबंधी आपत्तियों के कारण सर्वेक्षण नहीं किया जा सकता है। यहाँ इसे ही पुनः प्रमुख कारण बताया गया है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि एनएफ रेलवे में न्यू कूचबिहार से गोतालडाहा रेल लाइन पर मेरसा नदी के ऊपर रेल पुल के संबंध में हैं। यह बहुत ही जीर्णक्षीर्ण अवस्था में है वे कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार धनराशि दे। वर्ना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं रेलमंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या रेल मंत्रालय इतना गरीब है कि वह पुल की मरम्मत के लिये एक करोड़ रु० भी नहीं खर्च कर सकता है। यदि ऐसा है तो उन्हें यह कहने दीजिये कि वे संपूर्ण उत्तर बंगाल क्षेत्र से रेल लाइन को हटाना चाहते हैं। वे ऐसा भेदभाव कयों कर रहे हैं ? मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कम से कम अब आप निजी रुचि लें और इस क्षेत्र की बेहतरी के लिये कुछ करें।

महोदय, जहाँ तक बारासात-हसानाबाद लाइन का सवाल है, सर्वेक्षण पहले ही पूरा हो चुका है। परन्तु अनुपूरक मांगों में विद्युतीकरण के लिये धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तरी भाग में केवल राजधानी एक्सप्रैस को छोड़कर कोई सुपरफास्ट नहीं है। कृपया राजधानी एक्सप्रैस रेलगाड़ियों को अन्य क्षेत्रों में मत ले जाइये। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि न्यू जलपाइगुड़ी और नया कुचबिहार के बीच जो कि 200 कि०मी० की दूरी है। राजधनी एक्सप्रेस का कम से कम एक ठहराव अवश्य होना चाहिये। पिछले दिनों सलाहकार समिति की बैठक में यह आश्वासन दिया गया था कि यह हो जायेगा। मुझे यह नहीं पता है कि यह कब होगा। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि यह हो जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : डिफैन्स मिनिस्ट्री का जवाब आ गया है और सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है।

श्री पी०एस०गढ़वी (कच्छ) : महोदय, 1997-98 की रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इन अनुदानों में रेल मंत्रालय ने पिछड़े इलाकों के विकास के लिए ध्यान दिय है और उसके लिए जो कार्रवाई करेंगे उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस देश में उत्तर-पूर्व का भाग, बिहार और कश्मीर ही पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है बल्कि उनसे भी ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका पश्चिम में सरहदी इलाका है और गुजरात में मेरा जिला है। इस क्षेत्रा का विस्तार 45000 वर्ग मील है और वहां रेलवे की सुविधा सिर्फ 200 किलोमीटर ही है। उस इलाके में भी बिहार की तरह अधिक मात्रा में खनिज संपत्ति है। उस इलाके से कई लोग स्थानांतरण कर गए हैं। हर पाँच साल में तीन साल अकाल के होते हैं। वहाँ कोई आमदनी नहीं हैं। अगर उस क्षेत्र का विकास करना है तो रेलवे पिछड़े हुए इलाकों पर जैसे ध्यान देती है वैसे ही ध्यान वहां केन्द्रित करना चाहिये।

पिछले रेलवे बजट में भुज-गांधी धाम ब्रौड गेज की हमारी मांग थी, उसका प्रावधान इसमे किया गया है लेकिन भुज-गांधी धाम से आगे जो खनिज संपत्ति का इलाका है, वहां लिग्नाइट, बैंटोनाइट, लाइम स्टोन निकलता है। लेकिन जो भुज से नलिया की मीटर गेज की लाइन है वह डिफेन्स की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है इसलिए उसको ब्रौड गेज में कन्वर्ट करने की बहुत आवश्यकता है। अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आपको याद होगा कि 1965 और 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो हमारे सैनिकों को वहां जाने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि भुज से नलिया तक रेलवे लाइन को ब्रौड गेज में कन्वर्ट कराने के लिऐ प्रावधान करें। भुज से पनामधो तक भी रेलवे विस्तार करे।

गुजरात में पश्चिम रेलवे की सबसे बड़ी लाइन है लेकिन वहां का हैड क्वार्टर मुम्वई में है। इसके कारण कई बार बहुत दिक्कत होती है। अभी फरीदाबाद में जो ऐक्सीडेण्ट हुआ, उस समय अधिकारियों को वहां पहुंचने में मुश्किल हुई थी। गुजरात में भी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गुजरात की पूरी रेल लाइन पश्चिम रेलवे में है। गुजरात में कांडला पोर्ट उत्तर भारत का एक मेजर पोर्ट है। दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 50 साल बाद भी ये मेजर पोर्ट अपनी राजधानी से ब्रौड गेज से जुड़ा हुआ नहीं है। जब तक आप इसे ब्रौडगेज से नहीं जोड़ेंगे, तक तक कांडला पोर्ट का विकास नहीं हो पाएगा और मेरे क्षेत्र के लिए यह बहुत अहम बात है कि उसको ब्रौडगेज के साथ जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए। हमारा पूरा इलाका बॉर्डर पर स्थित है। मेरी रेल मंत्री जी से विनती है कि कच्छ से शुरू होकर पंजाब और राजस्थान के सारे बॉर्डर इलाके को मिलाते हुए एक रेलवे लाइन बनाने की व्यवस्था आप कीजिए क्योंकि संकट के समय, डिफैंस पाइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत जरूरत है।

हमारे यहां गांधीधाम में मुंदरा पोर्ट अभी विकसित होना है और मुंदरा पोर्ट को रेल से जोड़ने की मांग कुछ निजी क्षेत्र के उद्यमियो ने की है जो गांधीधाम से जोगड़ीनाल होते हुए मुंदरा तक जाए। आप जानते है कि कच्छ से पूरे भारत को नमक जाता है, कच्छ में नमक का उत्पादन बहुत होता है। रेलवे लाइन न होने से नमक उत्पादकों को अपना माल बाहर भेजने में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि अभी पालनपुर तक ही रेलवे लाइन ब्रौडगेज की गई है। हमारे यहां सथिलपुर और कच्छ से जितना नमक जाता है। अभी वह पालनपुर होकर जाता है। नमक उत्पादकों की काफी समय से मांग है कि वहां एक ट्रांसशिपमैंट पाइंट रखा जाए। इस संबंध में अनेक बार हम रेलवे मंत्रालय को कह चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। पहले ट्रांसशिपमेंट पाइंट वाखाने में रखा गया था। जब बिरमग्राम-ओखा लाइन ब्रौडगेज हुई, उस समय नौलखे के नमक उत्पादकों के लिए ट्रांसशिपमेंट पाइंट वाखाने में रखा में रखा गया था। वैसे ही जब जोधपुर लाइन ब्रौडगेज में बदली, तब भगत-की-कोठी मे ट्रांसशिपमेंट पाइंट रखा गया। नमक उत्पादकों की इस मांग को मैं बहुत न्यायोचित मानता हूँ कि वहाँ एक ट्रांसशिपमेंट पाइंट रखा जाए क्योंकि इससे उन्हें बहुत सुविधा हो जाएगी और कच्छ इलाके से पूरे भारत को नमक आसानी से भेजा जा सकेगा।

रेलवे के पास फालतू जमीन बहुत है। हमारे यहाँ भुज में नया रेलवे स्टेशन बना है। पुराने रेलवे स्टेशन के पास लगभग 50-100 एकड़ जमीन फालतू पड़ी है, जिस पर एन्क्रोवमेंट हो रहा है। बाजार में जमीन की कीमत देखें तो 50 लाख रुपए प्रति एकड़ है। अगर उसके उपयोग पर रेलवे ध्यान नहीं देगी तो पूरी जमीन पर एन्क्रोवमेंट हो जाएगी। ऐसी ही स्थिति भावनगर और जामनगर में भी है।

[श्री पी०एस० गढ़वी]

हमारे कच्छ के लोग अकाल के कारण देश के दूसरे हिस्सों में जाकर बसे हैं। अभी ऊड़ी-ओखा लाइन पर सप्ताह में तीन बार ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है, यदि ऊड़ी-ओखा लाइन पर चलने वाली गाड़ी को गांधीधाम तक सप्ताह में एक बार चलाया जाए तो उस एरिया के लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। लम्बी दूरी की जितनी ट्रेनें हमारे यहां चलती हैं-हावड़ा से अहमदाबाद, कोचीन से अहमदाबाद, चिन्नई से अहमदाबाद मेरी मांग है कि उन्हें गांधीधाम तक एक्टैंड किया जाए। यह मांग वहां की जनता काफी समय से करती आ रही है। मुझे बताया गया है कि गांधीधाम में टर्मिनल फैसिलिटीज नहीं है लेकिन टर्मिनल फैसिलिटीज के लिए लास्ट ईयर के बजट में प्रावधान किया गया था। मैं अपनी मांग फिर से दोहराना चाहता हूं कि लम्बी दूरी की सभी ट्रेनों को हावड़ा-अहमदाबाद, कोचीन-अहमदाबाद, चेन्नई-अहमदाबाद ट्रेनों को गांधीधम तक एक्सटैंड किया जाए जिससे गांधीधाम और कच्छ के लोगों को शेष भारत में कहीं भी आने जाने के लिए कनैक्शन मिल जाएगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अपराह्न 4.57 बजे

पोर्ट टू पोर्ट कनैक्शन होना भी बहुत जरूरी है तथा राजधानी के साथ कनैक्शन होना जरूरी है। अभी नई दिल्ली अहमदाबाद राजधानी ट्रेन चलाने की बात हुई, मेरी मांग है कि इसे सप्ताह में एक दिन न चलाकर, सभी दिन चलाया जाए क्योंकि अहमदाबाद से राजधानी को जोड़ना बहुत जरूरी है।

अभी सिटीज में रेलवे की जो फैसिलिटीज दी जा रही है लेकिन विलेजेज में जो लोकल सुविधाएं पहले सी थीं, उन्हें बंद किया जा रहा है। हमारे यहां अहमदाबाद से वोड्डा लोकल ट्रेन को दो साल पहले कैंसिल कर दिया गया। यदि जरूरी लोकल ट्रेनों को आप इसी तरह बंद करते जाएंगे, सिटीज में सुविधएं बढ़ाते जाएंगे, मैं आपकी इस नीति को ठीक नहीं मानता। इसी तरह अहमदाबाद जूनागढ़ लाइन पर पहले तीन बार ट्रेन चलती थी लेकिन अब आपने उसे दो बार कर दिया। हमारे यहां भावनगर, वोड्डा, धौलका, बावड़ा, विरमग्राम और धंधुका के लोगों की काफी समय से मांग है कि दिल्ली और बम्बई में उनका रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया जाए।

अपराह्न 5.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, इस समय भावनगर से मुंबई के बीच में कोई भी सीधा ट्रैक नहीं है। इन दोनों स्टेशनों के बीच में सीधा ट्रैक बनाने की सुविधा प्रदान की जाए। हमारे गुजरात के सूरत शहर से पूरे देश का बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन सूरत के साथ जो साउथ बाउंड गाड़ियां हैं, सूरत-जलगांव ट्रेन है, उसमे एक ही ट्रैक है। उसमें यदि दो ट्रैक दिए जाएं, तो बहुत सुविधा मिलेगी। अहमदाबाद मुंबई के बीच में दिन प्रति दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और रेलवे ट्रैक के कारण बहुत ज्यादा इकनौमिकली और इंडस्ट्रियली डिवेलपमेंट हुआ है। अभी वहां पर सिर्फ दो ट्रैक हैं। अगर वहां पर तीसरे ट्रैक का प्रयत्न किया जाएगा, तो बहुत सुविधा रहेगी। हमारे भुज रेलवे स्टेशन का नाम "नया भुज" कर दिया गया है जिसकी एंट्री कंप्यूटरों में नहीं हुई लगती है क्योंकि जब यहां से या कहीं से भी भुज का टिकिट मांगते हैं, तो भुज का टिकिट नहीं मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये छोटी-छोटी जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यहां कहा गया है कि यदि पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना है, तो वहां पर रेलवे को पहुंचाना होगा और ऐसा करते समय रेलवे की इन्कम होगी या नहीं, इस बात को नजरअंदाज करना पड़ेगा। यदि इकनौमिक आधार को लेकर चलेंगे, तो पिछड़े क्षेत्रों का विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनका विकास रेलवे के पहुंचने के बाद होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी सुविधा का प्रावधान रेलवे को करना चाहिए।

श्री मंगत राम शर्मा (जम्मू) : आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यहां रेलवे की सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर बहस हो रही है। मुझे बहुत खुशी है कि जो भी मैम्बर्स बोले, चाहे वे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, सब ने जम्मू कश्मीर, इस्टर्न और नार्थ इस्टर्न स्टेट्स के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने जो एक्सपेंशन करने का काम प्रपोज किया है, उसकी सराहना की है। चूंकि मैं तो जम्मू कश्मीर से चुनकर आया हूं, इसलिए जम्मू कश्मीर की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, अपने बाकी कुलीग की तरफ, रेल मंत्री के हम शुक्रगुजार हैं। मंत्री महोदय ने इसमें बताया है कि जम्मू से उधमपुर तक अगले साल रेलवे लाइन मुकम्मल हो जाएगी और उधमपुर से कटरा तक, जहां पर माता वैश्णो देवी का मंदिर है, उस रेलवे लाइन पर भी इस साल काम तेजी से चालू होगा। खासतौर से इन्होंने गाजीपुर से बारामुला के काम का जो आगाज़ किया है वह काबिले तारीफ है। प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहां गए थे। मेरे कहने का मकसद यह है कि कंस्ट्रक्शन का काम लगे ताकि वहां भी लोगों को रोजगार मिले। उधमपुर और कटरा में भी काम लगे, ताकि जम्मू कश्मीर में जो बेरोजगारी है, वह दूर हो। वहां के लोगों को, वहां के लेबरर्स को काम मिले और जो तरक्की का रास्ता है, उस पर लोग चले। इस बात के लिए मैं रेल मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। जो हमारी पसमांदी रियासत है उसकी तरक्की की तरफ मंत्री महोदय और ज्यादा ध्यान दें।

आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे इस बात की खुशी है कि पासवान जी ने पूरे हिन्दुस्तान की तरफ ध्यान दिया है। यह नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने किसी प्रान्त या किसी इलाके को इगनोर किया है या नजरअंदाज किया है। जहां तक संभव हो सका है, कुछ न कुछ रेलवे की तरक्की हर प्रान्त और हर इलाके में करने का इन्होंने यत्न किया है। कहीं ब्राडगेज लाइन बनाई जा रही है, कहीं रेलवे लाइन का एक्सपैंसन किया जा रहा है, कहीं नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, कहीं नई रेल गाड़ियां चलाई जा रही हैं और कहीं नए पुल बनाए जा रहे हैं। गर्ज यह है कि रेलवे की दृष्टि से मंत्री महोदय ने पूरे भारत को एक अपना इलाका समझकर, अपना क्षेत्र समझकर, अपनी कांस्टीट्यूएंसी समझकर ध्यान दिया है।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब रेलवे बजट पेश हुआ था, तो हमारे केरल, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ आनरेबल मैम्बरान ने ऐतंराज किया था कि हमारे इलाके की तरफ काफी कम ध्यान दिया गया है, तो रेल मंत्री महोदय ने फौरन उन स्टेटों में कोई न कोई नए प्रोजैक्ट शुरू कर दिए। इसी प्रकार से एम. पीज. की मीटिंग करके, उनसे बात कर के, उनके कई मसलों को हल करने का प्रयास किया है।

मैं यह महसूस करता हूं कि जब सैंटर के तमाम मंत्री सिर्फ अपने कांस्टीटूएंसी या आपने प्रदेशों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और पूरे हिन्दुस्तान को अपना नहीं समझते लेकिन कम से कम रेल मंत्री श्री पासवान जी

के लिए मैं कह सकता हूं कि उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान को अपना समझकर कुछ न कुछ हर इलाके में करने का यत्न किया है और यह भी खुशी का बात है कि इनके रेलवे के जो अधिकारी हैं, उनसे किस तरह से यह काम लेते हैं। रेलवे के अधिकारियों से, रेलवे के अफसरों से उनका बहुत अच्छा रेपड है और खुशनसीब से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, रेलवे की एडमिनिस्ट्रेशन को लोगो की सेवाओं के लिए इन्होंने लगाया हुआ है। इक्का-दुक्का एक्सीडेंट अगर रेलवे का हो जाता है तो उसका हमें अफसोस है और इनको भी अफसोस है। यह वहां फौरन पहुंच जाते हैं लेकिन आमतौर पर रेलवे के काम में जो तरक्की हुई है, पूरे मुल्क में यह यत्न हो रहा है कि रेल वक्त से चले और रेलों में सफाई हो। रेलों की सेफ्टी का इंतजाम हो और रेलवे में जो भर्ती हो, उसमें तमाम इलाके से, तमाम तबकों के लोगों को मौका दिया जाये। इस किस्म के जो एफर्ट्स हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह बहुत अच्छी कोशिश है और हमें इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए।

जम्मू कश्मीर के बारे में जैसा मैंने पहले कहा था कि इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। वहां एक अहम प्रोजैक्ट को हाथ में लिया है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं। मैं चाहुंगा कि जम्मू से पुंछ तक जो डेढ़ साल पहले इन्होंने सर्वे का ऑर्डर दिया था, यह इन्होंने मुझे बताया था क्योंकि यह मेरा कांस्टीटूऐसी का मामला है और पाकिस्तान के साथ लगा हुआ यह इलाका है। पाकिस्तान की भी वहां रेलें हमारे स्टेट के बार्डर तक आती हैं लेकिन हमारी जो रेलें हैं, वे जम्मू से आगे नहीं आती। वहां से 300 किलोमीटर आगे पूंछ पड़ता है। वह बार्डर का इलाका है और इन्होने वहां सर्वे मंजूर किया है। मुझे इन्होने बताया कि सेटेलाइट से सर्वे हो रहा है लेकिन फील्ड में आम लोगो को पता नहीं है कि सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि सर्वे का आर्डर दिये हुए डेढ़ या सवा साल हो गया, उसका जरूर नतीजा निकालें और सर्वे को फाइनल करके उस प्रोजैक्ट को हाथ में लिया जाना चाहिये।

इस तरह से यहां कहा गया था कि जम्मू में कोच फैक्ट्री का काम अमल में लाया जायेगा ताकि लोगों को रोजगार मिले। जम्मू कश्मीर में लकड़ी बहुत मिलती है और लेबर भी मिलती हैं, तो मेरा कहना यह है कि कोच फैक्ट्री लगने से तो कम से कम पसमांदा लोगों को लिए एक बड़ी बात होगी। उसकी तरफ भी मंत्री जी ध्यान दें।

आपने सप्लीमैंट्री ग्रान्ट्स के लिए दर्ज किया है कि आप क्या-क्या काम करना चाहते हैं तो आपने जालंधर से जम्मू तक डबल लाइन करने का प्रोजैक्ट सप्लीमैंट्री डिमांड्स में लिया है। यहां सरदार साहब पंजाब के तरनतारन इलाके से आते हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। मैं समझता हूं कि जालंधर से जम्मू तक डबल ट्रैक करना निहायत जरूरी था और आपने उस काम को हाथ में लिया है। यह बहुत ही अच्छा काम है। हम इसका सपोर्ट करते हैं। इस तरह से चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन है, उसको बेहतर बनाना और लुधियाना से चंडीगढ़ तक लाइन ले जाने से पंजाब को बड़ा फायदा होगा। इसके अलावा जम्मू से लेकर पंजाब के रास्ते राजस्थान तक आप लाइन मिला रहे हैं रेलवे का लिंक पैदा कर रहे हैं, वह भी एक अच्छी बात है। इससे दो-तीन प्रांतों के लोगों को आने-जाने में फायदा हो जायेगा। यह बड़ी अच्छी बात है।

इस तरह आपने दिल्ली के रेलवे स्टेशन को माडर्नाईज करने का प्रपोजल रखा है। दिल्ली हमारी कैपिटल है और यहां स्टेशन अंग्रेजों के जमाने से बने हुए हैं। इनकी हालत अच्छी नहीं है। इनको माडर्नाईज करना बहुत अच्छी बात है। इस कदम की हम सराहना करते हैं। जम्मू का स्टेशन आप जानते हैं कि वहां वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों के कारण काफी रश होता है। अगर आप स्टेशन को बढ़ाने और माडर्नाईजेशन करेंगे तो मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान के लिए फायदे की बात है।

क्योंकि पूरे मुल्क से लोग माता वैष्णों देवी की यात्रा के लिए जम्मू जाते हैं। इसलिए उस स्टेशन को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इस तरह जम्मू में काफी ट्रेनें आपने चलाई हैं। जम्मू से कन्याकुमारी तक, दीगर कलकत्ता तक, अहमदाबाद तक, पूना तक, तमिलनाडु तक ट्रेन जाती हैं। लेकिन आपने दिल्ली से जम्मू तक शताब्दी ट्रेन शुरू नहीं की। मेरी डिमांड है, क्योंकि इस लाइन पर बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, आर्मी के लोग आते-जाते हैं, इसलिए यदि दिल्ली से जम्मू तक शताब्दी एक्सप्रैस चालू करेंगे तो काफी फायदा होगा।

मैं आर्मी स्पेशल के लिए जोर देना चाहता हूं। कई बार अखबारों में आत है कि सिविल और आर्मी के आपस में झगड़े हो जाते हैं क्योंकि आर्मी के लिए रिजर्वेशन आदि का इंतजाम नहीं होता, खासतौर से ईस्टर्न स्टेट्स और जम्मू से, जहां आर्मी के लोग ज्यादा होते हैं। जब जवान छुट्टी पर आते हैं या ट्रांसफर होते हैं तो उनको ट्रेन में जगह नहीं मिलती। मैं चाहुंगा कि जम्मू से दिल्ली तक और ईस्टर्न स्टेट्स से दिल्ली तक आर्मी की स्पैशल ट्रेन चलाई जाए ताकि आर्मी के जवानों की मूवमैंट सैपरेट हो और सिविल के लोगों से उनकी क्लेश न हो।

मेरे साथी ने बताया कि उनके इलाके में आपने सालभर पहले डोगपुरा से रतलाम वाया बनारसवाला लाइन के सर्वे का आर्डर दिया था। यह राजस्थान की लाइन है। मेरे साथी ने कहा है कि आप यह प्वाइंट उठाएं। वह ट्राइबल इलाका है, मैं चाहुंगा कि आप उस लाइन का सर्वे भी जल्दी मुकम्मल करेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यहां डिमांड्स डिस्कस हो रही है। 39 डिमांड्स हैं और कोई भी माननीय सदस्य उनमे से किसी डिमांड का जिक्र नहीं कर रहा है, वे अपनी डिमांड रख रहे हैं। इसे जनरल बजट समझा जा रहा है। आप अपनी डिमांड बेशक 1-2 रख लीजिए लेकिन उनमें से तो किसी का जिक्र कीजिए।

श्री मंगत राम शर्मा : यह मैंने डिमांड में से अर्ज किया है। मैंने चंडीगढ़ के बारे में कहा, जलंधर के बारे में कहा। हमने काफी प्वाइंटस उसके भी उठाए हैं।

मदुरई से रामेश्वरम तक जो ट्रैक है, उसे आपने डबल करने का प्रपोजल रखा है। मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं भी मदुरई से रामेश्वरम गया था। वहां आने-जाने के साधन अच्छे नहीं हैं। वह इतना बड़ा तीर्थ स्थान है और पूरे हिन्दुस्तान से लोग वहां जाते हैं। इसकी तरफ आपने जो ध्यान दिया है, वह बहुत ही अच्छी बात है। मैं उसके लिये आपकी तारीफ करता हूं। इसी तरह पटना के नजदीक गंगा के पुल का आपने जो प्रपोजल रखा है, वह बहुत ही अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इसके लिए भी आप मुबारक के काबिल हैं। उसे मैंने पहले कहा, आप पूरे हिन्दुस्तान में कहीं न कहीं रेलवे के प्रोजैक्ट मंजूर करके कोई न कोई काम चालू करने का यत्न करते हैं। वैसे भी आपके जो कर्मचारी और स्टाफ हैं, कई मामलों में जैसे रिजर्वेशन आदि में एम. पीज. को उनका जो सहयोग मिलता है, जब हम आपके पास मुलाकात के लिए आते हैं तो आप अच्छे ढंग से मिलते हैं और मामले को हल करने का यत्न करते हैं। इन बातों के लिए मैं आपका, आपके कर्मचारियों और आपके स्टाफ की सराहना करता हूं। मैं समझता हूं कि आप होनहार और आगे बढ़ने वाले नौजवान हैं। आपके दिल में लोगों की सेवा करने का अच्छा जज्बा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने पूरे हिन्दुस्तान को अपनी कौन्सटीटूऐंसी

[श्री मंगत राम शर्मा]

समझकर जो कार्य करना शुरु किया है, उसे मजबूती से करते रहिए। जो प्रोजैक्ट आपने हाथ में लिए हैं, खासतौर से जो सप्लीमैंट्री ग्रांट्स में मैनशन है, उन्हें पूरा कीजिए।

आपने इसमें टोटल प्रोवीजन बहुत नौमीनल रखा है। इससे तो काम चलने वाला नहीं है। हम यह कहेंगे कि आप चाहे प्रधानमंत्री जी को कम्पैल करें, वित्त मंत्री को कम्पैल करें, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपको बजट से कुछ मदद मिले या कहीं से ऐडजस्टमैंट के जरिए जिन नए कामों को आप हाथ में ले रहे हैं, उन्हें तेजी से चलाइए।

अभी हमारा कठुआ एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है। जम्मू से जो एक्सप्रैस ट्रेन चलती है, वे चक्की बैंक में आकर खड़ी हो जाती है। कठुआ जिले में किसी दूसरे स्टेशन पर कहीं खड़ी नहीं होती। मैंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में भी यह बात लाई, आपको भी कहना चाहता हूं कि कम से कम एकाध एक्सप्रैस ट्रेन कठुआ स्टेशन पर जरूर खड़ी कीजिए। कठुआ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और ब्रिग्रेड हैडक्वार्टर है और काफी इलाका उससे जुड़ा हुआ है। मै समझता हूं कि अगर यह मांग आप पूरीह करेंगें, पी. एम. की तरफ से भी आपको लिखा हुआ पत्र पहुंचा है, तो उस इलाके के लोगों का फायदा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके बजट को सपोर्ट करता हूं और आपके काम की सराहना करता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (वांकुरा) : उपाध्यक्ष जी, ये जो रेल सम्बन्धी अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं, इनका मैं समर्थन करता हूं।

समर्थन करके मैं दो-चार बातें रखना चाहता हूं। हमने उम्मीद की थी कि रेल मंत्री राम विलास पासवान जी को जरूर आज जो रेल कर्मचारियों का असंतोष है, इसके ऊपर जरा ध्यान देंगे। रेल कर्मचारी, जिनकी छंटनी, डिसमिसल सन् 1981 में हुई थी, यह किसी चोरी के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए नहीं, डकैती के लिए नहीं, ट्रेड यूनियन आन्दोलन के कारण से हुई। अभी तक भारतीय रेल्वे में, खास करके पूर्वी रेल्वे में ... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : डिमांड नम्बर ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले डिमांड का समर्थन कर दिया।

श्री बासुदेव आचार्य : मैं तो समर्थन करके बोल रहा हूं, राम नाईक जी। पूर्वी रेलवे के कम से कम 48 रेलवे एम्पलाइज हैं, जो अभी तक नौकरी से बाहर हैं, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी उनके फेवर में आ गया और तीन महीने हो गये, हमने कितनी ही चिट्ठियां रेल मंत्री जी को लिखीं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। जो सन् 1981 से नौकरी से बाहर हैं, उनको नौकरी में फिर लाने का यद्यपि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में है। हम रेल मंत्री जी से आशा करेंगे कि इसके लिए और ज्यादा इन्तजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उनके फेवर में है, उस जजमेंट के बाद 300-350 रेल मजदूरों को फिर वहाल किया गया, लेकिन कुछ अभी बाकी हैं, जिनको वे जल्दी से जल्दी फिर जरूर नौकरी में ले लेंगे। आज जब वे जवाब देंगे तो ऐसा वायदा करेंगे। दूसरे उन्होंने एनाउंस किया था, हमको ताज्जुब होता है कि रेल मंत्री घोषणा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता है, रेलवे बोर्ड उसके ऊपर कोई अमल नहीं करता है। पुरुलिया में मंत्री जी ने छह जून को ऐसी कई घोषणाएं कीं, उनको याद होगा कि जो कोल एण्ड ऐश हेंडलिंग मजदूर स्टीम लोको बन्द हो जाने से जिनकी छंटनी हो गई, उनको रेलवे में पुनर्बहाल किया जाएगा, सफाई वालों में उनको लिया जाएगा। छह जून के बाद आज 11 अगस्त हो गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई।

श्री राम विलास पासवान : कार्यवाही हुई है। फाइल आई है। आपने उस दिन कहा था, मैंने पता लगाया है, उस पर कार्यवाही हुई है। थोड़ा समय लगता है, जून का मामला है, अभी तो अगस्त है।

श्री वसुदेव आचार्य : दो महीने हो गए हैं। आपसे अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। कैंटीन के कुछ कैजुअल वर्कर्स हमें मिले थे और उन्होंने हमें चिट्ठी दी थी। उन्होंने लिखा था कि कैट का जजमेंट उनके फेवर में आया है। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। फिर उन्हें रेलवे बोर्ड की चिट्ठी मिली।

[अनुवाद]

इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर दावा उचित समझा गया। न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करना उचित होगा

[हिन्दी]

हमने उनसे मिलकर चिट्ठी दी और कहा कि आपने वादा किया था कि एस.एल.पी. में नहीं जाएंगे, लेकिन आपने चिट्ठी में कहा कि जा रहे हैं। उन्होंने फिर हमें चिट्ठी लिखी कि रेलवे एस.एल.पी. फाइल नहीं करेगा। आज हमें बताया गया कि यह आर्डर देने से पहले रेलवे एस.एल.पी. में जा चुका है। यह चिट्ठी 8 मार्च की है। उसके पहले अगर गए तो ऐसी चिट्ठी नहीं आती। अगर 8 मार्च के बाद यह होता तो वे आर्डर नहीं करते। हमें बताया गया कि फाइल उनके पास गई है। अगर उनको विदड्रा करना है तो करना चाहिए। डेढ़-दो महीने से फाइल रेल मंत्री जी के पास है। हम आशा करेंगे कि वे जल्द से जल्द विदड्रा करने की राय देंगे।

आज सुबह संतोष मोहन जी ने आर.पी.एफ. की मान्यता के बारे में सवाल उठाया था। हमें ट्रेड यूनियन जैसी वाइड मान्यता नहीं चाहिए। हमारी छोटी सी मांग है कि उनकी वेल्फेयर एसोशिएशन को मान्यता दी जाए। इसकी वजह से रेल मजदूरों में बहुत असंतोष हो रहा है। जो स्टेशन मास्टर हैं, वे आंदोलन कर रहे हैं। यह चैनल आफ नैगोशिएशन की कोई बड़ी मांग नहीं है। आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कंफडरेशन को इसका अधिकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने दिया था। चैनल आफ नैगोशिएशन में बातचीत कर सकते हैं। रेलवे के अधिकारियों के साथ, जी.एम. के साथ, रेलवे बोर्ड के अधिकारी के साथ, जी.आर.एम. के साथ आल इंडिया रेलवे इम्पलाइज कंफेडरेशन बातचीत कर सकता है, वे मान्यता नहीं चाहते थे। उसको अस्सी में वापस ले लिया गया। उसको रिस्टोर करना कोई कठिन काम नहीं है। आप उसको कर सकते हैं। इससे रिकोग्नीशन पालिसी पर कुछ असर नहीं होगा, लेकिन यह भी नहीं हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान : जब होम मिनिस्टर से मिलने गए थे, तब आप हमारे साथ थे।

श्री वसुदेव आचार्य : हम ए.आई.आर.ई.सी. की बात कर रहे हैं। होम मिनिस्टर ने कहा कि हमें आपत्ति नहीं है, रेलवे कर सकता है।

श्री राम विलास पासवान : आप उस वक्त थे, हम भी थे, लॉ

मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टरी को भेजते हैं, हमने कहा भेज दो और लॉ मिनिस्टर ने कहा कि इसको देखेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य : आप जल्द से जल्द एक और मीटिंग बुलाएं और इसका फैसला करें।

श्री राम विलास पासवान : हम नहीं बुलाएंगे, होम मिनिस्टरी वाले करेंगें।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने कहा कि हमने दो मीटिंग बुलाई हैं। यह रेल्वे मिनिस्टरी की जिम्मेदारी है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी उनसे बातचीत करके आर.पी.एफ. के बारे मे शीघ्र फैसला लें। आल इंडिया रेल्वे इम्पलाइज कंफेडरेशन को चैनल आफ नैगोशिएशन का जो अधिकार 1977 में था और 1988 में ले लिया, उसको रिस्टोर करें।

[अनुवाद]

वह एक यूनियन चाहते हैं और गुप्त मतदान के माध्यम से मान्य हो।

[हिन्दी]

एक ही रहेगा, अगर दो फैडरेशन होंगे तो तीसरा कंफेडरेशन को देने में क्या दिक्कत है। यह रेल्वे स्टेंडिग कमेटी ने भी सिफारिश की थी।

श्री इलियास आगमी (शाहबाद) : क्या बंगाल में पुलिस को या अन्य यूनियन को आपने मान्यता दी है?

श्री वसुदेव आचार्य : जी हां। केरल में है, त्रिपुरा में, उड़ीसा में है। वहां पर अनुशासनहीनता नहीं है। पहले थी, जब दी तबसे नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे आसन को सम्बोधित करें।

श्री वसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेल्वे की अनुपूरक मोंगों में पश्चिम बंगाल के दो प्रोजेक्ट को शामिल किया है।

एक है आपका रानाघाट-पनगांव और विद्युतीकरण का है और एक है आपका (व्यवधान) शायद एक ही रखा है और एक छोटा सी पांच कि.मी. लाइन है। विद्रापुर से भनगांव कंस्ट्रक्शन केवल पांच कि.मी. है। उनको याद होगा। उन्होंने आश्वासन दिया था और जून को पुरुलिया में घोषणा कर दी कि एक नई रेलवे लाइन का सर्वे कराएंगे। आरग्राम से पुरुलिया तक रेलवे लाइन का सर्वे कराएंगे।

[अनुवाद]

पुरुलिया-जहाग्राम नईलाइन के लिये सर्वेक्षण किया जायेगा।

[हिन्दी]

उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था कि सप्टीमेंटरी मांग में हम इसको इंक्लूड करेंगे। लेकिन कहीं नहीं मिला। यह जो पुरुलिया-आरग्राम जिसकी वह 6 जून को घोषणा करके आप थे, उसको कहीं भी स्थान नहीं मिला।

श्री राम विलास पासवान : सर्वे का इसमें थोड़ा लिखा जाता है? ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य : आपने घोषणा की थी कि सर्वे कराएंगे। कैसे होगा? हम चाहते हैं कि सर्वे हो जाए, लाइन भी हो जाए। हम खाली सर्वे नहीं चाहते हैं, हम लाइन चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पणिग्रही (देवगढ़) : चूंकि वे सभापति हैं, वे अपने पद का उपयोग उसके लिये पूरी तरह से कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : समस्त क्षेत्र में जनजाति लोग रहते हैं। जनजातिय लोगों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक हैं। जहरग्राम के समस्त क्षेत्र में बांकुरा का एक भाग और पुरुलिया में बन्दवान जनजाति की अब संख्या 50 प्रतिशत से अअधिक है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे जहरग्राम से पुरुलिया के बीच नई रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण का आदेश दें।

[हिन्दी]

हमने उम्मीद की थी क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनसे रेल भवन जाकर मिले थे।

[अनुवाद]

यह पहला मौका है कि पश्चिम बंगाल के मननीय मुख्यमंत्री रेल भवन में रेल मंत्री से मिले थे। यह समाचार समाचार-पत्रों में भी छपा था। किसलिए? यह कलकत्ता मेट्रो के संबंध में है। इसका क्या कारण है? यह रेल मंत्री की जिम्मेदारी नहीं है। क्यों नहीं? महोदय, यह इसलिये है कि कलकत्ता मेट्रो अभी तक पूरी नहीं हुई है। मेट्रो रेलवे का केवल एक भाग दमदम से डालीगंज तक पूरा हुआ है। डालीगंज से गरिया का क्या हुआ? दमदम से बरकपुर का क्या हुआ? इसका क्या होगा। दमदम से बारासात का क्या हुआ? इसका क्या हुआ? हमने इसकी सिफारिश की है।रेल संबंधी स्थायी समिति भी इसकी सिफारिश कर चुकी है।

[हिन्दी]

लेकिन उसके ऊपर आपको भी मालूम है कि क्या कार्यवाही होनी है। वह भी चेयरमेंन रहे थे। पाणिग्रही जी भी रहे थे।

उनके अनुभव भी वैसे ही होंगे। इसीलिये रेलवे की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि रेल मंत्रालय को कलकत्ता की परिवहन प्रणाली पर स्थिति को दर्शाने वाला दस्तावेज प्रकाशित करना चाहिये। कलकत्ता की परिवहन प्रणाली की उपेक्षा की जाती रही है। कलकत्ता में सड़क की चौड़ाई केवल छः प्रतिशत है, जबकि मुम्बई में राम नाईक जी, यह 16 प्रतिशत है। उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में क्या लिखा है? ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं। मैं जानता हूं राम नाईक जी, क्योंकि मैं और वह उप-समिति के सदस्य थे और तीनों महानगरों का दौरा हमने किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने मेरे पत्र के उत्तर में जो कहा है वह यह है, 'केन्द्र सरकार द्वारा लाभांश देयता के माध्यम से रेलवे की आम बजटीय सहायता के अतिरिक्त धनराधि आबंटित की जाती है।' क्यों? ऐसा कलकत्ता मैट्रो के लिए ही क्यों है? संपूर्ण मेट्रो के संचालन और रखरखाव की लागत की प्रतिपूर्ती रेलवे को की जाती है और उसके पुनर्स्थापन और नवीकरण की लागत की प्रतिपूर्ति भी रेलवे को की जाती है। वित्त मंत्रालय को इसका निपटान करना चाहिये।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : साढ़े पांच बज गये हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कंक्लूड कर रहा हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। पांच-सात मिनट के अंदर समाप्त कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : दो मिनट में समाप्त कीजिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हमने उम्मीद की थी कि टालीगंज से लेकर गरिया तक कलकत्ता मेट्रो के विस्तार को अनुपूरक अनुदानों की मांगों में शामिल किया जायेगा। परन्तु इसे शामिल नहीं किया गया है। हमें इसका कोई औचित्य नज़र नहीं आता।

[हिन्दी]

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : आपकी रिकमेंडेशन है ?

श्री बसुदेव आचार्य : पूरी रिकमेंडेशन है। एक भी नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)* सबसे ज्यादा बम्बई की है। राम नाईक जी इस बारे में बतायेंगे। उड़ीसा का सबसे ज्यादा है।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव हमें यह बतायेंगें कि हमने उड़ीसा के लिए कितनी सिफारिश की है। *(व्यवधान)* हमारे अथक प्रयासों और मुश्किल के बाद उड़ीसा की एक अति महत्वपूर्ण परियोजना-तलवर-अंगर-शामिल की गई है। तथापि, उड़ीसा की एक अन्य महत्पूर्ण परियोजना-तलवर-बिमलागढ़-शामिल नहीं की गई है। माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि वे इस पर अगले बजट में विचार करेगें। यह एक अति महत्वपूर्ण परियोजना है। *(व्यवधान)*

महोदय, माननीय रेल मंत्री कलकत्ता मेट्रो की स्थिति बतायेंगे। कर्मचारियों को वापिस भेजा जा रहा है। इस पर रोक लगानी होगी और अधिक धनराशि प्रदान करनी होगी। अब, माननीय मंत्री कह रहे है कि यह शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मैट्रो रेलवे की जिम्मेदारी को शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय कैसे पूरा कर सकता है ? यह भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी होनी चाहिये और कलकत्ता मेट्रो भारतीय रेलवे का ही एक आवश्यक भाग होना चाहिये। जब तक भारतीय रेलवे मेट्रो रेलवे के निर्माण की ही नहीं बल्कि प्रबंध की जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय कलकत्ता मेट्रो को चलाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में समर्थ नहीं होगा और यह छिन्न-भिन्न परियोजना बनकर रह जायेगी *(व्यवधान)*

सर्कूलर रेलवे के बारे में आपका क्या विचार है ? एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट बहुत समय पहले पेश की जा चुकी है। प्रिसिफघाट से माजेरहाट से कुछ दूर लगभग पांच किलोमीटर क्षेत्र पूरा नहीं किया जा रहा है। *(व्यवधान)* इसे सर्कुलर रेलवे कहना इसका गलत नाम है।

अतः, टालीगंज से गरिया और बैरकपुर से बारासाट तक कलकत्ता मेट्रो का विस्तार अति महत्वपूर्ण है। अतः, सर्कूलर रेलवे का पूरा किया जाना अति आवश्यक है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का जवाब देंगे वार्षिक बजट में 52 लाख रुपये की धनराशि रखी गई है।

दक्षिण बंगाल को उत्तर बंगाल से जोड़ने के लिये टाटानगर से न्यूजलपाईगुड़ी तक एक नई गाड़ी चलाने के बारे में क्या विचार है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एजेन्डा में दूसरी आइटम 5.38 बजे लेनी थी।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहेंगे कि इसके बारे में कुछ जरूर बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय : जरूर बतायेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : अमर राय प्रधान जी ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय रेल मंत्री ने सभा में घोषणा की थी कि बांकुरा-दामोदर लाइन को अपने अधिकार में लिया जायेगा और फिर इसे चालू किया जायेगा। लेकिन यह कार्य अभी तक नहीं किया गया है। और एक स्लीपर भी बदला नहीं गया है। और एक किलोमीटर रेलपथ भी बदला नहीं गया है। जब तक उसका नदीकरण नहीं किया जाता, माननीय मंत्री उस लाइन पर गाड़ी चलाने में किस प्रकार समर्थ होंगे। इसकी क्या स्थिति है ?

[हिन्दी]

क्या हो रहा है ? इसको खरीदने में इतना समय क्यों लग रहा है ? अगर खरीदा नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं हुआ तो आप रेल-बस नहीं चला सकेंगे। आप चलाएंगे क्योंकि आपने तो एनाउंस किया है। ...*(व्यवधान)* हम चाहेंगे कि हमारे जो डिसमिस्ड रेलवे एम्पलाइज है उनको रीईस्टेट करने का सुप्रीम कोर्ट से जो आर्डर हुआ है उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी उसका क्रियान्वयन हो जाये। कोल एंड पेश के बारे में जो बोला है कि कार्यवाही चल रही है, इसको आप थोड़ा सा जल्दी करने के लिए बोलिएगा। वह जल्दी से शुरु हो जाए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह डिसकशन कल जारी रहेगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह कल शून्य काल के बाद उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मेरा आग्रह है, चूंकि रेलवे की जो पूरक मांगे है उसको राज्यसभा में भी जाना है। आज 11 तारीख हो गई है और 14 तारीख को प्राईवेट मेम्बर डे है इसलिए आज या कल किसी समय में निश्चित कर दिया जाए जिससे कि यह पास हो कर वहां चला जाए।

उपध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा साढ़े छह बजे शुरु होगी, अगर सात बजे के बाद हाउस बैठने को तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, कल इसको लंच से पहले कम्पलीट करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : महोदय, मेरा एक सुझाव है। यह बात सही है कि यह बिजनेस पास होना चाहिए, इसके साथ-साथ यह भी है कि रेलवे मिनिस्ट्री की सप्लीमेंट्री डिमांड्स हो, उन पर सब लोग बोलना चाहते हैं। ऐसा किया जाए कि आज जिनको बोलना है वे बोल लें, सात बजे के बाद बैठ कर बोलें और फिर कल जीरो ऑवर समाप्त होने के बाद मंत्री जी रिप्लाई दे दें, उसके बाद समाप्त करें। ऐसा करने से मुझे लगता है कि जिनको बोलने की इच्छा है उनका भी काम पूरा हो जाएगा।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, डिसीजन जो हाउस का होना हैं

श्री राम नाईक : जो बोलने वाले हैं वे रुकेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : जो बोलने वाले है वही रुकेंगे बाकी कोई नहीं रुकेगा।

श्री राम नाईक : ठीक है जो बोलने वाले हैं वे रुकेंगे और कोई कोरम का सवाल खड़ा नहीं करेगा। इस तरह से जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे वे भी बोल लेंगे और सदन का काम भी पूरा हो जाएगा।... *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कॉमन अंडर स्टैंडिंग की बात है। आप पीछे देखिए, कुछ माननीय सदस्य हाथ उठा रहे हैं।

श्री राम नाईक : जिनको जाना है वे जाएं, ऐसा ही होता है। जिनको बोलने की इच्छा है उनको तो बोलने का मौका मिलना चाहिए, मेरा इतना ही कहना है।...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : महोदय, इस पर सब माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और हर बार बोलना चाहते हैं, अब हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। जब यह कह देते हैं कि जिनको बोलना है वे बोल लें तो कभी ऐसा नहीं होता है कि सवेरे सात बजे के पहले खत्म हो और हर माननीय सदस्य यह चाहता है कि रेलवे मिनिस्टर यहीं बैठे रहें, यह बात भी सही है। आठ, नौ या दस बजे तक चले, लेकिन इस बार पूरी रात बैठने का काम मत कीजिए, क्योंकि यह सप्लीमेंट्री डिमांड्स है। इसलिए आप कोई समय फिक्स कर दीजिए कि इस समय तक जिनको बोलना हो वे बोल लें।

श्री बसुदेव आचार्य : सर, नौ बजे तक समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। सात बजे बैठिये, नौ बजे तक चलेगा। उससे पहले खत्म हो जाए तो ठीक है।

श्री बसुदेव आचार्य : सर, आज ही डिस्कशन खत्म होगा।

अपराह्न 5.40 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारू बनाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 193 के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता पर आगे चर्चा हेतु मद सं० 21 पर विचार करेंगे। श्री राम बहादुर सिंह अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की उगाही करता है, भंडारण करता है और राज्य को आबंटित करता है। राज्यों को जब आबंटन मिल जाता है तो राज्य सरकारें अपने यहां जिन मुख्यालय स्तर पर आबंटन करती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को लाइसेंस देती है और उनकी निगरानी करती है। इस प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कई नीतियों का निरूपण किया है, जैसे सम्पुष्ट वितरण प्रणाली का मतलब यह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में, सूखा वाले क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएं।

दूसरा, यह है कि गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनको सरकार प्रति व्यक्ति, दो सौ बटा तीन ग्राम खाद्यान देगी। इन इंतजामों के बाद भी यह प्रणाली सफल नहीं हो पा रही है। इसका कारण है कि अपने देश की 98 करोड़ आबादी में 60 प्रतिशत लोग यानि 54 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। लेकिन सरकार कहती है कि हम 32 करोड़ लोगों को ही गरीबी की रेखा के नीचे मानते हैं और उन्हें ही हम खाद्यान दे सकते हैं। पहले जहां दो सौ ग्राम प्रति दिन, प्रति व्यक्ति खाद्यान मिलता था वह भी ना काफी था क्योंकि उस समय चार सौ ग्राम चाहिए था। अब उसको घटाकर दो सौ बटा तीन ग्राम कर दिया है। सरकार कहती है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को हम भूख से मरने नहीं देंगे। मै माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य इस स्थिति में अपने को रखकर देखे, तो उसे पता चलेगा कि इतने में किस तरह से जीवन बसर हो सकता है। भूख की ज्वाला इतनी खराब होती है कि वह आदमी को कोई भी कुकर्म करने के लिये विवश कर देती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं मानता हूं कि इस देश में जो लोग हैं वे केवल भूख की ज्वाला को शांत करने के लिए पाप नहीं करते हैं। इस देश में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे जो पापी पेट को भरने के लिए पाप करते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो अपनी अय्याशी के लिए पाप करते हैं। आज ऊपर से लेकर नीचे तक एक आदमी भी ईमान की रोटी नहीं खा रहा है। जब कोई ईमान की रोटी नहीं खायेगा तो यह मुमकिन नहीं है कि वह इज्जत की जिंदगी बसर करे। मैं यह बात चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो इज्जत की जिंदगी जीये। इसका कारण यह है कि जब तक अय्याशी के लिए किए गये पाप पर अंकुश नहीं लगेगा, तब तक पेट भरने के लिए जो लोग पाप करते हैं उन पर अंकुश नहीं लग सकता है। लेकिन इस देश की विडम्बना है कि जो लोग अय्यासी के लिए पाप करते हैं उन पर गुस्सा नहीं होता है, गरीब के खिलाफ गुस्सा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर गंभीरता से सोचें कि किस तरह से भूख से मरने वाले लोगों की रक्षा हो सकें।

जिन लोगों के लिए इस प्रणाली की व्यवस्था की गयी है उनकी क्षमता एक बार में एक पखवाड़े का खाद्यान खरीदने की नहीं है। वे लोग दिन भर मेहनत करते हैं। तब जाकर दो जून की रोटी की व्यवस्था वे अपने लिए कर पाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान जब खुली

[श्री रामबहादुर सिंह]

होती है तब वे लोग अपनी मजदूरी कमाने के लिए काम कर चले जाते हैं और जब उन्हें फुरसत मिलती है तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान बंद मिलती है। अगर कभी दुकान खुली मिलती भी है तो दुकानदार करता है कि खाद्यान समाप्त हो गया है या खाद्यान्न नहीं है। खुदा न खास्ता अगर खाद्यान्न मिल गया तो ऐसा मिलता है कि उसे जानवर भी नहीं खा सकते।

जानवरों के खाने लायक वह गेहूं और चावल नहीं होता। भोजपुरी में एक कहावत है हलवाह चरवाह के इनार के पानी। इसका मतलब जो हलवाहे हैं, चरवाहे हैं, गरीब हैं, मजदूर है, बेबस है, दलित है, शोषित है, उनके लिए कुएं का पानी वर्जित है। अगर उनको पानी पीना है तो वे झरने, गड्ढे, तालाब नदियों का पानी पीएं। जब इस देश और समाज में ऐसी मानसिकता है, आप चाहे जो उपाय कर लें, आप सफल नहीं हो सकते। आप और हम उसी मानसिकता के शिकार है। आप तो समाजवादी रहे है। आपको समाजवाद की शिक्षा-दीक्षा मिली है। इसलिए इस विषय पर गम्भीरता से सोचा जाए। आप जब तक इस मानसिकता को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आपकी प्रणाली कभी भी किसी कीमत पर सफल नहीं हो सकती। इसका एक पक्ष यह है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि दुकानदार ड्राफ्ट जमा करने के बाद दर्जनों बार भारतीय खाद्य निगम के चक्कर लगाता रहता है। तीस दिन लग जाते हैं। उसके बाद भी उसे गल्ला नहीं मिलता, खाद्यान्न नहीं मिलता। इसके अलावा दुकानदार को लाइसेंस लेने में जो कठिनाई होती है, वह आप भी जानते हैं। उसे आपूर्ति पदाधिकारियों और निगरानी समिति के लोगों की पूजा करनी पड़ती है। माल को गोदामों में लाने पर जो खर्चा पड़ता है, अगर वह सब जोड़ दिया जाए तो जो कमीशन उसे मिलता है, उससे उसका काम नहीं चलता। उसको घर से देना पड़ता है लेकिन न कोई घर से देता है, न दे सकता है क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। जो घाटे का व्यापार खेत बेच कर, जमीन बेच कर, घर गिरवी रख कर, करेगा तो वह ब्लैकमार्किटिंग करेगा। उसकी वजह से यह वितरण प्रणाली आज तक सफल नहीं हो पाई। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको संकल्प लेना पड़ेगा, अपने में इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी, कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए जिन से आपको लड़ना, वे सबल है, मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। जिनके लिए आपको लड़ना है वे कमजोर हैं, बेबस है, गरीब हैं, दलित हैं। इसलिए मैं बार-बार निवेदन करना चाहता हूं कि आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वह नहीं होगी तो फिर उसी तरह से खाद्यान्न मिलेगा नहीं और अगर मिलेगा तो सड़ा-गला मिलेगा, ब्लैकमार्किटिंग से मिलेगा। आप नारा देते हैं कि हम गरीबों को भूख से मरने नहीं देंगे, बाजार की महंगाई से उनकी रक्षा करेंगे और देश में मूल्य को स्थिर करेंगे। यह नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा कि आप इस महंगाई के कारण है और आप ही कारण है, इसको सफल न होने देने दें। आपको याद होगा कि 1996 का सितम्बर महीना। जब गेहूं का दाम 400-500 रुपये क्विंटल था और दिसम्बर में उसके दाम एक हजार रुपए क्विंटल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? चारों तरफ इसको लेकर तहलका मच गया। उस समय एक हजार क्विंटल पर गेहूं कहीं नहीं मिलता था। बाजार में हल्ला हुआ कि निर्यात किया गया। दक्षिण कोरिया में मांस खाने वाले जानवरों को खिलाने के लिए वह निर्यात किया गया। मैंने आज तक नहीं सुना है कि अपने घर में खाने के लिए दाना नहीं और हम हरिश्चन्द्र बने हैं। उसके बाद भी जब चारों तरफ हंगामा हुआ तो 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति की गई। उसके बाद भी उसका कोई असर क्यों नहीं पड़ा? सरकार को शुरु में ही इस बारे में कदम उठाना चाहिए था। अगर वह छापे डालती तो लोग पकड़े जाते लेकिन सरकार ने छापा डालने का काम तब किया जब पानी सिर के ऊपर से बहने लगा। जिन को लेना था उन्होंने लिया। वे करोड़पति, अरबपति बन गए। मैं नहीं जानता कि इसके पीछे किस की मिलीभगत है? लेकिन मुझे जानकारी हो या न हो, मैं अपनी जुबान पर ताला लगाए रखूं लेकिन आम जनता इस बात की चर्चा करती है। देश के रग-रग और कण-कण में इस बात की चर्चा है कि इस चपले और घटना के पीछे निश्चित तौर पर सरकारी तंत्र की मिलीभगत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि केवल ईमानदार बनना ही वाजिब नहीं, ईमानदार बनने के लिये ईमानदारी की साख जनता में होनी चाहिये। मैं शराब नहीं पीता लेकिन शराब की दुकान पर बैठकर लाख कहूं कि मैं शराब नहीं पीता परन्तु लोग मेरा विश्वास नहीं करेंगे। यही हालत इस सरकार की है। इसलिये ऐसी बातों को गंभीरता से सोचना चाहिये। यदि नहीं सोचेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश में इज्जत और ईमान की रेटी की आग नहीं जलेगी और इस देश में हिंसा होगी, उग्रवाद पनपेगा। हमारे मध्य बिहार में क्या हो रहा है? वहां इज्जत है और ईमान की लड़ाई हो रही है। उग्रवादी होना उनका स्वभाव हो गया है और पेट भरने के लिये कोई भी पाप कर सकता है। उसे जीने का अधिकार है। इसकी रक्षा करने का काम जिन हाथों में दिया गया है, यदि नहीं करेंगे तो हमारा अधिकार है जीने के लिये और इस अधिकार की जद्दोजहद के लिये जो रास्ता अच्छा लगता है, उस पर चलने की कोशिश करेंगे। यदि इस काम में कोई बाधा डालता है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कहती है कि इस देश में 32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं जबकि 54 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। मैं सरकार को चुनौती देता हूं। इस देश में उन लोगों की क्या दशा है, मैं आपको बताता हूं। उसको दो जून की रोटी खाने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है और नहीं मिलने पर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब आप बतायें कि वे 22 करोड़ लोग कहां जायें? यदि खाना नहीं मिलेगा तो हंगामा होगा। इससे उग्रवाद पनपेगा। मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में पुनः सर्वेक्षण कराईये। उसके बाद आपने उस व्यक्ति के साथ क्रूर मजाक किया है कि उसको महीने में 250 ग्राम दाल मिलती है। आज आप देश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और इधर 54 करोड़ लोग दाने-वाने को मोहताज है। आप उनके लिये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 200 ग्राम मुहैया करिये। आप एक पखवाड़े के स्थान पर हफ्ते की व्यवस्था करें क्योंकि एक मजदूर सुबह मजदूरी पर चला जाता है और जब वापस आता है तो गल्ले की दुकान बंद होती है और उसी दौरान हेरा-फेरी हो जाती है। आप ऐसा कोई समय निश्चित करें जिससे वह अपना अनाज समय पर ले सके। सार्वजनिक वितरण दुकान पर उनके लिये मोटे अनाज की व्यवस्था करें जिससे गरीब आदमी अपना गुजारा कर सकता है। उनके मन में भी इच्छा होती है कि वे गेहूं, चावल लें और अपना जीपन-यापन कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, निगरानी करने का काम आप राज्य सरकारों पर मत छोड़ें। जवाबदेही दोनों की है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल बनाने के लिये दोनों की निगरानी में संयुक्त निगरानी बल बनाने का कष्ट करें।

दुकानदारों को जो कमीशन दिया जाता है, वह नाकाफी है। उनको 5.83 रुपये एक बोरी चीनी के पीछे दिया जाता है।

मैंने भारतीय खाद्य निगम की बात कही, लाइसेंस की बात की, आपूर्ति पदाधिकारियों की बात कही, निगरानी समिति के सदस्यों की बात कही और फिर गोदाम से दुकान पर ले जाने का जो किराया होता है, उसकी चर्चा मैंने की। इन सबको जोड़ लीजिए। यह कैसा इंसाफ है?

आप जान-बूझकर दुकानदारों को मजबूर करते हैं ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए। इसलिए कमीशन के बारे में भी आप गंभीरता से सोचें ताकि उनको ऐसा करने का अवसर न मिले। यदि उसके बाद भी करते हैं तो कानून के साथ-साथ आपका नैतिक धर्म है कि आप उसको दंडित करें, लेकिन जब तक इस व्यवस्थ में आप सुधार नहीं करते हैं तब तक आपको कानूनी अधिकार तो है, लेकिन नैतिक अधिकार उस दुकानदार पर हाथ डालने का नहीं है। इसलिए इसके बारे में भी आप गंभीरता से सोचें।

मैं मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम में जो धांधली होती है, वह तो आपकी ही जवाबदेही है। क्यों ड्राफ्ट जमा करने के बाद भी खाद्यान्न उठाने में 30 दिन लग जाते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं ? मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि छपरा में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम है। वहां 10 किलो वाली स्कीम में ड्राफ्ट देने के बाद भी खाद्यान्न उठाने में 20-25 दिन लग गए। इसकी जांच आप करा लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आज के आधुनिक समाज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अति महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसी वजह से यह मामला मेरे और श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही के द्वारा नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए उठाया गया था। अन्य माननीय सदस्य भी इस विषय पर बोले थे क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। अब इस विषय पर संक्षिप्त में बोलना मेरा कर्त्तव्य है।

मैं अपने देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की काफी आलोचना सुनता आ रहा हूं। लोग किस प्रकार इसका दुरूपयोग करते हैं और गलत तथ्य और आंकड़े देते हैं, इसकी कुछ आलोचना की जाती है। सरकार ने अनिवार्य आवश्यकतायें प्रदान कर रही हैं, जिनको गरीब आदमी कानूनी रूप से हकदार है। परन्तु वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पा रहा है। ऐसा इस प्रणाली में अनेक खामियों की वजह से है। अधिकांश व्यापारी और डीलर गरीब लोगों का अनुचित लाभ उठाते हैं। यह एक सुपरिचित तथ्य है और मुझे इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस समस्या का क्या समाधान है ? हमें यह सुनकर दुख हुआ है कि व्यापारी डीजल में मिट्टी का तेल मिलाते हैं और यह प्रयास करते हैं कि मिट्टी का तेल गरीब आदमी तक न पहुंचे।

भारतीय खाद्य निगम में तथा विभिन्न प्रशासनिक प्रणालियों में कदाचार हो रहा है। हम उनके बारे में सुनते आ रहे हैं।

मैं सभा का ध्यान समाचार पत्रों में आई खबरों की ओर दिलाना चाहूंगा और माननीय खाद्य मंत्री से एक स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहूंगा। वह समाचार इस प्रकार से है:

"बफ्फर स्टॉक में 10 करोड़ रुपये का गेहूं खराब हो गया। 10 करोड़ रुपये से अधिक का 2.4 मिलियन टन गेहूं जानवरों के खाने लायक ही रह गया है।"

इस प्रकार के समाचार देखना दुःखदायी होता है। यह सच है कि ऐसे समाचार पढ़कर हमें शर्म आती है।

मैं सभा से इतने अधिक गेहूं के खराब होन के कारण जानना चाहता हूं। हमें इस समाचार की सच्चाई के बारे में अवश्य जानना चाहिये।

मैं 3 जुलाई, 1997 के इंडियन एक्सप्रैस से निम्नवत् उद्धृत करता हूं :

"14 करोड़ रुपये का चावल सार्वजनिक वितरण प्रणली से गायब है।स्रोत यह दर्शाते हैं कि खाद्य मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम के चावल संबंधी आंकड़ों में 4.2 मिलियन टन का अंतर है। 2.4 मिलियन टन चावल की खरीद लागत, रखरखाव और ढुलाई संबंधी लागत 14 करोड़ रुपये लगाई गई और मंत्रीमंडलीय समिति ने इसकी जांच के आदेश दिये हैं।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले का क्या हुआ।

अपराह्न 6.00 बजे

एक बात जानकर सम्पूर्ण सभा को खुशी होगी। यह सच है कि इस मामले में 1400 करोड़ रुपये की वास्तव में धोखाधड़ी की गई है। इंडियन एक्सप्रैस यह समाचार इतने साहस के साथ 3 जुलाई को किस प्रकार प्रकाशित कर सकती है। अतः, मैं इस मामले के बारे में तथ्यात्मक स्थिति से अवगत होना चाहूंगा।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। इसे इस प्रकार उल्लेखित किया गया है: "गलत विनियोग और कुशलता का नितांत अभाव।" यह बताया गया है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के अदिलाबाद जिले में 11407 उचित दर की दुकानें हैं- मैं देश का मात्र छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं-जो 3,80,043 श्वेत राशनकार्ड धारियों को चावल की पूर्ति करती है। परन्तु उसमें औसतन 50 बोगस राशनकार्ड है। आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते है। यदि 3,80,000 श्वेत राशनकार्ड धारियों के पास बोगस राशनकार्ड हैं, तो फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति होगी ? इसमें अनेक खामियां हैं।लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि दो दिन पहले, जब श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही इस विषय पर बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री महोदय ने भी हस्तक्षेप किया और कहा कि वह आश्वस्त है कि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पनरीक्षा करनी चाहिये। वह इस बात पर भी सहमत थे। कि वर्तमान 10 किलोग्राम चावल की पूर्ति गरीब परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाया जाना चाहिये। मैं उनके इस दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। परन्तु मैं अधिक सराहना तब करूंगा जबकि उनकी इस वचनबद्धता के पश्चात् वास्तव में कार्यवाही की जाये।

बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा में हमें पता चला है कि अधिकांश गांवों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं और वहां लोग बहुत अधिक तकलीफें उठा रहे हैं। कम से कम इस मामले में, इस महान देश में उदाहरण के तौर पर, और अधिक उचित दर दुकानें खोलकर और तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब आदमी बेहतरीन रूप से सरकार से वास्तविक और अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त कर सकें, सरकार को प्रयास करना चाहियें।

यहां एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात है, खाद्य पदार्थ के आयात तथा निर्यात संबंधी सरकार की नीति का हमारी वितरण प्रणाली को अंतिम रूप देने में अत्यधिक तथा प्रांगिक संबंध है। उदाहरण के लिए, यदि सरकार उचित रूप से यह पता नहीं लगाती है कि किसी एक विशिष्ट वर्ष में हमारे देश में गेहूं अथवा चावल अथवा चीनी का कितना उत्पादन होगा, यदि सरकार गलत हिसाब लगाती है तो यह हमारी प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक होगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। दिनांक 4 अगस्त को ही खाद्य मंत्री ने राज्यसभा में वायदा किया कि भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करने का निर्णय लिया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वे आस्ट्रेलिया में गेहूं का आयात क्यों करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि आज देश में कितना उत्पादन हो रहा है, एक ओर तो सरकार के समक्ष विदेशी मुद्रा का संकट है तो सरकार को गेहूं या चीनी के आयात के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है ?

[डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी]

चीनी के बारे में भी स्थिति भ्रामक है, चीनी नीति के बारे में भी भ्रांति है। प्रत्येक समाचार पत्र रोज एक नीति के बारे में बता रहा है कि सरकार इनका शुल्क मुक्त आयात करेगी। सरकार निर्यात की अनुमति देगी। मुझे यह समझ में नहीं आता। मै कहानी अवश्य सुनता हूं कि लेवी चीनी को हटाया नहीं गया है, यह चीनी की फैक्टरियों में पहले ही जमा हो रही है वे किसानों को गन्ने की बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।यह क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार इस चीनी नीति पर अपना दिमाग क्यों नहीं लगाती है? मैं एक चीज की कल्पना नहीं कर सकता हूं। आज भारत में चीनी का, गन्ने का अत्यधिक उत्पादन हो रहा है और यहां अनेक चीनी फैक्टरियां हैं। इतना होने पर भी हमें चीनी आयात करने की क्या आवश्यकता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या होगा? मैं इन सबका ब्यौरा जानना चाहुंगा। अतः, मैं भारत सरकार तथा क्षाद्य मंत्रालय का ध्यान इस पहलू की ओर दिलाना चाहुंगा और सरकार से यह सुनश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि गेहू, चीनी तथा चावल की उपलब्धता के बारे में ऐसी भ्रामक तथा गलत हिसाब नहीं लगाया जाए सरकार को यह भी देखना चाहिए वह इन उत्पादों के आयात तथा निर्यात के बारे में जल्दबाजी में निर्णय न ले।

महोदय. आलोचना करना आसान है। गलती ढूंढ़ना बहुत आसान है, परतु महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम देश में किस तरह से लघु तथा कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रदान करे कि प्रत्येक आवश्यक वस्तु जैसे मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल, चीनी तथा अन्य सभी उत्पाद वाजिब दाम पर बिना किसी धोखे, बिना किसी कमी के तथा बिना कुछ गंवाए गरीब आदमी के पास पहुंच जाए? प्रणली किस तरह कार्य करे? निःसंदेह, कोई भी इसे पूर्णतः प्रदान नहीं कर सकता है। परंतु सरकार को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए।

किस तरह की प्रणाली लागू है। उसमें क्या खामियां हैं? इसे बेहतर करने हेतु वे क्या कर सकते हैं? मैं महसूस करता हूं कि पंचायत प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। पंचायत प्रणाली में, उन्हे वितरण के मामले में पंचायत को उत्तरदायी बनाना चाहिए। जिलाधीश द्वारा सर्वोच्च वरीयता आधार पर इस योजना की प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक माह निगरानी की जानी चाहिए। भारत जैसे लोक तांत्रिक देश में यदि गरीब आदमी को राजसहायता प्राप्त उत्पादों को प्राप्त करने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है तो यह बहुत बड़ा अपराध होगा। मैं यह कहूंगा कि यह समाज के लिए हानिकारक है।

अतः, अंत में, मैं इसकी आवश्यकता पर प्रभावी रूप से बल देता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे सर्वाच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम इसकी पुनरीक्षा करें; मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाएं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में सभा में वचन दिया है कि वे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने वाले थे और उनके साथ चर्चा करेंगे। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। इसी के साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि खाद्य मंत्रालय इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें और यह सुनश्चित करने में पूर्णतः अपना दिमाग लगाए कि वे बेहतर क्या कर सकते हैं, इन खामियों को कैसे दूर कर सकते हैं और वे यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कालाबाजारी न हो।

मैं पूर्णतः एफ.सी.आई. की आलोचना करने में विश्वास नहीं करता। सरकारी तंत्र में भी निष्ठावान लोग हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हर कोई घोटाले में लिप्त है, हम यह नहीं कह सकते कि हर कोई धोखा दे रहा है और भ्रष्ट है, मैं इससे सहमत नहीं हूं बात केवल इतनी है कि यदि 10 प्रतिशत लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इससे विश्व में सबसे बड़े लोक तांत्रिक देश की छवि को क्षति पहुंचती है, अतः, समय आ गया है जब सरकार को यह महसूस करना चाहिए और राष्ट्रीय भावना से कार्य करना चाहिए ताकि लोगो को इस देश के भ्रष्ट प्रक्रियाओं पर हंसने का अवसर न मिले। इसी के साथ हमें अच्छे लोगों की भी दिल से सराहना करनी चाहिए, अतः, यद्यपि हम एफ.सी.आई., खाद्य मंत्रालय तथा विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की यह कहते हुए निंदा करते हैं कि इतनी अधिक धनराशि की हानि हुई है, इतने अधिक घोटाले हुए हैं तो हमें लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी देखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कैसे उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कार्यो को छोड़ दें और इस दिशा में कार्य करें।

अंत में, मै एक बार फिर कहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने इसमे दिलचस्पी ली है। मुझे आशा है कि कम से कम तीन माह के भीतर सरकार इस संबंध में नयी रूपरेखा लाएगी कि वे क्या करते हैं और कैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देंगे।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया है कि टी.पी.डी.एस. अर्थात लक्षित सार्वजनिक प्रणाली सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यह भी स्वीकार किया कि 18 किलो अनाज से परिवार की भूख नहीं मिटती और यह भी आश्वासन दिया कि शीघ्र ही सरकार इसके बारे में यहां पर विचार करेगी, पुनर्विचार करेगी और दलों के माननीय नेताओं से वार्ता कर ले सदन के समक्ष आकर बयान देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी रेड्डी जी की तरह से बिना घंटी बजाए अपना भाषण समाप्त कर देना।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा उत्तराखंड क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश है। मैं इधर से बोलने वाला अकेला व्यक्ति हूं। इसमें जो समस्याएं हैं उनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहुंगा। इसलिए यदि थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, तो देने की कृपा करना।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले एक वर्ष से लगातार यह जो खाद्यान्न की समस्या है, इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करता रहा हूं। विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में उत्पन्न हुई परिस्थिति की ओर आकृष्ट करता रहा हूं। इस मामले में मैंने दिनांक 18-12-96, 21-2-97, 11-3-97, 15-3-97, 14-5-97 और 29-7-97 तक इतनी बार इस विषय को उठाने के बावजूद, इसके बारे में कोई सकारात्मक कदम आज तक नहीं उठाया गया और हमेशा यह कह कर बात को समाप्त कर दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का विषय है। अब सवाल इस बात का आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन राज्य का विषय है, लेकिन राज्य के लिये आबंटन की स्थितियां क्या रही हैं। अगर उन स्थितियों को देखें, तो जैसा हमारे तमाम वक्ताओं ने यहां अपनी बात को रखा उससे उनका असंतोष जाहिर हो जाता है। केरल की ओर से जो बात आई थी, उसमें उन्होंने यह कहा कि केन्द्र के द्वारा केरल के साथ यह क्रूर भेदभाव किया गया है। यह बात माननीय श्री बी.वी. राघवन जी ने कही और उन्होंने बताया था कि कैसे केरल को आबंटित खाद्यान्न 24 लाख मीट्रिक टन से घटकर 20 लाख मीट्रिक टन रह गया।

उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा के श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही जी, जो इस प्रस्ताव के मूवर हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में यहां पर यह स्पष्ट कहा था कि पहले डेढ़ लाख टन प्रति माह का आबंटन था जो अब घटकर 35 हजार टन कर दिया गया और उनके राज्य की ओर से भी इस योजना

का विरोध किया गया है। दिल्ली की ओर श्री ललित बिहारी तिवारी जी ने यहां पर जो आंकड़े दिये थे कि पहले गेहूं 65 हजार और चावल 40 हजार मीट्रिक टन मिलते थे जो गेहूं 65 से घटकर 40 हजार और चावल 40 हजार से घटाकर 20 हजार मीट्रिक टन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में मंत्री जी ने स्वयं एक प्रेस बयान में स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश को 15 लाख टन अनाज जा रहा था।

लेकिन उनकी मांग 30 लाखस टन की है और वहां उनकी ओर से असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। मैं उत्तरांचल क्षेत्र के बारे में जहां कि दुकानें उपलब्ध नहीं है, जहां बाजार उपलब्ध नही है और इसके अलावा जहां फसल की पूरी खेती नहीं है। अच्छी बरसात हो जाये, मानसून हो जाये तो मुश्किल से एक महीने के लिए खाद्यान्न उत्पन्न होगा और बाकी के 11 महीने केवल सरकारी गल्ले की दुकानों पर वहां की जनता निर्भर करती है। इसी बीच माननीय प्रधान मंत्री का दौरा उत्तरांचल के क्षेत्र में हुआ। पंत नगर विश्व विद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब प्रधान मंत्री जी से सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने, पत्रकारों ने उनसे मांग की कि उत्तरांचल क्षेत्र में खाद्यान्न का भीषण संकट हो गया है और लोग जंगली घास पर निर्भर कर रहे हैं। आप उसका समाधान करें, तो प्रधान मंत्री जी ने वहां पर कहा कि उत्तरांचल में खाद्यान्न के संकट के हल के लिए कहा कि तीन दिन में कार्यवाही कर दी जायेगी। वह तीन दिन, 21 जून से लेकर आज हम अगस्त के महीने में हैं।मैं स्वागत करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले इसी सदन में हस्तक्षेप करके कहा कि इस बात पर विचार होगा लेकिन सवाल आज की तारीख में उपस्थिति यह है कि हमारा आज धारचूला तहसील, मुंशारी तहसील और इधर आ जायें तो रानी खेत तहसील, बागेश्वर तहसील, गंगोली हाट में तीन-तीन, छह-छह दिन वहां पर चक्का जाम, बाजार बंद, व्यापार बंद आदि यह सब काम हो चुका है। लेकिन वहां खाद्यान्न उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए जहां हम देखते हैं कि हमारी मोर्चा सरकार आयी है, उन्होंने अपने प्रोफोमैंस बजट जो बजट के समय दिया था, तो उसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा कि संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत बुनियादी सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नम्बर एक में दिया गया कि हम दस किलो खाद्यान्न आधे दाम पर देंगे और तीसरा, आबंटन के समय निर्णय लेते समय पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्र वाले राज्यों जहां नियमित बाजार नही लगते और खाद्य पदार्थो की अत्यधिक कमी वाले राज्यों की समस्या को ध्यान में रखा जायेगा, तो क्या यह ध्यान में रखा गया? इसको हम आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो हम पायेंगे कि हमारे साथ बड़े क्रूर मजाक के रूप में इस बात को लिया गया। पहले हमारे पास मई महीने के आंकड़े हैं क्योंकि एक जून 1997 से योजना लागू हुई है। मई तक पर्वतीय क्षेत्र के लिए 25 हजार टन गेहूं प्रति माह था और चावल 10 हजार टन प्रति माह था लेकिन जून में इसको घटाकर सात हजार 500 टन गेहूं और तीन हजार चावल हो गया। यानी चावल में छह गुना कमी कर दी गयी। यह किस तरह से मान लिया जाये कि जहां उपज नहीं होती, वहां इससे काम कैसे चलेगा। पर्वतीय क्षेत्र के साथ बड़ा अन्याय हुआ। वह तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने मैदानी क्षेत्र में जो आबंटन बच गया था अन्य व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके वहां पर आपत्ति काल में अनाज पहुंचाया जिससे कि वहां पर जन-जीवन स्थिर हुआ है। अभी परसों समाचार पत्र में आया कि गोरखलैंड नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ने चेतावनी दी थी कि वह तीन दिन का बंद करने जा रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर एक पर्वतीय राज्य का क्षेत्र है यानी एक पर्वतीय क्षेत्र है। उनकी भी परिस्थिति इसी प्रकार की है। वहां भी खाद्यान्न की कमी इसी प्रकार से उत्पन्न हुई है। वहां भी दुकानें, बाजार नहीं है इसलिए वे तीकन दिन के बंद के लिए मजबूर है।

हम नाइंथ फाईव ईयर प्लान को लेकर चल रहे हैं। इसके अप्रोच पेपर 97 टू वी नाइंथ फाईव ईयर प्लान 97 टू 2007 मेरे सामने है। इसके पेज नम्बर 18 में लिखा हैः

[अनुवाद]

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्निर्धारण विशेषरूप से, गरीब लोगों को काफी कम दामों पर खाद्य पदार्थ प्रदान करने तथा देश के दूर दराज तथा अभावग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।"

[हिन्दी]

क्या यह उत्तरांचल देश का भाग नहीं है? इस उत्तरांचल क्षेत्र के बारे में यानी सात-आठ बार इस बात को उठाने के बावजूद उस क्षेत्र के लिए इस तरीके से उपेक्षा कर दी जायेगी और एक जून से लेकर 14 जून तक केन्द्र सरकार कीमतें तय नहीं कर पायी, प्राइस फिक्स नहीं कर पाये। इसका नतीजा यह हुआ कि वहां पर जो खाद्यान्न उपलब्ध था, वह एकदम से उठकर मार्केट में नहीं पहुंचा, उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा और लोग वहां त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं। लोगों को अपने-अपने बाजारों को बंद करना पड़ा। जिस तरीके से हमारे सामने यह आया है कि खाद्यान्न की मंडी और दुकान के नहीं होने के कारण वहां पर एक और बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि जिला पिथौड़ागढ़ तहसील धारचूला, मुंशारी में यह इनरलाइन के रूप में आज भी चले आ रहे हैं।

विदेशी पर्यटको के लिए उसे खोल दिया गया है लेकिन भारतवासी वहां पर बिना परमिट के खाद्यान्न लेकर नहीं जा सकते। चीन के साथ जिस समय युद्ध हुआ, उस बार्डर एरियां से 15 किलोमीटर के भीतर केवल सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के अलावा कोई भी दुकान वहा पर नहीं खुल सकती। थी। इसमें एक विषय और आ रहा है, ट्रांसपोर्ट सबसिडी केवल पर्वतीय राज्यों को दी जा रही है। तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया था कि जो हमारे अन्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्या उनको भी खाद्यान्न के ट्रांसपोर्ट की सबसिडी दी जाएगी। तब केवल आश्वासन मिला था। आज यदि मैदानी क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र में खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था की बात आती है तो यही बात आती है कि केन्द्र सरकार की तरफ से यह व्यवस्था नहीं की गई है।

5 जुलाई का जनसत्ता सारी असलियत को हमारे सामने रखता है। इस में दिया गया है-"चावल की बंदरबांट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बरसों से लकवाग्रस्त है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने राजनैतिक ऐजेंडे के रूप में इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा तो की लेकिन यह घोषणा इतनी बेकार साबित हुई कि जमीन पर कहीं असर नहीं दिखाई पड़ता। इसबीच पता लगा है कि खाद्य मंत्रालय ने जितना चावल किसानों से खरीदा उतना भारतीय खाद्य निगम के पास नहीं है। दोनों के आंकड़ों में 24 लाख टन का फर्क है। इसकी कीमत, रखरखाव आदि घटाकर 1400 करोड़ रुपया है।" आखिर 1400 करोड़ रुपये का इतना बड़ा घोटाला, भारतीय खाद्य निगम का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसी वर्ष चंडीगढ़ में 200 करोड़ रुपये का खाद्यान्न घोटाला सामने आ चुका है और एफ.सी.आई. के गोदामों के भीतर कागजों में उनके पास पूरा स्टॉक दिखाई देता है। हमारे क्षेत्र उत्तरांचल के नीचे रेल हैड पर जितने गोदाम हैं, मैं कई बार शिकायत कर चुका हूं, वास्तव में देखा जाता है गोदामों में खाद्यान्न का

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

भंडार नहीं है, कागजी खानापूरी की जा रही है और गरीबो के लिए जो योजना बनाने की बात की गई थी, उनको पूरा खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है। समस्या क्या है। समस्या यह नहीं है कि आप आधे दाम पर दे रहे हैं या चौथाई दाम पर दे रहे हैं, समस्या यह है कि जिस तरह से वर्ष 1991-92 में आर.पी.डी.एस. की प्रणाली के अंतर्गत उत्तरांचल क्षेत्र के 89 विकास खंड शामिल किए गए थे और प्रति यूनिट 10 किलो गेहूं, 8 किलो चावल उनको उपलब्ध कराया जाता था ताकि वे भरपेट खाद्यान्न खरीद सके। आज आप केवल 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। उससे तो उनका पालन-पोषण नहीं होगा और न ही उन्हें वह कहीं से उपलब्ध होगा। आप इसे किस तरह से उपलब्ध कराएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों का, जिन्हें राज्य का दर्जा भी प्राप्त नही कराया है, केवल राज्य का आश्वासन दिया है, प्रधानमंत्री ने पंत नगर में जाकर आश्वासन दिया कि हम तीन दिन के अंदर संकट को हल कर देंगे। लेकिन आज तक भी उन्होंने संकट को हल करने बात नहीं की है, इसमें हस्तक्षेप अवश्य किया। विचार करने की बात कही है लेकिन तब तक जनता सड़को में, गांवों में भूखी रहेगी। माननीय मंत्री जी इसके प्रति विशेष रूप से ध्यान दें। हमारी शुरू से ही मांग चली आ रही है कि जो पुराना आर.पी.डी.एस. का सिस्टम था, उसी को आप लागू करें। हमें आधे दाम पर खाद्यान्न की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए रोजगार मुहैया कराएं। आप 200 करोड़ रुपये की सबसिडी की बात करते हैं। लेकिन यदि लोगों को रोजगार मिलेगा तो वे स्वाभिमान के साथ काम करके खरीदना पसंद करते है। लेकिन उसे खाद्यान्न मिलेगा कहां से। आप दुकानें उपलब्ध कराएं ताकि उनको प्रति यूनिट और प्रति परिवार पूरा खाद्यान्न मिल सके।

कपकोट, गरूढ़, बागेश्वर, भैसियाछाना, लमगढ़ा, धौलादेवी, दोराहट, चौखुटिया आदि जनपद अल्मोड़ा के विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्र हैं। कनालीछीना, बेड़, मूनाकोट, चम्पावत और इसके अलावा धरचूला, मुंशियारी, लोहाघाट अनुसूचित जनजाति के इलाके हैं जिनके यहां केवल राजमां और आलू के अलावा कोई खाद्यान्न उत्पन्न नहीं होता। उन्होने इसी तरह से अपना जीवन-यापन किया है। कोई आपातकालीन योजना बनाकर यदि उनको खाद्यान्न मुहैया नहीं कराया गया तो वहां पर भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

इन्ही शब्दों के साथ कि माननीय मंत्री जी अवश्य पर्वतीय क्षेत्रों के लिये, जहां खाद्यान्न उत्पन्न नही होता, जहां पर इसके नियमित बाजार नहीं हैं, और जो रिमोट ऐरियाज हैं, जिनके बारे में यह तय किया गया, नाइंथ फाइव ईयर प्लान यही कहता है, आपका जो यूनाइटिड फ्रण्ट का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, उसमें भी आपने प्राइस स्टेबिलिटी के नाम पर जो कहा है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम सुदृढ़ करेंगे तो यह सुदृढ़ भी आप करेंगे, लेकिन तात्कालिक रूप से यह निर्णय लेंगे और आने वाले कल को ही यह घोषित करेंगे और वहां के जनजीवन को सामान्य बनाएंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन०के० प्रेमचन्द्रन (क्विलोन) : माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली उन स्तंभों में से एक है जो खुली बाजार प्रणाली का नियंत्रित तथा विनियमित कर सकता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं हेतु खाद्य पदार्थों तथा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना तथा साथ ही साथ भारत में खुली बाजार प्रणाली को नियंत्रित तथा विनियमित करना है।

पहली बात जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहुंगा वह प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में है। केन्द्रीय सरकार तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इसलिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय रहना चाहिए ताकि प्रणाली प्रभावी बन सके।

खाद्य पदार्थों की खरीद तथा आवश्यक वस्तुओं तथा साथ ही साथ राज्यों को इन वस्तुओं की आपूर्ति का मुख्य कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया है। इसके दो प्रयोजन है, एक तो यह सुनिश्चित करना कि जो किसान आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें वे वाजिब दाम मिल जाएं जो केन्द्रीश निर्गम मूल्य से कम न हो; दूसरा यह सुनिश्चित करना कि उपभोक्तओं को ये उत्पाद उचित मूल्य पर मिल जाएं। अतः, खाद्य पदार्थों की खरीद तथा समय पर राज्य सरकारों को इनकी आपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त किया गया मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकारों पर उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों तथा आवश्यक वस्तुओं के वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी डाली गई है।

मेरे अनुसार केन्द्र-राज्य समन्वय प्रभावी बनाया जाए तथा केन्द्र और राज्यों दोनों द्वारा समयोचित कार्यवाही अपेक्षित है। जब विशेष राज्य में खाद्य पदार्थों की अत्यधिक कमी होती है तो केन्द्रीय सरकार समय पर कार्यवाही करेगी। फसल के मौसम के दौरान खरीद प्रभावी रूप से की जानी चाहिए ताकि ऐसी भारी कमियों को पूरा किया जा सके। अतः केन्द्र तथा राज्य के बीच समन्वय प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि, जहां तक लोगों का संबंध है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक उपयोगी हो सके।

मैं अगला प्रश्न सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुदृढ़ करने के बारे में उठाना चाहूंगा। नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। यहां ऊपर केन्द्र से लेकर नीचे राज्यों तक नेटवर्क प्रणाली है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। मुक्त, भ्रष्टाचार रहित प्रणाली की आवश्यकता है। समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का आकलन करने के लिए एक तंत्र की भी आवश्यकता है।

अगला मुद्दा जिसके बारे में मैं कहना चाहूंगा वह है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। संयुक्त मोर्चा सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में मूल न्यूनतम सेवाओं को कारगर बनाने तथा बेहतर करने की आवश्यकता पर बल दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उन सेवाओं में से एक है जिसे सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। इसे तीन तरह से कारगर बनाया जाना चाहिए : पहला, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्य पदार्थ बेचे जाएं; दूसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाज के उच्च वर्गों के लिए खान-पान का प्रबन्ध करने की आवश्यकता नहीं है; और तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन निर्वाचित पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को सौंपा जाए।

मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है अर्थात् गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को खाद्य पदार्थों की बिक्री का सम्बन्ध है, प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में पूर्व सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे प्रत्येक परिवार को केन्द्रीय निर्गम मूल्य की दर से आधी दर पर दस किलोग्राम चावल अथवा गेहूं देकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने का वायदा पूरा किया है। यह वास्तव में दस माह पुरानी देवगौड़ा सरकार की उपलब्धि थी। मैं, सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किए गए इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार की सराहना करूंगा।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंधन सहकारी क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र विशेष रूप से केरल जैसे राज्यों में सामानान्तर

अर्थव्यवस्था बन गया है। वर्ष 1997-98 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना शुरू की गई है जिसे 'नीथी स्टोर्स' कहा जाता है। ये प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो किसानों द्वारा चलाए जाते हैं। बजट में इस उद्देश्य के लिए पचास करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। इस नई प्रणाली का केरल राज्य में अनुभव किया जा रहा है। मैं आपके साथ इस अनुभव को बांटना चाहूंगा।

महोदय, केरल राज्य ने ट्रावनकोर महाराजा के काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की है। राज्य में बहुत लम्बे समय से यह अत्यंत प्रभावी प्रणाली कार्य कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिक आपूर्ति विभाग के अंतर्गत आता है। वर्ष 1982 में एक नई प्रणाली शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत न केवल खाद्य पदार्थ वरन् अन्य आवश्यक वस्तुओं को भी मवेली स्टोर्स के माध्यम से बेचा जाता रहा है। यह नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से सीधे राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। ओणम उत्सव के दौरान राज्य के प्रत्येक भाग में ये मवेली स्टोर्स तथा डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खुली बाजार प्रणाली में मूल्य को नियंत्रित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुली बाजार प्रणाली में मूल्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और यह हमारे राज्य में प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर रही है। हमारे राज्य में साठ प्रतिशत से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली अथवा राशन प्रणाली पर निर्भर हैं। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में केरल राज्य की विशिष्ट बातों पर विचार करें।

मानदण्डों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्र सरकार का बी०पी०एल० का आंकलन केवल 25 प्रतिशत है। परंतु वास्तविक स्थिति यह है कि 50 प्रतिशत से अधिक लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। न केवल कामकाजी वर्ग और गरीब लोग वरन् मध्य आय वर्ग भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। अतः अतिरिक्त भार 40 प्रतिशत है, यह अतिरिक्त भार राज्य सरकारों पर डाला गया है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करें।

वर्ष 1964 में पण्डित जवाहरलाल नेहरू के समय में सांविधिक राशन प्रणाल शुरू की गई थी और वह अब भी चल रही है। इसलिए, इन सभी पहलुओं को देखते हुए, केरल राज्य को ज्यादा अनुदान और विशेष आबंटन दिया जाना चाहिए। हाल ही में राज्य के खाद्यान्न के आबेटन में बिना किसी कारण अत्यधिक कटौती की गयी है। ओणम का पर्व समीप आ रहा है। यह सितम्बर माह में आता हैं गत दो वर्षों के दौरान हमें खाद्यान्न के अतिरिक्त कोटे के रूप में 20,000 टन खाद्यान्न मिला है। मैं खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि चूंकि यह पर्व समीप आ रहा है, इसलिए केरल राज्य को कम से कम 50,000 टन खाद्यान्न विशेष आबंटन के अंतर्गत दिया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं दुबारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क को मजबूत बनाने के महत्व पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रबंध स्थानीय पंचायतों और सहकारिता क्षेत्र को सौंपा जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित की जाने वाली मदों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिये। नीति स्टोर प्रणाली के अंतर्गत, हिन्दुस्तान लीवर के उत्पाद को भी बेचा जा रहा है। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी होगी तो इससे मुक्त बाजार प्रणाली को विनियमित और नियन्त्रित किया जा सकेगा जिससे इस देश के गरीब लोगों और उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 6.30 बजे

समन्युत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यन्वयन के बारे में आधे घंटे की चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगले मद पर आते हैं यानि कि, आज की कार्य-सूची की मद सं० 22—आधे घंटे की चर्चा श्री शिवराज सिंह।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कल जारी रहेगी।

[हिन्दी]

अपराह्न 6.31 बजे

[**श्री बसुदेव आचार्य** *पीठासीन हुए*]

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश गरीबों का देश है और आज भी सरकारी आंकड़े यह बताते है कि लगभग 32 करोड़ से भी ज्यादा लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके घरों में दो वक्त चूल्हा नहीं जलता है, जिनको भरपेट भोजन नही मिलता है और जिनके बच्चे कुपोषण का शिकार होकर असमय ही मृत्यू का शिकार हो जाते हैं। ऐसे जो गरीब परिवार हे, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए 1988 से आई.आर.डी.पी. कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत ऋण देकर, सब्सिडी देकर गरीब परिवारों को काम-धंधा उपलब्ध कराया जाता है और गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है। 1988 से यह कार्यक्रम चल रहा है। 1988 के बाद गरीबी बढ़ी हे, गरीबों की संख्या बढ़ी है लेकिन आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बजाए निरंतर घट रही है। सरकार इस मामले में आई.आर.डी.पी. के मामले में कितनी गंभीर है, यह इससे पता चलता है। ग्रामीण और शहरी हमारी जो विकास की स्थायी समिति है, उसकी बैठक में विभाग के अधिकारी यह कहते हैं कि 2005 तक गरीबी की रेखा के नीचे जो परिवार हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के तहत कवर करेंगे। लेकिन जब मैने उनसे पूछा कि कितना पैसा लगेगा ? आपकी पूरी योजना क्या है तो उत्तर नकारात्मक मिला कि हमें पता नहीं कि कितना पैसा खर्च होगा ? इससे सरकार की गंभीरता पता चलती है। मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि लाभार्थियों की संख्या निरंतर घट रही है और कारण यह बताया कि प्रति परिवार निवेश बढ़ने के कारण लाभार्थियों की संख्या घट रही है। यदि आंकड़े देखें तो 19994-95 में जहां 22,15,451 लाभार्थी थे, वहीं 1995-96 में 20,89,400 हो गए और 1996-97 में तो हालत और बुरी हो गई। केवल 11,99,613 लोगों को हम आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत लाभान्वित कर सकें। यह जनवरी तक आंकड़े थे। हों सकता है कि लाख-दो लाख मार्च तक संख्या और बढ़ गई हो। मंत्री जी कहते हैं कि प्रति परिवार निवेश बढ़ने के कारण यह संख्या घट रही है। लेकिन मंत्री जी का कथन असत्य है, भ्रामक है और सदन को गुमराह करने वाला है।

[श्री शिवराज सिंह]

मुझे अत्यंत दूख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो हम गरीबी हटाने की बात कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ केन्द्रीय बजट में आई. आर.डी.पी. के लिए जितने बजट का आबंटन किया गया, हम पूरा खर्च नहीं कर पाते हैं। 1992-93 में 12214 लाख आबंटित किया गया था जो आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत आबंटित किया गया था। लेकिन खर्च नहीं किया गया। 1993-94 में 24673.72 लाख रुपये इस पर खर्च नहीं हुआ। 1994-95 में 37881.36 लाख रुपया खर्च नहीं हुआ। एक तरफ तो हम गरीबों की गरीबी दूर करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ बजट में जितना रुपया आबंटित किया गया था, वह पूरा पैसा ही खर्च नहीं किया गया। गरीबो के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है?

लाभार्थियों की संख्या घटने का कारण यह है कि बजट में आबंटन कभी बढ़ा ही नहीं है। तीन-चार साल से लगातार देख रहे हैं कि कोई वृद्धि नहीं हुई है। असामयिक वृद्धि जरूर हुई है। यदि आबंटन की राशि बढ़ाई जाती है तो हम और अधिक लाभ प्रदान करने की स्थिति में रहते। दूसरे, ऋण की क्या स्थिति है? वह मैं बताता हूं। अब तक 1980 से जितने लोगों को ऋण दिया है, उनमें 14.8 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं। वास्तव में बैंकों में व्यापक भ्रष्टाचार होता है। जिस समय ग्राम सेवक फॉर्म देता है और गरीब ऋण के लिए आवेदन करता है तभी से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। सौ रुपया फॉर्म लेने में लग जाते हैं और उसके बाद ग्राम सभा जब उसको अनुमोदित करके ब्लॉक भेजती है तो ब्लॉक के वह गरीब आदमी चक्कर लगाता रहता है। ब्लॉक से फिर डी.आर.डी.ए. में केस पहुंचता है और वहां से बैंक में दिया गया तो साल भर गरीब काम-धन्धा छोड़कर बैंक के ही चक्कर लगाता रहता है। अनेकों केस बैंक में भेज दिए जाते हैं। यह नंगी वास्तविकता है कि जिसको ऋण मिलता है, उसको पूरा ऋण नहीं मिलता है। हमारे एक मित्र हैं, उनको जब ऋण मिला तो हमने उनसे कहा कि अब तो आपको अच्छा रहेगा और आप कोई काम-धन्धा खोल सकते हैं। कहने लगे कि काम-धन्धा कैसे चलेगा, पैसा ही पूरा नहीं मिला। दस मंजूर हुए थे और पांच ही मिले हैं। पांच बैंक के अधिकारियों ने रख लिए। हमने पूछा कि आपने विरोध नहीं किया तो कहने लगे कि हमने कहा तो बैंक के अधिकारी कहने लगे कि ले जाना है तो ले जाओ वर्ना यह भी हम रख लेते हैं। फिर हमने भागते भूत की लंगोटी भली, यह सोचकर रख लिया कि इतना ही रख लो नहीं तो फिर इतना भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार से भारी भ्रष्टाचार होता है। जिनको मिलता है, आधा-अधूरा मिलता है। आपने यह प्रावधान किया है कि हम उनको पैसे नहीं देंगे। उनको पैसे के बाजए, जिस चीज का वह काम-धन्धा करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, ? वह चीज उसको देंगे। दुकानदार से वह कोटेशन लेकर आएगा, फिर उसके नाम हम चैक देंगे। लेकिन बैंक वाले उसी दुकान का कोटेशन लेते हैं, जिस दुकान से उनकी सैटिंग होती है। कहते हैं कि उसी दुकान का कोटेशन लेकर आओ। वहां स्थिति यह है कि कोटेशन लेने के पैसे लगते हैं। इसके बाद अगर बैंक वाले चैक देते हैं, तो दुकानदार कहता है कि सबसे पहले बैंक का इतना पैसा रख जा और मेरा इतना रख जा, इसके बाद तुम्हें लोन मिलेगा। चैक मिलता है, लेकिन आधा-अधूरा मिलता है। बाकी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, जिनको मिलता नहीं है। अपना काम-धन्धा छोड़ बेचारा चक्कर लगाता रहता है। लाभार्थी जो गरीब है, उसको ज्यादा समझ नहीं होती है। उसको पता नहीं होता है। प्रावधान यह है कि बैंक अधिकारी ग्राम सभाओं में जायेंगे और वहां उनका मार्गदर्शन करेंगे, किस जिले में कौन-कौन से काम हैं, किस जिले में कौन-सा बाजार उपलब्ध हो सकता है, ऐसे कौन से व्यापार हैं जिनमें ऋण दिया जा सकता है, जिससे काम-धन्धा चल सकता है। लेकिन इसका पलान नहीं होता है। 'ट्राईसेम' हमारी एक योजना है। यह योजना इस लिए कि ग्रामीण जो गरीब है, नौजवान है, उसको ट्रेनिंग देकर बाद में आई.आर.डी.पी. में ऋण दें। लेकिन 'ट्राइसेम' और 'आई.आर.डी.पी.' को जोड़ने का कहीं कोई प्रयत्न नहीं हुआ है, न कोई काम हुआ है। 'ट्राईसेम' में जिनको ट्रेनिंग मिलती है, उनको लोन नहीं मिलता है। जिनको आई.आर.डी.पी. में लोन मिलता है, उनका सही मार्गदर्शन नहीं होता है। मैं सच बता रहा हूं, मानसिकता यह बन गई है कि आई.आर.डी.पी. का लोन मात्र खाना-पीना है, काम-धन्धा नहीं है। आधा वे खा जाएं और आधा हम खा जाएं। कोई काम- धन्धा नहीं चलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन लोगों को आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत लोन देते हैं, उनसे हम गांव-गांव में जाकर पूछते हैं। कहते हैं कि हाथ उठाओ और बताओ कि क्या काम चल रहा है। वहां दस प्रतिशत भी ऐसे लोग नहीं निकलते है, जिनका काम-धन्धा रोजगार चल रहा हो। पैसा खा-पीकर वे भी बैठ जाते हैं। इसलिए आपका जो उद्देश्य है, आपका जो कार्यक्रम है, वह सफल नहीं हुआ है। असी प्रकार 'द्वाकरा' के अन्तर्गत और 'ट्राईसेम' के अन्तर्गत 3.08 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है। 2.13 प्रतिशत ऐसे हैं, जिनको 'द्वाकरा' के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई है। लेकिन 'ट्राईसेम' और 'द्वाकरा' को जोड़ने का कहीं पर भी प्रयत्न नहीं किया गया है। जिन लोगों को हमने ऋण दिया, वे लोग गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आपने कहा है कि सन् 2005 तक हम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार हैं, उन सबको आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत कवर करेंगे, आप यह कैसे कवर करेंगे? इसके लिए जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, वह कहां से आएगी? इसके लिए आपकी क्या योजना है? बजट में आई.आर.डी.पी. के लिए जो आबंटित राशि है, वह पूरी खर्च नहीं हुई है। वह कब पूरी खर्च होगी? आप इसके लिए क्या प्रावधान करेंगे, व्यवस्था करेंगे कि जो राशि खर्च नहीं हुई है, उसके लिए कौन दोषी है, कौन अपराधी है, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? ऋण देने में व्यापक भ्रष्टाचार होता है, इसके रोकने के लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं। बैंक में बरसों तक ऋण नहीं मिल पाता है। सालों लोग घूमते रहते हैं। एक निश्चित अवधि तक बैंक उनको ऋण दे और बैंक में उतने ही केस भेजे जायें, जितना आपका टार्गेट हो। अगर सौ लोगों को ऋण देना है, तो 110 भेज दीजिए, लेकिन आप 500 भेज देते हैं और 500 घूम रहे हैं। काम-धन्धा छोड़कर वे परेशान हो रहे हैं। एक निश्चित समय अवधि के अन्तर्गत टार्गेट फिक्स कर दें, ताकि बैंक में जाकर वह पैसा ले सके। इसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? 'ट्राईसेम' और 'द्वाकरा' को जोड़ एक सही योजना बनानी चाहिए। जिससे जिन लोगों को ऋण मिले, वे वास्तव में काम-धन्धे में लग सकें और वास्तव में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? आई.आर.डी.पी. की मोनिटरिंग के लिए सांसद बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसकी देखरेख के लिए, मूल्यांकन के लिए, योजनाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे?

श्री प्रहलाद सिंह (सिवनी) : सभापति जी, मैं शहरी एवं विकास मंत्रालय की स्थायी समिति का सदस्य हूं और हमारे मित्र भी उसके सदस्य हैं तथा विशुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। इतनी सारी बातें हमारे शिवराज जी ने कही हैं। स्थायी समिति द्वारा उनकी समर्थन भी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, बार-बार यह सवाल पूछा गया है, कोई पहली बार नहीं पूछा गया है, 'ट्राईसेम' और 'द्वाकरा' को हिन्दुस्तान

में कहीं पर भी जोड़ने का प्रयास हुआ है? यदि हुआ है, तो वह बतायें? दूसरी बात, स्थायी समिति के जो सदस्य प्रदेशों के हैं, क्या उन सांसदों के द्वारा सारी योजनओं के कार्यान्वियन की समीक्षा के लिए उपयोग कर रहे हैं? जो स्थायी समिति के सदस्य हैं उनको क्या समीक्षा करने का अधिकार आप देंगे, यह मेरा प्रश्न है।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, हमारे मित्र श्री शिवराज सिंह ने बहुत सारी बातें प्रमुखता के साथ रखी हैं। वास्तव में यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई और आज के समय में गरीबों की संख्या बढ़कर 30 करोड़ से ज्यादा हो गई है, बल्कि इससे भी ऊपर है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्लान 126 लाख परिवारों का था। आपने यह बताया कि हम कम कर पाए, 108 लाख पर ही पहुंच पाए। इस योजना को चलते हुए 17 वर्ष हो गए, इन 17 वर्षों में अगर हम एक वर्ष में 20 लाख परिवारों का औसत रखें तो 346 परिवारों को हमने कुछ न कुछ सहायता पहुंचाई होगी, यह संख्या कम भी हो सकती है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने हर स्तर पर स्वीकार किया है कि इसमें अनियमितताएं हैं और कई बार यह कहा गया कि जिला अधिकारी डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष होता है। सांसदों को मोनिटरिंग में किसी प्रकार से जोड़ा जाए, इसमें आपने पिछले प्रश्न के दौरान मना कर दिया कि सांसदों की कोई आवश्यकता नहीं है।

मेरा आपसे यह कहना है, मैं एक-दो प्वाइंट्स पर आपका ध्यान दिलाते हुए उसका हल चाहूंगा। जो ब्लाक स्तर से लेकर जिला स्तर तक लाभार्थी का शोषण होता है उसको दूर करने के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है? दूसरा यह है कि अब तक कितने परिवार लाभान्वित हो चुके हैं? पिछले दो वर्षों से द्वाकरा योजना शुरू हुई है उसका क्या आउटपुट है? मार्केट में जो ट्राईसेम और द्वाक्ररा योजना से लाभान्वित परिवार हैं उन नौजवानों ने ऐसी कया चीजें तैयार कीं कि जो मार्केट में उनके नाम से बिक रहीं हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बैंक से पूछें कि इसके अन्तर्गत जिनको ऋण दिया गया उसकी आउटपुट क्या है तो मैं विभिन्न समितियों के माध्यम से गया हूं, मुझे यह जानकारी मिली है कि 10 से 15 प्रतिशत तक की रिकवरी नहीं होती है और उनका कहना है कि सरकार इस योजना को बन्द कर दे तो ज्यादा हित में रहेगा।

मेरा आपसे स्पष्ट प्रश्न यह है कि इस पूरी योजना को, अब जैसे कि संसदीय स्थायी समिति ने भी समीक्षा करके इसको दूसरे ढंग से लागू करने के लिए कहा है, जिससे कि वास्तव में किसान को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि किसान के दिमाग में यह है कि फिर ऋण माफ हो जाएगा। उसको पैसा कम मिलता है, जितना लाभ का पैसा होता है वह तो दूसरे लोग ले लेते हैं और उसको वास्तव में पैसा नहीं मिलता है। क्या इसकी फिर से समीक्षा करेंगे और समीक्षा करके कोई ऐसी योजना शुरू की जाए जिससे वास्तव में लाभार्थी को सही लाभ मिले और वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सके, नहीं तो वह बिल्कुल ही ऊपर उठ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

डॉ. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, यह प्रश्न निश्चित रूप से गरीबी उन्मूलन को लेकर है। लोगों को रोजगार मिल सके और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, इस दृष्टि से इस प्रकार की योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या आई.आर.डी.पी. के नाम से जानी जाती है, इसको लागू किया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य 126 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का था, जैसा कि मंत्री जी ने बताया था कि हमने 108 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, निश्चित रूप से लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से यह जो संख्या दिखाई दे रही है इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए परन्तु प्रश्न यह है कि जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिलने की जो पद्धति है वह भ्रामक है, बहुत ही कष्टपूर्ण है। जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों का चयन करने की पद्धति, उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए, चयन करने के बाद लोगों को बैंकों से पैसा मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें निश्चित रूप से जिसको लाभ मिलने वाला है ऐसे लाभार्थी को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है और किस प्रकार से उसको कष्ट उठाना पड़ता है, इसके लिए वह खुद पर्सनल एप्रोच करता है।

उससे हम जानकार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं। इस व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाने के लिए और जिन लोगों को फायदा मिलना चाहिए, उनको मिले, ऐसा उपाय करना चाहिए। ट्राईसेम और डी. डब्ल्यू.आर.सी.ए. की जो स्कीम है जिसमें वह ट्रेनिंग भी प्राप्त करता है और उम्मीद करता है कि यह ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उसे रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आज च्यनित करने के बाद और ट्रेनिंग करने के बाद, उसको लाभ पहुंचने तक की स्थिति में अन्तर हो गया है। उसका कारण यह बीच का अन्तर है। जिस काम की वह अपेक्षा नहीं करता है उसको वह काम करना पड़ता है। लाभ किस-किस को पहुंचना होता है, यह भी उसमें परेशानी होती है। इसमें कहा गया है कि एक समिति बनाई गयी है और उसके द्वारा हम इस प्रक्रिया को ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें यह भी बताया गया था कि रिजर्व बैंक के डिप्टी चेयरमैन जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गयी है जिससे बैंकिंग के लोगों से सहायता ली जाए कि किस प्रकार इसको सरल बनाया जा सके। लेकिन जहां-जहां पैसा आ जाता है प्रक्रिया कठिन हो जाती है। जिसको पैसा मिलना चाहिए उसको उसी प्रमाण में पैसा मिल जाएगा, यह काम कठिन होता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लक्ष्य आठवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है उसको प्राप्त करने के लिए, आपका प्रयास ठीक होगा। लेकिन जिन लोगों तक पैसा पहुंचता है, उनको जो कठिनाइयां होती हैं, और जिनको लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि वे सारी बातों को सैट नहीं कर पाते हैं। इसलिए जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको बराबर लाभ मिले, ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए। इसको सही करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ग्राम-पंचायत या नगर की व्यवस्था है। इसमें एक समिति बनाकर एक समयबद्ध समय में उनको पैसा मिलना चाहिए। अन्यथा होता यह है कि मंजूर होते हुए भी 6-6 महीने या साल-साल भर तक, जब तक वह पर्सनल अपरोच नहीं करता है, उसको पैसा नहीं मिलता है। पर्सनल अपरोच का मतलब होता है कि उसको पैसा लेने के लिए पैसा देना पड़ता है। इस तरह से भ्रष्टाचार पैदा होता है और भ्रष्टाचार शिष्टाचार बनकर सामने खड़ा हो जाता है। इसको समाप्त करने के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जिससे जिस व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है उसको पूरा-पूरा लाभ मिल सके। इतना ही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री शिवराज सिंह : सर, इसका नाम है।... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नाम देने से कुछ नहीं होगा, बैलेट में आना चाहिए।... *(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नाम तो नहीं दिया है, लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो तो

[अनुवाद]

श्री वी. के. राघवन (त्रिचूर) : महोदय, मैं केवल दो बातें कहने की अनुमति चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जिनके नाम बैलेट में आये हैं उनके अलावा इस विषय पर किसी और को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किन्जारप्पू येरननायडू) : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और केन्द्र सरकार के गरीबी दूर करने से सम्बन्धित प्रमुख कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्धन ग्रामीणों के लिए आय पैदा करने वाली आस्तियां और स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हम जिला परिषदों और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के माध्यम से योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों, केन्द्रीय स्तरीय निगरानी समितियों और इसी प्रकार के खण्ड और जिला स्तरीय निगरानी समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है। लघु और सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और कारीगरों को मिलाकर लक्षित समूह बना है। सामान्यतः, हम सामान्य क्षेत्र में सभी वर्गों में 4,000 रुपये की राज सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और शारीकि रूप से विकलांग लोगों के सम्वन्ध में भारत सरकार 6,000 रुपये की राज सहायता उपलब्ध करा रही है।

आई.आर.डी.पी. योजना को राज्य और केन्द्र के बीच 50 : 50 की लागत के आधार पर वित्तपोषित किया जाता है। यह योजना देश के सभी खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है। राज सहायता के ढांचे के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि 25 प्रतिशत लघु किसानों को दी जाती है, 33 प्रतिशत सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को दी जाती है। ...*(व्यवधान)* सबसे पहले, मैं कार्यक्रम के बारे में बताता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : सभापति महोदय, सामान्य जानकारी हम सबको है। हमने मंत्री जी से जो प्रश्न पूछे हैं, वह उनका उत्तर दें। वह इसमें सुधार लाने के तरीके बताएं।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मुझे पहले परिदृश्य बताने दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : हम इसे पहले से ही जानते हैं।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : आई.आर.डी.पी. के सम्बन्ध में नियम-पुस्तिका में ग्राम सभा द्वारा ऋण आवेदनों को तैयार करने आदि के बारे में प्रावधान है। खण्ड स्तरीय अधिकारी, सरकारी अधिकारी और बैंक के संचालक गांवों में जाते हैं। वे ग्राम सभा का संचालन करते हैं। ग्राम सभा में, वे निर्णय लेते हैं कि उस गांव में कौन सबसे गरीब हैं ताकि उन्हें योजना का लाभार्थी बनाया जा सके। वे उस गांव की ग्राम पंचायत के समक्ष सूची प्रस्तुत करते हैं। ये मार्ग निर्देश हैं जिन्हें हमने जारी किया है।

यह सही है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों का शासन है। मुख्यतः हम राज्य सरकारों को धनराशि देते हैं। पचास प्रतिशत धनराशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजसहासता के रूप में दी जाती है और शेष पचास प्रतिशत राज्य द्वारा वहन की जाती है। शेष धनराशि बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दी जाती है। एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आठवीं योजना का लक्ष्य 1,26,00,000 परिवार थे जबकि हमने केवल 1,00,00,000 परिवारों का ही लक्ष्य प्राप्त किया है। मेहता समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को देखते हुए वास्तविक लक्ष्य की प्रणाली 1985-86 से समाप्त कर दी गयी थी ताकि गुणवत्ता का मानक पूरा हो सके जैसे कि अधिक ऋण जुटाने के माध्यम से प्रति परिवार अधिक निवेश हो। इसी कारण आठवीं योजना के लिए निर्धारित 1,26,00,000 परिवारों का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। हमने परिवार ऋण की अधिकतम धनराशि दी है।

रिजर्व बैंक के डिप्टी गर्वनर श्री मेहता की अध्यक्षता वाली पिछली समिति—मेहता समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है। वर्ष 1992-93 में, राजसहायता-ऋण अनुपात 1 : 1.7 था। वर्ष 1996-97 में यह बढ़कर 1 : 2.17 हो गया। वर्ष 1992-93 में प्रति परिवार निवेश 7,889 रुपये था। वर्ष 1996-97 तक यह 15,036 रुपये हो गया। प्रति परिवार निवेश वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि लाभार्थियों की संख्या में कमी आयी है।

जिलों में निगरानी और सतर्कता समितियां होती हैं। कुछ राज्यों में जिला परिषद के चेयरमैन, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के चेयरमैन होते हैं। कुछ राज्यों में जिलाधीश चेयरमैन होता है। सभी संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, ब्लाक अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के शासी निकाय में सदस्य होते हैं। वहां पर खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति, जिला स्तरीय सलाहकार समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति हैं। ये सभी समितियां बैंकर्स द्वारा कितना ऋण दिया गया है, तैयार की गई कार्यवाही योजना क्या है, कितना ऋण निर्धारित किया जा रहा है की तिमाही तौर पर समीक्षा करती हैं। इसी प्रकार, हर राज्य में और पूरे देश में कई समितियां हैं। मैंने पहले ही सभी जिलाधीशों को निर्देश दे दिया है कि हर एक जिले के जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकायों की बैठकें हर तीन महीने बाद की जानी चाहिए। यदि कोई समस्या है, यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला है, यदि ऋण वितरण में विलम्ब होता है अथवा यदि योजना का मूल कार्य समाप्त होने में विलम्ब होता है तो विधान सभा सदस्यों और संसद सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी परिषद की बैठक में उठाया जाना चाहिए। यदि जिला प्रशासन द्वारा कोई छोटा-सा उल्लंघन किया जाता है तो यही एक आसान तरीका उपलब्ध है।

हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, योजना के मूल कार्य के समाप्त होने के बाद राजसहायता देना शुरू किया है। पहले हम लाभार्थियों को पहले चरण में ही राजसहायता दे रहे थे जिससे धोखा- धड़ी की गुंजाईश रह जाती थी। मेहता समिति की सिफारिशों के बाद, हमने हाल ही में कार्य समाप्त होने के बाद राजसहायता देने की प्रणाली को शुरू किया है। हम योजना के मूल कार्य समाप्त होने के बाद ही लाभार्थी के नाम पर राजसहायता दे रहे हैं। तीन वर्ष के पश्चात् राजसहायता लाभार्थी के खाते में समायोजित की जाएगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। *ग्राम सभा* की बैठक में लाभार्थियों के चयन के समय, यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय किया जाता है तो इस पर आपत्ति उसी समय वहीं पर की जा सकती है। कोई व्यक्ति यह तर्क दे सकता है कि उसका सम्बन्ध सबसे निर्धन श्रेणी के लोगों से है। लाभार्थी का चयन अनेक लोगों के सामने किया जाता है और इसीलिए भ्रष्टाचार की बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहती।

समवर्ती मूल्यांकन के चौथे दौर के सम्बन्ध में भारत सरकार ने हाल ही में ···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : जो आप फरमा रहे हैं, वह बिल्कुल सही है लेकिन बैंकों के बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। जिनका चयन होता है, उनका सही समय पर लोन नहीं मिल पाता।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि लोन समय पर नहीं मिलता। इसीलिए सरकार उन पर दबाव डाले।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, पिछले वर्ष मैंने उत्तर दिया था···*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उन्होंने पांच प्रतिशत अथवा दस प्रतिशत निजी कमीशन के बारे में पूछा है। आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं? ···*(व्यवधान)*

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि बैंक पांच प्रतिशत की मांग करें। यदि किसी विशेष क्षेत्र से कोई शिकायत आती है, तो उसे हमारे नोटिस में लायें। हम इसके बारे में पूछताछ करेंगे ···*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपने प्रश्नों को केवल उन्हीं तक सीमित रखिये जिन्होंने उन्हें उठाया है।···*(व्यवधान)*

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : मैं केवल उनके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं जिन्होंने प्रश्न उठाये हैं···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : सभापति जी, जो मूल प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय : अभी इन्होंने जवाब खत्म नहीं किया है।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : 30 दिसम्बर, 1996 को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की ऋण सहायता के सम्बन्ध में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया था कि बैंक एक महीने के अन्दर ऋण स्वीकृत करेंगे, स्वीकृत करेंगे, स्वीकृति के पश्चात् दो महीने के अन्दर ऋण का प्रायोजन और वितरण किया जायेगा···*(व्यवधान)* यह निर्णय है और हम उन्हें लागू कर रहे हैं···*(व्यवधान)* आप चयनित प्रतिनिधि ा हैं। आपको निचले स्तर तक जाना चाहिए। आपको मांग अवश्य करनी चाहिए। ये निर्णय केन्द्रीय स्तर पर लिये गये हैं। आपको यह बताना चाहिए कि वितरण के पश्चात् आप निर्णयों को लागू क्यों नहीं करते।··· *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री जी, हो यह रहा है कि बैठकें संसद के सत्रों के दौरान आयोजित की जाती हैं। सांसद इन बैठकों में किस प्रकार उपस्थित रह सकते हैं? इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि डी.आर.डी.ए. की बैठकें लोक सभा सत्र के दौरान आयोजित नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : आप बताइये इसका कार्यान्वयन कहां हो रहा है? कई बार जानबूझकर सत्र के दिनों में मीटिंग बुलाई जाती है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सच है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : यह मुद्दा सभा में माननीय सदस्यों ने कई बार उठाया था। मैंने डी.आर.डी.ए. के पी.ओ. और पी.डीज़. को स्पष्ट अनुदेश दे दिए हैं। डी.आर.डी.ए.के पी.डीज़. की कार्यशाला का दूसरा दौर आज से शुरू होने जा रहा है। उस कार्यशाला में भी, मैंने सभी परियोजना निदेशकों को इस पर विचार करने के लिए कहा है कि यदि बैठक संसद सत्र के दौरान आयोजित की जाती है तो उसमें माननीय सदस्यों के लिए उपस्थित रहना किस प्रकार संभव है। यह हमारे नोटिस में आने के पश्चात् हमने प्रत्येक मामले को निपटाया।

सभापति महोदय : अभी भी बैठकें सत्र के दौरान आयोजित की जाती हैं। मेरे जिले में एक बैठक इस सत्र के दौरान आयोजित की गई है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : ऐसा कुछ समय पहले हो सकता है। हाल ही में, पी.डीज़. ने संसद सत्र के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की है। यदि पी.डी. संसद सत्र के दौरान कोई बैठक आयोजित करता है, तो आप इसे हमारे नोटिस में लाइये। हम इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। आपको साक्ष्य अवश्य देना चाहिए।···*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : कई दफा इसका पालन नहीं होता, आप क्या करेंगे?

श्री प्रहलाद सिंह : सभापति महोदय, कोई मीटिंग नहीं होती और इसको फौलो नहीं किया गया।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति महोदय, कई बार कम्प्लेंट करने के बाद भी एक लाईन यह लिखकर आ जाती है कि ऐसा नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप सभी को दुबारा अनुदेश जारी कीजिए।

···*(व्यवधान)*

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, आज मैंने एक सारगर्भित भाषण दिया है। उद्धृत करता हूं :

"सदस्यों द्वारा लगातार इस बात पर चिंता व्यक्त की जाती रही है कि उन्हें डी.आर.डी. ऐज के कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं किया जा रहा है। उनमें से अनेक यह महसूस करते हैं कि इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है और ग्रामीण लोगों को निर्धनता के प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। अप्रैल, 1997 में, ग्रामीण रोजगार और निध् ानता उन्मूलन विभाग ने बताया कि संसद सदस्य मंत्रालय को यह लिख रहे हैं कि शासी निकाय की बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही हैं और संसद सदस्यों को पहले से बैठकों के बारे में सूचित नहीं

[श्री किन्जारप्पू येरननायडू]

किया जा रहा है। यह भी देखा गया है कि डी.आर.डी. ऐज संसद सत्र के दौरान बैठकें आयोजित कर रहे हैं और इसीलिए उनमें उपस्थित होना सांसदों के लिए असम्भव रहता है। यहां तक कि अभी भी, मुझे यही शिकायत मिली है। स्वाभाविक रूप से जब सांसदों ने मुझे संसद सत्र के दौरान बैठकों के नोटिस दिखाये हैं तो मैं अपने आपको अजीब स्थिति में पाता हूं और यह मांग करता हूं कि वे इन बैठकों में किस प्रकार उपस्थिति रह सकते हैं। मैं नहीं जानता कि इस साधारण-सी बात पर आप विचार क्यों नहीं कर सकते।''

अपने भाषण मं मैंने इस पहलू की ओर इंगित किया है *(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनुदेश का समुचित क्रियान्वयन नहीं हो राह है··· *(व्यवधान)*

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान और प्रत्येक चीज का सम्वन्ध केन्द्र और राज्यों से है। उन्हें जो भी राशि दी जाती है, वे उसे स्वीकार कर लेते हैं··· *(व्यवधान)* इसी कारण इन समितियों का अस्तित्व है। आपका चयन लोगों के द्वारा होता है। आपको इन दिशानिर्देशों की मांग करनी चाहिए ओर उन्हें जारी करना चाहिए··· *(व्यवधान)*

डा. सत्यनारायण जटिया : मंत्री महोदय ने जो संदर्भ दिया है, वह बिल्कुल ठीक है परन्तु उस अनुदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : क्या आप पालन करते हैं?

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : इसीलिए, मैंने कहा है कि सभी अधि ाकार राज्य सरकार के अधीन हैं। आप सब कुछ जानते हैं।

अपराह्न 7.00 बजे

अतः, हमने राज्यों को जो भी अनुदेश दिया है, उसे राज्यों को अवश्य लागू करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने पुनः एक परिपत्र परिचालित किया है।

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि इसके अपनाने के पश्चात् हमने चार समवर्ती मूल्यांकन किये हैं। सितम्बर, 1992 से लेकर अगस्त 1993 तक के समवर्ती मूल्यांकन के चौथे दौर में, प्रतिशतवार मूल्यांकन से यह लक्षित होता है कि 15.96 प्रतिशत लाभार्थी परिवार गरीबी की रेखा पार कर सकते हैं *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : यहां आंकड़े देने से क्या फायदा? ये आप पहले पढ़ चुके हैं··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : किसी ने पूछा था कि किस सीमा तक गरीबी का उन्मूलन किया जा चुका है?

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : कम्लेंट लिखने के बाद एक लाइन आती है कि केस उपयुक्त नहीं पाया गया और वही आप लोग सभा में आकर पढ़ देते हैं।··· *(व्यवधान)* क्या कोई संसदीय समिति ऐसे मामले पर बनाने का आप विचार रखते हैं?··· *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब दें।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह : जो शिकायतें आ रही हैं, उनके लिए कोई संसदीय समिति बनाने का विचार आप रखते हैं?··· *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जरा बैठिए। मंत्री जी को सदस्यों के सवालों का जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, बहुत-सी समितियां हैं। संसद की एक स्थायी समिति है, परामर्शदात्री समिति और क्षेत्रीय और जिला स्तरों पर भी समितियां हैं··· *(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं आपके नौजवान मित्र का बहुत सम्मान करता हूं। माननीय मंत्री इस सरकार के कुछ थोड़े से प्रभावी सदस्यों में से एक हैं। परन्तु माननीय मंत्री यह दिखावा कर रहे हैं जैसे कि वह कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं आपको एक साधारण-सा उदाहरण दूंगा। असम के एक मंत्री श्री एस. चौधरी जिनके बारे में माननीय मंत्री बात कर रहे हैं, सम्मेलन में आये और उसमें भाग लिया। तत्पश्चात्, वह मेरे आवास पर आये। मैंने उनसे पूछा : ''आपने मेरे जिले में समितियों का गठन क्यों नहीं किया?'' उन्होंने कहा : ''भारत सरकार के ऐसे कोई अनुदेश नहीं हैं।'' मैंने पूछा : ''आपने आज एक बैठक में भाग लिया है। क्या आपने उनके साथ विचार-विमर्श किया?'' उन्होंने कहा : ''जी नहीं। मंत्री जी ने अपने भाषण में कुछ भी नहीं कहा।''

महोदय, तत्पश्चात्, मैंने उनके सचिव को टेलीफोन किया। मैं माननीय मंत्री की परवाह नहीं की। अब, हम सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं परन्तु वे हमारी परवाह नहीं करते। हमारे लिए उन्हें समर्थन देना हमारी मजबूरी है। अतः, मैंने उनके सचिव से पूछा : ''समितियों का गठन क्यों नहीं किया गया है? मेरे पास तीन जिलों के नाम हैं।''

सभापति महोदय : डी.आर.डी. समितियों का गठन?

श्री संतोष मोहन देव : जी नहीं, डी.आर.डी.ए. समितियों का गठन नहीं। राज्यों को एक परिपत्र परिचालित किया गया था कि जन प्रतिनिधियों-संसद और विधान सभा सदस्यों—की एक समिति होनी चाहिए। उस परिपत्र को परिचालित करने के पीछे रोजगार गारंटी योजना को कायान्वित करने का विचार था। खण्ड विकास अधिकारी और जिला-धीश की पहचान कर ली गई है। अब, मुझे जाकर खण्ड विकास अधिकारी और उपायुक्त से अनुरोध करना पड़ेगा। मुझे उपायुक्त के पास जाकर अनुरोध क्यों करना चाहिए। धनराशि केन्द्र द्वारा विशेष योजनाओं के लिए

दी जाती है। संबद्ध क्षेत्रों के सदस्यों को योजनाओं की पहचान करने के लिए कहा जाना चाहिए और यदि उसमें कुछ तकनीकी रूप से गलत हो, तो उसे उन्हें रद्द कर देना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? जैसा कि उन्होंने ठीक ही कहा है राज्य सरकारों के अधिकारी हमारी समितियों में नहीं थे। यह श्रेय हम ले सकते हैं। सचिव द्वारा मुख्य सचिव को किया गया एक टेलीफोन ही पर्याप्त होता है। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। अब यदि हम मंत्रालय को धनराशि की मंजूरी देना बंद कर दें तो क्या होगा? हम अगली बार उनके मंत्रालय की मांगों का समर्थन नहीं करेंगे जब तक वह इन योजनाओं को लागू नहीं करते।

जब मैं प्रधानमंत्री के पास जाता हूं तो वे कहते हैं : "मंत्री से कहो कि मंत्रिमण्डल में दस्तावेज लाएं।" जब मैं संसदीय कार्य मंत्री के पास जाता हूं तो वे कहते हैं

[हिन्दी]

"दादा सब हो गया। अभी-अभी मीटिंग है, सब हो जाएगा। अब दादा तो आधा हो गया। कुछ नहीं होगा।"

[अनुवाद]

यह क्या हो रहा है? हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री को बताया था कि सदस्य इस धनराशि को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने की मांग कर रहे हैं। मैंने कहा, 'ऐसा नहीं कीजिए'। परन्तु रोजगार आश्वासन योजना के सम्बन्ध में सदस्यों को भी शामिल कीजिए। मैं अपने लिए धनराशि नहीं मांग रहा हूं।

अगले दिन दिल्ली के भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन ने सही कहा था, "जब मैंने कार्य का पता लगा लिया मैंने वह कार्य संसद सदस्य क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से करने हेतु दे दिया। इसे ऐसा समझा जाना चाहिए कि मैंने अपना कर्त्तव्य पूरा कर लिया है। यदि बी.डी.ओ. तथा अन्य लोगों द्वारा कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो मेरी धनराशि जारी नहीं की जाए।

किसी भी दिन मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। मेरा क्या होगा? ...*(व्यवधान)* इसलिए, मैं कह रहा हूं कि कृपया विकास कार्य में संसद सदस्यों को शामिल करें। नौकरशाह हमेशा आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप धनराशि न दें। वे बी.डी.ओ. में दिलचस्पी रखते हैं। वे उपायुक्त में दिलचस्पी रखते हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं परन्तु हमें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय, आप कृपया किसी भी एजेंसी के माध्यम से कार्यकरें। हम आपको यह बताना नहीं चाहते कि आपको यह ठेकेदार लेना चाहिए अथवा नहीं। हम चाहते हैं कि स्कूल बने। हम चाहते हैं कि सड़क बने। हम चाहते हैं कि लघु परियोजना बने। जब मैं गया तो मैंने पाया कि जो कुछ मैंने चाहा, वैसा नहीं किया जा रहा है और कुछ और ही किया गया है। 20,000 रुपये की राशि खर्च करके वे 80,000 रुपये का बिल बनाते हैं, और धनराशि खर्च हो जाती है। यह किसकी धनराशि है? यह हमारी धनराशि है। यह जनता की धनराशि है। इसलिए कृपया इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री संतोष मोहन देव : सभापति महोदय, इसमें आपका भी हित है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अपील करूंगा—मैं जानता हूं कि आप बहुत निष्ठावान मंत्री हैं और इस मामले को मंत्रिमण्डल में ले जाएंगे और इस पर निर्णय लेंगे।

आज आपने संसद सदस्यों के लिए सभी सुविधाएं पारित कर दी हैं। हम इससे प्रसन्न हैं। इतने शोरगुल के बाद किसी ने मुझे बताया कि मंत्रिमण्डलीय बैठक में ...*(व्यवधान)*

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी) : उन्होंने क्या-क्या पारित किया है?

श्री संतोष मोहन देव : इन सबकी सिफारिश वेतन समिति ने की थी।

आज एक विधायक को 60,000 रुपये मिलते हैं परन्तु मुझे 5,900 रुपये मिलते हैं। मेरा दर्जा क्या है? आप मुझे आवश्यक रूप से ईमानदार चाहते हैं ...*(व्यवधान)* मंत्री महोदय, कोई भी आपके कार्य पर अविश्वास नहीं करता। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि यह परिपत्र क्रियान्वित हो। यदि क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो धनराशि जारी न करें, उसे रोक दें।

श्री आर. साम्बासिवा राव (गुंटूर) : हमें कार्य का पता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : महोदय, यह प्रश्न आई.आर.डी.पी., तेजी से हो रहे मूल कार्यों, बैंकों तथा अन्य बातों से सम्बन्धित है। इन सभी योजनाओं के सम्बन्ध में स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा जिन बातों की सिफारिश की गई थी, मैंने वे मंत्रिमण्डल को भेज दी थीं जहां सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित थे।

अंतर्राज्यीय परिषद् की बैठक में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकार को केन्द्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाओं को अंतरित करने के लिए कहा और उन्होंने यह भी पूछा कि केन्द्र इन सब योजनाओं की निगरानी क्यों कर रहा है क्योंकि कर्मचारी तथा हर चीज उनकी है।

73वां संविधान (संशोधन) विधेयक पारित करने के पश्चात् ग्राम पंचायतों, मध्यवर्ती पंचायतों तथा जिला परिषदों को काफी शक्तियां दी गई थीं। उन्होंने कहा था कि केन्द्र इन योजनाओं को अपने पास क्यों रख रहा है, केन्द्र इस धनराशि को क्यों रख रहा है और उन्होंने केन्द्र से यह धनराशि ग्राम पंचायतों को देने के लिए कहा। यह ग्राम पंचायत की मांग थी। यह स्थिति है जो मैं बता रहा हूं ...*(व्यवधान)* 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के पश्चात् हमने 29 विषयों को 11वीं अनुसूची के अन्तर्गत अंतरित किया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : हमारे यहां, बिहार में अभी पंचायतें भी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जारप्पू येरननायडू : आई.आर.डी.पी. के क्रियान्वयन, तेजी से हो रहे मूल कार्यों, वितरण तथा सभी चीजों के लिए अनके समितियां हैं। आपको उन बैठकों में भाग लेना चाहिए और इसके बाद आप बता सकते हैं कि कमियां कहां हैं। जो भी अनुदेश दिए गए हैं अपनी ओर से मैं सुनिश्चित करूंगा कि उनका पूर्णतः पालन किया जाए और इन्हें क्रियान्वित किया जाए ...*(व्यवधान)*

पर्यटन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : सभापति महोदय, मैं एक छोटी-सी घोषणा करना चाहूंगा।

चूंकि आज सभा की बैठक देर तक चलेगी इसलिए, माननीय सदस्यों, प्रेस तथा कर्मचारियों के लिए अल्पाहार का प्रवन्ध किया गया है—अल्पाहार का मतलब रात्रि भोज नहीं है वरन् वहां अन्य चीजें होंगी।

माननीय सदस्यों तथा प्रेस को अल्पाहार अपराह्न 8.30 बजे सेंट्रल हॉल कॉउंटर में दिया जाएगा और कर्मचारियों को कमरा सं. 73 में दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री शिवराज सिंह : सभापति जी, हमने जितने प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न का भी उत्तर सही तरह से मंत्री जी ने नहीं दिया। *(व्यवधान)* ...

सभापति महोदय : बस हो गया, आप बैठिए।

श्री शिवराज सिंह : मेरे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक भी प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने ठीक तरह से नहीं दिया। *(व्यवधान)* ...

सभापति जी, आप गरीबों के दर्द को जानते हैं, मजदूरों की बातें करते हैं, आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मंत्री जी को कहें। *(व्यवधान)* ...

सभापति महोदय : आपकी सजैस्शन्स को उन्होंने नोट कर लिया है। उन पर वह कार्यवाही करेंगे।

श्री शिवराज सिंह : मंत्री जी ने मूल प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया।

सभापति महोदय : आप बैठिए।

अपराह्न 7.10 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अनुदानों की अनुपूरक मांगे—रेल को लेते हैं। कृपया प्रत्येक सदस्य पांच मिनट ही बोले।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, 1997-98 के रेल के पूरक बजट पर बोलने के लिए आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुंगेर और उसके आसपास के 10 जिलों की दो करोड़ जनता की मांग लगातार 40 वर्ष से चली आ रही थी कि मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर पुल का निर्माण किया जाए। उस पुल के निर्माण के लिए इस अनुपूरक बजट में रेल मंत्री महोदय ने प्रावधान किया है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज और श्री नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि ये दोनों महानुभाव लगातार तीन वर्ष तक मुंगेर में गंगा के ऊपर पुल बनाए जाने के आन्दोलन से जुड़े रहे। मैं पूर्व प्रधान मंत्री श्री एच.डी. देवेगौड़ा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि जब वे प्रधान मंत्री थे, तो उन्होंने इस मामले में दिलचस्पी ली और कहा था कि रेलवे का जो अगला सप्लीमेंट्री बजट आएगा उसमें मुंगेर में गंगा नदी के ऊपर पुल की व्यवस्था जोड़ी चाहिए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं दो-तीन सवालों को संक्षेप में मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं। उनमें पहली है जमालपुर कारखाने की समस्या। पूर्व रेलवे का वह रिपेयरिंग वर्कशाप 143 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। बाद में यह एशिया का सबसे प्रसिद्ध कारखाना बना और उसमें 22 हजार मजदूर काम करते थे। आज उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसमें मुश्किल से 10 हजार मजदूर ही काम कर रहे हैं और उनके ऊपर भी संकट है।

सभापति महोदय, आप तो स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। आपको तो मालूम है कि स्टेंडिंग कमेटी में सर्वसम्मति से यह पास हुआ है कि वहां पर वैगन फैक्ट्री होनी चाहिए, लेकिन अभी तक स्टेंडिंग कमेटी के फैसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वैगन्स फैक्ट्री के साथ कोच फैक्ट्री भी वहां हो और इसके लिए उसका स्ट्रक्चर वहां है। इतनी कम कीमत में और इतनी कम लागत में वहां पर यह फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है जितनी कम लागत और कीमत पर देश के किसी भी भाग में स्थापित नहीं हो सकती है। वहां जमीन उपलब्ध है। वहां पर पानी उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां के मजदूर बहुत कुशल हैं। इस आधुनिक युग में भी रेल के सम्बन्ध में आप कोई भी काम वहां के मजदूरों को बनाने के लिए दे दें और उसका समय निश्चित कर दें, तो उतने समय के अन्दर वे उस चीज को बनाकर दे देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि यहां पर वैगन फैक्ट्री खोलने के बारे में निर्णय शीघ्र कीजिए।

सभापति महोदय, मुझे रेल बजट और सप्लीमेंट्री रेल बजट को देखने से पता चला है कि रेल मंत्रालय को वैगन और कोचों की बहुत आवश्यकता है। जितने भी पुराने कोच और वैगन हैं, उनको आप डेंटिंग तथा पेंटिंग करके प्रयोग में ला रहे हैं जबकि उनके स्थान पर नए कोच और वैगन अब तक आ जाने चाहिए। जितनी भी आपकी अभी तक रेल कोच और वैगन फैक्ट्रीज हैं उनकी जितनी क्षमता है वह बहुत कम है और आपकी मांग की पूर्ति उनसे नहीं हो पा रही है। इसलिए जमालपुर रेलवे कारखाने में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैगन और कोच फैक्ट्री बनानी चाहिए।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सीतारामपुर से मुगलसराय तक इलैक्ट्रीफिकेशन हो रहा है और संभवतः 1998 तक वह काम पूरा हो जाएगा। सीतारामपुर मैन लाइन पर है और उधर से ही लूप लाइन भी मुगलसराय तक चलती है। इस प्रकार से हावड़ा से दिल्ली तक अगर न्यूल होकर जाएं तो सीधे जाया जा सकता है, लेकिन इस लूप लाइन पर साहबगंज से क्यूल तक इलैक्ट्रीफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लूप लाइन में साहबगंज से क्यूल तक इलैक्ट्रीफिकेशन का काम अपने हाथ में लें। जिससे कि जमालपुर कारखाना जो पहले लोकोमोटिव कारखाना कहा जाता था। वह स्टीम इंजन का था और अभी वहां डीजल इंजन का काम हो रहा है और फिर आप कहेंगे कि साहब डीजल इंजन समाप्त होने वाला है, इलैक्ट्रिक इंजन आने वाला है। कहां ले जायेंगे ? वह दोनों दृष्टिकोण से जरूरी है। फिर मुंगेर में आप पुल बना रहे हैं, वहां इलैक्ट्रिफिकेशन

बहुत जरूरी है इसलिए साहेबगंज से क्यूल जं. तक इलैक्ट्रिफिकेशन का काम होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी लिया जाना चाहिए।

अंतिम एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। कजरा से क्यूल जं. तक दोहरीकरण का काम बचा हुआ है। जमालपुर से कजरा तक है, भागलपुर तक है, उसके बीच में वह हिस्सा जो पुल पार करता है, वह बचा हुआ है। उसमें बहुत से लोग तकनीकी सवाल उठाते हैं कि यह दोहरीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन आप कजरा से क्यूल जं. तक तो कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मात्र 17 किलोमीटर या उससे भी कम दोहरीकरण का काम बचा हुआ है। उसको ले लिया जाना चाहिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हमने सर्वे के लिए कहा था। जितना जल्दी यह काम हो जाये, उतना ही ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपके तीन सवाल हो गये।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं। एक छोटा से महेशलेटा हाल्ट बरसों से पड़ा हुआ है। कई बार रेलवे बोर्ड में, पूर्वी रेलवे के जो जी.एम. हैं, उन्होंने एस्टीमेट बनाकर भेजा लेकिन वह अभी तक नहीं हो पाया है। इसलिए महेशहाल्ट की स्वीकृति कर दी जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को, सभापति जी आपको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं इसलिए आपका भी योगदान है। जमालपुर कारखाने के सम्बन्ध में सर्वसम्मत फैसला आपने दिया है कि वहां वैगन फैक्ट्री होनी चाहिए। आप उसमें कोच भी जुड़वा दीजिए। इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और रेलवे बोर्ड के जो अधिकारियों ने जो मेहनत की है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे रेल मंत्री सहानुभूतिशील और बहुत कुशल हैं। यह एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि श्री रामविलास पासवान के रूप में हमारे पास ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने हमेशा हमारी मांगों का, सदस्यों तथा जनता की आकांक्षाओं का भी प्रत्युत्तर दिया है और यहां अनुदानों की अनुपूरक मांगों से यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करता हूं।

यह उत्साहवर्धक है और मैं माननीय रेल मंत्री को बधाई देता हूं कि यहां केवल दो मांगें हैं। एक मांग लगभग उन परियोजनाओं को बिना बारी के शुरू करने के बारे में है। यह मांग माननीय रेल मंत्री की प्रत्युत्तरदायी होने की उत्सुकता को दर्शाती है। इसलिए, मैं रेल मंत्री को प्रत्युत्तरदायी होने तथा इतना सहानुभूतिशील होने के लिए बधाई देता हूं। लगभग 39 परियोजनाओं को बिना बारी के शुरू किया जा रहा है। यहां अनेक अन्य मांगें भी हैं और उन्हें इस तथ्य से भी प्रोत्साहन मिला है कि हमारे रेल मंत्री हमारी मांगों, हमारे अनुरोधों, हमारी आकांक्षाओं के प्रति इतने प्रत्युत्तरदायी हैं कि ऐसा महसूस होता है हमें कुछ और मदें उनके समक्ष रखनी चाहिएं।

मुझे खुशी है कि केरल के सम्बन्ध में कुट्टीपुर-गुरुवयुर रेल लाइन के सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। मंत्री महोदय ने एक बैठक में इसका आश्वासन दिया था और इसे पूरा किया गया है। परन्तु इसे जोड़ने के कार्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। रेल लाइनों को जोड़ने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिए गए हैं परन्तु मैं सरकार से और रेल प्राधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्णय यथाशीघ्र लिया जाए ताकि बिना और विलम्ब के कार्य चलता रहे।

बीस सालों से, वर्ष 1977 से मैं केवल एक बात के लिए कहता रहा हूं कि मालापुरम जिले में पोन्नानी कस्बे को रेलवे नेटवर्क में लाया जाए। रेलवे लाइन को इस पोन्नानी कस्बे तक बढ़ाया जाए। मुझे इस पोन्नानी कस्बे की आवश्यकता, महत्व, इससे प्राप्त होने वाले राजस्व आदि का व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु मैं अभी भी इस पुरानी मांग के प्रति एक तरह की उदासीनता पाता हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसकी जांच कराए। ऐसा करना कठिन नहीं है। आप जिस कुट्टीपुरम-गुरुवायुर रेल लाइन को जोड़ने को अंतिम रूप देने वाले हैं उसे इस तरह से बढ़ाया जा सकता है कि पोन्नानी कस्बा रेलवे नेटवर्क में शामिल हो जाए।

रेल मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : पोन्नानी कहां से?

श्री जी.एम. बनातवाला : पोन्नानी-गुरुवयुर लाइन, यह मालापुरम जिले में है। यह काम बहुत कठिन भी नहीं है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक ने अपने एक पत्र के माध्यम से आश्वस्त किया था कि जब कभी वे रेलवे लाइन को जोड़ने को अंतिम रूप देंगे तो पोन्नानी कस्बे को शामिल करने के प्रश्न को लिया जाएगा। परन्तु सर्वेक्षण पूरा हो गया है और रेलवे लाइन को जोड़ने के कार्य को अंतिम रूप दिया जाना है। कृपया इसे यथाशीघ्र पूरा करें। और ऐसा करते समय कृपया यह सुनिश्चित करें कि पोन्नानी कस्बा रेल सम्पर्क से वंचित न रह जाए।

यहां अनेक अन्य मांगें हैं। उदाहरण के लिए कालीकट से त्रिवेन्द्रम तक शताब्दी एक्सप्रेस की पुरानी मांग। कालीकट से इरनाकुलम तक दैनिक एक्सप्रेस की पुरानी मांग है। अनेक बार आश्वासन दिए गए हैं परन्तु अब सरकार बिना किसी विलम्ब के इनकी जांच करे और यह सुनिश्चित करे कि दिए गए विभिन्न आश्वासन यथाशीघ्र पूरे हों।

दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होने वाला है। मैं रेल मंत्री को बधाई देता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजना है कि वे इसे शुरू कर रहे हैं और मुझे इसका व्याख्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु यहां पर ऐसे भी स्टेशन हैं जहां मूल आवश्यकताएं भी नहीं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कालीकट से कुट्टीपुरम, कुट्टीपुरम, त्रिरुनावया, त्रिरूर, तनूर जैसे स्टेशन ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी.एम. बनातवाला : महोदय, मैंने मुश्किल से अपनी बात शुरू की है, कृपया मुझे सहयोग दीजिए। मैं रेल मंत्री की प्रशंसा करके भूल गया, मुझे आपकी महानता के बारे में भी कुछ कहना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय, मुझे विश्वास है कि मैं अगले 30 मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त कर लूंगा।

महोदय, मैं जल्दी ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं कह रहा

[श्री जी.एम. बनातवाला]

था कि पाराप्पानानगडी, तनूर और त्रिरूर स्टेशनों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। केरल में इन स्टेशनों पर बिजली की समस्या है। इन स्टेशनों के पास अपने जेनरेटर भी नहीं हैं। ये स्टेशन पूरी तरह अंधकार में डूबे होते हैं। आप कठिनाइयों का अन्दाजा लगा सकते हैं जब गाड़ियां आती और जाती हैं। एक उदाहरण के रूप में पाराप्पानानगढी स्टेशन पर कुछ समय पहले एक यात्री गाड़ी से उतरा और उस अंधकार में उसका पांव सांप पर पड़ गया और उसे प्लेटफार्म पर सांप ने डस लिया।

महोदय, कम से कम जेनरेटर अथवा कुछ ऐसी ही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि··· *(व्यवधान)*

श्री रामविलास पासवान : क्या उस गांव में बिजली है।

श्री जी.एम. बनातवाला : जी हां, वहां बिजली है। बिजली की आपूर्ति वहां की जाती है। लेकिन वहां बिजली की कटौती की गई है।

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, वहां बिजली की कटौती की गई है। हर रोज, शाम को एक घण्टे के लिए बिजली की कटौती की जाती है। वहां बहुत समस्या है।

श्री जी.एम बनातवाला : महोदय, मैं जिन क्षेत्रों के बारे मैं बात कर रहा हूं वहां इन जेनरेटरों की नितान्त आवश्यकता है।

तत्पश्चात् वहां भारी वर्षा होती है और प्लेटफार्म पूरी तरह कवर नहीं हैं। भारी वर्षा में लोगों को गाड़ियों से उतरना और चढ़ना पड़ता है। आप इस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। मालाबार में भारी बरसात होती है। अतः मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों पर अत्यन्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं समझता हूं नए रेलवे जोन के लिए आपके पास एक प्रस्ताव था। यह बहु अच्छा प्रस्ताव है, मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन आपको मुबारकबाद देते हुए मैं यह भी जरूर कहूंगा कि प्रस्तावित दक्षिण-पश्चिम रेलवे जोन का गठन करके इसका मुख्यालय कालीकट में बनाया जाना चाहिए और तिरुवनंतपुरम, मदुरई और पालक्कड मण्डलों को इस जोन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। इससे इस पिछड़े क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास का बल मिलेगा।

चूंकि आप अधीर हो रहे हैं मैंने केवल इन मुद्दों को बताया है और मैं आशा करता हूं कि इस पर सरकार द्वारा सही ध्यान दिया जाएगा।

मैं यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि केरल अकेला राज्य है जहां कोई वृहत् रेल परियोजना नहीं है। ऐसी स्थिति वहां क्यों है? पूर्व में कई आश्वासन दिए गए हैं और यदि आप मुझे समय दें तो मैं आपसे बता सकता हूं कि वे आश्वासन कब और किस समय दिए गए थे। हमारे पास अधूरे आश्वासनों का इतिहास है। अब श्री रामविलास पासवान रेल मंत्री हैं। मैंने पूरी निष्ठा के साथ कहा है कि वह ऐसे मंत्री हैं जो सांसदों, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, की आकांक्षाओं से सहानुभूति रखते हैं। इसलिए, मैं आशा करता हूं और केरल के लोग भी आशा करते हैं कि केरल को एक वृहत् रेल परियोजना की स्थापना के माध्यम से न्याय भी मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महराजगंज) : सभापति जी, दरोदा महराजगंज रेलवे लाइन को बन्द करके 16-17 वर्षों से हमारी जो पुरानी सुविधा छीन ली गई है, उस सुविधा को पुनः मुहैया करने कि लिए माननीय रेल मंत्री जी ने दरोदा महराजगंज रेलवे लाइन को बिछाने की जो योजना सदन में पेश की है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। माननीय मंत्री जी को मैं इसलिए भी बधाई देता हूं कि उन्होंने वायदा किया है कि बजट पास होने के बाद छह सितम्बर को महराजगंज में जाकर इस योजना को शुभारम्भ करेंगे। लेकिन मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, कोई शिकायत के लहजे में नहीं, बल्कि मेरे मन में जो बात उठी है, उसकी चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। यह योजना तीन करोड़ सत्तावन लाख रुपये की है और आपने अभी दस लाख रुपये का प्रावधान किया है। मेरी समझ में यह प्रतिघात्मक है। मैं यही निवेदन करूंगा कि जिस उत्साह, बुलंदी और हौंसले से आपने इस योजना को पेश किया है, उसी उत्साह, बुलंदी और हौंसले से इसे पूरा भी करें।

मैंने बजट में आसान परिवर्तन की सूची को देखा तो उसमें कहीं भी छपरा-मसरक, थावे होते हुए गोरखपुर और सिवान से थावे होते हुए गोरखपुर, जाने वाली तीन रेल लाइनों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इन तीनों रेल लाइनों के चारों तरफ बड़ी लाइन बिछा दी गई है, लेकिन देश की सबसे घनी आबादी की ओर से जाने वाली इन तीन रेल लाइनों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। इसलिए मैं इस पर विस्तार से चर्चा न करते हुए यही आपसे निवेदन करूंगा कि इन तीन रेल लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए भी प्रयास करें।

जब मैंने पुल के बारे में देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई मुंगेर के पुल के बारे में देखकर, लेकिन उत्तर बिहार के लोगों की बड़ी मांग रही है पटना पर गंगा के पुल के बारे में, उसके बारे में सर्वेक्षण का शिलान्यास आपने करा दिया था। लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है कि वह किस स्थिति में है। बनेगा कि नहीं, बनेगा तो कब बनेगा और कैसे बनेगा, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए उस पुल के बारे में भी शीघ्र निर्णय लें जिससे उसका निर्माण जल्द से जल्द हो सके।

मुझे बड़ी खुशी हुई थी, 17 फरवरी 1997 को माननीय रेल मंत्री ने हाजीपुरलालगंज, वैशाली अरेराज, मोतीहारी होते हुए सुगौली तक रेल लाइन के सर्वे की जब घोषणा की थी। आपने कहा था कि छः महीने के अन्दर सर्वेक्षण हो जाएगा और उसके बाद कार्यवाही कैसे की जाए, इस पर मैं विचार करूंगा। मुझे एक खुशी और हुई ओर वह मैं सदन को भी बताना चाहता हूं कि वैशाली जो गणतंत्र की जन्मस्थली है जहां देश-विदेश से हजारों लोग रोज आते हैं, उसको भारतीय रेल लाइन के नक्शे पर आपने रखने का काम शुरू किया। लेकिन आज तक उस रेल लाइन के बारे में भी क्या स्थिति है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि उस रेल लाइन को भी आप बिछाने का काम जल्दी से जल्दी शुरू कराएं।

अब मैं अपने यहां की चर्चा करना चाहूंगा। छपरा जंक्शन एन. ई.आर. डिवीजन का मुख्य केन्द्र है। वहां से चारों दिशाओं की ओर गाड़ियां जाती हैं। लेकिन बाबा आदम के जमाने में जो स्थिति थी, वही स्थिति वहां की आज भी है। वहां टिकट खिड़की के अभाव में हजारों लोग क्यू में खड़े रहते हैं और खिड़की के अभाव में सैंकड़ों लोगों को टिकट नहीं मिल पाता और गाड़ी छूट जाती है। इसकी ओर भी ध्यान देने का कष्ट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद आपसे करता हूं। जहां तक सफाई की बात स्टेशन से बाहर निकलते ही हमें कूड़े का अम्बार लगा हुआ मिलता है। छपरा म्यूनिसिपल को एन.ई.आर. सफाई के लिए मोटी रकम देती है, लेकिन

सफाई के नाम पर वहां कोई काम नहीं होता। मैं रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आप पैसा देते हैं उसके बाद भी सफाई नहीं होती, तो आप पैसा न दें और अपने स्तर पर सफाई का इंतजाम कराएं।

सफाई और खानपान के बारे में काफी चर्चा हुई है। गुवाहाटी से सुबह छः बजे राजधानी चलती है, जो दूसरे दिन सुबह दिल्ली पहुंचती है। उसमें दो समय खाना और दो समय नाश्ता दिया जाता है, जिसमें एक पानी की बोतल मिलती है। कोई आदमी यह कह दे कि दो नाश्ते और दो खाने के लिए एक बोतल पानी की काफी है तो मैं उसको मान लूंगा। इसलिए मैं एक बिन्दु उठाना चाहता हूं, इसलिए इस पर भी ध्यान दें।

सोनपुर में एक कालेज 1978 में बना था। उसका आज तक आपने अधिग्रहण नहीं किया। कुछ सवाल पूछे गए थे महाविद्यालय के अधिकारियों से, उन्होंने जवाब भी दे दिया था। मैं इसके बारे में यह अर्ज करूंगा कि 19-20 साल से वहां लोग भूखे पेट काम कर रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी जो नियमानुकूल हो, उसी के आलोक में निर्णय ले लें और उस महाविद्यालय का अधिग्रहण कर लें। धन्यवाद।

श्री अनिल कुमार यादव (खगरिया) : सभापति जी, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वह खगरिया क्षेत्र है और माननीय रेल मंत्री जी का भी घर खगरिया में पड़ता है। खगरिया में जो भी विकास हुआ है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि खगरिया संसदीय क्षेत्र में भागलपुर जिले के दो विधान सभा क्षेत्र पड़ते हैं और गोपालपुर के बीच में एक मंडल है जिसे जिले का दर्जा मिला हुआ है और वहां के बारे में मैंने माननीय रेल मंत्री जी से कई बार मांग भी की थी। मैंने यह भी बताया कि वहां पर जो वेटिंग रूम महिला और पुरुष के हैं, वहां पर सी.आर.पी. के द्वारा दखल दिया गया है। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि नया वेटिंग रूम बनवा दिया जाएगा। सी.आर.पी. के द्वारा जो दखल दिया गया है, उसे खाली नहीं किया गया और नया अभी तक नहीं बनवाया गया। नौगछा स्टेशन जहां से करीब एक कि. मी. मार्केट है और वहां से स्टेशन आने पर पानी के समय में एक कि. मी. गाड़ी भी नहीं जा सकती है। गाड़ी की कौन पूछे, ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता। एक कि.मी. पानी में चल करके लोग स्टेशन पहुंचते हैं। अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि रोड की जो दुर्दशा है, वह अविलम्ब ठीक करवाई जाए।

हमारे ही क्षेत्र में कालागोला स्टेशन पड़ता है। कटिहार जिला में पड़ता है और वहां से मखाना आता है लेकिन प्लेटफार्म का विस्तार अभी तक नहीं किया गया। अतः आग्रह है कि वहां पर प्लेटफार्म का विस्तार अविलम्ब किया जाए। मैं भागलपुर जिले का रहने वाला हूं। राजधानी गाड़ी दिल्ली से चलती है, एक राजधानी गाड़ी भागलपुर होकर दी जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि कटिहार से लेकर बरौड़ी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण करवाया जाए। एक ही गाड़ी रहने के कारण गाड़ियां काफी विलम्ब से चलती हैं और आने-जाने में दिक्कत होती है। मैंने नोर्थ-ईस्ट के बारे में कई बार चर्चा की है। नोर्थ-ईस्ट गाड़ियों को नौगछा स्टेशन में रुकवाया जाए। नौगछा मण्डल जो कि मक्का के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहां पर नोर्थ-ईस्ट की गाड़ी के बारे में मंत्री जी ने आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं रुकी। आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, यह एक हाउस की परम्परा बन गई है कि वर्षाकालीन सत्र में रेल मंत्री जी सप्लीमेंटरी ग्रांट के लिए अपनी मांग सदन के सामने रखें और आठ-दस घण्टे तक चर्चा होकर उसको रात्रि दो बजे या चार बजे पास कर दिया जाए। जब बिहार के सांसद बोल रहे थे तब मैंने आज भी कहा था कि जहां से जो मंत्री बनता है, उसको मात्र अपने क्षेत्र की चिंता रहती है। मैं रामविलास पासवान जी से निवेदन करूंगा कि आज भी जो सप्लीमेंटरी ग्रांट रखी हैं, इसमें बिहार और कर्नाटक का बहुत अधिक ध्यान रखा है।

माननीय रेल मंत्री जी आप सजग हैं। आप सारे हिन्दुस्तान का एक चार्ट बना लीजिए...

श्री रामविलास पासपान : है।

वैद्य दाऊदयाल जोशी : है, तो आप उस आधार पर लीजिए। लेकिन आप अपनी मर्जी से लेते हैं। राजस्थान के लिए आपने एक जगह जोधपुर ही ली है। राजस्थान पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जो कार्यक्रम जाफर शरीफ जी ने लिए थे, वे आज पिछड़ रहे हैं। जो काम जहां था वहीं पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके ठण्डे दिमाग से सोचिए। आपकी डिमाण्ड के अनुसार 9 जगहों पर अमान परिवर्तन होंगे, दोहरीकरण का एक काम होगा, विद्युतीकरण के चार काम होंगे और पांच रेल लाइनें बनाई जाएंगी। मेरा निवेदन है कि आप हिन्दुस्तान की बेरोजगारी की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। ब्रिटिशकाल में प्रतिवर्ष 500 किलोमीटर रेल लाइन बनती थी। आजादी के पचास साल के बाद हमारे देश में 12 हजार किलोमीटर रेल लाइन बनी है। ऐसी स्थिति में आप 140 किलोमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से रेल लाइन बनायें। एक किलोमीटर रेल लाइन को बनाने में 21 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आप तय कर लें कि आपको एक हजार किलोमीटर रेल लाइन डालनी है। उसके लिए आपको साधन मिलेंगे। आप एक बार हिम्मत तो करिए और आप बॉण्ड तो निकालिए, आप डिमाण्ड तो करिए, जिस प्रकार से कोकंण रेलवे ने भरपूर राशि ली, उसी प्रकार आप हिन्दुस्तान भर से कोशिश करके आप डिमाण्ड निकालिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित रूप से 30 हजार व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं।

इसी प्रकार 26 हजार मालगाड़ी के डिब्बों को देने में काफी मारा-मारी होती है। काफी रिश्वत चलती है और बेईमानी चलती है। पक्षपात के आधार पर लोगों को डिब्बे दिए जाते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करके, निजी कन्टेनर्स लोगों को देते हैं। लेकिन आप स्वयं मालगाड़ी के डिब्बों को कारखाना लगाकर, 25 हजार डिब्बों को रिजैक्ट करने जा रहे हैं। 26 हजार डिब्बे आपके पास हैं। ऐसी स्थिति में तो आपके पास एक हजार डिब्बे रह जाएंगे। आप यह बताइए कि ये डिब्बे कहां से लेंगे? ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो कन्टेनर बनाकर अपना माल निकाल सकते हैं। यदि आप 25 हजार डिब्बे बनाने लगे, तो आप 25 हजार लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। आप इस पर थोड़ा गम्भीरता से सोचिए। आपके पास 60,700 किलोमीटर रेल लाइन है और 16 लाख आदमी इस पर काम करते हैं। यह सही है कि आपने नई भरती प्रारम्भ की है। क्वालिटी तो बना दी, लेकिन क्वांटिटी नहीं बन रही है। जिस प्रकार से कर्मचारियों की भरती हो रही है, उसी प्रकार क्वालिटी के आधार पर लोगों का चयन करें। आज ही मैं सुबह समाचार पढ़ रहा था। उसमें बताया गया कि जितने एक्सीडेंट पिछले दो साल में हुए हैं, उतने एक्सीडेंट आज तक नहीं हुए हैं। मैंने परसों भी टोकते हुए कहा था कि आपके साथी का एक्सीडेंट हुआ है और वह अस्पताल में पड़ा है। आप कृपा करके बतायें कि श्री शशि राम ओला, जिनका रात तो 2.30 बजे एक्सीडेंट हुआ, उनको कब पहले व्यक्ति ने संभाला था और क्या वह व्यक्ति रेलवे विभाग का था? आपने कहा कि तीन-चार घण्टे तो लग जाते हैं। तीन-चार

[वैद्य दाऊदयाल जोशी]

घण्टे में तो कितने ही लोग मर जाते हैं। यह ठीक है कि उसमें कैज्युलटीज नहीं हुई हैं। वे आपके साथी हैं। आप कृपा करके बतायें, वह पहला व्यक्ति कौन था, जिसने उनको संभाला ? अस्पताल में भर्ती होने के लिए वे अपने किसी निजी सहयोगी की गाड़ी लेकर दिल्ली चले गए। आपके रेल विभाग ने इतनी कर्टसी नहीं समझी, किसी व्यक्ति ने यह जिम्मेदारी नहीं समझी कि श्री शशि राम ओला जी को अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। यह ठीक है, अस्पताल में आप वहां पहुंचे और मिलकर आये। आखिर एक केन्द्रीय मंत्री का एक्सीडेंट हुआ है और वे बार-बार चिल्ला कर कहते हैं कि मैं केन्द्रीय मंत्री हूं, एक बार मेरी बात करा दीजिए, लेकिन उनकी बात नहीं करवाई गई। आप जवाब देते समय बतायें, रेलवे में मरने वाले व्यक्तियों के लिए बीमा की व्यवस्था आप करायेंगे ? बीमे की बात बहुत सालों से चल रही है। प्लेन में मरे दो बेशकिमती जान हैं और रेल के कारण मरे तो कुत्ते के समान जीवन तथा इसके अलावा दिल में तो 50 हजार, दिल में आया तो 10 हजार, दिल में आया तो पांच हजार रुपये दे दिए। आप कोई नियम बनायें और साथ ही आप बीमा करवायें।

श्री राम विलास पासवान : इसका नियम है। रेलवे में जो पैसेन्जर्स चलते हैं, वे सारे के सारे इन्श्योर्ड होते हैं। जब कोई दुर्घटना होती है, तो दो लाख रुपये मृतक के परिवार को मिलते हैं और जो हम देते हैं, 10 हजार, 20 हजार या 25 हजार वह एक्सग्रेसिया होता है। हम लोग प्रीमियम को बढ़ाकर इंश्योरेंस कम्पनी को आग्रह कर रहे हैं कि यह दो लाख से बढ़ाकर चार लाख किया जाए।...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : मैं आपकी बात मानता हूं और आप पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं। कृपा करके जब शुरू में बहस हो उसी समय तय हो जाना चाहिए कि कितनी देर तक एक माननीय सदस्य को समय मिलेगा। अभी पप्पु यादव जी एक घण्टा बोल कर गए हैं। मैं लगातार तीन दिन से इंतजार कर रहा हूं और अब मुझे बोलने का मौका मिला है तो आप अभी घण्टी बजा देंगे, यह क्या तरीका है ? आप तय कर दीजिए कि कोई भी माननीय सदस्य दस मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा तो मैं भी बैठ जाऊंगा। मेरा निवेदन यह है कि आप न्याय कीजिए। मैं यहां से मुंबई गया, क्योंकि मेरे राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी की पत्नी का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। मैंने यहां से रिजर्वेशन कराया था। आपके मुंबई का जो रिटायरिंग रूम है उसके लिए मैंने यहां से टेलीफोन करवाया और टेलीग्राम दिया। मैं जब तीन नम्बर के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में आपका टेलीग्राम मिला है। धन्यवाद, आप आ गए। आप छह सौ रुपये जमा करा दीजिए। मैंने कहा, किसलिए ? उन्होंने कहा क्योंकि एयर कंडीशन कमरा है। मैंने सोचा कि अच्छा है आज दिन भर आराम मिलेगा। लेकिन वहां कोई एयर कंडीशनर नहीं था। उस पर जो आपका ए क्लास सिटी है, जिसके लिए मैंने यहां आकर बाद में पता किया कि उसका चार सौ रुपये किराया होता है, जिसमें एसी होता है, अखबार होती है, चाय होती है और टीवी होता है। मैंने कहा कि यह कहां का नियम है, कोई नियम तो बता दो तो उसने कहा कि आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसको दे देंगे। मैंने कहा कि मैं एम.पी. हूं, मेरा टेलीग्राम आया है लेकिन वह नहीं माना। मैंने यहां रेलवे में आकर पता किया तो उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में कहीं भी ए श्रेणी के नगर में चार सौ रुपये से ज्यादा नहीं हैं। यह तो घटना 15 दिन पहले की है।

महोदय, कल मैं जम्मू-तवी में जयपुर से आया। मैं एसी सैकिंड क्लास में था, वहां किसी में एसी चालू नहीं था। यात्रियों ने शोर मचाया, हमारी तो कोई बात नहीं लेकिन उसमें करीब 16 सवारियां जापान की थीं उन्होंने शोर मचाया। उसने कहा कि आप लिख कर दे दीजिए, आप रेलवे पर रिफंड करने के लिए क्लेम कीजिए। मैं आपको एक घटना और बताता हूं। मेरा बेटा कोटा से आया, उसने बताया कि आजकल रेलवे को क्या हो गया है ? मैंने पूछा कि बेटा क्या हो गया है तो उसने बताया कि मथुरा से 50 कदम दूर एक गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति आया, वह एक महिला पर झपटा क्योंकि उसका पैकेट दिख रहा था। उसने समझा कि उसमें नोट हैं तो उसके नोट पर और उसके साथ ही उसकी जंजीर पर और दोनों कानों की बालियों पर एक साथ झपटा मारा। वह इतनी जोर से चीखी कि सारे डिब्बे के लोग इकट्ठे हो गए। चैन मिल गई, नोट भी नहीं गए लेकिन कानों की बालियां तोड़ कर ले ही गया। इस तरह की वहां घटनाएं होती हैं। पिछली बार भी मैंने इसके लिए कहा था कि इन घटनाओं को होने से रोकिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप अच्छे मंत्री हैं और मैं लगातार आपको निवेदन करता रहा हूं, मैंने आपको 111 चिट्ठियां लिखी हैं। मैं चाहता हूं कि कोटा से बीना, कोटा से दमोह एक्सप्रेस गाड़ी चलाएं। मुझे पहले जवाब मिला, चूंकि इस पटरी की क्षमता इतनी नहीं है जिसके कारण हम इस पर एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चला सकते। मैंने लिखा कि इस पर चार गाडियां 80 डिब्बों की कोयला लेकर सिंगरौली से रोज आती हैं। कोयले से ज्यादा वजन आदमी का नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जब पटरी की क्षमता कोयले की गाड़ियां ढोने की है तो आप कैसे मना करते हैं ? फिर मुझे जवाब मिला कि हम अगर इसको काट देंगे तो जनता नाराज हो जाएगी। अगर यह चलाएंगे तो हमें कई स्टेशन काटने पड़ेंगे। रेलवे को कब से चिन्ता हो गई, इसकी चिन्ता तो वोट मांगने की मुझे है। वोट बिगड़ेंगे तो मेरे बिगड़ेंगे, लोग नाराज होंगे तो मुझ से होंगे। इसकी रेलवे को कब से चिन्ता हो गई ? एक गाड़ी कोटा-भोपाल चालू की है जो जयपुर से मद्रास को जाती है वह 13 घण्टे में भोपाल पहुंच जाती है।

यह जो वाया बीना होकर एक्सप्रेस गाड़ी बनी है वह 17 घण्टे में पहुंचेगी। आप इस पर गंभीरता से सोचें। दो गाड़ियों के बारे में मैंने कहा है। मैंने बहुत-सी चिट्ठियां भी लिखी हैं लेकिन चिट्ठियों का जवाब अब आने लगा है। कृपया आप इसको गंभीरता से लें। कोटा से बीना के लिए, सीधा दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए एक्सप्रेस गाड़ी चलाएं। मेरा निवेदन है कि आपकी जम्मू-तवी गाड़ी जो चलती है उसको अजमेर तक बढ़ाने की कृपा करें। दिल्ली से पुष्कर जी तक के लिए भी मेरा निवेदन है। बांदीकूई और आगरा के लिए आपने जो दोहरी रेलवे लाइन के लिए तय किया है उसको प्राइवेट सैक्टर में दे दिया है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं होगा। यह रेलवे लाइन बहुत आवश्यक है। गंगा नगर से साबर-सथ्ल दोहरी लाइन करने की बात है। वहां पर भी आपको गेज बढ़ाने की बात है।...*(व्यवधान)* आपका प्रतिबंध है। पिछली बार भी रात को साढ़े तीन बजे तक ऊंघते-ऊंघते नम्बर आया था। फिर हमको यहां से वापस जाना पड़ा। आखिर हम रोएं तो कब तक रोएं और किसके सामने रोएं।

सभापति महोदय : आप सार्वजनिक डिमांड्स के ऊपर नहीं बोले।

[अनुवाद]

श्री कोडीकुनील सुरेश : सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा सभा में प्रस्तुत रेलवे की अनुपूरक अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। जैसा कि मेरे राज्य के पूर्व वक्ताओं श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन और श्री जी.एम. बनातवाला ने केरल में जोनल रेलवे कार्यालय खोलने और कोच फैक्टरी की स्थापना करने से सम्बन्धित अनेक मामलों का वर्णन किया है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। माननीय

मंत्री जी को केरल के लोगों की समस्याओं का भी भलीभांति पता है। केरल सरकार ने कोच फैक्टरी और जोनल रेलवे कार्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में अनेक पत्र लिखे हैं। हम आशा करते हैं कि माननीय मंत्री जी आगामी बजट में इस मुद्दे पर उचित रूप से विचार करेंगे।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

आमान परिवर्तन के सम्बन्ध में, सरकार की नीति के अनुसार केरल को छोड़कर पूरे देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान, सरकार ने मीटर गेज को बड़ी लाइन में बदलने पर करोड़ों रुपये व्यय किए हैं। जहां तक वर्ष 1991-96 के दौरान आमान परिवर्तन हेतु धनराशि कम करने की बात है रेल मंत्रालय ने केरल की उपेक्षा की है। यह केरल के लोगों के साथ भारी पक्षपात दर्शाता है और इससे केरल के लोगों के बीच भारी असन्तोष है।

हमारे यहां क्विलोन और चैन्नई के बीच मीटर गेज है जिसे केरल में लगभग 100 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन यह लाइन वैसी की वैसी है जैसी यह पहले थी। ब्रिटिश सरकार ने चैन्नई में विरूदुनगर तक इस लाइन के आमान परिवर्तन के पहले चरण को आरम्भ किया था। यह लाइन पूरी तरह से तमिलनाडु में है। इस लाइन के आमान परिवर्तन का कार्य पूरा हो गया है और इसे राष्ट्र को समर्पित किया जा चुका है। विरूदुनगर से क्विलोन के बीच के आमान परिवर्तन का दूसरा चरण केरल द्वारा किया गया है। यही दूसरा चरण है जिसे पहले ही 1997-98 के रेल बजट में सम्मिलित कर लिया गया है।

परसों एक अतारांकित प्रश्न था और माननीय मंत्री जी ने मुझे उत्तर दिया था कि योजना आयोग से अनुमोदन ले लिया गया है। मुझे पहले भी कई बार इस प्रकार के उत्तर दिए गए हैं। इस परियोजना की सम्पूर्ण लागत 200 करोड़ रुपये थी। इसे योजना आयोग और केबिनेट उपसमिति द्वारा अनुमोदन दिए जाने की भी आवश्यकता थी।

इस लाइन का बड़ा भाग मेरे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र अडूर से होकर गुजरता है जो अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है और यहां यही अकेली रेल लाइन है। अतः इस लाइन के दूसरे चरण का आमान परिवर्तन शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि योजना आयोग और केबिनेट उपसमिति से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् इस कार्य को अविलम्ब आरम्भ करने के लिए कदम उठाए। मैं उन्हें पूनालूर में इस परियोजना की आधारशिला रखने के लिए आमंत्रित करता हूं जो क्विलोन और विरूदुनगर के बीच इस लाइन का मध्य बिन्दु है।

क्विलोन-मद्रास मीटर गेज मार्ग पर नई रेलगाड़ी के बारे में, हमारे पास केवल कुछ रेल यातायात सुविधाएं हैं। पलानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। रेल सुविधाओं के अभाव के कारण केरल के हजारों तीर्थयात्री वहां जाने के लिए परिवहन के अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए, मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि क्विलोन-मदुरै-पलानी कोयम्बटूर के रास्ते क्विलोन-मद्रास मीटर गेज के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाए ताकि यात्रियों के समय और पैसे की बचत की जा सके और उन्हें किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

अब मैं कायमकुलम अडूर कोट्टारक्कारा-त्रिवेन्द्रम से एक नये बड़ी लाइन की बात पर आता हूं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। वर्ष 1997-98 की चर्चा के दौरान आश्वासन दिया गया था कि इस लाइन को प्राथमिकता दी जाएगी।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। 5 मिनट हो चुके हैं।

श्री कोडीकुनील सुरेश : महोदय, मैंने अभी तो शुरू ही किया है ... *(व्यवधान)*

रेलवे ने कायमकुलम-अडूर-कोट्टारक्कारा-त्रिवेन्द्रम के बीच नई बड़ी लाइन के लिए सर्वेक्षण किया था और सर्वेक्षण रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत कर दी गई थी इसे अनुमोदन दिया जाना बाकी है। वर्ष 1997-98 का रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय भी माननीय रेल मंत्री ने इस नई बड़ी लाइन को शामिल किया है और कहा था कि जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा भारत सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर लेगी ओर निर्माण कार्य आरम्भ करेगी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस दिशा में शीघ्र कदम उठाएं।

रात्रि 7.58 बजे

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*]

अब मैं पूनालूर और कोट्टारक्कारा में अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाए जाने के मुद्दे पर आता हूं। ये दोनों रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण स्टेशन हैं। हजारों यात्री इन स्टेशनों से होकर गुजरते हैं। लेकिन उपयुक्त प्लेटफार्म के अभाव के कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह पूनालूर और कोट्टारक्कारा में अतिरिक्त प्लेटफार्मों का निर्माण शीघ्र कराने के लिए तुरन्त कदम उठाएं।

अब मैं पूनालूर में रेलवे अस्पताल बनाने के मुद्दे पर आता हूं। पूनालूर क्विलोन-मद्रास छोटी लाइन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्टेशन है। इस मार्ग पर निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के अतिरिक्त वहां हजारों कर्मचारी काम करते हैं। इस समय ये कर्मचारी सोनकोनई में स्थित और क्विलोन के दूसरे अस्पताल, जो पूनालूर से 50 कि.मी. से भी अधिक हैं पर ही निर्भर है। इस प्रकार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपया पूनालूर और उसके आसपास के स्टेशनों के कर्मचारियों की लम्बे समय से लम्बित मांग पर विचार करें और मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूनालूर में शीघ्र ही अस्पताल खोलें।

अब मैं प्लेटफार्म को विस्तार करने की बात करता हूं। क्विलोन-मद्रास छोटी लाइन पर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पूनालूर, कोट्टारक्कारा और अरयमकावू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर हजारों यात्रियों को गाड़ी के लिए इंतजार करना पड़ता है। आजकल उपयुक्त प्लेटफार्म न होने के कारण उन्हें अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः मैं इन स्टेशनों पर प्लेटफार्म के विस्तार के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि इन स्थानों पर यात्रियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को कम किया जा सके।

अब मैं आधुनिकीकरण की बात करता हूं। अस्यनकावू, थोनमाले, इडापलायम इजुकोनु और कुरी क्विलोन-मद्रास छोटी लाइन पर महत्त्वपूर्ण स्टेशन हैं। इन स्टेशनों पर हजारों यात्री आते-जाते हैं।

रात्रि 8.00 बजे

हजारों यात्री आते-जाते हैं। मूल सुविधाओं की कमी के कारण वे अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अतः विद्यमान सुविधाओं में सुधार करने और इन स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए तत्काल कार्यवाही

[श्री कोडीकुनील सुरेश]

किए जाने की आवश्यकता है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कृपया आप इस पर ध्यान दें और इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाएं।

रेलवे ऊपरि पुल के सम्बन्ध में, थाइलोन, नेदुम्पाइकुलम, कोट्टारक्कारा-पुनालूर बालकोदे में कुछ ऊपरि पुल हैं जो बहुत सकरे हैं। इसके कारण वहां बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और बड़े पैमाने पर यातायात अवरुद्ध हो जाता है जिससे यात्रियों को अध्यधिक कठिनाई होती है। इस क्षेत्र के लोगों द्वारा इस दुर्घटना ग्रस्त क्षेत्र में इन पुलों को चौड़ा करने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि अविलम्ब इन ऊपरि पुलों को चौड़ा करने के लिए पर्याप्त भूमि का अर्जन करने के सम्बन्ध में तत्काल कदम उठाए जाएं।

पूनालूर और कोट्टारक्कारा स्टेशनों पर आरक्षण की सुविधा प्रदान करना बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है। इस समय इन दोनों स्टेशनों से केवल दो शायिकाओं का आरक्षण मिल पाता है। हजारों लोग केरल से बाहर कार्य करते हैं। इतना कम आरक्षण कोटा होने के कारण इन गाड़ियों में लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है। मैंने आपको अनेक बार पत्र भेजे हैं जिसमें मैंने इन दो स्टेशनों से केरल एक्सप्रेस, जम्मू-तवी एक्सप्रेस, जयन्ती जनता एक्सप्रेस आईलैण्ड एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस में आरक्षण के कोटे में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया था परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस समय अवनीवूवरम् और अरयंकावू स्टेशनों पर आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। कृपया इन स्टेशनों को भी आरक्षण सुविधाएं प्रदान किए जाने वाले स्टेशनों में शामिल किया जाए।

क्विलोन-मद्रास छोटी लाइन पर मद्रास मेल के लिए आरक्षण बहुत ही सीमित है और आरक्षण का अधिकांश कोटा क्विलोन से है। यह नोट करना महत्त्वपूर्ण है कि क्विलोन से चेन्नई तक अन्य अनेक बड़ी लाइनें हैं और क्विलोन से यात्री अन्य गाड़ियों के लिए भी आरक्षण करवा सकते हैं। परन्तु कोट्टारक्कारा और पूनालूर स्टेशनों पर केवल छोटी लाइन ही है। अतः यह स्वाभाविक न्याय के हित में होगा कि इन स्टेशनों से मद्रास मेल में आरक्षण के कोटे में वृद्धि की जाए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इन सभी बातों पर ध्यान देंगे।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : मैं रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की ओर से माननीय रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उस क्षेत्र में रेलवे के विकास के लिए गहरी रुचि दिखाई।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहूंगा कि उनके सभी प्रयास अधूरे रह जाएंगे यदि पूर्वोत्तर को मुख्य भू-भाग से सम्पर्क करने वाली रेल लाइन का ठीक से विकास नहीं किया गया। मैं यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अलग-थलग क्षेत्र है और यह मुख्य भाग से केवल 33 कि.मी. की भू-पट्टी से जुड़ा हुआ है जिसे थिकेननेक कहते हैं। पूर्वोत्तर को मुख्य भू-भाग से जोड़ने के लिए केवल दो लेन वाली छोटी सड़क है जोकि बहुत ही जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है। एकमात्र विकल्प रेल लाइन है जोकि अब तक एक ही लाइन की है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस लाइन को न्यू जलपाईगुड़ी से अलीपुरद्वार तक दोहरी रेल लाइन बना दिया जाए ताकि इस भाग में कोई गड़बड़ी होने के कारण रेल यातायात अवरुद्ध न हो पाए।

हमारे पास जानकारी है कि बाढ़ और दुर्घटनाओं के कारण पूर्वोत्तर में रेल यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि इस रेल लाइन पर केवल एक ही पटरी है। यह सम्पूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण मामला है। इसकी व्यवस्था अनुपूरक अनुदानों की मांगों में भी की जानी चाहिए। भविष्य में रेल मंत्रालय गम्भीरतापूर्वक इस बात पर विचार करे कि पूर्वोत्तर में दोहरी रेल लाइन होनी चाहिए।

दूसरे, माननीय रेल मंत्री ने 19 मई को अपने असम दौरे के दौरान दो परियोजनाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट घोषणाएं की थीं। यह घोषणाएं उन्होंने 19 मई को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जब एक बड़ी लाइन का उद्घाटन किया गया था। पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के माकुम डांगोरी भाग के आमान परिवर्तन के कार्य में 30 कि.मी. मार्ग पर कार्य बाकी है। इसे इस वर्ष पूरा किया जाना है और इसकी व्यवस्था अनुपूरक अनुदानों की मांगों में की जानी चाहिए। मैंने देखा है कि यह आश्वासन वर्तमान अनुपूरक अनुदानों की मांगों में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। अतः मैं रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इसे मांग में सम्मिलित कर लें क्योंकि इसके बारे में 20 मई को संवाददाता सम्मेलन में यह कहा गया था कि इसे अनुपूरक अनुदानों की मांगों में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

इसी बैठक में और संवाददाता सम्मेलन में एक और आश्वासन दिया गया था कि सिलघाट-होईबोर गांव के बीच की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और रेल सेवा को पुनः बहाल करने के बारे में कहा गया था। यह कार्य मदगांव जिले में आरम्भ किया गया था और संवाददाता सम्मेलन में भी घोषणा की गई थी।

एक और बात है जिसे रेल बजट में बताया गया था परन्तु कार्य की प्रगति संतोषजनक स्तर तक नहीं है। हमने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के रोंगिया मुरुकोनचेलेक खण्ड में कोई खास प्रगति नहीं देखी है। यह रेल लाइन एकमात्र ऐसी लाइन है जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ-साथ है, अरुणाचल प्रदेश के सात जिलों और असम के सम्पूर्ण उत्तरी जिलों को जोड़ती है। इस लाइन पर कुछ रेलवे स्टेशन हैं, ये सिलापत्थर, मुरकोगचेलेक ओर उत्तर लखीमपुर हैं। यह रेलवे स्टेशन बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इनमें सुधार करना होगा। यह मांग हमारे द्वारा अनेक बार उठाई गई है।

एक अन्य बात जिसके बारे में बताया गया था, वह है लखीमपुर में एक कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोलना। यद्यपि ईटानगर में एक केन्द्र है असम के लोगों की पास लेना पड़ता है यह अरुणाचल प्रदेश की अन्दरूनी लाइन परमिट है और रेलवे का टिकट लेने के लिए 400 कि.मी. की यात्रा करनी पड़ती है। उन्हें इस उद्देश्य के लिए तेजपुर, गुवाहाटी अथवा डिब्रुगढ़ तक जाना पड़ता है। अतः यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि कम से कम लखीमपुर में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केन्द्र खोला जाए। यह एक जनजातीय क्षेत्र है जहां पर पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। अतः उन्हें लाभ देने हेतु एक केन्द्र की तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए।

एक अन्य बात जो मैं उठाना चाहता हूं ··· *(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल लाइन नहीं है परन्तु प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में हमने कम्प्यूटरीकृत आरक्षण की सुविधा प्रदान की है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : धन्यवाद आपके ईटानगर का भी दौरा किया था ··· *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सही है। सभी स्टेशनों पर यह सुविधा है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : पूर्वोत्तर में कोई स्टेशन नहीं है क्योंकि गुवाहाटी से आगे रेल लाइन नहीं है।

[हिन्दी]

लेकिन हमने घोषणा की थी कि प्रत्येक स्टेट—मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम के लिए हमने कहा कि हरेक स्टेट की राजधानी में कम्प्यूटर रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दें जिससे लोग कम से कम रिजर्वेशन तो करवा सकें। ताकि गुवाहाटी या किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत न पड़े। वह फैसिलिटी हर स्टेट की राजधानी में, एण्ड ईवन इन ईटानगर, दे दी गई है। अब माननीय सदस्य दूसरी जगहों पर इसकी मांग कर रहे हैं, वह पौसिबल नहीं है।

सभापति महोदय : सभी राज्यों की राजधानी में कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा विद्यमान है।

डा. अरुण कुमार शर्मा : मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को तकनीकी रूप से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आन्तरिक लाइन परमिट लिए बिना लोग ईटानगर नहीं जा सकते हैं। उन्हें टिकट लेने के लिए आन्तरिक लाइन परमिट लेना होता है। यह एक अन्य औचित्य है जो मैं बता रहा हूं। यह ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है। लोगों को टिकट खरीदने के लिए 400 कि.मी. की यात्रा करनी पड़ती है। हम इस समस्या का सामना कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार करें।

तिनसुखिया में एक नये रेलवे स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इस क्षेत्र के लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस नये रेलवे स्टेशन का नाम बेंगमोरा भवन रखा जाए। यह ऐतिहासिक महत्त्व का स्थान है। मंत्री महोदय जब यहां आए थे तब उन्हें यह बताया गया था। मोटोक समुदाय के लोग इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। यह लोग मांग कर रहे हैं कि जिस नये रेलवे स्टेशन की स्थापना तिनसुखिया में की जा रही है उसका नाम बेंगमोरा स्टेशन रखा जाए।

महोदय मेरी अगली बात बोगीबिन्ड पुल के सम्बन्ध में है जिसे पूरा करने के लिए नौवीं योजना में सम्मिलित किया गया है। सर्वेक्षण कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा। परन्तु कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि जैसाकि प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा की थी, पुल पांच वर्ष में पूरा कर लिया जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : श्री मोहन रावले।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति जी, हमारे एक साथी को जाना है आप उन्हें परमिट कर दीजिए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है श्री आनन्दराव विठाबा अडसूल।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : सभापति महोदय, ग्यारहवीं लोक सभा में, आज इस सदन में रेलवे से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है जिस पर सभी पार्टियों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां रख और इसी क्रम में मैं भी अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब यहां संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और हमारे दलित नेता, श्री राम विलास पासवान रेल मंत्री बने, रेल मंत्री ही नहीं, इस सदन के नेता भी बने, उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। वह खुशी इसलिए हुई, क्योंकि मैं भी दलित हूं। जब देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव आया, उनके नाम की चर्चा हुई, उस समय भी मुझे बहुत खुशी हुई थी लेकिन आज मुझे यहां दुख के साथ कहना पड़ता हैं कि वे थोड़ा राजनैतिक खेल खेलने लगे।

अभी हमारे साथी श्री अनन्त गंगाराम गीते जी ने कुछ बुनियादी सवाल यहां उठाए। मैं उन्हें फिर से दोहराना नहीं चाहता।

सभापति महोदय : मुझे आपको याद दिलाना है कि आपके डिस्पोजल पर समय बहुत कम है।

श्री आनन्दराव विठोबा : मैं जानता हूं और मेरे पास ज्यादा प्रोब्लम्स भी नहीं हैं। मैं यहां उन सवालों पर जाना नहीं चाहता लेकिन अपने संसदीय चुनाव क्षेत्र के प्रस्तावों पर मैं यहां चौथी बार बोलने जा रहा हूं। जब मंत्री जी यहां राजनैतिक खेल खेलने की कोशिश करते हैं तो मुझे दुख होता है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र बुलढाना बहुत पिछड़ा इलाका है। वहां के लोग पिछले लगभग 20 सालों से सैगांव-जालना रेलवे लाइन का काम आरम्भ किए जाने की मांग करते आ रहे हैं जो 175 किलोमीटर लम्बी है। इस मांग को मैंने सदन में कई बार उठाया है और अनेकों बार पत्र-व्यवहार भी किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सम्माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब मैंने एक पत्र उनको दिनांक 30-7-96 को लिखा, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने मुझे लिखा कि आपकी रेलवे लाइन की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन प्लानिंग कमीशन उसका विरोध करता है।

श्री राम विलास पासवान : कहां से कहां तक?

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : सैगांव से जालना। पहले इसका नाम खामगांव से जालना था।

आपने उसका जवाब देते हुए लिखा कि इसका विरोध प्लानिंग कमीशन करता है। तब मैंने दिनांक 20-12-96 को प्लानिंग कमीशन को एक लैटर लिखा जिसमें मैंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि इस रेलवे लाइन का क्या महत्त्व है और इसका बनना क्यों आवश्यक है। प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन सम्माननीय मधु दंडवते जी ने रेल मंत्री को एक लैटर लिखा। उसके जवाब में हमारे रेल मंत्री जी ने दंडवते जी को लैटर लिखा। उसमें रेल मंत्री महोदय ने बिलकुल उल्टा लिखा। आपका वह लैटर दिनांक 9-6-97 है।

सभापति महोदय, पहले रेल मंत्री जी ने मुझे लिखा कि प्लानिंग कमीशन तैयार नहीं है। अब प्लानिंग कमीशन तैयार है, तो रेल मंत्री तैयार नहीं हैं। रेल मंत्री कहते हैं कि अभी हमारे पास 12 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट हैं, लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं हैं। इसलिए यह रेलवे लाइन नहीं बन पाएगी। ज़ब फंड्स मिलेंगे, तब देखा जाएगा। रेल मंत्री जी कहते हैं कि प्लानिंग कमीशन हमें 200 से 400 करोड़ रुपये देता है और अभी हमारे पास 12 हजार करोड़ रुपये के प्रोजैक्ट्स पेंडिंग हैं। इस हिसाब से देखा जाए, तो यह रेल लाइन कभी भी नहीं बन पाएगी।

सभापति महोदय, यह ऐसा जवाब है जिसमें इस रेल लाइन को जरूरी भी माना गया है, लेकिन फंड्स के अभाव में यह नहीं बन पाएगी यह दर्शाया गया है। क्या मैं इसको राजनीति का खेल मानूं या क्या मानूं। क्योंकि महाराष्ट्र का कोई भी सवाल जब यहां आता है या कोई भी प्रोजैक्ट यहां आता है, तो उसको मना कर दिया जाता है। आज मेरे बहुत से सहयोगी यहां नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने तीनों बजटों में

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल]

अपने विचार रखे, अपने प्रस्ताव रखे, लेकिन यहां पर उनके ऊपर कोई विचार नहीं हुआ और रेल मंत्री जी ने उनके अनुसार कुछ भी कार्य नहीं किया। अतः वे उन्हीं बातों को दुबारा नहीं दोहराना चाहते हैं। इसीलिए वे आज यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मैं इसलिए उपस्थित हूं और आज चौथी बार इस बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा यह इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के दो प्रमुख हिस्से मराठवाड़ा और विदर्भ हैं। मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके सात जिले और दूसरी तरफ विदर्भ के नौ जिलों को जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन है। मराठवाड़ा के सात और विदर्भ के नौ जिलों की ढाई करोड़ आबादी को जोड़ने वाली यह रेलवे लाइन है। इसलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ लोनार सरोवर है जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं। इस रेलवे लाइन के बनने से उनके लिए सुविधा हो जाएगी। गजानन महाराज की समाधि शेगांव में है। वहां भी कम से कम 16 हजार लोग प्रतिदिन आते हैं और तीसरी बात यदि मैं अपने रेल मंत्री जी की भाषा में कहूं, तो वह यह है कि जब तक रेल का नैटवर्क नहीं हो जाता है, तब तक उस क्षेत्र का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट नहीं होता है।

सभापति जी, हमारा जो मराठवाड़ा, विदर्भ और बुलढाना का पिछड़ा इलाका है वहां पर एक भी इंड्स्ट्री नहीं है। इसका सिर्फ यही कारण है कि वहां पर कोई भी नेशनल हाइवे या रेलवे लाइन नहीं है। अगर वहां रेल लाइन जाएगी, तो वहां का इंडस्ट्रियल डवलपमेंट होगा और उस क्षेत्र की उन्नति के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। वहां की बेरोजगारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इस रेल लाइन के लिए आज चौथी दफा प्रस्ताव रख रहा हूं और सदन में विनती कर रहा हूं कि इस रेल लाइन को आप अवश्य बनाएं। यदि अभी भी आपने इसके बारे में ध्यान नहीं दिया, तो मैं धमकी तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जनतंत्र के कारगर अस्त्र के रूप में जनांदोलन अवश्य चलाना पड़ेगा। यह बहुत पुरानी मांग है। यह भी आप मानते हैं कि मांग सही है। आप हजारों नये-नये प्रोजैक्ट्स लेते हैं, लेकिन यह प्रोजैक्ट आप क्यों नहीं लेते हैं? यह केवल 200 करोड़ रुपये का है। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपने जैसे कोंकण रेलवे के लिए बाण्ड्स निकाले और उससे महाराष्ट्र में बहुत पैसा इकट्ठा किया गया वैसे ही मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि अगर आप हमारी बात मान लें तो मेरे क्षेत्र से कम से कम 100 करोड़ रुपया मैं जमा करवा दूंगा। यह मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन अगर आप इस हिसाब से लेंगे तो यह नहीं होगा। अगर आप राजनीति को बाजू में रखकर लेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा।

[अनुवाद]

श्री सुनील खान (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मेरे लिए वर्ष 1997-98 की रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करना बहुत ही कष्टकारक है क्योंकि अकलखी-बलूरघाट, दिघातामलुक, बांकुरा दामोदर नदी रेलवे, डम-डम-बैरकपुर मेट्रा रेल परियोजना और अन्य परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल की लम्बे समय से लम्बित मांगों के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है। आपने कुछ राज्यों में कुछ अद्भुत कार्य अवश्य किया है लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आपको विदित है कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र दुर्गापुर है, जो पश्चिम बंगाल में अत्यधिक पिछड़े जिले बांकुरा के कुछ भागों से जुड़ा हुआ है। आपने कई बैठकें आयोजित कीं और आपने बांकुरा-दामोदर नहर रेल परियोजना के बारे में विश्वास दिलाया था लेकिन इस परियोजना के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई जबकि वहां रेलवे लाइन और असरंचनात्मक प्रणाली है और धनराशि आबंटित न किये जाने के लिए सरकार का विरोध करने हेतु बांकुरा के लोगों द्वारा कुछ लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है। फिर बांकुरा के लोगों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाए? आपको इस मामले की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए।

आपको विदित है कि दुर्गापुर पूर्वी भारत का भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है। इसलिए दुर्गापुर स्टेशन को इसके वर्तमान औद्योगिक नेटवर्क के लिए आधुनिक बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अब दुर्गापुर एक नगरपालिका निगम है और यह चार जिलों अर्थात् बांकुरा, पुरुलिया, वीरभूम और वर्द्धमान का जंक्शन है। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि दुर्गापुर से हावड़ा तक एक नई रेलगाड़ी शुरू की जाए। लघु बस स्टैण्ड और टैक्सी स्टैण्ड के कारण दुर्गापुर स्टेशन पर जाने में बाधा होती है। इसलिए इन दोनों स्टैण्ड को रेलवे की निकटतम फालतू जमीन पर स्थानान्तरित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कर दिया जाए तो यात्री वहां आसानी से जा सकते हैं और रेलवे काउंटरों पर टिकट विक्रेताओं को धन अथवा टिकटों की गणना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वीआईपी लाउंज का भी आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। राजबन्ध स्टेशन का प्लेटफार्म ऊंचा होना चाहिए। पानागढ़ से मंकर के बीच अर्थात् चांदीपुर में हाल्ट होना चाहिए जहां एक टिकट काउंटर भी हो ताकि रेलवे राजस्व अर्जित कर सके। पटना-कोचीन रेलगाड़ी को दुर्गापुर और वर्द्धवान के रास्ते सप्ताह में कम से कम एक बार चलाया जाना चाहिए। चितरंजन से वर्द्धवान तक एक नई ईएमयू रेलगाड़ी शुरू की जानी चाहिए। वर्द्धवान स्टेशन पर पांचवें और छठे प्लेटफार्म के बीच दो उपरि पुलों का निर्माण किया जाना चाहिए। वर्द्धवान और सियालदाह के बीच और अधिक ईएमयू रेलगाड़ियां चलाई जाएं और सियालदाह से नई दिल्ली तक एक सुपर-फास्ट रेलगाड़ी चलाई जाए।

रानीगंज से मीजिया एमटीपीएस तक रेलवे लाइन का कार्य पहले ही दामोदर घाटी निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मीजिया एमटीसीएस को बांकुरा तक बढ़ाएं जो केवल 18 किलोमीटर दूर है।

मेरा अन्तिम अनुरोध यह है कि हमारे स्वतन्त्रता सेनानी और क्रान्तिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम का जन्म शताब्दी समारोह 25 मई, 1990 को मनाया जाएगा। उनका जन्म स्थान पुरुलिया आसनसोल रेलवे स्टेशन के बहुत निकट है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के सामने उस स्वतन्त्रता सेनानी की प्रतिमा स्थापित की जाए।

[हिन्दी]

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम रेलवे की अनुपूरक मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं रेल मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि इन्होंने गोरखपुर और गोंडा के बीच आमान परिवर्तन की हमारी मांग को इन अनुपूरक मांगों में स्वीकार किया। इससे उस इलाके का विकास होगा और यह केवल मेरी ही व्यक्तिगत भावना नहीं है परन्तु मेरे क्षेत्र और पूर्वांचल की भी है। इसी के साथ मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि 1977-78 में श्री शिवनारायण, रेल मंत्री थे। उनके प्रयास से खलीलाबाद और बलरामपुर रेलवे लाइन का सर्वे हुआ था। यह बहुत ही पिछड़ा इलाका है और करीब 200 किलोमीटर के इर्द-गिर्द कोई रेल लाइन नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा और वहां के लोगों की जनभावना है कि उस नई रेल लाइन को बिछाने

के सम्बन्ध में जो सर्वे हुआ है, उस पर रेल मंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। साथ ही इटावा से मैनपुरी की नई लाइन की स्वीकृति हुई है। मैं उसके लिए भी रेल मंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी का क्षेत्र है। इन्होंने इटावा से मेनपुरी की नई लाइन स्वीकृत की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि उसे मेनपुरी से बढ़ाकर ऐटा तक किया जाए और इसकी घोषणा भी करें। जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है, वह हमारे सिद्धार्थनगर जनपद का मुख्यालय है। मैंने कई बार पत्र भी लिखा और व्यक्तिगत रूप से भी अनुरोध किया। गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा क्योंकि हम चाहते हैं और उस इलाके के लोगों की भी यह भावना है कि उस नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर कर दिया जाए। परन्तु जो उत्तर आता है, उसमें कई प्रकार की तकनीकी बातें कही जाती हैं। मैं समझता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके इस सम्बन्ध में कार्रवाई करनी चाहिए।

हम जिस इलाके से आते हैं, वहां से बहुत ज्यादा तादाद में लोग मुम्बई, दिल्ली और दूसरे बड़े औद्योगिक नगरों में कमाने आते हैं। वहां पर आरक्षण की बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मेरी मांग है कि विशेषकर मुम्बई और दिल्ली के लिए नौगढ़ में जो आरक्षण का कोटा है, उसे बढ़ा दिया जाए। साथ ही मुम्बई में जो बाम्बे वी.टी. गाड़ी चलती है, वह काफी नहीं होती। पुष्पक एक्सप्रेस जो मुम्बई से लखनऊ तक आती है, यदि उसे गोरखपुर तक बढ़ा दिया जाए तो उससे उस इलाके के लोगों को बहुत सहूलियत होगी।

वैशाली बहुत अच्छी गाड़ी है। इस गाड़ी में इतना बोझ है कि हम जो ए.सी. सैकिंड टायर में चलते हैं, उसमें भी बहुत दुर्गति है। जो अनारक्षित कोचेज हैं, उसमें बहुत भीड़ है। गाड़ियां तो दो और चलाई गईं परन्तु वे ऐसी गाड़ियां हैं जिनका समय बहुत खराब है और दूसरा वह सूट नहीं करतीं। इसलिए मेरी मांग है कि वैशाली के ही बराबर, चाहे एक घंटा पहले या एक घंटा बाद में एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस वैशाली की जगह पर चलाई जाए। इससे जो भीड़ है, वह काफी कम होगी और लोगों को दिल्ली आना बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा।

रेल के बारे में ये जितनी भी मांगें लिखी गई हैं, स्वीकृत हुई हैं ताकि माननीय सदस्य अपने इलाके की समस्याओं के बारे में भी इस सदन में बात कर चुके हैं। यह सही है, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत संसाधन की आती है और इसीलिए चाहे रेलवे कन्वेंशन कमेटी हो, चाहे उसकी स्थायी समिति, स्टेंडिंग पार्लियामेंटरी कमेटी हो, चाहे कन्सलटेटिव कमेटी हो, इन सब ने अपनी जो सिफारिशें की हैं, उसमें यह मांग की है कि रेलवे को ज्यादा से ज्यादा बजटरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि रेलवे अपने आन्तरिक संसाधनों के जरिये, जो उसके सामाजिक लक्ष्य हैं, क्योंकि रेल अपने देश में कई दृष्टियों से सबसे अहम् यातायात का साधन है। अगर देश का सामाजिक-आर्थिक विकास होना है तो उसमें रेल अपनी भूमिका निभाती है, परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे, अगर हमने इसकी तरफ साधन नहीं जुटाए। इसलिए मेरी यह मांग है कि बजटरी सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, संसाधन बढ़ने चाहिए और जो हमारे रेल मंत्री जी ने या इस सरकार ने पिछड़े इलाके में, ट्राइबल एरियाज में और पहाड़ी एरिया की तरफ ध्यान दिया है और मांगें स्वीकृत की हैं, परन्तु हमारा जो पिछला कड़वा अनुभव है कि पैसे की कमी के नाते इतनी धीमी गति से काम शुरू होता है कि उसकी लागत दिनों-दिन बढ़ती जाती है और उसका समय भी बढ़ता जाता है, इसलिए इन योजनाओं में शीघ्रातिशीघ्र ज्यादा से ज्यादा पैसा आबंटित किया जाए और निर्धारित समय में इन योजनाओं को पूरा करने की कोशिश की जाए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर तहेदिल से मंत्री जी का स्वागत करता हूं और अभिनन्दन करने के इन अनुपूरक अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रभूषण सिंह (कन्नौज) : माननीय सभापति जी, अनुपूरक अनुदान की मांगों पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सर्वप्रथम बड़े गर्व की बात होती है कि हमारा रेलवे सिस्टम दुनिया में दूसरे नम्बर पर हिन्दुस्तान का आता है। हमारे यहां जो रूट किलोमीटर है, वह 62-63 हजार किलोमीटर के आसपास 1995 में था, लेकिन अफसोस तब होता है, जब हम अपने को कम्पेयर करते हैं कि सेवंथ फाइव ईयर प्लान में रेलवे का माडर्नाइजेशन शुरू हुआ, तब से आज तक 18.6 परसेंट ही हमने इलैक्ट्रीफाइड कर पाए हैं, जबकि जापान 93 परसेंट किए हुए है, पुर्तगाल जो बहुत छोटा-सा देश है, वहां भी 75 परसेंट के आसपास ट्रेन इलैक्ट्रीफाइड है। दुर्भाग्य यह है कि इस सब के बावजूद रेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें इस बात का अफसोस होता है कि जब हमारे कर्नाटक और बिहार के सांसद प्रसन्न होते हैं और तब दूसरे प्रदेश के सांसदों के मुंह लटक जाते हैं। भले ही मंत्री जी को सामने पाकर उनका अभिवादन करें, उनके प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। दुर्भाग्य यह है उत्तर प्रदेश का कि शुरू में कभी कोई रेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद से प्रदेश का नम्बर कभी रेल मंत्रालय में नहीं आया। अगर हमारे यहां का रेल मंत्री होता तो प्रदेश का भी इसमें कुछ भला होता।

उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 14 करोड़ के करीब आबादी है और माननीय रेल मंत्री जी ने मात्र दो नई योजनाएं दी हैं। मैं समझता हूं कि उनकी टोटल लम्बाई 120 किलोमीटर के आसपास है। हमारे रक्षा मंत्री महोदय की कृपा से मैनपुरी से इटावा की लाइन मिली। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हमारे जनपद फर्रुखाबाद का यह सौभाग्य था कि लोहिया जैसे समाजवादी नेता हमारे यहां से एम.पी. हुआ करते थे। उन्होंने उस समय एक रेल लाइन की योजना बनाई थी। उसका सर्वे भी हुआ था। जिसमें कहा गया था कि इटावा से फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद से शाहजहांपुर और गोला गोकरनाथ तक लाइन जुड़ेगी। गंगा, रामगंगा, चम्बल और जमुना पर पुल के बारे में उस समय चर्चा हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि लोहिया जी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो भी सांसद आए, इनमें हमारे पिता जी भी उसमें हुआ करते थे, उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन वह योजना ज्यों की त्यों रखी रह गई।

आज मैं सिर्फ पुरानी बातें आपसे करूंगा। मुझे अच्छा लगता है कि आपने इटावा के लिए लाइन दी और उसके साथ शिकोहाबाद से मैनपुरी तक के लिए आपने डबल लाइन भी दी। निश्चित ही रक्षा मंत्री की कृपा रही और उनके प्रभाव क्षेत्र में आकर यह आपने काम किया। जहां तक ट्रैक रिन्युवल की बात है, आपकी यह व्यवस्था दिनोंदिन कम होती जा रही है। उसके उदाहरण मेरे पास हैं। 1992-93 में 1 हजार 63 करोड़ रुपये ट्रैक रिन्युवल के लिए थे। 1996-97 में 1 हजार 128 करोड़ रुपये हो गए। 1995-96 की बात है उस समय विभाग को छः हजार किलोमीटर ट्रैक रिन्युवल के लिए आपको पैसे की जरूरत थी, आप दुर्भाग्य देखिए हमारी एकमात्र गाड़ी कालिंदी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से फर्रुखाबाद तक चलती है, वह यहां से लेकर शिकोहाबाद तक की 295 किलोमीटर की दूरी पौने पांच घंटे में तय कर लेती है। लेकिन शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद की दूरी जो 105 किलोमीटर मात्र है, उसको तय करने में उसको साढ़े चार घंटे का समय लगता है। अधिकारियों का निर्देश है, जो भी ड्राइवर साहिबान उस गाड़ी को चलाते हैं 30 किलोमीटर से तेज गाड़ी न चलाएं क्योंकि उस ट्रैक पर इससे तेज गाड़ी नहीं चल सकती। सही मानिए

[श्री चन्द्रभूषण सिंह]

शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद की लाइन उसी तरीके से चलती है जैसे यह केन्द्र सरकार इस समय हिल-हिल चल रही है। हमें अफसोस इस बात का होता है कि सारी रेल की पटरियां जमीन पर रखी हुई हैं। ट्रैक की स्थिति यह है कि गिट्टा का नामोनिशान नहीं है, सारे स्लीपर गल गए हैं और उस पर गाड़ी चल रही है। किसी दिन भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है।

यह ठीक है कि आप मैनपुरी तक डबल ट्रैक बना दें, लेकिन उसके साथ यह भी आवश्यक है कि 105 किलोमीटर के लिए ट्रैक के रिन्युवल के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फर्रुखाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाली सिर्फ एक कालिंदी एक्सप्रेस चलती है। किराया भी आप एक्सप्रेस का चार्ज करते हैं, लेकिन शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद जाने के लिए वह निश्चित रूप से पैसेंजर से भी स्लो चलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह यात्रियों पर ज्यादती है और सरकार को इस पर गौर करना चाहिए।

अभी यहां आमान परिवर्तन की बात हुई। आपने कहा कि कानपुर से कासगंज, मथुरा तक और बरेली से कासगंज तक दो योजनाएं ली हैं। मीटरगेज से ब्रॉडगेज में कंवर्ट करेंगे। उसके लिए आपने मात्र दस करोड़ रुपये दिए हैं। कानपुर से फर्रुखाबाद तक मीटरगेज लाइन को आप तुरन्त ब्रॉडगेज में कंवर्ट कर देंगे तो शिकोहाबाद तक लिंक हो जाएगा।

सभापति महोदय : समाप्त करें।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : अभी तो मुश्किल से पांच मिनट ही हुए हैं। कई माननीय सदस्यों ने तो बहुत समय लिया है।

सभापति महोदय : यह तय हुआ था कि माननीय सदस्य पांच-पांच मिनट लेंगे, आपके पांच मिनट हो चुके हैं। आप चेयर से सहयोग करें।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : ठीक है, मैं पांच मिनट और लूंगा। मेरा निवेदन है कि शिकोहाबाद से फर्रुखाबाद तक का ट्रैक अच्छा करवा दें और उसको ऐसा करवा दें जिससे गाड़ी तेज चलने लगे। अगर आप कानपुर से फर्रुखाबाद को ब्रॉडगेज में जल्दी कंवर्ट करवा देंगे तो आपको शिकोहाबाद तक का ट्रैक मिल जाएगा, क्योंकि फर्रुखाबाद तक ब्रॉडगेज पहले से है। कानपुर से शिकोहाबाद के बीच जो ज्यादा भीड़ है, उसको डाइवर्ट करने में आराम रहेगा और सुलभता रहेगी। जो गाड़ी इस समय चल रही है, कालिंदी एक्सप्रेस, जैसे आपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर अवलोकन किया, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप न जा पाएं तो किसी और व्यक्ति को भिजवाएं जो उस गाड़ी से फर्रुखाबाद तक यात्रा करे। प्रथम श्रेणी के कम्पार्टमेंट में यात्रा करे, यह जरूरी है। देखिए वहां क्या स्थिति है कि वहां न तो किवाड़ होते हैं, न खिड़कियां होती हैं, न बाथरूम की ठीक व्यवस्था होती है तथा आधा कम्पार्टमेंट चलता है जिसमें दो-दो, चार-चार पैसेंजर्स होते हैं और दो पैसेंजर का कूपा होता है। दुर्भाग्य है कि मैं कभी भी प्रथम श्रेणी में यात्रा करना पसंद नहीं करता हूं। हमेशा ही द्वितीय श्रेणी में यात्रा करता हूं। लेकिन रेलवे के कर्मचारी मुझसे पूछते हैं कि एम.पी. साहब, आप प्रथम श्रेणी में यात्रा क्यों नहीं करते? इस पर मैं कहता हूं कि प्रथम श्रेणी में यात्रा करना इतना असुरक्षित है क्योंकि न तो उसमें लॉक होता है, न ही कैबिन्स में लॉक होता है और न ही लैटरीन और बाथरूम की कोई व्यवस्था होती है। दुर्भाग्य है कि फर्रुखाबाद जैसे जनपद में रह रहा हूं लेकिन जहां से लखनऊ के लिए भी लिंक नहीं है। आपने कानपुर से लखनऊ का तो ब्रॉडगेज कन्वर्जन कर दिया लेकिन हम मिडिल गेज पर आ गए और सारी की सारी गाड़ियां अनवरगंज पर रुकती हैं। वहां से रिक्शा में जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रभूषण सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वहां जाने के लिए भी कानपुर में गाड़ी बदले बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। माननीय मंत्री जी हमारा ट्रैक ठीक करवाएंगे, ऐसी आशा करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल) : महोदय, सर्वप्रथम मैं अनुपूरक मांग सं. 2—प्रवीण व्यय, विस्तृत जांच और कोसी पुल का अन्तिम स्थल सर्वेक्षण का दिल से समर्थन करता हूं जिसमें निर्मली-बपती, पूर्वोत्तर रेलवे में सुधार होगा। दूसरी बात रेलवे सुरक्षा बल के कर्मिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए रेल सुरक्षा कल्याण निधि के बारे में है।

चूंकि मैंने रेल बजट पर बोला था, अतः आज मैं मुख्यतः नई बड़ी रेलवे लाइन अगूंल-सुकिन्दा रोड अर्थात् धुबरी-90 कि.मी. जिसकी लागत 245.58 करोड़ रु. है और जिससे कोयला क्षेत्र को धुबरी के छः इस्पात संयंत्रों से जोड़ा जाएगा, को मंजूरी देने के लिए रेल मंत्री श्री राम विलास पासवान, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय के अन्य अधिकारियों, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रो. मधु दण्डवते, श्री श्रीकान्त जैना और भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। अन्ततः इससे हरिदासपुर और पाराद्वीप भी जुड़ जाएगा और रेल व समुद्री मार्ग से चार दक्षिणी राज्यों को कुछ कोयला भी भेजा जा सकेगा।

मैं मध्य प्रदेश में विश्रामपुर से अम्बिकापुर तक की नई लाइन-40 करोड़ रु., 22 कि.मी., दक्षिण-पूर्व रेलवे के लिए भी उनका धन्यवाद करता हूं। इससे संगुजा जिले के पिछड़े आदिवासी क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास और खनिज सम्पदा का खनन हो सकेगा।

माननीय मंत्री संसद में निरन्तर यह कह रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है और इसे कार्यान्वित भी किया है। यहां, मैं एक असंगत मिथ्या भेजना चाहता हूं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी, श्री दाऊ दयाल जोशी यहां नहीं हैं। यद्यपि यह अनुपूरक बजट स्वागत योग्य नहीं है। मेरे विचार से इस अनुपूरक बजट में रेल मंत्री इस तथ्य के प्रति पूरी तरह सचेत रहे हैं कि कार्यपालिका विधानमण्डल के प्रति जवाबदेय रहे। कार्यपालिका के कार्यों की जांच करने का हमारा यह एक तरीका है और उन्होंने प्रशासनिक और संवैधानिक आवश्यकताएं रखी हैं। अन्यथा, उन्हें 50,000 रु. के लिए हमारे पास नहीं आना चाहिए था। लेकिन अब वे यहां आये हैं और अनुपूरक बजट में दर्शाई गई कई मदों के लिए संसद की स्वीकृति चाहते हैं और मैं उसके लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

तीसरी बात निरगुंडी-कटक-रघुनाथ पुर लाइन को दोहरी किए जाने के बारे में है। इसके कारण पृष्ठ 28 और 29 पर दिये गये हैं। मैं उन्हें नही दोहराऊंगा। इसकी लागत 105.32 करोड़ रु. है। इसमें तालचर से पाराद्वीप तक कोयले की भी बुलाई होगी। जिसमें चार दक्षिणी राज्यों के विद्युतसंयंत्रों को कोयला मिल सकेगा।

चौथी बात मंचेश्वर-हिंडोल रोड-अगुंल लाइन के बारे में है। अनुपूरक

बजट में इसे हिंडोल किया गया है, यह हिंडोल रोड होना चाहिए, न कि हिंडोल। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंडोल के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है। मैं हिंडोल के लिए भी एक लाइन की मांग कर रहा हूं। उन्होंने 2 जी.एच. 8 एम.बी. डिजीटल अल्ट्रा उच्च फ्रीक्वेंसी लिंक के लिए 5.9 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

इसलिए मुझे आशा है कि माननीय रेल मंत्री इस सदन में और विभिन्न राज्यों के संसद सदस्यों के साथ हुई बैठकों में भी किये गये अपने पिछले वायदों को पूरा करेंगे। पहला तालचर-सम्बलपुर बड़ी लाइन को पूरा करके जिसके लिए उड़ीसा के सदस्य पहली लोकसभा के समय से ही मेरी पिछली पीढ़ी से ही, जब मेरे ससुर, मेरी माता जी और मेरे पिताजी यहां थे, बोल रहे हैं। इसमें भी इसी कारण से अर्थात् कम अथवा अपर्याप्त आबंटन के कारण असाधारण विलंब हुआ है। जैसा कि पश्चिम बंगाल के सदस्य कह रहे थे।

इस वर्ष हमें 80 करोड़ रु. की आवश्यकता है लेकिन केवल 56 करोड़ रु. ही आबंटित किये गए हैं। मैं नही जानता कि माननीय रेल मंत्री किस प्रकार वर्ष 1997-1998 में अपना वायदा पूरा करेंगे। मैं नही जानता कि यह कलैंडर वर्ष है या अथवा वित्तीय वर्ष, यह पूरा हो जाएगा।

श्री रामविलास पासवान : अधिकारियों ने मुझे यह बताया है कि यह राशि पर्याप्त है। मैंने यह वायदा किया है कि इस वर्ष 1997-98 में अर्थात् 31 मार्च, 1998 तक पूरा कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री के०पी० सिंह देव : महोदय, इस तालचेर-संभलपुर लाइन तथा अंगुल डीजल रोड का काम साथ-साथ पूरा हुआ जिसके लिए 30 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। कार्य प्रगति पर है और अंगुल-बॉक्स और डिपो का कार्य पूरा होना है जिसके लिए आधारशिला रखी गई है। स्थापना कार्य चल रहा है और मैं नहीं जानता कि यह वर्ष 1997-98 तक पूरा हो जाएगा अथवा नहीं।

मेहरामंडली का कंटेनर स्टेशन था तो है ही नहीं अथवा झड़ोदा रोड़, समाचारनपुर, गढ़ ढेंकानाल, डांडीनल, सदाशिवपुर, हिंडोल रोड, मेरामंडली, बुद्धापंका और अंगूल स्टेशनों में प्लेटफार्म, पेयजल, शौचालयों तथा बैंचों जैसी मूल सुविधाएं अपर्याप्त हैं। यह एक बड़ी लाइन है।

इसके अलावा, मुची बहल स्टेशन का नाम बदलकर मुची बहल वीर महाराजपुर रोड करना, ढेंगानाल, अंगूल जरासिंगा कुलमुंडा पर उपरि पुल का निर्माण करना, ढेंकानल, एफ.सी.आई. गोदाम के नजदीक रेलवे साईडिंग का निर्माण जहां हम पूरे रैक नहीं ले जा सकते हैं। हमें आधे रैकों से काम चलाना पड़ता है। महोदय, जैसाकि आपको मालूम है कि उड़ीसा में हमेशा बाढ़, अकाल, तूफान आते रहते हैं और जिससे काफी राहत कार्य करना पड़ता है। यह वर्ष 1965 से निरंतर चल रहा है अर्थात् भुवनेश्वर और संभलपुर के बीच इंटर-सिटी एक्सप्रेस शुरू करना और दिल्ली-भुवनेश्वर रेल लिंक को संभलपुर-अंगूल-ढेंकानाल के रास्ते से करना जिससे दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच की दूरी 350 कि.मी. कम हो जाएगी। भारत दर्शन की बजाय हमें सीधा रास्ता मिल जाएगा।

महोदय, मैं तालचेर-बिमलागढ़ रेलवे सम्पर्क के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी सर्वेक्षण कराने के आदेश स्वीकृत करने के लिए भी माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं, पिछले पच्चीस वर्षो से संसद में हम इसकी मांग करते आ रहे हैं और अचानक इसका विचार छोड़ दिया गया। भगवान का शुक्र है कि अब पुनःसर्वेक्षण के लिए आदेश दिए गए हैं। मेरे विचार से तालचेर-गोपालपुर बरास्ता हिंडोल तथा नयागढ़ के लिए भी ऐसे ही आदेश दिए जाएंगे। जिसके लिए उड़ीसा सरकार भी इन्हीं कारणों से कि अंगूल-सुकिन्दा-हरिदासपुर-पाराद्वीप को क्यों जोड़ा गया है, इसकी मांग करती रही है। दो मुख्य इस्पात संयत्र गोपालपुर पत्तन में लगाए जा रहे हैं और तालचेर से गोपालपुर तक यही स्थिति होगी। यह लाइन हिंडोल और नयागढ़ से जाएगी परंतु अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। तालचेर बिमलागढ़ के लिए 9 जुलाई को दिए गए आदेश की तरह इसके लिए भी आदेश दिए जाने चाहिए। नवापाड़ सड़क से बाढगढ़ बरास्ता पदमपुर, जहां काफी चूना सीमेंट फैक्टरियां है, को उस मुख्य लाइन से जोड़ा जाएगा जो मुम्बई जाती है।

महोदय, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं कि उन्हें विशाखापत्तन को जोड़ने वाली तितलागढ़ से लाजीगढ़ सड़क के दोहरीकरण के लिए साउदी अरब से 18 मिलियन रियाल प्राप्त हुए हैं। उड़ीसा सरकार भी तेल नदी के ऊपर सड़क सहित रेल पुल बनाने के लिए सहमत हुई है जिससे तितलागढ़ तथा किसिंगा के बीच की दुरी कम हो जाएगी। ऐसा उन्हीं कारणों से किया जाएगा जिस कारण से आपने सरगुजा के लिए किया है, अब कालाहांडी जिला अकाल, भूख तथा प्रवास का पर्यायवाची बन गया है। इससे काफी हद तक सहायता मिलेगी। पिछले तीन वर्षों में लाजीगढ़ सड़क को जूना गढ़ तक केवल 2 प्रतिशत रेल कार्य हुआ है। अतः, इसे शीघ्र पुरा किया जाना चाहिए।

मैं उस प्रेस रिपोर्ट के लिए भी उन्हें बधाई देता हूं जो 'हिन्दु' समाचारपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें कहा गया है कि "नौंवी योजना में रेलवे के लिए बजटीय समर्थन बढ़ाया जाएगा।"

मेरी धारणा यह है कि निंदा करने वाला शत्रु नहीं होता। रेलवे को पिछले क्षेत्रों, आदिवासी तथा दूरस्थ क्षेत्रों में सामाजिक जिम्मेदारी तथा दायित्व पूरा करने तथा अनेक अन्य चीजों पर 15 से 17 प्रतिशत की छूट भी देने के लिए कहा गया है। यहां तक कि स्थायी समिति ने भी कहा था कि सभी सरकारें-चाहे वे सामाजिक, साम्यवादी, मार्क्सवादी अथवा पूंजीवादी हो तथा किस से सभी रेल प्रणालियां सामाजिक जिम्मेदारियों तथा सामाजिक दायित्वों के लिए रेलवे को मुआवजा देते हैं, महोदय, परंतु मुआवजा नहीं दिया गया है।

इस तथ्य के बावजूद कि स्थायी समिति ने ऐसा कहा था, देश के पिछड़े, अल्पविकसित तथा आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्रों के लिए कोई अलग से योजना या उप-योजना नहीं है। श्री दाऊदयाल जोशी भी इसके बारे में कह रहे थे। अतः देलवे और योजना आयेग की बैठक करनी चाहिए तथा उप योजना को परिभाषित, करना चाहिए, विचार करना चाहिए तथा क्रियान्वित करना चाहिए जैसा कि पर्वतीय तथा अन्य क्षेत्रों के लिए होता है।

अब, मैं रेल सुरक्षा के संबंध में चर्चा करूंगा। हम सभी इस बारे में चिंतित हैं तथा माननीय मंत्री को इस बारे में और अधिक चिंतित होना चाहिए क्योंकि उनके राज्य बिहार में रेलगाड़ियां रात को बिना बिजली के ही चलती है। अतः इससे डकैत, खूनी और अपराधी रेलगाड़ियों में सवार होकर अपना कार्य आसानी से कर सकते, जाते हैं।

अब मैं रेल सम्पत्ति के बारे में चर्चा करूंगा। हम रेलवे योजना का वित्तपोषण करने हेतु रेलवे सम्पत्ति का वाणिज्यिक उपयोग करने के बारे में चर्चा करते रहे हैं, जो मंत्रिमण्डल के समक्ष विचाराधीन लटक रहा है चाहे उस समय मेरी पार्टी सत्ता में थी या अन्य दल सत्ता में थे। मैं आशा करता हूं कि सरकार शीघ्र निर्णय लेगी ताकि रेलवे अपनी वाणिज्यिक

[श्री के०पी० सिंह देव]

सम्पत्ति का उपयोग कर सके। यह अजीब बात है कि रेलवे को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ब्रिटिश रेलवे से कौन सी सम्पत्ति संभाली थी।

अनेक स्थानों पर प्रौद्योगिकी और आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण, मालसूची नियंत्रण तथा उपग्रह आरक्षण कार्यालय खोले गये हैं। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे कुर्दा रोड़, अंगूल, तालचेर, नालको क्षेत्र और संभलपुर में ये कार्यालय खोले जाएं।

इस अनुपूरक बजट में क्षेत्रीय रेलवे में रेलनेट का उल्लेख है। मैं आशा करता हूं कि नई ईस्ट कोस्ट रेलवे को इस रेलनेट का लाभ मिलेगा।

संभलपुर-दिल्ली-निजामुद्दीन हीराकुंड एक्सप्रैस—यह डा. मोई की मांग भी थी जिसे चार दिन से कम करके तीन दिन किया गया था, को प्रतिदिन चलाया जाए। भुवनेश्वर तथा कोरापुर के बीच मालगाड़ी चलनी शुरू हो गई है और इसे समय सारिणी में रखा गया है परंतु यात्रीगाड़ी अभी शुरू नहीं हुई है।

मेरी अंतिम मांग दृश्य कलाकारों को यात्रा भत्ता देने के संबंध में है, मैं नहीं जानता कि कलाकारों के बीच भेदभाव क्यों किया जाता है जब हम संस्कृति मंत्रालय से इस दिशा में रूपरेखा ले सकते है। संसाधनों की कमी वाले सभी कलाकारों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। यह सुविधा केवल नृतकों, संगीतकारों को ही क्यों दी जाए और अन्य कलाकारों को क्यों नहीं जैसा कि उन्होंने परिभाषित किया है?

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र यादव (खलीलाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं रेलवे पर केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुदान की पूरक मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि देश के पिछड़े इलाकों से लेकर चारों तरफ नयी रेल लाइन बिछाने और आमान परिवर्तन, रेलवे लाइन का दोहरीकरण, विद्युतीकरण, पुल निर्माण का कार्य करके रेल मंत्री जी ने इस देश के विकास में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हमारे एक मित्र हैं जो कहते हैं कि "झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में"। हमारे बड़े-बड़े नेताओं के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा काम होता है लेकिन हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में काम नहीं हो पाता है। हमने माननीय मंत्री जी से एक छोटी-सी मांग की थी। एक वैशाली ट्रेन हमारे क्षेत्र खलीलाबाद से होकर गुजरती है। दो एम.पीज. उसी कस्बे के हैं लेकिन वह ट्रेन आज तक वहां रुकी नहीं है। आश्वासन बहुत मिलते रहे हैं। आज मैं इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी, मेरी यह मांग अवश्य पूरी करें।

अभी जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, वह जिला बनाने के क्षेत्र में बहुत आगे है, बराबर जिलों का निर्माण वह सरकार करती जा रही है। वहां 85 एम.पीज. हैं तो 85 जिले बनेंगे और अगर बन गए तो फिर हमारे क्षेत्र में जिला मुख्यालय पर यह ट्रेन रुकनी है। लेकिन इससे मुझे तकलीफ होगी कि हमारे नेता पासवान जी ने नहीं रोकी और दूसरी नेता ने मुख्यालय बना दिया तो रुक गयी। *(व्यवधान)* इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय नेता यह काम जरूर करें, क्योंकि मैं यह मानकर चलता हूं कि माननीय मंत्री जी को अभी बहुत आगे तक राजनैतिक मंजिल तय करनी है। मगहर मगध और खलीलाबाद बड़े ऐतिहासिक नगर हैं। गौतम बुद्ध के बाद महात्मा कबीर ही दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश में जात-पांत और मजहब के खिलाफ एक अच्छा माहौल तैयार करके मानवता को एक-सूत्र में बांधने का कार्य किया था। आज वह मगहर जो उनकी निर्वाण-स्थली है, उसके स्टेशन का विस्तारीकरण नहीं हो पा रहा है। बाहर से पर्यटक आते हैं लेकिन उनके ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। खलीलाबाद खुद एक ऐतिहासिक नगर है। महात्मा गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से आकर वहीं बगल में 11 किलोमीटर पर थोपिया में रहे हैं। वहां उनका बहुत बड़ा खंडहर है। खुदवा नाला वहां है जहां उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा था और तपस्या के लिए आगे बढ़े थे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहूंगा कि मगध और खलीलाबाद के महत्व को देखते हुए उनका विस्तारीकरण किया जाए। साबरमती-अहमदाबाद वहां चलती थी लेकिन वह बंद कर दी गयी है। मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने दो ट्रेनें अमृतसर और बरौनी मेरे खलीलाबाद स्टेशन पर रुकने का प्रबंध किया है और दिल्ली-गौंडा को आबिदा एक्सप्रेस आगे बढ़ाकर गोरखपुर तक किया है और उसका स्टोपेज हमारे खलीलाबाद में दिया। मगध और खलीलाबाद के ऐतिहासिक औद्योगिक महत्व को देखते हुए वैशाली-कोचीन और जम्मू-तवी का स्टोपेज भी वहां किया जाए। आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ब्रजभूषण तिवारी जी हमारे अग्रज हैं। इन्होंने मांग की थी और कहा था कि खलीलाबाद से बलरामपुर तक का सर्वेक्षण किया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि खलीलाबाद से नौगढ़ होते हुए नेपाल की सीमा तक रेलवे लाइन बिछाई जाए। इस पर पहले का सर्वेक्षण किया हुआ है। नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र है। इसके होने से हम उससे सम्बद्ध हो सकेंगे और रेलवे लाइन के माध्यम से जुड़ सकेंगे।

रात्रि ९.०० बजे

रेल मंत्री ने बंगला देश को और कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा। उन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ दिया। यह उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों एवं उनके परिवार के लिए रेल सुरक्षा कल्याण निधि में 60 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत करके बहुत अच्छा काम किया है। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। उनकी एसोसिएशन के बारे में उनको चिन्ता है। एसोशिएशन को मान्यता दी जाए ताकि वे तकलीफों के लिए लड़ सकें।

हमारे मित्र जोशी जी ने कहा कि समपार फाटक पर रेलवे की जिम्मेदारी है। पिछले दिनों रसूलपुर समपार फाटक पर छः आदमी एक साथ मारे गए। एक एक्सीडेंट में रेनू नागर और सुरेश गुप्ता जी के दोनों पैर कट गए। गिठनी बाजार के मेरे मित्र चौधरी साहब के पैर कट गए। क्या यह रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं है? उस फाटक को एबैंडन फाटक घोषित कर दिया गया है। उसे समपार फाटक के रूप में बदला जाए। इसको बनाने की रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर वहां कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए रेल विभाग जिम्मेदार है। जिन लोगों की रेल एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई उन्हें दो लाख रुपया दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी (बीकानेर) : सभापति जी, 1997-98 की अनुदान की पूरक मांगों के सम्बन्ध में डिमांड 16 में सीरियल नम्बर 12 पर राजस्थान के जोधपुर के लिए सी.आई. पाइप की व्यवस्था के लिए इस बजट में प्रावधान करके बहुत अच्छा किया है। जोधपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही साथ मेरा सरकार से अनुरोध है राजस्थान के

अन्य स्टेशनों और मुख्यालयों पर भी सम्पूर्ण रूप से लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। सरकार उस तरफ ध्यान दे।

रात्रि 9.03 बजे

[**श्री पी.सी. चाक्को** *पीठासीन हुए*]

इसके अलावा 1997-98 के बजट में रेल मंत्री जी ने कई घोषणाएं की थीं। गंगानगर जिले के सरूपसर जंक्शन से लेकर गंगानगर प्रॉपर तक जैतसर, रायसेन नगर, गजसिंहपुर, करनपुर, केसरीसिंहपुर मंडियों से केनाल लूप के नाम से लाइन चल रही है। वह बहुत पुरानी लाइन राजा महाराजा के समय से है। इसे महाराज गंगासिंह ने डलवाया था। यह 160 किलोमीटर की लाइन उसी आधार पर मीटर गेज से चल रही है जिसे केनाल लूप के नाम से जाना जाता है। रेल मंत्री ने इस वर्ष के बजट में आश्वासन दिया कि वह एक लाख रुपये की टोकन मनी इसमें रखेंगे। अगर इस मार्ग का गेज कनवर्शन कर दिया जाता है तो 15 परसेंट का लाभ रेल विभाग को मिलने की आशा है। ये लाभदायक आमान परिवर्तन की लाइनें हैं। आप इनकी केवल मात्र घोषणा ही नहीं करें वास्तव में इसे मूर्त्त रूप दें। और इसके लिए राशि आबंटित करें।

इसी तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर से एक ट्रेन दिल्ली के लिए आती है। वह मीटरगेज लाइन है। काफी वर्षों से हमारी एक मांग विचारधीन है। सरकार ने रेवाड़ी से सादुलपुर के लिए गेज कनवर्शन का मामला इस वर्ष के बजट में रखा था लेकिन वहां अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ। केवल मात्र रेवाड़ी से सादुलपुर की लाइन करने से ही गेज कनवर्शन का काम पूरा नहीं होगा। मेरा यह कहना है कि बीकानेर से दिल्ली तक का पूरा गेज कनवर्शन का काम इसी साल हाथ में लिया जाए या अगले वर्ष इस तरह का प्रावधान किया जाए। बीकानेर जिले से कोलायत जो कि एक पवित्र स्थल है, वहां से जोधपुर जिले के फलोदी के लिए एक नई रेल लाइन डलनी है, रक्षा के दृष्टिकोण से इसका बहुत ही महत्व है, उसके लिए रेल मंत्री ने काफी कदम उठाए हैं और उसके सर्वे का आदेश भी दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और इसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य पूरा करवाएं। बीकानेर से दिल्ली के लिए वाया सूरतगढ़-पीलीबंगा-भटिंडा की नई बड़ी लाइन चालू की जाए। रेवाड़ी-सादुलपुर का काम होने वाला है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बीकानेर-दिल्ली मार्ग की रेल सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसके विकल्प के रूप में बाद में चालू किए जाने वाली योजना को पहले शुरू कर दिया जाए तो इस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। इससे यात्री कम समय और कम पैसे में बीकानेर से दिल्ली आ सकेंगे। इससे भटिंडा, सूरतगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के लोग लाभान्वित होंगे। मेरा सुझाव है कि किसी प्रकार से वित्तीय खर्च कम करके एक लिंक एक्सप्रेस जोधपुर के लिए चलाई जाए। जोधपुर से मुम्बई जाने वाली ट्रेन में बीकानेर के लिए 6 डिब्बे दिए जाएं जो मुम्बई की ट्रेन में लगें जिससे बीकानेर के यात्रियों को लाभ मिल सके। पश्चिम रेलवे ने भी उसके बारे में मांग की है। मेरा सुझाव है कि बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जो सीमावर्ती जिले हैं और पाकिस्तान से सटे हुए हैं, पाकिस्तान से जब युद्ध होता है तो स्थल सेना अधिकतर इन क्षेत्रों में होती है, अगर गंगानगर, अनूपगढ़, चणसांणा रावला 365, खाजूवाला, छतरगढ़ पुगल होते हुए ट्रेन चलाई जाए तो इससे सेना को काफी लाभ होगा। यह ट्रेन किसानों के लिए भी लाभप्रद होगी। यह कमांड ऐरिया है। इसलिए काश्तकारों को व्यापारिक दृष्टि से रेलवे की नीति के अनुसार काफी लाभ होगा।

सभापति महोदय, 23 जनवरी, 1992 को तत्कालीन रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भेरों सिंह शेखावत के साथ बीकानेर के रेलवे क्रासिंग गेट के सम्बन्ध में दौरा किया था। उस समय सैद्धान्तिक रूप से यह निर्णय लिया गया था कि बीकानेर के दरमियान रेलवे फाटक आते हैं, वहां पर एक बाई पास का निर्माण कर दिया जाएगा। उस समय आज के मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत ने यह घोषणा की थी कि राजस्थान सरकार मुफ्त में जमीन देगी जो बाई पास के लिए आवश्यक होगी। लेकिन उस कार्य में आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। मेरा कहना है कि रेल मंत्री कोई रहे या नहीं रहे लेकिन उसके कहे अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, बीकानेर के लिए दो ओवर ब्रिज मंजूर किए गए थे जिसमें एक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। हमारी सरकार ने यह सहमति दी थी कि नियम के अनुसार 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार दे तो केन्द्र कार्य पूरा करवा सकता है। इसी मांग को श्री पप्पू यादव ने भी उठाया था जिसे माननीय रेल मंत्री ने इंटरवीन करके स्पष्ट किया था और कहा कि यदि राज्य सरकार अपने हिस्से का 50 प्रतिशत दे तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार राशि देने के लिए तैयार है तो आप शीघ्र ही ओवर ब्रिज को शुरू करवाएं।

सभापति महोदय, 1924 से बीकानेर में रेलवे वर्कशाप चल रही है जहां हजारों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से मजदूरों को कम काम दिया जा रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि सारा काम जोधपुर डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि बीकानेर रेलवे वर्कशाप को ही यह काम दिया जाए। इसमें केवलमात्र कार्य दिए जाने का सुझाव है।

बीकानेर में जिस प्रकार से ओवर ब्रिज की बात है, उसी प्रकार अंडर ब्रिज के लिए भी राज्य सरकार ने सहमति दी है। यदि राज्य सरकार 50 प्रतिशत हिस्सा दे तो बीकानेर में दो अंडर ब्रिज बनाए जा सकते हैं। माननीय रेल मंत्री जी ने नवम्बर, 1996 में जैसलमेर एक्सप्रेस की शुरुआत के समय बताया था कि जोधपुर-देहरादून ट्रेन की मांग पर विचार कर रहे हैं और यह भी कहा था कि जो ट्रेन मद्रास से जयपुर के लिए चल रही है उसे जोधपुर तक करने का प्रयास किया जाएगा। मेरा इसमें सुझाव है कि अगर जोधपुर से इस ट्रेन को चलाएं तो बीकानेर की सुविधा भी इसमें रखी जाए।

मान्यवर, अजमेर राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। वहां के काश्तकारों के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में है। राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय भी अजमेर है और रेलवे भर्ती बोर्ड का दफ्तर भी अजमेर में है। इसलिए बीकानेर से अजमेर तक की एक ट्रेन चलाई जाए जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर और बाढ़मेर के लोगों को भी लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

सभापति महादेय : श्री भाटी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : जी हां महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अनूपगढ़ से घरसाना, रावला, खाजूवाला, दंतौर, गोड्डू, बज्जूस, सुतारवाला, मोहनगढ़ होते हुए जैसलमेर तक एक लाइन और स्वीकृत

[श्री महेन्द्र सिंह भाटी]

की जाए तो निश्चित रूप से इससे उस क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। एक सुझाव था कि बीकानेर से जैसलमेर के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चल रही है जिसका ट्रेन नम्बर 2468 है। वर्तमान में यह ट्रेन सात घंटे का समय जयपुर पहुंचने के लिए ले रही है। इसी समय जोधपुर से जयपुर के लिए इंटरसिटी चलती है जो कि 4 घंटे 20 मिनट लेती है। मेरा सुझाव था कि मेढ़ता सिटी जहां ये ट्रेन रुकती है, उसमें जोधपुर का एरिया पड़ता है इसलिए वह बीकानेर की ट्रेन को लेट कर देते हैं और जोधपुर की ट्रेन को लेट निकालते हैं। या तो बिना खर्च किए हम बीकानेर से 16 डिब्बों की एक ट्रेन भेजें जिसमें से आठ डिब्बे निकालकर जोधपुर की ट्रेन में शामिल हो जाएं और वह जयपुर चले जाएं। बाकी की आठ बोगियां सीधी जोधपुर चली जाएं। इस प्रकार बीकानेर से जोधपुर के लिए नई इंटरसिटी ट्रेन हमें मिल जाएगी। इसी प्रकार बीकानेर से अहमदाबाद एक सीधी ट्रेन इसमें मीटर गेज के माध्यम से चल रही थी लेकिन जैसे ही बीकानेर से मेढ़ता रोड और जोधपुर के ब्रॉड गेज कनवर्शन का काम हाथ में लिया गया, यह ट्रेन बंद कर दी गई। अब गेज कनवर्शन का काम भी पूरा हो चुका है। इसलिए इस ट्रेन को दोबारा उसी समय पर शुरू किया जाए। इसमें किसी प्रकार का वित्तीय भार आपके विभाग पर नहीं पड़ेगा। एक सुझाव था कि बीकानेर के पास एक घटतीसर स्टेशन है और उस पर अगर हाल्ट दे दिया जाए तो बीकानेर के बाहरी क्षेत्र में बसे हुए जो लोग हैं, उन्हें भी इससे लाभ मिलेगा और एक हाल्ट स्टापेज देने से वहां के यात्रियों को काफी सुविधा मिल सकती है। आपने पिछले वित्तीय वर्ष के रेल बजट में घोषणा की थी कि नए मानव रहित फाटक नहीं बनाए जाएंगे। मेरा कहना है कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं उसकी स्थिति बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग हो सकती है, लेकिन मेरा क्षेत्र कमाण्ड एरिया का क्षेत्र है जिसमें इंदिरा गांधी कैनाल जैसी महत्वपूर्ण योजना है। उसमें नए काश्तकारों को लाकर सरकार बसा रही है और उन्हें अलग-अलग गांवों के माध्यम से वहां बसाया जा रहा है। आप लोग जो नीति बना रहे हैं, पूर्व में बसे हुए गांवों के अनुसार आपने नीति बना दी कि अब नए फाटक वहां पर नहीं बनाए जाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप इसमें पश्चिमी राजस्थान का अलग से ध्यान रखें और कमाण्ड एरिया की चक आबादी है, उनके लिए चाहे मानव रहित फाटक दें या दूसरा रेलवे फाटक उपलब्ध कराएं। निश्चित रूप से इसमें भी आप कोई न कोई संशोधन करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आर. साम्बासिवा राव अब आप बोलें।

... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने दस मिनट ले लिए हैं। यह तरीका नहीं है। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। परन्तु आपको भी समझना चाहिए।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगा।

सभापति महोदय : नहीं। आप केवल एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : सूरतगढ़ से अनूपगढ़ की रेल बस के प्रस्ताव भी डी.आर.एम. औफइस बीकानेर से आए हैं। कृपया उसे स्वीकृत करें। इसी प्रकार से पार्सल की सुविधाएं जो व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण सुविधा होती हैं, उसके लिए गंगानगर की विजयनगर मंडी के लोगों ने बताया कि वह सुविधा बंद कर दी गई। मेरे क्षेत्र में नागौर विधान सभा क्षेत्र है। उसमें भी अगर कुछ सुविधा उपलब्ध कराई जाए तो अच्छा रहेगा। मेरा सुझाव था कि उद्यान आभा एक्सप्रेस जो कि गंगानगर से चलती हैं, वह भी हमेशा पांच-सात घंटे देरी से चलती है। मैं कल रात उसमें आया। उसमें सेकंड एसी में हमारा रिजर्वेशन था, उसके बावजूद सेकंड एसी का डिब्बा काट दिया गया। न किसी प्रकार के बैड रोल की सुविधा थी, न किसी प्रकार की सफाई की सुविधा थी, न किसी प्रकार की लाइट की व्यवस्था थी। यह उद्यान आभा एक्सप्रेस जो भटिण्डा से दिल्ली को जोड़ती है, गंगानगर होकर आती है। इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : पन्द्रह मिनट में, आपने उस विषय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कृपया अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी : इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : इससे पहले कि श्री आर. साम्बासिवा राव अपना भाषण आरम्भ करें, मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्यों के भाषणों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूं। आप कृपया अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रहें और 5 मिनट से अधिक समय न लें। अभी 14 और सदस्यों को बोलना है।

श्री आर० साम्बासिवा राव (गुंटूर) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं गुंटूर डिवीजन का उद्‌घाटन करने के लिए माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री के ध्यान में उन परियोजनाओं को लाना चाहता हूं जिन्हें शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता है।

इस बीच माननीय मंत्री ने 5 जुलाई को गुंटूर में नए रेल डिवीजन का उद्‌घाटन कर दिया है। केसी केनाल से टाडा तक नए डिविजन का सीमांकन शीघ्र अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके साथ वर्ष 1997-98 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलनों में आवश्यक प्रावधान करके कार्यालय भवन, कर्मचारियों हेतु आवास तथा अन्य अनुषंगी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की जाए।

उद्‌घाटन के समय निम्नलिखित लाइनों के सर्वेक्षण का प्रबंध किये जाने के लिए मैं माननीय मन्त्री को धन्यवाद देता हूं, और इन परियोजनाओं के लिए धनराशि आबंटित करने के लिए अनुरोध करता हूं।

1. गुंटूर और नरिकूडि रेलमार्ग का विद्युतिकरण; और

2. गुंटूर और नरिकूडि रेलमार्ग का दोहरीकरण।

उन्होंने उपरोक्त परियोजनाओं के सर्वेक्षण के लिए धनराशि देने का भी वायदा किया था। मैं माननीय रेल मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि गुंटर नरिकूडि रेलमार्ग विद्युतिकरण परियोजना और गुंटर नरिकूडि क्षेत्र के रेलमार्ग का दोहरीकरण काफी लम्बे समय से लम्बित है, अतः संशोधित बजट प्राक्कलनो में इन दो महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भी धनराशि का आबंटन किया जाना चाहिए।

मैं इस महान सदन के माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जब तक गुंटूर और नरिकूडि के बीच रेलमार्ग

को दोहरा भी किया जाता तब तक सीमेंट, कपास, मिर्च, तम्बाकू और अन्य उत्पादों की ढुलाई की मांग को पूरा करने और लोगों को यात्रा सुविधा प्रदान करने में भी कठिनाई होगी। अतः, गुंटूर-नरिकूडि सेक्शन के दोहरीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है। इससे रेलवे के रखाव में भी वृद्धि होगी। यह हैदराबाद और गुंटूर के बीच सबसे छोटा मार्ग है और इससे यात्रा अवधि में कमी आएगी।

इसके बाद, मैं माननीय मन्त्री जी से निम्नलिखित कार्यों के लिए धनराशि आबंटित करने का प्रावधान करने के लिए अनुरोध करता हूं :

1. गुंटूर में मंगलगिरी रोड पर एक नया ऊपरी पुल का निर्माण।

2. गुंटूर में कनकारागुंटा रेलवे फाटक के समीप एक नए रेल ऊपरी पुल का निर्माण।

3. गुंटूर रेलवे स्टेशन के समीप अमरावती रोड पर विद्यमान रेलवे ऊपरी पुल को दोनो ओर से छः फुट तक चौड़ा करना।

5 जुलाई 1997 को गुंटूर में रेलवे डिवीजन के उद्घाटन के समय आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री ने राज्य सरकार की ओर से उपरोक्त तीन कार्यों की लागत का 50 प्रतिशत भाग देना स्वीकार किया था और तदनुसार माननीय रेलमन्त्री ने यह घोषणा की थी कि उपरोक्त कार्यों के लिए आवश्यक आबंटन स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी और कार्यों को शीघ्र आरम्भ करने के लिए अपेक्षित धनराशि का आबंटन भी किया जाएगा। एक अन्य बात यह है कि इन सब बातों के अलावा, उपरोक्त कार्यों को रेलमन्त्री द्वारा उस समय स्वीकार कर लिया गया था जब वह गुंटूर में थे।

हम यह भी अनुरोध करते हैं कि निम्नलिखित नई रेलगाड़ियां शुरू की जाएं। गुंटूर और चैन्नई और चैन्नई से गुंटूर के बीच दिन के समय रेलगाड़ी चलाई जाए अथवा वर्तमान नागार्जुन एक्सप्रैस को चैन्नई तक बढ़ाया जाए। रत्नाचल एक्सप्रैस को विजाग से गुंटूर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नम्बूर रेलवे स्टेशन के पास लगभग 10,000 लोग रह रहे हैं। वहां पर गुंटूर सहकारी आवास निर्माण सोसायटी है। उन्होंने घरों का निर्माण किया है जहां लगभग दस हजार लोग रह रहे हैं, वे चाहते हैं कि नम्बूर रेलवे स्टेशन से दक्षिण में 7/11 किलोमीटर पर रेलवे फाटक बनाया जाए। रेलवे विभाग ने तकनीकी रूप से तो इसके निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को अपने दिनांक 27.9.95 के टिप्पण में मंजूरी दे दी है परन्तु इसके साथ यह शर्त भी लगाई है कि इसका व्यय जिसमें आवर्ती व्यय भी शामिल है, उक्त समिति द्वारा किया जाए। यह प्रस्तावित रेलवे फाटक बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि इस कालोनी के लोग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 तक पहुंच सकें। इसके अलावा यह आसपास के गांवों अर्थात् बेनीगंदला, जोनालगाड़ा, पेड़ाकाकनी आदि के लिए भी बहुत लाभदायक है। वहां पर लगभग तीन अथवा चार गांव हैं और इनमें रहने वाले लोगों की संख्या 10,000 से अधिक है। समिति आवर्ती व्यय को छोड़कर रेलवे फाटक की पूरी लागत देने को तैयार हैं। मैं माननीय रेलमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह दक्षिण मध्य रेलवे को हिदायत दें कि समिति द्वारा आवर्ती व्यय की अदायगी पर बल दिये बिना, बताए गए स्थान पर देलवे फाटक बनायें क्योंकि यह लोकहित में है।

मैं माननीय रेल मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 1997-98 के लिए संशोधित बजट में इन सभी कार्यों के लिए और रेलगाड़ियों के विस्तार के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित करें। मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री ए.जी.एस. रामबाबू (मदुरै) : सभापति महोदय, मैं वर्ष 1997-98 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का समर्थन करता हूं। मैं आमान परिवर्तन, नई रेलगाड़ियों को शुरू करने आदि के संबंध में कुछ मांगों को सामने रखना चाहता हूं जो कि तमिलनाडु के लोगों की काफी समय से महसूस की गई जरूरतें हैं।

माननीय रेल मंत्री ने मदुरै और रामेश्वरम् के बीच आमान परिवर्तन की घोषणा की है और इस कार्य के लिए इस वर्ष 10 लाख रुपये आबंटित किए है। इस परियोजना की कुल लागत 240 करोड़ रुपये है। इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। मैं इस परियोजना को शुरू करने के लिए माननीय मंत्री का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि मदुरै और रामेश्वरम् दोनों ही धार्मिक स्थान है और उन्हें सीधा मिलाया जाना चाहिए ताकि उत्तर भारत के लोग सीधे रामेश्वरम् जा सके।

मदुरै-डिंडिगुल की रेल लाइन को पहले ही बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जा चुका है। इसके अलावा, डिंडिगुल-तिरुचि-विजुपुरम लाइन परिवर्तन को भी मार्च 1998 तक पूरा किये जाने की संभावना है। प्रैस में इस संबंध में खबर थी। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि इस परियोजना के लिए और अधिक धनराशि आबंटित की जानी चाहिए ताकि इस लाइन पर आमान परिवर्तन का कार्य मार्च 1998 तक पूरा हो सके। यदि यह आमान-परिवर्तन पूरा हो जाता है तो सभी रेलगाड़ियां, जो अन्य रूटों पर चलती है, को इस रूट पर चलाया जा सकता है जिससे दूरी को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

महोदय, तमिलनाडु के दक्षिण भाग के लोगों की मदुरै-बोड़ीनाइ-कानूर-एर्जाकुलम के बीच रेल लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन करने की मांग भी काफी समय से लम्बित है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस लाइन के आमान परिवर्तन के लिए कुछ धनराशि को तत्काल मंजूरी दे ताकि अधिक लोग इस रूट पर यात्रा कर सकें और अधिक सामान भी इस दिशा से लाया ले जाया जा सके।

महोदय, हमारी स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में लिंक एक्सप्रैस के जरिये मदुरै को भारत की राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ा गया है। अभी हाल ही में मदुरै और जम्मू तवी के बीच लिंक एक्सप्रैस शुरू करने के लिए भी मैं माननीय रेल मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहुंगा कि मदुरै से जम्मू तवी के बीच एक सीधी एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाई जाए जो मदुरै से प्रतिदिन चले जिससे कि तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें। अभी हाल ही में मदुरै और बंगलौर के बीच एक रेलगाड़ी आरम्भ करने के लिए भी मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं! लेकिन यह अब बंगारपेट से होकर गुजरती है जिससे यात्रियों को बंगलौर पहुंचने में काफी समय लगेगा। इसलिए, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस गाड़ी को सालेम-होसुर होकर चलाया जाना चाहिए ताकि यात्रियों का काफी समय बच सकें।

मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि भदुरै को कलकत्ता तथा वाराणसी से सीधे रेल सेवा से जोड़ा जाए ताकि तमिलनाडु के दक्षिण भाग के लोग कलकत्ता, वाराणसी और उत्तर भारत के अन्य स्थानों तक सीधे यात्रा कर सकें। इसके अतिरिक्त, अब नागरकोइल और मुम्बई के बीच सप्ताह में केवल चार दिन ही गाड़ी उपलब्ध है चूंकि इस रेल सेवा काफी मांग है, इसलिए इस रेलगाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाना चाहिए ताकि तमिलनाडु और मुम्बई के लोगों की मांग को पूरा किया जा सके।

[श्री ए.जी.एस. रामबाबू]

इसके बाद, मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि दो शताब्दी एक्सप्रैस-एक भदुरै और बंगलौर के बीच तथा दूसरी भदुरै और चेन्नई के बीच चलाई जाएं ताकि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की मांगों को भी पूरा कर सकें। इसके बाद, क्विलोन और नागरकोइल के बीच वाया भदुरै, नागूर और वेलाकान्नी एक रेल चलाए जाने की आवश्यकता है। चूंकि भदुरै, नागूर और वेलाकन्नी सभी धार्मिक स्थल हैं, पूरे वर्ष ज्यादा लोग इन स्थानों का दौरा करते हैं। चूंकि इस रूट पर पहले भी रेलगाड़ियां थी, अतः इस रेलगाड़ी की भी अत्यन्त आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस रेलगाड़ी को शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

महोदय, इन दिनों हम योगा को अधिक प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि योगाभ्यास कराने वालों को रेलों में रियायती दरों पर यात्रा की अनुमति दी जाए ताकि वह योगा के क्षेत्र में और ज्यादा अच्छे कार्य कर सकें।

अभी हाल ही में प्रैस में यह खबर छपी थी कि भदुरै में शीघ्र ही कन्टेनर टर्मिनल स्टेशन खोला जाने वाला है। भदुरै में किसी भी पत्तन की सुविधा नहीं है और इसलिए, भदुरै जिले के विकास के लिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि भदुरै में कन्टेनर टर्मिनल स्टेशन के निर्माण के लिए निधि आबंटित की जाए।

मदुरै में चार स्थानों पर रेलवे ऊपरी पुल बनाए जाने की अत्यधिक आवश्यकता है। यह ऊपरी पुल मदुरा कोट्स, पेरियार बस स्टैण्ड, थाथानेरी और कुडल नगर रेलवे स्टेशन के समीप बनाए जाने हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन चारों स्थानों पर रेलवे लाइन के समीप ऊपरी पुल बनाने के लिए कदम उठाये ताकि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों तथा तमिलनाडु के दक्षिण भागों के लोगों के लिए भी सहायक हों।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन बातों पर विचार किया जाए।

श्री पी. कोदण्ड रमैया (चित्रदुर्ग) : सभापति महोदय, मुझे रेलवे के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर बोलने के लिए मौका देने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अनुदानों की मांगों का मैंने अध्ययन किया और मैने यह पाया है कि 39 कार्य इसमें शामिल किये गये हैं और चालू वर्ष के दौरान रेल मंत्री का, अन्य खातों की खर्च नहीं की गई राशि के पुनर्विनियोग में से खर्च करने का प्रस्ताव है। यह अच्छा संकेत है कि हमसे अधिक राशि की मांग की मंजूरी नहीं मांगी गई है।

इन 39 कार्यों में से, 8 नये कार्य इन अनुपूरक मांगों में प्रस्तावित हैं, किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि वह कार्य जिसके लिए मैं दो वर्ष से माननीय मंत्री पर दवाब दे रहा था, एक बार फिर शामिल नहीं हुआ है। कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं कि रेल लाइन की मंजूरी के मामले में मंत्री महोदय कर्नाटक और बिहार का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि यह वक्तव्य कहां तक सत्य है। जिस कार्य के लिए मैं जोर दे रहा हूं उसे इन कार्यों में शामिल नहीं किया गया है, जबकि मैं कर्नाटक से हूं। मैं कारण नहीं जानता, लेकिन पिछले बजट में रेलमंत्री की अत्यधिक प्रशंसा याद दिलाता हूं जब मैंने उनको तुलना मोनो लीजा से की थी जिसके चित्र में उन सभी के लिए जो उसे देखता था हँसी थी और मुझे विश्वास है कि श्री रामविलास पासवान किसी भी संसद सदस्य पर हँस सकते हैं जो उनसे अनुरोध करते हैं, लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं हुआ। मैंने यह पाया कि यहां पर कुछ है जो उन्हें पिछले दो वर्षों से रेलवे लाइन को मंजूरी देन से रोक रहा है और मैं एक बार फिर उनसे आग्रह करता हूं कि उस लाइन को जिसके बारे में मैं कुछ देर बात करना चाहूंगा को मंजूरी दे।

मैं कर्नाटक के चित्रदुर्ग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और हमारे इस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों की संख्या अधिक है। मैंने विशेषकर यह निर्वाचन क्षेत्र चुना है और मुझे खुशी है कि लोगों ने मुझे उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है। यह निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर और हुबली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग और मुम्बई को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर है।

बंगलौर से टुमकुर तक के मार्ग के साथ-साथ एक रेलवे लाइन है और टुमकुर से यह अलग हो जाती है तथा घुमावदार मार्ग (सर्किट रूट) से होती हुई राष्ट्रीय राजमार्ग पर दावनगेरे नामक स्थान पर पुनः मिलती है। इस घुमावदार मार्ग से तय की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ लाइन बिछाने से तय की जाने वाली दूरी से कम से कम सौ किलोमीटर अधिक है। मैं यह बात माननीय मंत्री के ध्यान में लाया हूं कि यदि सीधी लाइन से टुमकुर को दावणगेरे के साथ जोड़ने का नया कार्य शुरू कर दिया जाए तो मुम्बई और बंगलौर के बीच की दूरी सौ किलोमीटर तक कम हो जायेगी। टुमकुर और दावणगेरे के बीच नई लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण दो अथवा तीन साल पहले कर लिया गया है और भूतपूर्व रेल मंत्री, श्री जाफर शरीफ ने यह घोषणा की थी कि वह इस लाइन के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं और इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है लेकिन दुर्भाग्य से इस तथ्य के बावजूद इस लाइन का कार्य शुरू नहीं किया गया है कि मैं पिछले दो वर्षों से इस लाइन के बारे में निवेदन कर रहा हूं। मुझे याद हे कि मैंने रेल मंत्री को इस लाइन जो कि वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, के बारे में कम से कम 6 से 8 पत्र लिखे हैं। पहली बात यह है कि इससे दूरी कम होगी। दूसरी बात यह है कि इससे पिछड़े क्षेत्र के भीतरी प्रदेश का विकास होगा तीसरी बात यह है कि इस क्षेत्र, जहां राज्य के सबसे अधिक पिछड़े लोग रहते हैं, के आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री को पुनः आग्रह करना चाहूंगा कि इस परियोजना को कम से कम अब तो शामिल कर लिया जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि उन्होंने कई नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है जिनके लिए कर्नाटक में सर्वेक्षण कर लिया गया है। हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसको प्राथमिकता प्रदान करें जो कि पुराना कार्य है और जिसका सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा जो मेरे पुरजोर अनुरोध के बावजूद भी शुरू नहीं किया गया है।

चित्रदुर्ग की एक अन्य परियोजना रेलवे वैगन वर्कशाप है। यह एक मरम्मत वर्कशाप है जिसके लिए उनके उत्तराधिकारी ने वायदा किया था और जिसके लिए 30 एकड़ भूमि भी अधिगृहीत कर ली गई है और इस परियोजना से इस क्षेत्र के पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा। उस क्षेत्र में हमारे पास कोई सिंचाई सुविधा नहीं है और हम बहुत ही निम्नस्तर का जीवन जीते हैं। यदि माननीय रेल मंत्री इस परियोजना, जिसके लिए कुछ समय पहले रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी, को शुरू कर दें तो इस निर्वाचन क्षेत्र पर उनकी बड़ी कृपा होगी। इसे इन अर्थों में स्वीकृति प्रदान की गई है कि

इसका सर्वेक्षण कर लिया गया है और इसे महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में स्वीकार किया गया है और फिर भी इसे शुरू नहीं किया गया है। चित्रदुर्गा कस्बे के पास एक रेलवे बैगन मरम्मत कार्यशाला शुरू किये जाने की आवश्यकता है और इसके लिए सहमति भी हो गई थी। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा में मेरे सहयोगी श्री एच. हनुमन्नतप्पा ने भी यह मामला माननीय रेल मंत्री को प्रस्तुत किया था और इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन परियोजनाओं को शुरू करें और उस क्षेत्र की सहायता करें जो अत्यधिक पिछड़ा है।

मैं अन्य पहलुओं के बारे में नहीं बोलना चाहता क्योंकि यह विशेष वात चित्रदुर्गा के लोगों के लिए जीवन मरण की समस्या जैसी है। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री को अनुरोध करता हूं कि इन दोनों परियोजनाओं को कम से कम इस चालू वर्ष में अवश्य शामिल किया जाए। चूंकि वे मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेगें इसलिए मैं यह मांग कर रहा हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे एक टोकन बजट प्रावधान करें और कार्य शुरू करें क्योंकि यह पहले ही काफी समय से लम्वित है।

अन्त में मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने हेतु यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय : अब श्री सत्यपाल जैन बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, इनसे पहले मेरा नम्बर है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नहीं, पहले श्री सत्यपाल जैन का नम्बर है। कृपया इस तरह बहस न करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री कठेरिया, इससे क्या अंतर पड़ता है। एक तैयार की हुई सूची है और यह मेरे सामने है। कृपया अपने आपको व्यवस्थित करें।

रात्रि 9.31 बजे

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदय, मैं थोड़ा समय लेकर अपनी बात कहना चाहता हूं। सप्लीमैंट्री डिमांड्स से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के संबंध में मंत्री जी ने जिसका प्रोवीजन किया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूं साथ ही में 2-3 छोटी-छोटी बातें उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। आपने चंडीगढ़ में हमारे लिए जो व्यवस्था की है और जो उसके सुधार के लिए कहा है, उसके लिए मैंने आपको धन्यवाद दिया है। दूसरा मैंने आपसे बसुआ के रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन रोकने की गुजारिश की थी, वह भी आपने स्वीकार की है। उसके लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं। अम्बाला-चंडीगढ़ रेलवे लाइन के इलैक्ट्रिफिकेशन की डिमांड चल रही है। मेरा निवेदन है कि जहां दिल्ली से लुधियाना तक इलैक्ट्रिफिकेशन हो गया है, अम्बाला और चंडीगढ़ का 50 किलोमीटर का ट्रैक है। उसके इलैक्ट्रिफिकेशन की भी मांग स्वीकार करने की कृपा करें।

एक नया सर्कुलर आया है, उसके अनुसार जहां रेलवे स्टेशन पर माल बुक होता है, रेलवे स्टेशन से जहां-जहां ट्रेन जाती है, आप वही का माल बुक करते हैं बाकी का माल बुक नहीं करते। हमें चंडीगढ़ में इसके लिए बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि चंडीगढ़ से 2-3 ट्रेन है जो बड़े-बड़े शहरों को कनैक्ट करती हैं, बाकी जगह नही है। मेरा निवेदन है कि उन स्टेशनों पर जहां ट्रेन कम है, आप इस सर्कुलर को विदड्रा करें और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से जहां-जहां भी माल बुक होना है, वहां से बुक किया जाए और वहां के लोगों को बाहर जाने के लिए मजबूर न किया जाए।

जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के विकास की बात है, आपने उसके लिए धन की व्यवस्था की है। मेरा इतना ही अग्रह है कि इस मामले को जल्दी शुरू करवाएं ताकि साल के अंत तक वहां जो नए प्लेटफार्म बनने हैं, वे बन सकें और टर्मिनल फैसीलिटीज मिल सके।

लुधियाना रेलवे लाइन के संबंध में आपने जिक्र किया था। मैं समझता हूं कि आपने उसे स्वीकार करके बहुत अच्छा कदम उठाया है। रेलवे लाइन का जो शार्टेस्ट पौसीबल रूट है, वह चंडीगढ़ से मोहाली-खैर-मोरिडा होकर जाता है। उसके जाने से 10-15 किलोमीटर का एरिया कम पड़ता है। यदि आप उसे वाया राजपुरा निकालना चाहेंगे तको समय भी ज्यादा लगेगा और डिस्टैंस भी ज्यादा होगा। इसलिए जो 1971 के आसपास से बात चली आ रही है कि चंडीगढ़ से मोहाली-खैर-मोरिंडा होते हुए निकाला जाए, इस रेलवे लाइन पर जल्दी काम शुरू करवाया जाए ताकि कम समय में लुधियाना, अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़ में पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ सकें।

श्री राम विलास पासवान : आप चंडीगढ़-मोहाली-मोरिंडा की लाइन चाहते हैं।

श्री सत्य पाल जैन : आगे तो एक ही लाइन है, आगे कोई डिसप्यूट नहीं है। उस पर जितनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा, उतना अच्छा होगा।

आपने आनंदपुर साहब के बारे में लिखा है। मैंने पिछली बार भी आपसे मांग की थी। खालसा पंत के 300 साल पूरे हो रहे हैं। गुरू गोविंदसिंह का जन्म पटना में हुआ और उन्होंने खालसा पंत की स्थापना आनंदपुर साहब में की थी। मेरा निवेदन है कि इसमें आप एक स्पेशल ट्रेन चलाएं जो पटना और आनंदपुर साहब के बीच में चले और एक महान् पुरुष का संदेश लेकर दोनों स्टेशनों पर जाए। आपने उसके बारे में विचार करने की बात कही थी। मेरा निवेदन है कि यदि आप इसके बारे में जल्दी निर्णय कर सकें और उसकी घोषणा करें तो यह बहुत अच्छा कदम होगा।

श्री राम विलास पासवान : वह आश्वासन हमने पहले ही दिया है। हम पटना साहब को डैवलप कर रहे हैं क्योंकि अभी तक वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। उसका डैवलपमेंट कर रहे हैं और ज्यों ही वह हो जाएगा, हमने कहा था कि पटना साहब से अमृतसर चलाने में हमें यह भी फायदा हो जाएगा कि जो मगध के ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, वह कम होगा।

श्री राम विलास पासवान : मगध एक्सप्रैस का ज्यादा लोड़ पड़ता है, उसके एक घंटे पहले या बाद में चला दे, जैसा वैशाली के सम्बन्ध में कहा गया तो उसका लोड़ भी कम हो जायेगा और एक अच्छा पुण्य का काम भी हो जायेगा।

श्री सत्यपाल जैन : दूसरा मेरा यह है कि अमृतसर तो पहले से ही, आलरेडी बहुत सारी ट्रेन हैं, इस क्षेत्र में जो चंडीगढ़ वाया कानपुर होकर गाड़ी जाती है, यहां पहले से ज्यादा गाड़ियां नहीं हैं और इन दोनों स्थानों का महत्व है और अमृतसर का अपना महत्व है मैं उसको कम नहीं करता। आनंदपुर साहिब जहां पर एक्चुअली खालसा पंथ की स्थापना 300 वर्ष पहले हुई है। अगर वहां पर हम रेल्वे को जोड़ते हैं तो उसका अपना एक अलग से महत्व है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में विचार करें।

चंडीगढ़ से बड़े शहरो को जोड़ने की हमारी मांग हम बहुत देर से करते आ रहे हैं। हमारे यहां आपके बिहार से लाख, डेढ़ लाख मजदूर हैं, जो बिहार से आये हैं, तमिलनाडु से हैं, केरल से हैं, उन लोगों की यह इच्छा होती है कि हमारे यहां से सीधी रेल जाए ताकि हम बड़े-बड़े शहरों में सीधे जा सके और वहां अपनास काम कर सके। हमारे यहां से हिमालयन क्वीन चंडीगढ़ दिल्ली के बीच में शाम को आ रही है, मेरा आपसे निवेदन है कि इस ट्रेन की या तो आप स्पीड ज्यादा करें और अन्तर कम करें। अभी यह ट्रेन चंडीगढ़ दिल्ली में लगभग पांच घंटे लेती है। मेरा आपसे निवेदन है कि या तो सुपरफास्ट ट्रेन चलायें, जो सैकिण्ड क्लास के पैसेंजर्स को लेकर आधे या इसका समय कम करें ताकि यह तीन, साढ़े तीन घंटे में दिल्ली चंडीगढ़ का सफर तय कर सके।

राम विलास जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरहिन्द एक ऐसा स्थान है जहां मुसलमान, हिन्दू और सिखों, तीनों का तीर्थस्थान है। सरहिन्द के पास मुसलमानों का रोजा शरीफ है, जैनियों का मंदिर है और सिखों का मंदिर है। वहां पर रेल्वे का इतना रश होता है कि कई बार घंटे-घंटे फाटक बन्द रहता है। वहां ओवरब्रिज का प्रपोजल बहुत देर से चल रहा है। ओवरब्रिज बनने से लोगों को आसानी होगी। मेरा आपसे निवेदन है कि एक तो ओवरब्रिज पर आप विचार करें।

श्री राम विलास पासवान : हम तो कर देंगे, लेकिन राज्य सरकार से भी तो कराओ।

श्री सत्यपाल जैन : राज्य सरकार से हम करवायेंगे, लेकिन आप एनाउंसमेंट करें। मैं स्वयं मंत्री से बात करके करवाऊंगा।

श्री राम विलास पासवान : उसके दोनों तरफ रोड है न?

श्री सत्य पाल जैन : दोनों तरफ रोड है।

श्री राम विलास पासवान : आप राज्य सरकार से प्रपोजल भिजवा दीजिए। जो उनका पैसा है, वे दे देंगे। जो मेरा पैसा है, मैं आपको एश्योरेस देता हू, हम करा देंगे।

श्री सत्य पाल जैन : बहुत-बहुत धन्यवाद। उसको आप करा दीजिए। एक वहां पर रेल्वे का स्टापेज हो जाये, अभी किसी भी मुख्य ट्रेन का वहां स्टापेज नहीं है। जो तीर्थयात्री जाते हैं, अगर वहां रुके तो मुसलमान, हिन्दू, सिख तीनों के बारे में वे रुक सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं।

सीनियर सिटीजंस के बारे में आपने काफी एनाउंसमेंट्स की है। उसके बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि ज्यादा फैसिलिटीज आप उनको देते हैं, कन्सेशंस ज्यादा देते हैं, उसके लिए उन लोगों की बहुत देर से डिमांड है। मैं आशा करता हूं कि आप इसकी ओर ध्यान देंगे।

अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करने लगा हूं। रेलवे के अंदर जो लूटपाट और एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, कोई व्यक्ति किसी के लिए दोषी नहीं होता यह नहीं कहता कि इसके लिए आप दोषी हैं, लेकिन ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके कारण लोगों में असंतोष फैलता जा रहा है। आज कोई भी आदमी, अगर उसको ट्रेन में जाना है और वह ट्रेन बिहार से होकर गुजरने वाली है, मैं बिहार पर कोई एस्परशन कास्ट नहीं कर रहा, यू.पी. पर मैं कोई एस्परशन कास्ट नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के मन में एक भय और आतंक फैलता जा रहा है। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप इसके सम्बन्ध में जो भी कार्रवाई करनी हो, करें ताकि यात्रियों की सुरक्षा हो, यात्री सुरक्षित जा सकें, आ सकें, इसकी व्यवस्था करें तो मैं समझता हू कि बहुत सारा इसका समाधान हो सकता है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सबसे पहले मैं अपने रेल मंत्री को धन्यवाद ही नहीं देता हूं, मैं दीर्घायु होने की कामना भी करता हूं, क्योंकिम जब से ये रेल मंत्री बने, इतना जरूर है कि इन्होंने पूरे भारत को एक नजरिया करके देखा है, इम्पार्शियल होकर के देखा है, कोई क्षेत्रीयवाद का ये शिकार नहीं हुए है। इसलिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। मंत्री का यह पहला कर्त्तव्य है कि उसके लिए देश एक है, उसके लिए कोई क्षेत्र नहीं है।

दूसरी बात यह कहनी है कि जो कुछ इन्होंने काम किया है, बहुत दिन से उस काम के लिए लोग लालायित थे, जो हाजीपुर में इन्होंने रेल का एक जोन खोला है, वह इन्होंने सबसे उत्तम काम किया है, जो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा काम है।

मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे यहां एक लाइन बहुत पुरानी लाइन है, पटना गया लाइन, जिसकी इन्होंने स्वीकृति दी है। उसमें दोहरीकरण का काम भी सात किलोमीटर तक करने का आदेश दिया है। मैं इनसे यह कहूंगा कि 1997-98 के लिए अनुपूरक बजट में उसके लिए धन मुहैया जरूर करवायें। जो वर्षा से चरगना तक भी काम शुरू हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि सीधा-सादा जानकर आपको ठग लिये हैं, तो कम से कम सीधे-सादे को ठगना नहीं चाहिए, इनको धन दे देना चाहिए, मुहैया कर देना चाहिए, जिससे कि लोग हमको यह कहें कि हां, यह मंत्री जी आपको ठग नहीं सके हैं।

दूसरी बात यह है कि एक बहुत पुरानी रेल लाइन जिसके लिए मैं बार-बार अनुरोध करता रहा हूं, वह है फतुआ से ईस्लामपुर छोटी लाइन, मार्टिन कम्पनी की यह थी, जिसका सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया। उसे चालू नहीं किया, बंद कर दिया। वह लाइन साधारण लोगों के लिए थी, किसान लोगों की सारी चीजें उसीसे आती जाती थी। उसके बंद होने से रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा उनको चार गुना, पांच गुना अधिक खर्च करना पड़ता है। इसलिए फतुआ-ईस्लामपुर को सीधे बोद्धगया से मिला दें तो एक बड़ा काम हो जाएगा और वह पिछड़ा इलाका विकास की ओर अग्रसर होगा। मैंने इस सम्बन्ध में पूर्व के मंत्रियों को भी कहा, आपसे भी कहता हूं कि इसको स्वीकृत करें। अपना जवाब देते हुए आप मेरे इन दो सवालों का भी उत्तर दें, इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० उपेन्द्र (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं नई मांग नहीं उठाना चाहता क्योंकि माननीय रेल मंत्री

अत्यधिक परेशान हैं। मैं जानता हूं कि उन्हें किस प्रकार पेरशान किया जा रहा है। वह धीरे-धीरे अपनी चमक और मुस्कराहट खो रहे हैं। इसीलिए मैं नई मांग नहीं उठाना चाहता। लेकिन मैं उनके द्वारा किये गये कतिपय कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनके द्वारा किये गये कतिपय वायदों को याद दिलाना चाहता हूं जिन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है।

सर्वप्रथम, मैं रेलवे की अनुदानों की अनुपूरक मांगों की मद संख्या 27 का उल्लेख करूंगा जिसमें उन्होंने शहर के अन्दर से रेलवे लाइन हटाना सुविधाजनक बनाने हेतु विजयवाड़ा यार्ड के लिए रिमाडलिंग की स्वीकृति प्रदान की है। इसका बीस साल पुराना इतिहास है। कई प्रधानमंत्रियों और कई रेल मंत्रियों को अनुरोध किया गया लेकिन वे इस कार्य को नहीं कर सके। यद्यपि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तकनीकी और औपचारिक रूप से दो वर्ष पहले इसके लिए स्वीकृति प्रदान की थी फिर भी धनराशि आबंटित करने का श्रेय श्री पासवान को जाता है। मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं।

लेकिन प्रश्न यह है कि उन्होंने अनुपूरक मांगों हेतु केवल दस लाख रुपए आबंटित किए हैं। नगरपालिका निगम अन्य 50 लाख रुपए देने के लिए पहले ही तैयार है। इसीलिए उन्हें इस कार्य में तेजी लानी चाहिए और एक साल के अन्दर इसे पूरा कर देना चाहिए। इस परियोजना की कुल लागत 4.4 करोड़ रुपए है लेकिन उन्होंने केवल 10 लाख रुपए आबंटित किए है। इसलिए इस धनराशि को बढ़ाया जाए।

दूसरा प्रश्न जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि नियमित बजट में विजयवाड़ा स्टेशन पर चलसोपान (एसकेलेटर) प्रदान करने हेतु 1.7 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसकी सीढ़ी इतनी खड़ी है कि वे तिरुपति पहाड़ी जैसी है। लोगों को ऊपर-नीचे जाने में काफी कठिनाई हो रही है लेकिन नियमित बजट में आबंटन के बावजूद कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि अभी भी अनुमान तैयारी किए जा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे ऐसा क्यों कहते हैं जब धनराशि उपलब्ध है तो मैं नहीं जानता कि इसमें इतना अधिक समय क्यों लग रहा है।

महोदय, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वे केवल ऊपर चढ़ने के लिए स्वचालित सीढ़ियां लगा रहे हैं न कि नीचे उतरने के लिए। जो लोग ऊपर चढ़ेंगे वे नीचे भी आएंगे। इसलिए, मैं समझता हूं कि इन्हें ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने, दोनों के लिए सीढ़ियां लगानी चाहिए।

विजयवाड़ा-विशाखापत्तनम मार्ग का विद्युतीकरण पहले ही पूरा किया जा चुका है लेकिन विद्युत चालित रेलगाड़ियां आरम्भ नहीं की जा रही हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अथवा रेल मंत्री इसका औपचारिक उद्घाटन करने के लिए आएं जिससे विलम्ब हो रहा है। अतः उन्हें शीघ्र कार्यक्रम आयोजित करने का प्रबन्ध करना चाहिए और उस महत्वपूर्ण भाग में विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलानी चाहिए।

महोदय, रेलवे ने सितम्बर माह में विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली मार्ग पर एम-ईएमयू रेलगाड़ियां चलाई थीं। महोदय, उन्होंने पुरानी रेलगाड़ियों को केवल बदला है और विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाई हैं। यात्रियों के लिए वास्तविक लाभ यह है कि शौचालयों को हटा दिया गया है। वे बैठ नहीं सकते। उन्हें ऐसे ही खड़े होकर जाना पड़ता है। वास्तव में, हम सर्कुलर और लोकल रेलगाड़ियों को अधिक संख्या में चलाना चाहते थे लेकिन इसे नहीं किया गया। इसलिए, इसका कोई लाभ नहीं हुआ। एक और रेंक से अधिक बहुलता और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जाएंगी। मैं माननीय मंत्री से इसे स्वीकृत किये जाने का अनुरोध करूंगा।

इसी प्रकार, डी-ईएमयू रेलगाड़ियां विजयवाड़ा से कई स्टेशनों के लिए समय पर नहीं चल रही हैं। नियमित रेलगाड़ियों को बदल दिया गया है। वास्तव में, जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इन रेलगाड़ियों को समय पर चलाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों से वायदा किया था कि उनकी विशाखापत्तनम मे मुम्बई और विशाखापत्तनम से बंगलौर की सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की मांगों पर विचार किया जाएगा। असल में उनकी तीन मांगें थीं। उन्होंने केवल एक मांग पूरी की है और वह दिल्ली के लिए सुपरफास्ट रेलगाड़ी की है। लेकिन अन्य दो मांगें लम्बित हैं।

अब नन्दयाल-गुन्टकल लाइन पूरी की जा चुकी है। इसीलिए, वे छोटे रास्ते पर रेलगाड़ियों को चला सकते हैं। उन्हें उसे भी शीघ्र पूरा करना चाहिए। इसी प्रकार, विजयवाड़ा और हैदराबाद के बीच रात में चलने वाली तीव्र यात्री रेलगाड़ी की मांग है जिस पर मंत्री जी विचार किये जाने के लिए सहमत हो गए थे और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। विजयवाड़ा स्टेशन की हालत खराब है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण जंक्शन स्टेशन हैं और शहर में दस लाख लोग भी रहते हैं। प्लेटफार्म छतरियां चू रही हैं। रेल प्राधिकारियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि कुछ पुनर्निर्माण किया जाना है। उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। स्टेशन पर अधिक खान-पान के स्टाल लगाए जाने की मांग हैं क्योंकि वहां प्लेटफार्मों की संख्या अधिक है। अब वे कह रहे हैं कि रेलवे बोर्ड ने इस पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। वह फलों के रस और अन्य के लिए नए स्टाल नहीं दे सकते।

श्री राम विलास पासवान : यह किसने कहा था ? मैंने तो केवल यह कहा था कि किसी प्राधिकरण के पास स्टाल की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है, पहले इसका विज्ञापन करना होगा ताकि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के लोगों को इसे दे सकें।

[हिन्दी]

इसलिए यह नहीं है कि हमने कोई रोक नहीं लगाई कि नहीं करो। लेकिन हमने कहा कि जितनी जरूरत हो, आप एडवर्टाइजमेंट करो और उसके माध्यम से दिया जाए जिससे कि किसी को बीच में इधर-उधर करने का मौका नहीं मिले। रेलवे स्टेशन पर काफी बड़ी संख्या में निकला भी है।

[अनुवाद]

श्री पी. उपेन्द्र : लेकिन मंडल प्रबन्धक का कहना है कि रेलवे बोर्ड का प्रतिबन्ध है। उन्होंने नए स्टाल प्रदान करने को न्यायोचित ठहराया है और उसे रेलवे जोन को भेजा है लेकिन वे स्टाल लगाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

एक अन्य गंभीर बात जो मैंने मंत्री जी को लिखी है वह यह है कि स्टेशन पर वस्तुएं बेचने वाले होते हैं और कुछ इनके सहायक होते हैं, प्रत्येक विक्रेता के 5 सहायक होते हैं। अचानक ही इन सहायकों को हटाया गया है। वे कह रहे हैं कि दो से अधिक सहायक नहीं रखे जाएंगे। उन्हें जाना पड़ेगा और रेलगाड़ियों में कार्य करना पड़ेगा। एक ही बार में 240 लोगों को हटाया गया है। मैंने मंत्री जी से भी इसका निवेदन किया है। अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया है। अभी भी वे बेरोजगार हैं। उन्हें उनके अनुरोध पर विचार करना चाहिए।

[श्री पी. उपेन्द्र]

यहां कोंडापल्ली नामक औद्योगिक नगर है। यह अत्यधिक प्रसिद्ध स्टेशन है। वहां कोई रेलगाड़ी नहीं रुकती है। दस माह पूर्व मैं मंडल अधिकारियों के साथ गया था उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि कम से कम एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी यहां आते और जाते हुए रुकेगी। लेकिन अभी तक इन दस महीनों में कुछ भी नहीं किया गया। मैं सभी बातें अभिलिखित करवा रहा हूं। मैं मंत्री जी को पत्र लिख सकता हूं और उनसे मिल भी सकता हूं लेकिन मैं इसे अभिलिखित भी करवाना चाहता हूं ताकि लोगों को पता चले कि हम इन मुद्दों को यहां उठाते हैं। मैं इसकी प्रति प्रेस को भेजूंगा। उन्हें अब तो उसे पूरा करना चाहिए।

विजयवाड़ा में रेलवे विद्युतीकरण कार्यालय है और क्योंकि विजयवाड़ा विशाखापत्तनम रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य अब पूरा हो चुका है, वे चाहते हैं कि इसे विशाखापत्तनम स्थानांतरित कर दिया जाए। मंत्री जी ने गुंटूर ओर बीवीनगर के बीच के रेल मार्ग के विद्युतीकरण के लिए एक नए सर्वेक्षण के लिए पुनः स्वीकृति दी है। इसलिए, उस कार्यालय को वहीं पर बनाए रखना चाहिए। वहां वितरागूंटा स्टेशन है जो एक बड़ा स्टेशन है। वहां पर एक बड़ा लोको शेड है। भाप संकर्षण को हटा लेने के पश्चात्, वह शेड खाली पड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी वहां काफी बुनियादी ढांचा पड़ा है। वह वहां पर एक छोटी कार्यशाला खोल सकते हैं ताकि उस बुनियादी ढांचे का प्रयोग करके कुछ कार्य किये जा सकें।

मेरी अन्तिम बात यह है कि उन्होंने नए जोनों का निर्माण करने का साहसिक कार्य किया है। अब उन्हें इसे पूरा भी करना चाहिए। उन्होंने वाल्टेयर मण्डल को दक्षिण मध्य रेलवे में जोड़े जाने और दक्षिण मध्य रेलवे से गुंटकल मण्डल को न हटाए जाने के बारे में मुख्यमंत्री जी और संयुक्त मोर्चा के संयोजन के साथ चर्चा की थी। मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार इसको हल करेंगे। यह एक अत्यन्त भावनात्मक मामला है और उन्हें इन दो मांगों पर भी विशेष रूप से विचार करना चाहिए ताकि दक्षिण मध्य रेलवे शक्तिशाली बन सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेलिया (फिरोजाबाद) : सभापति जी, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं उस विषय पर तो नहीं जाना चाहता, कहना तो कुछ और चाह रहा था। लेकिन चेयर का ओदश सर्वोपरि है। सप्लीमेंटरी ग्रांट्स पर 1997-98 के इस बजट पर मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं। इस देश के अंदर रेलवे मंत्रालय में आपकी जो छवि है, प्रतिपक्ष में रहते हुए भी मैं यह कहूंगा कि आपने ऐसे गरीबों को जिनकी बात वर्षों से सुनने वाला कोई नहीं था, आपने उनकी बात सुनी है और उनको न्याय दिया है। रेल मंत्रालय में जिस दिन से आए हैं, आपने चौमुखी विकास किया है। लेकिन हम जैसे कुछ दुर्भाग्य पूर्ण मेम्बर भी हैं और विडम्बना इस बात की है कि आपका सम्मान करते हुए भी मुझे विरोध करना पड़ रहा है कि 1989 से जब आपकी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी और माननीय वी.पी.सिंह जी प्रधान मंत्री थे, उस वक्त रेल मंत्री अजय सिंह थे। उस वक्त आगरा से फतेहाबाद वाया जैतपुर-बाह-उदीमो-इटावा जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का सर्वे कराया गया था। उस रेलवे लाइन के लिये मैं 1989 से लेकर आजतक आपके मंत्रालय के चक्कर लगाता रहा हूं। पहले जाफर शरीफ जी मंत्री थे और जिस दिन से आप आए हैं, आपके मंत्रालय के चक्कर लगाते-लगाते दो जोड़ी जूते-चप्पल फट गए। मेरे मित्र मुझे इस बात की तकलीफ है कि आप चेहरा देखकर तामाचा मारते हैं। चेहरा कितना सुंदर है, उसी तरीके से चांटा मारेंगे। अगर मेरे जैसा चेहरा होगा, तो जबरदस्त चांटा मारेंगे। यह क्या तरीका है आपका, मैं समझ नहीं पाया। आपका इतना धनी व्यक्तित्व है, लेकिन भाई-भतीजावाद दिखता है, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो मेनपुरी की लाइन आपने दी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मेरी वही विडम्बना है, जो मामला 1989 से चल रहा है और मैने पूर्व में भी आपका ध्यान आकर्षित किया था। इस सदन में पिछली दफा पौने छः बजे सुबह बोलने का मौका मिला और मै शाम सात बजे से इंतजार करता रहा। आपने इस बात का एश्योरेंस दिया था और कहा भी था, कठेरिया जी आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीद थी कि इस सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स में इसको जोड़ दिया जाएगा। मुझे तकलीफ इस बात की है कि नहीं जोड़ा गया। एक सप्ताह पहले मैं जब आपके मंत्रालय में गया था और चार घंटे बीस मिनट भूख-हड़ताल पर बैठा था। धरने पर बैठने के बाद मेरे मित्र कल्पनाथ राय जी ने आकर मुझे उठाया था। आपके संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। मेरे मित्र इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा। मैं अपमान की बात सदन में नहीं करना चाहता हूं। मेरे सिर पर दो बार हाथ रखा गया और कहा गया कि सप्लीमैंट्री डिमान्ड्स में आपका नाम जरूर आएगा, लेकिन बड़ी तकलीफ है कि नहीं आया। हम लोगों को क्या सताओगे, हम तो सदियों से सताए हुए हैं। मेरे मित्र, और एमपीज से सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। नेताओं का ध्यान रखिए। छोटे-छोटे जो गरीब लोग चुनकर आए हैं, वे भी जनता का आशीर्वाद और प्यार लेकर आए हैं। प्रभुदयाल कठेरिया विचित्र रूप से अकपने घर तक रेल लाइन बनाना चाहता है, तो मत बनाइए, लेकिन जनता के लिए तो सोचिए। वह क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पूरा चम्बल और जमुना के बीच ब्रिटिश समय में रेल लाइन थी। उसका सर्वे कराया गया। दो बार भारत सरकार ने सर्वे कराया है, लाखों रुपया बरबाद कर दिए, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकला। हम छोटे सदस्य हैं। ऐसी बात नहीं है, हम तो जनता के लिए कह रहे हैं। आप पब्लिक सर्वेंट हैं। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हम से कहते हैं कि हम काफी समय तक रहे हैं, लेकिन मेरे मित्र बड़ी कुण्डा है और आप इस कुण्डा को पहचान रहे हैं। एमपी के सिर पर दो बार हाथ रखने के बाद कितनी बड़ी तकलीफ हुई है कि फिर भी नहीं दिया गया।

श्री राम विलास पासवान : आप दस मिनट तक बोले हैं, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं लिए हैं।···*(व्यवधान)* दस मिनट तक आप उस रेल लाइन, इस रेल लाइन, लेकिन कौन रेल लाइन ?···*(व्यवधान)*

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : डिबेट में मेरा नाम आ गया। आगरा से फतिहाबाद वाया गोरखपुर होते हुए, उदोमोड़ वाया इटावा, आपको तो वर्षों से इस बात का पता है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लाइन जाती है। इसका आपको पता है। डिबेट में आ चुका है। मैं भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही परेशान हूं। लेकिन दो तीन बातो की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

शिकोहाबाद में ओवर ब्रिज की मांग लोक सभा में बीसियों बार कर चुका हूं। शिकोहाबाद-फिरोजाबाद में इतना बड़ा पाप हमने झेला है, आपको ध्यान होगा। लाशों को सिर पर रख कर हमने ढोया है। वह सब कुछ मैंने देखा है। इतना विभीषण कांड हिन्दुस्तान के अन्दर, ऐसी रेल दुर्घटना कहीं पर भी नहीं हुई होगी, जो फिरोजाबाद में हमने देखी। आपके मंत्रालय ने अभी तक यह भी नही कहा कि हम फिरोजाबाद को दे रहे हैं। रेलवे ओवर ब्रिज की मांग हम पहले से करते आ रहे हैं। मेरा दूसरा आग्रह है···*(व्यवधान)* आगरा से दिल्ली-बम्बई हाइवे रोड है। जिस पर घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। उस पर रेलवे ब्रिज की मांग करते हैं। फिरोजाबाद दुनिया में ऐतिहासिक

नगरी है। सारे हिन्दुस्तान में ही नही, विदेशों में चूड़ियों और ग्लासेस का बहुत बड़ा व्यापार होता है। सारे हिन्दुस्तान के व्यापारी वहां आते हैं। लेकिन रेलवे स्टेशन की हालत बद-से-बदतर हो रही है। तीन बार आपने आश्वासन दिया कि रेलवे स्टेशन के सौन्दर्य के लिए पैसा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया गया। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को कम्प्यूटराइज कर दिया जाएगा, यह भी अभी तक नही हुआ। फिरोजाबाद में पूर्वांचल से ही नही समूचे देश से व्यापारी आते हैं। उड़ीसा से हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। निलांचल एक्सप्रैस का स्टापेज दे दीजिए। पर्यटकों की दृष्टि से आगरा सैन्ट्रल प्लेस है, यहां प्रतिवर्ष सारे विश्व से पर्यटक आते हैं। आगरा से जो भी गाड़ी निकलती है उसका ठहराव आगरा में कराया जाए। टूंडला स्टेशन पर भी अधिक से अधिक गाड़ियों का ठहराव कराया जाए। एक बांदीकुई रेल लाइन है वहां आमान परिवर्तन की बात है उसे शीघ्रातिशीघ्र कराया जाए, इसके लिए जोशी जी ने भी कहा है। उसको आपने प्राईवेट संस्था को दे दिया है इसलिए हमारा कहना है कि उसको न देकर रेलवे विभाग खुद इस काम को कराए। डी.आर.एम. कार्यालय आगरा में रहना बहुत जरूरी है, इसलिए उस कार्यालय की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कराई जाए।

महोदय अंत में मेरी प्रार्थना यह है कि इतनी बड़ी दुखभरी बात सुनकर कम से कम परमात्मा भी पिघल जाता, अगर आप न पिघले तो मैं आपको पत्थर की संज्ञा दूंगा। मेरी जो पीड़ा है उसे मैंने आपके सामने रखा है। यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप इतना तो ध्यान रखिए कि एक मेम्बर 1991 से चक्कर लगा रहा है। आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।... *(व्यवधान)*

महोदय, इतनी विडम्बना है आप कुछ तो मुंह से कह देते।

श्री राम विलास पासवान : आप तो कह रहे है कि कम से कम सर्वे तो करवा दीजिए।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : मंत्री जी, आप टालने की कोशिश मत कीजिए, सर्वे तो दो बार हो चुका है। आपने सब माननीय सदस्यों को जवाब दिया है, आप हमें भी कुछ तो कह दीजिए। इतना तो हमारा आप पर अधिकार है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आपको अभी नहीं इसके पश्चात् स्पष्टीकरण देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : पासवान जी, आप कुछ तो कह दीजिए।

सभापति महोदय : देखिए, आपने जो कहा वह सब नोट किया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रभु दयाल कठेरिया, आपने अपनी बात ठीक तरह से कह दी है। अब आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप जानते हैं कि जो सप्लीमैंट्री बजट होता है उसमें मुश्किल से एक-दो प्रोजेक्ट कहीं के लिए जाते हैं। आप देखिए, गोरखपुर से गोंडा, गोंडा से बहराइच ओर बहराइच से सीतापुर, इतना बड़ा जो बार्डर इलाके का लाइन है, यह तो नहीं है कि किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला था। लेकिन मैं जानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और नेपाल के बार्डर से होकर जाता है, मैंने इसे कर दिया। आप हमारे पास आए थे, मैंने कहा कि सर्वे हो गया है। मैंने इमिडिएट प्लानिंग कमीशन के पास भिजवा दिया। जैसे मैंने उमा भारती जी के संबंध में किया था वैसे ही किया। मैंने आपको एश्योरेंस आपको दिया है कि मैं करूंगा। मैंने प्लानिंग कमीशन के पास भेज दिया है वहां से आने दीजिए, इससे ज्यादा एश्योरेंस आपको क्या होगा। मैं कहता हूं कि मैं उस पर विचार करूंगा, सहानुभुति पूर्वक विचार करूंगा और जब मैं कहता हूं कि विचार करूंगा तो मैं उसको निराश नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी०सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी कार्यों को शीघ्र निपटाने में अत्यन्त रुचि ले रहे हैं और वह यह भी देख रहे हैं कि रेलवे अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करे।

महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों की क्रम सं. 34 का उल्लेख करता हूं जिसमें रेल नेट के बारे में बताया गया है। यह बहुत अच्छा कदम है। माननीय मंत्री जी ने सभी रेल जोनों को रेल नेटवर्क अर्थात इन्टरनेट ई-मेल तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, ताकि उनके कार्यकरण को अत्यन्त प्रभावी बनाया जा सके। मैं आशा करता हूं कि इससे दुर्घटनाएं या तो बिल्कुल कम हो जाएंगी या बिल्कुल बन्द हो जाएंगी। यह सही दिशा में सही कदम है। मैं आशा करता हूं कि हम इस प्रयास में सफल होंगे।

रात्रि 10.00 बजे

मैं यह भी कहूंगा कि आने वाले समय में इस रेल नेट को मंडलों और स्टेशनों से शीघ्र जोड़ा जाए।

मांग सं. 35, क्रम सं. 35 के सम्बन्ध में, जोकि कोंकण रेलवे के लिए है, माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि इस लाइन को पूरा करने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है। यह एक प्रतिष्ठा वाली परियोजना है जो शीघ्र ही पूरी होने जा रही है और मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें रुचि ली है और कठिनाइयां झेली हैं। जब यह पूरी होगी तो मैं समझता हूं इस नये रेल सम्पर्क से अनेक राज्यों को लाभ होगा। जिस प्रकार से कोंकण रेल निगम बनाया गया और जिस प्रत्तुर से ऐसे निगम के लिए धनराशि जुटाई गई, मैं कहूंगा कि यह प्रशंसनीय है और उन नई रेल लाइनों के लिए सबूत हो सकता है जो प्रस्तावित हैं तथा जो शीघ्र ही आरम्भ की जानी हैं। उदाहरण के लिए, गत बजट में जो लाइन साबरीमाला से अंगामाली तक स्वीकृत की गई थी, मैं समझता हूं कि निगम बनाकर धन एकत्रित किया जा सकता है यदि संभव हो तो साबरीमाला रेल निगम के नाम से निगम बनाया जा सकता है। राबरीमाला राष्ट्रीय प्रसिद्धि का स्थल है। यदि साबरीमाला रेल निगम बनाया जाता है तो यह अत्यधिक लाभकारी होगा और इससे रेलों पर बोझ भी कम होगा। मुझे विश्वास है कि केवल केरल राज्य ही नहीं अपितु अन्य सभी राज्य भी इस प्रकार के निगम में और अधिक धनराशि देने हेतु इसमें सम्मिलित होंगे क्योंकि साबरीमाला एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां सभी राज्यों से भारी संख्या में लोग आते हैं।

[श्री पी०सी० थामस]

अतः साबरीमाला रेलवे निगम के रूप में निगम का गठन कोट्टायम में काम में तेजी लाने में रेलवे के लिए सहायक होगा जिसे पिछले बजट और अनुपूरक बजट में भी स्वीकृति दी गई थी।

हमें इस बात की खुशी है कि आपने पिछले बजट में इस साबरीमाला लाइन को मंजूरी केवल इसलिए नहीं दी थी कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र से तथा हमारे सभापति महोदय श्री चाक्को जी इस समय पीठासीन हैं तथा अन्य अनेक माननीय सहयोगियों के निर्वाचन क्षेत्र से गुजरती है बल्कि इसलिए भी प्रदान की थी क्योंकि वह केरल के बहुत बड़े भाग से, पिछड़े क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों से गुजरती है, जहां अभी तक कोई रेल सम्पर्क नहीं है। यह एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। अब रेलवे ने इसे मंजूरी दे दी है और बजट में इस पर विचार किया गया है ओर काम शुरू हो गया है। पहले यह योजना आयोग को भेजा गया था, वहां से इसे लौटा दिया गया, वहां से इसे विस्तारित बोर्ड के पास भेजा गया था जहां इस पर विचार किया गया। मैं वास्तव में यह नहीं जानता कि इसका क्या परिणाम रहा। लेकिन माननीय मंत्री ने वायदा किया था कि सभी रेलवे लाइनों को जिन पर पिछले बजट में विचार किया गया था और आश्वासन दिया गया था, पर काम शुरू किया जाएगा परिणाम चाहे कुछ भी हो। जैसाकि रेल मंत्री ने कहा है, मुझे विश्वास है कि आर्थिक कार्यों सम्बन्धी मंत्रीमण्डलीय समिति की जल्दी ही बैठक होगी ताकि साबरीमाला और अंगामाली के बीच रेलवे लाइन पर शीघ्रातिशीघ्र विचार किया जाएगा। इससे न केवल केरल बल्कि सम्पूर्ण भारत की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी, लोग इससे संतुष्ट होंगे। मैं इस पर आगे विचार नहीं करना चाहता।

श्री राम विलास पासवान : आपकी जानकारी हेतु यह बताया जाता है कि इसे जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। नई रेलवे लाइनों के लिए धनराशि की कमी नहीं है। इस बार नई रेलवे लाइनों के लिए हमने 400 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं; और मुझे आशंका है कि हम 400 करोड़ रुपये खर्च कर भी पाएंगे या नहीं। जैसे ही हमें आर्थिक कार्यों सम्बन्धी मंत्रीमण्डलीय समिति की मंजूरी मिलेगी, मैं आश्वासन देता हूं कि जितनी धनराशि की जरूरत होगी उतनी उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री पी०सी० थामस : आपने अभी-अभी जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। यह सुझाव रेलगाड़ी में एक चिकित्सक नियुक्त करने सम्बन्धी है। यह एक अच्छा सुझाव है। यह बहुत ही लाभप्रद होगा और इसे लागू किया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि गाड़ियों में पुलिस कर्मियों को यदि कोई हों, कुछ अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए क्योंकि देश के अनेक भागों में रेलगाड़ियों में बहुत-सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रेलवे सुरक्षा बल में कर्मचारियों को वास्तव में किसी व्यक्ति को, जिसने अपराध किया हो, गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता, उनके पास सम्पत्तियों के निपटान की कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आपको समय मिल गया है और इसके लिए पैसा मिल गया है और इसीलिए आपने रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक कल्याण निधि हेतु 60 लाख रुपये की मांग की है। जैसाकि आज शून्य काल के दौरान पहले ही विचार किया गया है, मुझे विश्वास है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाएं, जो लम्बे समय से पूरी नहीं हुई थीं, पूरी हो जाएं। मेरे विचार से इन पर जल्दी ही विचार किया जाएगा।

मैं एक बात के लिए माननीय मंत्री को बधाई देना चाहूंगा। हमने समाचार-पत्रों और अन्य यंत्रों से सुना है कि आपने कुछ रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण किया है, विशेष तौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। मैं इस बात से खुश हूं। किसी रेलवे स्टेशन की तत्काल जांच के पश्चात् मेरे विचार से आपको और रेलवे स्टेशनों पर जाना पड़ सकता है। इससे आपको पता चल सकता है कि रेलवे स्टेशनों पर कुछ कठिनाइयां होती हैं। अभी भी वहां पर दलाली चल रही है। मेरे विचार से न केवल दलाली पर रोक लगाने और यात्रियों की मदद के लिए, जो अपनी टिकटें बुक कराने का इन्तजार कर रहे हैं, बल्कि समूचे क्षेत्र की सफाई के लिए, शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : सभापति जी, बुलन्दशहर रेलवे के मामले में उस स्थिति में हैं जिस तरह आर्थिक स्थिति में आज बिहार है। जिस तरह आर्थिक दृष्टि से बिहार की स्थिति खराब है, रेलवे के मामले में बुलन्दशहर की स्थिति उसी तहर खराब है। एन.सी.आर. में होते हुए भी तथा सबसे ज्यादा जवान बुलन्दशहर देता है, सबसे ज्यादा सैनिक बुलन्दशहर से आते हैं, सबसे ज्यादा दूध बुलन्दशहर एक्सपोर्ट करता है, पूरे देश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा बुलन्दशहर में होता है लेकिन वह रेलवे की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है। बुलन्दशहर यहां से केवल 70 किलोमीटर दूर होते हुए न दिल्ली से जुड़ा हुआ है और न प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है। कहीं भी जाइए, कम से कम 40 किलोमीटर जाने के बाद एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी पड़ती है। यह स्थिति बुलन्दशहर की हो गई है। दैनिक यात्रियों को या तो हापुड़ आकर दो घण्टे खराब करने पडेंगे या खुर्जा जाएंगे तो दो घण्टे ट्रेन बदलने के लिए खराब करने पड़ेंगे। मैं बार-बार आग्रह कर चुका हूं और नॉर्दन रेलवे की कमेटी में अपनी बात कह चुका हूं, कई दफा लिख भी चुका हूं और यहां जीरो ओवर तथा 377 के अधीन यहां मामला उठा चुका हूं परन्तु कोई रेल का पहिया मेरे मामले में आगे बढ़ नहीं पाया।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अगर आप ज्यादा नहीं कर पाएं तो एक बोगी फरक्का एक्सप्रेस में खुर्जा जंक्शन से जोड़ दें जो लखनऊ होकर जाती है और बनारस, फरक्का तक जाती है। इससे बुलन्दशहर सीधा लखनऊ, बनारस और पूर्वांचल से जुड़ जाएगा। मैंने इस विषय में लिखा था। मुझे इसका यह जवाब दिया गया कि इस ट्रेन में लोड ज्यादा है। अगर एक बोगी जोड़ने से लोड ज्यादा होता है तो सही मायने में रेलवे अधिकारी काम करना नहीं चाहते। जाफर शरीफ साहब ने दक्षिण में मामला ठीक कर दिया। राम विलास पासवान जी बिहार का मामला ठीक कर रहे हैं। यहां 70 किलोमीटर दूर एन.सी.आर. में जो शहर हैं, आप उनको देश की राजधानी से जोड़ नहीं पाए। सरकार का उद्देश्य है कि दिल्ली में हम कैसे ट्रेफिक कम करें। वाहन कम करने के लिए तरीके सुझाए जाते हैं तो उस पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। 100 किलोमीटर का पैसेंजर रेल से जाने लगेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली में वाहन कम हो जाएंगे। मेरा निवेदन है कि फरक्का एक्सप्रेस में एक बोगी जोड़ दी जाए तो बुलन्दशह, बनारस और लखनऊ से जुड़ जाएगा। एक मेरी प्रबल मांग हैं कि एक पैसेंजर गाड़ी खुर्जा जंक्शन से चलाइए। बुलन्दशहर, हापुड से उसे नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली लाइए और शाम को वही गाड़ी उसी रूट से वापस चली जाए। अगर यह प्रातः छः बजे खुर्जा जंक्शन से चलेगी तो साढ़े नौ बजे तक दिल्ली आ जाएगी और शाम को साढ़े पांच बजे दिल्ली से चलेगी तो नौ बजे खुर्जा जंक्शन चली जाएगी। यह गाड़ी पहले चलती थी लेकिन रेलवे अधिकारियों ने इसे बंद करवा दिया। कहते हैं कि हमें इसमें इनकम नहीं हो पा रही है। सही मायनों में वहां रेलवे के अधिकारी टिकट वितरण की व्यवस्था नहीं कर

पाते जिससे पैसेंजर बिना टिकट चलते हैं। यह गाड़ी बंद हुए पांच-छः साल हो गए हैं। छः साल के समय में तो बहुत परिवर्तन आ गया है। बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है। निश्चित रूप से यह गाड़ी चलाएंगे तो यह नुकसान में नहीं जाएगी।

सभापति महोदय, मेरा सुझाव है कि बुलन्दशहर को मेन लाइन से जोड़ा जाए। वहां से कुछ दूरी पर चोला स्टेशन है, उसके सर्वे के लिए पिछले बजट में प्रावधान किया गया था, मेरा अनुरोध है कि शीघ्र ही सर्वे कराकर कार्य पूरा किया जाए। इससे मेरे क्षेत्र की समस्या दूर हो जाएगी। बुलन्दशहर स्टेशन पर केवल एक ही प्लेटफार्म है। वहां पर ज्यादा गेहूं होता है, चीनी की तीन मिलें हैं लेकिन एफ.सी.आई. के लिए न पूरा गेहूं लद पाता है और न चीनी लद पाती है। जमीन पर पड़ने से खराब हो जाता है। इससे व्यापारियों को नुकसान होता है और कई बार तो डैमरेज भरना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि वहां पर एक और प्लेटफार्म बनाए जाने की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, अलीगढ़ से हरिद्वार के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है। हरिद्वार एक धार्मिक स्थल है, जिसे रेल मंत्री जी जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि एक फास्ट पैसेंजर मुजफ्फरनगर-लक्सर होते हुए चलाई जाए। इससे हापुड़-मेरठ के तीर्थ यात्रियों को सुविधा होगी। मैंने रेल मंत्री जी को एक पत्र लिखकर बताया कि उत्तर रेलवे सलाहकार समिति की बैठक में मैंने कुछ सुझाव दिए थे जिसके लिए रेल अधिकारियों ने गोलमोल उत्तर देकर कह दिया कि संसाधनों की कमी है, इसलिए इस पैसेंजर गाड़ी को चलाना संभव न होगा। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि न कोई इंजन खरीदना है न कोई बोगी तो फिर इस ट्रेन को क्यों नहीं चला सकते? आप शताब्दी एक्सप्रेस चला सकते हैं लेकिन बुलन्दशहर को जोड़ने के लिए एक पैसेंजर ट्रेन नहीं दे सकते।

सभापति महोदय, नौचंदी ट्रेन पकड़ने जाने के लिए बुलन्दशहर से कोई ट्रेन का विकल्प नहीं है। बस से जाना पड़ता है। रेल अधिकारियों ने कह दिया कि हापुड़ से प्रातः 7.45 पर 2केएम उपलब्ध है लेकिन वह मेरठ से जाती है। इस प्रकार रेल अधिकारियों द्वारा भ्रान्ति पैदा की जा रही है और जैसा मंत्री महोदय को बताते हैं, वे वैसा ही उत्तर लिखकर हमें भेज देते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए। जो अधिकारी गलत तथ्य देते हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कोई ज्यादा मांगें नहीं हैं, केवल एक पैसेंजर ट्रेन चलाने की बात है, इसको अमली रूप देने की कृपा करेंगे। एक और छोटी-सी बात यह है कि नौचंदी एक्सप्रेस में बुलन्दशहर के लिए 2-टीयर ए.सी. में कोई कोटा नहीं है। वहां से 9 एम.एल.एज. और दो सांसद हैं, मेरा अनुरोध है कि दो बर्थ का कोटा बुलन्दशहर से नौचंदी एक्सप्रेस में दिया जाए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लोर) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका अत्यधिक धन्यवाद करती हूं। पिछले एक वर्ष से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र नेल्लोर के लोगों को हो रही महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके सामने रखती रही हूं। हर बार श्री पासवान आश्वासन देते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। अनुपूरक अनुदानों की मांगों में भी उसे शामिल नहीं किया गया है। इसी कारण मैं आपके जरिये दुबारा रेल मंत्री से अनुरोध कर रही हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ करें।

बैत्रागुंटा भारतीय रेलवे का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और रेलवे नगर है। यह चेन्नई-विजयवाड़ा की मुख्य लाइन में स्थित है जोकि दक्षिण-केन्द्रीय रेलवे में आता है। भाप के इंजनों के दिनों में अन्य रेल कार्यकलापों के अलावा इंजनों का रख-रखाव बैत्रागुंटा के लोको-शेड में किया जाता था। भारतीय रेलवे में भाप लोको शेड सबसे बड़ा लोको शेड था। उसमें मुख्य यार्ड हैं और ड्राइवरों और गार्डों के लिए इंटरचेंज डिपो भी हैं। बैत्रागुंटा में भाप के इंजनों के लोको शेड के बंद किए जाने के बाद से आधारभुत संरचना, अन्य उपस्करों और भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है। यह दुःख की बात है कि रेलवे द्वारा वर्तमान आधारभूत संरचना, बड़े लोको शेड और भूमि आदि को उपयोग में लाने हेतु कोई विचार नहीं किया गया है। अन्य स्थानों पर भारी निवेश द्वारा नए लोको शेड या सवारी डिब्बों और वैगन कार्यशाला बनाए जाने की बजाए इसे बड़े विद्युत लोको शेड या सवारी डिब्बों और वैगन कार्यशाला में बदल दिया जाना चाहिए था।

मैंने स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मचारियों के कहने पर पूरे रेलवे स्टेशन और उसके कार्यकलाप का कई बार निरीक्षण किया है। बैत्रागुंटा के लोग और कर्मचारी रेलवे द्वारा किसी भी मुद्दे पर अनिर्णायक दृष्टिकोण अपनाए जाने के कारण काफी चिन्तित हैं। वास्तव में, बैत्रागुंटा में उपलब्ध सुविधाओं को देखते हुए वहां एक एकक की स्थापना के लिए कोई भी सहमत हो जाएगा। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहती हूं कि रेलवे की लगभग 1,500 एकड़ भूमि, 2,000 हजार से अधिक कर्मचारी, स्कूली इमारतें, यार्ड और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। बन्द किया गया भाप के इंजनों का लोका शेड भी बेकार पड़ा है। वास्तव में बैत्रागुंटा पर नया रेलवे मण्डल बनाया जाना बिल्कुल उचित हैं क्योंकि बैत्रागुंटा विजयवाड़ा-चेन्नई मुख्य लाइन पर स्थित है जोकि संचालन और प्रशासनिक दृष्टि से भी सुविधाजनक है। विजयवाड़ा और चेन्नई की अतिभारित रेल गतिविधि को बैत्रागुंटा स्थानान्तरित किया जा सकता है जो दोनों तरफ से 3 घण्टे की दूरी पर है।

आपको यह भी पता होगा कि निकट भविष्य में बैत्रागुंटा, नेल्लोर और गुंटूर में और इनके इर्द-गिर्द रेल गतिविधियां निम्नलिखित कारणों से काफी अधिक होंगी :

नेल्लोर जिले में बैत्रागुंटा के निकट राचेरलापाडु में 1568 करोड़ रुपये की लागत से इफ्को द्वारा एक वृहत् यूरिया उर्वरक संयत्र, भारत सरकार की एक परियोजना लगाई जा रही है। यह दक्षिण भारत में इफ्को द्वारा लगाई जा रही पहली फैक्टरी है। प्रति वर्ष अमोनिया का अनुमानित उत्पादन लगभग 4,45,500 मीट्रिक टन और यूरिया का उत्पादन 7,26,000 मीट्रिक टन होगा। रेलवे ने कच्ची सामग्री और तैयार माल की ढुलाई के लिए रेल यातायात मंजूरी पहले ही दे दी है। बनाए जाने वाले रेल साइडिंग के लिए निकटतम रेल प्रस्थान स्थान तालमांची रेलवे स्टेशन है जो वहां से 3 किलोमीटर दूर और बैत्रागुंटा से 15 किलोमीटर है। 'राइटस' को साइडिंग बिछाने का कार्य सौंपा गया था। 'इफ्को' प्राधिकारियों के अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन एक या दो वर्ष के भीतर आरम्भ होगा और इसलिए उर्वरक गतिविधि गंभीर होगी। फलस्वरूप बैत्रागुंटा में वैगन मोबिलिटी स्टेबलिंग्स/डिब्बा मरम्मत और रख-रखाव किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय सहायता मद के अन्तर्गत कृष्णापतनम पर एक वृहत् पत्तन बनाया जा रहा है जो नेल्लोर से केवल 35 कि०मी० दूर है। विद्यालय (नेल्लोर) पर मुख्य रेल लाइन से एक रेल साइडिंग जोड़ने की भी योजना बनाई जानी चाहिए। खाद्यान्नों, उर्वरक और अन्य मूल मदों का आयात और निर्यात इस पत्तन से किया जाएगा और रेल चलन गतिविधि काफी कम हो जाएगी।

[श्रीमती लक्ष्मी पनबाका]

कृष्णापतनम के निकट एक विद्युत संयंत्र बनाया जा रहा है जिसके लिए रेल लिंकेज की आवश्यकता होगी। रेलवे द्वारा पाडुगुपाडु में ताप विद्युत स्टेशन को कोयला ले जाया जा रहा है, यह भी पता चला है कि सिंगरावायाकोटा में एक पेट्रोलियम साइडिंग भी बनाया जा रहा है जो बैत्रागुंटा से केवल 65 कि.मी. दूर है। विद्यमान रेल आधारभूत संरचना में संशोधन करके बैत्रागुंटा में तेल टैंक रख-रखाव किया जा सकता है।

नेल्लोर और कुडाप्पा के बीच एक नई रेल लाइन बिछाए जाने का भी प्रस्ताव है जिसे वर्ष 1997-98 के रेलवे बजट में शामिल किया गया था। मालगाड़ियों और यात्री गाड़ियों दोनों गाड़ियों के डिब्बों के यानस्थापन मरम्मत और इनसे सम्बन्धित अन्य गतिविधियों को बैत्रागुंटा में किया जा सकता है।

बैत्रागुंटा में वर्तमान सुविधाओं और अन्य परियोजनाओं, जिन्हें बैत्रागुंटा-नेल्लोर-गुडूर के आसपास स्थापित किया जा रहा है जैसाकि कि ऊपर विवरण दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए वर्तमान रेलवे परिसम्पत्ति का उपयोग करके तथा अतिरिक्त सुविधाओं के लिए योजना बनाकर बैत्रागुंटा में रेल गतिविधि विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है। जिला मुख्यालय होने तथा बैत्रागुंटा से केवल तीस मिनट की दूरी पर महत्वपूर्ण शहर होने के कारण नेल्लोर कर्मचारियों तथा अधिकारियों की आवश्यकताओं पर ध्यान देगा। यह अनुरोध है कि बैत्रागुंटा में नया उपमण्डलीय कार्यालय, क्षेत्र नियंत्रण कार्यालय, इलैक्ट्रिक लोको शेड, मरम्मत कार्यशाला, ई.एम.यू./एम.ई.एम.यू. रख-रखाव डिपो स्थापित करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए।

पिछले बजट में माननीय मंत्री ने घोषणा की थी कि नेल्लोर से कुडुप्पा लाइन, नड़ीकुडी से कालाहस्ती लाइन तक का सर्वेक्षण किया जाएगा परन्तु अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से श्री पासवान जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन कार्यों की आधारशिला रखें।

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय को लिखित में अन्य सुझाव दे सकते हैं।

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका : पिछले एक वर्ष से मैं नेल्लोर से चेन्नई के लिए एक स्थानीय गाड़ी के लिए मांग कर रही हूं। कृपया माननीय मंत्री उस अनुरोध पर विचार करें।

[हिन्दी]

डा. अमृत लाल भारती (चैल) : सभापति महोदय, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूं, वह कभी पंडित जवाहर लाल नेहरू की कांस्टीटूएंसी रही है लेकिन अब वह कांस्टीटूएंसी तीन जिलों में विभाजित हो गई है—इलाहाबाद, कौशाम्बी और फतेहपुर। हमारा इलाका दो नदियों के बीच में स्थित है और दोआबा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाईं ओर गंगा और दाईं ओर यमुना है। कौशाम्बी राजा परिक्षित की राजधानी रही है जिसका ऐतिहासिक महत्व है और धार्मिक दृष्टि से भी यह बौद्ध और जैनियों का प्रसिद्ध स्थान रहा है। सम्राट अशोक ने वहां एक नगर बसाया था जहां से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। हमारे सामने, यमुना के उस ओर चित्रकूट है और वह भी एक धार्मिक स्थली है लेकिन इतना सब होते हुए, आज देश को आजादी मिले 50 वर्ष हो गए हैं, हमारे क्षेत्र से पिछड़ा इलाका आपको पूरे हिन्दुस्तान में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा।

उदाहरण के तौर पर, मैं कहना चाहूंगा कि उस संसदीय क्षेत्र में बालिकाओं के लिए न कोई जूनियर हाई स्कूल है और न कोई डिग्री कालेज है। मैं समझता हूं कि पिछड़ेपन का इससे बड़ा उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। यदि दूसरी समस्याएं देखी जाएं तो उनका अंबार लगा हुआ है।

जहां तक रेलवे के विस्तार का प्रश्न है, सदन में इस समय रेलवे की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है, रेल मंत्री जी ने देश के तमाम क्षेत्रों को रेल से जोड़ने की कोशिश की है जिसके लिए अनेक माननीय सदस्यों ने उन्हें बधाई दी है, वे सही मायनों में बधाई के पात्र हैं लेकिन जब मेरी दृष्टि अपने संसदीय क्षेत्र की ओर जाती है तो मुझे समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे बधाई दूं। फिर भी मैं उन्हें बधाई दिए बिना नहीं रह सकता क्योंकि उन्होंने इलाहाबाद में एक जोनल रेलवे कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं चाहता था कि इसके लिए मैं खुशी का इजहार करूं, उन्हें धन्यवाद दूं लेकिन आप देख रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में लगभग 90 किलोमीटर एरिया ऐसा पड़ता है जहां कलकत्ता से चलकर इलाहाबाद होते हुए कई गाड़ियां उस इलाके से गुजरती हुई, दिल्ली चली जाती हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक भी ट्रेन का स्टौपेज वहां नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं आपको उन स्टेशनों के नाम बता सकता हूं।

सभापति महोदय, वे चार बड़े-बड़े कस्बे भरावरी, सिराथू, खागा व मनौरी हैं और यह 90 किलोमीटर का एरिया है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि धार्मिक स्थली होने के कारण इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस स्थान पर देश-विदेश के तमाम पर्यटक आते हैं। उनके आने-जाने की सुविधा के लिए वहां पर अच्छी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 4083-अप महानंदा एक्सप्रेस, 5033-डाउन चौरा चौरी एक्सप्रेस, 8101-अप व 8102-डाउन मूरी एक्सप्रेस का यदि स्टौपेज यहां कर दिया जाए और यहां के जो स्टेशन हैं उनको अच्छी तरह से संवारा जाए, तो मैं समझता हूं कि काफी आय रेलवे को हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि यदि भरवारी से चित्रकूट, यानी इस पार से उस पार कोई आदमी जाना चाहे, तो उसे भंजनपुर होकर जाना पड़ेगा और 225 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ेगा जबकि यह दूरी मुश्किल से 35-40 किलोमीटर बैठती है। अगर भरवारी से सीधे चित्रकूट को जोड़ दिया जाए, तो लगभग 180 किलोमीटर की दूरी कम हो सकती है और बहुत कम समय में यह रास्ता तय किया जा सकता है। इसके साथ-साथ मैं आपके संज्ञान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि दिल्ली-कलकत्ता लाइन पर पड़ने वाले जो कस्बे भरवारी और खागा हैं, इनमें रेलवे पुल न होने के कारण काफी समय तक यातायात अवरुद्ध रहता है। मैं स्वयं कई बार इन कस्बों में फंसा हूं और डेढ़-डेढ़ घण्टे मुझे वहां फंसे रहना पड़ा है जबकि रेलवे के नियम के अनुसार कोई भी रेलवे क फाटक 20 मिनट से ज्यादा देर के लिए बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन कस्बों के ऊपर ओवरब्रिज न होने के कारण यहां पर यातायात दो-दो घण्टे तक अवरुद्ध रहता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ये जो कस्बे सिराथू, भरवारी और खागा हैं, इनके ऊपर ओवरब्रिज का निर्माण करें ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके।

सभापति महोदय, चौथी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारा इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जहां से वैष्णो माता बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, लेकिन उनको हमारे यहां से वैष्णो माता जाने के लिए, जम्मू जाने के लिए कोई भी डायरैक्ट ट्रेन नहीं है जिसके कारण हमारे आदमियों को बहुत दिक्कत होती है। कृपया इस ओर भी ध्यान

दें और एक ट्रेन इलाहाबाद से डायरैक्ट जम्मू के लिए चला दें। इसी संदर्भ में मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आजकल काफी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं जिनमें कहीं न कहीं कोई न कोई रेलवे की लापरवाही जरूर होती है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उनके ऊपर भी ध्यान दें। इलाहाबाद से मुगलसराय के बीच में बहुत लूटपाट की घटनाएं होती हैं। यात्रियों को विष खिलाकर या नशीली चीजें खिलाकर लूटा जाता है। ऐसी काफी घटनाएं हो रही हैं। दो-चार दिनों में एक-दो घटनाएं ऐसी सुनने को मिल जाती हैं। मेरा आग्रह है कि इनको भी रोकने का पूरा प्रयास किया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि रेलवे की दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनका मलबा वर्षों तक वहीं पड़ा रहता है। कई बार तो सड़कों के किनारे पड़े मलबे को वर्षों तक नहीं हटाया जाता है। उसका स्थानीय लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जाता है और उसका अपव्यय हो जाता है। लोग उसको इधर-उधर कर देते हैं, लेकिन रेल मंत्रालय द्वारा उसको हटाया नहीं जाता है। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय उसके ऊपर भी ध्यान दें। उसको भी इकट्ठा करके इसे कायदे से नीलाम किया जाए। वह धन सरकारी काम में आए और उसका दुरुपयोग न हो। मैं रेल मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो कुछ कहा है, उस पर आप थोड़ा-सा आश्वासन दे दें तो में समझूंगा कि हमारी प्रार्थना पर उन्होंने ध्यान दिया है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : सभापति महोदय, मैं उदयपुर क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसके बारे मैं मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उदयपुर एक ऐसा क्षेत्र है जो महाराणा प्रताप की वीर भूमि है और जिसका नाम दुनिया में मशहूर है। दूसरा उदयपुर क्षेत्र के बाद कश्मीर शहर आता है। तीसरा उदयपुर में शीशा, जस्ता फारफोरेक्ट आर.एस.एम.एच. द्वारा और मारबल शोपस्टोन आदि धातु वहां बहुत ज्यादा हैं जिनका खनन हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा किया जाता है। इन सब चीजों के होने के बावजूद उदयपुर क्षेत्र को भारत की राजधानी दिल्ली को ब्राडगेज से नहीं जोड़ा गया है। जो लाइन है, वह अंग्रेजों के जमाने से बनी हुई है और उसके बाद से उस पर कोई काम नहीं हुआ। इस बात को लेकर हमने यहां अध्यक्ष महोदय के सामने ध ारना भी दिया था। उस धरने के पश्चात् तत्कालीन रेल मंत्री श्री जाफर शरीफ ने हमें आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद वह वहां गये। उसके बाद श्री कालमांडी साहब आए। उनसे भी हमने आग्रह किया, तो उन्होंने उदयपुर आकर शिलान्यास भी कर दिया लेकिन उसके बाद भी वह काम अभी तक नहीं हुआ। अभी सत्ता परिवर्तन के कारण हमारे रेल मंत्री श्री पासवान साहब बने हैं। इनसे भी हमने आग्रह किया और इन्होंने आश्वासन दिया। इन्होंने आश्वासन देने के बाद पांच करोड़ रुपये उस लाइन के परिवर्तन के लिए दिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि पांच करोड़ रुपये ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। इसलिए उस पांच करोड़ रुपये को देकर इन्होंने केवल मात्र बच्चे को समझाने वाली बात की है। उदयपुर में ब्राडगेज में परिवर्तन करने के लिए एक आफिस जरूर खोला गया है, ऐसी मुझे जानकारी मिली है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आपने यह भी आश्वासन दिया था कि केवल उदयपुर ही नहीं बल्कि हम अहमदाबाद तक ब्राडगेज में बदल देंगे लेकिन उदयपुर से अहमदाबाद बहुत दूर है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ तक ब्राडगेज जुड़ा हुआ है जो कि सवाई माधोपुर से आता है। सही मार्ग दिल्ली, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर है। भीलवाड़ा और अजमेर को नहीं जोड़ा गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ब्राडगेज है, उसका जल्द से जल्द परिवर्तन किया जाए ताकि हम लोगों को फिर से असंतोष न हो। उस क्षेत्र की जनता हमें कोसती है। सारे भारत में आपने योजना बनाई है कि ब्राडगेज में सबको बदलेंगे लेकिन उदयपुर को अभी तक आपने हाथ में नहीं लिया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस लाइन को जितनी जल्दी हो सके, उसका ब्राडगेज में परिवर्तन करें। मैं कलकत्ता जाता हूं जो कि 1500 किलोमीटर दूर है। वहां हम 17 घण्टे में पहुंचते हैं जबकि उदयपुर से दिल्ली सिर्फ 700 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में हमें 22 घण्टे लगते हैं। इन दोनों में इतना फर्क है। इसलिए वहां की जनता हमको कोसती है। वहां विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं। उदयपुर में हवाई जहाज भी कभी जाता है और कभी नहीं जाता है। वहां उसकी भी कमी है। पूरी सावधानी भी है। ब्राडगेज नहीं होने के कारण वहां पर्यटक कम आते हैं जबकि उदयपुर कशमीर के बाद दूसरा एक बड़ा पर्यटक क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है।

मैं अधिक समय न लेते हुए आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप जितनी जल्दी हो सके, इसको करें। सभी मित्रों ने आपको बधाई दी है और मैं भी आपको बधाई देना चाहूंगा कि वास्तव में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप आपने नहीं किया है। आप राजनीति से ऊपर उठकर काम करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि महाराणा प्रताप की भूमि को दिल्ली से अति शीघ्र जोड़ें। अभी महाराणा प्रताप की एक सौवीं जयंती मनाई गयी। अभी हमारे हिन्दुस्तान की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है। इसके साथ ही उदयपुर को दिल्ली से जोड़ा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : सभापति महोदय, मैं सप्लीमैंट्री डिमांड्स का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां उनके द्वारा रेलवे का कुछ न कुछ काम नहीं हुआ। इसलिए उनको जितनी बधाई दी जाए वह कम है।

कुछ महीने पूर्व मानसी-सहरसा-फारविसगंज आमान परिवर्तन के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम सहरसा में हुआ। सही मायने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण रेल है जो मानसी-सहरसा सुपोल होते हुए फारविसगंज में, जो भारत-नेपाल सीमा पर है, इस साइड से काम शुरू हुआ। यह कार्य अभी सहरसा तक शुरू हुआ है जबकि वह फारविसगंज तक है। हम चाहेंगे कि इसी वर्ष उसे इस ओर से भी प्रारम्भ किया जाए।

श्री राम विलास पासवान : जो गेज कन्वर्शन का काम होता है, एक नई रेलवे लाइन होती है और एक आमान परिवर्तन होता है। आमान परिवर्तन होता है। आमान परिवर्तन में यदि हम एक बार सब कार्य शुरू कर दें तो सारी गाड़ियां बंद हो जाती हैं। जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो लोगों में असंतोष होने लगता है। इसलिए हम उसे पार्टवाइज करते हैं जैसे मानसी से सहरसा। उतनी दूर तक बना लेंगे तो वहां तक बड़ी गाड़ी चलती रहेगी, उसके बाद मीटर गेज पर दूसरी गाड़ी चलती रहेगी। यदि एक ही बार सारी लाइन को खोल देंगे तो उसका नतीजा यह होगा कि व्यक्ति को जो छोटी गाड़ी मिल रही है, वह भी मिलनी बंद हो जाती है। इसलिए जब हम इसे करते हैं तो फेजवाइज चलाते हैं।

श्री सुकदेव पासवान : कटिहार-जोगबनी-जौनपुर को रेल बजट में शामिल किया गया है। मैं 1989 से लोक सभा में चुनकर आया हूं तब से लगातार चाहे रेल बजट हो, चाहे नियम 377 के अधीन मामला हो या जीरो आवर हो, हमेशा हमने इस पर अपना विचार प्रकट किया। इतना ही नहीं, जब श्री जाफर साहब रेल मंत्री थे, उनसे आश्वासन नहीं

[श्री सुकदेव पासवान]

मिलने के कारण हमने उनके निवास पर धरना दिया और वहां से जेल भेजे गए। कटिहार से जोगबनी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री आए थे, उस समय श्री चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। उनसे भी बातचीत की थी कि कटिहार से जोगबनी ब्राडगेज निश्चित रूप से की जाए। इस सम्बन्ध में मैंने सैंकड़ों बार लोक सभा में अपना विचार रखा। कटिहार से जोगबनी रेल लाइन जो आमान परिवर्तन में ली गई है और इस सप्लीमैंट्री बजट में शामिल की गई है, इसके लिए मैं अपनी ओर से रेल मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। भारत सीमा पर स्थित जोगबनी-कटिहार वर्षों से लंबित मांग थी। फारविसगंज-जोगबनी जो रेलवे स्टेशन है, सन् 1901 में उसमें कटिहार-जोगबनी लाइन गई थी। हमारे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी रेल मंत्री हुए। कुछ ही दिन रहे। यह काम नहीं हो पाया। लेकिन कुछ काम उनके समय में हमारे इलाके में हुआ। कटिहार-जोगबनी लाइन हो जाने से पिछड़े इलाके के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

जब हमारे रेल मंत्री जी मानसी-सहरसा-फारविसगंज के शिलान्यास में गए थे, तो इन्होंने पब्लिक मीटिंग में सहरसा से हमारे आग्रह पर सुपौल, पिपरा, त्रिवेणीगंज, जड़िया, मरगामा, रानीगंज, गितवास, राजोखरा होते हुए अररिया आर.एस. तक जो लगभग 100 किलोमीटर की जो नई रेलवे लाइन बनेगी, माननीय रेल मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था और उसी पब्लिक मीटिंग में कहा था कि जितनी जल्दी हो सके, सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि निश्चित रूप से इसमें सर्वे का काम अविलम्ब पूरा करके आने वाले बजट में सुपौल से अररिया तक इसमें शामिल किया जाए और अररिया से खवासपुर, कुशीकारा होते हुए गलगलिया जो बंगाल सीमा पर गलगलिया है, तो यह पूरा हो जाने से उस इलाके में आज तक सही मायने में लोगों ने रेल नहीं देखी है, वह उत्तरी बिहार का इतना पिछड़ा इलाका है और सीमावर्ती इलाका है, क्योंकि यह इतनी महत्वपूर्ण है कि सही मायने में अगर गांव में जाकर पूछिए कि रेल कैसी होती है तो उस इलाके में रेल का लगभग 150 किलोमीटर की दूरी होगी। सुपौल से गलगलिया तक लोगों ने रेलवे लाइन नहीं देखी है। इसके हो जाने से पिछड़े इलाके का निश्चित रूप से उद्धार होगा।

वैसे हमारे रेल मंत्री महोदय ने मधेपुरा, सिधेश्वर, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज तक सर्वे में शामिल करने का जो पहले बजट में लिया था, उससे निश्चित रूप से इसमें दिया गया था और भाषण में हाउस में बोले थे कि मधेपुरा, सिधेश्वर, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज होते हुए जोगबनी तक इसकी भी सर्वे का काम किया जाएगा। इसको भी निश्चित रूप से गम्भीरता से देखा जाए।

वैसे बिहारीगंज से जड़िया, छातापुर, नरपतगंज से वथनाहा, जोगबनी तक भी रेलवे लाइन के विषय में स्वर्गीय ललित बाबू ने भी इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनको ज्यादा समय नहीं मिल पाया, इसलिए यह काम नहीं हो पाया। जोगबनी से कुशीकारा, सिकरी, पलासी से सिलीगुड़ी तक बोर्डर के इलाके में एक भी रेलवे लाइन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह भी देखी जाए। वथनाहा, सुरसर, वलुआ बाजार, भीमनगर तक जो भारत-नेपाल सीमा पर अवस्थित है, वहां पर नैरो गेज जब हमारा भारत और नेपाल के सहयोग से भीमनगर में बैराज का काम शुरू हुआ तो वथनाहा से लेकर भीमनगर तक नैरोगेज से सामान ले जाने के लिए वहां एक नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया ताकि बैराज पर काम शुरू हो। अभी वहां काफी रेल की पटरी चोरी हो गई और वहां पर हो सकता है कि वह सम्पत्ति सैण्ट्रल गवर्नमेंट की हो या नहीं हो, लेकिन हो सकता है कि बाहिर सरकार के इर्रीगेशन के अन्तर्गत हो। अगर केन्द्र सरकार के अधीन है तो सरकारी सम्पत्ति का जो अभी दुरुपयोग हो रहा है, सारा सैक्शन बन्द हो गया, अभी वहां कोई ट्रेन नहीं चलती है, उसको दिखवाकर अगर केन्द्र सरकार की यह सम्पत्ति है तो केन्द्र सरकार निश्चित रूप से उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे।

नई दिल्ली से गौहाटी तक सप्ताह में तीन दिन राजधानी एक्सप्रेस चलती है। उस इलाके में माननीय रेल मंत्री महोदय के द्वारा ही उससे पहले भी हुआ तो, लेकिन एक दिन थी, लेकिन सप्ताह में हमारे रेल मंत्री महोदय ने उसको दो दिन तक बढ़ाया। अभी वह सप्ताह में तीन दिन नई दिल्ली से गौहाटी तक वाया कटिहार होते हुए ट्रेन जाती है। एक महीने पहले से भी उसकी बुकिंग फुल हो जाती है, इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे कि प्रत्येक दिन वह हो। अगर प्रत्येक दिन नहीं हो तो सप्ताह में निश्चित रूप से पांच दिन नई दिल्ली से गौहाटी जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को तीन दिन से बढ़ाकर पांच दिन निश्चित रूप से किया जाए।

नोर्थ ईस्ट 5621 डाउन ट्रेन जो सबसे पहले चलती थी, अभी भी चल रही है, उसमें एक ही ए.सी. टू टायर का डिब्बा है और एक ही ए.सी थ्री टायर का डिब्बा है, क्योंकि जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने इनसे कई बार आग्रह किया है कि आप टू टायर में एक बोगी निश्चित रूप से बढ़ाइये और एक थ्री टायर में बढ़ाइये। हम आग्रह करना चाहेंगे कि ए.सी. टू टायर में एक बोगी बढ़ायी जाए और ए.सी. थ्री टायर में भी नोर्थ ईस्ट में एक बोगी बढ़ाई जाए।

अभी जो आए दिन सही मायने में रेल में जो दुर्घटनाएं होती हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कई ऐसी बातें हैं कि दुर्घटना होने के बाद पूरा देश चिन्तित हो जाता है कि उसका कोई समाधान निकले। लेकिन मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके पास जो टैक्नोलोजी है, अगर आपके पास नहीं है तो किसी दूसरी जगह से भी लाकर जो रेलवे कर्मचारियों के चलते और अधिकारियों के चलते गाड़ियों में दुर्घटनाएं होती हैं, उसको भी निश्चित रूप से देखा जाए या बाहर से भी तकनीकी की कुछ व्यवस्था करके रेलवे में जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनको कम से कम करने का काम किया जाए।

सभापति महोदय, अभी तक नरपतगंज, अररिया, फारबिसगंज, सुपौल में एक भी मॉडल रेलवे स्टेशन नहीं है। मेरा अनुरोध है कि नरपतगंज, अररिया, फारविसगंज या सुपौल को मॉडल स्टेशन बनाना चाहिए। फारबिसगंज में आरक्षण कम्प्यूटर द्वारा होता है, इसलिए वह स्टेशन सारी योग्यताएं पूरी करता है, इसलिए उसे मॉडल स्टेशन बनाना चाहिए।

ललितग्राम रेलवे स्टेशन पूर्व रेल मंत्री के नाम पर है। वहां हजारों एकड़ जमीन ऐसे ही पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि उसका उपयोग रेलवे को करना चाहिए, हो सके तो वहां कोई कारखाना खोला जा सकता है। कटिहार-जोगबनी के बीच लगातार चलने वाली गाड़ी संख्या 113 अप और 114 डाउन जिसे गत वर्ष बंद कर दिया गया, उन्हें दुबारा चालू किया जाए। क्योंकि वहां काफी समय तक कोई ट्रेन नहीं जाती, इससे यात्रियों को असुविधा होती है। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन है, एन.जी. और एन. एफ. के बीच यह स्टेशन पड़ता है। वहां गाड़ियों को घंटों रुकना पड़ता है। वहां दो लाइन हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि वहां तीसरी लाइन बनाकर गाड़ियों को जो घण्टों रुकना पड़ता है और यात्रियों को परेशानी होती है, उसे बचा जा सकता है।

अनुसूचित जाति और जनजाति के जो रेलवे कर्मचारी हैं, उनके

अधिकारियों द्वारा उनको परेशान किया जाता है। उनको पदोन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रेल मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो पदोन्नति के लायक हैं और निर्धारित योग्ताएं पूरी करता है, उसे पदोन्नति दी जानी चाहिए।

श्री मनोज कुमार सिन्हा (गाजीपुर) : सभापति जी, मैं बिना किसी भूमिका के जो समय निर्धारित है, उसमें सीधे अपनी बात पर आता हूं। मैं काफी देर से साथियों की बात सुन रहा था। इस लोक सभा में एक बार डिबेट हो रही थी। इसी कैबिनेट के एक मंत्री महोदय हैं। मै। उनका भाषण पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इसलिए पिछड़ा हुआ है कि उसने अनेक प्रधानमंत्री दिए। अन्त में उन्होंने कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश का विकास होने दीजिए, भले ही वहां से प्रधानमंत्री न हो। मुझे लगता है कुछ मान्यताएं राजनीति की बदली हैं, पिछले दिनों देखने में आया है कि जहां का प्रधानमंत्री होता है वहां विकास होता है। जहां का रेल मंत्री होता है उस राज्य में काम ज्यादा होता है। पिछले दिनों राजनीति में यह नई परम्परा शुरू हुई है। बिहार का जब प्रश्न आता है, बिहार निश्चित रूप से उपेक्षित रहा है, उससे हमें कोई दुराव नहीं।

मैं रेल मंत्री जी से सीधे और सपाट शब्दों में अपनी बात कहना चाहूंगा। उनको कोई आर्थिक परिव्यय भी नहीं करना है। विगत एक वर्ष से मैं लगातार कहता आ रहा हूं, पता नहीं क्या कारण है, उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। हमारा जिला केन्द्र गाजीपुर है। हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मंगल पांडे, चित्तु पांडे और श्रीपूजन राय का नाम इस देश से निकाल दें तो क्या देश की आजादी का इतिहास लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। यदि आप इन स्वतन्त्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहते हैं तो इन पचास वर्ष के बाद इन इलाकों की क्यों उपेक्षा कर रहे हैं। इन लोगों के नाम पर कुछ तो कर सकते हैं। इसमें रेलवे का कोई पैसा नहीं लगेगा। ऐसे महत्वपूर्ण स्थान जहां इनका जन्म हुआ, वहां ट्रेन दो-दो मिनट के लिए रोक दें, तो आपका क्या जाएगा। इस सम्बन्ध में वहां के स्वतन्त्रता सेनानी भी आपसे मिले, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चिट्ठी भेजते हैं तो जवाब आता है कि उचित कार्यवाही के लिए भेज दी है। मैं समझता हूं एक वर्ष से यह आश्वासन मिल रहे हैं। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में कुछ कर सकें तो वहां के लोग आपको याद रखेंगे कि एक साहसी रेल मंत्री था, जिसने स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए कुछ किया। हमारे क्षेत्र में एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। विश्वनाथ सिंह गहमरी वहां के हुए और यहां सांसद थं और जैसा सहारनपुर के मित्र कह रहे थे कि देश की सेना को इतना बड़ा योगदान उस गांव का है, मैं समझता हूं कि प्रतिदिन वहां से 150 लोग बनारस आते हैं। लेकिन वहां से फरक्का एक्सप्रेस आती है। रेलवे के लोग गए, उन्होंने जांच भी कर ली। गहमर और डुमराव दोनों के पक्ष में रिपोर्ट आई लेकिन वहां फरक्का एक्सप्रेस नहीं रुक रही है। एक बक्सर से बनारस तक ई.एम.यू ट्रेन चल रही थी। अब उसको मुगलसराय ही रोक दिया जाता है। आने-जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। मैंने कहा था कि इसे बनारस तक बढ़ा दिया जाए। मुगलसराय तक रोकने का कोई औचित्य नहीं है और इसमें एक नए पैसे का खर्चा नहीं है। लेकिन यह ट्रेन मुगलसराय रोक दी जाती है। गाजीपुर जिला केन्द्र है, वहां कोई ओवरब्रिज नहीं है। अब गाजीपुर से हाजीपुर हमने जुड़वा दिया है और आप रेल मंत्री हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजपथ से हमने जुड़वा दिया, आप रेल मंत्री होने के नाते रेल पथ से गाजीपुर को हाजीपुर से जोड़ने का काम करें। उस ऊर्ध्वगामी सेतु का निर्माण और वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 जो है, उसमें रेलवे का पैसा नहीं लगना है, ऐसा बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोग ही उसका वहन कर लेंगे, मैं इस बारे में सुनिश्चित नहीं हूं। वहां जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ओवरब्रिज बनना है, लोगों ने कहा है कि वह हम वहन कर लेंगे।

श्री राम विलास पासवान : यह जो ओवरब्रिज है जिसमें यू.पी. सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है और सरकार,···*(व्यवधान)*

श्री मनोज कुमार सिन्हा : यू.पी. सरकार है। इसमें बिहार सरकार का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश का मामला है लेकिन नेशनल हाई-वे पर मैं समझता हूं कि वह हम कर लेंगे और अगर उसकी स्वीकृति आप कर देंगे तो हम···*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान : नदी के ऊपर न?···*(व्यवधान)*

श्री मनोज कुमार सिन्हा : नहीं, नहीं, वह ओवरब्रिज शहर में है और दो राष्ट्रीय मार्ग उसी सड़क से जाते हैं, एक तो गाजीपुर से मऊ और दूसरे गाजीपुर से हाजीपुर और दो-दो घण्टे लोग इंतजार करते हैं। सिटी गाजीपुर में जिला केन्द्र का सिटी रेलवे स्टेशन है। अगर स्टेशन देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि स्टेशन कब बना था? एक रेट प्वाइंट की बात पिछले काफी दिनों से हम लोग परस्यू कर रहे हैं। खाद हो या खाद्यान्न हो, उसको रखने में और उतारने में बड़ी दिक्कत होती है। उसको बना सकें तो बहुत अच्छा होगा। चित्तु पांडे का नाम जो मैं ले रहा था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि बलिया से लेकर बनारस तक डी.एम.यू. ट्रेन चलाने का काम करें। आपने भी आश्वासन दिया था लेकिन आज तक वह नहीं चली। पिछली बार आप कर रहे थे कि एक पैसेंजर गाड़ी चलाने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप डी.एम.यू. ट्रेन निश्चित रूप से चलाने का काम करें। पिछले दिनों अखबार में मैने पढ़ा कि वाराणसी में जो श्रमजीवी और फरक्का एक्सप्रेस में आरक्षण का कोटा है, उसे काफी हद तक कम कर दिया गया है। मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी के आरक्षण कोटे में यदि कमी की गई है तो निश्चित रूप से आपको उसे देखना चाहिए कि यह कम न हो। मैं समझता हूं कि बनारस महत्वपूर्ण स्थान है। हर दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो काशी का अपना अलग स्थान है।

एक बात मैं खिलाड़ियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि खिलाड़ियों को भी रेलवे पास देता रहा है। जो उच्च स्तर के खिलाड़ी हैं, आप उनकी विशेष चिन्ता करें तो मैं समझता हूं कि देश का भला हो जाएगा। यहां पर अपराध की भी चर्चा हो रही थी।

श्री राम विलास पासवान : हमने खिलाड़ियों की बैठक बुलाई थी और 31 प्वाइंट्स तय हुए थे और 31 में से करीब-करीब 24 जो उनकी मांगें थीं, उनको मान लिया गया है। इसमें उनका प्रमोशन का मामला भी था। उनकी मांग थी कि ड्यूटी के ऑवर में जो उनकी एक्सरसाइज चलती है, उसको भी ड्यूटी ऑवर में माना जाए। 31 में से 24 इम्प्लीमेंट हो गए हैं और सात रहते हैं। जौनपुर और वाराणसी का मामला है। यह मैं भी मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और उसमें डिले हो रही है। मैं चाहूंगा कि आपके साथ में बैठकर अधिकारियों को भी बुलवाऊंगा और अपने सामने जो भी हो सकता है, निर्णय करूंगा।

श्री मनोज कुमार सिन्हा : बनारस में रेलवे का केसर इंस्टीट्यूट है। पूर्वांचल एक पिछड़ा हुआ इलाका है और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार दोनों इलाकों के अधिकांश मरीज वहीं जाते हैं। सामान्यतः यह शिकायत प्राप्त होती है कि जब मरीज रेडियो थेरेपी के लिए जाते हैं तब वे या तो बनारस काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय के सुन्दरलाला

[श्री मनोज कुमार सिन्हा]

चिकित्सालय या आपके रेलवे केंसर इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि रेडियो थेरेपी की सुविधा नहीं है क्योंकि मशीन खराब है और आपका इलाज नहीं हो सकता। एक बार नहीं अनेक बार इस सम्बन्ध में पत्र लिख चुका हूं। आए दिन इस बात की शिकायत करते रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप इस ओर कृपा कर सकें, तो उस इलाके का कल्याण होगा।

ठेकेदारी प्रथा के सम्बन्ध में केवल एक मिनट में अपनी बात कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। पूरे इलाके में अपराधियों का जन्म ही रेलवे की ठेकेदारी से शुरू हुआ है। अकूत सम्पत्ति कमाकर आए दिन हत्याओं को बे अन्त सिलसिला चल रहा है। अनेक राजनीति हत्याएं हुई हैं। मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिस तरह से आतंक बढ़ता जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, उससे वहां कोई राजनीति करने वाला नहीं रह जाएगा। इस तरह से वे खुलेआम रेलवे की सम्पत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं या यों कहिए कि वहां कानून-व्यवस्था नहीं है, रेलवे का कोई शासन नहीं है, उन्हीं का शासन रेलवे में चल रहा है। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। इस पर भी आपकी दृष्टि जानी चाहिए। मैं समझता हूं, इससे देश और रेलवे का भला होगा।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, बड़ी लम्बी यहां पर चर्चा चल रही है। रेलवे ने केन्द्रीय सरकार के खर्च के लिए अनुपूरक मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान हमने रेल में विद्युतीकरण, आमान परिवर्तन, रेल सुरक्षा-कल्याण निधि का उल्लेख किया है। निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री डिमान्ड्स पर ऐसा ही होता है, ये सारे रेलवे के कार्य हैं, जिसमें रेलवे का विकास और बाकी सारी सुविधाएं हैं, उसके बारे में धीरे-धीरे, इन कामों के करने के लिए, धन जुटाने के लिए उपाय किए जाते हैं। मुश्किल क्या है कि देश भर में जितनी बड़ी रेल है, उतनी बड़ी समस्याएं भी हैं। समस्याओं का समाधान करने की कोई ठीक प्रकार से प्रणाली स्थापित नहीं होने के कारण कष्ट ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी बात को लगातार कहने का अर्थ यह होता है कि उस बात को समझ तो लें। समझदार सभी लोग हैं। समझते नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। किन्तु समझदारी इस्तेमाल करने के लिए कोई-न-कोई उपाय होना चाहिए। संसद सदस्य यहां पर आते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। रेल मंत्री सुनने के लिए है और सुनते हैं, बहुत लम्बा-चौड़ा हिसाब हो जाता है। सभी लोग अपनी बातों को कहते हैं। उस हिसाब को पूरा करने के लिए क्या उपाय होता है, उसके लिए अभी तक कोई सिस्टम बन गया हो, ऐसा मालूम नहीं होता है। इसका कारण यह है कि सदस्य इस उम्मीद पर यहां बोलता है कि कहीं कोई बात सुन ली जाएगी और समझ ली जाएगी। कुछ बातें तो समझ ली गई हैं और उसको पूरा करने के लिए कोई-न-कोई उपाय कर लिया जाएगा। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि कोई ऐसी प्रणाली स्थापित करें कि कुछ बातें ऐसे स्तर पर हो जाएं, जिससे हर बार रेल मंत्री के पास न जाया जाए। रेल मंत्री जी के पास मैं बहुत बार जाता हूं। एक काम के लिए मैं लगातार साल भर गया हूं और उन्होंने सौजन्यता के साथ बर्ताव किया, जैसी कि मैं उम्मीद करता था।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं। रेल मंत्री की हैसियत से जो प्रोजैक्ट का मामला है, उस पर तो मैं कह सकता हूं कि यह प्रोजैक्ट मैं ले लूंगा, तो ले लेता हूं। रेल मंत्री की हैसियत से मैं अपने आपको असहाय पाता हूं, एक ही जगह पर, जब कोई माननीय सदस्य कहता है कि इस ट्रेन को यहां रुकवा दीजिए।...*(व्यवधान)* उसमें थोड़ा टैक्नीकल मामला होता है, क्योंकि दूसरी गाड़ी पर उसका क्या असर पड़ता है, यह भी देखना होता है। उसमें थोड़ा जोर डाल कर कुछ तो करवा लेता हूं। आपका जितना मामला आया है, 90 प्रतिशत मामला वही रहता है। मैं एश्योरेंस तो दे देता हूं, उसमें कुछ होता है और कुछ नहीं होता है।

डा. सत्यनारायण जटिया : हम निराश नहीं हैं। निराश होने का कोई कारण भी नहीं है। उम्मीद है, उम्मीद का नाउम्मीद न होना, उम्मीद है, उम्दा कोई फैसला किया जाए। इसलिए कुछ अच्छे फैसले का हमें इन्तजार रहता है। हम कोई शिकवा या शिकायत करने के लिए नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं, जिस प्रकार से हम सदस्य हैं, उसी प्रकार से आप भी सदस्य हैं। हमारे कष्ट को आप समझते नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। रेल मंत्री होकर, जिम्मेदारी लेकर आपने काम शुरू किया है, ऐसी बात नहीं है। जिम्मेदारी ली है और आपने काम किया है।

मुझे खुशी है कि पैसेंजर ट्रेन का एक स्टापेज गांव के लिए होना चाहिए था, वह हो गया और हजारों लोग उस काम के लिए बड़ी खुशी मनाते हुए आ गए। यह खुशी हमारी हुई, तो मालूम हुआ 27 जुलाई से तीन गाड़ियां, जो लम्बे समय से चल रही थीं, वे तीनों गाड़ियां बन्द हो गईं। मैंने कहा महीनों का परिश्रम करने के बाद एक स्टापेज आपको मिल गया है।

श्री राम विलास पासवान : आज आपने हमको लिख कर दिया है। मै। जांच करवाऊंगा। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। मैंने कहा है और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं।

रात्रि 11.00 बजे

यदि हम एक हाथ से किसी क्षेत्र में दें और दूसरे हाथ से लें तो यह उचित नहीं है। इसलिए मैं उस मामले को अपने आप गहराई से देखूंगा कि यदि एक ट्रेन चलाने की बजाए तीन ट्रेन रद्द की होंगी तो जिस आफिसर ने ऐसा किया है उसके खिलाफ मैं एक्शन भी लूंगा।

डा. सत्यनारायण जटिया : मैं इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप खुद उसकी चिन्ता करते हैं, यह तो ठीक है। अब कारण यह है कि हर बात आपके सामने आए, यह तो कठिन हो जाता है। हम भी नहीं चाहते कि हर छोटी बात को आपके सामने लाया जाए, परन्तु एक सिस्टम जौनल लेवल पर, डीआरएम लेवल पर हो। यह सदन इतना बड़ा है जिसमें कुछ बातें तो कहीं जाएं, जो बड़ी योजनाएं हैं उनके बारे में बात की जाए। आपने जो बात कही है आप निश्चित रूप से इसको गहराई से लेते हैं और आप इस दर्द को समझते हैं इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

महोदय, कुछ स्टापेज के बारे में बातें हो गई थीं और स्टापेज के बारे में ऐसा होता है कि जो गाड़ी धीरे-धीरे चलती है उसके बारे में एक-दो साल स्टापेज की मांग करते-करते ऐसा हो जाता है कि वह गाड़ी पुरानी होती जाती है और उसके स्टापेज भी बढ़ते जाते हैं। जब मालवा एक्सप्रेस चलती थी तो उसका कुछ स्टापेज होता ही नहीं था, लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया कि उस गाड़ी का हर जगह स्टापेज हो गया। आप जिस मापदंड पर एक स्टापेज स्वीकार करते हैं उसी मापदंड पर दूसरा सदस्य मांग करता है, अब या तो आप उसको स्टापेज दीजिए मत, परन्तु क्या होता है कि कुछ सदस्य अपने प्रभाव के कारण, अपने अच्छे

वर्चस्व के कारण अपनी कुछ बातें पूरी करवा लेते हैं। लेकिन कुछ सदस्यों की बात को सुना नहीं जाता है, उनको शिकायत रहती है कि वह बात कैसे पूरी की जाए। इसलिए हमारा कहना है कि इसमें अन्तर करने का, भेद करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। हम भी समझदार लोग हैं और वर्षों से पार्लियामेंट में आ रहे हैं। 7वीं, 9वीं, 10वीं लोकसभा में आए हैं और 11वीं लोकसभा में आपके सामने बैठे हैं। हम अनुभव के आधार पर समझते हैं कि कहां क्या होना चाहिए, किन्तु रिसपॉन्स के आने के लिए हमें निवेदन करना पड़ता है और हम निवेदन कर सकते हैं क्योंकि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। इसलिए हमारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने मांग की थी कि 4005-4006 का स्टापेज महिदपुर रोड पर होना चाहिए। उसके आगे गणगौर एक्सप्रेस का स्टापेज विक्रमगढ़ आलोट पर किया जाए, क्योंकि इन स्टापेज के होने से लोगों को सुविधा हो जाएगी। यह गाड़ी विक्रमगढ़, चौमेहता, सुवासरा, श्यामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी रुकती है। इसी प्रकार से इस गाड़ी को 4005-4006 को महिदपुर रोड स्टेशन पर रोकने पर लोगों को सीधे आवागमन की इंदौर से और इंदौर तक सुविधा मिल जाएगी। इन्होंने कहा कि यह वहां नहीं रुक सकती है तो हमने कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद 15-20 किलोमीटर पर वह गाड़ी रुक रही है। यहां ऐसा लगता है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति आता है और उसके प्रभाव के कारण उसकी बात मान लेते हैं तो शायद हम निष्प्रभावी हो जाते हैं, मैं अपनी बात को निष्प्रभावी नहीं मानता। मेरा यह कहना है कि कुल मिलाकर बात को सुनने का नजरिया एक तरह का होना चाहिए।

महोदय, हमने कम्प्यूटर के बारे में कहा। उज्जैन में कुम्भ का मेला होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, तीर्थ यात्रियों के लिए बहुत जरूरी होता है इसलिए उसको दिल्ली की ओर करना चाहिए, इसके लिए भी हमने बात की। हमने कहा कि एक गाड़ी 1226-1268 भोपाल ट्रेन है उसको उज्जैन तक बढ़ाया जाए। हमने कहा कि एक 2962 गाड़ी इन्दौर से चलती है उसको मुंबई सेंटर तक ले जाया जाना चाहिए। अब यह लम्बा मसला चला है तो उस पर कहीं फैसला हो जाना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार से हमने कहा कि जो 2962 गाड़ी है, अवंतिका एक्सप्रेस में इन्दौर से रतलाम के बीच सीजन टिकटधारी यात्रियों को सुविधा दी जाए। उज्जैन, देवास, इन्दौर का विद्युतीकरण किया जाए और सिगनलिंग प्रणाली को आधुनिक बनाया जाए। मैं विद्युतीकरण के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था कि वहां विद्युतीकरण हो रहा है। पहले रेल मंत्री, प्रकाश चंद सेठी जी थे, उनके बाद फिर बाकी और हुए। उन्होंने उसमें थोड़ा टोकन भी रखा, परन्तु बाद में वह वापस चला गया।

महोदय, मीटरगेज के बारे में तो रेलवे का ध्यान जरूर जाना चाहिए, इस बारे में कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और आज देश में मीटरगेज है। मीटरगेज के बारे में मैं अपने क्षेत्र में देख रहा हूं कि अजमेर और खंडवा के बीच में पिछले तीन-चार सालों में कोई गाड़ी नहीं चल पाई। इसके लिए ये कहते हैं कि उसमें पावर नहीं है, उसके डिब्बे नहीं हैं। अभी तो मीटरगेज है, अभी आमान परिवर्तन करने का काम एकदम जल्दी नहीं हो रहा है। इसलिए इसका मेन्टेनेंस करने के लिए इस पर कोई नयी गाड़ी चलाने का काम करना चाहिए। हमने मांग की थी कि नीमच और महू के बीच में एक गाड़ी चलाई जाए, इसके लिए आश्वासन भी दिया गया था कि वह चलाई जाएगी। पहले जो पश्चिम रेलवे जनरल मैनेजर हुआ करते थे वह महत्वपूर्ण पद पर आ गए हैं उन्होंने आश्वासन दिया था। पश्चिमी रेलवे में अभी तक कोई गाड़ी इस सैक्शन में चलाने का काम नहीं हुआ है। इसलिए मेरा कहना है कि मीटरगेज की सुविधा के बारे में जो बातें हैं उनको पूरा करना चाहिए। नीमच और रतलाम का आमान परिवर्तन शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। ब्राडगेज कंवर्शन का काम करना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। उज्जैन, आगर के बीच एक नैरोगेज रेल लाइन हुआ करती थी उसको निकाल दिया गया है। उसके स्थान पर अब उज्जैन, चोंसला, आगर, रामगंज मंडी तक नई रेल लाइन निर्माण का काम प्रारम्भ किया जाए। इतना कहते हुए मैं एक साधारण बात और कहना चाहूंगा कि रेलगाड़ियां बहुत लम्बी-लम्बी चलती हैं, रिजर्वेशन कभी मिलता नहीं है। उसमें साधारण डिब्बे लगाने की बात जो कही गई है उन्हें लगाकर सुविधा प्रदान की जाए। गाड़ी में अक्सर जब यात्री आता है तो वेटिंग लिस्ट होती है। मेरा कहना यह है कि आम यात्री के लिए जनरल डिब्बे लगाए जाएं और उनको चिन्हित किया जाए तथा उनको अलग रहने दिया जाए। ग्रामीण लोगों को बहुत परेशानी होती है क्योंकि वे किसी भी डिब्बे में बैठ जाते हैं और उनको जुर्माना देना पड़ता है। उन्हें पता लगना चाहिए कि यह डिब्बा रिजर्व नहीं है। इतना ही कहकर आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने जो सदाश्यता का परिचय दिया है, उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : माननीय सभापति महोदय, सभी लोगों ने मंत्री जी को काम करने पर बधाई दी है, मैं बिना काम किए ही उनको बधाई देता हूं। पांचवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वित्तीय संसाधनों से जूझते रेलवे के लिए जोनल मण्डलों के चयन में सर्वाधिक कार्य दवाब, कम से कम स्थापना व्यय, व अनुकूल भौतिक स्थिति के अनुसार ही नए रेलवे जोन खोलने का निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है। जिसके अनुसार रेलवे मंत्री जी ने जो नए 6 रेलवे जोन खोलने की घोषणा की है वह मानदण्डों के अनुरूप न होने से वेतन आयोग ने तत्काल बंद करने की सिफारिश की है। किन्तु बिलासपुर ही एक ऐसा उपयुक्त स्थान है जो न केवल वेतन आयोग के मानदण्डों के अपितु नए जोन खोलने के समस्त मानदण्डों को पूरा करता है। बिलासपुर रेलवे जोन हेतु रेलवे के पास पर्याप्त भूमि, भवन एवं अन्य आवश्यक कानूनी साधन उपलब्ध हैं। भौतिक स्थिति के अनुसार रेलवे के परिचालन, नियन्त्रण, प्रबन्धन एवं कार्य के दवाब की दृष्टि से भी विलासपुर ही सर्वाधिक उपयुक्त है। विलासपुर में रेलवे जोन खोलने की घोषणा मात्र की आवश्यकता है। रेलवे जोन खोले जाने पर कोई अतिरिक्त भार नहीं उठाना पड़ेगा, यह हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं।

पूर्व में, पूर्व प्रधानमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री को और माननीय रेल मंत्री को हम सभी सांसद मिले थे। विलासपुर के सभी सांसद, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के सांसद व अन्य सभी दलों के सांसद मिले थे। वहां के मुख्यमंत्री इस बात से सहमत हैं और माननीय रेल मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। मेरा अनुरोध है कि इस मांग को अनुपूरक बजट में जोड़ा जाए। आपने प्लानिंग कमीशन में जोड़ने की बात कही थी। आपने आश्वासन दिया था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यहां पर मिला था तथा अभी हम 10 सांसद और मिले। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि विलासपुर में नए जोन की स्थापना हेतु कम से कम अनुपूरक बजट में घोषणा करें तो अति-उत्तम होगा।

विलासपुर-मंडला मार्ग में रेल लाइन बिछाने के लिए आपने पूर्व बजट में घोषणा की थी। उस नए रेल लाइन को बिछाने के लिए अनुपूरक मांग में इसे बजट में जोड़ा जाए। इससे विलासपुर से मंडला और जबलपुर तक लाइन जोड़ी जाए। इससे वहां के लोगों को औधोगिक दृष्टि से फायदा होगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पेन्ड्रा रोड और बिलहा स्टेशन

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

पर दुर्ग से सारनाथ एक्सप्रेस को अमरकंटक से दुर्ग जबलपुर, भोपाल एक्सप्रेस तथा अन्य सुपरफास्ट ट्रेनों को उन स्टेशनों पर रोका जाए ताकि वहां से धार्मिक स्थलों—इलाहाबाद, अमरकंटक जाने के लिए जो व्यवस्था है उनमें आप लोग अधिक से अधिक जा सकें। बेलगहना और उसलापुर दो स्टेशन हैं जहां पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। उनके सर्वे के आदेश हो चुके हैं। विलासपुर से बेलगहना और उसलापुर स्टेशन को ओवरब्रिज का दर्जा दें तथा इन्हें अनुपूरक बजट में प्रस्तावित करें।

कम्प्यूटर शिक्षण प्रणाली का पिछले समय भी मैंने विलासपुर के बारे में जिक्र किया था। सिकन्द्रावाद, कलकत्ता तथा मुंबई को जोड़ने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक नहीं जोड़ा गया है। आपने आश्वासन दिया है कि इन्हें जल्दी जोड़ा जाएगा। आप इस कम्प्यूटर प्रणाली को विलासपुर से जोड़ें ताकि आम लोग आरक्षण करा सके।

इसी तरह से मैं बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के बारे में कहना चाहूंगा कि आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं जिससे लोग मौत के गर्त में समा रहे हैं। वह जांच दल 10-15 किलोमीटर में देखें कि ऐसी कौन-सी परिस्थिति हैं जिसके कारण लोग दुर्घटना से ग्रसित होते हैं या दुर्घटना हो जाती है। जैसा मौसम विभाग में पहले से मालूम हो जाता है कि अमुक समय में आंधी, तूफान आ सकता है, ऐसे ही रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए ऐसी कार्य प्रणाली चालू की जाए। विलासपुर के रेलवे अस्पताल में कैंसर अस्पताल नहीं है। वहां ट्यूमर, हार्ट और किडनी की बीमारी के इलाज के लिए डाक्टर नहीं हैं। लोग इलाज के लिए कलकत्ता जाते हैं। वहां डाक्टरों की कमी है। वहां चिकित्सक भेजने की व्यवस्था करें ताकि वहां से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए कहीं जाना न पड़े। जयहिन्द। जय भारत।

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' (जलेसर) : सभापति जी, मैं उन दो सांसदों से हूं जिनके 5-5 जिले हमारे क्षेत्रों से लगते हैं। इससे हमारी व्यस्तता का अन्दाज लग सकता है। दुर्भाग्य से मैं पिछले बजट पर बोलना चाहता था लेकिन मैं बीमार था। इसलिए मैंने सोचा चाहे मुझे आज दो मिनट मिलें लेकिन मैं मौका नहीं छोड़ूंगा। मैं न तो मंत्री जी की प्रशंसा के लिए खड़ा हुआ हूं और न ही अनुपूरक मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके बहुत छोटे से कारण हैं। पहला कारण यह है कि 15 महीने लगातार प्रयास करने पर और ऐसा लगने पर कि हमारे सम्बन्ध और मित्रता बहुत अच्छी है, मैं इनसे परिचित भी कम से कम 26 साल से हूं तो यह काम बहुत आसानी से हो जाएंगे जैसे कि कहते हैं कि लाइन बदल दी। हमारे मित्र जटिया जी बोल रहे थे कि इन्होंने तो लाइन ही बदल दी। इस पर इन्होंने कहा कि सब काम कर सकता हूं लेकिन ठहराव रेल का नहीं कर सकता। बाकी काम मेरे क्षेत्र में ज्यादा होने नहीं हैं। इसलिए मुझे इस बात का कष्ट है कि बहुत बार कहने पर भी और पूरी वास्तविकता रखने पर भी जिसके यहां पांच जिले हों, वहां एक काम नहीं हुआ। वहां एक काम हुआ। वहां प्रयागराज रुकी तो उसका श्रेय जानबूझ कर रेल विभाग ने मुझे नहीं दिया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। मैंने लिखित में इस बारे में कहा। शायद मैं पहला सांसद हूं जिसके क्षेत्र में, जिसकी मांग पर कोई रेल रोकी जाए तो उसको इसकी लिखित सूचना रुकने की एक महीने तक न दी जाए। एक यह कारण है। दूसरा कारण यह है कि रेल मंत्री जी ने पिछले दिनों यहां कहा था कि वह कभी

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : क्या वह ऑटोमैटिक रुक गई?

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : यह तो आप जानते होंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरी मांग पर रुकी।

श्री राम विलास पासवान : आपने मांग की थी? जैसे जटिया जी ने कहा कि वहां भी रुक गई। हमने उनसे कहा कि हमने इसे बतला दिया था। आप वहां जाइए, फंक्शन कर लीजिए लेकिन हम नहीं जाएंगे।

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : वह स्पष्टीकरण मैं स्वयं ही दे रहा हूं कि मांग मेरी थी। काम हुआ लेकिन मुझे उसकी महीनों तक सूचना नहीं दी गई। मुझे अचानक सूचना टुंडला आने पर मिली क्योंकि वह मुख्य स्टेशन है। मुझे वहां पता लगा कि प्रयागराज रुकने लगी है। मैंने इस पर टिप्पणी नहीं की। मैं सीधा आया और आपको लैटर लिखा। मुझे दुख है कि यह मेरे कहने पर आपके प्रभाव से रुकी लेकिन मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई। अब मैं यह कहूं कि मेरे कहने पर रुकी तो इसका क्या मतलब है? यह बात मैंने उस समय कही थी। दूसरा आपने यह कहा था और मैंने पेपर्स में देखा भी है जब गंगानगर और अहमदाबाद में आपने उद्घाटन किया। आपने स्वयं कहा था कि जिस रेंज में काम होगा, उसमें जितने सांसद होंगे, बिना भेदभाव के सबको सूचना दी जाएगी और उनके नाम आएंगे लेकिन अभी मथुरा और कानपुर तक के आमान परिवर्तन का जो कार्यक्रम था, उसमें साक्षी जी और शेरवानी जी का काम था।

श्री राम विलास पासवान : हम इसे चैक कर लेंगे। जिस रेंज में काम होता है और जहां से काम शुरू होकर जहां खत्म होता है, उसके बीच में जितनी कॉस्टिट्यूएंसीज आती हैं, वहां के सभी संसद सदस्यों को इसकी सूचना दी जाती है। जो संसद सदस्य चाहते हैं कि हम उस समारोह में भाग लें, उसके लिए हमारी इंस्ट्रक्शन हैं कि चाहे वे दो हों, चार हों या दस-बीस हों, सभी को स्पेशल गैस्ट के रूप में, चीफ गैस्ट में आम तौर पर चीफ मिनिस्टर आते हैं, या गवर्नर आ गया लेकिन विशिष्ट अतिथि या सब लोगों का नाम हम लोगों ने दे दिया है। हम लोग खुद जम्मू गए थे और भाजपा तथा अन्य पार्टी के लोगों से कहा था तो उन्होंने कहा कि वे जाएंगे। उसमें सबका नाम था और उनको सूचना मिली होगी लेकिन लगता है कि आपकी तरफ से स्वीकृति नहीं आई होगी। यदि आपको सूचना नहीं मिली तो इस बात का पता लगाऊंगा।

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : माननीय सभापति महोदय, यह रेल की अनुपूरक मांगों का मामला है, इसलिए रेल पर बोलना उचित है। मैं यह तो नहीं कहता कि मेरा मस्तिष्क कम्प्यूटर है लेकिन यह कह सकता हूं कि भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की है कि आज तक मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी। यदि यहां पर 545 सांसद बोल लें और मैं बैठकर उनकी बात सुन लूं और उसके बाद मुझसे पूछें कि अब कोई समस्या रह गई है तो मैं इस देश की 20 समस्याएं बता सकता हूं। मैं अपने क्षेत्र की बात नहीं करता। जब डा० छत्रपाल जी बोल रहे थे कि बुलन्दशहर ने 50 साल में सबसे ज्यादा सैनिक दिए हैं तो मैंने उस समय उनको कहा कि मांगना है तो बुलन्दशहर के लिए रेल लाइन मांग लो। अब यह व्यक्तिगत मामला हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्री चन्द्रभूषण सिंह जी कन्नौज से आते हैं, यह रेल लाइन वहां से गुजरती है, थोड़ा आगे चलते हैं तो डा० महादीपक सिंह के एटा से लाइन गुजरती है, फिर मेरे क्षेत्र की लाइन आती है। उसके बाद श्री किशन लाल दिलेर के हाथरस से गुजरती है, फिर मथुरा के श्री तेजवीर सिंह के क्षेत्र से जाती है। इसके बाद जब लाइन आगे बढ़ती है तो रावत जी का क्षेत्र आ जाता है। यदि मेरे पास पत्र नहीं आया तो इन लोगों के पास तो आना चाहिए था। और उनके पास भी नहीं आया। मैं भूल सकता हूं कि मैं घमंडी हो गया। क्या ये लोग भी घमंडी हैं?

सभापति महोदय, सतपाल महाराज मेरे अच्छे मित्र हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। वे रेल मंत्री नहीं होते हुए भी उस समारोह में थे। आपको पता ही है कि श्री कठेरिया जी की कांस्टीट्एंसी फीरोजाबाद है और मेरा वहां पर 26 वर्षों से निवास है। यह मेरे लिए गौरव की बात है कि वहां पर 7 लाख की आबादी के होते हुए रेलवे को प्रतिदिन डेढ़ लाख से 78 लाख के राजस्व का फायदा होता है। मैंने टुंडला के बारे में कहा था कि यह एटा, मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, आगरा, मथुरा, धौलपुर, भरतपुर, मुरैना को जोड़ता है। यहां से 10 लाख जैन लोग बिहार के समवेत शिखर से सम्बन्ध रखते हैं, उनके लिए टुंडला में नीलांचल एक्सप्रेस का स्टापेज दे दिया जाए। इससे आपको सम्मान मिलेगा और लोगों की श्रद्धा आप में बढ़ सकती है। यह व्यापारिक क्षेत्र है।

श्री राम विलास पासवान : कौनी-सी ट्रेन है ?

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : टुंडला से नीलांचल की बात कर रहा हूं। इसको आप नोट कर लें। यह ट्रेन पहले रुकती थी। पता नहीं लोगों का अधिकार क्यों छीना जा रहा है ?

श्री राम विलास पासवान : वहां यह कब से बंद की गई है ?

प्रो० ओम पाल सिंह 'निडर' : यह 7-8 साल पहले चालू की गई थी। मैं खुद इस गाड़ी में बैठ चुका हूं। अब लोग उसके लिए क्यों नहीं लड़े ? हालांकि हम लोग जाते रहे जहां हल्ला बोल होता रहा है। मेरा आग्रह है कि आप नोट कर लें और रेल मंत्रालय को भी नोट करा दें।

सभापति महोदय, एक ट्रेन हाथरस किला से दिल्ली और दिल्ली से हाथरस किला तक चलती है जो वहां पर 10 घण्टे खड़ी रहती है। मैंने कहा था कि इसको टुंडला से चलवा दो तो जलेसर रोड और बहरन का भला हो जाएगा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो ट्रेन खड़ी है वह बेकार खड़ी है, पैसेंजर ट्रेन है और कोई सुपरफास्ट ट्रेन उससे क्लैश नहीं करती। उसे केवल टुंडला से चलवा दें तो काम हो जाएगा। ये ऐसी चीजें हैं जिससे रेलवे को पैसा मिलेगा। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। अभी कठेरिया जी कह गए थे और उन्होंने तो केवल आग्रह की बात की, पर मेरी मजबूरी है क्योंकि मथुरा और आगरा मेरे क्षेत्र में आता है। मथुरा में भी अच्छी ट्रेनें रुकनी चाहिए क्योंकि मथुरा का अपना महत्व है। उस महत्व को केवल यह सोचकर न आंके कि वह धार्मिक महत्व है, बल्कि पूरे पश्चिम रेलवे को मथुरा ही जोड़ता है। इसी प्रकार आगरा से जो ट्रेन गुजरती है, सबकी सब जहां रुकनी चाहिए। अगर हम उसको अन्तर्राष्ट्रीय नगर बनाना चाहते हैं तो वहां सभी गाड़ियां रुकनी चाहिए और इन दोनों नगरों पर जितनी ट्रेनें रुकती हैं, सबमें आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए।

पर्यटन की दृष्टि से भी मैंने एक बात और कही थी कि एटा बहुत महत्वपूर्ण जिला है और एटा के लिए कोई भी एक्सप्रेस गाड़ी नहीं है। दिल्ली से एटा के लिए अगर कोई एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए क्योंकि लाइन वहां बिछी हुई है, तो उस क्षेत्र का बहुत भला हो जाएगा। दो बातें मैं ऐसी कह रहा हूं जो मैं जानता हूं कि अनुपूरक बजट में नहीं आती हैं लेकिन भविष्य में ध्यान रखा जाए कि एटा को कासगंज से जोड़ दिया जाए और दूसरा मथुरा से महाबन जो उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कृष्ण जी महत्वपूर्ण थे, वे वहां खेले थे। बलदेव उतना महत्वपूर्ण है जितना मथुरा महत्वपूर्ण है। फिर सादाबाद, पहपऊ और जलेसर रोड जोड़ दें। इससे टनकपुर और पीलीभीत तक का पूरा क्षेत्र जुड़ जाएगा।

अन्त में मैं कहूंगा कि मेरी भावनाएं आपके साथ हैं। मित्रता के सम्बन्ध बिल्कुल अलग होते हैं। आपकी हम वास्तव में प्रशंसा करते हैं लेकिन आदत है क्योंकि हम कवि हैं और कवि की कलम तो वही लिखती है जो सच होता है। मेरे जैसे व्यक्ति की प्रशंसा अगर प्राप्त करनी है तो यह बहुत छोटे काम मैंने बताए हैं। एक एच.ए.डी. हाथरस किला से लेकर दिल्ली वाली और एक नीलांचल, ये कम से कम इस खंडित भारत की जो खंडित आजादी है, उसके पचासवें वर्ष में तो मिल ही जानी चाहिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि लोग बहुत घमण्ड कर रहे हैं। मुझे आज भी दुख है कि देश बंटा और आजादी बंटी। न पूरी आजादी है, न पूरा देश है, न मेरी पूरी मांग है। इसलिए मेरी मांग भी खंडित है, देश भी खंडित है और आजादी भी खंडित है। इतना तो मिल ही जाना चाहिए। 15 महीने हो गए। 15 महीने में किसी पत्थर की पूजा भी करते तो वह पिघलता नहीं तो पसीना तो उसे आ ही जाता, पर हम तो इंसान की पूजा कर रहे हैं और इंसान से मांग कर रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण-मध्य) : सभापति जी, मैं बाते दोहराना नहीं चाहता। मैं सिर्फ दादर के बारे में बतलाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दादर के बारे में पहले ही कहा जा चुका है। आपके पूर्व वक्ता ने दादर के बारे में पहले ही बता दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : दादर के आसपास कोंकण में रहने वाले लोग रहते हैं। वहां नयागांव है, वडाला है, प्रभादेवी एरिया है। मेरे क्षेत्र में परेल है, लालबाग है, काला चौकी है, मझगांव है, भयकाल है, आर्थर रोड है, घोड़पदेव है। यहां देखें तो वर्ली है, शिवड़ी है। वहां सब कोंकण के लोग रहते हैं और वह मिल मजदूरों का एरिया है। हमारे क्षेत्र के लोगों की मांग है कि आप दादर से ट्रेन छोड़िए। मैंने पिछले हफ्ते रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि हम सर्वे करने जा रहे हैं और एक हफ्ते में मंजूरी देने वाले हैं। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। मैंने अखबारों में आपकी स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर दादर में रुकनी होगी तो हमें और कोई ट्रेन बदलनी पड़ेगी। जैसे चार ट्रेन दादर से छूटती हैं तो वहां से एक ट्रेन कुर्ला में शिफ्ट करनी पड़ेगी। यहां के ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्या भावनाएं हैं, वह आप सोच लीजिए। मेरी आपसे विनती है कि इस समस्या का कोई हल निकालिए।

श्री राम विलास पासवान : मैंने कल भी इसका जवाब दिया था, आज फिर कहना चाहूंगा कि दादर के सम्बन्ध में जितना रावले जी चिन्तित हैं, उतना ही मैं भी चिन्तित हूं। मैं चाहता हूं कि कोंकण की गाड़ी चले और दादर से चले। मैंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से कहा है कि मुझे मिनट-टू-मिनट का कार्यक्रम दो कि कितनी सबरबन ट्रेन्स चलती हैं, किस-किस समय चलती हैं, उसके बाद मैं आपके साथ भी बैठूंगा, हर पार्टी के लीडर को बुलाऊंगा, कम से कम महाराष्ट्र के लीडर्स को जरूर बुलाऊंगा। आप देख लीजिए, यदि कहीं उसमें से समय निकलेगा, दादर से कोंकण जो ट्रेन जाती है, क्या उसे रोक सकते हैं, उसका ठहराव हो सकता है, मैं आपको वर्ड देता हूं कि उसे करूंगा।

मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार दादर से चार ट्रेन्स चलती हैं--दादर से नागपुर सर्वोदय एक्सप्रेस, दादर से अमृतसर, दादर से चेन्नई और दादर से गोरखपुर। यदि चेन्नई को छोड़ दें तो गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, अमृतसर में आपकी सरकार है और

[श्री राम विलास पासवान]

नागपुर में भी आपकी सरकार है। इसलिए बीच में घुसने का कोई चारा नहीं है। यदि बीच में समय है तो आप ले लीजिए। यदि नहीं है तो आप पब्लिकली बता दीजिए कि इस ट्रेन को कुर्ला से चलाओ, उस ट्रेन को दादर तक ले आओ, हम उसे कंसीडर करने को तैयार हैं। यही बात मैंने वहां कही थी, वही मैं अब कह रहा हूं। मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं। यदि पब्लिक हमसे पूछेगी तो हम कहेंगे कि शिवसेना के लोगों से जाकर बातें करो।

श्री मोहन रावले : यदि वह दादर से छूटेगी तो हम मुम्बई के लोग आपका स्वागत करेंगे, रेल मंत्री जिन्दाबाद के नारे लगाएंगे।

दूसरी बात मैं डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के बार में कहना चाहता हूं, जिनके प्रति हमारे दिल में बहुत सम्मान है। वे सिर्फ दलितों के नेता नहीं हैं बल्कि हम उन्हें सारे हिन्दुस्तान का नेता मानते हैं। हमने सुना है कि रेल मंत्री जी दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि रखना चाहते हैं। मेरी मंत्री जी से विनती है क्योंकि आज का पेपर हमारे पास है, महाराष्ट्र टाइम्स पेपर में लिखा है कि दलित नेता नामदेव ढसाल ने इसका विरोध किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री मोहन रावले, आप कृपया इसे बार-बार नहीं दोहराइए।

श्री मोहन रावले : मैं दोहरा नहीं रहा हूं।

सभापति महोदय : आप वही बात बार-बार दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : मैं यहां दूसरी बात रखना चाहता हूं क्योंकि एक जगह उस अखबार में लिखा है ... *(व्यवधान)* हम नहीं चाहते कि डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में किसी के मन में अनादर हो लेकिन आप अगर दादर का नाम बदलने की कोशिश करेंगे तो लोग उसका विरोध करेंगे। दादर का अपना एक इतिहास है जिसके कारण स्थानीय लोग उसके विरोध में हैं। दादर का नाम बदलने से वहां तनाव पैदा होने की सम्भावना है, जातीयता की दीवार खड़ी हो जाएगी तथा कई दूसरी गलत बातें भी हो सकती हैं। लोगों की भावनाओं का आप ख्याल रखिए।

जैसे आपने दिल्ली में अचानक विजिट की थी, आप कितने सक्षम मंत्री हैं उसकी हमें जानकारी है, हम सभी आपको पसन्द करते हैं, आपको आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं। इस सदन में सभी लोग यदि किसी मंत्री की सराहना करते हैं तो सिर्फ रेल मिनिस्टर की करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप मुम्बई शहर में आते हैं तो हार्बर मे भी आएं और देखें कि वहां कैसी गंदी गाड़ियां चलती हैं, उनमें कितनी गंदगी रहती है। अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन मुम्बई से आए हैं, उन्हें इसकी जानकारी है। मैं चाहता हूं कि इस स्थिति में कुछ सुधार होना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में जो आन्दोलन हुआ था, उसमें आपने भी इनिशिएटिव लिया था। आप जानते हैं कि 700 अप्रैन्टिस अभी बाहर हैं, जबकि लोअर परेल में 825 जगह हैं। मैंने वहां के वर्कशाप मैनेजर को लिखा है, माटुंगा के वर्कशाप मैनेजर को लिखा है। वहां 825 जगह हो सकती हैं लेकिन अभी तक उन्हें भरा नहीं गया है। मेरी विनती है कि इस बारे में आप जल्दी डिसीजन लीजिएं

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो सहयोग दिया और आपने मुझे बोलने का जो समय दिया, उसके लिए मैं आपको और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नामों की सूची अब समाप्त हो गई है। सभी माननीय सदस्य, जो इस विषय पर बोलना चाहते थे, को बोलने के लिए समय दिया गया था। अब, अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूरी हो गई है।

मंत्री जी, आप उत्तर कब देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सर, कल क्वश्चन आवर के बाद रिप्लाई दूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री कल 12 अगस्त, 1997 को प्रश्न काल के पश्चात् उत्तर देंगे।

माननीय सदस्यों, मैं आपके सहयोग और इसमें भाग लेने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूं। अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 11.30 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा मंगलवार, 12 अगस्त, 1997/21 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।